



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान  
निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं  
द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी



संघ सरकार  
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)  
2016 की संख्या 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान  
निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं  
द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी

संघ सरकार  
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)  
2016 की संख्या 4

## विषय सूची

विवरणी	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		xi
कार्यकारी सार		xiii
<b>अध्याय-I : प्रस्तावना</b>		
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली की उत्पत्ति	1.1	1
नयी दूरसंचार नीति -1999	1.2	1
यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेन्स (यू ए एस एल) तथा यूनिफाइड लाइसेन्स (यू एल)	1.3	2
सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा पर लाइसेन्स अनुबन्ध में प्रावधान	1.4	3
राजस्व एवं एल एफ के भुगतान पर यु ए एस एल अनुबंधों में विनियम	1.5	5
लाइसेन्स शुल्क की दर	1.6	6
स्पेक्ट्रम का आवंटन व स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार	1.7	7
डी ओ टी द्वारा संग्रह किए गये राजस्व	1.8	8
लाइसेन्स शुल्क एवं एस यू सी के संग्रह एवं लेखाकरण के लिए डी ओ टी में की गयी व्यवस्थाएँ	1.9	8
<b>अध्याय-II : लेखापरीक्षा दृष्टिकोण</b>		
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	2.1	9
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2	10
लेखापरीक्षा मानदंड	2.3	11
आभार	2.4	11
<b>अध्याय - III : मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व शेयरिंग</b>		
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा	3.1	13
मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड व मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस	3.1.1	13
मैसर्स बी ए एल /बी एच एल को आबंटित स्पेक्ट्रम	3.1.2	14
मैसर्स बी ए एल /बी एच एल का अभिदाता बेस	3.1.3	15
मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा राजस्व शेयर का भुगतान	3.1.4	15
मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2	15
प्री पेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व को नेटिंग आफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2.1	16
पोस्ट-पेड अभिदाताओं को प्रदान किये गये वेवर/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2.2	21

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
अन्य ऑपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) छूटों को सैट-ऑफ करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2.3	23
बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2.4	24
बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2.5	25
राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरण) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में बताई गई थी	3.3	28
जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना	3.3.1	28
बी ए एल की सहायक कम्पनी को ब्याज मुक्त लोन के कारण एल एफ/एस यू सी के भुगतान से बचना	3.3.2	29
मैसर्स बी ए एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री पर लाभ को शामिल नहीं किया जाना	3.3.3	29
लाभांश के भुगतान के अलग-अलग मानक	3.3.4	30
ग्लोबल आपरेशन (वी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखित राजस्व पर एल एफ नहीं देना	3.3.5	30
पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को विचार में नहीं लेना	3.3.6	32
बी ए एल द्वारा आधारभूत संरचना प्रदाता (आई पी)-1 सेवाओं के तहत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिये विचार नहीं करना	3.3.7	33
बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिये विविध आय पर विचार नहीं किया जाना	3.3.8	34
मैसर्स बी ए एल द्वारा अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ की आय को राजस्व शेयर के भुगतान हेतु ए जी आर में शामिल नहीं करना	3.3.9	35
अन्य मुद्दों के कारण राजस्व शेयर का कम/गैर भुगतान	3.4	36
बी ए एल/बी एच एल द्वारा ए जी आर को प्राप्त करने के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्ट्स की अनियमित कटौती करना	3.4.1	36
2006-2007 में लीज्ड लाईन प्रभार के लिए पी एस टी एन की कटौती का दावा किया गया	3.4.2	37
एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिये बैडविथ की बिक्री/लीज राजस्व को शामिल नहीं करना	3.4.3	38
मैसर्स बी ए एल द्वारा अपनी सहायक कंपनी (बी आई एल) को निरंक कीमत पर दूरसंचार आधारभूत संरचना सम्पत्तियों का हस्तांतरण	3.5	39
एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर भुगतान पर ब्याज	3.6	39
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग (दू वि) का उत्तर	3.7	40
<b>अध्याय-IV : वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व</b>		
मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा	4.1	43
वोडाफोन ग्रुप द्वारा लिये गये लाइसेंस	4.1.1	43
वोडाफोन द्वारा लिये गये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम	4.1.2	43

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
उपभोक्ता आधार वृद्धि 2006-07 से 2009-10	4.1.3	44
वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अदा किये गये जीआर/कटौती/एजीआर तथा राजस्व शेयर पर वित्तीय डाटा	4.1.4	44
वोडाफोन द्वारा जीआर के लेखांकन व रिपोर्टिंग का लेखापरीक्षा सत्यापन	4.2	45
डीलरों को कमीशन/रियायतों को प्री पेड व पोस्ट पेड राजस्व से अलग किया जाना	4.2.1	45
उपभोक्ताओं को दी गई एअरटाइम छूट	4.2.2	47
अन्य प्रचालकों को इंटर ऑपरेटर ट्रेफिक (आईओटी) को घटाने के कारण दिये गये रियायत/क्रेडिट पर रोमिंग राजस्व कम दिखाना	4.2.3	47
फुल पे फुल, फुल टाक टाइम इत्यादि स्कीमों के राजस्व से सेवाकर घटाये जाने के कारण जीआर को कम दिखाया गया	4.2.4	48
अवसंरचना साझेदारी को पूर्ण रूप से राजस्व में शामिल न करने के कारण जीआर को कम दिखाया गया	4.2.5	49
जीआर/एजीआर के लिये फोरेक्स लाभ से राजस्व कम बताना	4.2.6	50
वेवर के रूप में राजस्व से डेबिट-सद्भावना वेवर, रिबेट आदि	4.2.7	51
सकल राजस्व में अन्य आय शामिल नहीं	4.3	52
ब्याज आय	4.3.1	52
स्थिर सम्पत्ति के लाभ पर प्राप्त आय जी आर में शामिल नहीं की गई	4.3.2	53
जीआर से कम किया गया अप्राप्य ऋण	4.4	53
सहायक कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण	4.5	54
राजस्व शेयर के कम भुगतान पर ब्याज	4.6	55
लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर	4.7	55
<b>अध्याय- V : मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड तथा मैसर्स रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी</b>		
मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आर टी एल) की संक्षिप्त रूपरेखा	5.1	57
आरसीएल तथा आरटीएल को दिये गये लाइसेंस	5.1.1	57
आरसीएल/आरटीएल को आवंटित स्पेक्ट्रम	5.1.2	58
आरसीएल/आरटीएल का उपभोक्ता आधार	5.1.3	58
आरसीएल/आरटीएल द्वारा बताया गया सकल राजस्व(जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) एवं भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी	5.1.4	59
आरसीएल एवं इसकी सहायक कंपनी आरसीआईएल के बीच मूल्य सवर्द्धित सेवाओं, विक्रय/विपणन और बिलिंग की व्यवस्था	5.1.5	59
रिलाइंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खातों की किताबों में सकल राजस्व को कम बताना	5.2	61
आरसीएल/आरटीएल द्वारा प्रीपेड सेवाओं के राजस्व को फ्री एयर टाइम/कमीशन को छोड़कर दर्ज किया	5.2.1	61

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
आरसीएल द्वारा राजस्व, इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) को प्रदत्त कमीशन को घटाने के बाद बुक किया तथा आरसीएल के लेखा के स्थान पर इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के खातों की किताबों में राजस्व को दर्ज किया	5.2.2	63
आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये राजस्व से कमीशन को घटाया (नेटिंग आफ) जाना	5.2.3	70
आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये चैनल पार्टनर (सहभागी)/फ्रेंचाइजी से अर्जित राजस्व को व्यय से घटाया (नेटिंग आफ) जाना	5.2.4	70
आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों/फ्रेंचाइजियों को दी गयी छूट से राजस्व को घटा (नेटिंग आफ) देना	5.2.5	71
आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये वितरकों को दिए गए फ्री ऑफ चार्ज (एफओसी) रिचार्ज वाउचर के मूल्य का शामिल न करना	5.2.6	72
खातों की किताबों की तुलना में राजस्व व लाइसेंस फीस विवरणी (एजीआर विवरणी) में राजस्व कम दर्शाया जाना	5.3	73
आरसीएल एवं आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में फोरेक्स गेन (लाभ) को नहीं दर्शाया जाना	5.3.1	73
आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज/अन्य आय को सम्मिलित न किया जाना	5.3.2	74
आरसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के परिणामस्वरूप एलएफ/एसयूसी के भुगतान से बचना	5.3.3	76
आरटीएल द्वारा जीआर/ए जी आर की गणना के लिए निवेश की बिक्री पर शेष लाभ का गैर-समावेशन एवं निवेश की बिक्री हानि को घटाना (नेटिंग-आफ)	5.3.4	77
लाभांश के भुगतान के लिये अलग-अलग मानक -आरसीएल	5.3.5	77
राजस्व लाइसेंस फीस के लिये विचारित किया गया लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एसयूसी) के लिये विचारित नहीं किया गया	5.4	78
एसयूसी की गणना के लिए बैडविड्थ की बिक्री/पट्टे से प्राप्त राजस्व को विचारित नहीं करना	5.4.1	78
एसयूसी की गणना के लिये निवेश से प्राप्त आय पर विचार नहीं करना	5.4.2	79
आरसीएल/आरटीएल द्वारा अपनी सहायक कम्पनी रिलाइंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) को अवसंरचना परिसम्पतियों का हस्तांतरण	5.5	79
आरसीएल द्वारा अपनी आरआईटीएल को ऑप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग (ओएफयू) का हस्तांतरण	5.5.1	79
आरसीएल/आरटीएल द्वारा पैसिव अवसंरचना को इसकी सहायक कम्पनी (आरआईटीएल) को निरंक कीमत पर हस्तांतरित करना	5.5.2	81
वर्ष 2009-10 के दौरान सेवाकर वापसी को जीआर के लिए विचार नहीं किया जाना	5.6	82
एलएफ और एसयूसी के कम/भुगतान नहीं करने पर ब्याज	5.7	83
उपरोक्त उठाये गये विषयों पर दूरसंचार विभाग का उत्तर	5.8	83

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय-VI:</b>	<b>आईडिया सेल्युलर लिमिटेड (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलिकॉम लिमिटेड (ए बी टी एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व</b>	
कंपनी का संक्षिप्त परिचय	6.1	87
आईडिया सेल्युलर लि0 (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि0 (ए बी टी एल) को दिये गये लाइसेंस	6.1.1	87
आई सी एल/ए बी टी एल को आवंटित स्पेक्ट्रम	6.1.2	88
आई सी एल/ए बी टी एल का उपभोक्ता आधार	6.1.3	88
आई सी एल/ए बी टी एल के द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती और समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी	6.1.4	88
आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व को कम अभिलेखित किया जाना	6.2	89
प्री पेड भुगतान सेवाओं के डीलरों/अभिदात्ताओं के किए कमीशन/पेशकश/छूट को अलग किए जाने के कारण राजस्व का कम अभिलेखित करना	6.2.1	89
पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों को घटाने से राजस्व कम दिखाया जाना	6.2.2	92
अन्य प्रचालकों को अन्तर प्रचालक ट्रैफिक के भुगतान पर दी गई रियायत/क्रेडिट से घटाये जाने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग	6.2.3	94
आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा जीआर/एजीआर हेतु अन्य दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त सरंचना हिस्सेदारी राजस्व की कम रिपोर्टिंग	6.2.4	95
जीआर/एजीआर हेतु आईडिया (एन एल डी) और आईडिया (एलएसए) के मध्य स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व को नहीं शामिल करना	6.2.5	96
आई सी एल द्वारा अपरिहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये संसाधनों से प्राप्त राजस्व को जीआर/एजीआर हेतु न शामिल किया जाना	6.2.6	97
आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा विदेशी मुद्रा से प्राप्त राजस्व को जी.आर./ए.जी.आर हेतु कम रिपोर्टिंग	6.2.7	98
राजस्व विवरणी और एलएफ (एजीआर विवरणी) में राजस्व को कम दिखाया जाना परन्तु लेखा बहियों में पूरा दिखाया जाना	6.3	100
आईसीएल/एबीटीएल द्वारा ब्याज आय को जीआर/एजीआर हेतु नहीं माना जाना	6.3.1	100
आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल. द्वारा जीआर/एजीआर के लिये राजस्व साझेदारी के भुगतान हेतु निवेश की बिक्री से लाभ को शामिल नहीं किया जाना	6.3.2	101
मैसर्स आई सी एल द्वारा एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए ए जी आर की विविध आय पर विचार नहीं करना	6.3.3	102
आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिए अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ से प्राप्त आय को शामिल नहीं करना	6.3.4	103
अन्य मुद्दों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम-भुगतान/भुगतान न होना	6.4	104
आई सी एल द्वारा ए जी आर गणना के लिए जी आर से रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण की अनियमित कटौती	6.4.1	104
अन्य मुद्दे	6.5	105

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड द्वारा अपने नियंत्रक कम्पनी को शून्य आधार पर एक संयुक्त उद्यम को अंतिम स्थानांतरण के लिए संरचना परिसंपत्तियों का स्थानांतरण	6.5.1	105
एल एफ एवं एस यू सी के अल्प भुगतान/न किए गए भुगतान पर ब्याज	6.6	106
लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर	6.7	106
<b>अध्याय- VII : टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व</b>		
कम्पनी की संक्षिप्त रूपरेखा	7.1	107
टीटीएसएल और टीटीएमएल को लाइसेंस प्रदान किये गये	7.1.1	107
टीटीएसएल व टीटीएमएल को स्पेक्ट्रम आवंटित किये गये	7.1.2	107
टी टी एस एल व टी टी एम एल का अभिदाता बेस	7.1.3	108
सकल राजस्व, कटौती, बताया गया समायोजित सकल राजस्व तथा टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश	7.1.4	108
टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा राजस्व कम बताया जाना	7.2	108
वितरक/फ्रेनचाइजी/एजेन्ट/डीलर आदि को भुगतान किया गया कमीशन का टी टी एस एल द्वारा राजस्व से डेबिट किया गया	7.2.1	109
टीटीएसएल तथा टीटीएमएल द्वारा उपभोक्ताओं इत्यादि को प्रदत्त छूट को घटाने के कारण राजस्व को आंका गया	7.2.2	109
टी टी एस एल व टी टी एम एल के द्वारा सकल राजस्व से उपभोक्ताओं को पेश किये गये समायोजन को (नेटिंग ऑफ) घटाया गया	7.2.3	110
टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा स्टार्ट अप किट, रिचार्ज वाउचर इत्यादि के राजस्व का नेटिंग आफ	7.2.4	111
टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व में अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त आय को ध्यान में न रखना	7.2.5	112
टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा सकल राजस्व के परिकलन के लिये वसूला गया फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	7.2.6	112
राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना (ए जी आर विवरण) यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में दर्ज किया गया था	7.3	114
टी टी एस एल द्वारा जी आर/ए जी आर में ब्याज आय पर विचार न करना	7.3.1	114
जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री में लाभ पर विचार नहीं किया गया	7.3.2	114
जी आर/ए जी आर के लिये सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ का विचार न करना	7.3.3	115
अन्य मामलों के कारण राजस्व शेयर का कम/गैर भुगतान हुआ	7.4	116
मैसर्स टी टी एस एल द्वारा राजस्व से समायोजित अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम आंके गये	7.4.1	116
टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा दावित कटौती में लीज लाइन व पोर्ट प्रभार शामिल किये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम बताये गये	7.4.2	116
टी टी एस एल द्वारा एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना/बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना	7.4.3	117
किराये से प्राप्त आय को विचार में नहीं लिया	7.4.4	118
एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज	7.5	118
लेखापरीक्षा कथन पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया	7.6	118



विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>अध्याय– VIII :</b> एयरसेल ग्रुप (डिशनैट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व		
एयरसेल ग्रुप की संक्षिप्त रूपरेखा	8.1	119
एयरसेल ग्रुप को प्रदत्त लाइसेंस	8.1.1	119
एयरसेल ग्रुप की कंपनियों को आबंटित स्पेक्ट्रम	8.1.2	119
एएल/एसीएल/डीडब्ल्यूएल का उपभोक्ता आधार	8.1.3	120
सकल राजस्व (जीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश	8.1.4	120
एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग	8.2	120
उपभोक्ताओं को दिये गये विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित राजस्व को निवल करने के कारण प्रीपेड/पोस्टपेड राजस्व की कम रिपोर्टिंग	8.2.1	121
राजस्व शीर्षों में शुरूआती डेबिट के कारण राजस्व का स्थगन	8.2.2	124
वितरकों को अनुमत कमीशन/छूट से संबंधित राजस्व के समंजन के कारण प्रीपेड राजस्व को कम प्रतिवेदित करना	8.2.3	124
“इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक” के कारण समंजन से राजस्व को कम प्रतिवेदित करना	8.2.4	125
अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व का जीआर/एजीआर के लिए विचार न करना	8.2.5	126
फोरेक्स लाभ से राजस्व का जीआर/एजीआर में कम/गैर विचार	8.2.6	127
जीआर/एजीआर हेतु ब्याज आय का नहीं/कम विचार किया जाना	8.2.7	128
निवेश से आय को राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर के लिए विचार न किया जाना	8.2.8	129
जीआर/एजीआर हेतु विविध आय का विचार न किया जाना	8.2.9	130
राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से आय का विचार न करना	8.2.10	131
परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का गैर-समावेशन	8.2.11	132
एजीआर विवरणों में अनियमित/अधिक कटौती का दावा करने के कारण राजस्व अंश का कम/गैर-भुगतान	8.3	133
एजीआर की गणना करने में जीआर में से बट्टे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती	8.3.1	133
आईएसपी (आईटी) एजीआर में अधिक कटौतियों का दावा किया गया	8.3.2	134
एलएफ एवं एसयूसी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज	8.4	135
लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर डी ओ टी की प्रतिक्रिया	8.5	135
<b>अध्याय– IX:</b> नियंत्रक संचार लेखा के कार्यालयों में कटौती दावों का सत्यापन		
परिचय	9.1	137
लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	9.2	137
आवश्यक प्रमाण के अभाव में कटौतियाँ स्वीकृत की गईं	9.2.1	137
जीआर से अयोग्य कटौतियाँ स्वीकृत की गईं	9.2.2	138
सर्विस टैक्स के कारण अस्वीकार्य कटौती	9.2.3	139

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
एक ही दावे पर दुबारा कटौतियाँ स्वीकृत करना	9.2.4	140
टीडीएस हेतु दस्तावेजी प्रमाण से गैर-समर्थित कटौती दावों को सीमित करते समय प्रधान सीसीए अंघ प्रदेश द्वारा अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की गई	9.2.5	141
टीडीएस प्रमाण पत्र की गैर-प्रस्तुति के बावजूद टीडीएस के नाम पर कटौती की स्वीकृति	9.2.6	142
दस्तावेजी प्रमाण की प्रस्तुति के बावजूद दावों की अस्वीकृति	9.2.7	143
सीसीए ने अंतर-मण्डलीय समायोजन पर रु 432.64 करोड़ अनियमित कटौती की अनुमति दी	9.2.8	143
विविध टिप्पणियाँ	9.2.9	144
दूरसंचार विभाग का उत्तर	9.3	147
<b>अध्याय-X : लाईसेंस फीस तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रमारों का निर्धारण</b>		
परिचय	10.1	149
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	10.2	149
मिलान विवरणों में प्रकट किए गए राजस्व में चूक के कारण जीआर का कम निर्धारण	10.2.1	149
एलएफ तथा डब्ल्यूपीएफ शाखा के मध्य समन्वय की कमी	10.2.2	150
विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर माँग पत्रों को जारी करना तथा यथोचित परिश्रम के बगैर अनंतिम निर्धारण	10.2.3	151
सेवा प्रदाताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी तथा समय अनुसूची पर उपयुक्त नीति का अभाव सीसीए द्वारा कटौतियों के सत्यापन में विलम्ब में परिणीत हुई	10.2.4	153
एनएलडी, आईएलडी तथा आईएसपी के एलएफ का वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु गैर-निर्धारण	10.2.5	153
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गई अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर एलएफ तथा एसयूसी की गैर-वसूली	10.2.6	154
अपील-सम्बन्धी तंत्र की अनुपस्थिति मुकदमेबाजी की वृहत् संख्या में फलित हुई	10.2.7	155

<b>अनुलग्नक</b>		
अनुलग्नक संख्या	अध्याय संख्या	पृष्ठ संख्या
1.01	अध्याय I	161
3.01 से 3.24	अध्याय III	162
4.01 से 4.10	अध्याय IV	188
5.01 से 5.21	अध्याय V	198
6.01 से 6.17	अध्याय VI	224
7.01 से 7.21	अध्याय VII	240
8.01 से 8.20	अध्याय VIII	262
9.01 से 9.02	अध्याय IX	281
10.01 से 10.03	अध्याय X	283
	शब्दावली	287

## प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं को राजस्व हिस्सेदारी में देखी गई त्रुटियों को प्रस्तुत करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 13, 16 एवं 18 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करे कि भारत सरकार अपना पूर्ण एवं सही राजस्व का हिस्सा प्राप्त करें। तदनुसार लेखापरीक्षा ने दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच एक मात्र उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए की थी कि सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित राजस्व की भागीदारी सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के भाव के अनुसार हो।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

## कार्यकारी सार

### 1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी का प्रारूप (मॉडल)

संचार बाजार में उत्कृष्ट तकनीक एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 1999 में नई दूरसंचार नीति (एनटीपी-99) की शुरुआत की। नई दूरसंचार नीति-1999 ने राजस्व साझेदारी पद्धति की शुरुआत की। इस पद्धति में दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के कुछ प्रतिशत हिस्से को लाइसेंस फीस के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। मोबाइल ऑपरेटर्स को भी उनको आंबटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एसयूसी) का भुगतान करना होता था। दूरसंचार क्षेत्र में आई धीमी गति को दूर करने एवं वित्तीय रूप से मजबूर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सहायता करने के लिए उनको बेलआउट पैकेज का आफर दिया गया। सभी मौजूदा सेवा प्रदाताओं को नई दूरसंचार नीति-1994 (एनटीपी-1994) की निश्चित लाइसेंस फीस पद्धति से नई राजस्व साझेदारी पद्धति में आने की अनुमति दी गई। सभी लाइसेंसधारियों ने बेलआउट पैकेज को स्वीकार किया तथा नई पद्धति में शामिल हो गए। वर्ष 2001 में नई लाइसेंस शर्तें तैयार की गईं। इन शर्तों में लाइसेंस फीस के भुगतान एवं एजीआर की गणना के लिए नियम एवं शर्तें तथा लाइसेंस कम्पनियों के राजस्व को परिभाषित किया गया।

### 2. निजी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा भुगतान किए गए राजस्व साझेदारी की तथ्यता पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का मूलाधार

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा भारत सरकार के साथ साझा किया गया राजस्व लाइसेंस फीस एवं एस यू सी के रूप में भारत की समेकित निधि में शामिल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के भाग 13, 16 एवं 18 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करें कि भारत सरकार ने अपनी पूर्ण एवं सही साझेदारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2002 में सरकार द्वारा जारी "भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखे की किताब का अनुरक्षण और अन्य दस्तावेज) नियम 2002" में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित सभी लेखाकरण अभिलेखों एवं कागजातों का जिसमें सेवा प्रदाता का सकल राजस्व है भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सत्यापन कराने का प्रावधान है। चूंकि राजस्व साझेदारी की शुद्धता प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदाता के सकल राजस्व (जी आर) की शुद्धता से जुड़ी है, इसलिए सभी सेवा प्रदाताओं के लेखाकरण अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य थी कि सरकार को देय राजस्व को सही प्रकार से दर्ज किया गया था। फलस्वरूप प्रथम चरण में छः बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा साझा किए गए राजस्व का लेखापरीक्षा सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के लिए चार वर्षों के लेखा को आच्छादी करते हुए लेखापरीक्षा तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष सभी सेवा प्रदाताओं की इसी प्रकार की लेखापरीक्षा करना शामिल था।

### 3. प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में दस अध्याय एवं अनुलग्नक हैं। अध्याय 1 दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व साझेदारी प्रणाली की उत्पत्ति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, इसके साथ-साथ यह अध्याय सेवा प्रदाताओं के साथ लाइसेंस समझौतों के माध्यम से अपना राजस्व एवं राजस्व साझेदारी के भुगतान का उल्लेख करने वाली सरकार द्वारा अनुबंधित महत्वपूर्ण शर्तों को भी प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में दूरसंचार विभाग में लाइसेंस

फीस एवं एसयूसी को इकट्ठा करने की व्यवस्था एवं उनका अन्तिम निर्धारण करना बताया गया है। अध्याय 2 लेखापरीक्षा के प्रथम चरण में शामिल ऑपरेटरों को चुनने के लिए लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं कारणों की व्याख्या करता है। निजी सेवा प्रदाता वार (पीएसपी) लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन अध्याय 3 से 8 में किया गया है। अध्याय 9 नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के कार्यालयों में कटौतियों के सत्यापन की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है। अध्याय 10 दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस फीस एवं एसयूसी के निर्धारण पर लेखापरीक्षा कथनों को शामिल करता है।

#### 4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

##### (i) सभी निजी सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा अपने वितरकों / डीलरों / अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके जीआर/एजीआर को कम करके बताया

निजी दूरसंचार प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाजियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनको कमीशन/रियायतों का भुगतान करते हैं। सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं में वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाजियों को भुगतान किए गए कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके दूरसंचार विभाग को बताए गए जीआर/एजीआर को कम किया है। तथापि अलग-अलग दूरसंचार प्रदाताओं ने इन सभी लेन-देन को विभिन्न तरीकों से लेखा में शामिल किया है। जबकि एयरटेल एवं टाटा टेली सर्विसज लिमिटेड (टीटीएसएल) ने कमीशन/रियायत इत्यादि की राशि को राजस्व में नामें प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में बुक किया है, वही दूसरी ओर रिलायंस एवं एयरसेल ने अपने आप रियायतों/कमीशन को छोड़ने (नेटिंग आफ) के बाद राजस्व को बुक किया है। वोडाफोन एवं आइडिया के विभिन्न सेवा क्षेत्रों (एलएसए) ने उपरोक्त तरीकों में से किसी एक का प्रयोग कर राजस्व को लेखा में शामिल किया है जबकि टाटा टेलीसर्विसज महाराष्ट्र लिमिटेड (टीटीएमएल) ने राजस्व को व्यय के रूप में बुक किया है। भारत सरकार के साथ राजस्व साझादारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर की रिपोर्टिंग हेतु राजस्व को छोड़ देना अथवा कम कर देना लाइसेंस समझौते के विरुद्ध है क्योंकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेंचाजियों को भुगतान किया गया कमीशन/रियायत व्यापार व्यय प्रकृति के (विपणन व्यय) है। लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व से छोड़ी गयी रियायत/कमीशन की निकाली गई राशि ₹ 5672.65 करोड़ आई है, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 487.09 करोड़ एवं ₹ 203.38 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.1 क, 4.2.1, 5.2.2 क, 5.2.3, 5.2.5, 5.2.5, 6.2.1 क, 7.2.1, 7.2.4, 8.2.3)

##### (ii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) द्वारा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी सवर्द्धन योजनाओं की राशि को शामिल न करके जीआर/एजीआर को कम करके बताया

यूएसएल अनुबन्ध में टैरिफ को परिभाषित किया गया है। निजी सेवा प्रदाता भारत दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को तिमाही टैरिफ योजनाएं प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निजी सेवा प्रदाता विभिन्न अवसरों पर अपने प्रीपेड ग्राहकों को फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम (एफटीटी/एफएटी) जैसे अलग-अलग आफर उपलब्ध कराते हैं। आधारभूत रूप से ये विभिन्न नाम से सवर्द्धन योजनाएं हैं, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत टैरिफ प्लान के अलावा है।

यूएसएल अनुबंधों में प्रावधान है कि सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जाएगा तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने सवर्द्धन योजनाओं (प्रमोशनल आफर्स) को राजस्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है तथा

उन्होंने अपने लेखों की किताब में इनको अलग तरीके से लेखांकित किया है। एयरटेल, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल के लेखों की किताब में ग्राहकों को दिए गए सवर्द्धन फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि की लेखापरीक्षा द्वारा पहचान की जा सकी क्योंकि इस राशि को राजस्व शीर्ष के अंतर्गत नामे प्रविष्टि (डेबिट एंट्री) के रूप में लेखांकित किया गया था। रिलाइंस के लेखों की किताब से इस प्रकार की जानकारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि रिलाइंस ने सवर्द्धन फ्री एयर टाइम/फ्री टाक टाइम की राशि को वित्तीय प्रणाली एवं लेखा की किताबों में दर्शाए बिना ही तकनीकी प्रणाली (मिडिएशन लेवल) से स्वतः ही निकाल दिया है। वोडाफोन के संबंध में, इसको अलग नहीं किया जा सका क्योंकि कंपनी ने प्रीपेड एवं पोस्टपेड दोनों सेवाओं पर इन सवर्द्धन आफरों को एक लेखा में शामिल किया है। भारत सरकार के साथ राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर हेतु इन आफरों को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए क्योंकि यूएसएल अनुबंधों के अनुसार ऐसे सवर्द्धन आफर व्यापार व्यय की प्रकृति के होते हैं। लेखापरीक्षा ने इस प्रकरण में जीआर/एजीआर में ₹ 8960.81 करोड़ की कम आंकने की राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 784.28 करोड़ एवं ₹ 271.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.1 ख, 4.2.2, 4.2.4, 5.2.1, 6.2.1 ख, 7.2.2, 8.2.1)

### (iii) पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जीआर/एजीआर को कम दर्शाया

लेखापरीक्षा ने पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल 1 द्वारा पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को उनके राजस्व से घटा दिया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत टैरिफ प्लान पर पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई ऐसी रियायत/वेवर व्यापार व्यय की प्रकृति का होता है तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर को बताने हेतु राजस्व से इनको घटाना लाइसेंस अनुबंधों के अनुरूप नहीं है। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 1622.18 करोड़ की कम राशि को निकाला, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 148.94 करोड़ एवं ₹ 66.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.2, 4.2.7, 6.2.2, 7.2.3, 8.2.1 अ)

### (iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जीआर/एजीआर को कम बताया

निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था है। यह देखा गया है कि एयरटेल, वोडाफोन एवं आइडिया ने इन ऑपरेटरों के लेखा में भुगतान/जमा किए गए इन्टर ऑपरेटर ट्रेफिक (आईओटी) छूट को रोमिंग राजस्व से निकाला/घटा दिया गया। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था होना दोनों ऑपरेटरों के बीच आपसी अनुबंध का मामला है तथा रोमिंग के लिए तय प्रभारों पर दी जा रही छूट दोनों ऑपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने वाली सम्पूर्ण व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के हैं। और इसलिये लाइसेंस अनुबंध के शर्तों के अनुसार ये राजस्व से कटौति नहीं की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 437.02 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 41.41 करोड़ एवं ₹ 18.66 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.3, 4.2.3, 6.2.3)

**(v) अवसंरचना की भागीदारी से राजस्व को घटाकर जीआर/एजीआर को कम बताया**

यूएसएल अनुबंधों में प्रावधान है कि जीआर में, अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होगा। निजी सेवा प्रदाताओं ने अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी पेसिव अवसंरचना (पेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर) की भागीदारी के लिए व्यवस्था रखी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से राजस्व में नहीं लिया गया इसके बदले इस राशि का कुछ हिस्सा व्यय में जमा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व भागीदारी हेतु जीआर/एजीआर की गणना के लिए अवसंरचना भागीदारी से राजस्व को कम बताया गया है। लेखापरीक्षा को जीआर/एजीआर में इस लेखा पर ₹ 1175.45 करोड़ की कम राशि निकाली गई, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 101.60 करोड़ एवं ₹ 46.36 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.4, 4.2.5, 6.2.4, 7.2.5, 8.2.5)

**(vi) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फोरेक्स लाभ के कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।**

जीआर की परिभाषा के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरूआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल किया है तथापि, बाद में सभी छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए फोरेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा फोरेक्स लाभ को आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 2095.86 करोड़ के फोरेक्स लाभ (रिलाइज्ड) की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 174.48 करोड़ एवं ₹ 51.19 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.2.5, 4.2.6, 5.3.1, 6.2.7, 7.2.6, 8.2.6)

**(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।**

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि छह निजी सेवा प्रदाताओं ने शुरूआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है। फिर भी, बाद में छह निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया अथवा ब्याज से प्राप्त आय को आंशिक रूप से राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल किया। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 6299.90 करोड़ की ब्याज से प्राप्त आय की राशि को शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 535.23 करोड़ एवं ₹ 204.32 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.1, 4.3.1, 5.3.2, 6.3.1, 7.3.1, 8.2.7)

**(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये।**

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि निवेशों से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि एयरटेल, रिलाइस, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए निवेशों से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया है। लेखापरीक्षा ने जीआर/एजीआर में ₹ 3111.45 करोड़ की निवेशों से प्राप्त आय की राशि निकाली जिसके शामिल न करने के परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 271.70 करोड़ एवं ₹ 93.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.3, 5.3.4, 6.3.2, 7.3.2, 8.2.8)

**(ix) अपनी सहायक कम्पनी के साथ व्यवस्था द्वारा रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) द्वारा जी आर/ए जी आर को कम बताना।**

आरसीएल यूनिफाइड एक्सेस सर्विस (यूएसएस) लाइसेंसधारी है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के दौरान "ए" इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आइएसपी) लाइसेंसधारी कम्पनी रिलाइस कम्यूनिकेशन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) आरसीएल की सहायक कम्पनी रही थी। आरसीएल एवं आरसीआईएल ने अनुबंध किए जिनके अंतर्गत आरसीआईएल को आरसीएल के उत्पादों का विक्रय/विपणन करना तथा आरसीएल के ग्राहकों को मूल्य वर्द्धित सेवाए (वी ए एस) उपलब्ध कराना शामिल था। आरसीएल एवं आरसीआईएल के बीच अनुबंधों के परिणामस्वरूप, मूल्य वर्द्धित सेवाओं (वी ए एस) से प्राप्त राजस्व को आरसीआईएल के लेखा बही में शामिल किया गया तथा कुल राजस्व का केवल एक भाग आरसीएल को दिया गया। हैंडसेटों, सिम कार्डों के विक्रय से अर्जित राजस्व एवं ग्राहकों से प्राप्त इस्टालेशन प्रभार को भी आरसीआईएल के लेखा में दर्ज किया गया, जबकि यह राजस्व आरसीएल की लेखा बही में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इस राजस्व को आरसीआईएल के खाता बही में शामिल किया गया था, जबकि यूएसएसएल अनुबंध के अनुसार यह आरसीएल का राजस्व होना चाहिए था। फलस्वरूप आरसीएल ने सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की सही राशि का भुगतान नहीं किया। आरसीएल ने अपनी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के साथ ऐसी व्यवस्था के कारण ₹ 4424.12 करोड़ की राशि आई को अपनी जीआर/एजीआर में कम बताया। लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 405.08 करोड़ एवं ₹ 114.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 5.2.2 बी से 5.2.2 एफ)

**(x) स्थिर सम्पत्ति की बिक्री से लाभ और विविध राजस्व के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताया गया।**

लाइसेंस अनुबंधों में प्रावधान है कि जीआर में अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होंगे। लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच निजी सेवा प्रदाताओं (एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल) ने शुरुआती वर्षों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ विविध आय को जीआर/एजीआर में शामिल किया है। फिर भी, बाद में इन निजी सेवा प्रदाताओं ने राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए स्थिर (फिक्स्ड) परिसम्पत्तियों के विक्रय पर विविध



आय/लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना बंद कर दिया। लेखापरीक्षा जीआर/एजीआर में ₹ 640.76 करोड़ की ऐसी आय को कम करने/शामिल न करने को निकाला परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 54.99 करोड़ एवं ₹ 20.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.3.8, 3.3.9, 4.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 7.3.3, 8.2.9, 8.2.10)

**(xi) जी आर में अमान्य कटौतियों के दावों के कारण ए जी आर को कम बताया गया**

यूएसएल अनुबंधों में विशिष्ट कटौती का प्रावधान है कि जिससे जी आर से ए जी आर निकाला जा सकता है इसके अनुसार लीज लाईन चार्जज एवं पोर्ट चार्जज में कटौती मान्य नहीं है। फिर भी, एयरटेल ने वर्ष 2006-07 में लीज लाईन चार्जज एवं टाटा ने वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 में लीज लाईन चार्जज एवं पोर्ट चार्जज की कटौती के लिए दावा किया। ऐसी अयोग्य कटौतियों की राशि ₹ 669.76 करोड़ निकलती है तथा इसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 58.86 करोड़ एवं ₹ 22.43 करोड़ आया।

(पैरा 3.4.2, 7.4.2)

**(xii) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया गया**

बट्टे खातों में शामिल अप्राप्य ऋणों को एजीआर निकालने के लिए जीआर से कटौती दावा मान्य नहीं है। फिर भी निजी सेवा प्रदाताओं (एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल) ने एजीआर निकालने के लिए जीआर से बट्टे खातों में शामिल अप्राप्य ऋणों की कटौती का दावा किया है। ऐसी अयोग्य कटौतियों की राशि ₹ 1068.80 करोड़ निकलती है तथा इसका प्रभाव लाइसेंस फीस एवं एसयूसी पर क्रमशः ₹ 101.10 करोड़ एवं ₹ 40.15 करोड़, का कम भुगतान आया।

(पैरा 3.4.1, 4.4, 6.4.1, 7.4.1, 8.3.1)

**(xiii) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना**

यूएसएल अनुबंधों के संदर्भ में, बैडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एसयूसी की गणना करने के लिए एजीआर को लिये विचार में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि वायलेस सेवाओं के अतिरिक्त वायरलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली कम्पनियों भारती, रिलाइंस एवं टाटा ने एसयूसी की गणना करने के लिए बैडविड्थ के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एजीआर में शामिल नहीं किया है, जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली निजी सेवा प्रदाताओं ने इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया है। एसयूसी की गणना करने के लिए एजीआर ने शामिल नहीं की गई राजस्व की राशि ₹ 3092.14 करोड़ निकलती है तथा इसके प्रभाव से एसयूसी का ₹ 89.41 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैरा 3.4.3, 5.4.1, 7.4.3)

**(xiv) पी एस पी द्वारा कटौतियों के दावों के सत्यापन में नियंत्रक संचार लेखाओं में समरूपता नहीं**

यू ए एस एल अनुबंध स्पष्ट रूप से बताता है कि ए जी आर को निकालने के लिये जी आर से कटौती होना है जिसमें भारत के भीतर अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) से संबंधित काल प्रभार (एक्सेस चार्जज), अन्य पात्र/

हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में दिया गया रोमिंग राजस्व तथा सेवा प्रदान करने पर सेवा कर एवं बिक्री कर जो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया है यदि जी आर को बिक्री कर एवं सेवा कर के घटक के रूप में शामिल किया गया था शामिल है। निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2006-07 से दावा की गई कटौतियों के सत्यापन का कार्य नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) को सौंपा गया तथा सत्यापन कार्य के पूर्ण होने पर, नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) ने "सत्यापन प्रतिवेदन" के माध्यम से अपने निष्कर्षों को दूरसंचार विभाग के लाइसेंस फीस विंग तक पहुंचाया है। दूरसंचार विभाग ने कटौतियों के सत्यापन के लिए नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) को अनेक निर्देश जारी किए हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत कटौती के दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करते समय संचार लेखा के नियंत्रकों (सी सी ए) के बीच एकरूपता नहीं थी। कटौती के दावों के सत्यापन के लिए नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) एवं एक ही नियंत्रक संचार लेखा के (सी सी ए) के बीच भी विभिन्न मुद्दों पर विसंगतियों देखी गईं। यह देखा गया कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के उचित अनुवीक्षण के अभाव/नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के भीतर समन्वय में दूरसंचार विभाग की असफलता के कारण विभिन्न ऑपरेटरों के लिए अलग-अलग मानदण्डों को अपनाया गया। यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में दावा की गई कटौतियों की सम्पूर्ण राशि को नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) ने बिना किसी औचित्य के अस्वीकृत किया है। बहु-परिचालक परिदृश्य में, अन्य ऑपरेटरों को एक्सेस चार्ज का भुगतान करना वास्तविकता है तथा बिना किसी औचित्य के नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा दावा की गई कटौतियों की सम्पूर्ण/पर्याप्त राशि की अस्वीकृति न्यायसंगत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों को भुगतान की गई रोमिंग कटौतियों की अस्वीकृति से संबंधित दूरसंचार विभाग के निर्देश भी न्यायसंगत नहीं हैं।

(पैरा 9.3, 10.2.6)

### (xv) दूर सं वि द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के निर्धारण में विसंगतियां तथा अपीलीय तंत्र की गैर मौजूदगी के कारण मुकदमेबाजी की संख्या में अधिवृद्धि

दूरसंचार विभाग की लाइसेंस फीस विंग लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा, लेखापरीक्षित एजीआर विवरणियाँ, निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत समन्वय विवरणियाँ एवं नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर लाइसेंस फीस का निर्धारण करता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि दूरसंचार विभाग ने कम्पनी (वोडाफोन) के जीआर का निर्धारण करते समय वोडाफोन द्वारा अनावृत की गई राजस्व की निश्चित मदों को अनदेखा किया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 के लिए राजस्व की मांग करते समय एयरटेल द्वारा बताई गई राजस्व की निश्चित मदों को अन्य लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के बीच इसको बाँटने के बजाये केवल दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में शामिल किया गया।

दूरसंचार विभाग की लाइसेंस फीस विंग द्वारा जीआर के अन्तिम निर्धारण के आधार पर, दूरसंचार विभाग का बेतार (वायरलेस) वित्त प्रभाग एसयूसी का निर्धारण करता है, फिर भी लेखापरीक्षा ने देखा कि दूरसंचार विभाग के इन दोनों विंग में समन्वय की कमी है। यद्यपि दूरसंचार विभाग द्वारा एकत्रित संचार राजस्व, भारत सरकार के कुल गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से योगदान देता है, फिर भी दूरसंचार विभाग में अपील करने के लिए कोई तंत्र (मेकेनिज्म) मौजूद नहीं है। विभाग में ऐसा कोई अपीलीय तंत्र न होने के कारण निजी सेवा प्रदाताओं की मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई माँगों पर वर्षों तक कोई भुगतान नहीं हुआ।

(पैरा 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7)

## 5. लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	89.79	119.59	138.39	59.93	57.08	22.31
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभीदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री ऐयर टाइम को राजस्व के लिये नहीं पहचाना गया।	90.27	18.45	*	57.62	591.82	26.12
पोस्टपेड ग्राहकों को प्रदत्त बेवरस/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	104.54	0.63	-	17.80	25.97	
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	15.62	23.07	-	2.72	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	19.30	46.90	-	27.69	2.26	5.45
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	17.46	14.19	107.63	4.45	29.52	1.23
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	28.51	250.73	153.44	44.59	51.22	6.74
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	42.45	-	7.30	33.36	187.69	0.90
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में राजस्व दर्ज किया	-	-	405.08	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	8.85	19.45	-	2.24	14.52	9.93
लीज लाइन/पोर्ट चार्ज के किये गये दावों के कारण अयोग्य कटौती	28.03	-	-	-	30.83	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये बेड डेब्ट्स के कारण अयोग्य कटौती	25.55	29.55	-	16.89	26.64	2.47
अन्य मुद्दे	249.09	-	313.56	22.70	1.61	0.65
<b>कुल</b>	<b>719.46</b>	<b>522.56</b>	<b>1125.40</b>	<b>289.99</b>	<b>1019.16</b>	<b>75.80</b>

\* वित्तीय प्रणाली में पकड़ा नहीं गया, स्वयं द्वारा मेडियेशन स्तर पर हटाया गया।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एसयूसी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)					
	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल
वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं को भुगतान किए गए कमीशन/छूट इत्यादि की राशि से राजस्व को हटाया गया (नेटेड ऑफ)	45.40	53.30	47.95	29.74	17.35	9.64
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्रि ऐयर टाइम को राजस्व के लिये नहीं पहचाना गया	44.29	9.27	*	25.82	180.19	11.72
पोस्टपेड ग्राहकों को प्रदत्त बेवरस/छूट राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	49.65	0.31	-	8.37	8.33	
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	7.22	10.23	-	1.21	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	9.08	21.02	-	13.35	0.65	2.26
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	6.74	6.12	26.93	2.00	9.09	0.31
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	11.80	105.30	48.56	20.47	15.53	2.66
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	17.45	-	3.94	14.49	56.95	0.37
आर सी एल द्वारा अपनी लेखा बही के स्थान पर सहायक कंपनी के लेखा में राजस्व बुक किया	-	-	114.86	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर-समावेशन	2.57	8.72	-	1.01	4.48	3.66
लीज लाइन/पोर्ट चार्ज के किये गये दावों कारण अयोग्य कटौती	12.63	-	-	-	9.80	-
दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गये बेड डेब्ट्स के किये गये दावों के कारण अयोग्य कटौती	11.44	13.02	-	7.03	7.61	1.05
ए जी आर में एल एफ के लिये राजस्व में शामिल किया परन्तु एस यू सी के लिये नहीं	20.70	-	40.66	-	28.05	-
अन्य मुद्दे	108.52	-	98.95	9.78	0.49	0.14
<b>कुल</b>	<b>347.49</b>	<b>227.29</b>	<b>381.85</b>	<b>133.27</b>	<b>338.52</b>	<b>31.81</b>

\* वित्तीय प्रणाली में पकड़ा नहीं गया, स्वयं द्वारा मीडिएशन स्तर पर हटाया गया।

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2015 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उन पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है।

	एयरटेल	वोडाफोन	रिलायंस	आईडिया	टाटा	एयरसेल	कुल
लाइसेंस फीस	719.46	522.56	1125.40	289.99	1019.16	75.80	3752.37
एस यू सी	347.49	227.29	381.85	133.27	338.52	31.81	1460.23
कुल (लाइसेंस फीस + एस यू सी)	1066.95	749.85	1507.25	423.26	1357.68	107.61	5212.60
ब्याज	1584.94	915.54	2221.29	541.63	1857.71	155.22	7276.33
<b>कुल योग (लाइसेंस फीस + एस यू सी+ब्याज)</b>	<b>2651.89</b>	<b>1665.39</b>	<b>3728.54</b>	<b>964.89</b>	<b>3215.39</b>	<b>262.83</b>	<b>12488.93</b>

इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा छह निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन ने संकेत दिया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 46069.69 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए छह निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) पर देय लाइसेंस फीस (₹ 3752.37 करोड़), एस यू सी (₹ 1460.23 करोड़) एवं ब्याज (₹ 7276.33 करोड़) का कम/गैर भुगतान कम/नहीं होने के कारण भारत सरकार ₹ 12488.93 करोड़ के कुल राजस्व से वंचित रही।

## 6. सिफारिशों का सारांश

(i) यह देखा गया कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के स्तर पर कटौती दावों के सत्यापन को एक समान तरीके से नहीं किया गया तथा नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) ने निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा प्रस्तुत कटौती दावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने में अलग-अलग दृष्टिकोण लिया है। कटौती दावों के सत्यापन के लिए नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के बीच में विभिन्न मुद्दों पर विसंगतियाँ देखी गई तथा नियंत्रकों संचार लेखा के (सी सी ए) के भीतर भी यह देखा गया कि दूरसंचार विभाग द्वारा नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) की उचित निगरानी के अभाव/नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) के भी समन्वय में असफलता के कारण विभिन्न ऑपरेटर्स के लिए अलग-अलग मानदण्डों का प्रयोग किया गया। अतः यह सिफारिश की जाती है कि नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) स्तर पर कटौती दावों के एकसमान/योजनाबद्ध सत्यापन के लिए दूरसंचार विभाग को नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) पर उचित निगरानी रखना आवश्यक है। दूरसंचार विभाग को भी अपना आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रकों संचार लेखा द्वारा कटौतियों के सत्यापन की जाँच नियमित रूप से हो।

(ii) जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख है, यद्यपि दूरसंचार विभाग ने समय-समय पर लाइसेंस फीस एवं एस यू सी की दरों को संशोधित किया था, फिर भी विवादों/मुकदमेबाजी के बाजजूद जी आर/ए जी आर की परिभाषा की समीक्षा नहीं की गई। यह सिफारिश की जाती है कि जी आर/ए जी आर की परिभाषा का दोबारा अवलोकन करना चाहिए। इस अवलोकन में परिदृश्य में 1999 से हुए प्रबल परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए जब स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक रूप से आवंटन को वर्तमान समय में नीलामी द्वारा आवंटित किया गया जिसमें निजी सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटन के समय एक बार भुगतान के रूप

में आवश्यक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

(iii) दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई मांगों पर मुकदमेबाजी की संख्या कम करने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांगों पर निजी सेवा प्रदाताओं एवं दूरसंचार विभाग के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अपीलीय तंत्र स्थापित होना चाहिए। ऑपरेटरों के साथ विवादों को सुलझाने के लिए दूरसंचार विभाग के भीतर अपीलीय/सुधार तंत्र के अभाव से भी मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि होती है।

## 7. लेखापरीक्षा कथनों पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया

निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाण कागजातों के सत्यापन एवं दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम मूल्यांकन के लिए नियंत्रकों संचार लेखा (सी सी ए) के विभिन्न कार्यालयों में अपनाई गई प्रक्रिया पर निष्कर्षों के साथ साथ निजी सेवा प्रदाताओं के परिसर पर लेखाकरण अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत, छह चुनिंदा निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को मई, 2015 से नवम्बर, 2015 की अवधि के दौरान दूरसंचार विभाग को बताया गया। एयरटेल, वोडाफोन एवं रिलाइंस पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया जनवरी, 2016 में प्राप्त हुई।

वर्ष 2009 में की गई विशेष लेखापरीक्षा में प्रतिवेदन पर आधारित लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर दूरसंचार विभाग ने अपने उत्तर में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए वर्ष 2012 में सभी तीन निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) पर मांगे उठाई। ये लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रीपेड एवं पोस्ट पेड राजस्वों से संबंधित व्यय को हटा देना, अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक डिसकाउंट से रोमिंग राजस्व को हटा देना, अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व को पूर्ण रूप से समावेशित न करना, फोरेक्स लाभ से राजस्व/आय को समावेशित न करना, ब्याज, निवेश का विक्रय पर लाभ के कारण जी आर/ए जी आर को कम बताए जाने से संबंधित थे। फिर भी निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) ने इन मांगों को टी डी एस ए टी/उच्च न्यायालयों में चुनौती दी तथा न्यायालय का अंतिम निर्णय आने पर तदनुसार कार्रवाई की गई। यह भी कहा गया कि कुछ लाइसेंसधारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 19 (1) (जी) का उल्लंघन मानते हुए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1985 के भाग-4 को चुनौती देने वाली समादेश याचिकाएं विभिन्न हाई कोर्टों में दायर की। वे लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनको विशेष लेखापरीक्षा में न बताकर, इस प्रतिवेदन में सामने लाया गया, के संबंध में, यह कहा गया कि इन प्रेक्षणों पर निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के उत्तरों का निरीक्षण जारी है।

सामान्य रूप से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दूरसंचार विभाग ने माना कि निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) ने अपने जी आर की रिपोर्टिंग करने में आपसी सहमति से बने लाइसेंस अनुबंध की शर्तों से हट रहे हैं। लाइसेंस अनुबंध में विचारित राजस्व हिस्सेदारी को एकत्रित करने हेतु विभाग की असमर्थता का कारण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित दीर्घकालिक याचिकाएं थी। इस स्थिति में यह बताना प्रासंगिक होगा की जब सरकार ने सभी ऑपरेटरों के लिए अप्रैल 2004 से लाइसेंस फीस को दो प्रतिशत (2%) तक कम करने का निर्णय लिया, तब दूरसंचार विभाग को उम्मीद थी कि यह कमी ऑपरेटरों को सरकार के विरुद्ध कानूनी याचिकाओं को वापिस लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। फिर भी, लाइसेंस फीस की दरों में कमी का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा तथा ऑपरेटरों ने जी आर/ए जी आर एवं डिमांड नोट की परिभाषा को चुनौती देते हुए सरकार के विरुद्ध

याचिकाएं डालना जारी रखा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने लाइसेंस फीस की दरों में कमी का लाभ प्राप्त किया, किंतु सरकार को याचिकाओं में कमी एवं इसके कारण निजी सेवा प्रदाताओं से पूर्ण राजस्व की प्राप्ति का पारस्परिक लाभ नहीं हुआ।

आइडिया, टाटा एवं एयरसेल से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा थी। (जनवरी 2016)

निष्कर्ष में, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व साझेदारी प्रणाली की शुरुआत के 16 वर्षों के बाद भी भारत की समेकित निधि में राजस्व प्रचुरता (फ्लोइंग) की शुद्धता एवं सम्पूर्णता को दूरसंचार विभाग द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

## अध्याय—I

### प्रस्तावना

#### 1.1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली की उत्पत्ति

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 (एन.टी.पी.- 94) ने निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संचार नेटवर्कों को स्थापित करने की अनुमति देकर दूरसंचार क्षेत्र में प्रतियोगिता के माहौल की शुरुआत की। एन टी पी-94 के प्रथम चरण में, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सी.एम.टी.एस.) के लिए आठ लाईसेंस नवम्बर 1994 में चार महानगरों—दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में जारी किये गये। तत्पश्चात् (1995 से 1998 के दौरान) 14 निजी कम्पनियों को 18 दूरसंचार परिमंडलों के लिए 34 लाईसेंस जारी किये गये। इन लाईसेंसधारकों का चयन एक नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया गया एवं इनको सरकार को एक तय शुदा वार्षिक लाईसेंस शुल्क अदा करना था जो कि नीलामी की प्रक्रिया के दौरान तय किया गया था।

#### 1.2. नयी दूरसंचार नीति-1999

एन टी पी-94 की प्रत्याशाओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी कार्यान्वित नहीं हो पायी क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने वित्तीय बाधाओं की शिकायत की एवं तयशुदा लाईसेंस शुल्क की भुगतानों में चूक की। नयी दूरसंचार नीति-1999 (एन टी पी-99) ने राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली की शुरुआत की जिसके अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तयशुदा लाईसेंस शुल्क के स्थान पर अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाईसेंस शुल्क का भुगतान करना था।

सरकार ने मौजूदा लाईसेंसधारियों को तयशुदा लाईसेंस शुल्क-प्रणाली से राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 1 अगस्त 1999<sup>1</sup> से एक स्थानान्तरण पैकेज प्रस्तावित किया एवं 21 लाईसेंसधारी कम्पनियों<sup>2</sup> नई प्रणाली में स्थानान्तरण हुआ (अनुलग्नक-1.01)। इस स्थानान्तरण पैकेज के अनुसार, लाईसेंसधारियों को एक बार देय प्रवेश शुल्क एवं ए जी आर का प्रतिशत लाईसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करना था जिसे बाद में तय होना था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सिफारिशों के आधार पर तय होने वाली राजस्व हिस्सेदारी की मात्रा को अंतिम रूप देने एवं अन्य निबन्धन एवं शर्तों के तय होने तक, लाईसेंस शुल्क को आरम्भ में सकल राजस्व (जी आर) का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

देश को 23<sup>3</sup> (वर्तमान में 22) लाईसेंस सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) में विभक्त किया गया जिन्हे 'ए', 'बी', एवं 'सी' एल एस ए में वर्गीकृत किया गया जिसे नीचे दिखाया गया है :-

1 प्रवास पैकेज द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को दिए गए लाभों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की गयी एवं निष्कर्षों को वर्ष 2000 के प्रतिवेदन संख्या-6 में बताया गया था।

2 20 निजी कम्पनियाँ एवं एक पी. एस. यू.-महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड

3 देश को 23 सेवा क्षेत्रों में बाँटा गया जिसमें 19 दूरसंचार परिमंडल एवं 4 मेट्रो परिमंडल थे। तत्पश्चात् चेन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडू सेवा क्षेत्र के साथ 15 सितम्बर 2005 से विलय कर दिया गया एवं इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 सेवा क्षेत्र हैं।



## तालिका – 1.1

एल एस ए का वर्ग	नाम
ए	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र
बी	हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल
सी	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा

वर्ष 2001 में, सरकार ने निबंधन एवं शर्तों सहित जी आर एवं ए जी आर की परिभाषा को अंतिम रूप दिया एवं नये लाईसेंस जारी किये। इसके अलावा, लाईसेंस शुल्क को सभी परिमंडलों में 15 प्रतिशत की अंतरिम दर से घटाकर वर्ग-‘ए’, ‘बी’ एवं ‘सी’ एल एस ए के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत किया गया।

साथ ही साथ निजी क्षेत्र के लिए नेशनल लॉग डिसटेन्स (एन एल डी) सेवाएँ एवं इन्टरनेशनल लॉग डिसटेन्स (आई एल डी) सेवाएँ भी क्रमशः अगस्त 2000 एवं अप्रैल 2002 से खोल दी गयी थी।

### 1.3. यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेन्स (यू ए एस एल) तथा यूनिफाइड लाइसेन्स (यू एल)

एन टी पी-94 तथा एन टी पी-99 के अन्तर्गत एक एल एस ए में बेसिक एवं सी एम टी एस सेवाएँ प्रदान करने के लिए अलग लाईसेंस जारी किये गये थे। वर्ष 2001 में भारत में “बेसिक सर्विस ऑपरेटरों” (बी एस ओ) को यह अनुमति दी गयी कि वे अपने कवरेज क्षेत्र में कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस (सी डी एम ए) प्रौद्योगिकी का प्रयोग वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर करके लिमिटेड मोबीलिटी सेवाएँ प्रदान करें।

जैसे-जैसे बी एस ओ द्वारा दी गई डब्ल्यू एल एल (एम) सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ी, बी एस ओ तथा मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) के लिये सी एम टी एस ऑपरेटरों में विवाद उभरने लगा। 11 नवम्बर 2003 को सरकार ने ट्राई द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंसिंग (यू ए एस एल) प्रणाली को अनुमोदित कर दिया जिसमें बेसिक एवं सेलुलर सेवाओं के लिए एकल लाइसेन्स था। यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंसधारी एक सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वायरलाइन और वायरलेस सेवाएँ प्रदान कर सकता है।

मौजूदा बी एस ओ एवं सी एम टी एस ऑपरेटरों को यह विकल्प दिया गया (नवम्बर 2003) था कि वे मौजूदा लाइसेन्सों के साथ रहे या यू ए एस एल प्रणाली<sup>4</sup> की ओर प्रवासित करें। इसके बाद एसेस सेवाओं के लिए केवल यू ए एस लाइसेन्स ही जारी किये गये थे। अगस्त 2013 के बाद, यूनिफाइड लाइसेन्स प्रणाली को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत एक लाइसेंसधारी सभी दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर सकता था (एसेस सेवाएँ, कैरियर सेवाएँ एवं डेटा सेवाएँ)

4 सभी सी एम टी एस लाइसेंसधारी यू ए एस एल प्रणाली की ओर प्रवासित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, राजस्व हिस्सेदारी की शर्तें यू ए एस एल एवं सी एम टी एस लाइसेंस दोनों के लिए एक सी ही थी।

#### 1.4. सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा पर लाइसेन्स अनुबन्ध में प्रावधान

यूनिफाइड लाइसेन्सों की शुरुआत के पहले विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग-अलग लाइसेन्स जारी किए गये थे, उदाहरणस्वरूप यूनिफाइड एसेस सर्विस (यू ए एस), नेशनल लॉग डिस्टेन्स (एन एल डी) सर्विस, इन्टरनेशनल लॉग डिस्टेन्स (आई एल डी) सर्विस, वेरी स्मॉल एपेरचर टर्मिनल (वी एस ए टी) सर्विस तथा इन्टरनेट सेवाएँ। सकल राजस्व (जी आर), वसूलियाँ एवं समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषाएँ जो कि सम्बन्धित लाइसेन्सों में दी गयी हैं निम्नलिखित हैं:—

(ए) यू ए एस एल अनुबन्ध के खण्ड 19 के तहत ए जी आर निकालने के लिए जी आर एवं अनुमत्य वसूलियों को परिभाषित किया गया था। खण्ड 19.1 के अनुसार जी आर में अन्य विविध राजस्व सम्बन्धित मदों के खर्चों को घटाए (सेट आफ) बगैर इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैंडसेट (अन्य किसी टर्मिनल उपस्कर आदि) की बिक्री आय, ब्याज से राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएँ, अनुपूरक सेवाएँ, एसेस या इन्टरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व इत्यादि शामिल हैं।

जैसा कि अनुबन्ध के खण्ड 19.2 में यह उल्लेख किया गया है, कि ए जी आर निकालने के लिए जी आर से निम्नलिखित को घटाया जाएगा:—

- (i) भारत के अन्दर अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक भुगतान किया गया पी एस टी एन<sup>5</sup> सम्बन्धित कॉल प्रभार (एसेस चार्ज);
- (ii) अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया वास्तविक रोमिंग राजस्व, तथा
- (iii) सेवाएँ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व में बिक्री कर एवं सेवा कर शामिल थे।

(बी) एन एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर को एन एल डी अनुबन्ध के संलग्नक-II के खण्ड-31 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि "राजस्व के प्रतिशत को लाइसेन्स शुल्क के रूप में लगाने के लिये राजस्व का अर्थ लाईसेंसधारक को लाइसेन्स के अन्तर्गत एन एल डी सेवा प्रदान कराके प्राप्त हुआ कुल सकल उपार्जित राजस्व आय जिसमें अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं से एवं अवसंरचना की लीज पर देने से, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त हुआ राजस्व, शामिल होगा तथा इसमें से अन्य सेवा प्रदाताओं जिनके नेटवर्क के साथ लाईसेंसधारक का एन एल डी नेटवर्क कॉल वहन के लिए अन्तः सम्बन्ध है, को देय पास थू प्रकृति के घटक भाग द्वारा घटाया जायेगा।

(सी) आई एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर की परिभाषा को आई एल डी अनुबन्ध के परिभाषा एवं व्याख्या भाग के खण्ड-36 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि "सकल राजस्व के अन्तर्गत लाईसेंसधारक को उपार्जित सभी राजस्व जिसमें माल प्रदान करने से, सेवाएँ प्रदान करने से, अवसंरचना की लीज पर देने से, इसके संसाधनों को दूसरों द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री आय से, (टर्मिनल उपस्कर, जिसमें एसेसोरिज भी शामिल हैं,) हैंडसेटों से, बैंडविड्थ से, मूल्य

5 पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क

वर्धित सेवाओं से आय, सप्लीमेंटरी सेवाओं से, एसेस या अन्तः सम्बन्ध प्रभारों से, अवसंरचना आदि को भाड़े पर देने के लिए किसी प्रकार का लीज या किराया प्रभार से एवं अन्य विविध मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि शामिल हैं, सम्बन्धित मदों के लिये खर्च को घटाए बिना (सेट-आफ) जो भी राजस्व प्राप्त हुए हैं, शामिल होंगे।

ए जी आर जो कि वह राजस्व है जिसके प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा का अर्थ वह सकल राजस्व होगा जिसमें से निम्न घटाया गया हो :-

- (i) कॉल वहन हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया गया वास्तविक कॉल प्रभार (एसेस प्रभार)
- (ii) सेवाएँ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व में घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।

(डी) लाइसेन्स अनुबन्ध के अनुसार इन्टरनेट सेवाओं जिसमें इन्टरनेट टेलीफोनी (आई एस पी-आई टी) भी शामिल है, के लिए जी आर की परिभाषा यह बताती है कि "जी आर में अन्य विविध राजस्व आदि सम्बन्धित मदों को लिये खर्च को घटाए (सेट-आफ) बिना इन्टरनेट एसेस सेवा, इन्टरनेट कन्टेन्ट सेवा, इन्टरनेट टेलीफोनी सेवा, इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, टर्मिनल उपस्कर के बिक्री से आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएँ, सप्लीमेंटरी सेवाएँ, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व एवं समावेशित होंगी।

ए जी आर निकालने के उद्देश्य के लिए, जी आर से निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा :-

- (i) इन्टरनेट एसेस से प्राप्त प्रभार, इन्टरनेट कन्टेन्ट एवं इन्टरनेट एसेस से सम्बन्धित इन्सटॉलेशन प्रभार
- (ii) सेवाएँ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि जी आर में घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।

(ई) वी एस ए टी (वी-सेट) लाइसेन्स अनुबंध में विनिर्दिष्ट जी आर की परिभाषा के अनुसार, "सकल राजस्व के अन्तर्गत लाइसेंसधारक को उपाजित सभी राजस्व जिसको उत्पाद प्रदान करने से, सेवाएँ प्रदान करने से, अवसंरचना को लीज/भाड़े पर सेवाएँ देने से, इसके संसाधनों को दूसरों द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री के लाभ से (या किसी टर्मिनल उपस्कर, जिसमें एसेसोरिज भी शामिल हैं), की वी एस ए टी (वी-सेट) हॉर्डवेयर/सॉफ्टवेयर से, वार्षिक रखरखाव संविदा/वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा से प्राप्त शुल्क से, मूल्य वर्धित सेवाओं से प्राप्त हुई आय से, सप्लीमेंटरी सेवाओं से, एसेस या इन्टरकनेक्शन प्रभार आदि से एवं अन्य विविध मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि सहित हैं, सम्बन्धित मदों के लिये किसी खर्च को घटाए (सेट-आफ) बिना, जो भी राजस्व प्राप्त हुए सभी शामिल हैं।

वह आय जिसका प्रतिशत लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा वी एस ए टी सेवाएँ प्रदान करने के दौरान उपाजित कुल सकल राजस्व होगी किन्तु इससे निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा :-

- (i) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसधारक का नेटवर्क डाटा कैरेज के लिए अन्तः सम्बन्धित है, को किये गये पास थ्रू प्रकृति के प्रभार का वास्तविक भुगतान

- (ii) सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर, यदि सकल राजस्व में सेवा कर का घटक शामिल है

### 1.5. राजस्व एवं एल एफ के भुगतान पर यु ए एस एल अनुबंधों में विनियम

दूरसंचार विभाग एवं सेवा प्रदाताओं के बीच हुए लाइसेन्स अनुबंध में लाइसेंसधारी कम्पनियों को लेखों को बनाने, उनकी रिपोर्टिंग तथा सरकार को भुगतान किए गए लाइसेन्स शुल्क के लिए सुनिश्चित व विशेष खण्ड/मानक थे। इन खण्डों/मानकों ने यह रेखांकित किया कि यद्यपि यह लाइसेंसधारी कम्पनी का परमाधिकार था कि वे कम्पनी एक्ट, लेखा मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने लेखा तैयार करें, सरकार को भुगतान किए जाने वाले एल एफ का अभिकलन करने के लिए लाइसेन्स अनुबंध के प्रावधान मुख्य होंगे। संलग्नक-II के परिशिष्ट-II में राजस्व एवं लाइसेन्स शुल्क के विवरण का संरूप (फॉर्मेट) निर्धारित है जबकि संलग्नक-III ने विवरण के तैयारी के लिए प्रतिमानकों को विनिर्दिष्ट किया। लाइसेन्स अनुबंध में तिमाही विवरणों के आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा के आंकड़ों के लेखा समाधान को प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत् संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ सुपुर्द किया जाना भी विनिर्दिष्ट किया। लाइसेन्स शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व तथा एल एफ विवरण जिसे लाइसेंसधारक का ए जी आर विवरण भी कहा जाता है, को राजस्व हिस्सेदारी के लिए दिए गए राजस्वों को दर्ज करने में किए गए सभी समायोजनों को दर्शाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में किए गए अनुबंध के प्रमुख खण्ड नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

तालिका-1.2

लेखा की तैयारी	
विनियम	खण्ड
राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए ए जी आर का परिकलन करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को बाहर रखा जाएगा।	18.3
राजस्व एवं देय लाइसेन्स शुल्क के अभिकलन को एक निर्धारित विवरण (ए जी आर विवरण) में दर्शाना चाहिए एवं इसकी लेखापरीक्षा कम्पनी एक्ट, 1956 के धारा 224 के अन्तर्गत नियुक्त लाइसेंसधारी के लेखापरीक्षकों द्वारा करायी जानी चाहिए।	20.4
कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए लाइसेन्स शुल्क का अंतिम समायोजन लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित जी आर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।	20.6
तिमाही विवरणों के आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा के आंकड़ों के लेखा समाधान को प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत् संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ सुपुर्द किया जाए।	20.7

<ul style="list-style-type: none"> <li>• सर्विस राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल दिखाया जाए एवं छूट/रिबेट के ब्यौरो को अलग से दर्शाया जाए</li> <li>• सेवा कर एवं बिक्री कर जिसको संग्रह किया एवं सरकार को जमा किया गया, अलग से दिखाया जाएगा</li> <li>• बिक्री को सकल दिखाना है तथा दिए गए छूट/रिबेट के ब्यौरे एवं बिक्री विवरणी को अलग से दिखाया जाए।</li> <li>• बिना उनसे सम्बन्धित व्ययों को घटाए हुए (सेट-ऑफ) ब्याज एवं लाभांश से हुए आय को अलग से दिखाना है</li> <li>• आय के मद वार ब्यौरे जिनको संबंधित खर्च में से घटाना है</li> <li>• रोमिंग प्रभार में प्रचालक वार प्राप्य एवं देय राशि को, प्राप्त एवं अदा किए गए रोमिंग कमीशन को एवं अन्य प्रचालकों को दिये गए/संग्रह किए गए अन्य परिवर्ती प्रभारों को दर्शाना चाहिए।</li> </ul>	<p>यू ए एस एल अनुबंध का अनुलग्नक-III (वार्षिक वित्तीय विवरणों के बनाने हेतु मानदंड)</p>
<p>लाइसेंसधारी कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अलग से खाते रखे जाने चाहिये</p>	<p>22.1</p>
<p>लाइसेंसर यदि इस मत पर पहुँचे कि पेश किए गए विवरण या लेखे सही नहीं हैं या भ्रामक हैं तो वे लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाने वाले लागत पर लेखापरीक्षक नियुक्त कर लाइसेंसधारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश जारी कर सकते हैं एवं इन लेखापरीक्षकों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो कि कम्पनी एक्ट 1956 के धारा 227 के अन्तर्गत कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पास होता है। लाइसेंसर, लाइसेंसधारी कम्पनी के लेखाओं/अभिलेखों की 'विशेष लेखापरीक्षा' भी करवा सकते हैं।</p>	<p>22.5 एवं 22.6</p>

### तालिका-1.3

लाइसेन्स शुल्क का भुगतान	
विनियम	खंड
<p>प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान एल एफ का भुगतान चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा। यह शुल्क वास्तविक राजस्व के आधार पर भुगतान किया जाएगा। (उपार्जन के आधार पर)</p>	<p>20.2</p>
<p>वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही के लिए किए गए भुगतान एवं विधिवत् भुगतान किए जाने वाली वास्तविक राशि (उपार्जन के आधार पर) के बीच आने वाले किसी अन्तर को समायोजित किया जाना चाहिए एवं तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर इस अन्तर का भुगतान किया जाना चाहिये।</p>	<p>20.3</p>
<p>देय एल एफ के भुगतान में निर्धारित अवधि के बाद कोई विलम्ब होने पर वित्तीय वर्ष के आरम्भ में भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग दर (पी एल आर) से दो प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा। यह ब्याज मासिक संयोजित किया जायेगा एवं ब्याज के परिकलन के लिए महीने के एक भाग को एक पूरा महीना माना जाएगा। एक महीने को एक अंग्रेजी कैलेण्डर महीने के रूप में माना जायगा।</p>	<p>20.5</p>
<p>बेतार योजना व समन्वय (डब्ल्यू पी सी) प्रभार (एस यू सी आदि) के लिए देय शुल्क/रॉयल्टी ऐसे समय/समयों पर एवं इस प्रकार जैसा कि डी ओ टी का डब्ल्यू पी सी विंग समय-समय पर निर्धारित करती हैं, पर देय होंगे।</p>	<p>20.9</p>

### 1.6. लाइसेन्स शुल्क की दरें

2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के सेवाओं के लिए प्रचलित लाइसेन्स शुल्क का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

तालिका – 1.4

एसेस सेवाएँ			एन एल	आई एल	बी एस ए	आई एस	आई एस पी
सेवा क्षेत्र			डी	डी	टी	पी – आई	
श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'				टी	
प्रतिशत में							(प्रतिवर्ष ₹ में)
10	8	6	6	6	6	6	1

**नोट:**— एसेस सेवाओं के लिए लाइसेंस शुल्क की दरों में सभी एल एस ए पर पांच प्रतिशत की दर से लगाए जाने वाला सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) उगाही शामिल है। इसके अलावा, 01 अप्रैल 2004 से, प्रथम दो सेलुलर प्रचालकों को दूरसंचार परिमंडलों में चार वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क में दो प्रतिशत की दर से घटौती प्रदान की गयी, इस शर्त पर कि एल एफ का न्यूनतम दर सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) उगाही अर्थात् पांच प्रतिशत की दर से, के समतुल्य होगा।

परन्तु अवसंरचना प्रबंधक श्रेणी-I (आई पी-I) सेवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी एवं सिर्फ दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) में पंजीकरण पर्याप्त था।

### 1.7. स्पेक्ट्रम का आबंटन व स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार

आरम्भ में, यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंस के प्रदान करने के साथ, जी एस एम प्रचालकों के लिए 2×4.4 मेगा हर्टज एवं सी डी एम ए प्रचालकों के लिए 2×2.5 मेगा हर्टज की शुरुआती स्पेक्ट्रम डी ओ टी द्वारा आबंटित की जानी थी। इन शुरुआती स्पेक्ट्रम के अलावा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन उपभोक्ता के आधार से संबद्ध था। आबंटन के इस प्रक्रिया को प्रशासनिक आबंटन कहा गया एवं यह वर्ष 2010 तक जारी रही।

मोबाइल (बेतार) सेवाएँ प्रदान करने वाले लाइसेंसधारियों को एल एफ के अतिरिक्त, डी ओ टी को स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना पड़ता है। देय एस यू सी की दरें आबंटित स्पेक्ट्रम के प्रकार एवं परिमाण के साथ संबद्ध होती हैं। 31 मार्च 2010 तक लागू दरें नीचे दर्शायी गयी हैं:

तालिका – 1.5

ए जी आर के प्रतिशत के रूप में एस यू सी (वायरलाइन उपभोक्ता से प्राप्त राजस्व को छोड़कर)

जी एस एम सेवाएँ		सी डी एम ए सेवाएँ	
01 अगस्त 99 से 31 मार्च 2010 तक		25 जनवरी 2001 से 31 मार्च 2010 तक	
स्पेक्ट्रम	दर (प्रतिशत में)	स्पेक्ट्रम	दर (प्रतिशत में)
2×4.4 मेगा हर्टज	2	2×5.0 मेगा हर्टज	2
2×6.2 मेगा हर्टज	3	2×6.25 मेगा हर्टज	3
2×10 मेगा हर्टज	4	2×10.0 मेगा हर्टज	4


उपरोक्त मुख्य स्पेक्ट्रम के अलावा, सेलुलर प्रचालकों को माइक्रोवेव एसेस एवं माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम<sup>6</sup>

6 माइक्रोवेव संचार से आशय रेडियो तरंग का उपयोग कर सूचना प्रेषित करने की प्रौद्योगिकी से है। मोबाइल संचारों में माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी का बहु परिणियोजन मोबाइल बैकहॉल एवं साथ ही साथ बैकबोन नेटवर्क में पॉइंट-टू-पॉइंट (पी टी पी) रेडियो फ्रीक्वेंसी (आर एफ) लिंक मुहैया कराने के लिए किया जाता है। मोबाइल बैकहॉल, नेटवर्क अवसंरचना का वह हिस्सा है जो

का भी आबंटन किया गया था। माइक्रोवेव एसेस एवं माइक्रोवेव बैकबोन के लिए एस यू सी की दरें 3 नवम्बर, 2006 से परिशोधित की गई थी परन्तु इनको जी एस एम प्रचालकों ने चुनौती दी थी जबकि सी डी एम ए प्रचालकों ने इसे स्वीकार कर लिया था तथा मामला न्यायाधीन था।

### 1.8. डी ओ टी द्वारा संग्रह किए गये राजस्व

2002-03 से 2009-10 तक डी ओ टी द्वारा वर्ष वार संग्रह किए गए राजस्व हिस्सेदारी को नीचे दर्शाया गया है:



(स्रोत : डी ओ टी वार्षिक रिपोर्ट)

### 1.9. लाइसेन्स शुल्क एवं एस यू सी के संग्रह एवं लेखाकरण के लिए डी ओ टी में की गयी व्यवस्थाएँ

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से राजस्व हिस्सेदारी की वसूली की प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं:

- लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभार का संग्रह-संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) कार्यालय में जमा करना
- सी सी ए द्वारा सकल राजस्व से कटौती का दावा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सुपुर्द किए गए प्रमाण दस्तावेजों का सत्यापन।
- प्रचालकों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं एवं सी सी ए द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर डी ओ टी द्वारा राजस्व हिस्सेदारी (आर एस) का निर्धारण एवं मांग पत्रों को जारी करना।

एसेस एवं कोर नेटवर्कों के बीच इंटरकनेक्टिविटी मुहैया कराता है। बैकबोन नेटवर्क का उपयोग विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित विभिन्न नोडों को इंटरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है।

## अध्याय—II

### लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

#### 2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र


राजस्व हिस्सेदारी भुगतान का सम्बन्ध सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित सकल राजस्व से है। सरकार को भुगतान किए गए राजस्व हिस्सेदारी का सटीक एवं सम्पूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि संचालक द्वारा जी आर/ए जी आर का अभिकलन लाइसेन्स शर्तों के अनुसार था एवं डी ओ टी द्वारा की गयी व्यवस्थाएँ इस अभिकलन के सटीक होने के सत्यापन/निर्धारण के लिए सहायक थीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तिया एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा-खाताओं एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) के अधिदेश, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय द्वारा मान्य ठहराए गए, के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2014-15 में छः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 2006-2007 से 2009-2010 तक के चार वर्ष के लेखाओं का मूल लेखाकरण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया। चयन किए गए प्रदाता थे:-

- मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड
- मेसर्स वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियाँ
- मेसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी मेसर्स रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड
- मेसर्स आईडिया सेलुलर लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी आदित्य बिरला टेलीकॉम लिमिटेड
- मेसर्स टाटा टेली सर्विसेस लिमिटेड एवं इसकी सह कम्पनी मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड
- मेसर्स एयरसेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियाँ एयरसेल सेलुलर लिमिटेड एवं डिशनेट वायरलेस लिमिटेड

लेखापरीक्षा के इस चरण के लिए उपरोक्त छः प्रचालकों के चयन के पीछे प्राथमिक विचार यह था कि दूरसंचार क्षेत्र को निजी सहभागिता के लिए खोलने के बाद ये दूरसंचार व्यवसाय में आए हुए प्रारम्भिक प्रवेशी थे। साथ ही साथ, ये प्रचालक बाजार के वर्चस्व वाले व्यवसायी हैं एवं सरकार को कुल लाइसेन्स शुल्क आय का महत्वपूर्ण हिस्सा इनसे प्राप्त होता है। इन कम्पनियों की मार्च 2007 एवं 2010 की बाजार हिस्सेदारी नीचे दर्शायी गयी थी।





(स्रोत: टीआरएआई / सीओएआई)

इसके अलावा, निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए दूरसंचार राजस्व के लेखापरीक्षा की शुरुआत करते समय मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं मेसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (मेसर्स बी ए एल/बी एच एल) की लेखापरीक्षा, इनके उच्चतम बाजार हिस्सेदारी/राजस्व हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, पहले की गयी। रिपोर्ट तैयार करते समय, उठाए गए सामान्य मुद्दों पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का, मेसर्स बी ए एल/बी एच एल पर अध्याय-III में विस्तार से चर्चा की गई है। अन्य अध्यायों में लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के आवृत्ति से बचने के लिए, अध्याय-III में दिए गए लेखापरीक्षा के विस्तृत दृष्टिकोण का संदर्भ लिया गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ए जी आर प्राप्त करने के लिए की गई कटौती की विधि का सत्यापन, राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ एवं एस यू सी) का संग्रह का सत्यापन एवं डी ओ टी द्वारा किए गए जी आर के निर्धारण का सत्यापन भी शामिल था।

## 2.2 लेखापरीक्षा पद्धति

(क) लेखापरीक्षा के शुरु होने के पहले, सभी सेवा प्रदाताओं के साथ अलग-अलग बैठकें आयोजित की गयीं थीं, जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं कवरेज की व्याख्या की गयी। कम्पनी के प्रतिनिधियों ने लेखापरीक्षा को अपने राजस्व पहचान नीतियों, राजस्व दर्ज करने की प्रणाली एवं ए जी आर विवरणों के तैयारी की जानकारी दी।

इन निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के परिसर में लेखापरीक्षा, मूल रूप से एक प्रणाली आधारित लेखापरीक्षा (सिस्टम बेस्ड ऑडिट) थी। लेखापरीक्षा को उनके वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाईनेन्शियल या एस ए पी) को जनरल लेजर (जी एल) एन्क्वायरी मोड्यूल की पहुँच प्रदान की गई। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिये पहचानने के लिए नमूना परीक्षण आधार पर उन लेखा कोडों की संवीक्षा की जिनका लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सकल राजस्व एवं राजस्व हिस्सेदारी के प्रयोजन के लिए की गयी कटौतियों में दखल था। लाइसेंसधारी ने ए जी आर विवरणों एवं

सेवा राजस्व के बीच समाधान, और अन्य आय लाभ एवं हानि लेखाओं का वित्तीय आय को भी ट्रायल बैलेंस (टी बी) के साथ विधिवत् मैप करके प्रदान कराया। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ऑकड़ों, सूचना एवं स्पष्टीकरणों को, लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करके एवं सम्बन्धित प्रचालकों के साथ विचार-विमर्श करके, प्राप्त किया गया।

(ख) कॉरपोरेट आय को लाइसेंसों के बीच सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर विभाजित किया गया है क्योंकि कॉरपोरेट आय सभी सेवा क्षेत्रों पर यू ए एस एल की दर से सम्बन्धित है। सम्बन्धित सेवाओं के लिए लागू दरों के आधार पर एल एफ एवं एस यू सी का परिकलन किया गया है। लेखापरीक्षा इसको राजस्व हिस्सेदारी की कमी को निर्धारित करने का सबसे उपयुक्त एवं संकृचित प्रणाली मानता है।

लाइसेन्स अनुबन्ध के खण्ड 20.2 एवं 20.5 के अनुसार, एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान नहीं की गई राशि पर ब्याज का परिकलन अगली तिमाही से देय है। परन्तु लेखापरीक्षा ने भुगतान नहीं की गई देयों पर परिकलन अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआत से की है एवं इसलिए इस रिपोर्ट में दर्शाए गए ब्याज के ऑकड़ें, लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार देय वास्तविक ब्याज से कम हैं।

### 2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए महत्वपूर्ण मानदण्ड निम्नलिखित हैं।

- समय-समय पर संसोधित किए गए लाइसेन्स अनुबन्ध के प्रावधान
- लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रह पर डी ओ टी द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

### 2.4 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में सभी छः दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबंधन एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।

## अध्याय—III

### मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व शेयरिंग

#### 3.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड तथा मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल), जो पहले भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी वी एल) के नाम से जानी जाती थी, उन प्रथम निजी दूरसंचार कंपनियों में एक थी जिन्हें नवम्बर 1994 में सेल्यूलर सेवाएँ प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिया गया था। लाइसेंस तब की कंपनी जिसका नाम भारती सेल्यूलर लिमिटेड था, को दिया गया था। 1 जनवरी 2000 तक बी ए एल के पास केवल दो सी एम टी एस लाइसेंस थे। वर्ष 2004 तक सभी 23 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस के साथ पूरे भारत में कंपनी की मौजूदगी थी। बी ए एल पूरे भारत में सी एम टी एस/यूएसएल लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम कंपनी थी। कंपनी का टर्न ओवर भी लगातार बढ़ा है। बीएल ने भारतीय निजी दूरसंचार सेक्टर में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है।

#### 3.1.1 मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड व मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड (बी ए एल) को नवम्बर 1994<sup>1</sup> में दिल्ली के मेट्रो लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) तथा बाद में दिसम्बर 1995 में हिमाचल प्रदेश एल एस ए के लिये सेल्यूलर सेवाएँ प्रदान करने हेतु लाइसेंस दिये गये थे।

बी ए एल ने इसके आगे निम्न वर्णित सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किये:

**तालिका 3.1**

अवधि	प्राप्त लाइसेंस का विवरण
1999–2002	तीन कंपनियों <sup>2</sup> के अधिग्रहण द्वारा पांच सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस
2001	आठ <sup>3</sup> सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस
2004	छह <sup>4</sup> सेवा क्षेत्रों में यू ए एस एल लाइसेंस

1. लाइसेंस पूर्व इकाई "भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड" के नाम से जारी किया गया था।
2. जे टी मोबाईल (पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक), स्काई सेल (चैन्नई) एवं स्पाइस सेल (कोलकाता)
3. उ प्र (प), महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, केरल, मुम्बई, म प्र, व तमिलनाडु
4. उड़ीसा, जे एण्ड के, बिहार, उ प्र (पू), पश्चिम बंगाल व असम

बी ए एल की सहायक कंपनी मैसर्स भारती हैक्सकॉम लिमिटेड (बी एच एल), ने 2004 में उत्तर पूर्व और राजस्थान सेवा क्षेत्रों में सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। इसलिये वर्ष 2004 से मैसर्स बी ए एल/बी एच एल की सभी 23 एल एस ए में लाइसेंस के साथ पूरे भारत में मौजूदगी थी।

1 अप्रैल 2006 को बी ए एल व इसकी सहायक कम्पनियों के पास अन्य लाइसेंस का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 3.2

क्रमांक	सेवा	रिमार्क
1	एन एल डी	मूल लाइसेंस भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
2	आई एल डी	मूल लाइसेंस भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
3	आई एस पी आई टी	मूल लाइसेंस भारती बी टी इंटरनेट लिमिटेड को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
4	वी एस ए टी	मूल लाइसेंस मैसर्स विप्रो इन्फोटेक लिमिटेड को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
5	आई एस पी	मूल लाइसेंस कामसेट मैक्स को जारी किया गया था जिसका अधिग्रहण भारती ब्रॉडबैंड लिमिटेड (बी बी एल) ने किया था। बी बी एल का बी ए एल के साथ विलय हो गया।
		मूल लाइसेंस मैसर्स भारती एक्वानेट लिमिटेड (बी ए क्यू एल) को जारी किया गया था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
6	वी एस ए टी	मूल लाइसेंस कामसेट मैक्स को जारी किया गया था जिसका अधिग्रहण भारती ब्रॉडबैंड लिमिटेड (बी बी एल) ने किया था। बी बी एल का बी ए एल के साथ विलय हो गया।
7	आई पी-1	मूल पंजीयन भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) के साथ था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
		मूल पंजीयन भारती टेलीनेट लिमिटेड के साथ था जिसका बाद में बी ए एल में विलय हो गया।
		बी ए एल की एक सहायक मैसर्स भारती इन्फ्राटेल के साथ पंजीकृत थी।

### 3.1.2 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

मैसर्स बी ए एल /बी एच एल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) ऑपरेटर हैं। जी एस एम ऑपरेटर तक ग्राहक एक्सेस (मेन रेडियो स्पेक्ट्रम) के लिये प्रारंभिक स्टार्ट स्पेक्ट्रम 2×4.4 मेगाहर्ट्ज था। 31 मार्च 2010 को मैसर्स बी ए एल/बी एच एल को लाइसेंस सेवा क्षेत्र वार आबंटित स्पेक्ट्रम निम्नलिखित था:

**तालिका सं. 3.3**  
**लाइसेंस सेवा क्षेत्रवार आबंटित स्पेक्ट्रम**

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2X10 मेगाहर्टज	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक
2	2X9.2 मेगाहर्टज	बिहार, मुंबई, तमिलनाडु (चेन्नई सहित)
3	2X8.2 मेगाहर्टज	महाराष्ट्र, राजस्थान
4	2X8 मेगाहर्टज	कोलकाता, उड़ीसा
5	2X7.8 मेगाहर्टज	पंजाब
6	2X7.2 मेगाहर्टज	यू पी पूर्व
7	2X6.2 मेगाहर्टज	असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व, यू पी पश्चिम, पश्चिम बंगाल

**3.1.3 मैसर्स बी ए एल / बी एच एल का अभिदाता बेस**

मैसर्स बी ए एल तथा मैसर्स बी एच एल के सैल्यूलर अभिदाता 31 मार्च 2007 को 3.71 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 12.76 करोड़ हो गये थे, यह वृद्धि 244 प्रतिशत थी। वायर-लाइन अभिदाता 31 मार्च 2007 को 0.19 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 0.31 करोड़ हो गये। भारती ग्रुप वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान सभी सैल्यूलर ऑपरेटरों में सर्वोच्च पर था तथा इसका मार्किट शेयर 31 मार्च 2010 को लगभग 21 प्रतिशत था।

**3.1.4 मैसर्स बी ए एल / बी एच एल द्वारा बताये गये सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा राजस्व शेयर का भुगतान**

जैसा कि पैराग्राफ 1.5 में बताया गया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता स्व-मूल्यांकन के आधार पर ए जी आर का निर्धारित प्रतिशत एल एफ व एस यू सी के रूप में तिमाही भुगतान करने हेतु अपेक्षित हैं। इन वर्षों में, मैसर्स बी ए एल / बी एच एल का सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व तथा राजस्व शेयरिंग (एल एफ व एस यू सी) निम्नलिखित हैं:-

**तालिका 3.4**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौती	ए जी आर	ए जी आर की जी आर से प्रतिशतता	राजस्व शेयर
					(एल एफ+एस यू सी)
2006-07	20133	5452	14681	72.92	1687
2007-08	29222	7139	22084	75.57	2516
2008-09	40997	11082	29915	72.97	3689
2009-10	43649	11357	32292	73.98	3889
<b>Total</b>	<b>134001</b>	<b>35030</b>	<b>98972</b>	<b>73.86</b>	<b>11781</b>

### 3.2 मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, बताये गये सकल राजस्व में सभी प्रकार का राजस्व बिना किसी व्यय के आइटम इत्यादि के सेट ऑफ के शामिल होगा तथा जैसा कि पैराग्राफ 1.5 में बताया गया है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कटौती/रिबेट का विवरण अलग दर्शाया जाएगा।

मैसर्स बी ए एल/बी एच एल की लेखा पुस्तकों/अभिलेखों (वाउचर, जनरल लेजर, ट्राइल बैलेंस, प्रॉफिट व लॉस एकाउन्ट, बैलेंसशीट आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसे आगे के पैराग्राफों में लाया गया है:

#### 3.2.1 प्री पेड सेवाओं के लिये विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से सम्बन्धित राजस्व को नेटिंग आफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये मैसर्स बी ए एल /बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित डेटा/अभिलेख की जांच से यह पाया गया कि-

- प्री-प्रेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टों को दिये गये मार्जिन/कमीशन को नेट ऑफ किया गया।
- अभिदाताओं को दिए गए ऑफर उदाहरणार्थ, ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), ग्राहकों को फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी), ग्राहकों को कूपन/कार्ड/सिम, ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर, ग्राहकों को दिया गया पूर्ण टाक टाइम, ग्राहकों को दिए गए समायोजन आदि को प्री पेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व से सेट-ऑफ किया गया था।

मदवार विवरण नीचे प्रस्तुत है-

#### क) मार्जिन/कमीशन

लाइसेंस धारक कम्पनी कमीशन के आधार पर दूरसंचार सेवाओं की बिक्री के लिये वितरकों/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को नियुक्त करती है। कम्पनी अभिदाताओं को बिक्री के लिये वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेन्टों को, प्री पेड रिचार्ज कूपन/ई-टॉप-अप की आपूर्ति करती है तथा उन्हें कमीशन/मार्जिन का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये मैसर्स बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि रिचार्ज कूपन/ई-टॉप अप की बिक्री के समय वितरकों/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को भुगतान की गई प्राथमिक कमीशन/मार्जिन की राशि को राजस्व से घटाया गया था। इसके परिणामस्वरूप लेखाओं में कमीशन/मार्जिन को राजस्व से सेट-ऑफ किया तथा जिसके कारण दू वि को प्रस्तुत ए जी आर विवरण में नेट राजस्व दिखाया गया। यह भी पाया गया कि वितरक/फ्रेंचाईजी/विक्रेताओं को बिक्री के बाद भुगतान किये गये कमीशन/प्रोत्साहन को "बिक्री कमीशन एवं प्रोत्साहन" विवरण के तहत व्यय शीर्ष में दर्ज किया गया। 2006-07 से 2009-10 के दौरान वितरकों/फ्रेंचाईजी/एजेन्टों/विक्रेताओं को कमीशन/मार्जिन के कारण राजस्व से कुल घटाई गई राशि ₹ 1070.78 करोड़ थी।

चूंकि, वितरकों/फ्रैंचाइजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का है, अतः राजस्व से इस प्रकार के व्ययों का सेट-ऑफ लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि:-

- कम्पनी व वितरकों के मध्य संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार पर था। तदनुसार कम्पनी को इस प्रकार के वितरकों के साथ लेन-देन का लेखांकन उसी प्रकार करना आवश्यक था जैसा वितरकों से प्राप्त राशि का होता है।
- इसके अतिरिक्त टीडीसैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने निर्णय में कहा है कि "हमारे विचार में सकल राजस्व की परिभाषा से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि लाइसेंस धारक को सेवा के लिये थोक कीमत, एम आर पी से कम निर्धारण करने से रोका जा सके। प्रश्न यह है कि वास्तविक लेन-देन कैसे हुआ है। यदि बिक्री व बिल एम आर पी पर हैं तथा कोई छूट अलग से दी गई है, तो धारा 19.1 के अनुसार लाभ व हानि लेखे में ऐसी छूट को नेट ऑफ करके राजस्व दर्ज होने पर भी यह छूट कटौती योग्य नहीं है। दूसरी तरफ यदि बिक्री नियत/सहमत कीमत पर होती है तथा बिल उस सहमत कीमत पर बनाया गया है तथा लाभ व हानि लेखे में राजस्व के अन्तर्गत तदनुसार किसी प्रकार की छूट को घटाये बिना दर्ज है, तो वास्तविक बिक्री कीमत राजस्व होगी एवं एम आर पी व बिक्री कीमत में भिन्नता सकल राजस्व में नहीं जोड़ी जा सकती है।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमीशन/मार्जिन में से ₹ 8.78 करोड़ की अनुरूप क्रेडिट/कॉन्ट्रा प्रविष्टि की गई थी।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार इस प्रकार है—

प्रबन्धन के उत्तर के आधार पर कमीशन/मार्जिन के कारण राजस्व से कुल कटौती की राशि को संशोधित कर ₹ 1062 करोड़ किया गया है **(अनुलग्नक 3.01)**। तदनुसार कम्पनी द्वारा उक्त राजस्व पर एल एफ व एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 89.79 करोड़ व ₹ 45.40 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था **(अनुलग्नक 3.01)**।

अन्य मामलों के सम्बंध में, प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि—

- अंततः बी ए एल सेवायें देता है और यदि बी ए एल ग्राहकों को सीधे तौर पर कार्ड बेचता तो दी गई सेवा की पूर्ण कीमत के लिये राजस्व लेखित होता एवं बिक्री व्यय को व्यय के रूप में लेखित करता। उसी के अनुरूप वितरकों को दी गई छूट/कमीशन मार्केटिंग व्यय प्रकृति का होगा एवं इस प्रकार इसे राजस्व से नहीं घटाया जाना चाहिये। यह धारा 19.1 में वर्णित शर्तों के अनुसार है। आगे लेखापरीक्षा का विचार है कि यह लेन-देन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के अन्तर्गत नहीं आता क्योंकि ग्राहकों को सेवा देने की अन्तिम जिम्मेदारी बी ए एल/बी एच एल में निहित है न कि वितरकों में।
- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/विक्रेताओं को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन मार्केटिंग व्यय की प्रकृति का है, अतः ऐसे व्यय का राजस्व के साथ सेट ऑफ लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध है।

## ख) उपभोक्ताओं को ऑफर/छूट/रिबेट देना

- **फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) :** कम्पनी द्वारा बड़े त्योहारों/अवसरों पर बिना किसी प्रभार के ग्राहक के खाते में अतिरिक्त टॉक-टाइम क्रेडिट किया जाता है। इस दिये गये अतिरिक्त टॉक-टाइम को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) कहते हैं।
- **ग्राहक/डीलर को फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड/सिम :** इसी प्रकार बड़े त्योहारों/अवसरों पर ग्राहकों/विक्रेताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट कूपन/कार्ड/सिम दिया जाता था।
- **ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर :** कम्पनी द्वारा बिना किसी प्रभार के ग्राहकों के खाते में प्रोत्साहन ऑफर के रूप में अतिरिक्त/अधिक टॉक-टाइम क्रेडिट किया जाता था।
- **ग्राहकों को दिया गया फुल टॉक-टाइम :** कम्पनी द्वारा ग्राहकों के खाते में प्रोत्साहन के रूप में फुल टॉक-टाइम क्रेडिट किया जाता था।
- **ग्राहकों को दिया गया समायोजन (नेगेटिव प्रोसेसिंग फीस/प्रारंभिक टॉक-टाइम/अप साइज या अग्रिम हिट ऑन टॉक-टाइम/विभिन्न समायोजन) :** कम्पनी द्वारा ग्राहकों के खातों में आर सी/ई-रिचार्ज के अंकित मूल्य से अधिक टॉक टाइम क्रेडिट किया गया था या कभी कभी प्रोत्साहन के रूप में ग्राहकों/विक्रेताओं की सुविधा हेतु टॉक-टाइम के लाभ के साथ समायोजन किया गया था।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अभिदाताओं को दिये गये उक्त प्रोत्साहनों की कीमत को प्री-पेड सेवाओं के राजस्व से अग्रिम घटाया जाता था तथा जैसे ही ग्राहक द्वारा इसका उपयोग किया जाता था, राजस्व में उक्त राशि जोड़ दी जाती थी। परिणामतः अभिदाताओं को दिए गए इन ऑफर्स के कारण राजस्व को सकल राजस्व/ए जी आर में नहीं लिया गया था। यह भी देखा गया कि एफ ओ सी/प्रोत्साहन ऑफर/अपसाइज आदि को व्यय शीर्ष में बुक किया गया था।

चूंकि, ग्राहकों के लिये ऑफर (एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी/अतिरिक्त टॉक टाइम आदि) व्यापार बढ़ाने हेतु समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे, उन ऑफर/छूट/रिबेट की लागत व्यय प्रकृति की थी। इसके अतिरिक्त लाइसेंस करार के अनुसार सेवा राजस्व बिना किसी सेट-ऑफ के सकल दर्शाया जाना चाहिये। इस प्रकार प्रबन्धन की राजस्व से ऑफर/छूट/रिबेट की लागत को राजस्व से सेट-आफ करने की कार्यवाही लाइसेंस करार के विरुद्ध है, जिसके कारण एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ जैसा कि नीचे वर्णित है:



तालिका 3.5

(₹ करोड़ में)

ग्राहकों को छूट/रिबेट/ऑफर	जी आर की कम रिपोर्टिंग	एल एफ प्रभाव	एस यू सी प्रभाव	टिप्पणी
फ्री एयर टाइम (एफ ए टी)	598.57	54.71	26.97	अनुलग्नक – 3.02
फ्री ऑफ कास्ट (एफ ओ सी) कूपन/कार्ड/सिम	40.62	3.61	1.58	अनुलग्नक – 3.03
ग्राहकों को प्रोत्साहन ऑफर	74.76	5.88	2.88	अनुलग्नक – 3.04
फुल टाक-टाइम	10.63	1.35	0.63	अनुलग्नक – 3.05
नेगेटिव प्रोसेसिंग फीस/प्रारंभिक टाक-टाइम/अप साइज/विभिन्न समायोजन	282.65	24.72	12.23	अनुलग्नक – 3.06
<b>कुल</b>	<b>1007.23</b>	<b>90.27</b>	<b>44.29</b>	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि:-

- कम्पनी बाजार मांग/प्रबन्धन निर्णय के आधार पर अपने ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ के रूप में अतिरिक्त टॉक टाइम देती है जो कि कम्पनी द्वारा समय समय पर संचालित विविध योजनाओं के आधार पर सामान्य टॉक टाइम के अतिरिक्त है। इस अतिरिक्त टॉक टाइम को फ्री टॉक टाइम के नाम से जाना जाता है। एफ ए टी प्री-पेड ग्राहकों को स्टार्टअप किट (एस यू के) रिचार्ज कूपन (आर सी) या आरम्भिक क्रेडिट के द्वारा प्रदान की जाती है। यह सामान्यतया त्योहारों के अवसर पर नये ग्राहकों को आकर्षित करने, नई दरों को लोकप्रिय बनाने आदि के लिये दिये जाते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक प्रोसेसिंग फीस की राशि (जो कि एफ ए टी के कारण उत्पन्न होती है) वास्तव में ग्राहक को दी गई छूट है।
- एफ ए टी नियोजित छूट की प्रकृति का है तथा ट्राई को फाइल की गई टैरिफ योजना का भाग है। यह उपभोक्ताओं को अग्रिम में दिया गया है तथा इस प्रकार की काल्पनिक राशि पर लाइसेंस फीस नहीं दी जा सकती हैं।
- ए एस-9 के अनुसार, "राजस्व उद्यम के सामान की बिक्री से, सेवाएँ प्रदान करने से उत्पन्न नकद, प्राप्य तथा कंसिडरेशन का सकल अन्तः प्रवाह है तथा.....
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि में से ₹ 48.49 करोड़ की अनुकूल क्रेडिट/कॉन्ट्रा/दोहरी प्रविष्टि की गई थी।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्नलिखित है—

- एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी आदि पर आरंभ में ली गई राशि ₹ 1055.60 करोड़ में से ₹ 48.38 करोड़ (प्रबंधन के उत्तर में बताये गये ₹ 48.49 में से) की कॉन्ट्रा प्रविष्टियां स्वीकार करते हुए आंकड़ों को संशोधित कर ₹ 1007.23 करोड़ किया गया है। प्रबंधक के उत्तर का ₹ 0.11 करोड़ (₹ 48.49 करोड़— ₹ 48.38 करोड़) लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह प्रविष्टि आरम्भ में लिए गए ₹ 1055.60 करोड़ के एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि में शामिल नहीं था।
- प्रबंधन ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त टॉक टाइम/फ्री एयर टाइम आदि सामान्यतः त्योहारों के अवसर पर दिया जाता है ताकि नई दर योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा सके, नये अभिदाताओं को आकर्षित किया जा सके इत्यादि। अतः इस प्रकार के ऑफर/छूट/रिबेट व्यय की प्रकृति के होते हैं और इसीलिये, लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार जी आर से इनकी कटौती नहीं की जानी चाहिये।
- ट्राई को प्रस्तुत प्री पेड टैरिफ योजना की प्रति (जो लेखापरीक्षा को दी गई ) में किसी प्रकार का एफ ए टी/छूट आदि शामिल नहीं थी, चाहें यह बिल योग्य हो अथवा नहीं।
- लेखापरीक्षा ने ए एस-9 के अनुसार लेखांकन पर कोई प्रश्न नहीं किया है, बल्कि तर्क यह है कि एयर टाइम मुफ्त की वस्तु नहीं है, इसका यथार्थ मूल्य है तथा एफ ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि के द्वारा लाइसेंस धारक इन्हें व्यय दिखाने के बजाय राजस्व कम कर रहे हैं जिससे एल एफ तथा एस यू सी से बच रहे हैं।

इस प्रकार प्री पेड अभिदाताओं को ₹ 1007.23 करोड़ के दिये गये ऑफर/ छूट/रिबेट को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये जिससे अन्ततः दूरसंचार विभाग को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 90.27 करोड़ व ₹ 44.29 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### ग) राजस्व शीर्ष में अग्रिम डेबिट के कारण राजस्व का कम दर्शाया जाना

कम्पनी द्वारा राजस्व के लेखांकन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जबकि अग्रिम में प्राप्त राजस्व देनदारी में लेखित होता था, इस राशि पर भुगतान किया गया मार्जिन/कमीशन/एफ ए टी/एफ ओ सी को वर्तमान राजस्व में डेबिट किया जाता था। इसके कारण वर्तमान राजस्व भुगतान किये गये मार्जिन/कमीशन/एफ ए टी/एफ ओ सी के बराबर कम लेखित हुआ, परिणाम स्वरूप इस राशि पर एल एफ व एस यू सी का स्थगन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सैटऑफ/अग्रिम प्रभारों के पैरा {पैराग्राफ 3.2.1 (क) व (ख)} के लिये दिये गये उत्तर में इनको पहले ही कवर किया गया था। तथापि, लेखांकन के परिप्रेक्ष्य में राजस्व वास्तविक उपयोग के आधार पर माना जा रहा है।

ऑडिट वास्तविक उपयोग के आधार पर लेखांकन पर प्रश्न नहीं कर रहा है। परन्तु तथ्य यह है कि अग्रिम में प्राप्त राजस्व के भुगतान किए गए मार्जिन/कमीशन/एफ ए टी/ एफ ओ सी को वर्तमान राजस्व में से अग्रिम डेबिट किए जाने से डेबिट की गई राशि की सीमा तक एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

### 3.2.2 पोस्ट-पेड अभिदाताओं को प्रदान किये गये वेवर/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत की गई पोस्ट-पेड सेवाओं से सम्बंधित डेटा/अभिलेखों की जांच से यह देखा गया कि—

- कम्पनी द्वारा पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं को वेवर (स्थापना प्रभार वेवर/एयर टाइम वेवर/अन्य फीस व प्रभार वेवर/किराया वेवर/वी ए एस राजस्व वेवर) तथा किराया/एयर टाइम/अन्य छूट दी गई थी। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने वेवर तथा छूट को व्यय शीर्ष के बजाय पोस्ट-पेड राजस्व में डेबिट किया था। परिणामस्वरूप, ए जी आर के लिये लिया गया राजस्व क्रमशः ₹ 180.74 करोड़ व ₹ 842.12 करोड़ कम बताया गया था **(अनुलग्नक 3.07 व 3.08)**।
- कम्पनी के ए जी आर विवरण तथा वित्तीय विवरण (टी बी/मिलान विवरण जो लेखापरीक्षा को दिये गये थे) में दर्शाये गये राजस्व के मिलान के दौरान, यह भी पाया गया कि प्रारम्भ में वेवर के कारण ए जी आर प्राप्त करने के लिये जी आर से ₹ 112.93 करोड़ की कटौती की गई थी। विस्तृत समीक्षा से पता चला कि यह राशि “गुडविल इंगित करने के लिये वेवर,” ग्राहक सेवा व्यय आदि से सम्बन्धित व्यय शीर्ष में दर्ज की गई थी। **(अनुलग्नक 3.09)**
- पुनः किराया/एयरटाइम/अन्य कटौती और वेवर व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे और इसलिये ऐसे ऑफर/छूट व्यय की प्रकृति के हैं। अतः लाइसेंस करार के अनुसार जी आर से इनकी कटौती नहीं की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर दिया गया कि:—

- सेवाएँ बिल किए जाने वाले छूट, प्रक्रिया वेवर तथा करों को छोड़कर दी गई थी, अतः तदनु रूप सेवा राजस्व माना गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के मानक के अन्तर्गत, लाइसेंस करार के परिशिष्ट III के अनुसार उपार्जित राजस्व में “उस अवधि के लिये बिल योग्य सारी राशि” शामिल होगी। इस प्रकार जी आर की गणना करते समय, इस प्रकार की सारी राशि (बिल योग्य छूट और प्रक्रिया वेवर इत्यादि) राजस्व से अलग कर दिए जाएँगे।
- प्रक्रिया वेवर बिलिंग में त्रुटि के कारण दी जा रही थी और लाइसेंस करार के परिशिष्ट III के अनुसार उपार्जित राजस्व की श्रेणी में बिल योग्य नहीं थे क्योंकि सेवायें नहीं दी गई थी अथवा बिल सही नहीं बनाये गये थे। प्रक्रिया वेवर (₹ 842.12 करोड़) में ₹ 624.44 करोड़ की बिल योग्य छूट शामिल थी, इसीलिये वास्तविक प्रक्रिया वेवर ₹ 217.67 करोड़ था।
- गुडविल वेवर उपभोक्ता बनाए रखने व संबंध बरकरार रखने के लिये दी गई छूट की प्रकृति के थे। यद्यपि वे सेवा राजस्व का भाग होते हैं, कम्पनी ने जी आर से इस प्रकार की वेवर की राशि को गुडविल वेवर के रूप में कम किया है।
- बिल योग्य छूट ट्राई को फाइल किए गए टैरिफ का भाग है, अतः लाइसेंस करार के अनुसार ए जी आर के उद्देश्य हेतु राजस्व का भाग नहीं है।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए ₹ 206.55 करोड़ के बिल योग्य कटौती में से ₹ 25.81 करोड़ की संगत क्रेडिट/कॉन्ट्रा प्रविष्टि की गई।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार नीचे दिया गया है:

- प्रारम्भ में, बताए गए ₹ 206.55 करोड़ की छूट में से प्रबंधन के उत्तर में बताए गए ₹ 25.81 करोड़ राशि की कॉन्ट्रा प्रविष्टि पर विचार किया गया है तथा आंकड़ों को संशोधित कर ₹ 180.74 करोड़ किया गया है।
- लाइसेंस करार के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के मानकों के अनुसार सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा रिबेट/छूट के विवरण पृथक निर्दिष्ट किये जायेंगे। इससे यह प्रकट होता है कि सेवा राजस्व सकल में दर्शाया जाना चाहिये, तथापि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबन्धन ने रिबेट/छूट को नेट-ऑफ किया जो कि लाइसेंस करार के विरुद्ध है। पुनः लाइसेंस करार का परिशिष्ट ।।। यह निर्दिष्ट नहीं करता कि छूट अथवा प्रक्रिया वेवर आदि जी आर की गणना करते समय राजस्व से घटाए जाएँगे।
- प्रबंधन का तर्क कि वेवर (₹ 842.12 करोड़) में बिल योग्य छूट ₹ 624.44 करोड़ शामिल है, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ट्रायल बैलेंस (टी बी) एवं ओरेकल फाइनेंस सिस्टम से निकाले गये डेटा के अनुरूप नहीं है, क्योंकि टी बी के लेखाशीर्ष के विश्लेषण तथा इन वेवर से सम्बन्धित जनरल लेजर से लिये गये डाटा स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करते हैं कि ये इंस्टालेशन प्रभार वेवर/एयर टाइम वेवर/अन्य फीस व प्रभार वेवर/किराया वेवर/वी ए एस राजस्व वेवर थे। यह नहीं बताया गया था कि ये प्रविष्टियां गलत बिलिंग के कारण थी। शेष ₹ 217.67 करोड़ के सम्बंध में यह देखा गया था कि पोस्ट-पेड उपभोक्ताओं के लिये बिलिंग के प्रकरण में, बाद में यह पुष्टि होने पर कि बिल में गलती थी, तो इसे सम्बन्धित राजस्व कोड में प्रतिवर्तित/समायोजित किया गया था। यह देखा गया कि इस प्रकार की जनरल लेजर में कई प्रतिवर्तन तथा समायोजन प्रविष्टियां थी। पुनः प्रबन्धन ने अपने तर्क कि वेवर बिलिंग में त्रुटियों के कारण थे, के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दिया।
- प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि गुडविल वेवर उपभोक्ता बनाए रखने तथा सम्बंध बरकरार रखने के लिये दी गई छूट की प्रकृति के है तथा यद्यपि वे सेवा राजस्व का भाग होते हैं, इन्हें जी आर से घटाया गया। चूंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग थे, अतः वे व्यय की प्रकृति के थे और लाइसेंस करार के अनुसार व्यय से सम्बन्धित मदों के लिये सैट-ऑफ अनुमत्य नहीं था। इसलिये इन्हें जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए।
- ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ योजनाओं की प्रति (लेखापरीक्षा को प्रदान की गई) में किसी प्रकार की छूट को शामिल नहीं किया गया था चाहे यह बिल योग्य हो अथवा नहीं।

इस प्रकार पोस्ट-पेड अभिदाताओं को दिये गये ₹ 1135.79 करोड़ की वेवर तथा छूट की राशि को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये एवं भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी क्रमशः ₹ 104.54 करोड़ तथा ₹ 49.65 करोड़ का भुगतान हुआ (अनुलग्नक 3.07, 3.08 व 3.09)

### 3.2.3 अन्य ऑपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों को सैट-ऑफ करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

मात्रा छूट व्यक्तियों या व्यापार जो कि कई इकाईयों या अधिक मात्रा में सामान/सेवा खरीदते हैं के लिये एक वित्तीय प्रोत्साहन है। दूरसंचार के परिदृश्य में प्रचालकों के मध्य रोमिंग करार विशेष सेवा प्रदाता के ग्राहकों के मामलों में जहां सेलर नेटवर्क का बल्क में उपयोग किया जाता है, देने के लिए किया जाता है। छूट की परस्पर सहमति के कारण प्रोत्साहन का शुद्ध भुगतान हुआ।

बी ए एल तथा बी एच एल ने रोमिंग सेवाओं के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ समझौता किया था। यह देखा गया कि इन ऑपरेटरों को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों को राजस्व शीर्ष लेखों से डेबिट/कम किया गया था।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था रखना दो ऑपरेटरों के मध्य आपसी करार का मामला था और रोमिंग के लिये सहमत प्रभार के अतिरिक्त छूट देना समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था ताकि दो ऑपरेटरों के बीच व्यवसाय बढ़ाया जा सके। इस प्रकार ये छूट व्यय की प्रकृति के थे तथा इसीलिये लाइसेंस करार के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नहीं जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 165.59 करोड़ की राशि को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूटों के रूप में रोमिंग राजस्व से डेबिट किया गया था (अनुलग्नक-3.10)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, बी ए एल प्रबन्धन ने बताया कि:-

- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग लेन-देन सहमत मात्रा आधारित छूट की प्रकृति के हैं।
- अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौतों के आधार पर अर्जित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑपरेटर उनके बीच में मात्रा छूट के आधार पर किसी प्रकार की कार्यपद्धति से प्रदान किए जाने वाले ट्रैफिक की मात्रा पर सहमत होते हैं। यह व्यापार/मात्रा छूट की प्रकृति का है तथा इसे व्यय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
- ₹ 168.24 करोड़ की आई ओ टी छूट (प्रारम्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित) में से ₹ 2.58 करोड़ की अनुकूल क्रेडिट/कान्ट्रा प्रविष्टि हुई, ₹ 0.07 करोड़ दो बार लिया गया तथा लेखापरीक्षा ने आई ओ टी से सम्बन्धित राशि ₹ (-50.89) करोड़ पर विचार नहीं किया।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार नीचे दिया गया है :

- प्रबन्धन के उत्तर में बताए गए कान्ट्रा तथा दोहरी प्रतिफल राशि क्रमशः ₹ 2.58 करोड़ तथा ₹ 0.07 करोड़ पर विचार किया गया है तथा आंकड़े ₹ 168.24 करोड़ से संशोधित करके ₹ 165.59 करोड़ किए गए हैं। (₹ 168.24 करोड़- ₹ 2.58 करोड़- ₹ 0.07 करोड़)
- जैसा कि पैराग्राफ में पहले ही लाया गया है कि रोमिंग के लिये सहमत प्रभारों के अतिरिक्त छूट देना समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग था ताकि दो ऑपरेटरों के मध्य व्यवसाय को बढ़ाया जा सके; इस प्रकार यह छूट व्यय की प्रकृति का है। चूंकि लाइसेंस करार किसी प्रकार की नैटिंग-ऑफ की अनुमति नहीं देता है, इस प्रकार का व्यय घटाया नहीं जा सकता तथा सकल राजस्व में सम्मिलित होगा।

- प्रबंधन के उत्तर में उल्लिखित आई ओ टी से सम्बन्धित राशि ₹ (-50.89) करोड़ की प्रविष्टियों पर विचार न करने के सम्बन्ध में यह देखा गया था कि ये प्रविष्टियां आई ओ टी प्राप्तियों की प्रकृति के हैं (उदाहरणार्थ वोडाफोन आई ओ टी क्षतिपूर्ति प्राप्ति आदि) तथा अन्य ऑपरेटरो को भुगतान की गई आई ओ टी छूट की प्रकृति के नहीं है। चूंकि लाइसेंसी करार के खंड 19.1 में कोई नैटिंग ऑफ अनुमत्य नहीं है, उस पर लेखा परीक्षा ने विचार नहीं किया।

अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग ऑपरेटरो को दी गई राशि ₹ 165.59 करोड़ (अनुलग्नक-3.10) की आई ओ टी छूट को नैटिंग-ऑफ के कारण जी आर/ए जी आर में कमी आई एवं भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी में क्रमशः ₹ 15.62 करोड़ तथा ₹ 7.22 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 3.2.4 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये अन्य दूरसंचार ऑपरेटरो से अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

जैसाकि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, अवसंरचना के अनुज्ञेय शेयरिंग तथा कोई अन्य विविध राजस्व बिना किसी सम्बन्धित व्यय मद आदि के सैट-ऑफ के शामिल होंगे।

बी ए एल/बी एच एल के स्वामित्व वाले दूरसंचार अवसंरचना (टावर, उपस्कर का नेटवर्क आदि) अन्य दूरसंचार कम्पनियों के साथ साझा किया जा रहा था। बी ए एल/बी एच एल ने अवसंरचना (सेल साइट) शेयरिंग के लिये अन्य दूरसंचार कम्पनियों से करार किया। अन्य ऑपरेटरो के साथ करार के अनुसार, शेयरिंग सेल स्थल के लिये अन्य ऑपरेटरो से वसूली योग्य प्रभार बी ए एल/बी एच एल द्वारा वहन किये गये स्थल की कैपेक्स लागत<sup>5</sup> न कि ओपेक्स लागत<sup>6</sup> की निर्धारित प्रतिशतता पर आधारित थे।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए अवसंरचना साझेदारी प्रभारों से संबंधित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि:-

- क) अवसंरचना साझेदारी प्रभारों जो कि, वसूली योग्य/वसूल किए गए किराए, की प्रकृति के थे, अंशतः अवसंरचना शेयरिंग से सम्बन्धित राजस्व शीर्ष में दर्ज किये गये तथा शेष को सम्बन्धित व्यय शीर्ष से नेट ऑफ किया गया।
- ख) ईंधन (डीजल), बिजली, मरम्मत व अनुरक्षण तथा सुरक्षा के कारण वसूली योग्य/वसूल किये गये अन्य अवसंरचना साझेदारी प्रभारों को व्यय शीर्ष से नेट ऑफ किया गया तथा राजस्व में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया।

2006-07 से 2009-10 की अवधि में स्थल शेयरिंग राजस्व (किराया, डीजल, बिजली, मरम्मत व अनुरक्षण तथा सुरक्षा) के कारण व्यय से नेट ऑफ कुल राशि ₹ 224.22 करोड़ थी (अनुलग्नक-3.11)। यह राशि जी आर/ए जी आर में ली जानी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, बी ए एल/बी एच एल द्वारा यह उत्तर दिया गया कि:-

- अवसंरचना स्थल साझेदारी के सम्बंध में राजस्व दर्ज करने की कार्यविधि में दो तत्व हैं-
- क) ओपेक्स प्रतिपूर्ति- वाणिज्यिक शक्ति, ईंधन (डीजल), सुरक्षा व ए एम सी जो कि वास्तविक व्यय

5 पूंजीगत लागत

6 परिचालन व्यय

की प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे, सम्बन्धित शीर्ष में क्रेडिट किये गए थे।

**ख)** कैपेक्स वसूली—यह राशि जोकि किराये की प्रकृति की थी, भारती एयरटेल द्वारा अवसंरचना शेयरिंग आय' के अन्तर्गत शामिल की गई।

यह भी कहा गया कि किराये का जो भाग व्यय शीर्ष में क्रेडिट किया गया था, केवल ओपेक्स वसूली की प्रकृति का है और ए एस—29 के अनुसार लाभ व हानि विवरण में प्रावधान से सम्बन्धित व्यय, प्रतिपूर्ति के लिये पहचानी गई कुल राशि को घटाकर प्रस्तुत किया गया।

- यह भी कहा गया कि अगस्त 2007 के टीडीसैट निर्णय के अनुसार, अन्य कम्पनियों से प्राप्त लागत/ व्यय की प्रतिपूर्ति ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का उत्तर निम्न कारणों से तर्क संगत नहीं है :-

- लाइसेंस करार के अनुसार, जी आर में विशेष रूप में अवसंरचना की अनुज्ञेय हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व संबंधित व्यय मद के लिये कोई सैट-ऑफ किए बिना शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार कैपेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व का भेद नहीं करता है। इसलिये अवसंरचना हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व में व्यय को सैट-ऑफ करना अनुज्ञेय नहीं है। आगे लाइसेंस करार केवल तीन अनुज्ञेय कटौती की अनुमति देता है तथा इस प्रकार की कोई कटौती (अर्थात् अवसंरचना हिस्सेदारी की लागत की प्रतिपूर्ति के कारण) अनुज्ञेय नहीं थी।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया था।
- आडिट का मत है कि डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय तथा बिजली प्रभार प्रतिपूर्ति की प्रकृति के नहीं थे क्योंकि टावर शेयर करने या न करने दोनों स्थिति में ये व्यय करने थे। वास्तव में व्यय की शेयरिंग से कंपनी को अतिरिक्त आय का लाभ मिला।

इस प्रकार, 2006—07 से 2009—10 की अवधि में सम्बन्धित लागत से अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से प्राप्त/ प्राप्त योग्य स्थल हिस्सेदारी राजस्व के नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 224.22 करोड़ कम बताया गया तथा इससे बी ए एल/बी एच एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 19.30 करोड़ तथा ₹ 9.08 करोड़ का कम भुगतान हुआ। **(अनुलग्नक—3.11)**

### 3.2.5 बी ए एल/बी एच एल द्वारा जी आर/ए जी आर के लिये फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2006—07 से 2007—08 के लिये मैसर्स बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई गई लेखांकन पॉलिसी के अनुसार भुगतान अथवा देनदारी के परिवर्तन से उद्भूत विदेशी विनिमय अन्तर का सिवाय स्थिर सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये देनदारियों जहां ऐसी विनिमय भिन्नता का समायोजन सम्बन्धित स्थिर सम्पत्ति की लागत में किया जाता है, उसी वर्ष में आय या व्यय में दर्शाना है जिस वर्ष में ये उद्भूत होती हैं।

पुनः, दोनों कम्पनियों ने 1 अप्रैल 2008 से अपनी पॉलिसी बदल दी ताकि स्थिर सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिये लोन/देनदारी के सम्बंध में लाभ/हानि का उतार-चढ़ाव सीधे लाभ-हानि खाते में चार्ज/क्रेडिट किया जा सके।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/अभिलेख की समीक्षा से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान प्राप्त लाभ ₹ 221.58 करोड़ था जिसमें से केवल ₹ 5.93 करोड़ फोरेक्स लाभ को 2006-07 अवधि में मैसर्स बी ए एल के यू ए एस एल/एन एल डी/आई एल डी लाइसेंस के अन्तर्गत जी आर/ए जी आर लिया गया **(अनुलग्नक-3.12)**

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ओरेकल वित्तीय प्रणाली से प्राप्त की गई रिपोर्ट से निकाले गये डेटा से उपरोक्त प्राप्त लाभ की गणना उस विशेष मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती क्योंकि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष विदेशी विनियमन लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों की कीमत को रिकार्ड किया, मैच्योर्ड मदों को प्राप्त हो चुके लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया और अन-मैच्योर्ड मदों को प्राप्त नहीं किए गए लाभ के अन्तर्गत रखा गया। इस कारण उस वर्ष में एक विशेष मद में प्राप्त लाभ वास्तविक लाभ नहीं है क्योंकि बीच की अवधि में प्राप्त लाभ/हानि को अनरियलाइज्ड के अंतर्गत लेखांकित किया गया। लेखापरीक्षा में प्रत्येक मद की वास्तविक कीमत के अभाव में प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों की वास्तविक कीमत का पता नहीं चला। पुनः लेखापरीक्षा ने त्रैमासिक शुद्ध लाभ पर लेखाशीर्ष अनुसार, एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराये गये डेटा से लाभ के लेखांकित आंकड़े एकत्रित/अलग करना संभव नहीं था। प्रदाता को प्रत्येक मद के लाभ की गणना उसकी प्रारंभिक कीमत के संदर्भ में करना चाहिये और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि:-

- फोरेक्स लाभ राजस्व नहीं था : राजस्व स्वीकृति के लेखांकन मानक 9 के अनुसार, विदेशी विनियमन लाभ राजस्व की परिभाषा से विशेष रूप से अलग किया गया है।
- फोरेक्स लाभ काल्पनिक था; वसूला गया फोरेक्स एक समग्र व्यवसायिक जोखिम है जो प्रत्येक कम्पनी को विदेशी मुद्रा लेन-देन में लेना होता है। देनदारी/लोन में कमी/वृद्धि के कारण इस प्रकार के काल्पनिक लाभ/हानि को प्रचालन से राजस्व प्राप्त नहीं माना जा सकता है तथा जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।
- फोरेक्स लाभ व हानि परिवर्तनशील व अनिश्चित थे : राजस्व बेस (ए जी आर) की परिभाषा में ट्राई की सिफारिशें दिनांक 6 जनवरी 2015 बताती हैं कि विदेशी विनियमन के उतार-चढ़ाव के कारण उद्भूत राजस्व/लाभ एल एफ व एस यू सी के परिकलन के उद्देश्य से ए जी आर का भाग नहीं होने चाहिये। पुनः टीडीसैट (अगस्त, 2007) ने भी फोरेक्स लाभ हानि को ट्राई के अनुरूप ही माना।
- दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं है : काल्पनिक विदेशी विनियमन उतार-चढ़ाव आकस्मिकता था जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यवसाय पर है तथा दूरसंचार व्यवसाय के लिये विशेष व अनोखा नहीं था। ए जी आर मामले पर ट्राई सिफारिशों दिनांक 13 सितम्बर 2006 के अनुसार भी, फोरेक्स दूरसंचार गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था।
- पुनः बी ए एल ने बताया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान वसूले गये फोरेक्स लाभ की राशि ₹ 73.49 करोड़ थी।



प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार जी आर में अन्य कोई भी विविध राजस्व शामिल है तथा लेखापरीक्षा का यह मत है कि निजी सेवा प्रदाताओं का कोई भी लाभ जी आर में शामिल होना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिये वाणिज्यिक तरीके अपनाती है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार, लाभ/हानि की गणना सभी उपाजित प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तारीखों के मध्य व्यापार सम्पत्तियों का मिलान करने के बाद करनी है। लेखांकन के व्यापारिक तरीके में विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न फोरेक्स लाभ (राजस्व)/हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/काल्पनिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किए गए लाभ पर विचार किया है।
- वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान, बी ए एल/बी एच एल द्वारा अपनाई लेखांकन पॉलिसी के अनुसार भी भुगतान अथवा देनदारी के परिवर्तन से उद्भूत विदेशी विनिमय भिन्नताओं के कारण आय अथवा व्यय जिस वर्ष में उद्भूत हुई थी उसी वर्ष में मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में एक्सचेंज भिन्नता (नेट के आधार पर) को रिपोर्ट किया था।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के आलोक में कोई महत्व नहीं है। इस निर्णय के अनुसार "ट्राई तथा ट्रिब्युनल को लाइसेंस करार की ए जी आर की परिभाषा की वैधता तथा राजस्व के कुछ मद जो लाइसेंसर तथा लाइसेंसी के मध्य करार में परिभाषित ए जी आर में शामिल थे को उससे बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है। लेखापरीक्षा का मत है कि फोरेक्स लाभ दूरसंचार संचालकों के दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित हैं।
- यह सत्य नहीं है कि विदेशी विनिमय लाभ/हानि न तो लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा में कवर किये जाते हैं और न ही ए जी आर के विवरण में बताये जाते हैं, चूँकि लाइसेंस करार बताता है कि "सकल राजस्व में..... अन्य विविध राजस्व व्यय की सम्बन्धित मदों को हटाए बिना शामिल होगी"। इस प्रकार फोरेक्स लाभ विविध राजस्व का हिस्सा थी।
- उत्तर में संदर्भित ट्राई की सिफारिश दूरसंचार विभाग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार नहीं की गई है।
- उपरोक्त वसूला गया फोरेक्स लाभ ₹ 73.49 करोड़ की गणना टी एस पी द्वारा व्यवसाय यूनिट/ लाइसेंस में फोरेक्स लाभ/हानि के लिये दर्ज सभी लेखा कोड के वार्षिक शुद्ध लाभ पर विचार करने के बाद की गई थी। फिर भी लेखापरीक्षा ने त्रैमासिक शुद्ध लाभ को एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि एल एफ और एस यू सी त्रैमासिक आधार पर देय है इसलिये अंकों में अंतर है।

इस प्रकार, 2006-07 से 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित विदेशी विनिमय लाभ को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 216.84 करोड़ कम बताये गये। परिणामतः, बी ए एल/बी एच एल द्वारा क्रमशः ₹ 17.46 करोड़ तथा ₹ 6.74 करोड़ के एल एफ व एस यू सी का भुगतान नहीं किया गया। **(अनुलग्नक-3.12)**

### 3.3 राजस्व विवरणों व एल एफ (ए जी आर विवरण) में राजस्व कम बताये गये यद्यपि लेखा पुस्तकों में बताई गई थी।

#### 3.3.1 जी आर/ए जी आर के लिये ब्याज आय पर विचार न करना

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/बी एच एल द्वारा दिये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि बी ए एल की वर्ष 2006-07 व 2007-08 में जी आर/ए जी आर के लिये लेखा पुस्तकों में लेखित ब्याज आय आंशिक रूप से ली गई थी, लेकिन वर्ष 2008-09 व 2009-10 में बिल्कुल भी नहीं ली गई। खातों में ब्याज आय की राशि ₹ 340.70 करोड़ थी, इसमें से केवल ₹ 1.61 करोड़ पर जी आर/ए जी आर के लिये 2006-07 से 2009-10 में विचार किया गया था। परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर के प्रयोजन हेतु ₹ 339.13 करोड़ की ब्याज आय पर कोई विचार नहीं किया गया था। व्यवसायिक यूनिट/लाइसेंसवार ब्यौरा **अनुलग्नक 3.13** में दिया गया है।

उसी प्रकार, बी एच एल की लेखापुस्तकों में लेखांकित ब्याज आय वर्ष 2006-07 में जी आर/ए जी आर के लिये पूरी तरह शामिल की गई थी तथा 2007-08 में आंशिक रूप से शामिल की गई थी, लेकिन वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में बिल्कुल भी शामिल नहीं की गई। वर्ष 2007-08 में हिसाब में ली गई ₹ 2.37 करोड़ की कुल ब्याज आय में से ₹ 1.74 करोड़ जी आर/ए जी आर के लिये मानी गई थी तथा ₹ 0.63 करोड़ पर विचार नहीं किया गया था। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में अर्जित आय की राशि ₹ 1.23 करोड़ और ₹ 3.96 करोड़ को जी आर/ए जी आर के लिये नहीं लिया गया था।

बी एच एल प्रबंधन ने बताया कि:

- कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस के अन्तर्गत लेखांकित ब्याज आय पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि यह दूरसंचार प्रचालन से सम्बन्धित नहीं था। यह भी बताया गया कि कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस में लेखांकित ब्याज अधिशेष निधि/उधार ली गई निधि के परिनियोजन से अर्जित किया गया था और गैर दूरसंचार राजस्व होने से इसे ए जी आर से अलग रखने की आवश्यकता है।
- यह भी बताया गया कि कभी-कभी कैपेक्स के लिये उधार ली गई निधि निवेशित की जाती है तथा ब्याज अर्जित किया जाता है और उधार पर भुगतान योग्य/भुगतान किए गए ब्याज से यह ब्याज हमेशा कम रहता है। अतः राजस्व हिस्सेदारी उगाहने के लिये ए जी आर में समावेशन हेतु कोई ब्याज आय नहीं बचती है।
- टीडीसैट के निर्णय दिनांक 30 अगस्त 2007 के अनुसार यू ए एस एल/एन एल डी/आई पी/आई एल डी/आई एस पी/ वी सैट के ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत लेखांकित ब्याज को ए जी आर में नहीं लिया जा सकता है।

ए जी आर ब्याज आय के समावेशन नहीं करने हेतु बी ए एल/बी एच एल प्रबंधन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से कहा गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद दिनांक 30 अगस्त

2007 का टीडीसैट का निर्णय प्रभावहीन हो गया था।

इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 की अवधि में सम्बन्धित ब्याज आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर ₹ 344.95 करोड़ कम दर्शाया गया। जी आर/ए जी आर में ब्याज आय शामिल न करने के कारण एल एफ व एस यू सी का कम भुगतान क्रमशः ₹ 28.51 करोड़ तथा ₹ 11.80 करोड़ था (अनुलग्नक 3.13)।

### 3.3.2 बी ए एल की सहायक कम्पनी को ब्याज मुक्त लोन के कारण एल एफ/एस यू सी के भुगतान से बचना

लेखा परीक्षा ने देखा कि बी ए एल ने मेसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड (बी टी एल) जो कि बी ए एल की 95 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, को 2009-10 में ब्याज मुक्त प्रतिभूति रहित लोन ₹ 1487.95 करोड़ दिया। प्रदान किया गया ब्याज मुक्त प्रतिभूति रहित लोन 1956 के कम्पनी के प्रावधानों के विरुद्ध था और मुख्य कम्पनी और सहायक कम्पनी के बीच बनाए गए "आर्म्स लेंथ" संबंध के अनुसार नहीं था।

परिणामतः बी ए एल का राजस्व बी टी एल से प्राप्त ब्याज की राशि तक कम हुआ और अंततः उस पर एल एफ और एस यू सी का भारत सरकार को इस हद तक कम भुगतान हुआ। चूँकि कर्ज दिए जाने की तारीख तथा कितने समय तक यह ब्याज रहित कर्ज रहा, की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एल एफ तथा एस यू सी के कम भुगतान की गणना नहीं की जा सकी।

### 3.3.3 मैसर्स बी ए एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री पर लाभ को शामिल नहीं किया जाना

यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में संदर्भित परिशिष्ट II के अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व एल एफ (ए जी आर विवरण) के विवरण का फॉर्मेट लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में मद 4 को "निवेश से आय" दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया है।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये बी ए एल/ बी एच एल द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/रिकार्ड की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में निवेश से आय के कारण सकल आय क्रमशः ₹ 34.14 करोड़, ₹ 57.75 करोड़, ₹ 235.48 करोड़ तथा ₹ 183.82 करोड़ थी (अनुलग्नक 3.14)। जी आर/ए जी आर में, उपरोक्त आय को राजस्व शेयर के परिकलन के लिये शामिल नहीं किया गया था।

बी ए एल प्रबन्धन ने बताया कि 30 अगस्त 2007 के टीडीसैट के निर्णय के अनुसार कॉरपोरेट ट्रायल बैलेंस के अन्तर्गत लेखांकित निवेश से आय को ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था। आगे यह भी बताया गया कि यह कॉरपोरेट आय कोषागार कार्य से कमायी गई थी जो कि लाइसेंस युक्त कार्यकलाप से एक पृथक व विशेष कार्य है, तथा यह आय एक गैर लाइसेंस युक्त कार्यकलाप/गैर प्रचालनात्मक आय है। अतः इस प्रकार की कॉरपोरेट आय को जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

जी आर हेतु निवेश से आय के गैर समावेशन के लिये मैसर्स बी ए एल प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद टी डी सैट का 30 अगस्त 2007 का निर्णय रद्द हो गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा का मत है कि राजस्व शेयर के

परिकलन के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश से आय के समावेशन हेतु लाइसेंस करार में प्रावधान है। इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि से संबंधित निवेश की आय को समावेश न करने के कारण सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व ₹ 511.19 करोड़ कम रहा। समायोजित सकल राजस्व/सकल राजस्व में निवेश से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 42.45 करोड़ तथा ₹ 17.45 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 3.14)

### 3.3.4 लाभांश के भुगतान के अलग-अलग मानक

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 में (अ) में उल्लिखित है, जी आर में लाभांश के साथ-साथ वहाँ बताये गये अन्य राजस्व शामिल होंगे। इस प्रकार राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से निवेश (लाभांश) से प्राप्त राजस्व सम्मिलित होगा। मेसर्स बी ए एल के 2006-07 से 2009-10 की अवधि के वार्षिक लेखों का विश्लेषण दर्शाता है कि मेसर्स बी ए एल का इसकी सहायक, ज्वाइंट वेन्चर, एसोसिएट, सहायक के सहायक व अन्य कम्पनियों में इक्विटी शेयर के रूप में निवेश (अनुलग्नक 3.15) वर्ष 2006-07 में ₹ 580.24 करोड़ से 19 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2009-10 में ₹ 11153.51 करोड़ (अनुलग्नक 3.16) हो गया था।

बी ए एल अपने अधिकांश सहायक कंपनियों, ज्वाइंट वेन्चर, एसोसिएट, सहायक के सहायक तथा अन्य कंपनियों में अधिकांश शेयर का मालिक था, फिर भी इस अवधि के दौरान इस निवेश के बदले में लाभांश के रूप में या अन्य किसी रूप में बी ए एल को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ जबकि वास्तविक रूप से कम्पनियों का 2006-07 व 2009-10 के मध्य कर के बाद कुल लाभ इन चार वर्षों में क्रमशः ₹ 157.04 करोड़, ₹ 415.64 करोड़, ₹ 905.44 करोड़ तथा ₹ 893.68 करोड़ था। (अनुलग्नक 3.17)

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि बी ए एल ने स्वयं के लिए तथा दूसरे बिना लाइसेंस की कंपनियों जहाँ कि इसका निवेश था या अधिकांश शेयर थे, के लिए लाभांश घोषणा के अलग-अलग मानक अपनाया था। जबकि बी ए एल ने 2008-09 व 2009-10 के लिए शेयरों के फेस वेल्थ का 20 प्रतिशत लाभांश घोषित किया था, उसके सहायक कंपनियों ज्वाइंट वेन्चर एसोसिएट तथा अन्य कंपनियों, जहाँ बी ए एल की अधिकांश शेयर होल्डिंग थी, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। जबकि बी ए एल द्वारा भुगतान किया गया लाभांश एक व्यय था तथा उस पर एल एफ व एस यू सी देय नहीं था, उन कंपनियों जिनमें इसका निवेश था से इसे प्राप्त लाभांश पर लाइसेंस करार के तहत एल एफ व एस यू सी देय होता।

इस प्रकार सहायक, ज्वाइंट वेन्चर, एसोसिएट तथा अन्य कंपनियों जहाँ कि बी ए एल का निवेश था के द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं करना बी ए एल के स्वयं के लाभांश घोषणा की प्रक्रिया के अनुसार नहीं था जिससे बी ए एल का राजस्व कम दर्शाया गया तथा एल एफ व एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

### 3.3.5 ग्लोबल आपरेशन (बी आई एल जी ओ) के अन्तर्गत लेखित राजस्व पर एल एफ नहीं देना

बी ए एल ने बी आई एल जी ओ (बिलगो) के ब्रांड नाम से यू एस ए में अपनी शाखा स्थापित की थी जो कि ट्रैफिक के केंद्र वाहक एवं बी ए एल (आइ एल डी डिविजन) व पूरे विश्व में स्थित विभिन्न विदेशी ऑपरेटर्स के मध्य द्विपक्षीय अनुबंध से पैदा होने वाले ट्रैफिक की अदला-बदली करता था। बी ए एल ने बिलगो से संबंधित आय/व्यय को दर्ज करने के लिये अलग खाते रखे हैं। बिलगो द्वारा किये गये परिचालन का विवरण व दोनों सेगमेंट्स (बिलगो व बी ए एल-आइ एल डी) द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया

इस प्रकार है:-

- (अ) यू एस ए से उत्पन्न होने वाले कॉल ट्रैफिक के लिए:- बिलगो स्विच दूसरे ऑपरेटरों से बाहर जाने वाले ट्रैफिक को विश्व में कहीं भी पहुँचाने के लिये बी ए एल – आई एल डी के नेटवर्क को हस्तांतरित करेगा। इस सेवा के लिये, विदेशी दूरसंचार प्रचालकों को जारी किये गये बिल की राशि का 5 प्रतिशत बिलगो अपने पास रखेगा व 95 प्रतिशत बी ए एल- आई एल डी को हस्तांतरित करेगा।
- (ब) यू एस ए में पहुँचने वाले कॉल ट्रैफिक के लिये- बिलगो स्वीच बी ए एल – आई एल डी से प्राप्त कॉल ट्रैफिक को हैंडल करेगा एवं इसे यू एस ए में दूसरे ऑपरेटरों को हस्तांतरित करेगा। इस सेवा के लिये, बिलगो फॉरेन टर्मिनिटिंग ऑपरेटरों को देय राशि का 105 प्रतिशत की दर से बी ए एल-आई एल डी से चार्ज करेगा और यह पांच प्रतिशत रखेगा।

तथापि यह पाया गया था कि वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान यह मार्जिन केवल 2.87 प्रतिशत व 4.03 प्रतिशत था। बिलगो के खाते में दर्ज राजस्व व एक्सेस प्रभार की राशि निम्न है

तालिका 3.6

₹ करोड़ में

वर्ष	कुल राजस्व	कुल एक्सेस प्रभार	एक्सेस प्रभार से अधिक राजस्व (मार्जिन)	मार्जिन (प्रतिशत में) ग के संदर्भ में घ की प्रतिशतता
क	ख	ग	घ	(e)
2006-07	285.48	277.51	7.97	2.87
2007-08	340.73	327.53	13.20	4.03
2008-09	230.10	218.76	11.34	5.18
2009-10	312.62	297.23	15.39	5.18
<b>Total</b>	<b>1168.93</b>	<b>1121.03</b>	<b>47.90</b>	<b>4.27</b>

एक्सेस प्रभार से अधिक राशि ₹ 47.90 करोड़ जी आर/ए जी आर के लिये नहीं ली गई।

बी ए एल प्रबंधन ने बताया कि-

- बिलगो विदेशी भूमि (यू ए एस) पर गेट वे स्टेशन (पी ओ पी) के रूप में प्रचालित हो रहा था जिसके लिये लाइसेंस/अनुमति यू एस ए प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी थी, न कि भारतीय प्राधिकारियों से और यू एस कर व नियामक के परिपेक्ष्य में इसकी एक अलग पहचान थी एवं
- बिलगो द्वारा रखी गयी पाँच प्रतिशत राशि यू एस ए के कर व नियामक विधि के अनुसार कर योग्य थी। अतः राजस्व व एक्सेस प्रभार जो कि बिलगो के खातों में लेखित थे, लाइसेंस फीस के लिये सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व हेतु नहीं लिये जाने चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का दावा तर्कसंगत नहीं था क्योंकि:-

- बिलगो की स्थापना बी ए एल द्वारा केवल एक तकनीकी व्यवस्था थी जिससे वह अपने आई एल डी ट्रैफिक को प्रबंधित कर सके एवं बी ए एल को आई एल डी लाइसेंस भारतीय प्राधिकारियों से

प्रदान किया गया था। बिलगो के नाम से बी ए एल सेवायें प्रदान कर रहा है एवं बिलगो कानूनी रूप से कोई अलग इकाई नहीं है। बिलगो के खातों में दर्ज लेन-देन भी बी ए एल-आई एल डी नेटवर्क के टेलीफोन ट्रैफिक के ही भाग हैं और यह बी ए एल के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है। पुनः, जी आर की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में खर्चों से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट ऑफ के बिना लाइसेंस को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल है। इसलिये बिलगो का राजस्व जी आर में शामिल होना चाहिए।

- लेखापरीक्षा का इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बिलगो द्वारा रखा गया पांच प्रतिशत यू एस ए के कर व नियामक विधि के अनुसार कर योग्य था, परन्तु तर्क यह है कि चूंकि यह बी ए एल की आय का भाग था, इसे आई एल डी लाइसेंस के अंतर्गत शेयर करने योग्य राजस्व का भाग होना चाहिए।

तदनुसार मैसर्स बी ए एल के आई एल डी का ए जी आर ₹ 47.90 करोड़ (वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 के लिये क्रमशः ₹ 7.97 करोड़ ₹ 13.20 करोड़, ₹ 11.34 करोड़ एवं ₹ 15.39 करोड़) कम बतायी थी जिसे बी ए एल के आई एल डी लाइसेंस के लिए लाइसेंस फीस की गणना हेतु ए जी आर में वापिस जोड़ना चाहिए। बिलगो के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण ₹ 2.87 करोड़ (वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः ₹ 0.48 करोड़, ₹ 0.79 करोड़, ₹ 0.68 करोड़ एवं ₹ 0.92 करोड़) लाइसेंस फीस (आई एल डी) का कम भुगतान हुआ।

### 3.3.6 पूर्व एस बी ई एल के राजस्व को विचार में नहीं लेना।

सेटकॉम ब्राडबैंड इक्विपमेंट लिमिटेड (एस बी ई एल) 1 अक्टूबर 2005 के पहले मैसर्स बी ए एल की सहायक कम्पनी थी। एस बी ई एल वीसेट हार्डवेयर बेचने का कारोबार करती थी। एस बी ई एल का 27 जुलाई 2007 में प्राप्त पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार बी ए एल में 1 अक्टूबर 2005 को विलय हो गया था। यद्यपि एस बी ई एल का बी ए एल में विलय हो गया था, बी ए एल ने पूर्व एस बी ई एल के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन से संबंधित लेखा लेन-देन के लिये अलग ट्रायल बैलेंस बनाया। इन ट्रायल बैलेंसों के तहत दर्ज कुल राजस्व राशि ₹ 116.24 करोड़ 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान किसी लाइसेंस के अन्तर्गत सिवाय 2008-09 के जिसमें सेवा राजस्व ₹ 0.18 करोड़ वी-सेट के जी आर में लिया गया था, जी आर/ए जी आर के लिये विचार में नहीं लिये गये थे।

बी ए एल प्रबंधन ने बताया कि एस बी ई एल एक अलग कानूनी सत्ता के रूप में निगमित हुई थी एवं बी ए एल में विलय से पूर्व निम्न कार्यों में लगी थी—

- (i) टेलीफोन उपकरणों में व्यापार
- (ii) संसार भर में वी-सैट उपकरणों में व्यापार एवं
- (iii) वी-सैट स्थापना के लिये टर्न-की परियोजना

यह मुख्यतः व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं जो कि टेलीकॉम लाइसेंस के अधीन नहीं हैं। विलय के बाद बी ए एल के खाते में सेटकॉम द्वारा की गई गतिविधियां शामिल थी जिनके लिये अलग से लेखे रखे गए थे। पुनः सेटकॉम द्वारा की जा रही गतिविधियां उस टेलीकॉम सेवा से संबंधित नहीं हैं जो कि मैसर्स बी ए एल इकाई द्वारा प्रदान की जाती है। मैसर्स बी ए एल के अंतर्गत आने के बाद भी सेटकॉम

द्वारा वही गतिविधियां जारी हैं जो कि विलय के पहले की जा रही थी। आगे प्रबंधन ने बताया कि विलय से कंपनी की संरचना में परिवर्तन हुआ था किन्तु किये जा रहे लेन-देन की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक गतिविधि जो नॉन लाइसेंस गतिविधि थी विलय के बाद टेलीकॉम सेवा नहीं हो सकती। इस प्रकार सिर्फ इसलिए कि दो कम्पनियों का विलय हो गया है, नॉन टेलीकॉम गतिविधियाँ एल एफ के लिए टेलीकॉम गतिविधियों में शामिल नहीं होगी। विलय के बाद इसका कारोबार (जो की नॉन-टेलीकॉम प्रकृति का है) बी ए एल द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार सेट-काम द्वारा की जा रही इन गतिविधियों/लेन-देन पर एल एफ भुगतान के लिये कम्पनी का उत्तर दायित्व नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि एस बी ई एल 1 अक्टूबर 2005 के पहले एक अलग कम्पनी थी तथा उसने अपनी गतिविधियों के लिए जो मुख्य रूप से वीसैट उपस्कर के लेन-देन में थी, भारत सरकार से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था। इसका 1 अक्टूबर 2005 से बी ए एल में विलय हो गया था एवं इसके लेखों में दर्ज लेन-देन दर्शाते हैं कि लिया गया राजस्व दूरसंचार सेवाओं (वैडविथ प्रभार, आई आर यू प्रभार, स्थापना प्रभार, डाटा सेवा उपस्कर किराया आदि) के साथ साथ विदेशी/घरेलू टेलीकॉम कम्पनियों को हार्डवेयर की बिक्री से संबंधित था। यह राजस्व बी ए एल के राजस्व का भाग था तथा जी आर की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में खर्चों से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट आफ के बिना लाइसेंसी को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल होगा। तदनुसार पूर्व एस बी ई एल के खातों में दर्ज वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 का राजस्व ₹ 20.85 करोड़, ₹ 36.04 करोड़ ₹ 22.70 करोड़ (जिसमें से ₹ 0.18 करोड़ पहले से लिया गया था) एवं ₹ 36.65 करोड़, को जी आर में शामिल होना चाहिये। पूर्व एस बी ई एल के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में क्रमशः ₹ 1.25 करोड़, ₹ 2.16 करोड़, ₹ 1.35 करोड़ एवं ₹ 2.20 करोड़ एल एफ (बी एस ए टी) का कम भुगतान हुआ।

### 3.3.7 बी ए एल द्वारा आधारभूत संरचना प्रदाता (आई पी)-1 सेवाओं के तहत दर्ज राजस्व को राजस्व शेयर की गणना के लिये विचार नही करना

मैसर्स बी ए एल ने आधारभूत संरचना सेवाये प्रदान करने के लिय दूरसंचार विभाग (अक्टूबर 2000 एव फरवरी 2001)<sup>7</sup> से आधारभूत संरचना प्रदाता (आई पी )-1 के दो पंजीयन प्राप्त किये थे। आई पी-1 रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत टेलीकॉम लाइसेंसी को डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट स्पेस व लीज पर/किराये पर/बिक्री के आधार पर टावर जैसी सम्पत्तियां प्रदान करने का कारोबार शामिल था। तथापि आई पी-1 सेवाओं के लेन-देन को दर्ज करने के लिये बी ए एल ने अलग से खाते रखे थे। आई पी-1 के तहत दर्ज राजस्व में सेवा राजस्व, ब्याज से आय व अन्य आय जो कि बी ए एल के लाभ हानि खातों में दर्ज थी, शामिल थे। पुनः 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये आई पी-1 सेवाओं से संबंधित सेवा राजस्व (₹ 435.73 करोड़) में बी ए एल के एन एल डी डिविजन का (₹ 221.40 करोड़), आई एस पी डिविजन का (₹ 9.13 करोड़) एवं दूसरे ऑपरेटरों का (₹ 205.20 करोड़) राजस्व शामिल था।

7 मूल पंजीकरण भारती टेलीसोनिक लिमिटेड (बी टी एस ओ एल) तथा भारती टेलीनेट लिमिटेड (बी टी एल) के पक्ष में थे। भारती टेलीसोनिक लिमिटेड तथा भारती टेलीनेट लिमिटेड का बी ए एल [पूर्व में भारती टेलीवेंचर लिमिटेड (बी टी वी एल)] में विलय हो गया।

तथापि आई पी-1 ट्रायल बैलेन्स के तहत लेखित पूरा राजस्व लाइसेंस फीस के लिए ए जी आर में शामिल नहीं था, बावजूद इसके कि यह राजस्व बी ए एल के राजस्व का भाग था एवं जी आर की परिभाषा के अनुसार इसमें खर्च से संबंधित आइटम के लिये किसी सेट आफ के बगैर लाइसेंसी को अर्जित पूर्ण राजस्व शामिल होगा।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया कि आई पी-1 पंजीयन का लाइसेंसी अनुबंध व उसके अन्तर्गत की गई गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था। आई पी 1 पंजीयन भारत में निगमित किसी कम्पनी को निष्क्रिय आध. ारभूत संरचना लगाने व दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रदान करने का अधिकार देता है एवं वर्तमान नीति के अनुसार आई पी 1 रजिस्ट्रेशन रखने वाली कम्पनी पर कोई लाइसेंस फीस नहीं लगेगी। इन सेवाओं से अर्जित आय को अलग से लेखित किया गया था जिसके लिये कम्पनी ने यहां पर अलग से ट्रायल बैलेन्स बनाया है जिससे दूसरी लाइसेंस युक्त आय से इसे अलग रखा जा सके।

लेखापरीक्षा स्वीकार करता है कि आई पी 1 में शामिल एन एल डी डिविजन के राजस्व पर एल एफ देय नहीं है, परन्तु आई एस पी डिविजन व अन्य संचालकों से आय राजस्व शेयरिंग हेतु ली जानी चाहिए। तदनुसार ₹ 214.33 करोड़ (वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 के लिये क्रमशः ₹ 47.03 करोड़, ₹ 54.01 करोड़, ₹ 65.26 करोड़ व ₹ 48.03 करोड़) एल एफ की गणना के लिये ए जी आर में शामिल होना चाहिये। आई पी-1 राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण ₹ 12.86 करोड़ (वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में क्रमशः ₹ 2.82 करोड़, ₹ 3.24 करोड़, ₹ 3.92 करोड़, व ₹ 2.88 करोड़) एल एफ (एन एल डी) का कम भुगतान हुआ।

### 3.3.8 बी ए एल द्वारा एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर के लिये विविध आय पर विचार नहीं किया जाना

बी ए एल की अन्य आय की सूची जो लाभ हानि खाते का भाग थी के अनुसार वर्ष 2006-07, 2008-09, एवं 2009-10 के लिये विविध आय क्रमशः ₹ 79.87 करोड़, ₹ 200.61 करोड़, ₹ 87.08 करोड़ एवं ₹ 45.28 करोड़ थी। सेवा क्षेत्र वार विविध आय का विस्तृत विवरण अनुलग्नक 3.18 में दिया गया है। लेखा परीक्षा को दिए गये ए जी आर विवरणों/ट्रायल बैलेन्स/मिलान विवरण की तुलना करने पर यह पाया गया कि विविध आय की राशि ₹ 96.19 करोड़ राजस्व शेयर की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित नहीं की गई थी।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया कि:-

- बीमा दावा, नोटिस पे, यू ए एस एल व एन एल डी/आई एल डी/आई एस पी/वी एस ए टी/करपोरेट सेगमेंट में से रद्दी की बिक्री से प्राप्त विविध आय जी आर/ए जी आर में टी डी सैट के अगस्त 2007 के निर्णय के आधार पर सम्मिलित नहीं की गयी थी।
- यह आमदनी नॉन लाइसेंसी गतिविधियों से है।
- यू ए एल एल सेगमेंट की वित्तीय वर्ष 2006-07 की विविध/अन्य आय (बीमा दावा) पर एल एफ देय नहीं था क्योंकि यह पूंजीगत प्राप्ति थी एवं यह सामान्य कारोबार में राजस्व नहीं माना जाता।
- आई एस पी एवं वी एस ए टी सेगमेंट की 2006-07 की ₹ 2.37 करोड़ की विविध आय रिटेन बैक प्रकृति की देनदारी थी।



प्रबंधन के जबाव में लेखापरीक्षा की मत इस प्रकार है:-

- बीमा दावा से प्राप्त आय को छोड़कर विविध आय पर लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया गया है तथा इसे ₹ 140.21 करोड़ से संशोधित कर ₹ 96.19 करोड़ कर दिया गया है।
- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय (अक्टूबर 2011) ने टीडीसैट के अगस्त 2007 के निर्णय को रद्द कर दिया था।
- प्रबंधन का तर्क कि यह विविध आय नॉन-लाइसेंसी गतिविधियों की थी, इसलिये ए जी आर में सम्मिलित होने योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी आर की परिभाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि राजस्व शेयर की गणना के लिये विविध आय जी आर में सम्मिलित होनी चाहिए।
- आई एस पी व वी एस ए टी से संबंधित वित्तीय वर्ष 2006-07 के ट्रायल बैलेंस में विविध आय ₹ 2.37 करोड़ दर्ज की गई थी, जबकि रिटेन बैंक देनदारी की प्रकृति की राशि को अलग लेखे में दर्ज किया गया था। अतः इसे रिटेन बैंक देनदारी की प्रकृति का होना नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार उपर बतायी गयी विविध आय की राशि ₹ 96.19 करोड़ जो कि संबंधित ए जी आर में शामिल नहीं की गयी, को लाइसेंस फीस/स्पेक्ट्रम प्रभारों की गणना हेतु ए जी आर में सम्मिलित होना चाहिए। जी आर/ए जी आर में विविध आय शामिल नहीं करने के कारण एल एफ/एस यू सी का क्रमशः ₹ 6.94 करोड़ व ₹ 1.74 करोड़ (अनुलग्नक 3.18) का कम भुगतान हुआ।

### 3.3.9 मैसर्स बी ए एल द्वारा अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ की आय को राजस्व शेयर के भुगतान हेतु ए जी आर में शामिल नहीं करना।

बी ए एल/बी एच एल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये दिये गये डेटा/अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि "अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ" से राजस्व वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिये क्रमशः ₹ 8.75 करोड़, ₹ 12.04 करोड़, ₹ 7.24 करोड़ और ₹ 1.92 करोड़ थे।

ए जी आर विवरण से यह पाया गया कि स्थिर परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ की राशि को वर्ष 2006-07 में ए जी आर की गणना के लिये लिया गया था परंतु इस तरह की ₹ 21.20 करोड़ की आय को बाद के तीन वर्षों 2007-10 के लिये नहीं लिया गया था।

बी ए एल के प्रबंधन ने बताया कि-

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ के राजस्व को ए.जी.आर के लिये नहीं लिया गया था।
- यह राजस्व, पूंजी प्रकृति का राजस्व था और यह लाइसेंस गतिविधियों से प्राप्त नहीं था। इसलिये इसको ए जी आर में एल एफ की गणना के लिये शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

बी ए एल प्रबंधन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि

- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से टी.डी.सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय प्रभावहीन हो गया था।

- लाइसेंस अनुबंध, लाइसेंस गतिविधि और गैर लाइसेंस गतिविधि के बीच भेद नहीं करता। सकल राजस्व की परिभाषा के अनुसार सकल राजस्व में लाइसेंसी को प्राप्त सभी आय बिना संबंधित व्यय मद को घटाये शामिल है तथा कंपनी ने भी इसे द्वारा वर्ष 2006-07 के ए जी आर में शामिल किया था। इस प्रकार कंपनी के खातों में लेखांकित अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त आय ₹ 21.20 करोड़ को कंपनी द्वारा भारत सरकार को देय राजस्व शेयर की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

अचल परिसंपत्ति के बिक्री पर लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने से एल एफ और एस.यू.सी. का कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.91 करोड़ और ₹ 0.83 करोड़ हुआ। (अनुलग्नक 3.19)

### 3.4 अन्य मुद्दों के कारण राजस्व शेयर का कम/गैर भुगतान

#### 3.4.1 बी ए एल/बी एच एल द्वारा ए जी आर को प्राप्त करने के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्ट्स की अनियमित कटौती करना

बी ए एल/बी एच एल द्वारा 2006-07 से 2009-10 में प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा यह बताती है कि ए जी आर की गणना के लिये यू.ए.एस.एल सेगमेंट में वर्ष 2006-2007 में लेखांकित बट्टे खाते में डाले गई बैड डेब्ट्स की राशि ₹ 105.51 करोड़ की सकल राजस्व में से कटौती नहीं की गई। परन्तु वर्ष 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में यू.ए.एस.एल सेगमेंट में बट्टे खाते में डाले गए बैड डेब्ट्स की राशि क्रमशः ₹ 181.13 करोड़, ₹ 63.18 करोड़ और ₹ 41.13 करोड़ की ए.जी.आर की गणना के लिए कटौती की गई।

इसी तरह बी.एच.एल की टी.बी. और ए जी आर विवरणों के अनुसार यह पाया गया कि जी आर से 2006-07 और 2007-08 में बट्टे खाते में डाली गई बैड डेब्ट्स की किसी राशि की कटौती नहीं की गई। तथापि वर्ष 2008-09 और 2009-10 में ए जी आर की गणना के लिये यू.ए.एस.एल/सी.एम.टी.एस सेगमेंट लेखांकित बट्टे खाते में डाली गई बैड डेब्ट्स की राशि ₹ 2.25 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ की कटौती की गई थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- टी डी सैट के 30 अगस्त 2007 के फैसले के अनुसार बट्टे खाने में डाली गई बैड डेब्ट्स की राशि की जी आर से कटौती की गई।
- बैड डेब्ट्स कंपनी द्वारा वसूल नहीं किया गया राजस्व था और ए.एस-9 के अनुसार राजस्व में अपने लेखाओं में इकाई द्वारा प्राप्त किया और प्राप्य आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह शामिल होता है।
- जब विशेष प्राप्य बैड डेब्ट माना जाता है और वसूली योग्य नहीं है, इस तरह के एक विशेष अवधि के दौरान के बैड डेब्ट्स को जी आर से आवश्यक रूप से घटाना होता है।

प्रबंधन के तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि :-

- माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के फैसले के बाद टी.डी. सैट का फैसला

दिनांक 30 अगस्त 2007 प्रभावहीन हो गया।

- लेखापरीक्षा ने कंपनी के लेखांकन ए एस 9 के अनुरूप लेखांकन पर प्रश्न नहीं उठाया है। परन्तु तर्क यह है कि राजस्व की राशि जो वसूली योग्य नहीं है, बैड डेब्ट्स होती है तथा यह लाभ-हानि खाते में प्रशासनिक और अन्य खर्चों के हिस्से के रूप में रहती है।
- ए जी आर की गणना हेतु जी आर से बैड डेब्ट को घटाना लाइसेंस अनुबंध में अनुमत नहीं था। लाइसेंसी ने स्वयं भी 2006-07 एवं 2007-08 में ए जी आर की गणना के लिये जी आर से बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्ट्स की कटौती नहीं की थी।

इस प्रकार यू ए एस एल/सी एम टी एस सेगमेंट में बट्टे खाते में डाली गई बैड डेब्ट्स की राशि ₹ 287.72 करोड़ को दूर संचार विभाग को कंपनी द्वारा देय राजस्व शेयर की गणना करने के लिये ए जी आर में वापिस जोड़ी जानी चाहिये। ए जी आर में पहुंचने के लिये जी आर से बैड डेब्ट्स की कटौती के कारण एल एफ और एस यू सी में कम भुगतान क्रमशः ₹ 25.55 करोड़ और ₹ 11.44 करोड़ था (अनुलग्नक 3.20)

### 3.4.2 2006-2007 में लीज्ड लाईन प्रभार के लिए पी एस टी एन की कटौती का दावा किया गया।

बी ए एल/बी एच एल द्वारा 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा यह बताती है कि बी ए एल/बी एच एल के यू ए एस एल परिमंडलों (मोबाईल और फिक्सड सर्विस) द्वारा बी ए एल के एन एल डी डिवीजन को देय लीज्ड लाईन प्रभार, का वर्ष 2006-07 में पी एस टी एन कटौती के अंतर्गत ₹ 327.09 करोड़ दावा किया गया। एल एस ए के अनुसार जानकारी अनुलग्नक 3.21 में दिया गया है।

प्रबंधन ने बताया कि ट्राई के इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभार विनियमन (छठा संशोधन) (फरवरी 2006) के अनुसार टी एस पी को स्वतंत्रता है कि एन एल डी ओ के देय वाहक प्रभार तय करें और इसलिये वे फोरवीयरेंस के तहत है। ट्राई ने सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से एन एल डी के द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सेवा तत्वों जिनमें ट्रैफिक मिनट और अतः संयोजन बिन्दु बनाने के संबंध में कुछ स्थिर/न्यूनतम प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, के आधार पर दरें प्रभारित करने की स्वतंत्रता दी हैं। यह भी बताया गया कि उपरोक्त लेन-देन निम्नतम प्रतिबद्धता प्रकार की प्रकृति के थे, जो मिनिट आधारित वाहक प्रभार और अन्तः संयोजन बिन्दु को स्थापित करने पर प्रभार के कारण हो सकते हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि यू ए एस एल अनुबंध (अनुच्छेद 19.2) और दू वि (डी ओ टी) द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ए जी आर की गणना हेतु जी आर से लीज्ड लाईन प्रभार की कटौती नहीं होनी थी। पुनः ट्राई अन्तः संयोजन उपयोग प्रभार विनियमन (छठा संशोधन) बताता है कि भारत के अंदर लंबी दूरी के कॉल के लिये प्रति मिनिट वाहक प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी अनुबंध के अनुसार दूरी की परवाह किए बगैर ₹ 0.65 प्रति मिनिट सीमा के अधीन होगा। यह स्पष्ट है कि यह कोई स्थिर/निम्नतम प्रतिबद्धता प्रभार निर्धारित नहीं करता बल्कि केवल मिनिट आधारित प्रभार निर्धारित करता है जिसे ऊपर दर्शाये गये लीज्ड लाईन प्रभार के अतिरिक्त एन एल डी को देय आई यू सी कटौती के रूप में दावा किया गया। स्वयं बी ए एल/बी एच एल ने भी इस तरह की कटौती के दावे

को वर्ष 2007-08 के आगे बंद कर दिया था।

लीज्ड लाईन प्रभार को पी एस टी एन कटौती में सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिये बी ए एल/बी एच एल का ए जी आर ₹ 327.09 करोड़ कम दर्शाया गया। जिसके कारण वर्ष 2006-07 में एल एफ और एस यू सी का बी ए एल के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 26.47 करोड़ और ₹ 11.71 करोड़ एवं बी एच एल के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 1.56 करोड़ और ₹ 0.92 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 3.23)

### 3.4.3 एस यू सी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिये बैंडविथ की बिक्री/लीज राजस्व को शामिल नहीं करना

यू ए एस एल अनुबंध बताता है कि "राजस्व शेयर के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के सीमित उद्देश्य के लिये ए जी आर की गणना करते समय वायर लाईन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं करना चाहिये" पुनः, यू ए एस एल अनुबंध के लिये निर्धारित राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण (ए जी आर विवरण) के प्रारूप में:-

- मद 1 अ "वायरलाइन ग्राहकों से राजस्व" को दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया है और
- मद 8 "बैंडविथ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजना इत्यादि से राजस्व" को दर्शाने के लिये निर्धारित किया गया है।

ए जी आर विवरण की समीक्षा करते समय यह देखा गया कि लाइसेंस शुल्क की गणना करने के लिये "बैंडविथ की बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि से राजस्व" राशि ₹ 93.29 करोड़, ₹ 98.67 करोड़, ₹ 188.57 करोड़ और ₹ 92.81 करोड़ क्रमशः वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में लाइसेंस फीस की गणना के लिए ए जी आर विवरणों में सम्मिलित किये गये थे, परंतु एस यू सी की गणना के लिये नहीं लिए गए जो कि लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध है। एल एस ए वार जानकारी **अनुलग्नक 3.22** में दी गई है।

प्रबंधन ने बताया कि उपरोक्त राजस्व वायर लाईन सेवाओं से सम्बंधित था और इसलिये स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिये नहीं लिया गया था।

प्रबंधन का तर्क यू एस ए एल अनुबंध के खण्ड 18.3 के अनुसार मान्य नहीं है। स्पेक्ट्रम शुल्क के लिये केवल वायरलाइन अभिदाताओं से राजस्व को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जैसा ए जी आर विवरण में उल्लिखित हैं, वायर लाईन अभिदाताओं से राजस्व 1 अ में है तथा बैंडविथ से बिक्री/लीज, लिंक, आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाओं इत्यादि का राजस्व मद संख्या 8 में है। इस प्रकार बैंडविथ की बिक्री/लीज से राजस्व वायरलाइन अभिदाताओं के राजस्व से भिन्न है। इसलिये स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिये उपरोक्त राजस्व पर भी विचार किया जाना चाहिये।

इस प्रकार बैंडविथ के बिक्री/लीज लिंक इत्यादि से राजस्व राशि ₹ 473.34 करोड़ को एस यू सी की गणना के लिये वापिस जोड़ा जाना चाहिये। परिणामतः कंपनी द्वारा उपरोक्त राजस्व पर एस यू सी राशि ₹ 20.70 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। (अनुलग्नक 3.22)

### 3.5 मैसर्स बी ए एल द्वारा अपनी सहायक कंपनी (बी आई एल) को निरंक कीमत पर दूरसंचार आधारभूत संरचना सम्पत्तियों का हस्तांतरण

मैसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (बी आई एल) 30 नवम्बर 2006 को मैसर्स बी ए एल की एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित हुई जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ, वायरलेस कम्यूनिकेशन टावर की स्थापना, संचालन व रख-रखाव, नेटवर्क विकास सेवाएँ प्रदान करना एवं भारत में तथा भारत के बाहर वीडियो, वाइस, डेटा और इंटरनेट ट्रांसमिशन का कारोबार करना था। मैसर्स बी आई एल ने रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी से 10 अप्रैल 2007 में कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने बी ए एल की वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन से देखा कि मैसर्स बी ए एल और मैसर्स बी आई एल के बीच योजना की व्यवस्था<sup>8</sup> को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा 26 नवम्बर 2007 को स्वीकृति दी गई थी और 31 जनवरी 2008 को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी दिल्ली और गुडगांव में दर्ज की, जो योजना को लागू करने की तारीख थी। योजना के अनुसार 31 जनवरी 2008 से मैसर्स बी ए एल की दूरसंचार आधारभूत संरचना मैसर्स बी आई एल को हस्तांतरित की गई थी व इसमें निहित थी। बी ए एल ने निरंक कीमत पर बी आई एल को ₹ 5739.60 करोड़ कीमत के दूरसंचार आधारभूत अधिसंरचना हस्तांतरित की और बी आई एल द्वारा बी ए एल से प्राप्त परिसम्पत्तियों को 31 मार्च 2008 का उचित मूल्य ₹ 8235.97 करोड़ दर्ज किया गया।

बी ए एल और बी आई एल अलग इकाई थे तथा पुनः बी आई एल बी ए एल<sup>9</sup> की पूर्णतया सहायक कंपनी नहीं थी। अतः परिसंपत्तियों का स्थानांतरण आर्म्स लेंथ का लेन देन नहीं था। चूंकि संपत्ति का बाजार मूल्य बी आई एल के मूल्यांकन के अनुरूप ₹ 8235.97 करोड़ था, बुक वैल्यू तथा बी आई एल द्वारा लेखांकित मूल्य का अंतर (₹ 2496.37 करोड़) संपत्ति के स्थानांतरण पर लाभ था। लाइसेंस करार के तहत संपत्ति के इस स्थानांतरण से प्राप्त लाभ पर लाइसेंस फीस व एस यू सी दिया जाना चाहिए।

इस प्रकार ₹ 2496.37 करोड़ पर विचार नहीं किए जाने से वर्ष 2007-08 में एल एफ त्गी एस यू सी का क्रमशः ₹ 226.40 करोड़ व ₹ 108.52 करोड़ का कम भुगतान हुआ।(अनुलग्नक 3.23)

### 3.6 एल एफ एवं एस यू सी के कम भुगतान/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों (पैरा 3.2 से 3.5 तक) में एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान/गैर भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 719.46 करोड़ व ₹ 347.49 करोड़ थी। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर निकाली गई ब्याज की राशि ₹ 1584.94 करोड़ हैं। (अनुलग्नक 3.24) ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित की गई दरें जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्राइम लेंडिंग रेट से 2 प्रतिशत अधिक थी और विचारित अवधि सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। लाइसेंस करार के अनुसार ब्याज की गणना मासिक आधार पर की गई है।

8 कंपनी अधिनियम 1956 अनुच्छेद 391 से 394 के तहत दूरसंचार अवसंरचना को बी ए एल से बी आई एल को हस्तांतरण करने हेतु

9 31मार्च 2008 को बी आई एल में बी ए एल का शेयर सिर्फ 92.89 प्रतिशत था।

### 3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग (दू वि) का उत्तर

मेसर्स बी ए एल द्वारा राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा टिप्पणी दू वि को मई 2015 में भेजी गई थी। दू वि ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में बताया कि 2009 में संचालित विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर पी एस पी को 2006-07 एवं 2007-08 के लिए जी आर कम बताने पर मांग 2012 में भेजी गई थी। इसमें डीलरों को कमीशन/छूट जिन्हें राजस्व से नेट ऑफ किया गया था तथा प्रीपेड ग्राहकों को दिया गया मुफ्त एयर टाइम जिसे राजस्व नहीं माना गया था (3.2.1 (क)), अधिसंरचना से प्राप्त आय को राजस्व में पूरी तरह शामिल नहीं करने से जी आर को कम दिखाना (3.2.4), फोरेक्स लाभ से राजस्व/आय को जी आर/ए जी आर में नहीं शामिल करने के कारण राजस्व की अंडर रिपोर्टिंग (3.2.5) ब्याज से आय (3.3.1), निवेश की बिक्री से लाभ (3.3.3), बिलगो से राजस्व (3.3.5), आई पी 1 सेवाओं से राजस्व (3.3.7), विविध राजस्व (3.3.8), परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ (3.3.9), जी आर से बैड डेब्ट को घटाया जाना (3.4.1), तथा पैसिव अधिसंरचना के क्रमशः हस्तांतरण से लाभ (3.5) पर संबंधित पैरा में उठाए गए मुद्दे शामिल थे। परंतु ऑपरेटर द्वारा मांगों को टी डी सैट/उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। यह भी बताया गया जैसे ही न्यायालय का अंतिम निर्णय आएगा, कारवाई की जाएगी।

इस प्रकार दू वि ने लेखापरीक्षा में उठाए गए मुद्दों को बिना नकारे कहा है कि मांगों की वसूली नहीं हो पाई क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है। दू वि द्वारा राजस्व नहीं प्राप्त कर पाना इस ओर इशारा करता है कि चूंकि सरकार की एक बड़ी राजस्व राशि इसमें शामिल है, दू वि को एक ज्यादा सक्रिय अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है।

दू वि ने यह भी कहा कि विशेष लेखापरीक्षा दू वि द्वारा विशेष लेखा परीक्षा के बाद आपत्ति की गई राशि तथा सी ए जी लेखापरीक्षा में इंगित की गई राशि में अंतर है। इस अंतर का मुख्य कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग की गणना करने की पद्धति में अंतर हो सकता है जिसके लिए विशेष ऑडिटर के वर्किंग पेपर के डिटेल्स सी ए जी द्वारा नहीं देखे गए। परन्तु सी ए जी ऑडिट ने राजस्व (एल एफ व एस यू सी) की कम वसूली/गैर वसूली की गणना बी ए एल के 2006-07 से 2009-10 के लिए लेखों में स्पष्ट वर्णन के साथ मौजूद वास्तविक प्रविष्टियों से की है।

पोस्ट पेड अभिदाताओं के छूट/वेवर की राजस्व से नेटिंग ऑफ (3.2.2), दूसरे ऑपरेटरों के भुगतान किए गए इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक डिस्काउंट के नेटिंग ऑफ के कारण रोमिंग राजस्व को कम दर्शाया जाना (3.2.3) तथा पूर्ववर्ती एस बी ई एल के राजस्व को शामिल नहीं करना (3.3.6) से संबंधित पैरा के संबंध में दू वि ने कहा पी एस पी से प्राप्त उत्तर की समीक्षा हो रही है।

डिविडेंड के भुगतान के अलग अलग मानक (3.3.4), लीज लाइन प्रभारों के अनियमित कटौती का दावा (3.4.2) तथा एस यू सी के लिए बैडविथ प्रभारों पर विचार नहीं करना (3.4.3) से संबंधित पैरा के बारे में यह कहा गया कि दू वि के संबंधित शाखाओं से उत्तर प्रतीक्षित थे।

सहायक कंपनियों के ब्याज रहित ऋण (3.3.2) से संबंधित पैरा के संबंध में यह कहा गया कि दू वि ने विधि मंत्रालय तथा दक्ष एटॉर्नी जनरल से परामर्श करके 2005 में निर्णय लिया था कि काल्पनिक ब्याज की न तो गणना की जा सकती है, न ही इसे ए जी आर में शामिल किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा का मत है कि सहायक कंपनियों को, जो कि पूर्ण स्वामित्व की नहीं थी, को दिए गए ब्याज

रहित ऋण पर ए जी आर के उद्देश्य से देय ब्याज की गणना नहीं करने का निर्णय 1956 के कंपनी अधिनियम के अनुरूप नहीं था। बिना पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को ब्याज रहित ऋण देने से बी ए एल का प्राप्ति योग्य राजस्व प्राप्य ब्याज की राशि तक कम हुआ तथा अंततः उस सीमा तक भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

पैरा 3.2.1(ख) तथा (ग) में उठाए गए ग्राहकों व डीलरों को प्रीपेड सेवाओं हेतु दिए गए ऑफर व छूट तथा राजस्व मद में अग्रिम डेबिट के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग पर दू वि का उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी कहा कि जी आर तथा ए जी आर की मूलभूत परिभाषा को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2002-03 में चुनौती दी गई थी। तब से कई मुकदमें हुए जो आज तक जारी हैं। कुछ लाइसेंस धारकों ने भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्सन 4 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 (1) (जी) का उल्लंघन बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिका दायर किया है (2012 में) इसकी वजह से सी सी ए कार्यालयों द्वारा कटौती निर्धारण तथा दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ निर्धारण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। दू वि ने स्वीकार किया कि बहुत से विवादों के कारण ऑपरेटरों से प्राप्य राजस्व शेयर के निर्धारण में विलंब हुआ।

दू वि का उत्तर प्रमाणित करता है कि यद्यपि राजस्व शेयर व्यवस्था की शुरुआत एन टी पी-1999 के एक भाग के रूप में की गई थी, विभाग इसके लागू होने के 16 वर्ष बाद भी लाइसेंस करार में निहित उचित राजस्व शेयर की वसूली करने में विफल रहा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से सभी ऑपरेटरों के लिए एल एफ दो प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया था, विभाग की यह अपेक्षा थी कि यह सभी ऑपरेटरों को सरकार के विरुद्ध विवादों को वापस लेने हेतु प्रेरित करेगा। परंतु एल एफ में कभी का अपेक्षित प्रभाव नहीं रहा तथा ऑपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा तथा डिमांड नोट को चुनौती देते हुए सरकार के विरुद्ध मुकदमेबाजी जारी रखा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने एल एफ की कमी का लाभ लिया, परन्तु सरकार को मुकदमेबाजी में कभी का पारस्परिक लाभ नहीं मिला





## अध्याय – IV

### वोडाफोन इंडिया लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

#### 4.1 मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड की संक्षिप्त रूपरेखा

ब्राण्ड वोडाफोन को भारत में 2007 में प्रारम्भ किया गया जब वोडाफोन पी.एल.सी., इंग्लैंड की एक बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी ने मैसर्स हच्चिसन एस्सार के बहुमतीय दावे को हासिल कर लिया जो कि पूरे देश के 'सोलह' लाइसेन्सयुक्त सेवा क्षेत्रों में जीएसएम आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदान करती थी। दूरसंचार क्षेत्र में सीधे विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये 2005 में भारत सरकार के निर्णय ने इस ब्रिटिश कम्पनी की भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक मुख्य खिलाड़ी के रूप में उभरने में सहायता की। 2007-08 तक प्रचालक को 'सात' और लाइसेंस आबंटित कर दिये गये थे तथा जिसने पूरे देश में मौजूद सभी तेईस लाइसेंसयुक्त सेवा क्षेत्रों (ला से क्षे) में प्रचालन के साथ कम्पनी की मौजूदगी स्थापित की। वोडाफोन इण्डिया वायरलैस मोबाइल टेलीफोन सेवायें प्रदान करता है जिसमें वायस/डाटा और सभी उच्च गुणवत्ता के दूरसंचार समाधान सम्मिलित है।

#### 4.1.1 वोडाफोन ग्रुप द्वारा लिये गये लाइसेंस

23 सेवा क्षेत्रों में सेवा लाइसेंस एक्सेस के अतिरिक्त वोडाफोन ग्रुप में कैरिज लाइसेंस अर्थात् नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी) अन्तराष्ट्रीय लांग डिस्टेंस (आईएलडी) और इन्टरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस (आईएसपी) है।

मुम्बई व इसके सात सहायक कम्पनियों<sup>1</sup> में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड (पूर्ववर्ती वोडाफोन इस्सार लिमिटेड) को मुख्य कारपोरेट कार्यालय के संरक्षण के अन्तर्गत ला से क्षे/परिमंडल अनुसार सम्बन्धित लेखांकन गतिविधियां की जाती है।

#### 4.1.2 वोडाफोन द्वारा लिये गये रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

सभी वोडाफोन ग्रुप कम्पनियां जीएसएम प्रचालक हैं। 31 मार्च 2010 को उनको आबंटित स्पेक्ट्रम की ला से क्षे अनुसार मात्रा निम्नानुसार है।

- 1 मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, राजस्थान, उ प्र (पूर्व), हरियाणा, पंजाब, उ प्र (प), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
- 2 उड़ीसा, बिहार, उ पू, असम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश
- 3 वोडाफोन एस्सार सेल्युलर लिमिटेड, वोडाफोन डिजिटल लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार मोबाइल, सर्विस लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड, वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड

तालिका 4.1

क्रम	स्पेक्ट्रम (मेगा हर्टज में)	ला से क्षेत्र का नाम
1	2 × 10	दिल्ली- मुंबई
2	2 × 9.8	गुजरात-कोलकाता
3	2 × 8.2	यू.पी (पूर्व)
4	2 × 8.0	चैन्नई, कर्नाटक
5	2 × 7.2	तमिलनाडु
6	2 × 6.2	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यू.पी (पश्चिम), पश्चिम बंगाल
7	2 × 4.4	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व, ओडिसा

#### 4.1.3 उपभोक्ता आधार वृद्धि 2006-07 से 2009-10

मार्च 2007 तक 2.64 करोड़ के उपभोक्ता आधार के साथ, वोडाफोन ने भारती एयरटेल लि0 और सा क्षेत्र (भा सं नि लि और मटेनिलि) की मिश्रित संख्या के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। 2007-08 तक कम्पनी ने सभी 23 ला से क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए देश में दूसरी सबसे बड़ी जी एस एम आधारित सैल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता बन गई। मार्च 2010 तक उपभोक्ता आधार 16 प्रतिशत की मार्केट भागीदारी के साथ 10.09 करोड़ तक बढ़ गया इसमें 2006-07 से 281 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई थी।

#### 4.1.4 वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड द्वारा अदा किये गये जीआर/कटौती/एजीआर तथा राजस्व शेयर पर वित्तीय डाटा

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्वयं आकलन आधारित प्रत्येक तिमाही को अपनी एजीआर की एक निश्चित प्रतिशतता लाइसेंस फीस और सेवा उपयोग प्रभार के रूप में देना आवश्यक है। वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड (वीआईएल) द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक चार वर्षों के लिये दर्शाया गया संयुक्त जीआर और अदा राजस्व हिस्सेदारी निम्नानुसार है।

## तालिका 4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौतियाँ	एजीआर	जी आर में एजीआर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी
					(एलएफ+एसयूसी)
2006-07	10399	1853	8545	82.17	1153
2007-08	16063	3713	12350	76.88	1606
2008-09	22217	5897	16320	73.46	2221
2009-10	25289	6695	18594	73.53	2399
<b>कुल</b>	<b>73968</b>	<b>18158</b>	<b>55809</b>	<b>75.45</b>	<b>7379</b>

(स्रोत: दू वि रिकार्ड)

**4.2 वोडाफोन द्वारा जीआर के लेखांकन व रिपोर्टिंग का लेखापरीक्षा सत्यापन**

जैसा कि पैरा 1.4 (क) में दर्शाया गया है, जीआर में सभी प्रकार के राजस्व बिना किसी सम्बन्धित व्यय मद इत्यादि को अलग करके सम्मिलित होगा।

आगे, जैसा कि यू ए एस एल समझौते के अनुलग्नक III में उल्लिखित है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में दर्शाया जायेगा और रियायत/छूट का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

वोडाफोन के अभिलेखों और लेखाओं के ब्यौरों की लेखापरीक्षा जांच ने राजस्व को अभिलेखित करने और रिपोर्ट करने में लाइसेंस समझौतों की शर्तों के उल्लंघन के मामलों को दर्शाया। विभिन्न ला से क्षेत्रों में यह घटना समान रूप से नहीं थी, क्योंकि राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से लेखांकन राजस्व के लिये कोई एक समान प्रक्रिया नहीं थी।

- राजस्व से सम्बन्धित व्यय को अलग किया जाना
- जीआर में सभी श्रेणियों से अर्जित राजस्व को सम्मिलित नहीं किया जाना।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक वोडाफोन द्वारा जीआर गणना पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा निम्नानुसार है। क्योंकि प्री-पेड और पोस्टपेड सेवाओं के लिये अलग जी एल कोड नहीं रखे गये इसलिये राजस्व को कम दर्शाने और राजस्व साझेदारी पर इसके प्रभाव को सेवा के अनुसार विभाजित नहीं किया गया।

**4.2.1 डीलरों को कमीशन/रियायतों को प्री पेड व पोस्ट पेड राजस्व से अलग किया जाना**

वोडाफोन अपने लाइसेंसयुक्त नेटवर्क में उपभोक्ता पहचान मोड्यूल (सिम) का उपयोग करके प्रीपेड और पोस्टपेड सेवायें प्रदान करता है। सिम, प्रीपेड रिचार्ज वाउचर, (ईसीवी) ई-टोप-अप इत्यादि की बिक्री खुदरा विक्रेताओं/एजेन्ट (डीलरों, फ्रैंचाइजी और वितरकों) के माध्यम से होती है जिन्हें कम्पनी द्वारा रियायत प्रदान की जाती है। लाइसेंस शर्तों के अनुसार, जीआर में सिम/ई सी वी इत्यादि की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अलग किये बिना शामिल किया जाना है।

निश्चित राजस्व लेखा शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट व्यय के कारण थे जिनका वर्णन सिम/आरसीवी (रिचार्ज वाउचर)/टाप अप कार्ड आदि की बिक्री से सम्बन्धित कमीशन,कटौती,रिटेलर, फ्रेन्चाइसी, डीलर, वितरकों को अतिरिक्त मार्जिन ट्रेड मार्जिन आदि के भुगतान के रूप में किया गया। सभी चार वर्षों के लिये विभिन्न राजस्व जीएल के अन्तर्गत उपरोक्त सभी डेबिट की पहचान राजस्व से घटायी गयी कुल राशि को सुनिश्चित करने के लिये की गई थी और यह देखा गया कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान कुल ₹ 1352.75 करोड़ की राशि राजस्व से डेबिट की गई (परिशिष्ट 4.01 में वर्णन)। यहां पर यह वर्णन आवश्यक है कि उन प्रकरणों का ब्यौरा जहाँ राजस्व को कम्पनी के वित्तीय सिस्टम में घटाये जाने के बाद रखा गया, की पहचान नहीं की जा सकी, इसलिये लेखापरीक्षा केवल उन्ही लेन-देन की गणना कर सकी जहाँ ला से क्षे ने अपने लेखाओं में हस्तलिखित रूप में नामों में स्पष्ट वर्णन के साथ अभिलेखित किया था। यद्यपि कम्पनी को यह अपेक्षित था कि वह दू वि को एजीआर विवरण के साथ घटायी गयी राशि की रिपोर्ट करें फिर भी 2006-07 में सिवाय वी सी एल<sup>4</sup> के किसी ला से क्षे में रियायतों के रूप में घटायी गई राशि को नहीं दर्शाया।

प्रबन्धन ने बताया (मई/अगस्त 2015) कि कम्पनी वितरकों/डीलरों/फ्रेन्चाइजी जो कि अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं तथा उनके साथ व्यवस्थाओं पर निर्भर हैं, को जनवरी 2007 से सैद्धांतिक व्यवस्था के आधार पर नियुक्त करती है। प्राथमिक बिलिंग के समय उनको दी गई रियायतों को राजस्व के नामें डाला गया था। अपनायी गई लेखा नीति के अनुसार, कम्पनी को वास्तविक रोकड़ प्रवाह अर्थात् केवल वितरकों द्वारा अदा की गई राशि को ही लाभ-हानि विवरण (पी एवं एल विवरण) में प्रेषित किया जाता है, न कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों इत्यादि के माध्यम से बेचे गये उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य को। यह भी स्पष्ट किया गया कि फ्रेन्चाइजी को उत्पाद की बिक्री सहमत मूल्य पर थी और वही मूल्य लाभ-हानि विवरणी में दर्शाया गया है और किसी खर्च को अलग नहीं किया गया है तथा टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में पुष्टि की थी कि उन प्रकरणों में जहाँ सहमत मूल्य पर राजस्व को अभिलेखित किया गया हो वहां कोई खर्च अलग नहीं किया जा सकता। आगे यह सूचित किया गया कि टी डी सैट के निर्णय के विरुद्ध, प्रचालकों और दूरसंचार विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की गई है और इसलिये कम्पनी की उपरोक्त स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आश्रित है।

प्रबन्धन के प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा विचार को पैरा 3.2.1 (क) में स्पष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में दर्शाई गई राशि कम्पनी द्वारा फ्रेन्चाइजी/वितरकों इत्यादि को अदा की गई रियायत/कमीशन के रूप में वास्तविक राशि का केवल एक भाग है। लेखापरीक्षा द्वारा निकाले गये ला से क्षे के अनुसार, तथ्यों व आकड़ों की पुष्टि से तथा चार वर्षों में अप्रकृत रियायतों/रियायत पर राजस्व से अनुमत मुक्त एअरटाइम के कुल मूल्य पर कमीशन के भुगतान सम्बन्धी ब्यौरा प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि विक्रेताओं को दिया गया कमीशन/रियायत राजस्व से अलग था जोकि यूएसएल समझौते से व्यतिक्रम में था और इसका परिणाम यह हुआ कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान ₹ 1352.75 करोड़ राजस्व कम बताया गया है इससे एलएफ व एसयूसी का भुगतान क्रमशः ₹ 119.59 करोड़ तथा ₹ 53.30 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक 4.01)**

4 महाराष्ट्र और गोवा और तमिलनाडु, केरल ला से क्षे

#### 4.2.2 उपभोक्ताओं को दी गई एअरटाइम छूट

वोडाफोन द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत ट्रायल बैलेंस की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को दिये गये एअरटाइम छूट और प्री-पेड उपभोक्ताओं को दिये गये प्रोमोटोकटाइम को एक राजस्व शीर्ष के नामे में डाला गया था। वर्ष के अन्त में इन शीर्षों में एक नामे शेष राशि निश्चित रूप से दिखानी चाहिये। इस प्रकार राजस्व जी एल कोड के अर्न्तगत नामे शेष मे इसका प्रभाव कुल राजस्व से अलग होगा। वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक चार वर्षों के लिये इस लेखा निष्पादन के कारण ₹ 444 करोड़ की राशि निकाल दी गई।

कम्पनी ने बताया कि पोस्टपेड एअरटाइम पर रियायत कुछ नहीं थी लेकिन उपभोक्ता द्वारा पोस्टपेड किराये के विरुद्ध उपयोग की गई राशि है। उदाहरण के रूप में यह बताया गया कि यदि एक उपभोक्ता ₹ 100 किराये के प्लान का विकल्प का चुनाव करता है और कम्पनी ₹ 100 का मुफ्त टाक टाइम पेश करती है, तब कम्पनी ₹ 100 का राजस्व किराया ₹ 100 उपयोग राजस्व और ₹ 100 एअरटाइम रियायत के रूप में बुक करेगी और राजस्व में कोई नामे में न डालेगी।

उपरोक्त उदाहरण के अनुसार ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान के अनुसार किराये के विरुद्ध पोस्ट पेड उपभोक्ता को दिया गया मुक्त एअरटाइम न्यायोचित था। ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ प्लान के अर्न्तगत प्री-पेड उपभोक्ताओं को प्रोमो टाक टाइम की राशि के लिये राजस्व शीर्ष के नामे रखना कवर नहीं किया गया तथा यह लाइसेंस समझौते के पैरा 3.2.1 (ख) के अनुरूप नहीं है। हालांकि प्रीपेड उपभोक्ताओं को दिया गया मुक्त एअर टाइम अलग नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ने दोनों को केवल एक राजस्व जी एल कोड में लेखित किया था।

#### 4.2.3 अन्य प्रचालकों को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक (आईओटी) को घटाने के कारण दिये गये रियायत/क्रेडिट पर रोमिंग राजस्व कम दिखाना

वोडाफोन के विभिन्न ला से क्षेत्र द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व को ए जी आर विवरण की मद संख्या 3 के अंतर्गत रोमिंग सेवाओं से दर्शाया गया। रोमिंग राजस्व को लेखा में शामिल करने हेतु प्रचालित विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत लेखा में शामिल राजस्व की समीक्षा पर रियायत के कारण डेबिट को प्रभावित पाया गया। ये रियायतें अंततः आकस्मिकता के प्रावधान (रोमिंग) के अंतर्गत जमा की गयी थी जो आगे अन्य प्रचालकों से प्राप्त रोमिंग कमीशन से घटायी गयी थी। 2006-07 से 2009-10 तक चार वर्षों के दौरान ₹ 242.69 करोड़ जिसकी पुष्टि प्रबंधन द्वारा की गई है, राजस्व से खर्च की गई परिशिष्ट 4.02 में विस्तृत है।

इंगित करने पर प्रबंधन ने उत्तर दिया कि रोमिंग रियायतों के कारण राजस्व पहचान ए एस-9 के अनुरूप थी, जहां राजस्व को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि " राजस्व वस्तुओं की बिक्री, सेवाएं देने और अन्य द्वारा कम्पनी के संसाधन उपयोग करने से प्राप्त ब्याज, रॉयल्टी और लाभांश से प्राप्त रोकड़ प्राप्ति योग्य अथवा बिजनेस की सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ का सकल प्रवाह है। राजस्व की गणना उपभोक्ताओं को दी गई वस्तुओं, प्रदान की गई सेवाओं पर प्रभार के रूप और उनके संसाधनों के उपयोग के लाभ में की जाती है"। इसी के अनुसार कम्पनी ने अर्न्तराष्ट्रीय प्रचालकों को अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग प्रभार पर दी गई रियायत को जीआर में शामिल नहीं किया क्योंकि इस प्रकार की रियायत राजस्व नहीं बल्कि

रोमिंग हिस्सेदारी को अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग ट्रैफिक की मात्रा पर सहमति के आधार पर दी गई रियायतें थी। इनकमिंग व आउट रोमिंग कॉल दोनों से राजस्व में दी गई/प्राप्त की गई रियायत को अलग किया गया। यह भी बताया गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा था कि रियायतों को राजस्व में जोड़ना है और कम्पनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दायर की है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को पैरा संख्या 3.2.3 में स्पष्ट किया गया है। आगे प्रबंधन द्वारा ए एस 9 के अनुसार राजस्व की पहचान के संबंध में बताया गया कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा तरीको पर नहीं परन्तु लाइसेंस फीस के उद्देश्य से लाइसेंस समझौते के अर्न्तगत राजस्व को सम्बन्धित व्यय से घटाये बिना सकल रूप में पहचानने की चुनौती देती है। यद्यपि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि रोमिंग राजस्व से अर्न्तराष्ट्रीय रोमिंग हिस्सेदारों को दी गई रियायत घटाई जोकि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

प्रबंधन द्वारा स्वीकृत राशि को ध्यान में रखते हुए एलएफ और एसयूसी क्रमशः ₹ 23.07 करोड़ तथा ₹ 10.23 करोड़ का रोमिंग छूट पर कम भुगतान किया गया। विस्तृत विवरण अनुलग्नक 4.02 में है।

#### 4.2.4 फुल पे फुल, फुल टाक टाइम इत्यादि स्कीमों के राजस्व से सेवाकर घटाये जाने के कारण जीआर को कम दिखाया गया

जब प्री-पेड कार्ड पर वैधता को रिचार्ज के माध्यम से बढ़ाया जाता है तब सम्भवतः अस्थिर उपभोक्ता आधार को बनाये रखने के लिये, उपभोक्ताओं को 'फुल पे फुल/फुल टाक टाइम' इत्यादि स्कीमों के माध्यम से, अतिरिक्त टाक टाइम दिया जाता है। कम्पनी के राजस्व पहचान नीति के तहत, रिचार्ज कूपनों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को सेवाकर निकालने के पश्चात माना गया और अगर किसी स्कीम के भाग के रूप में उपभोक्ताओं को मुफ्त एयर टाइम दिया जाता तो वह सेवाकर घटक कम्पनी द्वारा वहन किया जाता। उदाहरण के लिये, ₹ 120 के रिचार्ज में उपभोक्ता को ₹ 120 का टाक टाइम मिलता जब कि अन्य सामान्य प्लान में रिचार्ज मूल्य से सेवा कर (से क) घटक घटा लिया जाता। इस प्रकार स्पष्ट रूप से, यद्यपि पूर्ण टाक टाइम देने पर सेवाकर का दायित्व कम्पनी द्वारा वहन किया गया था।

यह देखा गया था कि (फुल पे फुल, फुल टाक टाइम इत्यादि) स्कीमों से प्राप्त राजस्व, जहाँ प्रयोक्ताओं को मुफ्त एफएटी दिया गया था, सेवाकर (से क) के दायित्व को आउटगोइंग कॉल/एसेस राजस्व से घटा दिया गया था और एफएटी के कारण राजस्व की पहचान जीआर में नहीं की जा रही थी। यह यूएसएल लाइसेंस समझौते के खण्ड 19.1 के अनुसार नहीं था। सेवाकर को राजस्व से घटाना और दी गई सेवाओं के लिये इसकी पूर्ण प्राप्ति को जीआर में नहीं शामिल करना यह भुगतान किये गये सेवाकर में कम बताये गये राजस्व के समान है और इसके परिणामस्वरूप सरकारी देयों का कम भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा जांच पर वोडाफोन प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी चुनिंदा उपभोक्ताओं को विभिन्न मार्केटिंग स्कीमों के अनुसार पूरा टाक टाइम देती है और इन स्कीमों के बारे में ट्राई को सामान्यतः सूचित किया गया था। उन मामलों में जहाँ पूरे टाक टाइम की पेशकश की जाती है, उपभोक्ता को रिचार्ज के पूरे मूल्य पर टाक टाइम मिलता है और राजस्व को, रिचार्ज के मूल्य से सेवाकर के प्रावधान रखने के पश्चात, रिकार्ड किया जाता है। उपभोक्ता को पेश किया गया टाक टाइम इन मामलों में प्रासंगिक नहीं था क्योंकि उपभोक्ता से प्राप्त राशि को लेखाओं में उसी रूप में रिकार्ड कर राजस्व में शामिल किया गया था और उस पर सेवाकर का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का विचार है कि प्रयोक्ता द्वारा प्राप्त किये गये टाक-टाइम की कीमत को काल-राजस्व के रूप में लेना चाहिये था, और यह स्वीकार करना कि राजस्व घटक को सेवाकर के प्रावधान के बाद माना गया इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सेवा कर में व्यय कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्राप्त राजस्व से सेवाकर को घटा दिया गया। इस प्रकार कम्पनी द्वारा समाविष्ट सेवा कर अलग किया गया राजस्व था क्योंकि इसे अंतिम प्रयोक्ता से वसूल किया गया था। लेखापरीक्षा चार वर्षों के दौरान 12 ला से क्षे में राजस्व डेबिट द्वारा भुगतान करके सेवा कर की राशि की पहचान कर सकती थी और यह ₹ 222.54 करोड़ बनती थी परिणाम यह हुआ एल एफ व एसयूसी का संग्रहण क्रमशः ₹ 18.45 करोड़ व ₹ 9.27 करोड़ कम हुआ (अनुलग्नक 4.03)

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा में गणना की गई कम राशि की पुष्टि की थी (दिसम्बर 2015)।

#### 4.2.5 अवसंरचना साझेदारी को पूर्ण रूप से राजस्व में शामिल न करने के कारण जीआर को कम दिखाया गया

जैसाकि पैरा 1.4 (क) में वर्णित है, जीआर अनुमत अवसंरचना साझेदारी से राजस्व और अन्य विविध राजस्व जिसमें सम्बन्धित व्यय मद को घटाया नहीं गया हो शामिल होंगे।

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि 2006-07 से 2009-10 में चार वर्षों के दौरान, वोडाफोन ने सेल साईट साझेदारी राजस्व के ₹ 807 करोड़ के इनवायस बनाये लेकिन इन वर्षों के लिये केवल ₹ 253 करोड़ की राशि एजीआर में शामिल की गई जिसके कारण जीआर ₹ 554 करोड़ कम दर्शाया गया। लेखापरीक्षा ने केवल उन्हीं ला से क्षे के राजस्व साझेदारी राशि की गणना की है जहां लेखा सिस्टम में इनवायस का ब्यौरा स्पष्ट रूप से उपलब्ध था। उन लेखों में अवसंरचना को किराये/लीज से प्राप्त आय को ओपेक्स से प्राप्त नेट राशि के रूप में दर्शाया गया था।

वोडाफोन प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2015) कि कम्पनी ने अवसंरचना सुविधाओं की साझेदारी हेतु अन्य दूरसंचार प्रचालकों के साथ व्यवस्था की है और उन सुविधाओं को चलाने और रखरखाव पर किये गये प्रचालन व्यय को वोडाफोन व अन्य प्रचालक सांझा करते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन पर लागत को वहन करना है और इसलिये अन्य प्रचालकों से प्राप्त राशि प्रचालन व्यय पर उनके द्वारा किया गया योगदान है अतः उसे राजस्व नहीं माना जा सकता। कापेक्स के कारण मिली राशि को जीआर में शामिल किया गया है। यह भी बताया गया कि टीडी सैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में माना था कि प्रतिपूर्तियों को राजस्व में शामिल नहीं करना था। टीडी सैट निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज होने के कारण यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

निम्नलिखित के दृष्टिकोण को देखते हुए प्रबन्धक का उत्तर मान्य नहीं था।

- लाइसेंस समझौते के अनुसार, जीआर अवसंरचना की अनुमत साझेदारी से राजस्व विशेष रूप से शामिल करता है, इसमें व्यय व लाइसेंस समझौते की सम्बन्धित मद के लिये किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती है, कापेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना साझेदारी राजस्व में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अतः व्यय के विरुद्ध अवसंरचना साझेदारी से राजस्व कम करना अनुमत नहीं किया जाता है। डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत व अनुरक्षण व्यय तथा विद्युत प्रभारों में राजस्व की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी क्योंकि इनका वहन इस बात का ध्यान रखे बिना कि टावर का शेयर किया गया है अथवा नहीं, करना पड़ा था। वास्तव में, व्यय को सांझा करके, कम्पनी को अतिरिक्त आय से लाभ हुआ था।

- इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया गया था कि दू वि ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की थी, जैसा कि उत्तर में संदर्भित था। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यू ए एस एल अवसंरचना साझेदारी राजस्व से ओपेक्स में कमी करके खंड 19.2 के अन्तर्गत जो अनुमत किया गया था उसके अतिरिक्त राजस्व में किसी प्रकार की रियायत अनुमत नहीं करता है जोकि यूएसएसएल समझौते के अनुरूप नहीं था।

प्रबन्धन ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित प्रकरणों में ओपेक्स प्रतिपूर्ति की राशि ₹ 514.49 करोड़ थी और प्रबन्धन एवं लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई राशि में मिलान न होने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा सेवाकर को सम्मिलित करना था। सेवाकर को शामिल करने का तथ्य स्वीकार कर लिया गया और उत्तर के विश्लेषण में यह देखा गया था कि प्रबन्धन द्वारा मानी गई राशि ₹ 21.78 करोड़ कम थी क्योंकि एक ला से क्षे (उ प्र पश्चिम) में सूचना शामिल नहीं की गई थी। इस प्रकार जीआर में आ. पेक्स की 536.27 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया गया परिणामस्वरूप एलएफ और एस यू सी का क्रमशः ₹46.90 करोड़ और ₹ 21.02 करोड़ का कम भुगतान हुआ जैसा कि **अनुलग्नक 4.04** में वर्णित है।

#### 4.2.6 जीआर/एजीआर के लिये फोरेक्स लाभ से राजस्व कम बताना

लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि कम्पनी पाँच लेखा शीर्षों के अन्तर्गत अपने लाभ/हानि का हिसाब करती थी। (चार राजस्व शीर्ष व एक व्यय शीर्ष में)। ट्रायल बैलेंस की लेखापरीक्षा संवीक्षा, लेखापरीक्षित एजीआर विवरण, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, लेखा/विवरणों में टिप्पणियाँ तथा राजस्व समाधान विवरण आदि से पता चला कि कम्पनी के भिन्न ला से क्षे ने अपने फोरेक्स लेन-देन का रिकार्ड करने में विभिन्न तरीकों का पालन किया जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया:

- केवल राजस्व समाधान विवरण में निवल लाभ अथवा हानि की राशि दर्शाई थी।
- आय की विभिन्न प्रकारों अर्थात्, विविध आय, कोई अन्य आय आदि के अन्तर्गत निवल फोरेक्स हानि एजीआर में डेबिट की थी।
- एजीआर में निवल राशि दर्शाई थी जिसमें यदि प्रकरण का सीधा प्रभाव राजस्व शेयर भुगतान पर होता।

2006-07 से 2009-10 के दौरान विविध ला से क्षे द्वारा वसूला गया विदेशी विनिमय लाभ ₹ 155.44 करोड़ था लेकिन इन वर्षों में, ये लाभ राजस्व हिस्सेदारी के लिये नहीं दिये गये थे। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मूल मूल्य के न होने पर, प्रतिवर्ष वसूले गये लाभ के अन्तर्गत मदों के वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं कर सकी। जैसाकि पैरा 3.2.5 में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने निवल लाभ पर विचार किया है, लेखा अनुसार व ला से क्षे अनुसार शीर्ष से लेखापरीक्षा के लिये यह सम्भव नहीं था कि उपलब्ध डेटा से केवल लाभ के आंकड़ों को अलग किया जाये/एकत्र किया जाये। वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि :

- विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव से आय वैचारिक प्रकृति की थी राजस्व की नहीं। लेखांकन मानक में यह वैचारिक लाभ अथवा हानि फोरेक्स उतार-चढ़ाव में अपेक्षित हैं जिनका हिसाब वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है ताकि तुलन पत्र की तारीख में कम्पनी का लाभ/हानि सही बताया जा सके। यह पुनः बताया गया है कि परामर्शदाता के कारण प्रचालन व्यय जैसे लागत अथवा क्रय की मदों उपस्कर



का क्रय अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण के सम्बन्ध में, विदेशी मुद्रा के कारण उतार-चढ़ाव राजस्व का भाग नहीं होता है, अंततः इस प्रकार के उतार-चढ़ाव के कारण लागत अथवा क्रय कीमत में वृद्धि अथवा कमी हुई और यह राजस्व से सम्बन्धित नहीं है।

- टीडी सैट (अप्रैल 2015) ने निर्णय दिया कि फोरेक्स लाभ एजीआर में शामिल नहीं किये जाने हैं। प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं था और राजस्व शेयर के लिये फोरेक्स लाभ की विवेचना पर लेखापरीक्षा का विचार इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.2.5 में बताया गया है। लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि दू वि ने अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के विरुद्ध अपील की थी। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि राजस्व के भुगतान के लिये फोरेक्स लाभ परिकलित जीआर का भाग होना चाहिये क्योंकि यह यू ए एस एल समझौते में दी गई जीआर की विस्तृत परिभाषा में आता है।

लाइसेंस शर्तों से अंतर के कारण एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः 14.19 करोड़ ₹ व 6.12 करोड़ ₹ कम हुआ। (अनुलग्नक 4.05)

#### 4.2.7 वेवर के रूप में राजस्व से डेबिट—सद्भावना वेवर, रिबेट आदि

वोडाफोन के राजस्व की समीक्षा से डेबिट का पता चला, जो कि 'एसेस फीस', मदवार बिलिंग किराया, कॉलर ट्यून किराया आदि के अंतर्गत प्राप्त राजस्व से 'वेवर' के कारण था जिससे राजस्व कम बताया गया। लेखापरीक्षा कवरेज के अन्तर्गत चार वर्षों में, ग्यारह ला से क्षे<sup>5</sup> में राजस्व से ₹ 105 करोड़ की राशि का घटाव देखा गया है।

वेवर एक प्रलोभन अथवा अनुपूरक लाभ है जो कम्पनी/सेवा प्रदाता के प्रबन्धन द्वारा ग्राहक/अभिदाता जोकि वांछित कार्रवाई अथवा व्यवहार के लिये प्रेरणाकारक साधन के रूप में कार्य करता है, को दिया जाता है। यह दरों में रियायत, देयों की प्रतिशतता के वेवर के रूप में हो सकता था। जीआर से इस प्रक्रिया में पूर्वगत राजस्व लाइसेंस करार की शर्तों से अंतर था। प्रबन्धन ने पुष्टि की (दिसम्बर 2015) कि वेवर में मात्र ₹ 7.87 करोड़ का घटाव था, लेकिन राशि के वर्ष अनुसार/ला से क्षे अनुसार विवरण लेखापरीक्षा को दिये गये थे। यह भी सूचित किया गया था कि लेखापरीक्षा में इंगित वेवर बिलिंग विवादों से सम्बन्धित थे तथा इन्हें राजस्व में नहीं जोड़ा गया था। टीडी सैट ने भी निर्णय दिया था कि यदि एक उपभोक्ता का बिल गलत बनाया जाता है, तो इस प्रकार के गलत बिलिंग के लिये दी गई रियायत बिल का संशोधन होती है और इसीलिये जीआर का भाग नहीं हो सकती है।

तर्कसंगत है कि सभी वेवर जो गलत बिलिंग के कारण थे, लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्शाये गये लेन-देन के विवरण का कोई केस बिलिंग त्रुटि का उल्लेख नहीं करता है। दूसरे लेखाओं में राजस्व से वेवर में रियायत नहीं की जानी चाहिये जैसाकि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.2.2 में बताया गया है। विभिन्न जी एल कोड से वेवर को अलग किये जाने से एल एफ व एस यू सी में क्रमशः ₹ 0.63 करोड़ तथा ₹ 0.31 करोड़ का भुगतान कम हुआ (अनुलग्नक 4.06)। वर्ष अनुसार/ला से क्षे अनुसार विवरण न होने से, लेखापरीक्षा ने ला से क्षे जहां सम्बन्धित वर्षों के लिये जीआर के लिये आनुपातिक कमी देखी गई थी, में प्रबन्धन द्वारा राशि का

5 ला से क्षे में, जी एल कोड में स्पष्ट उल्लेख है कि केवल 'वेवर' को शामिल किया गया है। इसलिये घटाई गई राशि को पूर्ण नहीं माना जा सकता है।

विभाजन करके लेखापरीक्षा ने एल एफ व एस यू सी का परिकलन किया। दू वि ₹ 97.13 करोड़ की शेष राशि के लिये पीएसपी से विवरण प्राप्त कर सकता है, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि राजस्व शेयर का भुगतान कम नहीं हुआ है।

### 4.3 सकल राजस्व में अन्य आय शामिल नहीं

ट्रायल बैलेस के साथ समाधान विवरण की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार लेखा में लेखापरीक्षित एजीआर विवरण व टिप्पणियाँ जोकि लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी तथा वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये सभी ला से के के प्राथमिक लेखांकन अभिलेखों से उनका मिलान कार्य से यह दर्शित हुआ कि कम्पनी के लेखाओं में दर्शाई गई कुछ श्रेणियों के तहत आय जीआर/एजीआर के परिकलन तथा राजस्व शेयर के भुगतान के लिये विचारित नहीं की गई थी।

यद्यपि ये राजस्व, राजस्व शेयर के भुगतान के लिये जीआर का भाग होने चाहिये, समाधान विवरण में इन्हें अलग से शामिल किया गया था, इससे राजस्व शेयर का परिहार्य भुगतान हुआ, इस प्रकार, आय अलग कर दी गई जैसाकि नीचे चर्चित है:

#### 4.3.1 ब्याज आय

वोडाफोन ने विभिन्न लेखा शीर्षों में ब्याज आय का हिसाब दिया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वोडाफोन ने वर्ष 2006-07 में जीआर/एजीआर में पूर्ण ब्याज आय शामिल की थी लेकिन 2007-08 व 2008-09 के दौरान, आय जीआर में केवल आंशिक रूप से प्राप्त की गई थी। 2009-10 में इस लेखा में आय एलएफ/एसयूसी के भुगतान के लिये बिल्कुल भी शामिल नहीं की गई थी। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान चार वर्षों में, जीआर/एजीआर में असम्मिलित ब्याज आय का हिसाब ₹ 2741.37 करोड़ बनता था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि कम्पनी का विचार था कि इंटर कारपोरेट लोन में ब्याज व लघु अवधि जमा में बैंक से ब्याज को सेवा से अर्जित राजस्व नहीं माना जा सकता है। मामला विचाराधीन था (सितम्बर 2015) क्योंकि कम्पनी ने टी डी सैट निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी (अप्रैल 2015) जिसमें कहा गया कि ब्याज आय राजस्व में जोड़नी चाहिए थी।

वोडाफोन प्रबन्धन ने स्वीकार किया था (दिसम्बर 2015) कि ₹ 2741.37 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2738 करोड़ की ब्याज आय राजस्व शेयर के लिये नहीं दी गई थी जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, प्रबन्धन ने भिन्नता का ब्यौरा आंकड़ों में नहीं दिया था जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था तथा इसकी पुष्टि कर दी थी। लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में, लाइसेंस समझौता स्पष्ट तौर पर यह प्रावधान देता है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जीआर/एजीआर हेतु ब्याज आय का समावेशन किया जाये। ₹ 2741.37 करोड़ की ब्याज आय को सम्मिलित न करने के कारण एल एफ पर प्रभाव ₹ 250.73 करोड़ था तथा एस यू सी पर प्रभाव ₹ 105.30 करोड़ था (अनुलग्नक 4.07)।

यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यूएसएल की शर्तों के अनुसार ब्याज आय कम्पनी की जीआर का भाग होना चाहिये।

### 4.3.2 स्थिर सम्पत्ति के लाभ पर प्राप्त आय जी आर में शामिल नहीं की गई

लेखापरीक्षा ने ला से क्षे अनुसार लेखा पुस्तकों से विचार किया कि वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान वोडाफोन द्वारा 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' पर विचार सम्बन्धित वर्षों में जीआर/एजीआर के परिकलन के लिये नहीं किया गया था तथा 'राजस्व समाधान विवरण' में केवल रिपोर्ट की थी। इसके अतिरिक्त, श्रेणी के अन्तर्गत बिक्री से निवल हानि आय के रूप में ली गई थी उन प्रकरणों में जहां हानि किसी वर्ष लाभ से अधिक हो गई थी वहां लाभ को जीआर में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान कुल 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' प्राप्त हुआ था लेकिन राजस्व शेयर के भुगतान के लिये विचार नहीं किया गया था जोकि ₹ 200.81 करोड़ बनता था।

वोडाफोन प्रबन्धन ने बताया कि वित्तीय में, वर्ष के दौरान बड़ी सम्पत्ति की बिक्री पर निवल लाभ अथवा हानि को एक निवल मद के रूप में दर्शाया गया था तथा यदि कोई लाभ था तो वह बड़ी सम्पत्ति की प्रकृति का था। यह भी बताया गया था कि टी डी सैट ने अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कम्पनी के विचार की पुष्टि की थी। प्रबन्धन ने पुष्टि की (दिसम्बर 2015) कि ₹ 200.76 करोड़ की राशि पर विचार नहीं किया गया था यद्यपि राजस्व शेयर भुगतान के लिये जीआर परिकलित किया गया था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, प्रबन्धन ने भिन्नता का विवरण आंकड़ों में नहीं दिया।

कम्पनी की राय स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि:

- जिस स्रोत से सम्पत्ति क्रय की गई थी, में लाइसेंस करार की शर्तों के सन्दर्भ में कोई सम्बंध नहीं है।
- लाइसेंस करार में जीआर की परिभाषा स्पष्ट तौर पर यह बताती है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जीआर/एजीआर में विविध आय का समावेशन किया जाये।
- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट निर्णय के सम्बंध में, दू वि ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की है।

यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यूएस लाइसेंस शर्तों के अनुसार स्थिर सम्पत्ति की बिक्री से लाभ जीआर का एक भाग होना चाहिये।

जीआर में स्थिर सम्पत्ति की बिक्री से लाभ पर विचार न करने से एल एफ व एस यूसी में भुगतान क्रमशः ₹ 19.45 करोड़ व ₹ 8.72 करोड़ कम हुआ (अनुलग्नक 4.08)।

### 4.4 जीआर से कम किया गया अप्राप्य ऋण

2007-08 से 2009-10 के दौरान प्रस्तुत एजीआर विवरण की समीक्षा में यह देखा गया था कि अप्राप्य ऋण के कारण रियायत का दावा किया जा रहा था और इस प्रकार की रियायत के बाद प्राप्त केवल एजीआर में राजस्व शेयर का भुगतान किया जा रहा था।

राजस्व से रियायत दी गई अप्राप्य ऋण की कुल राशि ₹ 311.91 करोड़ थी इसमें एल एफ में ₹ 29.55 करोड़ तथा एस यू सी में ₹ 13.02 करोड़ का विपरीत प्रभाव था जिसका भुगतान तीन वर्षों के लिये किया गया था (अनुलग्नक 4.09)

6 कम्पनी ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षित एजीआर विवरण, लेखों/विवरणियों में टिप्पणियां तथा राजस्व समाधान विवरण आदि।

जीआर/एजीआर की परिभाषा व्यय में रियायत जोकि बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण के कारण है, की अनुमति नहीं देती है।

प्रत्युत्तर में कम्पनी ने बताया कि:

- लाइसेंस करार के तहत अप्राप्य ऋण एजीआर में जोड़े जाने हेतु अपेक्षित नहीं है। अप्राप्य ऋण ऐसी आय दर्शाता है जो प्राप्त नहीं हुई है और जो वैचारिक प्रकृति की है तथा इसीलिये राजस्व के रूप में विचारित नहीं हो सकती है।
- टी डी सैट ने बताया था कि (अप्रैल 2015) अप्राप्य ऋण राजस्व में जोड़े जाने हैं तथा कम्पनी ने टी डी सैट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि:

- लाइसेंस करार एजीआर में प्राप्ति के लिये जीआर से अप्राप्य ऋण की रियायत नहीं देता है।
- यद्यपि कम्पनी ने टीडी सैट के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की थी तथा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेखापरीक्षा का विचार है कि चूँकि लाइसेंस करार एजीआर से अप्राप्य ऋण में रियायत देकर, जीआर से केवल तीन रियायत की अनुमति देता है जोकि लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

#### 4.5 सहायक कम्पनी को सम्पत्ति का हस्तांतरण

वोडाफोन इस्सार इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वी ई आई एल) को 2007 में वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व सहायक के रूप में निगमित किया गया था। वी ई आई एल का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार ऑपरेटरों को अवसंरचना सेवा प्रदान करना था इसमें निर्माण, निष्क्रिय अवसंरचना सम्पत्ति की लीजिंग व अनुरक्षण शामिल है। विविध न्यायिक उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित व्यवस्थाओं की योजना के अनुसार, वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड (वी ई एल) (20 अक्टूबर 2009), तथा वोडाफोन सेल्यूलर लिमिटेड (वी सी एल) (17 नवम्बर 2009), इन दोनों कम्पनियों की निष्क्रिय अवसंरचना सम्पत्ति बिना किसी विचार विमर्श के वी ई आई एल को हस्तांतरित की गई थी।

योजना की नियुक्ति तारीख अप्रैल 2009 से थी। यद्यपि दोनों कम्पनियों के लिये सम्पत्ति के हस्तांतरण की प्रभावी तारीख नवम्बर 2009 थी, वी सी एल, वी ई एल व वी ई आई एल के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 2009-10 के वार्षिक लेखे में निष्क्रिय अवसंरचना के हस्तांतरण का वित्तीय प्रभाव दिखाई नहीं दिया था।

इसके अतिरिक्त, वी ई आई एल को हस्तांतरित सम्पत्ति का पुर्नमूल्यांकन 31 मार्च 2010 को किया जाना था जैसाकि वी ई आई एल के वार्षिक प्रतिवेदन से देखा गया है। 31 मार्च 2010 को हस्तांतरित सम्पत्ति के गैर मूल्यांकन के कारण फेयर वैल्यू (पुर्नमूल्यांकन के बाद) तथा बुक वैल्यू के बीच भिन्नता का पता नहीं लगाया जा सकता था जैसाकि बी ए एल प्रकरण में था (पैरा संख्या 3.5)। ऐसा न होने पर, सम्पत्ति के हस्तांतरण में पूर्वगत लाभ जो वी ई एल व वी सी एल में उपचित हो गया था, पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण में शून्य का विचार जानबूझकर किया गया लेन-देन नहीं था।

लेखापरीक्षा विवरण के अभाव में एल एफ व एस यू सी के परिकलन में सम्पत्ति के हस्तांतरण के प्रभाव में शून्यता के विचार को ज्ञात नहीं कर सकी।

#### 4.6 राजस्व शेयर के कम भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपरोक्त मामलों में उल्लिखित है (पैरा 4.2 से 4.5) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 522.56 करोड़ व ₹ 227.29 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 915.54 करोड़ है (परिशिष्ट 4.10)। ब्याज की गणना लाइसेंस करार में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक तथा गणना के लिये विचारित अवधि मार्च 2015 तक सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज मासिक मिश्रित किया गया है।

#### 4.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर

अगस्त 2015 में वोडाफोन इंडिया द्वारा दू वि को राजस्व के हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां बताई गई थी। दू वि ने उत्तर में बताया (जनवरी 2016) कि डीलरों को कमीशन/रियायत से सम्बन्धित पैरों में इंगित किये गये के अनुसार, जीआर कम बताने के लिये मांग जोकि राजस्व से अलग की गई थी (4.2.1), उपभोक्ताओं को एयर टाइम रियायत पर जीआर कम बताई गई (4.2.2), अन्य ऑपरेटर को इंटर ऑपरेटर ट्रैफिक रियायत का भुगतान अलग करने के कारण रोमिंग राजस्व कम बताया जाना (4.2.3), पूर्ण अवसंरचना हिस्सेदारी से राजस्व के गैर समावेशन के कारण जीआर कम बताना (4.2.5), फोरेक्स लाभ से जीआर/एजीआर में राजस्व/आय के गैर समावेशन के कारण राजस्व कम बताना (4.2.6) तथा 2006-07 व 2007-08 के लिये 2012 में पीएसपी में ब्याज आय बढ़ा दी गई थी (4.3.1), 2009 में की गई विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित थी। लेकिन 2012 में टीडी सैट में ऑपरेटर द्वारा मांग पर चुनौती दी गई है। मामला विचाराधीन है। यह भी बताया गया था जब कभी भी कार्रवाई की जायेगी, न्यायालय का अंतिम निर्णय घोषित कर दिया जायेगा।

इस प्रकार, दू वि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों पर सहमत था। तथापि, इसने मामलों के विचाराधीन होने के कारण, वोडाफोन इंडिया से राजस्व वसूलने में अपनी असमर्थता बताई। इस पर विचार करते हुये कि मुकद्मेबाजी के कारण सरकारी राजस्व की वास्तविक राशि कई वर्षों के लिये अवरूद्ध हो गई है, दू वि को बहुत शीघ्र ही इन कानूनी मामलों का निपटान करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये।

सी ए जी द्वारा बताई गई राशि में विभिन्नता पर दू वि ने भी इंगित किया था तथा दू वि द्वारा की गई मांग उत्तर में विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम है। ये विभिन्नतायें राजस्व कम बताये जाने में स्वीकृत कार्यपद्धति में भिन्नताओं के कारण थी। लेखापरीक्षा ने निश्चय किया कि वह 2006-07 से 2009-10 के लिये वोडाफोन इंडिया के बही खातों में सुनिश्चित वर्णन के माध्यम से वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर पहचानी गई राशियां कम बताये। तथापि, सी ए जी लेखापरीक्षा द्वारा विशेष लेखापरीक्षकों के कार्यचालन कागजात के ब्यौरे नहीं देखे गये थे।

इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2.4 व 4.2.7 के सम्बंध में, योजनायें जैसे 'फुल पे फुल,' 'फुल टाक टाइम' आदि में राजस्व से सेवाकर अलग करने के कारण तथा राजस्व जैसे सद्भावना वेवर, छूट आदि से डेबिट के कारण जीआर कम बताने के सम्बंध में, दू वि ने बताया कि इसने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कम्पनी का उत्तर मांगा है तथा उनकी जांच के बाद कार्रवाई की जायेगी।

स्थिर सम्पत्ति की बिक्री के लाभ पर प्राप्त आय में पैरा 4.3.2 के तहत उल्लिखित लेखापरीक्षा टिप्पणी जी. आर में शामिल नहीं है, यह बताया गया था कि सात ला से क्षे के सम्बंध में मांग की गई है और ऑपरेटर को जारी करने की प्रक्रिया में है तथा शेष परिमंडलों के लिये मांग शीघ्र की जायेगी।

जीआर से अप्राप्य ऋण में रियायत पर पैरा 4.4 में, दू वि ने बताया कि सी ए जी प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अप्राप्य ऋण के कारण राजस्व तथा लाइसेंस विवरण में रियायत अनुमत नहीं की गई है। दू वि सत्यापन के समय इस प्रकार की रियायतों की अनुमति नहीं देता है तथा राशियों के इस प्रकार के दावों को मूल्यांकन के समय जीआर/एजीआर में जोड़ा जा रहा है।

निष्क्रिय अवसंरचना के स्थानांतरण से सम्बंधित पैरा (4.5), दू वि से उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी बताया कि 2002-03 में टी एस पी द्वारा जीआर व एजीआर की मूल परिभाषा को चुनौती दी गई थी। तभी से, दीर्घकालिक मुकद्मेबाजी रही है और जो आज तक जारी है। कुछ लाइसेंसधारकों ने भी विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लिखित याचिका दायर की है (2012 में) संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत लिखित क्षेत्राधिकार बताते हुये (इनवोकिंग) तथा भारतीय तार अधिनियम 1985 की धारा 4 को चुनौती दी गई है जोकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 19 (1)(छ) का उल्लंघन है। सी सी ए कार्यालयों द्वारा रियायत सत्यापन की प्रक्रिया तथा दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ मूल्यांकन कार्य इसके कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ। दू वि ने स्वीकार किया कि ऑपरेटर से देय राजस्व हिस्सेदारी के मूल्यांकन में अनगित विवाद विलम्ब का कारण रहे हैं।

दू वि का उत्तर यह प्रमाणित करता है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी रिजिम एन टी पी 1999 के भाग के रूप में शुरू किया गया था, विभाग क्रियान्वयन के 16 वर्षों से अधिक समय के बाद भी अपना देय राजस्व हिस्सेदारी वसूलने में समर्थ नहीं है जैसाकि लाइसेंस करार में बताया गया है।

## अध्याय – V

### मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड तथा मैसर्स रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी

#### 5.1 मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आर टी एल) की संक्षिप्त रूपरेखा

रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपरस प्राइवेट लिमिटेड 15 जुलाई, 2004 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित हुई थी। जुलाई-अगस्त, 2005 के दौरान कंपनी ने अपना नाम बदल कर रिलाइंस कम्यूनिकेशन वेंचरस लिमिटेड (आर सीओवीएल) किया एवं यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित हो गयी। मार्च 2006 में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन वेंचरस लिमिटेड का रिलाइंस इंफोकॉम लिमिटेड में विलय हो गया जिसने 1997 में ही मूल रूप से दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त कर लिया था तथा इसने अपना नाम बदल कर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) कर लिया। (जून, 2006)

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड 1 मार्च, 1994 को निगमित हुई थी।

##### 5.1.1 आरसीएल तथा आरटीएल को दिये गये लाइसेंस

आरआईसी ने सितम्बर, 1997 में गुजरात में आधारभूत सेवाओं (बेसिक लाइसेंस) के लिए अपना पहला लाइसेंस प्राप्त किया तथा अन्य अटठारह<sup>1</sup> लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए आधारभूत लाइसेंस (बेसिक लाइसेंस) जुलाई, 2001 में प्राप्त किए। नवम्बर, 2003 में ये आधारभूत लाइसेंस यूएसएल में परिवर्तित हो गए। इस कंपनी ने जम्मू और कश्मीर के लिए यूएसएल लाइसेंस सितंबर, 2004 में प्राप्त किया। इस प्रकार, सितंबर, 2004 तक आरसीएल (पूर्व में आरआईसी) के पास असम एवं उत्तर-पूर्व को छोड़कर बाकी सभी एलएसए में यूएसएल लाइसेंस थे। जनवरी-फरवरी, 2002 में इस कंपनी ने एनएलडी तथा आइएलडी लाइसेंस भी प्राप्त किए।

रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने दिसम्बर, 1995 (अक्टूबर, 2007 में यूएसएल में परिवर्तित) में सात<sup>2</sup> एलएसए में मूल सीएमटीएस लाइसेंस प्राप्त किए तथा सितम्बर, 2001 (अप्रैल, 2009 में यूएसएल में परिवर्तित) में कोलकाता में एक और सीएमटीएस लाइसेंस अर्जित किया। इस प्रकार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) दोनों के पास एक साथ छह एलएसए बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सीएमटीएस व यूएसएल लाइसेंस स्वामित्व में थे।

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की दोनों सहायक कंपनियों रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) और रिलाइंस वाईमैक्स लिमिटेड के पास आईएसपी लाइसेंस पर अधिकार था तथा इसकी अन्य सहायक कंपनी रिलाइंस इंफ्राटेल लिमिटेड (पूर्व में 2006-2007 में रिलाइंस टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरटीआईएल) आईपी-1 सेवाओं के लिए पंजीकृत थी।

1 आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उ. प्र. (पूर्व) उ. प्र. (पश्चिम), पश्चिम बंगाल

2 असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्व, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

### 5.1.2 आरसीएल/आरटीएल को आबंटित स्पेक्ट्रम

प्रारम्भ में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) सीडीएमए प्रचालक (ऑपरेटर) थी, जबकि रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) जीएसएम प्रचालक (ऑपरेटर) थी। 2008 में, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) ने जीएसएम स्पेक्ट्रम प्राप्त किया और रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। अतः ये दोनों कम्पनियों दोहरी तकनीक<sup>3</sup> पर सेवाएँ उपलब्ध कराती है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) को एलएसए के अनुसार आबंटित स्पैक्ट्रम की 31 मार्च, 2010 की स्थिति इस प्रकार थी:—

तालिका 5.1

रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड			
क्रम.स.	तकनीकी	स्पैक्ट्रम	लइसेंसी का सेवा क्षेत्र
1	जीएसएम	2 x 4.4 मेगाहार्टज	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाण, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुम्बई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
2	सीडीएमए	2 x 5 मेगाहार्टज	आंध्रा प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, कोलकात्ता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
3	सीडीएमए	2 x 3.75 मेगाहार्टज	गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल
4	सीडीएमए	2 x 2.5 मेगाहार्टज	हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर
रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड			
1	जीएसएम	2 x 8 मेगाहार्टज	बिहार
2	जीएसएम	2 x 6.2 मेगाहार्टज	हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोलकात्ता, उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल
3	सीडीएमए	2x2.5 मेगाहार्टज	आसाम, उत्तर पूर्व

### 5.1.3 आरसीएल/आरटीएल का उपभोक्ता आधार

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड बेतार (वायरलेस) तथा तार (वायरलाइन) दोनों सेवाएँ प्रदान करता है, जबकि रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) केवल बेतार सेवाएँ प्रदान करता है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के बेतार उपभोक्ताओं की संख्या मार्च, 2007 में 2.80 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2010 में 10.24 करोड़ तक पहुंच गई तथा इस अवधि के दौरान

3 यद्यपि रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, किन्तु इस कम्पनी ने सीडीएमए स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सेवाएँ प्रदान नहीं की।



रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के तार (वायरलाईन) उपभोक्ताओं की संख्या 0.06 करोड़ से बढ़कर 0.12 करोड़ तक पहुंच गई। मार्च, 2007 में रिलाइंस समूह की बाजार में हिस्सेदारी 14% थी, जो मार्च, 2010 तक बढ़कर 17% तक पहुंच गई।

#### 5.1.4 आरसीएल/आरटीएल द्वारा बताया गया सकल राजस्व(जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) एवं भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी

जैसा कि पैरा 1.5 में उल्लेख किया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक तिमाही में स्वयं मूल्यांकन के आधार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत पर लाइसेंस शुल्क एवं एसयूसी का भुगतान करना होता है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के सकल राजस्व, कटौतियों एवं समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2

रु. करोड़ में

वर्ष	जीआर	कटौतिया	एजीआर	जीआर से एजीआर का प्रतिशत	राजस्व हिस्सेदारी (एलएफ + एसयूसी)
2006-07	14264	4229	10035	70.35	1043
2007-08	16997	5158	11839	69.65	1229
2008-09	17507	5557	11950	68.26	1249
2009-10	17392	6000	11392	65.50	1163
<b>कुल</b>	<b>66160</b>	<b>20944</b>	<b>45216</b>	<b>68.34</b>	<b>4684</b>

#### 5.1.5 आरसीएल एवं इसकी सहायक कंपनी आरसीआईएल के बीच मूल्य सवर्द्धित सेवाओं, विक्रय/विपणन और बिलिंग की व्यवस्था

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) तथा इसकी सहायक कंपनी रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने अपना व्यापार करने के लिए मूल्य सवर्द्धित सेवाओं (वी ए एस) तथा विक्रय/विपणन अनुबंध में प्रविष्टि की जिसका विवरण निम्नलिखित है।

##### i) मूल्य सवर्द्धित सेवा (वी ए एस) अनुबंध

रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (आरसीआईएल) एक सहायक कंपनी है, जिसके पास 'ए' श्रेणी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता (आईएसपी) लाइसेंस है एवं यह कंपनी आर कनेक्ट, आर वर्ल्ड, रिलाइंस वर्ल्ड, 1234, 2345 और एसएमएस कंटेंट सेवाये (सर्विसिज) जैसे ब्रांड नाम से इंटरनेट, विविध एप्लीकेशन, कंटेंट एवं अन्य संबद्ध सेवाए प्रदान कर रही है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)(यूएस लाइसेंस धारी) और रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने अप्रैल, 2006 में तीन वर्ष के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तथा बाद में इसे मार्च, 2012 तक बढ़ा दिया गया।

इस अनुबंध के अनुसार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) को उपरोक्त सभी सेवाएँ रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के ग्राहकों को उपलब्ध करानी थी तथा रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) इन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए आवश्यक एसेस सेवाएँ प्रदान करेगा।

‘आर कनेक्ट’ एक इंटरनेट सेवा है तथा यह सेवा डाइल-अप के माध्यम से रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। अनुबंध के अनुसार, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) और रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) को ‘आर कनेक्ट’ सेवाओं के लिए राजस्व में भागीदारी करनी थी।

‘आर वर्ल्ड’ मोबाइल टीवी, विडियो, गेम्स, क्रिकेट अपडेट, म्यूजिक एवं रिंग टोन इत्यादि एप्लीकेशन और कंटेंट को एक ही जगह (वन स्टॉप शाप) पर उपलब्ध कराता है। अनुबंध के अनुसार, एप्लीकेशन और कंटेंट सेवाओं (एसएमएस अथवा एमएमएस पर आधारित एप्लीकेशन और कंटेंट सेवाएँ सहित) के लिए रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) एवं रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) के बीच राजस्व में भागीदारी होनी थी।

## ii) विक्रय एवं विपणन अनुबंध

अक्टूबर, 2004 में रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) ने रिलाइंस इंफोकॉम लिमिटेड (बाद में रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड) के साथ विक्रय और विपणन अनुबंध भी किया तथा यह अनुबंध सितम्बर 2007 तक वैध रहा। इसके उपरान्त अक्टूबर, 2007 में दोनों कम्पनियों ने (आरसीआईएल व आरसीएल के मध्य) इस अनुबंध का तीन वर्षों की अवधि के लिए फिर से नवीकरण किया।

अनुबंध की धारा I में ‘व्यापार’(बिजनेस) शब्द को परिभाषित किया गया है। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) द्वारा पेश की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं से सम्बन्धित विविध टैरिफ प्लान व सेवाएँ जिनमें फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल/फिक्स्ड वायरलैस फोन इत्यादि एवं समय-समय पर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सेवाएँ शामिल हैं से आर सी एल के विपणन का मतलब है।

खण्ड 2.3 में उल्लेख है कि रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) सेवाओं का विपणन करते समय, रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की टैरिफ योजनाओं को अन्य उत्पादों अथवा सेवाओं (जो उपयुक्त हों) के साथ मिलाने जैसा इसे ठीक बैठे एवं ग्राहकों को समिश्रित योजनाएँ उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र होगी।

खण्ड 2.4 में उल्लेख है कि यदि आवश्यक हो, तो रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) योजनाओं और सेवाओं में संवर्द्धन के लिए वितरकों, खुदरा व्यापारियों अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध कर सकता है।

खण्ड 2.8 के अनुसार, बताए गए अनुबंध में रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में शामिल नहीं है तथा किसी भी स्थिति में वह रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की सेवाओं का पुनः विक्रय नहीं करेगा।

खण्ड 3.9 के अंतर्गत, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआइएल) रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) की तरफ से बिल बनायेगा एवं आरसीएल के ग्राहकों से बकाया राशि की वसूली करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआइएल) समय-समय पर रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशानुसार आवश्यक अवसंरचना तथा सभी बिलिंग एवं अन्य साफ्टवेयर की स्थापना व अधिप्राप्ति करेगा एवं उपलब्ध करायेगा।

विपणन, बिलिंग एवं वसूली के लिये शुल्क का अनुबंध के खण्ड 7.1 और खण्ड 7.2 में विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार यद्यपि इस व्यवस्था से आर सी एल ने निर्धारित न किये जाने वाला पर्याप्त राजस्व का भाग प्रभावी तरीके से दूसरे मार्ग द्वारा अपनी सहायक कम्पनी को पहुँचा दिया जिससे इस दूसरे मार्ग से भेजे गये राजस्व पर एलएफ व एसयूसी के भुगतान से बच सका।

## 5.2 रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) के खातों की किताबों में सकल राजस्व को कम बताना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लेख है, सकल राजस्व में यहाँ बतायी सभी राजस्व व्यय से संबंधित मद से कुछ भी छोड़े (सेट-आफ) बिना शामिल होंगे तथा जैसा कि पैरा 1.5 बताया गया है कि सेवा राजस्व (बिल के योग्य धनराशि) सकल रूप में दिखाया जाएगा एवं छूट/रिवेट के विवरण को अलग से दर्शाया जाएगा।

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल)/रिलाइंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरटीएल) एवं इनसे सम्बन्धित सहायक कम्पनियों के अभिलेखों/लेखों की किताबों की लेखापरीक्षा से जानकारी मिली कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया इसका विवरण आगामी पैराग्राफों में है।

### 5.2.1 आरसीएल/आरटीएल द्वारा प्रीपेड सेवाओं के राजस्व को फ्री एयर टाइम/कमीशन को छोड़कर दर्ज किया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये आरसीएल/आरटीएल के अभिलेखों/खातों की किताबों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि :

- ग्राहकों को प्रदान किये गए फ्री एयर टाइम (फेट) को वित्तीय प्रणाली में बिल्कुल भी लेखित नहीं किया गया
- हिसाब में लिया गया राजस्व वितरकों/अभिकर्ताओं को दिए गए कमीशन से घटाकर नेट दिखाया गया था जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि

- टैरिफ का अर्थ रेंटल, जमा, स्थापना शुल्क, मुफ्त काल यूसेज प्रभार तथा अन्य संबंधित शुल्क अथवा सेवा प्रभार के संबंध में संबंधित दरो व शर्तों से है। यह दर्शाता है कि जब किसी टैरिफ की शुरुआत की जाती है, तब यह आवश्यक होता है कि टैरिफ में मुफ्त मिनटों का विवरण शामिल हो। चूंकि मुफ्त मिनटों से प्रभार वसूला नहीं जाता है और इसको बिल में भी शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इन मुफ्त मिनटों को राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है। कम्पनी को इन फ्री मिनटों से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। अतः किसी प्रकार के राजस्व/व्यापार संवर्धन व्यय का प्रश्न नहीं उठता है।

- फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम डिस्काउंट एवं रिबेट की प्रकृति के नहीं था। अतः इनको लेखा में दर्शाने अथवा बताने की आवश्यकता नहीं थी। यह सेवा ग्राहकों के लिए मुफ्त है तथा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम से राजस्व प्राप्त नहीं होता है। अतः इसको रिबेट/डिस्काउंट की तरह नहीं माना जा सकता है।
- चूकि (फ्री) मिनट ग्राहको को मुफ्त में दी जाती है, अतः इन्हे चार्ज के लिये बिलिंग साइकल से निकाल दिया गया था।
- फ्री टाक टाइम/फ्री एयर आइम के मूल्य पर विचार करना उचित नहीं था। टीडीएसएटी ने भी दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अपने निर्णय सुस्पष्ट किया कि अंतर्वाह (इनफलो) वास्तविक होना चाहिए एवं आय अनुमानित नहीं होनी चाहिए।
- इस मामले में कम्पनी का वास्तविक अंतर्वाह (इनफलो) एवं कम्पनी को कोई मूल्य अर्जित नहीं हुआ था। अतः ग्राहको के बिल में मुफ्त मिनटों को शामिल न करना न्यायोचित था।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कम्पनी द्वारा सौंपे गए टैरिफ प्लान से अधिक या ज्यादा फ्री टाक टाइम/फ्री एयर टाइम व्यापार प्रचार गतिविधि था इन प्रस्तावों की कीमत खर्चा के बराबर होगी। आगे यूएसएल अनुबंध के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए, सेवा राजस्व को बिना कुछ छोड़े (सेट-आफ) सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए। यह खातों की किताबों में अलग से शामिल होना चाहिए तथा इसको 'मीडिएशन लेवल'<sup>4</sup> पर निकाला नहीं जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई, 2015 में दूरसंचार विभाग (डाट) ने प्रबंधन द्वारा उनके उत्तर में संदर्भित टीडीएसएटी निर्णय दिनांक 23 जुलाई, 2015 को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। लेखा परीक्षा का तर्क था कि मीडिएशन लेवल पर फ्री टाक टाइम का अपने आप निकाला जाना एवं खातों की किताबों में इनको न दिखाना लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।
- इसी प्रकार वितरकों/अभिकर्ताओं को दिए गए कमीशन को छोड़ देना (नेटिंग ऑफ) भी अनुबंध का उल्लंघन था।

यद्यपि दूरसंचार विभाग (डाट) को वार्षिक रिपोर्ट के नोट्स/अनुसूचियों के माध्यम से आरसीएल/आरटीएल के लेखाकरण की जानकारी थी, फिर भी दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में अधिदेशित नियमों के अनुसार, कम्पनी को सकल राजस्व की प्रस्तुति के लिए राजी करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

---

4 मीडिएशन डिवाइस दूरसंचार नेटवर्क का हिस्सा होती है। जो कि डिवाइस प्रोसेस प्राप्त करता है, रिफॉर्मेट करता है एवं अन्य नेटवर्क इलैमेंट के बीच अन्य फोरमेट में सूचनाएं भेजता है। सामान्यतः इसका प्रयोग बिलिंग एवं कस्टमर केयर सिस्टम में किया जाता है।

## 5.2.2 आरसीएल द्वारा राजस्व, इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) को प्रदत्त कमीशन को घटाने के बाद बुक किया तथा आरसीएल के लेखा के स्थान पर इसकी सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के खातों की किताबों में राजस्व को दर्ज किया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलाइंस कम्यूनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) जिसने 'ए' श्रेणी का आईएसपी लाइसेंस प्राप्त किया। जैसा कि पैरा 5.1.5 में निहित है आरसीएल व आरसीआईएल ने आर सी एल के उपभोक्ताओं को मूल्य संवर्द्धित सेवाएँ (वैस) प्रदान कराने एवं आरसीआईएल द्वारा आरसीएल के उत्पादों की बिक्री/विपणन के लिए अनुबंध किया। इस अनुबंध के परिणामस्वरूप, मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के प्राप्त राजस्व आरसीआईएल के बही खातों में दर्ज हो रहा था एवं कुल राजस्व का कुछ भाग ही आरसीएल तक पहुँच रहा था। इस व्यवस्था से, आरसीएल ने अपने ग्राहकों से मूल्य संवर्द्धित सेवाओं से अर्जित सकल राजस्व पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करके आरसीआईएल द्वारा भेजे गये राजस्व के हिस्से पर ही केवल लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया। जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था।

सीडीएमए तकनीक पर कार्यरत हैंडसेटों की बिक्री से अर्जित राजस्व भी दूरसंचार सेवा से अलग नहीं कहा जा सकता है, आवश्यक दूरसंचार सेवाएँ जैसे ग्राहकों से प्राप्त सबसक्राइबर आईडेन्टिटी माड्यूल (सिम) कार्ड व अभिदाता से प्राप्त इंस्टालेशन प्रभार को आरसीआईएल के खातों की किताबों में बुक किया गया, आरसीएल की सहायक कम्पनी (आरसीआईएल) के साथ इस व्यवस्था के कारण सकल राजस्व ₹ 5594.63 करोड़ कम आंका गया है। आरसीएल के खातों में बुक न करके आरसीआईएल के खातों में बुक की गई आय का प्रभाजन यूएस लाइसेंसधारियों के बीच सकल राजस्व के प्रतिशत के आधार पर किया गया। यह प्रभाजन संबंधित सेवा क्षेत्रों पर लागू दरों के आधार पर लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का भुगतान कम अथवा न होने के प्रभाव (इम्पैक्ट) की गणना करने के लिए किया गया है। लेखापरीक्षा ने विचारा कि यह राजस्व हिस्सेदारी को कम बताने को निर्धारित करने की यह अति योग्य व अनुदारवादी विधि होगी।

विवरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया जा रहा है :-

**(ए) आरसीएल ने अपनी सेवाओं के विक्रय एवं विपणन के लिए आरसीआईएल को भुगतान किए गए कमीशन/छूट को जीआर/एजीआर की गणना करने के लिए राजस्व से हटाया (नेटेटेड आफ)**

आरसीएल तथा आरसीआईएल के बीच विपणन अनुबंध के अनुसार, आरसीआईएल अभिकर्ता था व आरसीएल के उत्पादों की बिक्री करने के लिए अधिकृत था। अनुबंध के अनुसार, आरसीएल समय-समय पर आपसी सहमति के अनुरूप निर्धारित दरों पर प्रीपेड वाउचर आरसीआईएल को बेचेगा तथा आरसीआईएल इनको नेट मूल्य पर उन्हें अपने वितरकों को बेचेगा।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये आरसीआईएल के खातों की किताबों से पाया गया कि आरसीआईएल ने आरसीएल से उसके उत्पाद बेचने के लिए रु 1170.51 करोड़ की राशि छुट अथवा कमीशन के रूप में प्राप्त की एवं इस राशि को बिलिंग आय में दर्शाया गया था। जो आरसीआईएल को

वितरकों के कमीशन के भुगतान के बदले में दिया गया था। तथापि आरसीएल ने प्रीपेड कार्डों की बिक्री पर आरसीआईएल को भुगतान किए गए कमीशन/छूट को छोड़ दिया तथा निवल उगाही मूल्य को ही राजस्व के रूप में शामिल किया जिसे समायोजित सकल राजस्व के लिए विचारित किया गया था।

आरसीएल ने प्रीपेड उत्पादों (सिम कार्ड/रिचार्ज वाउचर) की बिक्री के लिए वितरकों/एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन/छूट की कीमत को व्यापार व्यय के रूप में माना था तथा प्रीपेड कार्डों के सकल मूल्य अर्थात् ऑपरेटर (आरसीएल) द्वारा प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं के मूल्य को बिना घटाये (सेट आफ) राजस्व में शामिल होने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने यह उत्तर दिया था कि:

- यह व्यवस्था प्रिंसीपल टू प्रिंसीपल सिद्धांत पर थी। बिल अनुबंधित मूल्य पर वितरकों को जारी किए जाते थे तथा इसी को राजस्व माना जाता है।
- समायोजित सकल राजस्व में प्रीपेड वाउचरों पर छूट के रूप में अनुमानित आय का समावेशन तर्कसंगत नहीं है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में केवल उगाही मूल्य पर ही विचार होना है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि

- विपणन अनुबंध के अन्तर्गत आरसीआईएल आरसीएल का अभिकर्ता है तथा अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि आरसीआईएल को दूरसंचार सेवा प्रदाता नहीं माना जाएगा एवं किसी भी परिस्थिति में आरसीआईएल आरसीएल की सेवाओं का पुनर्विक्रेता नहीं होगा। आरसीआईएल और आरसीएल के बीच का लेन-देन कम्पनी की तरफ से वितरक की भूमिका वाला होगा। जैसा कि पैरा 3.2.1 (ए) प्रावधानों के स्पष्टीकरण के अनुसार इनके बीच सम्बन्ध 'प्रिंसीपल टू एजेंट' सिद्धांत पर आधारित अर्थ में होगा।
- प्रीपेड वाउचर पर छूट का भुगतान वैचारिक आय नहीं था जैसा कि प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया था। भुगतान की गई छूट विपणन व्यय था।

मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है लेखापरीक्षा की सोच है कि आर सी आई एल के प्रीपेड कार्ड की बिक्री पर भुगतान किया गया कमीशन/छूट यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के विरुद्ध था। अतः वर्ष 2006-07 व 2009-10 के लिये आरसीएल की जीआर/एजीआर ₹ 1170.51 करोड़ कम बतायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 106.88 करोड़ एवं ₹ 30.88 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 5.01)

**(बी) आरसीएल के जीआर/एजीआर में आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सेवा के राजस्व को सकल मूल्य वावत् विचार नहीं करना।**

जैसा पैरा 1.4(ए) में उल्लेख है कि सकल राजस्व में मूल्य संवर्द्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व एवं उसमें शामिल यहाँ बताये अन्य राजस्व संबंधित व्यय की मदों के लिए छोड़ी गई (सेट आफ) राशि के बिना शामिल होंगे।

आरसीएल यूनिवर्सल एसेस सर्विस लाइसेंस (यूएसएल) के अन्तर्गत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करता है। आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली आईएसपी लाइसेंसधारी कम्पनी आरसीआईएल इंटरनेट, विविध कंटेंट, एवं अन्य सहायक सेवाएँ 'आर कनेक्ट', 'आर वर्ल्ड', 'रिलाइंस वर्ल्ड', '1234', '2345' के ब्रांड नाम से और 'एसएमएस कंटेंट सर्विसिज' प्रदान करती थी। पैरा 5.1.5 में उल्लेख है कि आरसीएल एवं आरसीआईएल ने आरसीएल ग्राहकों को मूल्य संवर्द्धित सेवाएँ (वैस) उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया।

आरसीआईएल और आरसीएल के खातों की किताबों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया था कि ₹ 1273.45 की धनराशि वाली मूल्य संवर्द्धित सेवाओं (आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सर्विसिज) के कारण आरसीएल के ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को आरसीआईएल के खातों में बुक किया गया तथा आरसीएल को केवल एक हिस्सा अर्थात् ₹ 265.58 करोड़ मात्र दिया गया था। अतः मात्र ₹ 265.58 करोड़ की धनराशि को राजस्व हिस्सेदारी के लिए आरसीएल के सकल राजस्व/समायोजित सकल राजस्व में विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि वैस (आर वर्ल्ड और कंटेंट एसएमएस) प्रदाता न तो विनियमित है और न ही उन्हें लाइसेंस प्राप्त है। वे मुख्यतः मोबाइल नेटवर्क में माध्यम सहभागी (चैनल पार्टनर) की भूमिका निभाते हैं। आरसीआईएल ने आरसीएल को सुसंगत एक्सेस चार्ज का भुगतान किया है एवं इस पर आरसीएल ने पहले ही लाइसेंस फीस का भुगतान किया है। अतः अतिरिक्त लाइसेंस फीस का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर वर्ल्ड एवं एसएमएस कंटेंट सर्विसेज मूल्यवर्धित सेवाओं के विविध वन्डल हैं जो कि एसएमएस, आवाज (वाइस) इत्यादि से अलग हैं जब कंटेंट इंटरनेट के माध्यम से न भेजकर एसएमएस, आवाज (वाइस) इत्यादि के माध्यम से भेजा जाता है, तो उस समय यह सेवा आरसीआईएल के आईएसपी लाइसेंस के दायरे में नहीं आती है। ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवा केवल यूएस/सीएमटीएस लाइसेंसी द्वारा प्रदान की जा सकती है। अतः मूल्य संवर्द्धित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्त सकल राजस्व आरसीएल के लेखा में बुक होना चाहिए तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए सकल राजस्व में शामिल किया जाना चाहिए। मूल्य संवर्द्धित सेवा (वैस) कंटेंट सेवा प्रदाता होने के कारण, आरसीआईएल को देय कोई धनराशि आरसीएल के लेखा में व्यय प्रभारित (चार्ज) होनी चाहिए।

अतः आरसीएल द्वारा ₹ 1007.87 करोड़ (₹ 1273.45 – ₹ 265.58) के राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिए था।

इससे लाइसेंस फीस व एस यू सी का क्रमशः ₹ 91.99 करोड़ एवं ₹ 26.76 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.02)

### **(सी) आरसीएल द्वारा जीआर/ एजीआर की गणना के लिए कालर रिंग बैंक टोन से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना**

कालर रिंग बैंक टोन (सीआरबीटी) एक प्रकार की मूल्य संवर्द्धित सेवा (वैस) है जिसे आरसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की थी तथा इस सेवा की जानकारी भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (मई 2006) में दी गई। जैसाकि उपरोक्त पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि मूल्य संवर्द्धित सेवाओं (वैस) से प्राप्त राजस्व जीआर/एजीआर में शामिल होना चाहिए।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल और आरसीआईएल के खातों की किताबों की संवीक्षा/छानबीन में यह पाया गया कि सीआरबीटी से सम्बन्धित रु 540.84 करोड़ के राजस्व को आरसीआईएल के खातों की किताबों में बुक किया गया था। सीआरबीटी के राजस्व को आरसीएल के खातों की किताबों में बुक नहीं किया गया। इस प्रकार आरसीएल के खातों में रु 540.84 करोड़ लेखांकन नहीं करने के कारण जीआर/एजीआर को कम बताया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि आरसीएल ने अपने ग्राहकों के लिए मई, 2006 में सीआरबीटी सेवा की शुरुआत एक महीने के लिए प्रचार के आधार पर की थी। जब इस सेवा की शुरुआत वाणिज्यक आधार पर हुई, उस समय आरसीआईएल यह मूल्यवर्धित सेवा/कंटेंट सर्विसिज (आर वाल्ड सेवाएँ) के अन्तर्गत प्रदान करता था। आरसी आईएल एक अलग विधिक इकाई के रूप में स्वचलित आधार पर कंटेंट सेवाएँ प्रदान कर रहा था। कंटेंट सर्विसिज उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सी आर बी टी एक मूल्यवर्धित सेवा है जिसे एस एम एस व आवाज आदि पर प्रदान किया जाता है एवं लेखा परीक्षा का विचार है कि यह केवल यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंस द्वारा प्रदान की जा सकती है इस प्रकार सी आर बी टी (वैस) से प्राप्त राजस्व, राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये सकल राजस्व में शामिल होना चाहिए।

अतः आरसीएल को सीआरबीटी से प्राप्त ₹ 540.84 करोड़ के राजस्व को सकल राजस्व (जीआर)/समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में शामिल करना चाहिए था। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः ₹ 49.34 करोड़ व ₹ 14.40 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा है। (अनुलग्नक 5.03)

### **(डी) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना**

जैसा कि पैरा 5.1.5 में पहले कहा गया है, आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आर सी आई एल जिसके पास श्रेणी 'ए' आईएसपी लाइसेंस था, उसने (आरसीआईएल) अपने उत्पादों के विक्रय/विपणन के लिए आरसीएल के साथ अनुबंध किया।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल व आरसीआईएल के लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सब्सक्राइबर आडेन्टिटी मॉड्यूल (सिम) की बिक्री से प्राप्त ₹ 103.17 करोड़ के राजस्व को आरसीआईएल के वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लेखों में बुक किया गया था।

सिम कार्ड दूरसंचार सेवाओं का अभिन्न अंग है इसके अभाव में दूरसंचार सेवा शुरू नहीं की जा सकती है। यूएस लाइसेंसधारी द्वारा सिम कार्डों को सेवा प्रदान करने से अलग करके वस्तु के रूप में नहीं बेच सकता है। सिम कार्ड का स्वयं का सेवा के अभाव में शायद ही कोई कीमत होगी। इसके अतिरिक्त, आरसीआईएल एवं आरसीएल के बीच विक्रय एवं विपणन अनुबंध की शर्तों में भी आरसीआईएल दूरसंचार सेवा प्रदाता नहीं है तथा किसी भी परिस्थिति में आरसीआईएल, आरसीएल की सेवाओं का पुनः विक्रय नहीं करेगा।

आइडिया मोबाइल कंम्यूनिकेशन लिमिटेड बनाम आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, कोचीन की अपील पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04 अगस्त, 2011 को अपने निर्णय में कहा कि सेल्युलर कम्पनी



द्वारा ग्राहकों को सिम कार्ड की बिक्री से प्राप्त राशि सेवाकर की उगाही के लिए करयोग्य राशि में शामिल होगी क्योंकि सिम कार्ड कभी भी सेवाओं से अलग करके स्वतन्त्र वस्तु के रूप में नहीं बेचे जा सकते थे। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, बेचे गए सिम कार्डों के मूल्य को आरसीएल जो कि दूरसंचार सेवा प्रदाता था की सहायक एवं आईएसपी लाइसेंसधारी कम्पनी आरसीआईएल के सकल राजस्व में शामिल न करके आरसीएल के सकल राजस्व में शामिल करना चाहिए।

इससे लाइसेंस फीस व एस यू सी का क्रमशः ₹ 9.40 करोड़ व ₹ 2.69 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा है। **(अनुलग्नक 5.04)**

इस सम्बन्ध में कम्पनी को जारी (मई 2015) लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रत्युत्तर प्रतिक्षित (जनवरी 2016) था।

### **(इ) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिए हैंडसेट्स की बिक्री से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना**

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लिखित है, सकल राजस्व में हैंडसेट्स (अथवा अन्य कोई टर्मिनल इक्यूपमेंट इत्यादि) की बिक्री से प्राप्त लाभ के साथ-साथ बताया गया अन्य राजस्व व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट-आफ) शामिल होंगे।

जैसा कि पैरा 5.1.5 में कहा गया है, आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी आर सी आई एल जिसके पास श्रेणी 'ए' आईएसपी लाइसेंस था उसने (आरसीआईएल) अपने उत्पादों के विक्रय/विपणन के लिए आरसीएल के साथ अनुबंध किया था।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल व आरसीआईएल के लेखा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सीडीएम हैंडसेट्स की बिक्री से प्राप्त ₹ 2523.95 करोड़ की धनराशि के राजस्व को आरसीआईएल के वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लेखा में बुक किया गया। हैंडसेट्स की बिक्री के कारण प्राप्त राजस्व को आरसीएल में बुक नहीं किया गया।

अप्रैल/जून, 2006 के दौरान ट्राई को सौंपी गई टैरिफ योजनाओं में यह देखा गया कि आरसीएल ने कुछ चुनिंदा हैंडसेट्स (सीडीएमए) मॉडल पर प्रीपेड ग्राहकों को बोनस टाकटाइम उपहारस्वरूप उपलब्ध कराया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006, 2007 और 2009 के दौरान कम्पनी के आन्तरिक पत्राचार ने दर्शाया कि आरसीएल ने उपहारस्वरूप दी गई योजना के साथ हैंडसेट्स भी शामिल थे।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :-

- आरसीएल हैंडसेट्स विक्रय के व्यापार में नहीं था। आरसीआईएल द्वारा सभी बिक्रिया किसी ग्राहको के माध्यम से न होकर उनके वितरकों/डीलरो के माध्यम की गयी थी।
- आरसीआईएल द्वारा वितरक/डीलरो को फ्री मिनट नहीं दिये है। आरसीएल ने उपभोक्ताओ द्वारा सेवा शुरू करने पर प्रचार प्रस्ताव (प्रमोशन आफर) के तौर पर प्रचार मिनटें (प्रमेशनल मिनट्स) प्रदान किये है क्योंकि ये मिनटें मुफ्त होती है, अतः आरसीएल को इनसे कोई राजस्व उपार्जित नहीं होता है।
- हैंडसेटों की बिक्री हेतु किसी दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आरसीआईएल ने

आरसीएल के साथ हैंडसेटों के राजस्व में कोई हिस्सेदारी नहीं की है, इसलिए आरसीएल ने बंडलिंग (दूरसंचार सेवाओं को हैंडसेट के साथ उपलब्ध कराना) नहीं की थी।

- टीडीएसएटी के अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, 'दूरसंचार सेवाओं की बंडलिंग का अर्थ यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति कम्पनी से क्रय करता है, तो कम्पनी सेवाओं में रियायत देगी अथवा मासिक रेंटल (किराया) को कम करेगी'।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारी उन कार्यों को न करे, जिनके लिए दूरसंचार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा वे इन कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को हस्तांतरित करेंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि :-

- यद्यपि आरसीआईएल आरसीएल की तरफ से हैंडसेट्स की बिक्री इनके बीच हुये आपसी अनुबंध के अनुसार करता है, फिर भी सीडीएमए तकनीक के अन्तर्गत सेवाएँ उपलब्ध करना स्वतंत्र गतिविधि नहीं थी, बल्कि यूएस लाइसेंस के अंतर्गत दूरसंचार गतिविधि का अभिन्न अंग (इन्टीग्रल पार्ट) थी। अतः आरसीआईएल व इसका धारण करने वाली (होल्लिंग) कम्पनी आर सी एल के बीच हुए विक्रय एवं विपणन अनुबंध का सहारा लेकर किए गए हैंडसेटों (सीडीएमए) के बिक्री को लाइसेंस रहित स्वतंत्र गतिविधि नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार हैंडसेट की बिक्री से प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व, राजस्व के लिए विचारित होना चाहिए।
- आरसीएल ने ग्राहकों/वितरकों को विभिन्न रियायतें प्रदान की तथा सेवाओं को एकीकृत (बंडल) किया तथा विपणन अनुबंध के अनुसार आरसीआईएल आरसीएल की तरफ से केवल हैंडसेटों की बिक्री कर रहा है।
- लेखा परीक्षा यह नहीं कहता है कि हैंडसेट की बिक्री लाइसेंस गतिविधि थी किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है कि सी डी एम ए तकनीक में हैंडसेट की बिक्री व सेवा का प्रतिपादन हमेशा साथ रहने वाला (अभियोज्य) था।
- अक्टूबर 2011 में उच्चतम न्यायालय ने टीडीएसएटी के अगस्त, 2007 निर्णय को खारिज कर दिया।

अतः हैंडसेटों (सीडीएमए) की बिक्री से प्राप्त रु 2523.95 के राजस्व को आरसीएल के जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिए। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः रु 231.64 करोड़ एवं ₹ 64.51 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। **(अनुलग्नक 5.05)**

**(एफ) आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये अभिदाताओं के परिसर में फिकस्ड वायरलेस टेलिफोन/टर्मिनल (एफडब्ल्यूपी/टी) के स्थापना प्रभार से प्राप्त राजस्व को शामिल न करना**

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में उल्लिखित है, सकल राजस्व में व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट-आफ) यहाँ बताये अन्य राजस्व के साथ-साथ स्थापना प्रभार शामिल होगा।

2006-2007 से 2009-10 की अवधि के आरसीएल तथा आरसीआईएल के खातों की किताबों की संवीक्षा

में यह देखा गया कि अभिदाताओं के परिसर में एफडब्ल्यूपी/टी के स्थापना प्रभार के कारण रु 249.29 करोड़ की धनराशि के राजस्व को आरसीआईएल के लेखा में दर्ज किया गया।

एफडब्ल्यूपी/टी यन्त्र (इंस्ट्र्यूमेंट) आरसीएल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिये अभिन्न (इन्टीग्रल) थे। आरसीएलयूएस लाइसेंस था इसलिये अभिदाताओं से प्राप्त इंस्ट्र्यूमेंट की कीमत स्थापना व अपफ्रन्ट प्रभार से प्राप्त संबंधित राजस्व ₹ 248.29 करोड़ आरसीएल के सकल राजस्व का भाग होना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :

- आरसीएल ने एफडब्ल्यूपी/टी स्थापना सेवाए प्रदान कराने के लिए आरसीआईएल के साथ अनुबंध किया था। आरसीआईएल अभिदाताओं की परिसर में यन्त्रों (इंस्ट्र्यूमेंट) को लगाने (इंस्टालेशन) की सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस सेवा के लिए आरसीआईएल ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप में धनराशि प्राप्त करता है। यह आरसीआईएल द्वारा अपने जोखिम पर किया जाता था। इसलिए, इस गतिविधि से आने वाले राजस्व सही तरीके से आरसीआईएल से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति उदाहरणार्थ जिसके पास कोई टेलिकाम लाइसेंस नहीं है वह व्यक्ति भी इंस्टालेशन का कार्य कर सकता है। मई, 2010 में टीडीएसएटी ने अपना निर्णय दिया था कि स्थापना का कार्य करने वाले व्यक्ति को स्थापना प्रभार (चार्ज) वापिस दे दिया जाता है। अतः यह प्रभार एजीआर के दायरे में नहीं आयेगा।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारी को यह छूट थी कि वह उन कार्यों को न करे, जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है :-

- रिलाइंस इंफोकाम लिमिटेड (आरआईसी) द्वारा आरसीआईएल को लिखे गए पत्र दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से स्पष्ट है कि एफडब्ल्यूपी/टी आरआईसी (बाद में परिवर्तित होकर आरसीएल) की सम्पत्ति हैं तथा आरआईसी ने अभिदाताओं की परिसर में इनको लगाने (इंस्टाल) के लिए आरसीआईएल से अनुरोध किया था। यद्यपि आरसीआईएल एफडब्ल्यूपी/टी को लगाने (इंस्टालेशन) के कार्य की जिम्मेदारी उठा सकती है, किन्तु यह कार्य केवल एजेंसी की तरह का होगा एवं यूएसएल अनुबंध के शर्तों के अनुसार, टर्मिनल इक्विपमेंट को लगाने (इंस्टालेशन) के लिए ग्राहकों से प्राप्त सकल राजस्व यूएस लाइसेंसधारी (आरआईसी/आरसीएल) का राजस्व होना चाहिए तथा इंस्टालेशन एजेंसी (आरसीआईएल) को देय प्रभार लाइसेंसधारी का व्यय होना चाहिए। प्रबंधन के उत्तर में संदर्भित मई, 2010 का टीडीएसएटी निर्णय दूरसंचार प्रचालको (टेलिकाम ऑपरेटर) से संबंधित नहीं है, बल्कि यह डायरेक्ट टू होम (डीटीएच-टीवी प्रसारण से संबंधित) ऑपरेटर से संबंधित है।
- लेखा परीक्षा यह प्रश्न नहीं कर रहा है कि गतिविधि किसके द्वारा की गयी थी किन्तु दावे के साथ कहा जा सकता है कि एफडब्ल्यूपी/टी की स्थापना प्रभार से प्राप्त राजस्व लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व हिस्सेदारी के लिये विचारित होना चाहिए।

अतः एफडब्ल्यूपी/टी के स्थापना (इंस्टालेशन) के कारण आरसीएल के खातों की किताबों में दर्ज

₹ 248.29 के सम्पूर्ण राजस्व को आरसीएल के जीआर/एजीआर में लिया जाना चाहिए। इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 22.71 करोड़ तथा ₹ 6.50 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.06)

### 5.2.3 आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये राजस्व से कमीशन को घटाया (नेटिंग आफ) जाना

आरसीएल द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की संविधा पर, यह देखा गया कि ब्राडबैंड प्रीपेड वाउचरों पर भुगतान किया गए ₹ 1.11 करोड़ की राशि के कमीशन को राजस्व से घटा दिया (नेटिंग आफ) गया तथा निवल राजस्व को आरसीएल के लेखा में दर्ज किया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि केवल यह प्रीपेड वाउचरों पर दी गई छूट (रियायत) है, जिसको जीआर से घटा दिया (नेटिंग आफ) गया तथा इस पर भारत सरकार (जीओआई) को देय लाइसेंस फीस का उत्तरदायित्व नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व से प्राप्त कमीशन को छोड़ देना (नेटिंग आफ) लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नहीं था। इससे लाइसेंस फीस व एसयूसी का क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ व ₹ 0.03 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.07)

### 5.2.4 आरसीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये चैनल पार्टनर (सहभागी)/ फ्रेंचाइजी से अर्जित राजस्व को व्यय से घटाया (नेटिंग आफ) जाना।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए आरसीएल के खातों की किताबों की संविधा करने पर यह देखा गया कि चैनल पार्टनर (सहभागी)/फ्रेंचाइजी को ब्राडबैंड से जोड़ने (कनेक्टिविटी) के प्रावधान से राशि ₹ 4.50 करोड़ की आय को व्यय शीर्षों में जोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर में राजस्व पर विचार नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि समायोजन (एडजस्टमेंट्स) में एक लागत की प्रतिपूर्ति अर्थात् दूसरी लागत से एक्सेस की लागत अर्थात् कंपनी द्वारा देय कमीशन को घटाना (सेटिंग आफ) शामिल होता है। यह ऐसा मामला नहीं है, जहाँ राजस्व की मद एवं लागत की मद को छोड़ दिया (नेटिंग आफ) जाता है ताकि राजस्व को कम दर्शाया (रिकार्डेड) अथवा नहीं दर्शाया (रिकार्डेड) जा सके।

यह प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फ्रेंचाइजी को उनकी गतिविधियों के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है। जबकि एक्सेस की लागत फ्रेंचाइजी की लागत होती है तथा लाइसेंसधारी को इससे राजस्व मिलता है। दूसरी ओर कंपनी को देय कमीशन लाइसेंसधारी के व्यय में शामिल होता है। इसलिए लाइसेंसधारी के दावे के विपरीत, वास्तव में राजस्व की मद को लागत की मद के साथ जोड़ना नहीं था।

इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ एवं ₹ 0.12 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.08)

### 5.2.5 आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों/फ्रैंचाइजियों को दी गयी छूट से राजस्व को घटा (नेटिंग आफ) देना

रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की वर्ष 2006-07 की लेखांकन नीति के अनुसार, 'राजस्व उस स्थिति में पहचाना जाता है, जब कंपनी के नेटवर्क का वास्तविक रूप में उपयोग कर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।' इस नीति को वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए संशोधित किया गया था। इस संशोधित नीति के अनुसार 'दूरसंचार सेवाओं से राजस्व कंपनी के नेटवर्क के वास्तविक यूसेज (प्रयोग) के आधार पर अनुबंध की बाध्यताओं के अनुसार पहचाना जायेगा तथा यह राजस्व कर एवं व्यापारिक छूट से शुद्ध दर्शाया जायेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 11.95 करोड़ (आरटीएल के संबंध में 10.69 करोड़ एवं रिलाइस इंटरनेट सर्विस लिमिटेड (आरआईएसएल) जिसका बाद में सितम्बर 2007 में आरटीएल के साथ विलय हो गया के संबंध में ₹ 1.26 करोड़) की कुल राशि वर्ष 2006-07 की प्रथम तिमाही के लिए प्रीपेड कार्डों एवं रिचार्ज वाउचरों की बिक्री के लिये वितरकों/व्यापारियों/फ्रैंचाइजियों को दी गई छूट को खर्च के तहत दर्शाया था। तथापि, इस छूट को कंपनी के वार्षिक लेखा में बिलिंग राजस्व एवं एजीआर विवरणी (वर्ष 2006-07 के लिए) में सकल राजस्व से भी हटा (नेटेड आफ) दिया गया था।

1 जुलाई, 2006 से आगे, प्रीपेड कार्ड एवं रिचार्ज वाउचर की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वितरकों/व्यापारियों को दी गई छूट से हटाकर लेखा में शामिल किया गया तथा सकल कीमत को शामिल न करके केवल घटे हुये राजस्व को ही जीआर/एजीआर के लिये विचार किया गया।

आरटीएल/आरआईटीएल के आठ सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लिए संबंधित वर्ष 2006-07 के प्रथम तिमाही के एजीआर विवरणी में दर्शाए गए छूट की राशि तथा संबंधित प्रीपेड राजस्व (शुद्ध) के अनुपात के आधार पर लेखापरीक्षा के दौरान वर्ष 2006-07 (II से IV तिमाही के लिये), 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए छूट की मात्रा को प्रोजेक्ट किया गया है। वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए राजस्व से घटाए (नेटेड आफ) गये छूट की कुल राशि ₹ 392.99 करोड़ का आकलन किया गया।

चूंकि कंपनी द्वारा छूट की बुकिंग वर्ष 2006-07 के दूसरी तिमाही से बंद कर दी गयी थी, इसलिए ₹ 392.99 करोड़ की उपरोक्त राशि की गणना वर्ष 2006-07 के प्रथम तिमाही में दर्शाए गये छूट और प्रीपेड राजस्व (शुद्ध) के अनुपात को ध्यान में रखकर की गई।

राजस्व से छूट को हटाने (नेटिंग आफ) के विषय में लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि—

- प्रीपेड वाउचर से प्राप्त राजस्व छूट को हटाकर (नेट आफ) पहचाना जाना था। यह व्यवस्था प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के सिद्धांत पर आधारित होती है। वितरकों द्वारा सहमत मूल्यों पर ही वीजक जारी किए गये थे तथा इनको राजस्व में विचारित किया जाता था। सिर्फ वसूला गया राजस्व ही एजीआर में विचारित होना था।
- कालांतर में अनेक तरह के प्रीपेड उत्पाद जारी किए गए थे तथा इसी अनुपात को सभी वर्षों में लागू करना सही नहीं था।

पैरा 3.2.1 (ए) में दी गई लेखापरीक्षा व्याख्या के आलोक में, कंपनी प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा छूट की राशि पर प्रेक्षपण किया गया, क्योंकि कम्पनी ने वर्ष 2006-07 की दूसरी तिमाही से छूट की बुकिंग करना बंद कर दिया था तथा वास्तविक सकल राजस्व के आंकड़ों के विस्तृत को भी न तो दूरसंचार विभाग और न ही लेखापरीक्षा के सामने प्रकट किया था। इसलिए वर्ष 2006-07 की दूसरी से चौथी तिमाही एवं वर्ष 2007-08 से 2009-10 की छूट की राशि का प्रेक्षपण करने के लिए वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही से सम्बन्धित प्रीपेड (नेट) की रियायत के अनुपात को शामिल करने का लेखापरीक्षा को सहारा लेना पड़ा था।

यद्यपि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है लेखा परीक्षा का सोचना है कि प्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/छूट को घटाना (नेटिंग आफ) यूएसएस लाइसेंस अनुबंध के विरुद्ध था जिससे वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये आरटीएल का जीआर/एजीआर ₹ 392.99 करोड़ कम बताया गया जिससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 25.72 करोड़ तथा ₹ 14.04 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-5.09)।

### 5.2.6 आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना के लिये वितरकों को दिए गए फ्री ऑफ चार्ज (एफओसी) रिचार्ज वाउचर के मूल्य का शामिल न करना

2006-07 से 2009-10 के लिये आरटीएल की खाते की किताबों की छानबीन ने दर्शाया कि वितरकों को दिए जाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट रिचार्ज वाउचर पर भुगतान किए गए ₹ 12.12 करोड़ के सेवा कर को सर्विस टैक्स पेड-नॉट बिल्ड के रूप में व्यय के अन्तर्गत दर्शाया गया था।

2006-07 और 2007-08 के लिये वितरकों को दिए गए फ्री रिचार्ज कूपन से संबंधित भुगतान किए गए सेवा कर को दर्शानेवाली "चैनल एसोसिएटिव-एस ई इन्सेंटिव" के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 85,218/ तथा ₹ 11,09,799/ व्यय में बुक किये गये थे। यद्यपि सेवा कर का भुगतान किया गया था, फिर भी एफओसी वाउचर के सकल मूल्य को आरटीएल के जीआर में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :-

- लाइसेंस फीस केवल पाने योग्य मूल्य के राजस्व पर देय होती है। अनुमानित आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है। वह आय जो लाइसेंसधारी को उपार्जित नहीं होती है, उस आय पर लाइसेंस फीस वसूली नहीं जा सकती है। उक्त मामलों में, कम्पनी को इन वाउचरों से किसी प्रकार के आय की प्राप्ति नहीं हुई है एवं कोई अंतर्वाह (इनप्लो) नहीं हुआ। अतः इन वाउचरों से अनुमानित राजस्व को कम्पनी के राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- टीडीसेट ने भी दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को निर्णय दिया कि 'जीआर' को गिनने के लिये अन्तर्वाह की मद अनुमानित न होकर वास्तविक होनी चाहिए।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- कंपनी वितरकों को फ्री रिचार्ज कूपन देती है जिस पर सेवा कर का भुगतान करती है। यह वितरकों को देय छूट/कमीशन था। पैरा 3.2.1 (ए) में उद्धृत स्पष्टीकरण के आलोक में, वितरकों को दिया जानेवाला कमीशन जीआर/एजीआर के गणना में राजस्व से घटाना (नेटेड आफ) नहीं चाहिए।

वितरकों को दिए गए फ्री रिचार्ज कूपन उनके लिए नकदी के बराबर होते हैं क्योंकि ये कूपन उसमें उपलब्ध राशि (एयरटाईप) के आधार पर बेचे जा सकते हैं।

- दूरसंचार विभाग ने जुलाई, 2015 में प्रत्युत्तर में संदर्भित दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के टीडीसेट निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस प्रकार लेखा परीक्षा का यह सोचना है कि लाइसेंसधारी कमीशन के रूप में नकद राशि प्रदान न करके दूरसंचार सेवा के प्रयोग का लाभ दिया गया है जिसके लिये राजस्व को भुला दिया गया है। अतः यह अनुमानित राजस्व का मामला नहीं है।

भुगतान किए गए सेवा कर की राशि के आधार पर, एफओसी रिचार्ज वाउचरों की सकल कीमत ₹ 87.32 करोड़ निकाली गयी। इससे लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 5.70 करोड़ एवं ₹ 3.00 करोड़ का कम भुगतान प्रभावित रहा (अनुलग्नक-5.10)

### 5.3 खातों की किताबों की तुलना में राजस्व व एलएफ विवरणी (एजीआर विवरणी) में राजस्व कम दर्शाया जाना

#### 5.3.1 आरसीएल एवं आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में फारेक्स गेन (लाभ) को नहीं दर्शाया जाना

आरसीएल/आरटीएल की खातों की किताबों में मुद्रा विनिमय लाभ/हानि से संबंधित लेन देन की बुकिंग के लिए प्रयुक्त लेखा शीर्षों के तहत शुद्ध योग को "वित्तीय प्रभार (शुद्ध)" की अनुसूची में विदेशी मुद्रा विनिमय उतार-चढ़ाव (लाभ)/हानि (शुद्ध) के रूप में समाहित किया गया था

2006-07 से 2009-10 तक के लिए फारेक्स लाभ लेखांकन के लिये प्रचालित सभी लेखा कोड के तिमाही जीएल शेषों से पता चला कि ₹ 1934.72 करोड़ (आरसीएल के लिए ₹ 1820.49 करोड़ एवं आरटीएल के लिए ₹ 114.23 करोड़) के कुल प्राप्त लाभ में से इन लाइसेंसधारकों ने उक्त लाभ में से केवल ₹ 600.86 (आरसीएल ₹ 590.56 करोड़ तथा आरटीएल ₹ 10.30 करोड़) को वर्ष 2007-08 के एलएफ के लिए जीआर/एजीआर में विचारित किया। इस प्रकार ₹ 1333.86 करोड़ (आरसीएल, ₹ 1229.94 करोड़ तथा आरटीएल ₹ 103.92 करोड़) की प्राप्त विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया था।

यहाँ यह बताना उपयुक्त होगा कि उक्त प्राप्त लाभ (गेन) वित्तीय प्रणाली (एसएपी) से निकाली रिपोर्ट से उद्धरित डाटा से अनुमानित (केलकुलेटेड) किये गये हैं जो विशेष मद के वास्तविक लाभ (गेन) को चित्रित नहीं करता है क्योंकि कम्पनी विदेशी विनियम लाभ (गेनस)/हानि शीर्ष के तहत सम्मिलित सभी मदों का मूल्य प्रत्येक वर्ष नये रूप में करती है, परिपक्व मदे प्राप्त लाभ के तहत व अपरिपक्व मदे अप्राप्त लाभ के तहत रहती है। इस प्रकार विशेष मद के प्राप्त लाभ उस वर्ष में मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद का लाभ/हानि में आप्राप्ति के तहत लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नहीं होंगे लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के तहत दर्ज मद प्रत्येक मद की मूल कीमत की चाह में मद की वास्तविक कीमत पर नहीं पहुँच सका। आगे लेखा परीक्षा ने लेखों के अनुसार एलएसए के अनुसार त्रिमासिक शुद्ध लाभ पर विचार किया लेखा परीक्षा के लिये यह सम्भव नहीं था कि वह उपलब्ध कराये गये डाटा से केवल लाभों के अंकों को अलग/संग्रहण कर सके ऑपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना इसकी प्रारम्भिक कीमत के संदर्भ में करना चाहिये तथा कुल फारेक्स लाभ को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिये।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि :

- टीडीसेट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, उक्त मद को लाइसेंस फीस की गणना में शामिल नहीं किया गया।
- केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 10 जुलाई, 2012 में अपना निर्णय में कहा था कि गैर-दूरसंचार गतिविधियों से अर्जित राजस्व को लाइसेंस फीस की गणना के उद्देश्य के लिये शामिल नहीं करना चाहिए।
- एस 9 विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को राजस्व के रूप में पहचान नहीं करता है। टीडीसेट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के अनुसार, उक्त लाभ पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।
- वर्ष 2008-09 के तीसरी तिमाही तक, कम्पनी गैर-दूरसंचार राजस्व पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान कर रही थी तथा बाद में कम्पनी ने गैर-दूरसंचार राजस्व पर दिए लाइसेंस फीस की दूरसंचार विभाग से वापसी हेतु दावा किया। आप्राप्त लाभ अनुमानित है, तथा इस पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।

पैरा 3.2.5 में दिए गए लेखापरीक्षा स्पष्टीकरण के आलोक में कम्पनी प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। आगे प्रबंधन के विशिष्ट उत्तर के संबंध में लेखा परीक्षा की सोच निम्न है :-

- टीडी सेट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है
- केरल उच्च न्यायालय का दिनांक 10 जुलाई 2012 का आदेश अन्तिम आदेश है लेखा परीक्षा की सोच है कि लाइसेंस अनुबंध बताता है कि सकल राजस्व अन्य दूसरी विविध आय संबंधित मदों के खर्चे इत्यादि के लिये किसी को घटाये बगैर (सेट-आफ) शामिल होंगे एवं फारेक्स गेन विविध आय का भाग था इसे राजस्व हिस्सेदारी की गणना बावत् राजस्व में समाहित होना चाहिए।
- उत्तर में संदर्भित टीडीसेट का दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2015 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखा परीक्षा का विचार है कि जीआर में कम्पनी फारेक्स गेन पर विचार नहीं करना लाइसेंस की शर्तों का विचलन था।

विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ के गैर समावेशन के कारण ₹ 1333.86 करोड़ के राजस्व को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹107.63 करोड़ एवं ₹ 26.93 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक-5.11)

### 5.3.2 आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज/अन्य आय को सम्मिलित न किया जाना

जैसा कि पैरा 1.4 (क) में उल्लेखित है, व्यय से संबंधित मदों को छोड़े बिना (सेट आफ) सकल राजस्व में यहाँ बताये अन्य राजस्वों के साथ ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होंगे। आरसीएल/आरटीएल के खातों की किताबों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के



दौरान जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज/अन्य आय को कुछ अंश तक सम्मिलित किया गया है। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

#### (ए) आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में ब्याज/लाभांश की आय का गैर-समावेशन।

आरसीएल के संबंध में, लेखों में दर्ज वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लिये ब्याज/लाभांश की कुल आय रु 1328.41 करोड़ दर्ज की थी। इस राशि में से ₹ 98.88 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचारित किया गया। इस प्रकार, रु 1229.52 करोड़ ब्याज/लाभांश की आय को जीआर/एजीआर में विचारित नहीं किया गया था।

उसी तरह से, आरटीएल के संबंध में, लेखों में वर्ष 2008-09 से 2009-10 के लिए ब्याज से प्राप्त समस्त आय दर्ज की गई थी तथा 2009-10 में निवेश से प्राप्त आय रु 139.52 करोड़ की राशि को आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में सम्मिलित नहीं किया।

आरटीएल की वर्ष 2008-09 के लिये निवेश की आय पर कुछ आय को व्यय के साथ नोटिंग के कारण अलग से पैराग्राफ 5.3.4 के अन्तर्गत टिप्पणी की गई है।

#### (बी) आरसीएल/आरटीएल द्वारा जीआर/एजीआर में अन्य आय का गैर-समावेशन

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लिए आरसीएल के लेखों में ₹ 161.78 करोड़ की कुल अन्य आय दर्ज की गई थी। इस राशि में से ₹ 81.73 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचार किया गया था। इस प्रकार जीआर/एजीआर में ₹ 80.05 करोड़ की अन्य आय पर विचार नहीं किया गया था।

उसी तरह से आरटीएल के संबंध में, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए कुल अन्य आय (प्रतिभूतियों/बंध पत्र विविध इत्यादि के बिक्री पर लाभ) ₹ 537.40 करोड़ दर्ज की गई। इस कुल अन्य आय में से ₹ 0.78 करोड़ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जीआर/एजीआर में विचार किया गया था तथा जीआर/एजीआर में ₹ 536.62 करोड़ (₹ 537.40-₹0.78) की अन्य आय को विचारित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि

- दिनांक पर राजस्व 30 अगस्त, 2007 के टीडीसैट निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारियों को दूरसंचार गतिविधि से प्राप्त राजस्व शेयर (हिस्सा) का भुगतान करना होता है। यह आय दूरसंचार गतिविधि से संबंधित नहीं है, तथा इस आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है।
- माननीय उच्च न्यायालय, केरल ने दिनांक 10 जुलाई, 2012 के अपने निर्णय में दूरसंचार विभाग के लाइसेंस फीस वसूलने के अधिकार को सीमित किया, इस अधिकार के तहत किसी गैर लाइसेंस दूरसंचार गतिविधियों से प्राप्त राजस्व सम्मिलित करने की कोशिश को सीमित करता है।
- टीडीसैट के दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के निर्णय में विभिन्न गैर दूरसंचार राजस्व मदों को शामिल नहीं किया तथा ये मदें लाइसेंस अनुबंध में सकल राजस्व की परिभाषा में विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है। अतः उक्त आय पर लाइसेंस फीस की देयता नहीं बनती है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि—

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय में खारिज कर दिया।
- प्रत्युत्तर में संदर्भित दिनांक 10 जुलाई, 2012 का केरल उच्च न्यायालय का आदेश एक अंतरिम आदेश है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2015 में दूरसंचार विभाग ने टीडीसैट के 23 अप्रैल, 2015 के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। लाइसेंस अनुबंध में ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है।

उपरोक्त उल्लेखित पैरा 5.3.2 (ए) एल 5.3.2 (बी) को ध्यान में रखते हुए, ब्याज, लाभांश एवं अन्य विविध आय के गैर समावेशन के कारण जीआर/एजीआर में ₹ 1985.72 करोड़ कम बताए गए। ब्याज एवं विविध आय को कम बताए जाने के कारण लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 153.44 करोड़ एवं ₹ 48.56 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा। (अनुलग्नक 5.12)

### 5.3.3 आरसीएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के परिणामस्वरूप एलएफ/एसयूसी के भुगतान से बचना

आरसीएल के वार्षिक लेखों की नमूना जाँच से पता चला कि इसने अपनी सहायक कंपनी केम्पियन प्रावरटीस लिमिटेड (सीपीएल) एवं रिलाइंस टेक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (आरटीएसपीएल) को ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण दिया था। लेखों की जाँच से पता चला कि इन सहायक कम्पनियों के विरुद्ध 2006–07, 2007–08 व 2008–09 के अन्त में ऋण राशि क्रमशः ₹ 36.78 करोड़ (सीपीएल) ₹ 3.63 करोड़ (आरटीएसपीएल) एवं ₹ 15.27 करोड़ (आरटीएसपीएल) थी। यह दोनों कम्पनियाँ इन विशेष वर्षों के दौरान आरसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियाँ नहीं थीं दिया गया ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋण कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 372 ए के उल्लंघन में था तथा स्वामित्व एवं सहायक कम्पनियों के बीच रखे गये “आर्मस लेगथ” सम्बंध के समान नहीं था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि धारा 372 ए (8)(ए) (i), धारा 372 ए के प्रावधान कम्पनी द्वारा आधारभूत संरचना की सुविधा हेतु प्रदान किए गए ऋण पर लागू नहीं होते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता होने के कारण आरसीएल को धारा 372 ए के प्रावधान से छूट प्राप्त है। यह कम्पनियाँ आरसीएल की सहायक गतिविधियों बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं। अतः आरसीएल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने हित को ध्यान में रखकर सुगमतापूर्वक कार्य का संचालन करने के लिए मांग के अनुरूप पुनः भुगतान योग्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएँ। अतः यह आरसीएल के हित में हानिकारक नहीं था। अनुमानित आय पर लाइसेंस फीस देय नहीं होती है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरसीएल एक दूरसंचार सेवा प्रदाता है तथा इसकी स्थापना आधारभूत संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं की गई थी। अतः धारा 372 ए (8)(ए) (i) के अंतर्गत छुट इस पर लागू नहीं होती है। इस प्रकार आरसीएल का जीआर/एजीआर प्राप्त ब्याज की राशि से कम था। जिससे एलएफ व एसयूसी का कम भुगतान हुआ। एसएफ व एसयूसी के कम भुगतान को निकाला

नहीं जा सका क्योंकि ऋण को जारी करने की तारीख व उक्त ब्याज मुक्त ऋण किस अवधि के लिये बकाया रहा उपलब्ध नहीं था।

### 5.3.4 आरटीएल द्वारा जीआर/ए जी आर की गणना के लिए निवेश की बिक्री पर शेष लाभ का गैर-समावेशन एवं निवेश की बिक्री हानि को घटाना (नेटिंग-आफ)

वर्ष 2008-09 के लिए आर टी एल के वित्तीय विवरणों के अनुसार गैर-व्यापारी निवेश से आय ₹ 108.92 करोड़ थी।

यद्यपि इस संबंध में कोई भी आय जीआर/एजीआर की गणना के लिये विचारित नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया था कि

- टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय के अनुसार, विभिन्न राजस्व जो दूरसंचार गतिविधियों से संबंधित नहीं थे, उन्हें लाइसेंस फीस के प्रयोजन के लिए एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- एजीआर में दूरसंचार सेवा गुणदोषों के प्रावधान के साथ प्रत्यक्ष अंतर्सम्बन्ध को ही केवल आय/लाभांश से प्राप्त आय में शामिल किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को उधार ली गई राशि से प्राप्त किया गया तथा कंपनी इसी पर ब्याज का भुगतान कर रही है। अतः इसे एजीआर में सम्मिलित नहीं किया था।

पैरा 5.3.2 में दिए गए लेखापरीक्षा व्याख्या के आलोक में, प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है।

अतः ₹ 108.92 करोड़ के निवेशों की बिक्री पर लाभ के गैर समावेशन के कारण जीआर/एजीआर की राशि को कम बताया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को लाइसेंस फीस एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 7.30 करोड़ एवं ₹ 3.94 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 5.13)

### 5.3.5 लाभांश के भुगतान के लिये अलग-अलग मानक –आरसीएल

जैसा कि पैरा 1.4 (अ) में उल्लेखित है सकल राजस्व में निवेश के साथ-साथ यहाँ बताये अन्य राजस्वों को भी शामिल किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि लाइसेंस अनुबंध का इरादा राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिये निवेश (लाभांश) से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होगा। 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) के वार्षिक लेखा का विश्लेषण दिखाता है कि अधीनस्थों तथा सहायक कम्पनियों में उनके इक्विटी शेयर तथा अधिमानी शेयर के स्वरूप में निवेशों को 2006-07 में ₹ 5434.42 करोड़ से 2009-10 में ₹ 31898.30 करोड़ की लगभग 5 गुणा वृद्धि हुई। (अनुलग्नक 5.14)

इन सहायक कम्पनियों एवं अधिनस्थों में आरसीएल सबसे अधिक शेयरधारक था। यद्यपि आरसीएल को इस अवधि के दौरान इन निवेशों पर कोई लाभ, लाभांश तथा अन्य किसी स्वरूप में प्राप्त नहीं किया गया इस तथ्य के बावजूद वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान कर के पश्चात इन कम्पनियों का कुल लाभ ₹ 708.61 करोड़ ₹ 668.65 करोड़ ₹ 1118.01 व ₹ 1499.98 करोड़ था। (अनुलग्नक 5.14)

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरसीएल ने स्वयं (आरसीएल) एवं अन्य गैर लाइसेंसी कम्पनियों जिसमें इसने निवेश किया था तथा अधिकांश शेरधारक था के संबंध में लाभांश की घोषणा के लिये विभिन्न मानक ग्रहण किये थे। आरसीएल ने 2006-07 एवं 2009-10 के लिये अंकित मूल्य पर 10 से 17 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की थी जबकि सहायक कम्पनियों एवं अधिनस्थ जिसमें आरसीएल अधिकांश शेरधारक था किसी लाभांश की घोषणा नहीं की थी। आरसीएल द्वारा भुगतान किया गया लाभांश आरसीएल के लिये व्यय था तथा लाइसेंस फीस व एसयूसी के लिये नहीं था इसके द्वारा इकाईयो/कम्पनियों से प्राप्त लाभांश उनका निवेश था जिस पर लाइसेंसी शर्तों के अनुसार एलएफ व एसयूसी लगेगा।

इस प्रकार आरसीएल की अधिनस्थ व सहायक कम्पनियों के बारे लाभांश की घोषणा न करने जिसमें इसने व्यय किया था आरसीएल की स्वयं की लाभांश को घोषित न करने की क्रियाविधि के अनुसार नहीं था जिससे आरसीएल का राजस्व कम बताया गया एवं एलएफ व एसयूसी का कम भुगतान हुआ।

## 5.4 राजस्व लाइसेंस फीस के लिये विचारित किया गया लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एसयूसी) के लिये विचारित नहीं किया गया

### 5.4.1 एसयूसी की गणना के लिए बैडविडथ की बिक्री/पट्टे से प्राप्त राजस्व को विचारित नहीं करना

यूएसएल अनुबंध बताता है कि यूएसएल अनुबंध के लिए निर्धारित राजस्व एवं लाइसेंस फीस (एजीआर विवरण) के विवरण के पत्र में "एजीआर की गणना करते समय राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित स्पेक्ट्रम चार्जस की उगाही को सीमित उद्देश्य हेतु, तार (बाईरलाईन) अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को लेखा में शामिल नहीं किया जाएगा"।

- मद 1(ए) "तार (बाईरलाईन) ग्राहकों से प्राप्त राजस्व" को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है तथा
- मद 8 "बैडविडथ के बिक्री/पट्टे पर, कड़ी आर एण्ड जी मामले, टर्नकी परियोजनाएँ इत्यादि से प्राप्त राजस्व" को दर्शाने के लिए निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए लाइसेंस फीस (एजीआर विवरण) तथा राजस्व के विवरण में, बैडविडथ कड़ियों (लिंक) की बिक्री/पट्टे, आर एण्ड जी मामलों, टर्नकी परियोजनाएँ इत्यादि से राशि रु 1588.19 करोड़ के राजस्व को विवरण की मद क्र. 8 के अंतर्गत दर्शाया गया। तथापि इस राजस्व को एसयूसी के भुगतान में विचार न करके लाइसेंस फीस के भुगतान में विचार किया गया। ऐसा करना लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विपरीत था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया था कि यूएसएल अनुबंध में एसयूसी/वार्षिक रायल्टी की उगाही सीमित उद्देश्य के लिये ही है तथा वायरलाईन अभिदाताओं से राजस्व को लेखा में शामिल नहीं किया गया अतः बैडविडथ उपभोक्ताओं एवं लीजलाइन से प्राप्त राजस्व को स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना के लिए एजीआर में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त पर लेखा परीक्षा की सोच को पैरा 3.4.3 में लाया गया है।

इस प्रकार ₹ 1588.19 करोड़ का उपरोक्त राजस्व स्पेक्ट्रम प्रभार की गणना में विचारित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को ₹ 40.66 करोड़ एसयूसी का कम भुगतान हुआ।  
(अनुलग्नक 5.15)

### 5.4.2 एसयूसी की गणना के लिये निवेश से प्राप्त आय पर विचार नहीं करना

आरसीएल द्वारा पेश किए गए एजीआर विवरणों के अनुसार, वर्ष 2006-07 की चार तिमाहियों के लिए निवेश (विवरण की मद 4) से आय ₹ 70.60 करोड़ थी। तथापि, केवल चौथी तिमाही के लिए ₹ 17.83 करोड़ की धनराशि स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (सीडीएमए) की गणना करने के लिए एजीआर में शामिल किया गया है तथा बाकी तीन तिमाहियों की राशि ₹ 52.77 करोड़ को एसयूसी के लिए एजीआर में शामिल नहीं किया गया था।

बाद के वर्षों में अर्थात् 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में, निवेश से प्राप्त आय यदि लाइसेंस फीस के लिए विचारित की गई है तो कम्पनी द्वारा इसे एसयूसी में भी विचारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर, प्रबंधन ने प्रत्युत्तर दिया कि स्पेक्ट्रम फीस केवल बेतार (वायरलेस) ग्राहकों से अर्जित राजस्व पर देय होगी। चूंकि निवेश से प्राप्त आय बेतार (वायरलेस) राजस्व नहीं है, इसलिए एसयूसी के लिए इसको एजीआर में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी कहा गया था कि चौथी तिमाही में निवेश से प्राप्त आय पर भुगतान किए गए एसयूसी पर दूरसंचार विभाग (डाट) से धन वापसी का दावा किया गया है।

प्रबंधन का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एसयूसी के प्रयोजन के लिए, एजीआर विवरण के मद 1 ए में दर्शाए गए केवल वायरलाइन ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को हटाया जाना था। निवेश से प्राप्त आय को एजीआर विवरणों के मद 4 में शामिल होना था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ₹ 52.77 करोड़ की निवेश से प्राप्त आय को एसयूसी के भुगतान में शामिल किया जाना चाहिए था।

एसयूसी के कम भुगतान का प्रभाव (इम्पैक्ट) ₹ 0.94 करोड़ है। (अनुलग्नक 5.16)

## 5.5 आरसीएल/आरटीएल द्वारा अपनी सहायक कम्पनी रिलाइंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) को अवसंरचना परिसम्पतियों का हस्तांतरण

### 5.5.1 आरसीएल द्वारा अपनी आरआईटीएल को आप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग (ओएफयू) का हस्तांतरण

रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आरसीएल) ने अपनी आप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग (ओएफयू) से संबंधित परिसंपत्ति एवं देनदारियों को दूरसंचार अवसंरचना सेवाएँ प्रदान करने में लगी इसकी सहायक कम्पनी आरआईटीएल को हस्तांतरित किया था। यह हस्तांतरण आप्टिक फाइबर अंडरटेकिंग के हस्तांतरण के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 391 से 394 के तहत स्कीम आफ अरेंजमेंट के आधार पर किया गया। दिनांक 18 जुलाई, 2009 को माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई ने निर्धारित (अपॉइन्टिड) तिथि 01 अप्रैल 2008 से इस स्कीम को अनुमोदित किया। दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को आरसीएल के ओएफसी नेटवर्क की कुल कीमत हस्तांतरण के कारण देय मुआवजे (कंसीडरेशन) के रूप में ₹ 7206.42 करोड़ मानी गई।

इस हस्तांतरण के कारण ₹ 3063.27 करोड़ के लाभ को ₹ 7206.42 करोड़ के कंसीडरेशन राशि में से ₹ 4137.95 करोड़ के नेट ब्लाक एवं ₹ 5.20 करोड़ के पुंजीगत कार्य प्रगति में से घटाकर लाभ व हानि खातों में जमा किया गया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने उपरोक्त लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया।

जीआर/एजीआर में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लाभ को समावेश न करने के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछने पर प्रबन्धन ने बताया कि:

- कम्पनी टी डी सेट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार लाइसेंस फीस का भुगतान कर रही थी।
- केरल उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 10 जुलाई 2012 के निर्णय में बताया कि एल एफ की गणना के उद्देश्य के लिये ए जी आर में गैर दूरसंचार राजस्व को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये कम्पनी ने ओ एफ यू अन्डरटेकिंग जो कि टेलिकम गतिविधियों से संबंधित नहीं थी को स्थान्तरण के कारण आने वाले लाभ को छोड़ दिया था।
- लेन-देन बिक्री के नहीं थे बल्कि स्थान्तरण के थे जिससे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला इसलिये विचारिक लाभ सम्मिलित नहीं किया।
- लेन-देन आय थी ना कि राजस्व। यह साफ है कि राजस्व के संकेत जो कि उद्यम की समान्य गतिविधि से प्राप्त होता है ए एस-9 द्वारा समर्थित नहीं है।
- टी डी सेट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के अनुसार बतायी गयी आय पर लाइसेंस फीस की देन दारी नहीं बनती है।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि :

- टी डी सेट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का निर्णय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- केरल उच्च न्यायालय का दिनांक 19 जुलाई 2012 का आदेश अन्तरिम आदेश था।
- आर सी एल व आर आई टी एल कानूनी रूप से दो अलग इकाईयाँ थी। अतः आर सी एल से आर आई टी एल को सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्पत्ति का निराकरण है एवं कम्पनी ने स्वयं लाभ एवं हानि खाते में अपनी सम्पत्ति की निराकरण से लाभ को पहचाना/माना था।
- आर सी एल द्वारा आर आई टी एल को ओ एफ यू के हस्तान्तरण पर आय यद्यपि ए एस-9 के अर्न्तगत राजस्व जैसा समर्थित नहीं है इसे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार एल एफ व एस यू सी की गणना के लिये जीआर/एजीआर में सम्मिलित होना चाहिये।
- आगे, यह पता है कि टी डी सेट को दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2015 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। लेखा परीक्षा की सोच है कि ओ एफ सी नेटवर्क के हस्तारण के कारण लाभ (गेन) विविध राजस्व का भाग था एवं इसे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में सम्मिलित होना था।

अतः लाइसेंस अनुबंध के परिपेक्ष्य में लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट ₹ 3063.27 करोड़ के लाभ को भी जीआर/एजीआर में लेना चाहिये। इससे एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 279.27 करोड़ व ₹ 81.37 करोड़ कम भुगतान प्रभावित रहा (अनुलग्नक 5.17)।

### 5.5.2 आरसीएल/आरटीएल द्वारा पॉसिव अवसंरचना को इसकी सहायक कम्पनी (आरआईटीएल) को निरंक कीमत पर हस्तान्तरित करना

रिलाइंस इन्फ्राटेल लिमिटेड (आर आई टी एल), रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी (रिलाइंस कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) (आर सी आई एल) शुरू से आखिरी तक) प्राइबेट कम्पनी के रूप में 2001 में निगमित हुई थी। रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आर-काम) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में 5 दिसम्बर 2006 जिससे उसने आर-काम के स्वामित्व वाली वायरलेस टावर सम्पत्ति एवं इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी रिलाइंस टेलीकम लिमिटेड (आर टी एल) अलग करने की स्कीम आफ अरेजमेंट<sup>5</sup> दायर की। उच्च न्यायालय बम्बई ने दिनांक 16 मार्च, 2007 को अपने निर्णय में इस योजना (स्कीम आफ अरेजमेंट) को दिनांक 10 अप्रैल, 2007 से लागू करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। योजना के अनुसार, आर सी एल व आर टी एल की क्रमशः ₹ 3200.74 करोड़ व ₹ 866.80 करोड़ के दर्ज मूल्य वाली पॉसिव अवसंरचना परिसम्पत्तियों को आरआईटीएल को निरंक कीमत पर हस्तांतरित किया गया। आर सी एल व आर टी एल से स्थान्तरित सम्पत्ति की कीमत आर आई टी एल ने उचित मूल्य पर क्रमशः ₹ 3327.46 करोड़ एवं ₹ 1188.36 करोड़ अभिलिखित<sup>6</sup> की थी।

आर सी एल, आर टी एल एवं आर आई टी एल अलग इकाईयाँ हो गयी थी एवं आर आई टी एल आर सी एल/आर टी एल<sup>7</sup> की पूर्ण सहायक कम्पनी नहीं रही थी। सम्पत्तियों का हस्तान्तरण आर्मस लेंथ लेन-देन नहीं था। आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा स्थान्तरित सम्पत्ति की बाजार कीमत क्रमशः ₹ 3327.46 करोड़ एवं ₹ 1188.36 करोड़ थी जैसा कि आर आई टी एल द्वारा पुर्नमूल्यांकन किया गया था आर टी आई एल द्वारा लेखित कीमत एवं दर्ज कीमत के बीच अन्तर पूर्व निश्चित सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ था। आर सी एल एवं आर टी एल द्वारा पूर्व निश्चित सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ क्रमशः ₹ 126.72 करोड़ एवं ₹ 321.56 करोड़ थे। लाइसेंस अनुबंध के परिपेक्ष्य में, इन सम्पत्ति के स्थान्तरण पर लाभ एल एफ व एस यू सी की गणना के लिये विचारित होना चाहियें।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर प्रबंधन ने उत्तर दिया था कि:

- बताये गये लेन-देन एवं उचित मूल्यांकन स्कीम आफ अरेजमेंट के अनुसार थे जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था एवं यहाँ पर सम्पत्तियों/देयताओं की वास्तविक खरीद एवं बिक्री नहीं की गई।
- आगे टी डी सेट के 23 अप्रैल 2015 को सुनाये गये निर्णय अलग किन्तु संबंधित सदर्थ में बताता है कि "सकल राजस्व की गणना के लिये मद का अन्तर्वाह काल्पनिक नहीं किन्तु वास्तविक होगा" परिणाम स्वरूप यह अनुचित होगा कि लाइसेंस अनुबंध के अन्तर्गत जीआर को निकालने में इस प्रकार की काल्पनिक आय पर विचार किया जाये।
- आर आई टी एल ने अपनी लेखों की किताबों में सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन किया था। सम्पत्तियों के किसी पुर्नमूल्यांकन के कारण सम्पत्ति की कीमत में बढ़ोत्तरी राजस्व विचारित नहीं होगी। यदि यह पुर्नमूल्यांकन को आय माना जाता है तो यह आर आई टी एल में लेखित होगा ताकि आर टी एल में।

5 कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 391 से 394 के तहत आर सी एल एवं आर टी एल की पॉसिव अवसंरचना का स्थान्तरण आर आई टी एल को हुआ।

6 वर्ष 2007-08 के लिये उनकी लेखों की किताबों में

7 आर सी एल के पास 31 मार्च 2008 को आर आई टी एल के केवल 79.71 प्रतिशत शेयर थे।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- आर सी एल, आर टी एल और आर आई टी एल अलग इकाईयों थी और आर आई टी एल आर सी एल/आर टी एल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी नहीं थी। हस्तांतरित परिसम्पत्तियों को आर सी एल/आर टी एल की लेखाओं से राईट आफ करके उनके लाभ-हानि विवरणी में डेबिट कर दिया गया था। इस प्रकार यह लेन-देन परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान के समान था।
- हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के पुनः मूल्यांकन पर लाभ अनुमानित लाभ नहीं था क्योंकि यह एक इकाई से दूसरी इकाई को परिसम्पत्तियों के निपटारे के कारण उपार्जित हुआ लाभ था। आगे यह ध्यान में आया कि टी डी सेट के 23 अप्रैल 2015 के निर्णय को दूरसंचार विभाग द्वारा जुलाई 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। लेखा परीक्षा का मानना है कि आर सी एल/आर टी एल से आर आई टी एल को वास्तविक मूल्य के अलावा अन्य मूल्य पर परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण आर्मस लेगथ" लेन-देन नहीं था।
- क्योंकि परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य पर आर्मस लेगथ लेन-देन जैसा निपटान नहीं किया गया है, किसी पुनः मूल्यांकन के कारण परिसम्पत्तियों की मूल्य वृद्धि का लाभ हस्तान्तरण करने वाली कम्पनी (आर सी एल/आर टी एल) द्वारा हस्तांतरित कम्पनी (आर आई टी एल) पर लाभ छोड़ने के समान है।

इस प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान आर सी एल द्वारा 126.72 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर में विचार नहीं करने के कारण एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 11.56 और ₹ 3.44 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.18)

इसी प्रकार वर्ष 2007-08 के दौरान आर टी एल द्वारा 321.56 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर में विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 17.62 करोड़ और ₹ 11.72 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.19)

## 5.6 वर्ष 2009-10 के दौरान सेवाकर वापसी को जीआर के लिए विचार नहीं किया जाना।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान सेवाकर वापसी की राशि ₹ 51.45 करोड़ को परिचालन व्यय के अंतर्गत लेखाओं में लिया गया था। तब भी उपरोक्त राशि को एल एफ और एस यू सी के उद्देश्य हेतु जी आर गणना में विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि कंपनी ने विशेष सेवायें प्रदान की थी, जो सेवाओं के निर्यात संवर्ग की थी और उन सेवाओं पर जमा क्रेडिट से सेवाकर का भुगतान किया गया। उस सेवाकर को सेवाकर विभाग से छूट (रिवेट) के रूप में दावा किया गया, और दावे की प्राप्ति पर उस छूट को वार्षिक लेखाओं में विविध आय के रूप में दर्शाया गया। यह वापसी सेवाओं के निर्यात पर एक प्रोत्साहन राशि है और इसलिये यह एल एफ की देनदारी के लिए नहीं था प्रबंधन ने आगे यह भी बताया कि भुगतान किये गये सेवाकर का दावा ए जी आर में छूट के रूप में नहीं किया गया और इसलिये इस पर कोई छूट (रियायत)/प्रोत्साहन/वापसी को एल एफ देनदारी के लिए नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर सी एल एक दूरसंचार कंपनी है और अपने दूरसंचार व्यापार गतिविधियों



से संबंधित उपार्जित सभी आय को इसके राजस्व का हिस्सा मानना चाहिये। लेखापरीक्षा का मत है कि निर्यात क्रेडिट के किसी मुद्रीकरण अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन से प्राप्त राशि कंपनी की विविध आय का हिस्सा है और लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उसे एल एफ और एस यू सी की गणना हेतु जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त राशि को राजस्व में शामिल न करने से एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.69 करोड़ और ₹ 1.36 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 5.20)। यह बताना आवश्यक है कि यह रिलाइंस में नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आया और इसलिये इस पर टिप्पणी की गई है।

### 5.7 एलएफ और एसयूसी के कम/भुगतान नहीं करने पर ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मुदों (पैरा 5.2 से 5.5) पर एल एफ और एस यू सी के कम/भुगतान नहीं करने की राशि क्रमशः ₹ 1125.40 करोड़ और ₹ 381.85 करोड़ बनती है। उपरोक्त कम/भुगतान नहीं की एलएफ व एसयूसी की राशि पर ब्याज ₹ 2221.29 करोड़ है (अनुलग्नक 5.21) ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित थी अर्थात् वित्तीय वर्ष के आरम्भ से स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा कुल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक एवं गणना हेतु विचार की गई अवधि सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। ब्याज की गणना लाइसेंस शर्तों में निर्धारित मासिक कम्पाउण्ड (चक्रवृद्धि) दर पर की गई है।

### 5.8 उपरोक्त उठाये गये विषयों पर दूरसंचार विभाग का उत्तर

आर सी एल/आर टी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा अवलोकन दूरसंचार विभाग को सितम्बर 2015 में भेज दिया गया था। दू वि ने (जनवरी 2016) में उत्तर दिया कि 2009 में विशेष लेखापरीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिये निम्नलिखित पैरे अर्थात् आर सी एल द्वारा आर सी आई एल को दिया गया कमीशन/छूट (पैरा 5.2.2 ए), आर सी एल के वी ए एस/सी आर बी टी राजस्व जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया जाना (पैरा 5.2.2 बी और 5.2.2 सी), आर सी एल का एफ डब्ल्यू पी/टी को लगाने के प्रभार को जीआर/एजीआर में शामिल ना करना (5.2.2 एफ), आर टी ए द्वारा वितरकों को दिया गया कमीशन/छूट (5.2.5), आर टी एल द्वारा वितरकों को दिये गये लागत मुफ्त कूपन (5.2.6), विदेशी मुद्रा लाभ से आय/राजस्व को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं करने से राजस्व को कम दिखाना (5.3.1), ब्याज और अन्य आय (5.3.2), निवेश की बिक्री से लाभ (5.3.4) और पॉसिव संरचना के हस्तान्तरण से लाभ (5.5.2) के संदर्भ में कम्पनी को 2012 में पी एस पी द्वारा एजीआर कम दिखाने के लिये मांग पत्र जारी किये गये थे। परन्तु उपरोक्त मांगों को परिचालक ने टी डी सेट/माननीय उच्च न्यायालयों में चुनौती दी है। मामले अभी तक न्यायालय में हैं। यह भी बताया गया कि जैसे ही न्यायालय का अन्तिम निर्णय आता है कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों पर दू वि ने अपनी सहमति दी। यद्यपि मामला न्यायालय में होने के कारण आर सी एल/आर टी एल ने राजस्व वसुली में अपना असहाय होना भी स्पष्ट किया। यह ध्यान में रखते हुए कि मुकदमों के कारण सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा रुका हुआ है, इसलिये दू वि को इन कानूनी मुद्दों के निपटारे में अतिशीघ्र सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिये।

दू वि ने आपने उत्तर में सी ए जी लेखापरीक्षा द्वारा निकाली राशि और विशेष लेखापरीक्षा के कारण दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मार्गों में अंतर को भी उल्लेखित किया है। यह अन्तर कम राजस्व दर्शाने की गणना के लिये अपनाये गये तरीकों के अन्तर के कारण हो सकता है। लेखापरीक्षा ने कम दर्शायी राशि की गणना 2006-07 से 2009-10 तक आर सी एल/आर टी एल की लेखाओं में स्पष्ट विवरण के माध्यम से की गई वास्तविक प्रविष्टियों के आधार पर की है। यद्यपि विशेष लेखापरीक्षक के वर्किंग पेपरों के व्यौरे को सी ए जी लेखापरीक्षा ने नहीं देखा।

जहाँ तक सिम कार्डों की बिक्री को राजस्व में शामिल नहीं किया जाना (पैरा 5.2.2 डी), हैण्डसेटों की बिक्री (5.2.2 ई) ब्राडबैंड कमीशन को राजस्व से घटाये जाने के कारण जीआर को कम दर्शाया जाना (5.2.3) और आप्टिकल फाईबर के हस्तान्तरण से लाभ को ना शामिल करने संबंधी पैरो के बारे में, दूरसंचार विभाग ने बताया की निजी सेवा प्रदाता से मिले उत्तर संवीक्षा अधीन है।

मुफ्त एअर टाइम/कमीशन के नेट राजस्व (मध्य में ही निकालने के बाद) की बुकिंग सम्बन्धी पैरा (5.2.1)के उत्तर में बताया गया कि दू वि ने कम्पनी को लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लेखाओं को तैयार करने के लिये नोटिस भेजा है (जून 2015) एवं व्यय को राजस्व से घटाने सम्बन्धी पैरा (5.2.4) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि ने आर सी एल को यू ए एस एल अनुबंध के खण्ड 22.3 के अर्न्तगत आवश्यक घटाये गये मदों को सकल रूप में सूचना देने के लिये कारण बताओं नाटिस जारी किया गया है।

सहयोगी कम्पनी को ब्याज मुक्त लोने देने से सम्बन्धित पैरा (5.3.3) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि ने विधि मंत्रालय और माननीय महालेखाकार से परामर्श के बाद 2005 में निर्णय लिया था कि अनुमानित ब्याज को एजीआर में न तो शामिल किया जायेगा और न ही माना जायेगा।

इस पर लेखापरीक्षा का मत है कि दू वि के एजीआर हेतु सहयोगी कम्पनी को दिया गया ब्याज मुक्त ऋण पर देय ब्याज को ना मानने का निर्णय कम्पनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। आंशिक स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी को ब्याज मुक्त ऋण देकर, आर सी एल का राजस्व प्राप्त होने योग्य ब्याज के अनुपात में कम हो गया और परिणामस्वरूप उसी अनुपात में भारत सरकार को उस पर एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान हुआ।

एस यू सी हेतु बैडविथ की बिक्री से प्राप्त राजस्व को ना शामिल करने से सम्बन्धित पैरा (5.4.1) और एस यू सी हेतु निवेश से आय को शामिल नहीं करने से सम्बन्धित पैरा (5.4.2) के संदर्भ में बताया गया कि दू वि की डब्ल्यू पी एफ विंग से उत्तर प्रतीक्षित था।

दू वि ने यह भी बताया कि निजी सेवा प्रदाता ने 2002-03 में जीआर और एजीआर की मौलिक परिभाषा को चुनौती दी थी। उसके बाद इस पर दीर्घकालिक मुकदमा हुआ जो आज तक चल रहा है। यह भी बताया गया कि कुछ लाईसेन्सी ने विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों में संविधान के आर्टिकल 226 के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुभाग-4 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 19 (1) (जी) के विरुद्ध मानते हुए याचिकायें (2012) दायर की है। इसकी वजह से सी सी ए कार्यालयों द्वारा कटौतियों का सत्यापन और दू वि मुख्यालय द्वारा एल एफ के आकलन का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। दू वि ने माना कि अनेक विवादों के कारण परिचालक से देय राजस्व शेयर के आकलन में विलम्ब हो रहा है।

दू वि के उत्तर से स्पष्ट होता है कि यद्यपि एन टी पी-1999 के भाग के रूप राजस्व हिस्सेदारी पद्धति की शुरुआत कर दी गई थी, फिर भी विभाग इसके लागू होने के 16 वर्षों के बाद भी लाइसेंस अनुबंध में वर्णित देय राजस्व साझेदारी/हिस्सेदारी को वसूलने में नाकाम रहा।

यह वर्णन करना आवश्यक है कि जब सरकार ने अप्रैल 2014 से सभी प्रचालकों की लाइसेंस फीस को 2 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया, तब दू वि को उम्मीद थी कि इस कटौती के कारण प्रचालक द्वारा सरकार के विरुद्ध कानूनी चुनौतियों को वापिस लेंगे। तथापि लाइसेंस फीस कटौती का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ और परिचालकों द्वारा जीआर/एजीआर की परिभाषा को चुनौती देना और मॉग पत्रों एवं सरकार के विरुद्ध याचिकायें दायर करते रहने का सिलसिला जारी रहा। इस प्रकार निजी सेवा प्रदाताओं ने लाइसेंस फीस कटौती का लाभ लिया परन्तु सरकार को मुकदमें कम होने का वांछित लाभ नहीं मिला।



## अध्याय—VI

### आईडिया सेल्युलर लिमिटेड (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलिकॉम लिमिटेड (ए बी टी एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व

#### 6.1 कंपनी का संक्षिप्त परिचय

मैर्सस आईडिया सेल्युलर लि0 (आई.सी.एल) आदित्य बिड़ला ग्रुप के अधीन एक कम्पनी थी। यह पहली निजी क्षेत्र की कम्पनियों में थी जिन्हें सेल्युलर सेवायें प्रदान करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे।

यद्यपि यह दूरसंचार क्षेत्र की पहली कम्पनियों में थी, तथापि इसकी वृद्धि अन्य समकालिक दूरसंचार कम्पनियों के अनुरूप नहीं थी जबकि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फिर भी, बाद में आई सी एल ने दूरसंचार मार्केट साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की।

#### 6.1.1 आईडिया सेल्युलर लि0 (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि0 (ए बी टी एल) को दिये गये लाइसेंस

मैर्सस आईडिया सेल्युलर लिमिटेड, (आईसीएल) प्रारम्भ में मैर्सस बिड़ला कम्यूनिकेशन लिमिटेड के नाम से निगमित, पहली दूरसंचार कंपनियों में से थी जिन्हें दिसम्बर 1995 में महाराष्ट्र और गुजरात एलएसए में सेल्युलर सेवायें प्रदान करने के लिये लाइसेन्स प्रदान किये गये थे। वर्ष 1996 में मैर्सस ए टी एण्ड टी कार्पोरेशन से संयुक्त भागेदारी के पश्चात मैर्सस बिड़ला कम्यूनिकेशन ने अपना नाम मैर्सस बिड़ला ए टी एण्ड टी कम्यूनिकेशन लि. में बदल लिया। वर्ष 2000 और 2001 के दौरान मैर्सस टाटा सेल्युलर लि. और मैर्सस आर पी जी सेल्यूलर का अधिग्रहण करके कंपनी ने क्रमशः आन्ध्र-प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाइसेन्स भी प्राप्त कर लिये और कंपनी ने अपना नाम बदलकर बिड़ला टाटा ए टी एण्ड टी (बी ए टी ए टी ए) रखा और 2001 में दिल्ली एलएसए का लाइसेन्स भी प्राप्त किया। वर्ष 2002 में कंपनी ने फिर अपना नाम बदलकर आईडिया सेल्यूलर लि. रखा और ब्रान्ड "आईडिया" की शुरुआत की। मैर्सस एस्कोटेल कम्यूनिकेशन लि. का अधिग्रहण करने पर कंपनी ने छः और एलएसए<sup>1</sup> के लाइसेन्स प्राप्त कर लिये। वर्ष 2006 में, आई सी एल ने मुम्बई एलएसए का लाइसेन्स प्राप्त किया और बिहार का लाइसेन्स इसकी एक प्रवर्तक कम्पनी, आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि. (ए बी टी एल) ने प्राप्त किया जो कि वर्ष 2007 में आई सी एल की शत प्रतिशत सहयोगी कंपनी बन गई। वर्ष 2008 में आइ सी एल ने 7 और एलएसए<sup>2</sup> का लाइसेन्स प्राप्त किया। वर्ष 2009-10 में ए बी टी एल ने अपना बिहार का यू एस लाइसेंस आर सी एल में हस्तांतरित किया। अब, स्पाईस कम्यूनिकेशन लि. के विलय के पश्चात 01 मार्च 2010 से आई सी एल के पास पंजाब और कर्नाटक के भी लाइसेन्स हैं।

आईडिया सेल्यूलर लि. के पास नैशनल लॉग डिस्टैंस (एन एल डी) सेवाओं के दो और इंटरनैशनल लॉग डिस्टैंस (आइ एल डी) सेवाओं का एक लाइसेन्स है। आई सी एल द्वारा पहला एन एल डी लाइसेन्स 2006 में प्राप्त किया गया और दूसरा एन एल डी और आई एल डी लाइसेंस मैर्सस स्पाईस कम्यूनिकेशन के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया गया जिसने उपरोक्त लाइसेन्स 2007 में लिये थे। मैर्सस आइ सी

1 (तमिलनाडु, ओडिसा, कोलकाता, पूर्वात्तर, जम्मू कश्मीर, असाम, और पश्चिम बंगाल)

2 (तमिलनाडु, ओडिसा, कोलकाता, पूर्वात्तर, जम्मू कश्मीर, असाम और पश्चिम बंगाल)

एल वर्ष 2008 में संरचना प्रदाता-संवर्ग-I (आई पी-I) के रूप में और वर्ष 2010 में इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) के रूप में पंजीकृत हुई।

### 6.1.2 आई सी एल/ए बी टी एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

आई सी एल एक जी एस एम प्रचालक है। 31 मार्च 2010 तक आई सी एल को एल एस ए क्षेत्रों के अनुसार जी एस एम स्पेक्ट्रम आबंटन का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 6.1

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2 x 9.8 मेगाहर्टज	महाराष्ट्र
2	2 x 8.0 मेगाहर्टज	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश और यू पी (पश्चिम)
3	2 x 7.8 मेगाहर्टज	पंजाब
4	2 x 6.2 मेगाहर्टज	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान और यू पी (पूर्व)
5	2 x 4.4 मेगाहर्टज	आसाम, बिहार, हिमांचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओडिसा, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल

### 6.1.3 आई सी एल/ए बी टी एल का उपभोक्ता आधार

लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान, 31 मार्च 2007 से 31 मार्च 2010 तक आई सी एल के उपभोक्ता आधार में 450 प्रतिशत की दर से 1.40 करोड़ से 6.38 करोड़ की वृद्धि हुई। आई सी एल की 2006-07 में बाजार हिस्सेदारी सात प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत तक बढ़ गई।

### 6.1.4 आई सी एल/ए बी टी एल के द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती और समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी

जैसा कि पैरा 1.5 में बताया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाता को प्रत्येक तिमाही आधार पर के प्रतिशत के रूप में स्वयं आकलन के आधार पर ला.फी और एस यू सी प्रभार का भुगतान करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल की अभिलेखित सकल राजस्व, कटौतियाँ, और समायोजित सकल राजस्व और भुगतान किये गई लाइसेंस फीस/स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीआर	कटौती	एजीआर	जीआर के लिए एजीआर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी
					(एलएफ+एसयूसी)
2006-07	4518	851	3667	81.16	446
2007-08	7150	1558	5592	78.21	681
2008-09	10728	2677	8051	75.05	1107
2009-10	13323	2723	10600	79.56	1319
<b>कुल</b>	<b>35719</b>	<b>7809</b>	<b>27910</b>	<b>78.14</b>	<b>3553</b>

## 6.2 आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व को कम अभिलेखित किया जाना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व बिना किसी सम्बद्ध व्यय मद इत्यादि को अलग किये सभी प्रकार के राजस्व को सम्मिलित करेगा और जैसा कि पैरा 1.5 में वर्णित किया गया है, सेवा राजस्व (बिल बनाने योग्य राशि) को सकल रूप से दर्शाया जायेगा और छूटों/रियायतों का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

आई सी एल/ए बी टी एल के लेखों और रिकार्ड की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि निम्नलिखित मुद्दों पर इन कंपनियों ने लाइसेन्स समझौते के प्रावधानों का पालन नहीं किया :

### 6.2.1 प्री पेड भुगतान सेवाओं के डीलरों/अभिदाताओं के लिए कमीशन/पेशकश/छूट को अलग किए जाने के कारण राजस्व का कम अभिलेखित करना

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा दी गई प्री-पेड सेवाओं सम्बन्धित डाटा/रिकॉर्ड की जांच ने दर्शाया कि

- प्री-पेड सेवाओं से सम्बंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टों को दिया गया कमीशन राजस्व से घटाया गया।
- उपभोक्ताओं को दी गई विभिन्न पेशकश जैसे कि "मुफ्त एयर टाइम (फ़ैट), मुफ्त सिम/टाक टाइम/एस एम एस सुविधा उपभोक्ताओं को मुफ्त टॉक टाइम, उपभोक्ताओं को पेश किये गये समायोजन/ पी सी ओ प्रोत्साहन को प्री-पेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से घटाया गया।

मद-अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है।

#### (ए) मार्जिन/कमीशन

लाइसेन्स कम्पनी दूरसंचार सेवाओं की बिक्री हेतु कमीशन के आधार पर वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/डीलरों को नियुक्त करती है। लाइसेन्स कम्पनी दूरसंचार सेवाओं के उत्पाद की बिक्री के लिये वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/एजेन्टों को प्री-पेड रिचार्ज कूपन/ई-टॉप-अप की आपूर्ति करती है और उन्हें कमीशन/मार्जिन का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत रिकॉर्ड/डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्री-पेड रिचार्ज कूपन/ई-टॉप-अप की बिक्री के समय वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को दिया गया प्राथमिक कमीशन/मार्जिन को राजस्व से घटा दिया गया। इसके परिणामरूप लेखाओं और सकल राजस्व से कमीशन/मार्जिन घटा दिया गया, और फलरूप दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत ए.जी.आर विवरणी में केवल शुद्ध राजस्व दर्शाया गया।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान राजस्व में से वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/एजेन्टों/डीलरों को कमीशन/मार्जिन के रूप में दी गई राशि के घटाने के कारण राशि 698.70 करोड़ थी **(अनुलग्नक 6.01 में वर्णित)**

क्योंकि, वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/डीलरों को अदा किया गया कमीशन/मार्जिन व्यापार व्यय (मार्कटिंग व्यय) है, इसलिये, इस प्रकार के व्यय को राजस्व से घटाया जाना लाइसेन्स शर्तों के विरुद्ध है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि :

- आई सी एल द्वारा प्राप्त किये गये विधिक परामर्श के अनुसार कंपनी और वितरकों के सम्बन्ध सैद्धान्तिक आधार पर है और इस प्रकार वितरक से वसूली गई राशि के लेन-देन को हो लिखित करने की आवश्यकता होती है।
- एएस-9 के अनुरूप, कंपनी ने जिस मूल्य पर वितरकों को उत्पाद बेचे, केवल उसी मूल्य का महत्व है और उसी मूल्य को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिये। अन्य किसी रोकड़, प्राप्ति योग्य और अन्य का अंतः प्रवाह नहीं हुआ।
- टी डी सैट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा एलएफ का भुगतान वास्तव में प्राप्त हुए राजस्व पर देना था।

प्रबन्धन के प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को पैरा 3.2.1 (ए) में स्पष्ट किया गया है।

- आगे ए.एस-9 में राजस्व पहचान के अनुसार, जैसा कि प्रबन्धन ने बताया, लेखापरीक्षा, कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा प्रक्रियाओं/तरीके पर आपत्ति नहीं कर रही है, परन्तु लाइसेंस समझौता के अर्न्तगत आदेशित लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु, सम्बन्धित व्ययों को सकल राजस्व से अलग किये बिना राजस्व की सकल गणना की जानी है।
- टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/एजेन्टों/डीलरो को दिये गये ₹ 698.70 करोड़ के कमीशन/मार्जिन को राजस्व से घटाने पर एलएफ और एस यू सी का क्रमश ₹ 59.93 करोड़ और ₹ 29.74 करोड़ कम भुगतान हुआ।

### **(बी) उपभोक्ताओं को दिया गया मुफ्त एयर टाईम/उपयोग न किया गया एअर टाईम, प्रमोशनल पेशकश/पी सी ओ प्रोत्साहन**

मैर्सस आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-07 से 2009-10 के रिकार्ड/डाटा की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश जैसे कि मुफ्त एअरटाईम (एफ ए टी)/उपभोक्ताओं को प्रयोग नहीं हुए एअरटाईम को देना (यू ए टी)/मुफ्त सिम/एस एम एस/मुफ्त टाक टाईम/बोनस टाक टाईम/उपभोक्ताओं को समायोजन को समाहित करने के लिये, इन सबके मूल्य को प्री-पेड सेवाओं से पहले ही राजस्व से कटौती कर दी गई और जब इन सब का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया गया, उतनी राशि राजस्व में जोड़ दी गई। परिणामस्वरूप इन पेशकशों से प्राप्त राजस्व की जीआर/एजीआर के रूप में पहचान नहीं की गई।

क्योंकि उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश (एफ ए टी/यू ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि) व्यापार वृद्धि के उद्देश्य से अपनायी गई रणनीति का हिस्सा थी, इसलिये इस प्रकार की पेशकश/रियायत/छूट व्यय के अर्न्तगत आती है। आगे लाइसेंस समझौते के अनुसार सेवा राजस्व को सकल रूप में बिना घटाये दिखाना चाहिये। फिर भी, प्रबन्धन का राजस्व में से इन पेशकश/रियायत/छूट को घटाना लाइसेंस समझौते के विरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप एलएफ और एसयूसी की हुई कम वसूली का विवरण निम्नानुसार है।



तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

मुफ्त एअर टाईम/उपयोग न किया गया एअर टाईम/प्रोमाशनल पेशकश/उपभोक्ता को पी.सीओ प्रोत्साहन	जीआर की कम रिपोर्टिंग	एलएफ पर प्रभाव	एसयूसी पर प्रभाव	टिप्पणी
मुफ्त एअर टाईम (एफएटी)/उपयोग न किया गया एअर टाईम (यू ए टी)	202.36	15.91	8.00	अनुलग्नक – 6.02
उपभोक्ताओं को मुफ्त सिम/एस एम एस	4.62	0.42	0.20	अनुलग्नक - 6.03
उपभोक्ताओं के मुफ्त टाक टाईम (एफटीटी)	344.13	30.74	13.45	अनुलग्नक – 6.04
प्रशा. फीस इत्यादि की प्रतिपूर्ति को घटाया जाना	7.09	0.47	0.31	अनुलग्नक – 6.05
पब्लिक काल आफिस प्रोत्साहन	107.93	10.08	3.86	अनुलग्नक – 6.06
<b>कुल योग</b>	<b>666.13</b>	<b>57.62</b>	<b>25.82</b>	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि:

- चुनिंदा प्री.पेड टैरिफ सारणी में, विशिष्ट मूल्य के रीचार्ज वाऊचरों के माध्यम से रिचार्ज करने पर अगर उपभोक्ता को मुफ्त एअर टाईम प्रदान किया जाता है, तब उपभोक्ता द्वारा वास्तव में भुगतान किये गये मूल्य को अन्तिम रूप से राजस्व में बुक किया जाता है। ऐसी टैरिफ योजनाए ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।
- प्रोत्साहन पेशकश को व्यय के रूप में लेना सम्भव नहीं है क्योंकि यह व्यय कंपनी द्वारा वहन नहीं किया जाता।
- टी. डी सैट अपने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया है कि सकल राजस्व के रूप गणना के लिये, अंतःप्रवाह मद सैद्धान्तिक नहीं बल्कि वास्तविक होना चाहिये।
- कम्पनी पी.सी.ओ प्रचालकों को मुफ्त एअर टाईम/प्रोत्साहन पेशकश के साथ रिचार्ज कूपन दे रही है जो उच्च मूल्य के सामान्य वाऊचर है और उनका टैरिफ स्कीम ट्राई द्वारा पहले से ही संस्वीकृत है।

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.1 (बी) में वर्णित है। आगे प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

- लेखापरीक्षा जाँच में सम्मिलित मुफ्त एअर टाईम में उन टारिफ योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है जो विशिष्ट रिचार्ज मूल्य के वाऊचर के माध्यम से उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने हेतु दिये गये हैं।
- लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III के अनुसार 'सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में और रियायत/छुट का व्यौरा अलग से दर्शाया जायेगा। इसका अर्थ है कि राजस्व सकल रूप में दर्शाना चाहिये परन्तु प्रबन्धन ने एजीआर विवरणी बनाते समय प्रोत्साहन पेशकशों को राजस्व से अलग किया, जो कि लाइसेंस समझौते का उल्लंघन है।
- यह जानते हुए कि टी डी सैट के दिनांक अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विभाग द्वारा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की गई है, लेखापरीक्षा का मत है कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पेशकश (एफएटी) व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारिक रणनीति का भाग है और व्यय है।

- सामान्य कनेक्शन/पी.सी.ओ प्रचालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पेशकश सामान्यतः नये रेट प्लानों को लोकप्रिय बनाने और नये उपभोक्ताओं इत्यादि को आकर्षित करने के लिये दी जाती है इसलिये यह व्यापार वृद्धि हेतु व्यापारिक रणनीति का भाग है और व्यय है।

इस प्रकार प्री-प्रेड उपभोक्ताओं को पेशकश इत्यादि में दी गई ₹ 666.13 करोड़ जीआर/एजीआर में कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एलएफ और से एसयूसी की क्रमशः ₹ 57.62 करोड़ और ₹ 25.82 करोड़ की कम वसुली हुई।

## 6.2.2 पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों को घटाने से राजस्व कम दिखाया जाना

आई सी एल द्वारा पोस्ट पेड सेवाओं से सम्बन्धित 2006-07 से 2009-10 तक दिये गये डाटा/रिकार्ड की जाँच ने दर्शाया कि एक एल एस ए (यू पी पश्चिम) ने पोस्ट पेड राजस्व जी एल कोड के अर्न्तगत प्रोत्साहन रियायतों की राशि को अलग से डेबिट में दिखाया और उस राशि को व्यय में दर्शाने की बजाय एजीआर से घटा दिया। क्योंकि किसी अन्य एल एस ए ने राजस्व शीर्ष से प्रोत्साहन रियायत को अलग करके नहीं बुक किया था, लेखापरीक्षा यू पी (पश्चिम) के संदर्भ में पोस्ट पेड सकल राजस्व से प्रोत्साहन रियायतों का प्रतिशत निकाल कर नतीजे पर पहुँची कि अन्य 21 एलएसए क्षेत्र के प्रकरण में ₹ 202.79 करोड़ की प्रोत्साहन रियायत में दी गई राशि सकल राजस्व से आरम्भ में ही घटा दी गई प्रोत्साहन रियायत व्यापार वृद्धि हेतु व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है, इसलिये इस प्रकार की छुट/रियायत एक व्यय है इसलिये लाईसेन्स समझौते के अनुसार इस राशि को जीआर से नहीं घटाना चाहिये।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर प्रबन्धन ने बताया कि:

- ए.एस-9 के अनुसार, राजस्व की व्याख्या उत्पाद की विक्री या दी गई सेवाओं पर रोकड़ के रूप में प्राप्त होने पर होती है। कम्पनी को ऐसी छुट इत्यादि पर कोई रोकड़ प्राप्त नहीं हुआ इसलिये इसे राजस्व नहीं माना जा सकता।
- टी.डी सेट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, छुट/रियायतों की राशि को जीआर का भाग नहीं माना जा सकता है और लाईसेन्स धारकों को इस पर लाईसेन्स फीस देने के लिये नहीं कहा जा सकता।
- बिल योग राशि एजीआर का भाग है और उस पर एलएफ/एसयूसी की गणना पहले गलत या अधिक बिल कि राशि के प्रभाव को निकाल कर की जाती है।
- उपभोक्ताओं को कुछ रियायतें/छुट देना एक सामान्य व्यापारिक आवश्यकता है, इस प्रकार की रियायतों/छुटों की राशि लेखों में क्रेडिट की जाती है और यह कम्पनी को हानि है इसलिये इनको राजस्व नहीं माना जा सकता।
- बिलिंग प्लान आधारित रियायतें, उपभोक्ताओं को प्राप्ति के समय सहमत शर्तों पर पेश की जाती है। प्रणाली की सीमा के कारण बिलिंग पैट्रन बदला नहीं जा सकता और इसलिये आगामी महीनों में किराये में शून्य की वसूली नहीं की जा सकती। ये रियायतें केवल प्रणाली की सीमा के कारण

अधिक वसुली राशि का समायोजन है।

- उपभोक्ता को प्रत्येक पोस्ट-पेड प्लान में कुछ मिनट्स/उपभोग की पेशकश की जाती है जिसे उपयोग रियायती पैकेज (यू.डी.पी) कहा जाता है और ट्राई को प्रस्तुत बिलिंग प्लान का भाग है। ऐसी यू.डी.पी में बिल बनाते समय प्रणाली की सीमा के कारण इस प्रकार की पेशकश को वास्तविक नहीं माना जा सकता।
- यूपी (पश्चिम) एलएसए के जी.एल में उपलब्ध आकड़ों का अन्य एल एस ए से समायोजन आंकड़े गलत है जिन्हें लेखापरीक्षा का आधार माना गया, यद्यपि, अन्तरिम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, उ.प्र. (पश्चिम) एल एस ए ने पोस्टपेड प्रमोशनल एअरटाईम से सम्बन्धित जी एल कोड को डेबिट करके और पोस्ट पेड एअरटाईम राजस्व से सम्बन्धित जी एल कोड का क्रेडिट करके उपभोक्ताओं को पेश किये गये मिन्टों की अवधि हेतु अतिरिक्त एन्ट्री पास की। दोनों जी एल कोड राजस्व का भाग है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण निम्नानुसार है,

- जैसा कि प्रबन्धन ने प्रत्युत्तर में बताया गया, दोनों जी एल कोड राजस्व के अर्न्तगत है, और यह अन्तरिम प्रबन्धन रिपोर्ट हेतु पास की गई एक अतिरिक्त प्रविष्टि है और इसलिये पहले गणना की गई राशि ₹ 479.52 करोड़ में राजस्व शीर्ष में केवल उन्ही डेबिट आकड़ों के साथ, जिनकी सम्बन्धित डेबटर जी एल कोड में क्रेडिट प्रविष्टि है, संशोधित करके ₹ 202.79 करोड़ की राशि की गणना की गई (अनुलग्नक 6.7 में वर्णित)
- ए.एस.-9 में राजस्व पहचान के अनुसार, जैसा कि प्रबन्धन द्वारा बताया गया, यह सूचित किया जाता है कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनायी गई लेखा तरीके को चुनौती न देते हुए लाईसेन्स फीस के उद्देश्य हेतु लाईसेन्स समझौते के अर्न्तगत सम्बन्धित व्यय को घटाये बिना राजस्व की पहचान सकल रूप से करना है।
- उत्तर में बताये गये टी.डी सेट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से खारिज कर दिया है।
- बिलिंग प्लान आधारित रियायतों के प्रकरण में, राजस्व जी.एल कोड में ऐसी सभी डेबिट्स के साथ विभिन्न डेबटर जी.एल. कोड में सम्बन्धित क्रेडिट प्रविष्टि हैं और इस प्रकार राजस्व को उसी सीमा तक घटाया गया। अग्रिम किराये को दायित्व जी एल कोड के माध्यम से लेखित किया गया और प्रबन्धन का यह तर्क कि सिस्टम की सीमा के कारण उपभोक्ता से किराया बसुल कर उसको प्रमो पैक में समायोजित किया गया, स्वीकार योग्य नहीं है और न ही मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
- निकाले गये प्रोत्साहन रियायतों की राशि को जनरल वाऊचरों से लिया गया है जिसमें राजस्व जी. एल. कोड को देनदारों के सम्बन्धित क्रेडिट से डेबिट किया गया है और इस प्रकार राजस्व पर प्रभाव डाला गया है।

लाईसेन्स करार की शर्तों के विरुद्ध पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को दिये गये प्रोत्साहन रियायतों, छूट को जीआर/एजीआर में न लेने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा एलएफ/एसयूसी का क्रमश ₹ 17.80 करोड़ और ₹ 8.37 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 6.2.3 अन्य प्रचालकों को अन्तर प्रचालक ट्रेफिक के भुगतान पर दी गई रियायत/ क्रेडिट से घटाये जाने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

आई सी एल ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों के साथ रोमिंग व्यवस्था की है। यह संज्ञान में आया कि इन प्रचालकों के लेखों से उनको दी गई अन्तर प्रचालक ट्रेफिक, आई ओ टी रियायतें/क्रेडिट राजस्व शीर्षों से घटा दी गई थी/ डेबिट कर दी गई थी।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों के साथ की गई रोमिंग व्यवस्था, प्रचालकों के बीच आपसी सहमति के आधार का विषय था और रोमिंग पर सहमत प्रभारों से अधिक रियायत देना प्रचालकों के बीच व्यापार वृद्धि की व्यापारिक रणनीति का भाग था। इसलिये लाईसेन्स समझौतों की शर्तों के अनुसार, ऐसी रियायतें व्यय हैं और इन्हें राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

यह देखा गया कि वि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 28.74 करोड़ की राशि को आई ओ.टी रियायतों को रोमिंग राजस्व से डेबिट कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- आईओटी रियायत बहुत अधिक है और इसका सम्बन्ध कम्पनी के नेटवर्क पर उनके उपभोक्ताओं की रोमिंग अवधि के परिमाण के साथ है। ऐसी रोमिंग रियायत व्यापारिक रियायत है और कम्पनी द्वारा रोमिंग राजस्व को व्यापारिक रियायत मानना निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार प्रचालकों को रोमिंग पर दिये गये ऐसी व्यापारिक रियायतों को एजीआर की गणना के लिये पुनः नहीं जोड़ा जा सकता।
- रियायत देने पर रोमिंग राजस्व की मात्रा घट जाती है। इसी प्रकार रियायत लेने पर, आऊट रोमिंग के लिये भुगतान योग्य पास थ्रू को घटा देता है जिससे एजीआर बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि लेने वाले प्रचालक को सकल रोमिंग प्रभार को राजस्व में लेने और देने वाले प्रचालक को केवल रोमिंग प्रभार घटाने की अनुमति हो, तो इससे रोमिंग प्रभारों पर रियायतों की सीमा तक दोहरा टैक्स लगेगा।
- एएस 9 के अनुसार राजस्व गणना के लिये व्यापारिक छूट और दिये गये छूटों की मात्रा को घटाना चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.3 में स्पष्ट किया गया। प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण निम्नानुसार है,

- दोहरे टैक्सीकरण का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान की गई लाईसेन्स फीस राजस्व हिस्सेदारी है, टैक्स नहीं।
- प्रबन्धन द्वारा बताये गये एएस-9 में राजस्व पहचान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा तरीकों पर चुनौती न देते हुए लाईसेन्स समझौते में आदेशित, लाईसेन्स फीस की गणना के उद्देश्य से सम्बन्धित व्यय को घटाये बिना राजस्व की सकल पहचान करने की चुनौती देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रचालकों को दिये गये ₹ 28.74 करोड़ की आई.ओ.टी रियायत को घटाये जाने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर घटने के कारण दू.वि को एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 2.72 करोड़ और ₹ 1.21 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.08)

## 6.2.4 आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा जीआर/एजीआर हेतु अन्य दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त संरचना हिस्सेदारी राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

आईसीएल/एबीटीएल के स्वामित्व वाले आधारभूत संरचना (टावर, नेटवर्क/उपकरण इत्यादि) को अन्य दूरसंचार परिचालकों से संरचना भागेदारी की जाती है। संरचना हिस्सेदारी हेतु कम्पनी ने अन्य परिचालकों के साथ समझौता किया है।

आईसीएल/एबीटीएल द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान संरचना प्रभार से सम्बन्धित रिकार्ड/डाटा की जाँच ने दर्शाया कि किराया, ईंधन, डीजल, बिजली, परिचालन, रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि में वसुलने योग्य/वसूले गये संरचना प्रभारों को व्यय शीर्ष से घटा दिया गया और इस प्रकार इसे राजस्व में शामिल नहीं किया गया।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान व्यय से अलग किये गये साईट शेयरिंग राजस्व (किराया, ईंधन, डीजल, बिजली, परिचालन और रखरखाव, बीमा सुरक्षा इत्यादि), की राशि ₹ 344.72 करोड़ था। इस राशि को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- संरचना साझेदारी प्रभारों में परिचालन व्यय (ओपेक्स) का कुछ हिस्सा जो कि किराया, ईंधन, सुरक्षा, ए.सम.सी लागत और मरम्मत रखरखाव के रूप में है, जिसको अन्य परिचालकों से साझा किया गया, से वास्तविक लागत को समानुपात में वसुला गया था। एएस-29 के पैरा 46 और 47 के अनुसार ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व नहीं है और इन्हे राजस्व में नहीं दर्शाया जा सकता। इस प्रकार यह एजीआर का भाग नहीं है।

जब कि पूँजी व्यय (केपेक्स) लागत पर लगने वाला प्रभार किराये के रूप में है और इसलिये इसे राजस्व माना गया है और लेखाओं में राजस्व के अर्न्तगत दर्शा कर सम्बन्धित आय/राजस्व शीर्ष में क्रेडिट किया जाता है, मेजबान परिचालक द्वारा इस संरचना को चलाने और रखरखाव पर प्रतिदिन किये गये सयुक्त परिचालन व्यय की वसूली को एजीआर के उद्देश्य के लिये राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता।

मुख्य प्रचालक द्वारा विशेष व्यय शीर्षों में किया गया व्यय लाभन्वित प्रचालकों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति से अधिक होता है। इसलिये परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति की एजीआर में गणना नहीं की जा सकती। यह प्रकरण किसी राजस्व अथवा लागत मद को घटाने अथवा राजस्व को न पहचानने अथवा कम पहचानने का नहीं है। इस प्रकरण में एक परिचालक द्वारा परिचालन लागत के रूप में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति है जिसे अन्य परिचालकों के साथ साझा किया गया। इस प्रकार दूसरे परिचालक द्वारा साझा लागत पर किये गये भुगतान को पहले परिचालक का राजस्व नहीं माना जा सकता है।

- महाराष्ट्र एलएसए में ₹ 17.79 करोड़ की संशोधन प्रविष्टियाँ व्यय की रिर्वसल और जारी क्रेडिट नोटों की त्रुटिपूर्ण संरचना साझेदारी की वसूली मान लिया गया। हरियाणा एलएसए में, ₹ 1.57 करोड़ की संशोधन प्रविष्टियाँ, व्यय की रिर्वसल को त्रुटिपूर्ण संरचना साझेदारी को वसूली माना गया। मुम्बई एलएसए में सुरक्षा सेवा प्रभार की ₹ 1.01 करोड़ की वसूली मुम्बई परिमण्डल से सम्बन्धित नहीं है।

प्रबन्धन प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.4 में स्पष्ट किया गया है यद्यपि ₹ 20.37 करोड़ की संशोधन/रिवर्सल/क्रेडिट नोट प्रविष्टियों पर आरम्भ में लेखापरीक्षा ने विचार नहीं किया था परन्तु प्रबन्धन के उत्तर के पश्चात लेखापरीक्षा ने इस पर विचार करके आरम्भ में निकाली गई ₹ 344.72 करोड़ की राशि में संशोधन करके ₹ 324.35 करोड़ कर दिया।

इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 के दौरान अन्य दूरसंचार परिचालकों से साईट साझेदारी राजस्व के वसुलने योग्य/वसुली गयी राशि को राजस्व से घटाने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर को ₹ 324.35 करोड़ कम दिखाया गया जिसके कारण मै. आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 27.69 करोड़ और ₹ 13.35 करोड़ का कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक 6.9 में वर्णित)

### 6.2.5 जीआर/एजीआर हेतु आईडिया (एन एल डी) और आईडिया (एलएसए) के मध्य स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व को नहीं शामिल करना।

जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, जीआर में सभी प्रकार के उल्लेखित सभी राजस्व बिना किसी व्यय मद को घटाये शामिल होंगे और एजीआर की गणना जीआर से अनुमत कटौतियों को घटा कर की जायेगी।

आई सी एल ने दिसम्बर 2006 में लागू डिस्टैंस सेवाएँ प्रदान करने हेतु लाईसेन्स लिया। इस सेवा में कॉल को एक लाइसेंस क्षेत्र/परिमण्डल से अन्य ला. परिमण्डल में स्विच के माध्यम से भेजा जाता है।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आई सी एल आईडिया सेल्युलर लि. के दस्तावेज/डाटा ने दर्शाया कि आईडिया एन एल डी डिवीजन के पास अपने स्विच नहीं थे और इसलिये उसने सभी सेवा क्षेत्रों में स्विचों का प्रयोग किया और इसके लिये एन एल.डी डिवीजन ने ₹ 0.07/0.10 प्रति मिनट भेजी गई काल की सहमत दर से भुगतान किया। यद्यपि इसका भुगतान आईडिया एन एल डी ने सम्बन्धित एलएसए को किया, फिर भी इस राजस्व को सम्बन्धित एलएसए ने जीआर/एजीआर की गणना हेतु राजस्व नहीं माना और इस राजस्व को एन एल डी स्विच और अन्य व्यय मद के लेखा शीर्ष के अर्न्तगत क्रेडिट किया गया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान ₹ 252.47 करोड़ राशि को कम दर्शाया गया लेखापरीक्षा प्रश्न पर, प्रबन्धन ने बताया कि :

- एन एल डी सेवाओं का उपयोग कॉल को एक सेवा क्षेत्र से अन्य सेवा क्षेत्रों में भेजने हेतु किया जाता है। त्वरित सेवा के लिये और कंफेक्स में बचत के लिये, कम्पनी ने एल एल डी स्विचों को सी एम टी एस/ यु ए एस एल स्विचों के साथ शामिल कर लिया जिसकी एनएलडी लाइसेंस समझौते में अनुमति है।
- एन एल डी सेवाएँ अन्य एलएसए के स्विचों का उपयोग लागू डिस्टैंस ट्रेफिक के मार्गीकरण हेतु कर रही हैं। क्योंकि इन स्विचों का पूँजीकरण सम्बन्धित एलएसए के लेखों में किया जाता है, इसलिये सभी रख-रखाव, मरम्मत, अवमूल्यन के व्यय सम्बद्ध एलएसए द्वारा वहन किये जाते हैं और उनके लेखों में डाले जाते हैं। इसलिये प्रत्येक खण्ड में सही लाभांश को दर्शाने हेतु एन एल डी डिवीजन द्वारा इन स्विचों के उपयोग की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- एलएसए और एन.एल.डी. के बीच इस प्रकार के साझेदारी व्यय को एलएसए का राजस्व मानने का तर्क निर्धारित लेखा मानकों के विरुद्ध है और ऐसी सैद्धान्तिक लेन-देन को एजीआर की गणना हेतु राजस्व नहीं माना जाना चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर से यह तथ्य स्पष्ट है कि एन एल डी द्वारा इन स्विचों के उपयोग पर एलएसए को प्रतिपूर्ति की जा रही है और इसलिये यह एक प्रकार की संरचना साझेदारी है। लाईसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, जीआर में अनुमत संरचना साझेदारी से प्राप्त राजस्व सम्बन्ध व्यय पद को घटाये बिना शामिल किया जायेगा। इस प्रकार एन एल डी डिवीजन से एलएसए द्वारा प्राप्त राशि उनके लेखों में राजस्व के रूप में दर्शानी चाहिये और जीआर/एजीआर की गणना हेतु शामिल किया जाना चाहिये। एलएसए द्वारा एन एल डी डिवीजन से स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व को व्यय लेखा शीर्ष के अर्न्तगत क्रेडिट के रूप में बुकिंग की अनुमति यु ए एस एल करार में नहीं है।

इस प्रकार वि. वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आईडिया एन एल डी से स्विच साझेदारी राजस्व से प्राप्त ₹ 252.47 करोड़ का एलएसए द्वारा न मानने के कारण जीआर/एजीआर को कम दर्शाया गया और परिणामस्वरूप आई सी एल द्वारा एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 22.63 करोड़ और ₹ 9.78 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.10)

### 6.2.6 आई सी एल द्वारा अपरिहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये संसाधनों से प्राप्त राजस्व को जीआर/एजीआर हेतु न शामिल किया जाना।

यु.ए.एस एल समझौता के खण्ड 19.1 और एन एल डी लाईसेंस समझौते के अनुसार, क्रमशः अनुमत संरचना साझेदारी और संरचना को लीज पर देने से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर का भाग माना जायेगा।

2009-10 में आई सी एल की पैसिव संरचना डिवीजन के लिये अलग से रखे गये नमूना लेखा के अर्न्तगत ₹ 1.13 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में लेखित किया गया और इसको आई सी एल के लाभ हानि लेखा में सेवा राजस्व के रूप में रिपोर्ट करके शामिल किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान आई सी एल द्वारा प्रस्तुत संरचना साझेदारी राजस्व से सम्बन्धित दस्तावेजों/ डाटा की जाँच ने दर्शाया कि यह टाटा टेलीसर्विस लि. (टी टी एस एल) को अपरिहार्य उपयोग अधिकार (आर यू आर ) पर यू पी (पश्चिम), मध्य प्रदेश, बिहार, ए पी और गुजरात सेवा क्षेत्रों के दिये गये संसाधन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) से जमा किया गया राजस्व है। फिर भी वर्ष 2009-10 के लिए इस राजस्व को राजस्व साझेदारी (एलएफ और एसयूसी) की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा टिपणी पर आई सी एल प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि कम्पनी के पास दू. वि द्वारा जारी संरचना प्रदाता संवर्ग-I पंजीकरण है और इस पंजीकरण के अर्न्तगत सेवायें प्रदान करने पर राजस्व पर लाईसेन्स फीस भुगतान लागू नहीं होता।

2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाया राजस्व आई सी एल की पैसिव संरचना डिवीजन से सम्बन्ध है, और इस राजस्व को अपरिहार्य उपयोग अधिकार (आई आर यू) के अर्न्तगत टाटा टेलीसर्विस लि0 को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) की बिक्री से लेखित किया गया है। इस राजस्व को आई सी.एल के लाभ-हानि लेखा बनाते समय सेवा राजस्व के रूप में दर्शाया गया है लेकिन क्योंकि इस राजस्व पर लाईसेन्स फीस लागू नहीं है, इसलिये इस राजस्व को राजस्व साझेदारी (एलएफ और एसयूसी) की गणना हेतु जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि आई.आर.यू के अर्न्तगत ओ.एफ.सी की बिक्री से है और आई.आर.यू राजस्व एन.एल.डी लाइसेंस के अर्न्तगत की गई गतिविधि/कार्य-कलाप के समान है, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है।

इस प्रकार वि. वर्ष 2009-10 के दौरान आई सी एल द्वारा प्राप्त आई. आर. यू राजस्व को शामिल न करने के कारण ₹ 1.13 करोड़ से जीआर/एजीआर कम दिखाया गया, परिणामस्वरूप आई सी एल द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के एलएफ का भुगतान नहीं हुआ।

### 6.2.7 आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा विदेशी मुद्रा से प्राप्त राजस्व को जी.आर./ए.जी.आर हेतु कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रिकार्ड की जाँच ने दर्शाया कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान प्राप्त किये गये ₹ 53.58 करोड़ के विदेशी मुद्रा लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

यह वर्णन आवश्यक है कि उपरोक्त वसूले लाभ की गणना ओरेकल फाईनेशियल सिस्टम के डाटा से निकाली गयी अवधि के दौरान का कुल वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि कम्पनी प्रत्येक वर्ष शामिल किये गये सभी मदों की राशि को विदेशी विनिमय लाभ/हानि के अर्न्तगत दर्शाती है, वसूले मद को वसूले लाभ और नहीं वसूले गये मद को ना वसूले लाभ के अर्न्तगत लेखित किया जाता है। इस प्रकार वर्ष में एक विशेष मद पर वसूला लाभ मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद के लाभ/हानि लेखे के कारण वास्तविक लाभ नहीं माना जायेगा। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद का वास्तविक मूल्य न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वसूले लाभ के अर्न्तगत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। आगे लेखापरीक्षा ने लेखाशीर्ष और एलएसए अनुसार प्रत्येक तिमाही को अन्तिम लाभ को गणना हेतु लिया है। क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराये गये डाटा से लाभ के आकड़ों को बाँटना/जोड़ना सम्भव नहीं था। प्रचालक को प्रत्येक मद से लाभ की गणना, लेखों की आरम्भिक कीमत के संदर्भ में करनी चाहिये और कुल विदेशी मुद्रा लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- लेखापरीक्षा ने जीआर से सम्बन्धित लाइसेंस करार के खण्ड 19.1 को सदर्थित किया है और प्रश्न किया है कि क्यों नहीं विदेशी मुद्रा विनियम के परिवर्तन के कारण हुए लाभ को एजीआर में शामिल किया जाये। खण्ड 19.1 में जीआर को परिभाषित करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनका सम्बन्ध कम्पनी के अन्तः प्रवाह यानि उन प्रभार, फीस, वसुली इत्यादि से है जो कि दी गई सेवाओं या वस्तुओं का बिल बनाते समय लाईसेंसी के सेवा राजस्व का हिस्सा माना जायेगा।
- विदेशी मुद्रा विनिमय लाभांश, विदेशी मुद्रा विनिमय की दर के मध्य, जब प्रारम्भ में दायित्व के रूप में लेखित की गई, और जब उस फारेक्स दर दायित्व का निपटान किया गया, को खण्ड 19.1 के अर्न्तगत विदेशी मुद्रा को सकल राजस्व का हिस्सा मानने का कोई मतलब नहीं है।



- हेज्ज क्लोजिंग दरें या बाजार अनुसार पूँजीगत उपकरणों और विदेशी मुद्रा लोन की ओर देयों का पुनः कथन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तन किसी भी क्लोजिंग तिथि पर राजस्व नहीं है। विदेशी विनिमय दरों में बदलाव का सेवा प्रदाता के राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। विदेशी मुद्रा में उपर या नीचे का बदलाव के ए.जी.आर पर प्रभाव को अनदेखा करना चाहिये।
- राजस्व पर लेखा मानक-9 के अनुसार विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं है।
- टीडी सैट ने अपने 30 अगस्त 2007 के निर्णय में कहा है कि विदेशी विनिमय लाभ को एजीआर के उद्देश्य से शामिल नहीं करना चाहिये।
- ट्राई के अनुसार विदेशी विनिमय बदलाव के प्रभाव चाहे वह उर्ध्वमुखी या निम्नमुखी हो एजीआर के लिये अनदेखा करना चाहिये।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि :

- लाइसेंस करार के खण्ड 19.1 पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.5 में वर्णित है।
- कम्पनी ने अपनी वित्तीय विवरण में विनिमय परिवर्तन (नेट बेस पर) रिपोर्टिंग की है। यह सत्य नहीं है कि लाइसेंस करार में जीआर की परिभाषा में विदेशी विनिमय लाभ/हानि को शामिल नहीं किया गया और लाइसेंस करार में निर्धारित एजीआर विवरणी में नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि लाइसेंस करार में वर्णित है कि " सकल राजस्व में अन्य विविध राजस्व सम्बन्धित व्यय मदों को घटाये बिना शामिल किया जायेगा" विदेशी मुद्रा लाभ विविध राजस्व का भाग है।
- एएस-9 में यह वर्णित है कि विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं है, इसमें इतना ही वर्णन है कि मानक के उद्देश्य हेतु, विदेशी विनिमय दरों से वसूले/ना वसूले गये लाभ और वित्तीय विवरणी में विदेशी मुद्रा परिवर्तन के फलस्वरूप समायोजन राजस्व की परिभाषा में शामिल नहीं है। विदेशी मुद्रा से लाभ/हानि का निरूपण ए.स.11में शामिल है
- टीडी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से खारिज कर दिया है।
- उत्तर में सम्मिलित ट्राई की सिफारिशों को दू.वि ने अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान विदेशी विनिमय लाभ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर को ₹ 53.58 करोड़ कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एलएफ/एसयूसी का क्रमशः ₹ 4.45 करोड़ और ₹ 2.00 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। **(अनुलग्नक 6.11)**

### 6.3 राजस्व विवरणी और एलएफ (एजीआर विवरणी) में राजस्व को कम दिखाया जाना परन्तु लेखा बहियों में पूरा दिखाया जाना।

#### 6.3.1 आईसीएल/एबीटीएल द्वारा ब्याज आय को जीआर/एजीआर हेतू नहीं माना जाना

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान आईसीएल/एबीटीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रिकार्डों की संवीक्षा ने दर्शाया कि आईसीएल ने 2006-07 में ब्याज आय को जीआर/एजीआर हेतू अपने लेखा-बही में लिया था परन्तु 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में नहीं लिया था। लेखा बही में दर्ज ब्याज की राशि ₹ 566.87 करोड़ थी जिनमें से केवल ₹ 17.08 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर हेतू वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान लेखा बही में लिया गया, परिणामस्वरूप ₹ 549.79 करोड़ की ब्याज आय राशि को जीआर/एजीआर की गणना हेतू नहीं लिया गया। (अनुलग्नक 6.12) इसी प्रकार 2008-09 में एबीटीएल की लेखा बही में ₹ 10.49 करोड़ की ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर आईसीएल प्रबन्धन ने बताया कि टी.डी.सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को देखते हुए, यूएसएल/एनएलडी/आईपीआई/आईएलडी/आईएसपी/वी. सैट के लेखा शेषों के अर्न्तगत ब्याज आय को एजीआर हेतू नहीं लिया गया। कारपोरेट ट्रायल बैलंस (टीबी) के अर्न्तगत ब्याज आय को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि वह दूरसंचार परिचालन से सम्बन्धित नहीं थी। आगे यह बताया गया कि कारपोरेट ट्रा वै में दर्ज ब्याज अतिरिक्त/कर्ज ली गई निधि के परियोजन से अर्जित किया गया, और इसके गैर दूरसंचार राजस्व होने के कारण एजीआर से अलग किया गया है। यह भी कहा गया कि कभी-कभी अल्प समय के लिये कैपेक्स के लिये कर्ज ली गई निधि का निवेश किया जाता है और उस पर अर्जित ब्याज, कर्ज पर चुकाये गये ब्याज से सदा कम होता है, इस प्रकार एजीआर में शामिल करने हेतु राजस्व साझेदारी की उगाही हेतू राजस्व शेष नहीं बचता है। बिहार एलएसए में दूरसंचार सेवायें अक्टूबर 2008 में शुरू हुई, 2008-09 के लिये पहले साल के व्यापारिक परिचालन से ₹ 43.53 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। एबीटीएल ने कैपेक्स शुरू करने के लिये ₹ 300 करोड़ का कर्ज लिया था जिसमें से ₹ 120 करोड़ की राशि होल्डिंग कम्पनी यानी आई सीएल की थी। यद्यपि आईसीएल से कर्ज ब्याज मुक्त था, अन्य कर्जों पर ब्याज देय था। यह एक प्रोजेक्ट स्थिति थी जिसमें बिहार के कुछ जिलों में सेवाएँ अभी शुरू ही की गयी थी और एक विशाल रोल आऊट प्रगति पर था। ऐसी स्थिति में कैपेक्स के लिये निधि से पहले अतिरिक्त निधि की अल्पकालीक आंवटन के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं हो सकती थी। दूरसंचार में प्रोजेक्ट फंडिंग का परिणाम बाँटे गये कर्ज और आय का अन्तिम उपयोग बेमेल में होता है जिसके कारण कोष आय, कोष व्यय के रूप में होती है। व्यापार से अर्जित अधिशेष/अतिरिक्त कैश का प्रयोग उधार दाता की कर्ज की शर्तों के कारण अन्य निवेशों में किया जाता है (कैपेक्स के अलावा)। यदि सभी ब्याज आय को शामिल करना है तो, इसे ब्याज पर लागत को घटा कर लिया जाना चाहिये। उपरोक्त पर विचार करने के बाद, ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं करना चाहिये।

प्रबन्धन का तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा टीडी सैट के दिनांक 30.8.2007 के निर्णय को खारिज किये जाने के बाद प्रभाव शून्य हो गया और लाईसेंस करार की परिभाषा

में राजस्व साझेदारी के लिये जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज आय को शामिल करने का विशेष रूप से प्रावधान है।

2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आईसीएल/एबीटीएल द्वारा ₹ 560.28 करोड़ की ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं करने के कारण एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 44.59 करोड़ और ₹ 20.47 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.12)

### 6.3.2 आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल. द्वारा जीआर/एजीआर के लिये राजस्व साझेदारी के भुगतान हेतु निवेश की बिक्री से लाभ को शामिल नहीं किया जाना।

यूएसएल समझौते के खण्ड 20.4 में संदर्भित, राजस्व और एलएफ (एजीआर विवरणी) का फार्मेट विवरणी, जैसा कि परिशिष्ट- ii से अनुलग्नक -ii में निर्धारित है, लाईसेंस समझौते का अभिन्न भाग है। विवरणी में मद संख्या-4 "निवेश के आय" दर्शाने के लिये निर्धारित है।

आई.सी.एल. के रिकार्ड/डाटा से यह पाया गया कि वर्ष 2006-07-2007-08, 2008-09 और 2009-10 में "निवेश बिक्री से लाभ" में क्रमशः ₹ 8.13 करोड़, ₹ 43.18 करोड़ ₹ 222.75 करोड़ और ₹ 87.87 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी। 2006-07 में निवेश बिक्री से आय को राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जीआर/एजीआर में शामिल किया गया था परन्तु 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में इससे ₹ 353.80 करोड़ की आय को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया। (अनुलग्नक 6.13 में वर्णित) इसी प्रकार (ए.बी.टी.एल.) ने 2008-09 में ₹ 45.03 करोड़ की निवेश आय को एलएफ/एसयूसी. के लिये शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर, प्रबन्धन ने बताया कि टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट टी बी के अर्न्तगत निवेश आय को एजीआर में शामिल नहीं किया गया। आगे यह बताया गया कि यह ट्रेजरी फंक्शन से निकाली गई आय है जो कि लाईसेंस गतिविधियों से अलग और स्पष्ट फंक्शन है और यह आय गैर लाईसेंस गतिविधि/गैर परिचालक से प्राप्त आय है। इसलिये ऐसी कारपोरेट आय को जीआर का भाग नहीं माना जा सकता। आगे यह बताया गया कि बिहार एलएसए में दूरसंचार सेवायें अक्टूबर 2008 में शुरू हुईं, व्यापारिक परिचालन से पहले साल अर्थात् 2008-09 में ₹ 45.53 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। ए.बी.टी.एल ने कैपैक्स की शुरुआत हेतु ₹ 300 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया था जिसमें से ₹ 120 करोड़ का कर्ज होल्डिंग कंपनी आई सी एल द्वारा दिया गया था। यह एक प्रोजेक्ट स्थिति थी जिसमें बिहार के कुछ जिलों में सेवा लान्च की जानी थी और विशाल रोल-आउट प्रगति पर था। कैपैक्स के लिये उपयोग करने से पहले अतिरिक्त निधियों के अल्पकालिक निवेश की स्थिति में, अन्य अतिरिक्त निधि नहीं हो सकती। दूरसंचार में प्रोजेक्ट फंडिंग का परिणाम दिये गये लोन/ऋण और आय के अन्तिम उपयोग में बेमेल होता है जिसका प्रभाव ट्रेजरी आय को ट्रेजरी व्यय दर्शाता है। व्यापार द्वारा अर्जित अतिरिक्त रोकड़ का उपयोग कर्जदाता की शर्तों के कारण अन्य तरीको से निवेश में किया जाता है। (कैपैक्स के अलावा) उपरोक्त पर विचार करते हुए निवेश बिक्री से लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

निवेश से आय को जीआर में न शामिल करने का प्रबंधन का तर्क टी.डी.सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से प्रभाव शून्य हो गया

है। आगे लाईसेंस करार में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु निवेश से आय को जीआर/एजीआर में शामिल करने का प्रावधान है और यह दूरसंचार गतिविधि और गैर-दूरसंचार गतिविधि से अर्जित राजस्व में अन्तर नहीं करता।

इस प्रकार आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल द्वारा 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान निवेश से अर्जित ₹ 398.83 करोड़ की आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप एलएफ/एसयूसी का क्रमशः ₹ 33.36 करोड़ और ₹ 14.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.13)

### 6.3.3 मैसर्स आई सी एल द्वारा एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए ए जी आर की विविध आय पर विचार नहीं करना

आई सी एल के लाभ एवं हानि लेखा में, "अन्य आय" की सूची के अन्तर्गत वर्गीकृत राजस्व/आय को पुनः दो श्रेणियों में उप वर्गीकृत किया गया है:—(i) देयता/रीटन बैंक प्रावधान एवं (ii) विविध आय। ए जी आर विवरणों से यह पाया गया कि ए जी आर के लिए 2006-07 से 2009-10 तक प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए अन्य आय की राशि पर विचार नहीं किया गया था जबकि 2006-07 एवं 2009-10 में ए जी आर के लिए दूसरी श्रेणी (विविध आय) के अन्तर्गत वर्गीकृत आय पर विचार किया गया था परन्तु 2007-08 तथा 2008-09 में आंशिक रूप से विचार किया गया था।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए विविध आय (बीमा दावाओं को छोड़कर) की राशि ₹ 9.37 करोड़ है जिसमें से ए जी आर के लिए सिर्फ ₹ 1.04 करोड़ की राशि पर विचार किया गया था एवं ₹ 8.33 करोड़ की शेष राशि पर विचार नहीं किया गया था। (अनुलग्नक-6.14)

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न पर यह उत्तर दिया कि:

- जहाँ तक विविध आयों का प्रश्न है, ये आय स्क्रेप बिक्री, बीमा दावे आदि व्यवसाय से सम्बन्धित हैं, जिनका लाइसेन्स समझौते के अन्तर्गत दूरसंचार परिचालन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।
- टी डी सैट के निर्णय, दिनांक 07 जुलाई 2006 के अनुसार लाईसेंस शुल्क के अभिकलन का सिद्धान्त ए जी आर पर आधारित होगा। सिर्फ लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व पर ही लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया जाएगा (विना लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों से नहीं)। टीडी सैट क दिनांक-30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, जिस पर डी ओ टी की सहमति थी, निर्धारित परिसंपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राजस्व जो पूँजीगत आय की प्रकृति का है एवं बीमा दावे ए जी आर का हिस्सा नहीं होने चाहिए एवं विविध/अन्य आय के श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य मदों का निर्णय, मामले विशेष के आधार पर इनके समावेश या अपवर्जन पर विचार करने के लिए, लेना होगा।

आई सी एल प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है, चूँकि—

- जी आर की परिभाषा स्पष्ट करती है कि राजस्व हिस्सेदारी के अभिकलन के लिए जी आर में वि. विध आय को शामिल करना चाहिए। प्रबन्धन का यह तर्क कि ये विविध आय बिना लाइसेन्स प्राप्त गतिविधियों से प्राप्त हुए हैं एवं इसलिए इन्हे ए जी आर में शामिल नहीं करना है स्वीकार्य नहीं है। ये विविध आय सिर्फ लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों के लिए संबद्ध हैं।

- कम्पनी का यह तर्क कि टीडी सैट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय से दूरसंचार विभाग सहमत था, सही नहीं है क्यों कि दूरसंचार विभाग ने इस निर्णय को चुनौती दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को अपने 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से रद्द कर दिया था।
- जीआर/एजीआर में विविध आय की राशि को शामिल नहीं करने हेतु लेखापरीक्षा ने विविध राजस्व में शामिल किए गए वीमा दावे को अलग किया।

अतः उपरोक्त विविध आय के मदों की राशि ₹ 8.33 करोड़ को ए जी आर में शामिल नहीं किया था, उन्हें लाइसेन्स शुल्क/स्पेक्ट्रम प्रभार के अभिकलन के लिए ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। जी आर/ए जी आर में विविध आय को शामिल नहीं करने से एल एफ एवं एस यू सी की क्रमशः ₹ 0.70 करोड़ एवं ₹ 0.32 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (संलग्नक-6.14)

#### 6.3.4. आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिए अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ से प्राप्त आय को शामिल नहीं करना

आई सी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए दिए गए आंकड़ों/अभिलेखों के परीक्षा से यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान आई सी एल के लाभ एवं हानि लेखाओं में ₹ 16.00 करोड़ के अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ (अनुलग्नक-6.15) को अन्य प्रशासनिक व्यय के साथ समायोजित किया गया था एवं एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, ए बी टी एल के मामले में, ₹ 0.12 करोड़ के निर्धारित परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ को एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में बताया कि:

- कम्पनी का लेखाकरण प्रतिपादन एवं लेखा का प्रस्तुतीकरण कम्पनी एक्ट के अनुसूची-VI के अनुसार है। विक्रय पर कोई हानि/लाभ पूँजीगत आय है। परिसंपत्तियों में किए गए निवेशों से राजस्व उत्पन्न होता है, जिस पर लाइसेन्स शुल्क लगता है। ऐसी परिसंपत्तियों के निपटारे से प्राप्त बिक्री आय से होने वाली लाभ/हानि बहीखाते में परिसंपत्तियों के ह्रास मूल्य (रीटन डाउन वैल्यू) से अधिक राशि की वसूली है। यह लाभ वास्तव में लाभ नहीं है क्योंकि अवमूल्यन के लाभ को पहले नहीं लिया गया है। यह प्रचालनों से प्राप्त राजस्व एवं साथ ही साथ व्यवसाय के लिए पहले से रखे गए पूँजीगत व्यय के हिस्से पर लाइसेन्स शुल्क लगाने के समान भी होगा। यह राजस्व पूँजीगत राजस्व था एवं इसे लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि से प्राप्त नहीं किया गया था एवं इसलिए एल एफ के अभिकलन के लिए इसे ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- टी डी एस ए टी के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ए जी आर के अभिकलन के लिए अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं किया गया था।

प्रबन्धन का दावा मान्य नहीं है क्योंकि:

- जी आर की परिभाषा स्पष्ट करती है कि राजस्व हिस्सेदारी के अभिकलन के लिए जी आर में विविध आय को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लाइसेन्स समझौता, लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि एवं बिना लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि में भेद नहीं करता। जी आर की परिभाषा के अनुसार, सकल राजस्व में लाइसेन्सी को सभी राजस्वों को, बिना व्यय के सम्बन्धित मदों को घटाए हुए, एवं अर्जित राजस्व को शामिल किया जाएगा क्योंकि उपरोक्त सिर्फ लाइसेन्स प्राप्त गतिविधि के लिए प्रसांगिक हैं एवं कम्पनी ने भी वर्ष 2006-07 में इसे ए जी आर के अभिकलन के लिए शामिल किया था।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2011 के निर्णय से टी डी सैट को दिनांक 30 अगस्त 2007 निर्णय प्रभाव शून्य हो चुका है।

इस प्रकार अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ से हुए ₹ 16.12 करोड़ की आय को, राजस्व के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.54 करोड़ एवं ₹ 1.069 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-6.15)

## 6.4. अन्य मुद्दों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम-भुगतान/भुगतान न होना

### 6.4.1. आई सी एल द्वारा ए जी आर गणना के लिए जी आर से रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण की अनियमित कटौती

आई सी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए दिए गए आंकड़ों/अभिकलनों के समीक्षा से यह बात सामने आई कि वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 173.31 करोड़ को प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों के अन्तर्गत, "रीटन ऑफ (अप्राप्य ऋण) के रूप में शामिल किया गया था। परन्तु, वर्ष 2009-10 में आठ एल एस ए<sup>3</sup> से सम्बन्धित ए जी आर गणना के लिए, ₹ 172.18 करोड़ की राशि "रीटन ऑफ (अप्राप्य ऋण) के कारण जी आर से घटाया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न पर यह कहा कि टी डी सैट के दिनांक-30 अगस्त, 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान उपर्युक्त आठ एल एस ए के वार्षिक संपरीक्षित ए जी आर को तैयार करते समय रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण की कटौती को शामिल किया है, जिसकी कुल धनराशि ₹ 172.18 करोड़ होती है। परन्तु डी ओ टी को लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करते समय, कम्पनी ने रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण को शामिल नहीं किया था एवं लाइसेन्स शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार के रूप में ₹ 25.19 करोड़ की धनराशि का अधिक भुगतान कर दिया गया था। आगे यह कहा गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 173.31 करोड़ की धनराशि जिसे अशोध्य ऋण के रूप में आंकलित (रीटन ऑफ) किया गया था, उसके कारण पहले से ऐसी संदिग्ध प्राप्य के लिए किए गए प्रावधानों को बदल दिया गया। इन प्राप्यों के राइट ऑफ करने के लिए की गयी प्रविष्ट को व्यय प्रावधान जी एल कोड के डेबिट द्वारा एवं परिमंडल बही खातों में सम्बन्धित देनदार एवं सेवा कर लेखाओं को क्रेडिट करके पास किया गया जिससे अप्राप्य ऋण रीटन ऑफ (व्यय) के प्रावधानों को अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों (व्यय) के प्रावधानों से ₹ 173.31 करोड़ की धनराशि का पुनः समूहन (री-ग्रुपिंग) किया। फिर भी, वर्ष 2009-10 के दौरान लाभ एवं हानि लेखाओं में प्रभार सिर्फ ₹ 47.29 करोड़ था।

3 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश

प्रबंधन का दावा मान्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 को निर्णय प्रभाव शून्य हो चुका है। इसके अलावा, ला. इसेन्स समझौते में ए जी आर गणना के लिए जी आर से अप्राप्य ऋणों की कटौती का प्रावधान नहीं है एवं लाइसेंसी ने स्वयं वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान ए जी आर गणना के लिए जी आर से रीटन ऑफ अप्राप्य ऋणों की कटौती नहीं की थी। यद्यपि कम्पनी ने बताया कि वट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण पर एलएफ तथा एस.यू.सी का भुगतान किया गया परन्तु लेखापरीक्षित ए.जी.आर विवरणी में इस का कटौती में दर्शाना लाइसेंस करार का उल्लंघन था। कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा न किये गये ए.जी.आर पर आकलन के आधार पर तिमाही भुगतान को दूरसंचार विभाग द्वारा मानी जायेगी जो कि केवल लेखापरीक्षित ए.जी.आर विवरणी पर होना चाहिये।

इस प्रकार ए जी आर गणना के लिए जी आर से अप्राप्य ऋणों की कटौती के कारण सकल राजस्व को ₹ 172.18 करोड़ कम दिखाया गया एवं एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 16.89 करोड़ एवं ₹ 7.03 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-6.16)

## 6.5 अन्य मुद्दे

### 6.5.1 आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा अपने नियंत्रक कम्पनी को शून्य आधार पर एक संयुक्त उद्यम को अंतिम स्थानांतरण के लिए संरचना परिसंपत्तियों का स्थानांतरण

आई सी एल का प्रवर्तन (मार्च 1995) आदित्य बिरला ग्रुप कम्पनियों, जिसमें ए बी टी एल भी शामिल है, के द्वारा किया गया। दिनांक 29 अगस्त 2006 से ए बी टी एल प्रवर्तक नहीं रह कर दिनांक 28 फरवरी 2007 से आई सी एल की एक सहयोगी कम्पनी हो गया। ए बी टी एल ने बिहार एल एस ए के लिए यू ए एस लाइसेंस दिसम्बर 2006 में प्राप्त किया परन्तु अपना दूरसंचार प्रचालन 2009-10 में शुरू किया आई सी एल ने तीन नयी सहयोगी कम्पनियाँ बनायीं, आइडिया सेल्युलर सर्विसेस लिमिटेड (आई सी एस एल) एवं आइडिया सेल्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड (आई सी आई एस एल), (दिनांक 03-10-2007 को निगमित) किया गया और आइडिया सेल्युलर टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (आईसीटीआईएल)(3 सितम्बर 2007 में निगमित) आई.सी.टी.आई.एल एक पूर्ण स्वामित्व वाली आई.सी.आई.एफ.एल की सहयोगी थी और इस प्रकार आई.सी.एल की भी सहयोगी कम्पनी थी।

आई सी एल एवं आई सी टी आई एल के बीच आई सी एल के पैसिव संरचना के विलय के लिए एवं इन संरचनाओं को, 9 एल एस ए<sup>4</sup> में आई.सी.टी.आई.एल में हस्तांतरण हेतु 01 जनवरी 2009 की नियुक्ति तिथि से स्थानांतरित करने कि व्यवस्था की योजना को दिल्ली एवं गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया एवं यह व्यवस्था दिनांक 29 सितम्बर 2009 से प्रभावी हुई। वर्ष 2008-09 में आई सी एल एवं आई सी टी आई एल के बही खातों में लेखांकन प्रविष्टियाँ इस योजना के अनुसार की गयीं एवं तदनुसार आई सी एल के खातों में, ₹ 1622.78 करोड़ के परिसंपत्तियों के बही मूल्य से हटाये गये एवं इसके समानुपात में सहायक कम्पनी ए बी टी एल में निवेश राशि बढ़ायी गयी। आई सी टी आई एल

4 आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, यू पी (पूर्व), यू पी (पश्चिम), हरियाणा, केरल, राजस्थान और मुम्बई

के खातों में उपरोक्त परिसंपत्तियों को, उनके बही मूल्य पर, सामान्य रिजर्व में समान क्रेडिट के साथ, दर्ज किया गया था।

ए बी टी एल एवं आई सी एल के बीच, 01 अप्रैल 2009 की नियुक्ति तिथि से, यू ए एस एल एवं (बिहार एल एस ए के ) ए बी टी एल के सम्बन्धित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के स्थानांतरण के लिए, की गयी दूसरी व्यवस्था को बॉम्बे एवं गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया, जो 01 मार्च 2010 से प्रभावी हुई। वर्ष 2009-10 में आई सी ए एवं ए बी टी एल के बही खातों में लेखा प्रविष्टियाँ इस व्यवस्था के अनुसार की गयी। तदनुसार ए बी टी एल के खातों में, ₹ 2069.45 करोड़ को बटेखाते में डालकर इतनी ही राशि को विजेनस रिस्ट्रक्चरिंग रिजर्व से निकाल लिया गया। आई सी एल के खातों में, इन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनके अंकित मूल्य पर दर्ज किया गया एवं ₹ 2069.45 करोड़ की धनराशि को सामान्य रिजर्व में क्रेडिट किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आई सी एल एवं ए बी टी एल द्वारा सम्पत्तियों का हस्तान्तरण निरंक कीमत पर किया गया था परन्तु हस्तांतरित कम्पनियां ने (आई सी टी आई एल एवं आई सी एल) सम्पत्तियों की कीमत जनरल लेजर में अनुकूल क्रेडिट के साथ दर्ज मूल्य पर लेखांकित की निरंक कीमत पर सम्पत्तियों का स्थानांतरण अर्मस लेगथ लेन-देन नहीं था क्योंकि तीनों ही कम्पनियाँ अलग इकाई थी। हस्तांतरित कम्पनियों द्वारा दर्ज मूल्य पर सम्पत्तियों का लेखांकन एवं लम्बित पुर्नमुल्यांकन, हस्तांतरणकर्ता कम्पनी द्वारा लाभ त्यागने के कारण एल एफ तथा एस यू सी पर इसका प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका।

## 6.6 एल एफ एवं एस यू सी के अल्प भुगतान/न किए गए भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपर्युक्त 6.2 से 6.4 पैराओं में उल्लेख किया गया है, ऊपर उठाए गए मुद्दों पर एल एफ एवं एस यू सी के अल्प भुगतान/भुगतान न होने पर ब्याज की राशि क्रमशः ₹ 289.99 करोड़ और ₹ 133.27 करोड़ होती है। एल एफ और एस यू सी के इस अल्प भुगतान/न किये गए भुगतान पर ब्याज ₹ 541.63 करोड़ है (अनुलग्नक 6.17) ब्याज की गणना लाइसेन्स समझौते में निर्धारित दर पर आधारित थी (अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा कुल उधार दर से दो प्रतिशत अधिक एवं गणना के लिए विचार की गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। ब्याज की गणना लाइसेंस शर्तों में निर्धारित मासिक कम्पाउण्ड दर पर की गई है।

## 6.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर

आई.सी.एल.द्वारा राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण दूरसंचार विभाग को नवम्बर 2015 में भेजा गया। दू.वि का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)



## अध्याय VII

# टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

### 7.1 कम्पनी की संक्षिप्त रूपरेखा।

मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (टी टी एस एल) को 1996 और दिसंबर 2002 में निगमित किया गया था। टी टी एस एल ने हगिस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड (एच टी आई एल) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 50.83 प्रतिशत अर्जित किया जिसके पास महाराष्ट्र में पास बेसिक लाइसेंस था। 13 फरवरी 2003 को, एच टी आई एल का नाम बदलकर मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (टी टी एम एल) कर दिया गया था और यह टी टी एस एल की सम्बद्ध कम्पनी है। टी टी एस एल, दोहरी तकनीकी पर आधारभूत सेवायें तथा सेल्यूलर सेवायें जैसा सी डी एम ए और जी एम एम प्रदान करता है।

#### 7.1.1 टीटीएसएल और टीटीएमएल को लाइसेंस प्रदान किये गये।

टी टी एस एल को सितम्बर 1997 में आंध्र प्रदेश एल एस ए में बेसिक लाइसेंस दिया गया था तथा अगस्त 2001 में इसे पांच<sup>1</sup> और अधिक एल एस ए' के लिये बेसिक लाइसेंस दिये गये थे बाद में, जनवरी-फरवरी 2004 के दौरान, कम्पनी को बारह<sup>2</sup> और यू ए एस एल लाइसेंस दिये गये थे। 2008 में, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के लिये तीन नये यू ए एस एल लाइसेंस प्रदान किये गये थे। टी टी एम एल के पास मुम्बई और महाराष्ट्र में यू ए एस एल है' इसलिये टी टी एस एल और टी टी एम एल की सभी 22 एल एस ए में उपस्थिति है।

टी टी एस एल के पास एन एल डी लाइसेंस भी है तथा टी टी एम एल के पास आई एस पी लाइसेंस है।

#### 7.1.2 टीटीएसएल व टीटीएमएल को स्पेक्ट्रम आबंटित किये गये

31 मार्च 2010 को टी टी एस एल व टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम निम्नलिखित थे।

तालिका 7.1

क्र.सं.	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
<b>सीडीएमए</b>		
1	2x5 एमएचजेड	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुम्बई
2	2x3.75एमएचजेड	चेन्नई, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, कोलकाता, पंजाब, राजस्थान, यू.पी. (पूर्व), यू.पी. (पश्चिम)
3	2x2.5 एमएचजेड	तमिल नाडु, असाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एण्ड कश्मीर, मध्य प्रदेश, (उत्तर पूर्व), उड़ीसा, पश्चिम बंगाल
<b>जीएसएम</b>		
1	2x4.4 एमएचजेड	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिल नाडु (इन्क्लूडिंग चेन्नई), गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुम्बई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू.पी.(पूर्व), यू.पी. (पश्चिम), पश्चिम बंगाल

1 दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिल नाडु (इन्क्लूडिंग चेन्नई)

2 पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यू.पी. (पूर्व), यू.पी. (पश्चिम) और कोलकाता

### 7.1.3 टी टी एस एल व टी टी एम एल का अभिदाता बेस

टी टी एस एल/टी टी एम एल के अभिदाता 31 मार्च 2007 को 1.66 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 में 6.71 करोड़ हो गये, इस प्रकार 305 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान, टी टी एस एल गुप चौथे स्थान पर बना रहा तथा इसका मार्किट शेयर मार्च 2007 को 8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2010 में 11 प्रतिशत हो गया।

### 7.1.4 सकल राजस्व, कटौती, बताया गया समायोजित सकल राजस्व तथा टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा अपेक्षित है कि वे जी आर की प्रतिशतता पर एल एफ व एस यू सी का भुगतान स्वमूल्यांकन के आधार पर हर तिमाही में करें। इन वर्षों में टी टी एम एल द्वारा भुगतान किये गये सकल राजस्व, कटौती, बताया गया समायोजित सकल राजस्व व टी टी एस एल तथा राजस्व अंश (एल एफ व एस यू सी) निम्नलिखित थे:

तालिका 7.2

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	वर्ष	सकल राजस्व	कटौतियां	समायोजित सकल राजस्व	प्रतिशतता	राजस्व अंश
टीटीएसएल	2006-07	5,015.43	1,570.06	3,445.37	68.7	318.18
टीटीएसएल	2007-08	5,921.93	1,853.03	4,068.90	68.71	370.68
टीटीएसएल	2008-09	6,510.74	2,222.26	4,288.48	65.87	388.91
टीटीएसएल	2009-10	6,125.02	1,497.10	4,627.92	75.56	416.32
<b>Total</b>		<b>23,573.12</b>	<b>7,142.45</b>	<b>16,430.67</b>	<b>69.7</b>	<b>1494.09</b>
टीटीएमएल	2006-07	1,389.45	358.60	1,030.85	74.19	103.08
टीटीएमएल	2007-08	1,702.95	395.34	1,307.62	76.79	130.76
टीटीएमएल	2008-09	1,912.34	427.39	1,484.94	77.65	148.49
टीटीएमएल	2009-10	2,038.65	387.89	1,650.75	80.97	165.07
<b>Total</b>		<b>7,043.38</b>	<b>1,569.22</b>	<b>5,474.16</b>	<b>77.72</b>	<b>547.42</b>

### 7.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा राजस्व कम बताया जाना

जैसा कि पैराग्राफ 1.4 (क) में उल्लिखित है, सकल राजस्व उसमें बताये गये सभी प्रकार के राजस्व का व्यय की सम्बन्धित मद के लिये, कोई घटाये बिना समावेशन होगा।

जैसा कि यू ए एस एल करार के परिशिष्ट III में भी उल्लिखित है, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दर्शाया जायेगा तथा कमी/छूट के ब्योरे अलग से दर्शाये जायेंगे।

टी टी एस एल तथा टी टी एम एल के अभिलेखों/लेखा पुस्तकों (वाउचर, सामान्य लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ व हानि लेखे, तुलन पत्र आदि) की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन कम्पनियों ने लाइसेंस करार के प्रावधानों का पालन नहीं किया था जैसा कि नीचे वर्णित है।

### 7.2.1 वितरक/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर आदि को भुगतान किया गया कमीशन का टी टी एस एल द्वारा राजस्व से डेबिट किया गया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये टी टी एस एल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि वितरक/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलरों आदि को भुगतान किया गया कमीशन राजस्व से घटाया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को कमीशन/मार्जिन का किया गया भुगतान व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का था, अतः राजस्व के साथ इस प्रकार के व्यय में घटाव लाइसेंस शर्त के विरुद्ध था। तथापि, टी टी एम एल के सम्बंध में यह देखा गया था कि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर आदि को किए गये कमीशन का भुगतान को व्यय माना गया था।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल के सभी लाइसेंस युक्त क्षेत्रों के राजस्व से कुल कमीशन ₹ 521.35 करोड़ नेट ऑफ किया था जैसा कि प्रबन्धन द्वारा पुष्टि की गई **(अनुलग्नक -7.01)**। लेखापरीक्षा टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, प्रबन्धन ने बताया कि थोक/फुटकर विक्रेता के साथ लेन-देन मूल से मूल प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के खंड 6 के अनुसार सब लाइसेंस/असाइनमेंट/लाइसेंस का हस्तांतरण भी नहीं था। अतः थोक विक्रेता/डीलर/फुटकर विक्रेता को भुगतान किये गये रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट्स (एस यू के) के वृहत क्रय पर ट्रेड डिस्काउन्ट अथवा व्यापारिक डिस्काउन्ट को लाइसेंस फीस के परिकलन के प्रयोजन हेतु बाद में नहीं जोड़ना चाहिये।

मूल से मूल के सम्बंध पर प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैराग्राफ 3.2.1 (क) में बताया गया है।

इस प्रकार वितरकों/फ्रेन्चाइजी/एजेन्ट/डीलर इत्यादि को भुगतान किया गया कमीशन राजस्व से घटाया (नेटेड आफ)किया गया परिणामतः जी आर/ए जी आर का ₹ 521.35 करोड़ से कम अंकन हुआ और एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 47.33 करोड़ और ₹ 14.25 करोड़ कम भुगतान हुआ।

### 7.2.2 टीटीएसएल तथा टीटीएमएल द्वारा उपभोक्ताओं इत्यादि को प्रदत्त छूट को घटाने के कारण राजस्व को आंका गया

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने अभिदाताओं को विभिन्न योजनायें/छूट पेश की थी (मात्रा छूट, इन्ट्रा सर्किल छूट, कन्टेन्ट सेवा छूट, रिचार्ज कार्ड छूट, एस एम एस छूट, टाटा टू टाटा छूट व नकद छूट, आदि)। यह भी देखा गया था कि कम्पनी ने व्यय शीर्ष के बजाय राजस्व शीर्ष से ये छूट डेबिट की थी जिसका परिणाम यह हुआ ए जी आर के लिये विचारित राजस्व का कम अंकन किया गया।

चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को कमीशन/मार्जिन का भुगतान व्यावसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति का है, अतः राजस्व से इस प्रकार के व्यय को घटाया जाना लाइसेंस शर्तों के विरुद्ध था।

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल की विविध छूट के कारण राजस्व से कुल नेट ऑफ राशि क्रमशः 4814.16 करोड़ व ₹ 1476.18 करोड़ आंकी गई। **(अनुलग्नक 7.02 व 7.03)**

प्रबन्धन ने बताया कि कम्पनी द्वारा दी गई छूट ट्राई के साथ फाइल की गई टैरिफ योजना के भाग के रूप में दी गई छूट थी, कर्मचारियों तथा व्यवसायिक सहयोगी को दी गई छूट तथा इंटरनल लाइन

(आंतरिक विषय) छूट थी।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्न है—

प्रबन्धन का यह तर्क कि ट्राई को प्रस्तुत टैरिफ योजना के तहत उपरोक्त छूट कवर की गई थी, स्वीकार्य नहीं है चूंकि इस प्रकार की टैरिफ योजनायें लेखापरीक्षा के साथ न तो शेयर की गई थीं और न ही उत्तर के साथ संलग्न की गई थीं। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार के परिशिष्ट-III के अनुसार ए जी आर विवरण तैयार करते समय सेवा राजस्व, सकल में दर्शाया जाना चाहिये और किसी प्रकार की छूट/रिबेट से नैट ऑफ नहीं किया जाना चाहिये।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा विविध छूट के कारण राजस्व से क्रमशः राशि ₹ 4814.16 करोड़ और ₹ 1476.18 करोड़ घटायी गयी (नेटेड आफ) जिससे जी आर/ए जी आर इतनी राशि से कम बनाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी द्वारा क्रमशः ₹ 444.20 करोड़ तथा ₹ 131.77 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा ₹ 147.62 करोड़ तथा ₹ 48.42 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 7.2.3 टी टी एस एल व टी टी एम एल के द्वारा सकल राजस्व से उपभोक्ताओं को पेश किये गये समायोजन को (नेटिंग ऑफ) घटाया गया।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने लेखा के राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत विविध प्रकार के समायोजन ('बिलिंग समायोजन, संग्रहण वेवर के लिये समायोजन, बिल बैंक आउट समायोजन, राउन्ड आफ समायोजन तथा विविध समायोजन' आदि) के लिये पृथक लेखा कोड रखा था तथा सभी समायोजन राजस्व में डेबिट कर दिये गये थे।

यह भी देखा गया था कि उपभोक्ताओं को दिये गये वेवर के कारण कम्पनी ने समायोजन देने के उद्देश्य से राजस्व शीर्ष में इस तरह के समायोजन को डेबिट किया था जिसका परिणाम यह हुआ कि ए जी आर के लिये विचारित राजस्व उस हद तक कम दर्शाया गया था।

चूंकि 'वेवर' व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का एक भाग था, वे व्यय की प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के अनुसार व्यय की सम्बन्धित मदों के लिये घटाव अनुमत नहीं किया गया था।

टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा राजस्व से नेटिड ऑफ संग्रहण वेवर के लिये समायोजन की कुल राशि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये क्रमशः ₹ 128.00 करोड़ तथा ₹ 147.73 करोड़ निकाली (अनुलग्नक 7.04 तथा 7.05) जिसमें ए जी आर उसी हद तक कम बताये गये थे।

कम्पनी ने उत्तर में बताया था कि:

- सामान्य व्यवसाय करने में उपभोक्ताओं/कर्मचारियों/आउटसोर्सिड कर्मचारी आदि को दिये गये समायोजन/वेवर लेखा शीर्ष में शामिल है तथा राजस्व की पहचान इस प्रकार के वेवर को घटाने के उपरान्त की जाती है।
- विवादों के कारण समाकृति त्रुटियों के कारण गलत बिलिंग होने पर संशोधन/समायोजन किये जाते हैं। ये त्रुटियां अधिक बिल बनाये जाने, गलत बिल बनाये जाने, समय पर भुगतान करने लेकिन फिर भी भुगतान प्रभार बिलम्ब से लगाये जाने से संबद्ध हो सकती हैं, बाद में, इसे वेव आफ (छोड़ दिया

गया) कर दिया गया था। बिलिंग में समायोजन/बिलिंग में त्रुटियां किसी व्यवसायिक गतिविधि का सामान्य भाग है और नकद का सकल अंतर्प्रवाह, प्राप्त योग्य अथवा बिलिंग में गलत/त्रुटि के कारण अन्य विचार का परिणाम या कारण नहीं होती है इसीलिये गलत बिलिंग के विरुद्ध समायोजित/घटाव किये जाने में विपरीत क्रम की आवश्यकता होती है

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार निम्न है—

- प्रबन्धन द्वारा इंगित किये जाने पर, बिलिंग समायोजन तथा ऑपरेटर जमा समायोजन पर विचार किया गया है और तदनुसार आंकड़ों में संशोधन किया गया है।
- अन्य समायोजन जैसे संग्रहण वेवर और विविध समायोजन आदि के सम्बंध में प्रबन्धन का तर्क स्वीकार्य नहीं है चूंकि ये व्यवसाय बढ़ाने के लिये समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग होते हैं अतः वे व्यय की प्रकृति के होते हैं और लाइसेंस करार के खंड 19.1 में व्यय की सम्बन्धित मदों के लिये घटाव की अनुमति नहीं दी गई है।

इस तरह संग्रहित वेवर/विविध समायोजन इत्यादि की कुल समायोजन राशि टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा क्रमशः ₹ 128.00 करोड़ और ₹ 147.73 करोड़ राजस्व से घटायी गई (नेटेट आफ) जिसके कारण जी आर/ए जी आर कम दर्शाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 11.20 करोड़ तथा ₹ 3.48 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा ₹ 14.77 करोड़ व ₹ 4.85 करोड़ कम हुआ।

#### 7.2.4 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा स्टार्ट अप किट, रिचार्ज वाउचर इत्यादि के राजस्व का नेटिंग आफ

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रदान किये गये डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि कम्पनी थोक विक्रेता/डीलर/फुटकर विक्रेता को रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट (एस यू के) के वृहत क्रय पर विविध छूट देती है। यह भी देखा गया कि कम्पनी ने राजस्व शीर्ष से ये छूट डेबिट की थी जिसके परिणाम स्वरूप ए जी आर के लिये विचारित राजस्व कम दर्शाया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेन्चाइजी/डीलरों को दी गई वृहत क्रय पर छूट व्यवसायिक व्यय (विपणन व्यय) की प्रकृति की थी, राजस्व में इस प्रकार के व्यय का घटाव लाइसेंस शर्त के विरुद्ध था।

वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान, टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा क्रमशः ₹ 104.82 करोड़ तथा ₹ 8.50 करोड़ की कुल राशि राजस्व से घटाई गई थी (अनुलग्नक 7.06 व 7.07) जिससे ए जी आर उसी हद तक कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता साथ लेन-देन मूल से मूल प्रकृति के थे तथा लाइसेंस करार के खंड 6 के अनुसार सब लाइसेंस/असाइनमेंट/लाइसेंस का हस्तांतरण अनुमत नहीं था। अतः रिचार्ज वाउचर (आर सी वी) तथा स्टार्ट अप किट्स (एस यू के) में वृहत्त क्रय पर छूट या व्यापार छूट जोकि थोक विक्रेता/डीलर/रिटेलर को दी गई थी, लाइसेंस फीस की गणना के प्रयोजन हेतु वापिस नहीं जोड़नी चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार मूल से मूल के सम्बंध में पैराग्राफ 3.2.1 (क) में बताया गया है इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा राजस्व से कुल राशि क्रमशः ₹ 104.82 करोड़ और

₹ 8.50 करोड़ घटायी (नेटेड आफ) जिससे जी आर/ए जी आर कम दर्शाये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 8.90 करोड़ तथा ₹ 2.82 करोड़ व टी टी एम एल द्वारा ₹ 0.85 करोड़ व ₹ 0.28 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 7.2.5 टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व में अवसंरचना शेयरिंग से प्राप्त आय को ध्यान में न रखना

टी टी एस एल के विवरणों पर टिप्पणियों व लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण की समीक्षा में यह देखा गया था कि 2008-09 व वि व 2009-10 के दौरान कम्पनी द्वारा अवसंरचना हिस्सेदारी के लिये ओपेक्स प्राप्ती से आय को सकल राजस्व के लिये विचार नहीं किया गया था, जैसाकि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा खुलासा किया गया था।

लाइसेंस करार के निबन्धनों में, जी आर में अवसंरचना की अनुज्ञेय शेयरिंग से राजस्व में व्यय की संबंधित मद किसी प्रकार का घटाव किये बिना शामिल है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस करार, कापेक्स व ओपेक्स के मध्य अवसंरचना शेयरिंग राजस्व में कोई भेद नहीं करता है। अतः व्यय के विरुद्ध अवसंरचना शेयरिंग से राजस्व का घटाव अनुमत नहीं किया गया था।

अन्य ऑपरेटरों से प्राप्त कुल राशि जिस पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 में ए जी आर के परिकलन के लिये विचार नहीं किया गया था, ₹ 23.49 करोड़ थी (अनुलग्नक 7.08)

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि

- ओपेक्स की प्रतिपूर्ति ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये चूंकि व्यय में क्रेडिट प्राथमिक रूप से व्यय के वर्गीकरण, व्यय वृद्धि की वास्तविकता, व्यय की प्रतिपूर्ति तथा प्राप्त बीमा दावा, किसी सम्बंध/लेखांकन प्रथाओं में कम्पनी के लिये राजस्व नहीं होते हैं।
- इसके अतिरिक्त कम्पनी ने बताया कि टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने निर्णय में स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया था कि भुगतान जोकि व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रकृति का है, राजस्व नहीं समझा जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टी डी सैट के निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 के विरुद्ध दू वि ने सर्वोच्च न्यायालय में अपिल दायर की है। प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का विचार पैराग्राफ 3.2.4 में बताया गया है।

इस प्रकार अन्य ऑपरेटरों से प्राप्त कुल आय जो ए जी आर के परिकलन के लिये विचार नहीं की गयी ₹ 23.49 करोड़ थी जिसके कारण लाइसेंस फीस ₹ 2.26 करोड़ व एस यू सी ₹ 0.65 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 7.2.6 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा सकल राजस्व के परिकलन के लिये वसूला गया फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन

2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रेषित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि लेखापुस्तकों में दर्ज विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण फोरेक्स लेखा कोड में लाभ तिमाही वसूला गया था, जी आर/ए जी आर के लिये इस पर कोई विचार नहीं किया गया था।

टी टी एस एल व टी टी एम एल के लिये 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये प्रचालित फोरेक्स लेखा कोड प्रकरण में वसूला गया त्रैमासिक निवल लाभ को ध्यान में रखते हुए क्रमशः ₹ 261.75 करोड़ व

₹ 59.26 करोड़ लाभ हुआ (अनुलग्नक 7.09 व 7.10) जिसका ए जी आर के लिये विचार नहीं किया था।

यहां यह उल्लेखित करना उपर्युक्त है कि ओरेकल फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा उत्पन्न रिपोर्ट से निकाले गये डेटा से उपरोक्त वसूले गये लाभ की गणना उस विशेष मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती थी, चूंकि प्रत्येक वर्ष विदेशी विनियमय लाभ/हानि शीर्ष के अन्तर्गत शामिल सभी मदों के मूल्य को कम्पनी ने बदला था। पूर्ण विकसित मदों को वसूले लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया और अविकसित मदों को वसूले नहीं गये लाभ के अन्तर्गत रखा। इस तरह उस वर्ष के लिये विशेष मद में वसूला लाभ मध्यवर्ती अवधि के दौरान नहीं वसूले गये के अन्तर्गत उस मद के लाभ/हानि को लेखांकित करने के कारण वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा प्रत्येकमद की प्रारंभिक कीमत के अभाव में प्रत्येक वर्ष वसूले गये लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदों की वास्तविक कीमत पर नहीं पहुंच सकी। आगे लेखापरीक्षा ने तिमाही शुद्ध लाभ को लेखा शीर्ष अनुसार और एल एस ए अनुसार विचार किया क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये यह संभव नहीं था कि उपलब्ध कराये गये डेटा से लाभ के आंकड़ों को अलग/संग्रह कर सके। प्रदाता को, प्रारंभिक लेखांकित कीमत के अनुसार में प्रत्येक मद के लाभ की गणना करनी चाहिए और कुल फोरेक्स लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आंकड़ों की पुष्टि करते समय, प्रबंधन द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि

- विदेशी विनियमय में उतार-चढ़ाव आकस्मिकता थी जिसका प्रत्येक व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता था और इस प्रकार का लाभ कम्पनी की प्राथमिक व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था जैसाकि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराया जाना। फोरेक्स लाभ परिणाम तब होता है कि जब विदेशी विनियमय में भुगतान के लिये उत्तरदायित्व घरेलू मुद्रा व विदेशी मुद्रा की वृद्धि के कारण कम होता है और इस प्रकार की विनियमय भिन्नतायें तब उत्पन्न होती हैं जब पुस्तकों में प्रारम्भ में जो दरें दर्ज की गई थीं, से भिन्न होती हैं।
- लेखा परीक्षा ने लेखा शीर्ष में दर्ज काल्पनिक हानि को उपेक्षित कर केवल लाभ पर विचार किया। फोरेक्स लाभ हानि, दूरसंचार व्यय से भिन्न है, जहां वैचारिक लाभ पर विचार, हानि को अलग करके किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक बुक क्लोजिंग अवधि की समाप्ति पर विनियमय दर भिन्नताओं का हिसाब देने में स्वीकृत उन्हीं सिद्धांतों में रिकॉर्ड किये गये हैं। यह विक्रेता को भुगतान करते समय कार्यान्वित करवाये गये हैं।
- दिनांक 23 अप्रैल 2015 को ए यू एस पी आई बनाम संघ सरकार व अन्यो पर पारित टी डी सैट निर्णय में कहा गया था कि "विदेशी विनियमय उतार-चढ़ाव के कारण कोई लाभ अथवा हानि पर लाइसेंस फीस नहीं वहन होनी चाहिये"।

प्रबंधन का तर्क स्वीकार योग्य नहीं था

- जैसा कम्पनी द्वारा वसूला फोरेक्स लाभ प्रासंगिक दूरसंचार गतिविधि थी। लेखा परीक्षा ने केवल तिमाही निवल वसूले गये लाभ पर विचार किया और नहीं वसूले गये लेखा शीर्ष (काल्पनिक) को उपेक्षित किया था। आगे लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, "जी आर में..... अन्य कोई विविध राजस्व सम्बंधित व्यय के मदों को घटाये बिना शामिल होगी और फोरेक्स लाभ, विविध राजस्व का भाग होगा।
- लेखा परीक्षा ने देखा कि कम्पनी द्वारा संदर्भित टी डी सैट निर्णय के विरुद्ध, दू सं विभाग ने

अप्रैल 2015 में अपील की। यद्यपि संदर्भित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि कम्पनी द्वारा जी आर में फोरेक्स लाभ पर विचार नहीं करना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा वसूले फोरेक्स लाभ क्रमशः ₹ 261.75 करोड़ और ₹ 59.26 करोड़ को ए जी आर में शामिल करने का विचार नहीं लिया जिसके कारण टी टी एस एल द्वारा एल एफ ₹ 23.59 करोड़ और एस यू सी ₹ 7.15 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एम एफ ₹ 5.93 करोड़ और एस यू सी ₹ 1.94 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 7.3 राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना (ए जी आर विवरण) यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में दर्ज किया गया था

#### 7.3.1 टी टी एस एल द्वारा जी आर/ए जी आर में ब्याज आय पर विचार न करना

ए जी आर विवरण व लाभ और हानि लेखों से, यह देखा गया था कि 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल की लेखा पुस्तकों में ब्याज आय ₹ 568.69 करोड़ (अनुलग्नक 7.11) को जी आर के लिये विचार नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने सूचित किया कि मई 2011 में ₹ 568.69 करोड़ की सारी राशि पर जी आर/ए जी आर में शामिल किया गया था तथा ब्याज आय पर विरोध जारी रहा। यह भी बताया गया था कि इन राशियों को राजस्व शेयर की गणना के लिये शामिल नहीं किया जाना है क्योंकि ए जी आर की परिभाषा मुकदमेबाजी के अन्तर्गत थी और न्यायायिक प्रक्रिया द्वारा उचित समय पर निर्धारित होगी।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लाइसेंस करार में जी आर की परिभाषा राजस्व शेयर के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज से आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करती है। यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया था (नवम्बर 2015) कि मई 2011 में जी आर/ए जी आर के लिये उसी पर विचार किया गया था, वे पहले के वर्षों में विचार में ली गई राशि की सूचना के समर्थन में और उस पर किया गया भुगतान के दावे की पुष्टि करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और इसकी अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा जांच नहीं कर सका। आगे दू सं वि को प्रेषित किये गये वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अंकेक्षित ए जी आर विवरणों में ब्याज आय जैसा ऊपर दर्शायी गई है, को सम्बंधित वर्षों में एल एफ/एस यू सी के परिकलन के लिये विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार ब्याज आय ₹ 568.69 करोड़ के गैर विचार के कारण वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये जी आर/ए जी आर कम बताये गये और टी टी एस एल द्वारा एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 51.22 करोड़ व ₹ 15.53 करोड़ कम भुगतान हुआ।

#### 7.3.2 जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री में लाभ पर विचार नहीं किया गया

यू ए एस एल करार के परिशिष्ट II से अनुलग्नक II के अनुसार, राजस्व व राजस्व फीस (ए जी आर विवरण) के विवरण का फार्मेट लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, 'निवेश से आय' दर्शाने के लिये मद 4 निर्धारित की गई है। यू ए एस लाइसेंस करार का खंड 19.1 सकल राजस्व की परिभाषा देने के साथ-साथ यह भी बताता है कि राजस्व कोई भी अन्य विविध आय शामिल करता है तथा साथ ही



राजस्व में व्यय की सम्बन्धित मदों हेतु किसी प्रकार का घटाव नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने टी टी एस एल व टी टी एम एल में लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण तथा लाभ व हानि लेखे तो यह पाया कि वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान लाइसेंस फीस/एस यू सी के भुगतान हेतु सकल राजस्व की गणना के लिये निवेश की बिक्री से लाभ पर विचार नहीं किया था (लम्बी अवधि के/वर्तमान निवेश)। टी टी एस एल की कुल राशि ₹ 2082.87 करोड़ तथा टी टी एम एल की ₹ 0.63 करोड़ बनती थी। (अनुलग्नक 7.12 व 7.13)। कम्पनी ने उत्तर दिया कि इसने सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बेतार टी टी इनफो सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू टी टी आई एल) में निवेश की बिक्री पर लाभ के प्रकरण में (2008-09 व 2009-10 की अवधि से सम्बन्धित राशि) लाइसेंस फीस का भुगतान तथा मई 2011 में (2006-07 व 2007-08 से सम्बन्धित राशि) निवेश की बिक्री पर लाभ में लाइसेंस फीस का भुगतान किया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूकि लाइसेंस अनुबंध बताना है कि राजस्व शेयर के परिकलन के लिये जी आर/ए जी आर में निवेश की बिक्री से लाभ की आय को समावेशित करना है। यद्यपि कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2015) कि मई 2011 में जी आर/ए जी आर के लिये इसे शामिल किया गया था, परन्तु वे पहले के वर्षों में विचार में ली गई राशि की सूचना के समर्थन में और उस पर किया गया भुगतान के दावे की पुष्टि करने के लिये दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे और इसकी अनुपस्थिति के कारण लेखापरीक्षा जांच नहीं कर सका आगे, दूरसंचार विभाग को प्रेषित किये गये वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अंकेषित ए जी आर विवरणों में निवेश की बिक्री से लाभ की आय, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, सम्बन्धित वर्षों में एल एफ/एस यू सी की गणना के लिये विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा निवेश बिक्री से लाभ की आय क्रमशः ₹ 2082.87 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ आई जिसके कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये और टी टी एम एल द्वारा एल एफ ₹ 187.63 करोड़ और एस यू सी ₹ 56.93 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एल एफ ₹ 0.06 करोड़ और एस यू सी ₹ 0.02 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

### 7.3.3 जी आर/ए जी आर के लिये सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ का विचार न करना

डेटा/दस्तावेजों से (अर्थात् कम्पनी ट्रायल बैलेंस, लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण, लेखा/विवरण पर टिप्पणियां व राजस्व समाधान विवरण आदि) यह पता चला कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल व टी टी एम एल दोनों के द्वारा 'स्थिर सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ' से प्राप्त राजस्व को सम्बन्धित वर्षों में जी आर/ए जी आर की गणना हेतु नहीं लिया गया था।

2007-08 से 2009-10 की अवधि के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल की लेखा पुस्तकों में दर्ज सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ क्रमशः ₹ 121.25 करोड़ तथा ₹ 35.49 करोड़ बनता था (अनुलग्नक 7.14 व 7.15)

प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया कि कम्पनी ने सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ में लाइसेंस फीस का भुगतान किया है यद्यपि कम्पनी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि यह ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने इसके भुगतान के दावे की पुष्टि में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये थे अतः इसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा द्वारा उनके प्रायुत्तर को नहीं जाँचा जा सकता। आगे दूरसंचार विभाग को प्रेषित किये गये अंकेषित ए जी आर विवरण से एल एफ/एस यू सी

का परिकलन करते समय सम्पत्ति बिक्री से लाभ को विचार में नहीं लिया गया था।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा सम्पत्ति की बिक्री से लाभ क्रमशः ₹ 121.25 करोड़ और ₹ 35.49 करोड़ पर विचार नहीं करने के कारण टी टी एस एल द्वारा एल एफ ₹ 10.97 करोड़ और एस यू सी ₹ 3.32 करोड़ और टी ओ एम एल द्वारा एल एफ ₹ 3.55 करोड़ और एस यू सी ₹ 1.16 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

#### 7.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व शेर का कम/गैर भुगतान हुआ

##### 7.4.1 मैसर्स टी टी एस एल द्वारा राजस्व से समायोजित अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम आंके गये।

लेखापरीक्षा को भेजे गये डेटा/दस्तावेजों की समीक्षा से यह पाया गया था कि सम्बन्धित परिमंडलों के ए जी आर के परिकलन के लिये विवरण तैयार करते समय टी टी एस एल ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिये बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण को सेवाओं से राजस्व के सम्बन्धित घटकों से समायोजित किया था।

लाइसेंस करार ए जी आर की गणना के लिए जी आर में अप्राप्य ऋण की कमी का प्रावधान नहीं करता है। सेवाओं से राजस्व के सम्बन्धित घटकों से समायोजित 'अभिदाता अप्राप्य ऋण को बट्टे खाते में डालने' की कुल राशि ₹ 272.29 करोड़ थी (अनुलग्नक 7.16)।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया कि ₹ 272.29 करोड़ की राशि बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण के रूप में राजस्व से समायोजित की गई थी।

इस प्रकार (संबन्धित राजस्व के घटक सेवा में बट्टे खाते में डाली गई बेड डेब्ट्स के समायोजन से रु 272.29 करोड़) के परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का क्रमशः रु 26.64 करोड़ और रु 7.61 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

##### 7.4.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा दावित कटौती में लीज लाइन व पोर्ट प्रभार शामिल किये जाने के परिणाम स्वरूप ए जी आर कम बताये गये

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल की लेखापरीक्षित ए जी आर सहित प्रस्तुत विवरण की टिप्पणियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बताये गये के अनुसार, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के परिकलन में लिये विचारित एक्सेस (प्रवेश) प्रभार में लीज लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार शामिल है जिसका सम्बन्धित वर्ष में अन्य वाहकों को वास्तव में भुगतान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, टी टी एम एल के सम्बंध में, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यह बताया गया था कि वर्ष 2006-07 व 2007-08 के दौरान पी एस टी एन प्रभारों सहित लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों पर दावा किया गया और 2008-09 व 2009-10 के दौरान लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों में व्यय का दावा पृथक कटौती के रूप में, अन्य वांछनीय कटौतियों के साथ पेश किया गया।

यू ए एस एल करार के खंड 19.2 के निबन्धनों के अनुसार निम्नलिखित को समायोजित सकल राजस्व की प्राप्ति के लिये सकल राजस्व से अलग किया जायेगा।

- i) भारत में अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पी एस टी एन सम्बन्धित कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) का वास्तव में किया गया भुगतान और
- ii) अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया वास्तविक रोमिंग राजस्व
- iii) यदि सकल राजस्व में सेवा कर व बिक्री कर का घटक शामिल किया गया था तो सरकार को सेवाओं व बिक्री कर के प्रावधान पर सेवा कर का वास्तविक भुगतान

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिये टी टी एस एल ने एक्सेस प्रभारों में लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों के लिये कुल व्यय शामिल किया था तथा ₹ 255.41 करोड़ की कटौती का दावा किया था जैसा कि **(अनुलग्नक 7.17)** जबकि टी टी एम एल के सम्बंध में यह ₹ 87.26 करोड़ निकाला गया था **(अनुलग्नक 7.18)**

प्रबन्धन ने बताया कि उपभोक्ताओं को संयोजनीयता देने हेतु पोर्ट प्रभारों व लीज लाइन पर भुगतान, अन्तः संयोजन लागत के प्रकार का है तथा उसी का भाग है और चूंकि इसे प्राप्तकर्ता के हाथों में ए जी आर में शामिल किया गया था, इसका परिणाम दोहरा टैक्सेशन होता यदि भुगतानकर्ता के हाथों में कमी के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

प्रबंधक का उत्तर तर्क संगत नहीं है चूंकि भुगतान किये गये लीजलाइन और पोर्ट प्रभार वास्तव में किराये पर लिये गये अवसंरचना पर व्यय थे न कि पी एस टी एन से सम्बन्धित कॉल प्रभारों पर (एक्सेस प्रभार) इसलिये, यू ए एस एल अनुबन्ध के खण्ड 19.2 के अन्तर्गत यह कटौती के लिये योग्य नहीं है।

इस प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा एक्सेस प्रभार में लीजलाइन और पोर्ट प्रभार पर किये गये कुल खर्च को शामिल किया और कटौती के रूप में क्रमशः ₹ 255.41 करोड़ और ₹ 87.26 करोड़ का दावा किया परिणाम स्वरूप टी टी एस एल द्वारा एल एफ का ₹ 22.10 करोड़ व एस यू सी का ₹ 6.94 करोड़ और टी टी एम एल द्वारा एल एफ का ₹ 8.73 करोड़ और एस यू सी का ₹ 2.86 करोड़ का कम भुगतान हुआ

### 7.4.3 टी टी एस एल द्वारा एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना/बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना।

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का प्रारूप (ए जी आर विवरण) जैसा कि यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, मद 1 क 'वायर लाइन अभिदाताओं' से राजस्व दर्शाने के लिये निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त यू ए एस एल करार के खंड 18.3.1 में दिया गया है कि राजस्व शेयर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने के सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।"

टी टी एस एल न वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 व 2009-10 में शेयरिंग/लीजिंग आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर/बैंडविथ लिंक/आर व जी प्रकरण, इत्यादि से ₹ 1030.61 करोड़ के राजस्व को **(अनुलग्नक 7.19)** लाइसेंस फीस (एल एफ) के परिकलन के लिये विचार किया गया था, एस यू सी के परिकलन के लिये विचार में नहीं लिया था जो लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के विरुद्ध था। प्रबन्धन ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि की तथा बताया कि सी डी एम ए एस यू सी के लिये मात्र बेतार सेवाओं से राजस्व दिया गया है और शेष वायर लाइन सेवाओं से प्राप्त आय को एस यू सी के लिये प्रस्तावित किया गया।

एस यू सी के भुगतान के लिये हिस्सेदारी/पट्टे पर दी गई अवसंरचना/बैंड विथ लिंक/आर एण्ड जी मामले इत्यादि के राजस्व को शामिल नहीं करने पर लेखापरीक्षा संवेक्षण इस प्रतिवेदन के पैरा 3.4.3 के अन्तर्गत व्यक्त किया गया है।

इस प्रकार हिस्सेदारी/पट्टे पर दी गई अवसंरचना/ बैंड विथ लिंक/आर एण्ड जी मामले इत्यादि से राजस्व जिसको ए जी आर विवरणों में एल एफ की गणना के लिये विचार में लिया गया परन्तु एस यू सी की गणना के लिये रु 1030.61 करोड़ को विचार में नहीं लिया गया परिणाम स्वरूप टी टी एस एल द्वारा एस यू सी का रु 28.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

#### 7.4.4 किराये से प्राप्त आय को विचार में नहीं लिया

लेखापरीक्षा ने देखा कि किराया व्यय शीर्ष में रु 17.62 करोड़ जमा किये गये थे। व्यय शीर्ष के अन्तर्गत जमा आय की प्रकृति की थी। जी आर के परिकलन के लिये इसे विचार में नहीं लिया गया जिसके कारण जी आर रु 17.62 करोड़ से कम बनाये गये। (अनुलग्नक 7.20)

प्रबन्धन ने बताया कि टी टी एस एल कार्यालय स्थल के लिये किराये का भुगतान कर रहा था। कुछ स्थानों पर जगह विक्रेताओं द्वारा ली गई थी जिनको किराये का भुगतान मकानमालिक को करना था। इस तरह के मामले में टी टी एस एल शुरुआत में किराये का भुगतान कर रहा था और बाद में विक्रेताओं से वास्तविक किराया वसूल रहा था उसके कारण किराया लेखों में जमा कर रहे हैं। इसलिये यह राजस्व नहीं बनता था परन्तु केवल व्यय की प्रतिपूर्ति है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधक ने पहले विक्रेताओं की तरफ से किराये का भुगतान होने और तब बाद में उनसे प्रतिपूर्ति करवाने के सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कारण नहीं दिये थे।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि विक्रेताओं द्वारा टी टी एस एल को किराये के लिये दिया गया कोई भी भुगतान किराया आय है जिसे लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हिस्से योग्य राजस्व का भाग मानना चाहिये।

इस प्रकार जी आर के परिकलन के लिये किराया आय ₹ 17.62 करोड़ पर विचार नहीं किया गया जिसके कारण एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.61 करोड़ व ₹ 0.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

#### 7.5 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामले पर (पैरा 7.2 से 7.4) निकाले गये एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 1019.16 करोड़ और ₹ 338.52 करोड़ है। टी टी एस एल और टी टी एम द्वारा एल एफ और एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 1857.71 करोड़ (अनुलग्नक 7.21) है। ब्याज की गणना लाइसेंस करार में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी (अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया की मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक जो भुगतान के दिन विद्यमान थी, तथा गणना के लिये विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष से मार्च 2015 की समाप्ति तक थी)।

#### 7.6 लेखापरीक्षा कथन पर दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया

टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा राजस्व हिस्सा पर लेखापरीक्षा के कथन नवम्बर 2015 में दूरसंचार विभाग को सूचित किया गया था। दूरसंचार विभाग का उत्तर अपेक्षित है (जनवरी 2016)।

## अध्याय—VIII

### एयरसेल ग्रुप (डिशनैट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व

#### 8.1 एयरसेल ग्रुप की संक्षिप्त रूपरेखा

मैसर्स एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड (एसीएल), पूर्ववर्ती मैसर्स आरपीजी सेलुलर लिमिटेड ने 1994 में चैन्नई में अपनी दूरसंचार सेवायें प्रारम्भ की। बाद में, स्टर्लिंग ग्रुप द्वारा उन्नीत मैसर्स एयरसेल लिमिटेड (एएल) ने 1998 के दौरान तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में सीएमटीएस लाइसेंस प्राप्त किया (पूर्ववर्ती मैसर्स श्रीनिवासा सेलुलर लिमिटेड कोयम्बटूर)। मैसर्स एएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायिकायें मैसर्स एसीएल एवं मैसर्स डिशनैट वायरलैस लिमिटेड (डीडब्लूएल) हैं जो की भारतवर्ष में दूरसंचार सेवायें प्रदान करती हैं। 2006 में, मैसर्स एयरसेल को मैक्सिस कम्यूनिकेशन्स बेरहाड, मलेशिया (मैक्सिस) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। एयरसेल, सिंद्या सिक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम है तथा मैक्सिस कंपनी में बहुमत की भागीदारी (74 प्रतिशत) रखती है। वर्ष 2010 तक, कंपनी की सभी 23 एलएसए के लाइसेंसों सहित अखिल भारतीय उपस्थिति थी। कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है:

##### 8.1.1 एयरसेल ग्रुप को प्रदत्त लाइसेंसे

ए सी एल ने 1994 में चैन्नई सेवा क्षेत्र के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। ए एल ने 1998 में तमिलनाडु सेवा क्षेत्र का सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में, इसने वर्ष 2006<sup>1</sup> में सात सेवा क्षेत्रों का यू ए एस एल लाइसेंस प्राप्त किया। मैसर्स डी डब्लू एल ने वर्ष 2004<sup>2</sup> एवं 2006<sup>3</sup> के दौरान चौदह सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त किया।

##### 8.1.2 एयरसेल ग्रुप की कंपनियों को आबंटित स्पेक्ट्रम

मैसर्स एएल, एसीएल, डीडब्लूएल जीएसएम ऑपरेटर हैं। एक जीएसएम ऑपरेटर को उपभोक्ता पहुँच के लिए प्रारम्भिक शुरूआती स्पेक्ट्रम (मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम) 2 × 4.4 मेगाहर्टज था। एयरसेल ग्रुप की कंपनियों को 31 मार्च 2010 की स्थिति में एलएसए के अनुसार आबंटित स्पेक्ट्रम का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका – 8.1

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2×9.8 मेगाहर्टज	तमिलनाडू
2	2×8.6 मेगाहर्टज	चैन्नई
3	2×6.2 मेगाहर्टज	असम
4	2×4.4 मेगाहर्टज	बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्व, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), कोलकाता, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान (20 एल एस ए)

1 मुंबई, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान।

2 हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं उत्तर पूर्व।

3 कोलकाता, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं पंजाब।

### 8.1.3 एएल/एसीएल/डीडब्लूएल का उपभोक्ता आधार

एयरसेल ग्रुप (एएल, एसीएल एवं डीडब्लूएल) के सेलुलर उपभोक्ता 569 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 31 मार्च 2007 के 0.55 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 3.69 करोड़ हुए। इसका बाजार हिस्सा 31 मार्च 2007 के तीन प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2010 को छह प्रतिशत हुआ।

### 8.1.4 सकल राजस्व (जीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश

जैसा कि पैरा 1.5 में वर्णन किया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर स्व-निर्धारण कर एजीआर के एक निर्धारित प्रतिशत पर एलएफ एवं एसयूसी का भुगतान अपेक्षित है। एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 के चार वर्षों के दौरान प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व एवं भुगतान किया गया राजस्व अंश (एलएफ एवं एसयूसी) निम्नवत् हैं:

तालिका – 8.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व अंश (एलएफ + एसयूसी)
2006-07	1389.40	205.45	1183.95	85.21	144.33
2007-08	2332.21	364.82	1967.39	84.36	226.22
2008-09	3116.51	579.67	2536.84	81.40	315.47
2009-10	4703.64	1222.58	3481.06	74.01	409.60
<b>कुल</b>	<b>11541.76</b>	<b>2372.52</b>	<b>9169.24</b>	<b>79.44</b>	<b>1095.62</b>

### 8.2 एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व, बिना किसी सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन (सैट-ऑफ) किये, उसमें कहे गये सभी प्रकार के राजस्व को मिलाकर होगा। सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे।

एयरसेल ग्रुप के अभिलेखों/लेखों की पुस्तकों (वाउचर्स, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ एवं हानि लेखों तथा तुलन पत्र आदि) की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि इन कंपनियों ने लाइसेंस अनुबंध की धाराओं का पालन नहीं किया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है:

### 8.2.1 उपभोक्ताओं को दिये गये विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित राजस्व को निवल करने के कारण प्रीपेड/पोस्टपेड राजस्व की कम रिपोर्टिंग

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि में दी गई प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कंपनी ने ग्राहकों को विभिन्न योजनायें/छूटें, यथा अधित्याग, छूट, प्रोमो टॉक टाईम, फ्री एयर टाईम (एफएटी), प्रोत्साहनपरक प्रस्ताव, पूर्ण टॉक टाईम आदि, बिना किसी शुल्क के प्रदान की। यह देखा गया कि ऐसे प्रस्तावों को समायोजित करने के लिये, उसका मूल्य सेवा राजस्व से शुरुआत में घटा दिया गया था। जब कभी भी ग्राहक द्वारा उसका उपयोग किया जाता था, राजस्व कथित राशि से क्रेडिट किया जाता था। परिणामस्वरूप, ग्राहकों को दिये गये इन प्रस्तावों के कारण राजस्व को जीआर/एजीआर में मान्य नहीं किया गया था। चूँकि, ग्राहकों को दिये गये प्रस्ताव व्यवसाय में वृद्धि हेतु समग्र व्यवसायिक नीति के हिस्सा थे अतः ऐसे प्रस्तावों/छूटें व्ययों के समान हैं। लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, सेवा राजस्व संबंधित व्यय की मद का कोई समंजन किये बिना दिखाया जायेगा इसलिए वे जीआर में से घटाने को अनुमत नहीं हैं। यह लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है जो स्पष्टतया नियत करता है कि सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेगे।

मदवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:-

#### अ. ग्राहकों को अधित्याग, छूट तथा प्रोत्साहन (प्रोमोज)

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु पेश किये गये डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित व्यय की मदें राजस्व से निवल की गई थी:-

- i) ग्राहकों को पेश अधित्याग (₹ 99.09 करोड़)
- ii) ग्राहकों को पेश छूट (₹ 46.77 करोड़)
- iii) प्रोमो टॉक टाईम अंतरण (₹ 0.96 करोड़)

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रोमो टॉक टाईम/यूसेज के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्ज ₹ 24.71 करोड़ भी सकल राजस्व की गणना करते समय राजस्व में से निवल किये गये थे। हालांकि, "छूट/साख अधित्याग एवं रायल्टी छूट के रूप में दिये गये प्रोमो टॉक टाईम" ₹ 30.47 करोड़ सकल राजस्व की गणना करने के लिए वापस जोड़े गये थे।

परिणामस्वरूप, अधित्याग, छूट तथा प्रोमो के कारण राजस्व में से निवल हुई कुल राशि ₹ 141.06 करोड़ (अनुलग्नक 8.01) थी। फलस्वरूप, जीआर/एजीआर ₹ 141.06 करोड़ से कम करके बताया गया तथा एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 13.13 करोड़ एवं ₹ 5.95 करोड़ का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था (अनुलग्नक 8.02)।

#### ब. उपभोक्ताओं को प्रदान की गई फुल टॉक टाईम योजना

प्रीपेड ग्राहकों को फुल टॉक टाईम ऑफर के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व ₹ 153.33 करोड़ से निवल हुए थे। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 9.76 करोड़ एवं ₹ 4.32 करोड़ (अनुलग्नक 8.03) का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।

### स. उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया मुफ्त टॉक टाईम

विभिन्न प्रस्तावों (फ्री एयर टाईम बोनस/फ्री टॉक वैल्यू एकाउंटेड, रिचार्ज कूपन्स (आरसी) पर उपभोक्ताओं को एफटीवी प्रदान करना, अतिरिक्त टॉक टाईम, ज्यादा टॉक टाईम आदि) के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को ₹ 33.36 करोड़ से निवल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 33.36 करोड़ से घट गया था। फलस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 2.95 करोड़ एवं ₹ 1.39 करोड़ (अनुलग्नक 8.04) के भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किये गये थे।

### द. छूटें

2009-10 के दौरान, व्यय को ₹ 2.82 करोड़ से क्रेडिट करने के कारण (डिस्काउंट ई आर) एयरसेल लिमिटेड से संबंधित प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को निवल किया गया था। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 0.28 करोड़ एवं ₹ 0.06 करोड़ (अनुलग्नक 8.5) के भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि:

- ग्राहकों को दिये गये अधित्याग जो कि सांकेतिक साख बनाने की प्रकृति के थे को ए जी आर की गणना हेतु संबंधित वर्षों में पहले ही पुनः जोड़ दिये गये थे। शेष अधित्यागों जो बिलिंग त्रुटियों की प्रकृति के थे, को अधित्यागों द्वारा ठीक कर लिया गया था।
- छूट/प्रोमो टॉक टाईम अंतरण उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अनुभव बढ़ाने या उसको एयरसेल नेटवर्क आदि पर बनाये रखने के लिये उपयोग प्रतिमान पर आधारित दिये जाने वाले अतिरिक्त टॉक टाईम की प्रकृति के हैं। इनके लिये, देयतायें दर्ज की गई थी तथा राजस्व को समय की अवधि के साथ उपयोग के ह्रास के अनुसार लेखा कर दिया गया है तथा राजस्व को एजीआर के उद्देश्य हेतु सम्मिलित कर लिया गया था।
- उपभोक्ताओं को दी गई पूर्ण टॉक टाईम योजना उनको एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क में ज्वाइन करने हेतु खींचने/प्रेरित करने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा वैल्यू के लिए दी गई टॉक टाईम प्रकृति के थे।
- एफटी बोनस/फ्री टॉक वैल्यू/आर सी पर उपभोक्ताओं को दिया गया एफ टी वी, अतिरिक्त टॉक टाईम/उपभोक्ताओं को दिया गया ज्यादा टॉक टाईम उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये ग्राहकों को एयरसेल नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए खींचने/प्रेरित करने हेतु दिये गये टॉक टाईम की प्रकृति के हैं।
- राजस्व हेतु कंपनी के लेखे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 9 के अनुपालन में हैं।
- टीडीसैट ने भी उपरोक्त परिभाषा को अनुमोदित किया तथा 23 अप्रैल 2015 को इस विषयक आदेश पारित करते हुए कहा कि "सकल राजस्व एवं समायोजित सकल राजस्व को परिभाषित करने वाली "राजस्व" की परिभाषा एएस-9 में तथा लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 एवं 19.2 में प्रावधानित की गई परिभाषा के मध्य कोई विरोध नहीं है। जैसा कि खंड 211 (3 ए), 3 (बी) एवं 3 (सी) से सुस्पष्ट है एक दूरसंचार कंपनी, लाइसेंसधारी विधितः अपने लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र लेखा मानकों के



अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है द्वारा संहिताबद्ध की गई संस्तुतियाँ हैं।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- "ग्राहकों को प्रदान किये अधित्याग" के कारण राजस्व शीर्षों में पाई गई कुल डेबिट इंदराज में से अर्थात् ₹ 99.09 करोड़, ₹ 98.62 करोड़ (अर्थात् 99.53 प्रतिशत) प्रीपेड राजस्व से संबंधित है, जहाँ पर बिलिंग की कोई अवधारणा नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रीपेड उपभोक्ताओं को अधित्यागों के मामले में, अधित्यागों के कारण कुल ₹ 98.62 करोड़ की डेबिट इंदराज में से, ₹ 98.43 करोड़ को जी एल कोड "प्रीपेड-आर सी प्रोसेसिंग इनकम" में डेबिट किया था, जो यदि, वीएएस, टॉक टाईम, किराये आदि, के गलत कटौती के कारण (ग्राहक के खाते से) थे तो अधित्याग के कारण डेबिट केवल उन जीएल कोड्स में ही होना चाहिए था। पोस्ट पेड ग्राहकों को बिलिंग के मामले में, यदि यह बाद में पुष्टि हो जाती है कि बिल में गलती थी तो उसको संबंधित राजस्व कोडों में उलटा/समायोजित किया जाता है। यह पाया गया कि जनरल लेजर में इस प्रकार की अनेक उलटाव एवं समायोजन प्रविष्टियाँ हैं। सामान्य खातों से इन अधित्यागों से संबंधित निकाले गये डाटा के विश्लेषण ने स्पष्टतया इंगित किया कि ये प्रीपेड प्रोसेसिंग आय, वीएएस, टॉकटाईम, किराया आदि के कारण थे। यह उल्लिखित नहीं किया गया था कि ये प्रविष्टियाँ गलत बिलिंग के कारण थी। जीआर तैयार करते समय एयरसेल ग्रुप ने ₹ 99.09 करोड़ के अधित्यागों में से, साख अधित्याग के नाम पर ₹ 7.7 करोड़ स्वयं वापस राजस्व में जोड़े हैं।
- छूट/प्रोमो टॉक टाईम अंतरण तथा अधित्याग व्यवसाय वृद्धि के लिए समग्र व्यावसायिक नीति का हिस्सा हैं; इसलिए ऐसे प्रस्ताव/छूट व्ययों की प्रकृति के थे। अतः, लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जी आर में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थे।
- फुल टॉक टाईम/फ्री टॉक टाईम आदि, के मामलों में प्रबंधन ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये प्रस्ताव ग्राहक बनाये रखने एवं संबंध बनाये रखने के लिए दी गई छूट की प्रकृति के थे तथा सेवा राजस्व का हिस्सा था। इसलिए, ऐसे प्रस्ताव/छूट व्ययों की प्रकृति के थे अतः लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जीआर में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थे।
- एफएटी बोनस/फ्री टॉक टाईम/आर सी पर उपभोक्ताओं को दिया एफटीवी/अतिरिक्त टॉकटाईम/उपभोक्ताओं को दिये गये ज्यादा टॉकटाईम के विषय में भी प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये ग्राहकों को एयरसेल नेटवर्क में ज्वार्न कराने के लिए खींचने/प्रेरित करने हेतु दिये गये टॉक टाईम के प्रकृति के हैं। इसलिये ऐसे प्रस्तावों/छूटें व्यय के प्रकृति के थे। अतः लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में से कटौती हेतु अनुमत नहीं थे।
- लेखापरीक्षा एस-9 के अनुसार लेखाकरण पर प्रश्न नहीं कर रहा है किन्तु तर्क देता है कि चूँकि ये व्यय लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व के विरुद्ध समंजन नहीं किये जाने थे, अतः इनको एलएफ एवं एसयूसी की गणना करने हेतु जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए था।
- जबकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेखापरीक्षा का यह मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सेवा राजस्व को सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए बिना किसी संबंधित प्रचार के खर्च जैसे छूट/अधित्याग/ग्राहकों को दिये गये ऑफर के समंजन के।

### 8.2.2 राजस्व शीर्षों में शुरुआती डेबिट के कारण राजस्व का आस्थगन

राजस्व के लेखाकरण हेतु कंपनी द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया के अनुसार, अग्रिम में प्राप्त राजस्व जबकि देयता के तहत लेखाबद्ध किया गया था, वहीं इस राशि पर एफएटी/एफओसी को चालू राजस्व में डेबिट किया गया था। इसके कारण, चालू राजस्व एफएटी/एफओसी की सीमा तक कम लेखा हुआ था परिणामस्वरूप इस राशि पर एल एफ एवं एस यू सी का आस्थगन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने हमारे उपरोक्त पर्यवेक्षण पैरा 8.2.1 के सापेक्ष दिये उत्तर को दोहराया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अग्रिम में प्राप्त राजस्व के एफएटी/एफओसी के चालू राजस्व में शुरुआती डेबिट करना चालू राजस्व को डेबिट की गई राशि तक एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान में फलित हुआ है।

### 8.2.3 वितरकों को अनुमत कमीशन/छूट से संबंधित राजस्व के समंजन के कारण प्रीपेड राजस्व को कम प्रतिवेदित करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह देखा गया कि लेखों में लिया गया राजस्व वितरकों को इलेक्ट्रॉनिक/पेपर रिचार्ज कूपन की बिक्री के समय दिया गया निवल कमीशन/छूट था। इसके अतिरिक्त, वितरकों को दिया गया पूर्वोक्त कमीशन/छूट को सकल राजस्व/एजीआर की गणना करते समय भी वापस नहीं जोड़ा गया था। यह लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था जिसने स्पष्टतया बताया कि सकल राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दिखाये जायेंगे और छूट/कटौती के विवरण अलग से दर्शाये जायेंगे तथा सकल राजस्व संबंधित व्यय की मद के लिए बिना किसी समंजन के होगा।

इस सम्बन्ध में, जब लेखापरीक्षा ने इलेक्ट्रॉनिक/पेपर रिचार्ज कूपन की बिक्री के समय वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट की राशि/प्रतिशत के विवरण की जानकारी चाहने का प्रश्न उठाया तो प्रबंधन द्वारा संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, लेखापरीक्षा ने विद्यमान प्रतिशत के औसत के आधार पर (अर्थात् प्रीपेड-राजस्व का 4 प्रतिशत<sup>4</sup>) 2006-07 से 2009-10 के दौरान वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन के रूप में ₹ 272.60 करोड़ की गणना की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि:-

- यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि प्री-पेड वाउचर्स अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दर्शाते हैं तथापि पार्टियों के मध्य अनुबंध के अनुसार वितरकों को ये वाउचर्स कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि प्री-पेड वाउचर्स की बिक्री एक 'प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल' लेन-देन है।
- इसके अतिरिक्त, टीडीसैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि "हमारे विचार में "सकल राजस्व" की परिभाषा को लाइसेंसधारक को सेवा के लिए एक थोक मूल्य, जो कि एमआरपी से निम्नतर है, नियत करने हेतु बाधक नहीं माना जा सकता। परीक्षा का विषय यह है कि वास्तविक लेनदेन कैसे होता है ? यदि बिक्री एवं बीजांकन एमआरपी पर है तथा कोई छूट अलग से दी जाती

4 4% (3 से 5% का औसत, 2006-07 से 2009-10 के दौरान विद्यमान प्रतिशत)

है, तब धारा 19.1 के अनुसार ऐसी छूट घटाने योग्य नहीं है चाहे लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज राजस्व छूट को निवल करने के उपरान्त ही है। दूसरी तरफ, यदि बिक्री एक उल्लिखित/सम्मत मूल्य पर है, उस सम्मत मूल्य पर बीजांकित है तथा तदनुसार लाभ एवं हानि लेखा में राजस्व के तहत दर्ज है, बिना किसी छूट को निवल किये हुए, तब वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व तथा एमआरपी एवं इस बिक्री मूल्य के मध्य अंतर होगा जिसे "सकल राजस्व" में नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण पैरा 3.2.1 (ए) में व्याख्यातित जैसा है। जबकि यह मामला माननीय सर्वाच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेखापरीक्षा का यह मत है कि 8.2.3 डिस्ट्रीब्यूटर/फ्रेंचाइजी/डीलर को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्यय के प्रकृति के हैं अतः इन खर्चों का राजस्व से समंजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, वितरकों/एजेंटों/विक्रेताओं को दिये गये कमीशन ₹ 272.60 करोड़ को निवल करना जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 22.31 करोड़ एवं ₹ 9.64 करोड़ (अनुलग्नक 8.06) में परिणीत हुआ है।

#### 8.2.4 "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक" के कारण समंजन से राजस्व को कम प्रतिवेदित करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि, फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के दौरान, "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक/इम्पैक्ट ऑफ सर्विस टैक्स रेट चेन्ज ऑन मार्केट स्टॉक/आदि" के कारण प्री-पेड सेवाओं से राजस्व को ₹ 3.4 करोड़ से निवल किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि यह सेवा कर की दर में वृद्धि के कारण बाजार स्टॉक प्रभाव का अंतर प्रतीत होता है। सेवा कर की दर में बदलाव हेतु प्रविष्टियाँ बाद की तिथि में अंकित हैं इसलिए, बाजार स्टॉक से ग्राहकों को देयता अंतरण के लिए प्रविष्टि पारित करते समय, देयता को पुराने सेवा कर की दर के आधार पर अंतरित किया है और तदनुसार ऐसी देयता के कारण राजस्व को आधिक्य में अंकित कर दिया था। इसलिए, दर्ज अधिक राजस्व का परिशोधन करने के लिए सेवा कर बदलाव के अंतर के बराबर राशि को राजस्व शीर्षों में डेबिट तथा देयता में क्रेडिट किया गया है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए उपरोक्त को एजीआर के राजस्व में एक बार फिर नहीं जोड़ा जाये।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सेवा कर की दर मार्च 2010 के दौरान संशोधित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में यह कहा जाता है कि इन सभी प्रकरणों में प्रोसेसिंग फीस/एक्टिवेशन चार्ज/अन्य प्रावधान में अनुरूप क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गई थी, जो कि कहीं भी सेवा कर देयता से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक" के कारण राजस्व को निवल करना वर्ष 2009-10 में जीआर/एजीआर को ₹ 3.4 करोड़ से कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 0.34 करोड़ एवं ₹ 0.14 करोड़ (अनुलग्नक 8.07) में परिणीत हुआ।

## 8.2.5 अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व का जीआर/एजीआर के लिए विचार न करना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व अनुज्ञेय इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से राजस्व तथा कोई अन्य विविध राजस्व, संबंधित व्यय की मद आदि के लिए कोई समंजन किये बिना, को सम्मिलित करके होगा।

एयरसेल ग्रुप द्वारा स्वामित्व वाले दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर (टॉवर्स, नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कंपनियों से साझे किये गये थे। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर (साईट) साझेदारी के लिए अन्य दूरसंचार कंपनियों से अनुबंध किये हैं। अन्य ऑपरेटरों से किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार सैल साईट की साझेदारी के लिए अन्य ऑपरेटरों से शुल्क वसूला गया था, जो कि साईटों की केपेक्स लागत के निश्चित प्रतिशत तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा खर्च किये गये ओपेक्स लागत पर आधारित था।

2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी शुल्कों से संबंधित डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह देखा गया कि किराया, ईंधन (डीजल), विद्युत, नेटवर्क खर्च, मरम्मत एवं रखरखाव तथा सुरक्षा के मद में वसूली-योग्य/वसूल किये हुये इन्फ्रास्ट्रक्चर/साईट साझेदारी शुल्क ₹ 67.12 करोड़ उनके संबंधित व्ययों की मदों से निवल किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर दिया गया कि—

- इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के लिए दो प्रकार के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं यानि सुविधा के उपयोग के लिए आरोपित शुल्क तथा मरम्मत एवं रख-रखाव, विद्युत, डीजल आदि पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में। सुविधा के उपयोग के लिए शुल्कों को राजस्व के रूप में दर्ज किया था जबकि लागतों की प्रतिपूर्ति को संबंधित खर्च में कमी के रूप में दर्ज किया था। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी लेखे लेखा मानक एएस 29 के अनुपालन में है।
- टीडीसैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि “जैसा कि खण्ड 211 (3 ए), (3 बी) एवं (3 सी) से सुस्पष्ट है, एक दूरसंचार कंपनी, लाइसेंसधारी विधितः अपने लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र लेखा मानकों के अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकान्टन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा संहिताबद्ध की गई संस्तुतियाँ हैं जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है”। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि, टीडीसैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा है कि “जबकि सुविधा के उपयोग के लिए किया गया कोई भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व के रूप में लिया जाना है, एक व्यय के प्रतिपूर्ति की प्रकृति का एक भुगतान तथा जो बीजक में अलग से स्पष्टतया ऐसा दिखाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जाये बशर्ते यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया है।”

प्रबंधन उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण पैरा 3.2.4 में व्याख्यातित जैसा है। जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेखापरीक्षा का यह मत है कि डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय और विद्युत शुल्क से प्राप्त राजस्व प्रतिपूर्ति के कारक नहीं हैं क्योंकि यह तो खर्च होंगे ही, इससे निरोक्ष कि टावर सांझा किये जाते हैं या नहीं। असल में, खर्च के सांझा करने से कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ।

इस प्रकार अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से, 2006-07 से 2009-10 तक संबंधित, लागत से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य साईट साझेदारी राजस्व का निवल करना ₹ 67.12 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसएयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 5.45 करोड़ एवं ₹ 2.26 करोड़ (अनुलग्नक-8.08) में परिणीत हुआ।

### 8.2.6 फोरेक्स लाभ से राजस्व का जीआर/एजीआर में कम/गैर विचार

एयरसेल ग्रुप के लाभ एवं हानि खाते में विदेशी विनिमय लाभ/हानि के सम्बंध में लेनदेनों को दर्ज करने के लिए परिचालित किये गये लेखा शीर्षों के तहत कुल शुद्ध शेष "अन्य आय" की अनुसूची में विदेशी विनिमय गेन (शुद्ध) के रूप में सम्मिलित किये गये थे।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि एयरसेल के लिए कुल वसूला गया फोरेक्स लाभ ₹ 16.57 करोड़ था, जिसमें से, 2006-07 से 2008-09 के दौरान एयरसेल लिमिटेड एवं एयरसेल सेलुलर लिमिटेड के यूएसएल/सीएमटीएस लाइसेंसों के अंतर्गत फोरेक्स लाभ ₹ 6.54 करोड़ मात्र को ही एजीआर में विचार किया गया था। एजीआर हेतु कुल प्राप्त किये गये फोरेक्स लाभ ₹ 15.13 करोड़ को विचार नहीं किया गया था।

उपरोक्त वसूले गये गेन की गणना उस विशिष्ट मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती क्योंकि कंपनी विदेशी विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित सभी मदों के मूल्यों की प्रतिवर्ष पुनः गणना करती है, परिपक्व मदें प्राप्त लाभों के रूप में लेखा की जाती हैं तथा अपरिपक्व मदें अप्राप्त लाभ के अंतर्गत रहती हैं। इस प्रकार, उस वर्ष में एक विशिष्ट मद का प्राप्त लाभ, अंतर्वर्ती अवधि के दौरान अप्राप्त के अंतर्गत, उस मद के लाभों/हानियों को अप्राप्त के अन्तर्गत लेखा के कारण उस वर्ष में वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव के कारण प्रतिवर्ष प्राप्त हुए लाभ के अंतर्गत लेखा किये गये मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने तिमाही शुद्ध गेन, लेखा शीर्ष-वार तथा एलएसए वार, पर विचार किया है, क्योंकि उपलब्ध कराये गये डाटा से लाभों की संख्या को पृथक/एकत्र करना लेखापरीक्षा के लिए संभव नहीं था। ऑपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना इसके प्रारंभिक लेखा मूल्य के संदर्भ में करनी चाहिए तथा कुल फोरेक्स गेन को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि:-

- लाभ दो प्रकार के हैं। पहला, पूँजीगत सामानों जैसे उपकरण हेतु भुगतानों की तरफ देयता की कमी तथा आऊट-रोमर हेतु रोमिंग शुल्क है। दूसरा, प्राप्तियों में वृद्धि जैसे इन-रोमर हेतु रोमिंग प्रभार है। पहले प्रकरण में पूँजीगत सामानों हेतु भुगतान के कारण देयता में कमी मात्र कीमत की एक कमी है। चूँकि उपकरण की कीमत का लाइसेंस फीस पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि उसकी गणना सकल राजस्व पर की जाती है, लागत में किसी कमी के कारण उत्पन्न कोई लाभ को भी लाइसेंस फीस के लिए भी लेखा में नहीं लेना चाहिए तथा उद्देश्य हेतु राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। रोमिंग शुल्कों के भुगतान के संबंध में, चूँकि यह वास्तविक आधार पर अनुमत है न कि उपचय आधार पर, निवल के मामले में वास्तविक भुगतान की गई राशि या समंजन की गई राशि, को धारा 19.2 के तहत सकल राजस्व में से घटाने की अनुमति दी जा सकती है। इन-रोमर्स के कारण रोमिंग राजस्व के प्रकरण पर, चूँकि इसे राजस्व में उपचय आधार पर लेखा किया जाना है, लाइसेंस फीस एएस-9 के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की गई राजस्व पर होनी चाहिए।

प्राप्य राशियों के किताबी मूल्य में बाद में कोई परिवर्तन केवल तब तक सांकेतिक हैं जब तक वह वास्तव में प्राप्त नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक भुगतान के समय मुद्रा दर पर निर्भर होने के कारण वास्तविक प्राप्ति कम या ज्यादा हो सकती है। चूंकि यदि वास्तविक प्राप्ति कम है तो कोई छूट नहीं दी जाती है अतः यदि वह ज्यादा है तो कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जानी चाहिए।

- पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि टीडीसैट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को सुनाये गये निर्णय के अनुसार, विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण किसी लाभ और हानि का लाइसेंस फीस पर कोई असर नहीं होगा।”
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नवत् निदेशित किया है:

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस को वसूल करने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे”

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:—

- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर में कोई अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होता है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि पीएसपी को कोई आकस्मिक लाभ जी आर के लिए विचारणीय है।

इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि से संबंधित प्राप्त हुए विदेशी विनिमय लाभों का गैर समावेश ₹ 15.13 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.23 करोड़ एवं ₹ 0.31 करोड़ (अनुलग्नक-8.09) में फलित हुआ है।

### 8.2.7 जीआर/एजीआर हेतु ब्याज आय का नहीं/कम विचार किया जाना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि बैंक जमाओं व सावधि जमाओं में ब्याज के कारण कुल आय में से ₹ 200.20 करोड़, 98.89 करोड़ को 2006-07 से 2009-10 के दौरान जीआर/एजीआर में राजस्व के रूप में विचार नहीं किया गया था (अनुलग्नक-8.10), जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है। लाइसेंस अनुबंध में जीआर की परिभाषा स्पष्टतया ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था कि:—

- सकल राजस्व में सरकार के हिस्से के कारण देयता पूर्ण करने के बाद एक लाइसेंसधारक द्वारा की गई बचतों के निवेश पर अर्जित ब्याज को एजीआर में से हटाना ही चाहिए। आय में से बचत का निवेश, जिसने लाइसेंसहोद दूरसंचार क्रियाकलाप से अपनी समस्त कड़ियां तोड़ दी हैं पुनः आय का एक उपयोग है, जिससे उत्पन्न राजस्व एजीआर की सीमा में नहीं आता है। उसी प्रकार, दूरसंचार सेवा को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में किसी अस्थाई आधिक्य निधियों के इस्तेमाल से मिला राजस्व या धन के मूल्य को मियादी जमाओं, सिक्यूरीटीज या म्यूच्यूल फंडस से अधिकतम करने को दूरसंचार क्रियाकलाप से एक आय के रूप में नहीं कहा जा सकता तथा इसलिए लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए एजीआर में समावेशित नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसा ब्याज, सेवा

के द्वारा या लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारक को व्यवसाय या लाइसेंस के तहत सेवा प्रदान करने के लिए किये जा रहे व्यवसाय से दूर तक भी संबंधित नहीं होने के बावजूद, उत्पन्न राजस्व नहीं माना जा सकता है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध में जी आर के परिभाषा में रेवेन्यू शेयर के जी आर/ए जी आर के गणना हेतु व्याज से प्राप्ति को सम्मिलित करना स्पष्टतया दिया गया है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2009-10 की समयावधि से संबंधित व्याज आय का गैर-समावेश ₹ 98.89 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 6.74 करोड़ एवं ₹ 2.66 करोड़ (अनुलग्नक 8.10) में परिणीत हुआ है।

### 8.2.8 निवेश से आय को राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर के लिए विचार न किया जाना।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान निवेशों से हुई आय ₹ 9.01 करोड़ को जीआर/एजीआर के लिए राजस्व के रूप में बिल्कुल विचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न में, प्रबंधन ने कहा कि:-

- आय की प्रकृति, लाभांश होने के कारण, किसी लाइसेंसड क्रियाकलाप का कारण नहीं है। अतः, किसी भी प्रकृति के निवेशों, चाहे जो भी हों, के कारण जो कोई भी लाभांश अर्जित किया जाता है, लाइसेंसड क्रियाकलाप से उपार्जित आय का हिस्सा नहीं है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:-

“अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे।”

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है, तब कि-

जब मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में निवेश से आय को रेवेन्यू शेयर की गणना हेतु सम्मिलित करना स्पष्टतया प्रावधानित करता है।

इस प्रकार 2008-09 से 2009-10 तक की समयावधि से संबंधित निवेश पर आय का गैर-समावेशन ₹ 9.01 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 0.90 करोड़ एवं ₹ 0.37 करोड़ (अनुलग्नक 8.11) में परिणीत हुआ है।

### 8.2.9 जीआर/एजीआर हेतु विविध आय का विचार न किया जाना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि विविध आय की निश्चित मदें जैसे संयुक्त संविदा से आय, सॉफ्टवेयर सेवाओं से आय, परियोजना प्रबंधन से आय, नोटिस वेतन (कुछ एल एस ए में कुछ प्रकरणों को छोड़कर), कबाड़ बेचने के कारण आय, लागत की प्रतिपूर्ति आदि, एजीआर की गणना करते समय रेवेन्यू शेयर के उद्देश्य से विचार नहीं किये गये थे।

- i) 2006-07 एवं 2008-09 के दौरान डीडब्लूएल में एजीआर हेतु कारपोरेट आय ₹ 93.63 करोड़ पर विचार नहीं किया गया था। इस राशि पर एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान ₹ 5.70 करोड़ और ₹ 2.16 करोड़ बनता है। (अनुलग्नक 8.12)
- ii) कर्मचारियों से नोटिस वेतन वसूली को जीआर/एजीआर के उद्देश्य से राजस्व नहीं माना गया था (2009-10 में डीडब्लूएल में कुछ प्रकरणों को छोड़कर)। 2009-10 के दौरान मैसर्स डीडब्लूएल के कुछ एलएसए में (अर्थात् यूपी (पश्चिम), बिहार एवं झारखंड, असम, उत्तर पूर्व एवं एनएलडी) नोटिस वेतन एजीआर में सम्मिलित था तथा इस पर एलएफ का भुगतान किया गया था। नोटिस वेतन की वसूली की कुल राशि ₹ 5.56 करोड़ थी जिसमें से ₹ 0.58 करोड़ 2009-10 के दौरान एजीआर हेतु विचार किया गया तथा कुल राशि जिसमें एलएफ/एसयूसी का भुगतान किया जाना शेष हैं ₹ 4.98 करोड़ है। कम भुगतान किये गये एस एफ और एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 0.40 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ बनता है। (अनुलग्नक 8.13)
- iii) लाइसेंस फीस/एसयूसी के उद्देश्य से जीआर/एजीआर की गणना करते समय विविध आय/कबाड़ की बिक्री से प्राप्त अन्य आय, लागत की प्रतिपूर्ति (बीमा दावों को छोड़कर) की राशि ₹ 1.59 करोड़ को राजस्व के रूप में विचार नहीं किया गया है। कम भुगतान किये गये एल एफ और एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 0.11 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ बनते हैं। (अनुलग्नक 8.14)

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर, प्रबंधन ने कहा कि:-

- कारपोरेट आमदनियाँ लाइसेंसड क्रियाकलाप से उत्पन्न नहीं होती हैं तथा ऐसा करने हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर-दूरसंचार व्यवसाय हेतु पृथक विभागीय लेखा खाते बनाये गये हैं जिसका किसी अन्य दूरसंचार परिमंडलों के लाइसेंसड क्रियाकलापों से कोई अंतर्संबंध नहीं है।

“नोटिस पे रिकवरी” कर्मचारियों से सेवाओं के समापन पर प्राप्त आय से बनती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होती है इसलिए यह एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

“विविध आय/अन्य आय” कबाड़ की बिक्री, बीमा दावा, लागत की प्रतिपूर्ति आदि से आय को सम्मिलित करती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होती है। इसलिए, ये एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन



आमदनियों के लिए कोई दूरसंचार लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नानुसार आदेशित किया है:-

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस अनुबंधों में जीआर की परिभाषा स्पष्टतया विविध आय को राजस्व हिस्से की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है। जैसा कि पहले वर्णित है, बीमा दावों की ए जी आर से अपवर्जित किया गया है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि विविध आय को लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार जी आर/ए जी आर गणना हेतु शामिल करना चाहिए।

### 8.2.10 राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से आय का विचार न करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री की आय को राजस्व हिस्से की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है :-

तालिका – 8.3

कम्पनी का नाम	वर्ष	जी आर/ए जी आर के लिये नहीं विचार की गई राशि (₹ करोड़ में)	अनुबन्ध का संदर्भ
डिशनैट वायरलैस लिमिटेड	2007-08	10.04	8.15
एयरसेल लिमिटेड	2009-10	23.88	8.16
एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड	2007-08	0.01	8.17
	2009-10	7.24	
<b>कुल</b>		<b>41.17</b>	

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न में प्रबंधन ने कहा कि-

- स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री, जिन पर पूँजीगत लाभ हुये हैं, को लाइसेंसड क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। वह स्तर जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने हेतु निधियाँ उपयोग की जाती हैं उनके द्वारा एजीआर से अपने संबंध विच्छेदन के उपरांत है। अतः, स्थायी परिसंपत्तियों आदि की बिक्री से प्राप्त लाभ एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए पूँजीगत लाभ अच्छी तरीके से आयकर के दायरे में हैं तथा कर प्राधिकारियों द्वारा इनके मूल्यांकन के दौरान ऑपरेटर से अलग से चार्ज किये जाते हैं तथा यह कानून का सामान्य सिद्धांत है कि राज्य द्वारा वही दोबारा प्रभारित नहीं किया जा सकता। यदि लाइसेंस प्रदाता भी लाइसेंसधारक से एजीआर के एक

निश्चित प्रतिशत के रूप में इस पूँजीगत लाभ के एक हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, तब राज्य दोहरे कराधान में लिप्त हो रहा है जो कि विधितः अनुमत नहीं है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नवत् निर्देशित किया है: “अगले आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस को वसूलने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे”
- इसके अतिरिक्त, टी डी सैट ने अपने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि “उपर किये गये विचार-विमर्शों के प्रकाश में तथा विशेष रूप से एएस-9 के अनुसार राजस्व की पहचान के दृष्टिकोण से “पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ एवं कबाड़ की बिक्री से प्राप्ति” को लाइसेंस फीस की गणना करने हेतु “सकल राजस्व” में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 विशिष्ट अंतर्वाहों को “सकल राजस्व” का हिस्सा बनाने के रूप में वर्णित करती हैं। विचाराधीन मद स्पष्टतया धारा 19.1 में प्रगणित किसी भी अंतर्वाहों में नहीं आती है। पूँजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियों से भिन्न हैं; अतः पूँजीगत प्रकृति की प्राप्तियाँ “सकल राजस्व” में जोड़ी नहीं जा सकती (पैरा 19.2)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:—

- लाइसेंस अनुबंधों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर की परिभाषा स्पष्टतया विविध आय को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखा परीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी आकस्मिक लाभ जी आर के लिये विचारणीय है।

इस प्रकार कंपनी के खातों की पुस्तकों में दर्ज स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ ₹ 41.17 करोड़ को कंपनी द्वारा, डीओटी को देय राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिए। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर कंपनी द्वारा एलएफ एवं एसयूसी के भुगतान क्रमशः ₹ 3.72 करोड़ एवं ₹ 1.34 करोड़ (अनुलग्नक 8.18) नहीं किये थे।

### 8.2.11 परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का गैर-समावेशन

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जून 2010 में अनुमोदित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (एसओए) के अनुसार एयरसेल ग्रुप के तीनों कंपनियों – एयरसेल लिमिटेड (ए एल), एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड (ए सी एल) और डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (डी डब्ल्यू एफ) के निष्क्रिय परिसंपत्तियों को एक मुश्त राशि देकर चेन्नई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सी एन आई एफ) को स्थानांतरित किया जाना था। स्कीम को लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2010 थी। इसी प्रकार तीनों कंपनियों के परिसंपत्तियों का 1 जनवरी 2010 को पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ ₹ 3612.04 करोड़ को 2009-10 के लेखा में जनरल रिजर्व में लेखांकित किया गया जो कि एस ए ओ के अनुसार सारे प्रयोजनों के लिए फ्री रिजर्व के रूप में माना गया। उपरोक्त लाभ में कंपनी के निष्क्रिय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एस ओ ए प्रभाव होने की तारीख, आदेश को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दायर करने की तारीख थी। तदनुसार, परिसंपत्तियों को स्थानांतरण एस ओ ए के अनुसार जुलाई 2010 को प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निष्क्रिय परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ ₹ 3390 करोड़ जो सी एन आई एल को स्थानांतरित किये गये थे को 2009-10 के रेवेन्यू शेयर के लिये विचार नहीं किया गया। प्रबंधन ने यह सूचित किया कि जुलाई 2010 के पहले के अर्थात् रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष

आदेश को दायर करने से पहले विक्रय के लेन-देन/परिसंपत्तियों के स्थानांतरण की रिकॉर्डिंग न्यायालय की अवमानना मानी जाती।

जैसा कि एस ओ ए के लागू होने की तारीख इस लेखापरीक्षा के कालावधि से बाहर है यह पता नहीं चल सका कि क्या सी एन आई एल को स्थानांतरित किये निष्क्रिय परिसंपत्तियों से अर्जित लाभ भी बाद के वर्षों में एल एफ और एस यू सी के गणन हेतु सूचित किये गये या नहीं।

### 8.3 एजीआर विवरणों में अनियमित/अधिक कटौती का दावा करने के कारण राजस्व अंश का कम/गैर-भुगतान

#### 8.3.1 एजीआर की गणना करने में जीआर में से बट्टे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती

लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.2 के अनुसार एजीआर की गणना करने में निम्नलिखित केवल तीन मदें ही जीआर में से हटाये जाने के लिए अनुमत हैं—

- अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भारत के अंदर वास्तव में भुगतान किये गये पीएसटीएन सम्बन्धित कॉल चार्ज (एक्सेस चार्ज)
- अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में पारित रोमिंग राजस्व तथा,
- यदि सकल राजस्व में बिक्री कर एवं सेवा कर को घटक के रूप में सम्मिलित किया गया था तो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया सेवा के प्रावधान पर सेवाकर तथा बिक्री कर।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009 तक की समयावधि के लिए उपलब्ध कराये डाटा/अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, एयरसेल सेलुलर लिमिटेड के लिए सकल राजस्व की गणना करते समय बट्टे खातों में डाले गये अशोध्य ऋण ₹ 24.70 करोड़ राजस्व में से घटा दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 के लिए जीआर/एजीआर में ₹ 24.70 करोड़ से कमी हो गयी।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर, प्रबंधन ने कहा कि—

- 2009-10 में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के पालन में एजीआर में से घटाये गये थे जिसने कहा कि “अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता द्वारा वास्तव में खोया पैसा है। इसलिए, ऐसी हानियाँ एजीआर में से हटाई जानी चाहिए। ऐसी हानियों के कारण राशियों को एजीआर में सम्मिलित करने की अनुमति देने का अर्थ होगा कि जबकि पार्टी हानि उठाती है तथापि इसे हानि पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान करना है।” उपरोक्त निर्णय अभी भी लागू है क्योंकि दिनांक 23 अप्रैल 2015 के टीडीसैट के नये निर्णय ने अभी तक अंतिमता प्राप्त नहीं की है और उसे डीओटी द्वारा उच्चतम न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गयी है।
- हमारे विचार में, अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता की धनराशियों को उगाहने की विफलता का द्योतक है। इन मदों पर लाइसेंस फीस आरोपित करने का अर्थ ऑपरेटरों को दोहरे जोखिम के अधीन करना है— धनराशियों की वसूली में विफलता के कारण उन्हें राजस्व की हानि है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:—

- जवाब में संदर्भित टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का फैसला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के फैसले में किनारे कर दिया था।
- लाइसेंस अनुबंध एजीआर की गणना करने में अशोध्य ऋण को जीआर में से घटाने का प्रावधान नहीं करता।
- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार अशोध्य ऋण की जी आर में कटौती नहीं करनी है।  
यह ₹ 24.70 करोड़ से एजीआर को कम बताये जाने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 2.47 करोड़ एवं ₹ 1.05 करोड़ में परिणीत हुआ है।

### 8.3.2 आईएसपी (आईटी) एजीआर में अधिक कटौतियों का दावा किया गया

“इंटरनेट सेवाओं (इंटरनेट टेलीफोनी सहित) के प्रावधान हेतु लाइसेंस अनुबंध की सेवा एवं शर्तों” के अनुरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना करने के उद्देश्य से डीओटी द्वारा जारी अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2006 में संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित सकल राजस्व में से हटा दिये जायेंगे:

- इंटरनेट एक्सेस से प्रभार, इंटरनेट कंटेंट एवं इंटरनेट एक्सेस संबंधित संस्थापना प्रभार
- यदि सकल राजस्व ने बिक्री कर एवं सेवा कर को घटक के रूप में शामिल किया तो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया सेवा के प्रावधान पर सेवा कर तथा बिक्री कर।

डीडब्ल्यूएल के आईएसपी (आईटी) लाइसेंस के सम्बंध में वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक के लेखापरीक्षित एजीआर की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डीडब्ल्यूएल द्वारा दावा की गई कुल कटौती ₹ 96.52 करोड़ थी जिसमें से ₹ 7.50 करोड़ की कटौती ग्राहक-परिसर संयंत्र किराया कॉरपोरेट को मेलबॉक्स समाधान, सर्वर कोलो चार्ज आदि से संबंधित है, जो कि आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस अनुबंध की किसी भी अनुमत कटौतियों के वर्ग में नहीं आती, परिणामस्वरूप एजीआर समान राशि से कम बताया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर किया गया कि:-

तालिका – 8.4

जी एल का वर्णन	टिप्पणी
अंतर मंडलीय सेवाओं से आय	कंपनी ग्राहकों द्वारा प्रयोग किये लीज लाईन (ईआई) हेतु प्रभार ले रही है। कंपनी द्वारा जारी किये गये बीजक एवं वसूले प्रभार लीज लाईन की प्रकृति के हैं यद्यपि वे लीज लाईनों के कारण पोर्ट प्रभारों के रूप में बिल किये गये हैं। ये लीज लाईन प्रभार इंटरनेट एक्सेस प्रभारों के विरुद्ध हैं तथा उसको समान वर्ग के तहत रखा गया है। सेवाओं की कनेक्टिविटी के प्रावधान हेतु पोर्ट कंपनी की एक तकनीकी व्यवस्था है जिसके लिए प्राइवेट ऑपरेटरों में से किसी के द्वारा ग्राहकों को बिल नहीं किया जाता। ग्राहकों को बिल किये प्रभार केवल लीज लाईन प्रकृति के हैं यद्यपि वे पोर्ट चार्ज के नाम से बिल किये जाते हैं। यहां तक कि वर्तमान अवधियों में जारी बीजकों की भी समान नामावली है।

सी पी ई किराये से आय-अंतर कंपनी	कंपनी इंटरनेट सेवायें प्रदान करने के लिए ग्राहक के परिसर में उपकरण संस्थापित कर रही है, जिसके लिए कंपनी ग्रुप, कंपनी से, संस्थापन प्रभार वसूलता है। कंपनी संस्थापन प्रभार आरोपित कर रही है जिनको कि बीजकों में सीपीई किराया प्रभारों के रूप में वर्णित किया गया है। बीजक में अलग से संस्थापन प्रभार शामिल नहीं है क्योंकि यह इस शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित है। कंपनी ने बीजक बनाने की समान प्रथा वर्तमान वर्षों के दौरान भी पालन की है।
सी पी ई किराये से आय	

इसलिये, उपरोक्त के आलोक में दावा की गई कटौतियाँ लाइसेंसिंग अनुबन्ध के अनुसार हैं, तथा ए जी आर की गणना में से घटाने के उपयुक्त हैं।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण निम्नवत् हैं—

- प्रबंधन का तर्क कि अंतर-मंडलीय सेवाओं से आय, पोर्ट प्रभारों से आय, जो कि इंटरनेट लीज लाईन प्रकृति की थी को सम्मिलित करती हैं, को विचार किया गया था। 2006-07 से 2009-10 के दौरान ऐसे पोर्ट प्रभारों से कुल आय ₹ 2.37 करोड़ थी। इसलिए 2006-07 से 2009-10 के दौरान दावा किये गये अधिक कटौती की राशि को ₹ 7.50 करोड़ से ₹ 5.13 करोड़ संशोधित किया गया है।
- अंतर-मंडलीय सेवाओं से आय में दर्ज राजस्व की अन्य मदों यथा कॉरपोरेट को मेल बॉक्स समाधान, सर्वर कोलो प्रभार आदि से संबंधित राजस्व ₹ 0.83 करोड़ कटौती हेतु बिल्कुल योग्य नहीं था क्योंकि यह आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस में अनुमत अनुबंध कटौतियों के किसी भी वर्ग में नहीं आता था।
- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को दिखाई गये बीजक के अनुसार, संस्थापन प्रभार एवं सीपीई किराया प्रभार बीजक में अलग से दिखाये गये थे तथा वे भी आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस अनुबंध में अनुमत कटौतियों के किसी भी वर्ग में नहीं आते, इसलिए राजस्व कटौती हेतु योग्य नहीं है।

उपरोक्त के संदर्भ में, डीडब्ल्यूएल द्वारा ₹ 5.13 करोड़ की कटौती का अधिक दावा किया गया था। तदनुसार, एजीआर समान राशि से कम बताया गया था। परिणामतः, कंपनी द्वारा एलएफ ₹ 0.31 करोड़ (अनुलग्नक 8.19) का भुगतान नहीं किया गया था।

#### 8.4 एलएफ एवं एसयूसी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये प्रकरणों पर (पैरा 8.2 से 8.3), एलएफ एवं एसयूसी के कम/गैर-भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 75.80 करोड़ और ₹ 31.81 करोड़ की गणना की गई थी। एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान पर ब्याज की गणना ₹ 155.22 करोड़ की गई थी (अनुलग्नक 8.20)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की विद्यमान प्राईम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत उपर की दर थी तथा गणना हेतु विचार की गयी समयावधि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज को माहवार कंपाउंड किया गया है।

#### 8.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर डी ओ टी की प्रतिक्रिया

एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व के हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष डी ओ टी की अक्टूबर 2015 में भेजे गये थे। डी ओ टी का जबाव प्रतीक्षित है। (जनवरी 2016)



## अध्याय—IX

### नियंत्रक संचार लेखा के कार्यालयों में कटौती दावों का सत्यापन

#### 9.1 परिचय

एक लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंसधारी पीएसपी तथा डीओटी के मध्य नियंत्रक संचार लेखा (सीसीए) के कार्यालय एक अंतर फलक है। वैधानिक<sup>1</sup> तथा प्रशासनिक कार्यों<sup>2</sup> के अतिरिक्त सीसीए के राजस्व कार्यों में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के सभी लाइसेंसधारियों से उनके स्व-मूल्यांकित राजस्व पर एलएफ तथा एसयूसी का संग्रहण एवं कटौती हेतु उनके दावों के समर्थन में लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की संवीक्षा तथा सत्यापन शामिल है।

पीएसपी द्वारा दावा की गई कटौतियों का सत्यापन सीसीए को वर्ष 2006-07 से प्रत्यायोजित किया गया था और सत्यापन कार्य के पूर्ण होने पर सीसीए 'सत्यापन प्रतिवेदन' के माध्यम से अपने निष्कर्ष डीओटी के एलएफ अनुभाग को प्रेषित करते हैं।

पीएसपी द्वारा देय राजस्व हिस्सेदारी की सटीक गणना/निर्धारण हेतु कटौती दावों के संदर्भ में भुगतान के प्रमाण का सत्यापन तथा वास्तविक एजीआर का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षित आवश्यकता है। डीओटी मुख्यालय में अंतिम निर्धारण को सुगम बनाने हेतु सत्यापन की प्रक्रिया को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि पीएसपी से एलएफ व एसयूसी जमा किये गये व एजीआर में दावा की गई कटौतियों का सत्यापन वांछित दस्तावेजों के आधार पर किया गया था, 25 सीसीए में से 21 सीसीए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच की गई। यह नमूना जाँच छः ओपरेटरो यथा बीएएल, वोडाफोन, आरसीएल/आरटीएल, आईसीएल, एयरसेल व टीटीएसएल/टीटीएमएल के सम्बन्ध में 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिये की गई। अभिलेखों की जाँच व सत्यापन प्रक्रिया से निर्गत लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं :

#### 9.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

##### 9.2.1 आवश्यक प्रमाण के अभाव में कटौतियाँ स्वीकृत की गईं

डीओटी ने समय-समय पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गई कटौतियों की सत्यापन प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किए। डीओटी द्वारा 05 जुलाई 2007 को जारी किए गए स्पष्टीकरण की जारी सं. 7 के अनुसार भुगतान के प्रमाण के रूप में वारुचर/बैंक स्टेटमेंट/प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल हैं। बाद में डीओटी ने नवम्बर 2011 में इस बात पर बल दिया कि लाइसेंसधारियों द्वारा कटौतियों के दावों

1 वैधानिक कार्य सम्मिलित करते हैं पेंशन व्यय की बजटिंग, सीडीए तथा आईडीए वेतनमान पर सेवानिवृत्ति लाभों की अनुज्ञा, जीपीएफ का संधारण, एनपीएस हेतु अंशदान की उगाही तथा ट्रस्टी बैंक, पीएओ को प्रेषण तथा अन्य डीडीओ कार्य।

2 विभाग प्रमुख के रूप में अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे न्यायालय प्रकरणों को देखना सम्मिलित है।

के लिए विवरणों की प्रस्तुति जैसे भुगतान के प्रमाण/प्राप्ति के साथ भुगतान किये जाने वाले चालान एक पूर्व-आश्यकता है।

सीसीए कार्यालय में अभिलेखों के नमूना परीक्षण में पता चला कि सीसीए ने डीओटी द्वारा निर्धारित दस्तावेजी प्रमाण के बगैर ही अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए पीएसटीएन/रोमिंग प्रभारों के सम्बन्ध में कटौतियों हेतु दावों को स्वीकृत किया। इस सम्बन्ध में एक लेखापरीक्षा टिप्पणी पर 11 सीसीए<sup>3</sup> ने त्रुटि को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि ऑपरेटरों से निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सम्पर्क किया जा रहा है, जबकि अन्य सीसीए ने उत्तर दिया कि संदर्भित वर्ष में प्रचलित डीओटी के अनुदेशों के आधार पर कटौतियाँ स्वीकृत की गई थीं।

सीसीए द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर डीओटी ने जून 2013 तथा नवम्बर 2014 में कटौती सत्यापन हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किए। डीओटी से उक्त स्पष्टीकरणों के पूर्व विभिन्न सीसीए तथा ऑपरेटरों के बीच कटौती के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं थी। यह विभिन्न सीसीए द्वारा कटौती दावों के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने योग्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में विभिन्न मानकों के अपनाए जाने में फलित हुआ।

### 9.2.2 जीआर से अयोग्य कटौतियाँ स्वीकृत की गई

यूएसएल अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, लाईसेंस धारी के एजीआर की गणना के उद्देश्य से, पीएसपी द्वारा भुगतान किए गए प्रभारों के निम्न तीन मद ही जीआर से हटाये जाने के लिए स्वीकृत हैं—

- (i) भारत भर में योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए पीएसटीएन सम्बन्धित कॉलप्रभार (एक्सेस प्रभार)।
- (ii) अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में प्रदत्त रोमिंग राजस्व।
- (iii) सरकार को भुगतान किए गए सर्विस टैक्स/सेल्स टैक्स, यदि वह सकल राजस्व में सम्मिलित किया गया था।

अवधि 2006-07 से 2009-10 हेतु सीसीए द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रतिवेदनों तथा कटौती हेतु दावों के विरुद्ध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा में पता चला कि पीएसपी ने विलम्बित भुगतान पर ब्याज तथा लीज़्ड लाईन प्रभारों के अंतर्गत किए गए व्यय के लिए कटौती का दावा किया है। सीसीए ने त्रुटिपूर्वक जीआर से इन कटौतियों को स्वीकृत किया जो कि चार एलएसए में एजीआर को कम करके बताए जाने में फलित हुआ, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

3 झारखण्ड, कर्नाटक, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, केरल, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, हरियाणा तथा मुम्बई



## तालिका 9.1

(₹ लाख में)

क्र.स.	पीएसपी	एलएसए	वर्ष	राशि	भुगतान का प्रकार
1	वोडाफोन	गुजरात	2006-07 to 2009-10	10.58	स्थिर प्रभार, विलम्बित भुगतान पर ब्याज
		राजस्थान	2006-07 to 2009-10	13.69	
		महाराष्ट्र	2007-08	958.93	स्वीकृत कटौती में सेवा कर शामिल
		आन्ध्र प्रदेश	2007-08	300.64	टंकण की त्रुटि के कारण अतिरिक्त कटौती
2	टीटीएसएल	कर्नाटक और ओड़िसा	2007-08 to 2008-09	2.65	अंतः संबंध उपयोग प्रभार (आईयूसी) के विलम्बित भुगतान पर ब्याज

यह इंगित किए जाने पर सीसीए कर्नाटक ने उत्तर दिया कि विलंबित भुगतान पर ब्याज की गैर-स्वीकार्यता हेतु कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए थे, जबकि सीसीए ओडीशा तथा सीसीए गुजरात ने उत्तर दिया कि प्रकरण पुनः जाँचा जा रहा था। सीसीए राजस्थान से उत्तर प्रतीक्षित है।

सीसीए द्वारा अपनाई गई सत्यापन प्रक्रिया की इस कमी तथा लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों को और दूरसंचार विभाग के अनुदेशों का न मानना पीएसपी को जीआर में अयोग्य कटौतियों स्वीकार करने में फलित हुआ। क्योंकि दूरसंचार विभाग सीसीए द्वारा भेजे गए सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर ही अंतिम निर्धारण करता है अतः इन विसंगतियों का प्रभाव, कटौतियों को स्वीकार करने में यदि कोई है, राजस्व हिस्सेदारी की कम वसूली में फलित होगा।

### 9.2.3 सर्विस टैक्स के कारण अस्वीकार्य कटौती

यूएसएल अनुबन्ध के प्रावधानों के संदर्भ में तथा डीओटी द्वारा जुलाई 2007 में जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार, यदि सर्विस टैक्स/सेल्स टैक्स जीआर में सम्मिलित है तब लाइसेंस धारी द्वारा सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान इस हेतु किए गए वास्तविक भुगतान उस वर्ष हेतु कटौतियों के लिए योग्य होंगे।

यह पाया गया कि बीएएल, वोडाफोन तथा आईसीएल के लेखापरीक्षित एजीआर विवरणों पर टिप्पणी के अनुसार, लेखापरीक्षित एजीआर में दर्शाए गए जीआर में सर्विस टैक्स शामिल नहीं था। तथापि, अभिलेखों के नमूना परीक्षण में यह देखा गया कि बीएएल, वोडाफोन तथा आईसीएल ने चार एलएसए में सर्विस टैक्स घटक को शामिल करते हुए कटौतियों का दावा किया था जिसको कि सम्बन्धित सीसीए ने स्वीकृत किया जैसा नीचे दिया गया है:

## तालिका 9.2

(₹ करोड़ में)

पीएसपी का नाम	सेवा क्षेत्र	वर्ष	सकल चालान	सर्विस टैक्स घटक
भारती एयरटेल लि०	ओड़िसा	2007-08	21.32	2.35
आईडिया सेलुलर लि०	आंध्र प्रदेश	2007-08	16.42	1.81
आईडिया सेलुलर (स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि०)	कर्नाटक	2008-09	55.48	6.08

वोडाफोन	कर्नाटक	2006-07 to 2009-10	41.17	4.52
वोडाफोन	महाराष्ट्र	2007-08 to 2009-10	87.40	9.59
<b>कुल</b>				<b>24.35</b>

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर, सीसीए भुवनेश्वर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और प्र० सीसीए आंध्र प्रदेश ने उत्तर दिया कि आईडिया सेल्युलर लि० के दावे की समीक्षा की जायेगी। सीसीए कर्नाटक ने कहा कि रोमिंग संबंधित कटौतियों में सेवाकर शामिल किये जाने के दावे की क्रम रहित जाँच की गई व लेखापरीक्षा से सहमति दी, परन्तु लेखा परीक्षा के कथन का पुष्टिकरण सभी के गहन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

इस प्रकार डीओटी के अनुदेशों की अवहेलना में सर्विस टैक्स घटक को शामिल करते हुए कटौतियों को स्वीकृत करना ₹ 24.35 करोड़ की अधिक कटौती तथा राजस्व हिस्सेदारी के कम भुगतान में फलित हुआ।

### 9.2.4 एक ही दावे पर दुबारा कटौतियाँ स्वीकृत करना

लाईसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, ऑपरेटर पीएसटीएन प्रभागों से सम्बन्धित कटौतियों हेतु दावों को चाहे गये प्रमाण, जैसा कि डीओटी द्वारा समय-समय पर सूचित किया गया, के साथ प्रस्तुत करेंगे। सीसीए के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि छह सेवा क्षेत्रों में सीसीए ने तीन पीएसपी के संदर्भ में ₹ 11 करोड़ के चालान/वाऊचर हेतु दो बार कटौती स्वीकृत की थी, जैसा नीचे बताया गया है:

तालिका 9.3

प्र० सीसीए/ सीसीए का नाम	ऑपरेटर (सेवा क्षेत्र)	दावे का वर्ष	प्रथम बार कटौती दावा		दावे का वर्ष	द्वितीय बार कटौती दावा	
			दावा की गई राशि	सीसीए द्वारा स्वीकार की गई राशि		दावा की गई राशि	सीसीए द्वारा स्वीकार की गई राशि
			₹ करोड़ में			₹ करोड़ में	
रायपुर	बीएएल (एमपी)	2007-08 (ति०-4)	2.28	2.21	2008-09 (ति०-1)	2.28	2.21
लखनऊ	बीएएल (यूपी(पूर्व))	2007-08 (ति०-4)	1.71	1.71	2008-09 (ति०-1)	1.71	1.71
मुम्बई	बीएएल (मुम्बई)	2006-07 (ति०-1)	2.09	2.09	2006-07 (ति०-2)	2.09	2.09
राजस्थान	बीएएल (राजस्थान)	2008-09 (ति०-3)	0.94	0.92	2008-09 (ति०-2)	0.92	0.92
गुवाहाटी	वोडाफोन (आसाम)	2008-09 (ति०-3)	2.35	2.65	2008-09 (ति०-4)	2.35	2.35
लखनऊ	वोडाफोन (यूपी (पूर्व))	2007-08	1.61	1.61	2007-08	1.61	1.61

बंगलौर	एयरसेल (कर्नाटक)	2009-10 (ति0-1)	0.10	0.10	2009-10 (ति0- 2)	0.10	0.10
बंगलौर	एयरसेल (कर्नाटक)	2009-10 (ति0-2)	0.01	0.01	2009-10 (ति0- 3)	0.01	0.01
<b>कुल</b>							<b>11.00</b>

लेखापरीक्षा द्वारा यह बताये जाने पर तीन सीसीए (रायपुर, लखनऊ तथा बंगलौर) ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि सत्यापन का संशोधन डीओटी से सलाह करके किया जाएगा क्योंकि उपरोक्त अवधि हेतु मूल्यांकन पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। शेष तीन सीसीए (मुम्बई, असम तथा राजस्थान) से उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

### 9.2.5 टीडीएस हेतु दस्तावेजी प्रमाण से गैर-समर्थित कटौती दावों को सीमित करते समय प्रधान सीसीए आंध्र प्रदेश द्वारा अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की गई

अन्य ऑपरेटरों को देय आईयूसी के प्रकरण में, सर्विस टैक्स आरोपित किया जाता है तथा देय भुगतान से टीडीएस की कटौती भी की जाती है। तथापि एजीआर की गणना हेतु आईयूसी की मूल राशि ही जीआर से कटौती हेतु योग्य है। डीओटी के अनुदेशों (जुलाई 2007 तथा जनवरी 2012) के अनुसार पीएसपी द्वारा दावा किए गए आईयूसी कटौतियों के प्रकरण में पीएसपी द्वारा जमा किए गए टीडीएस हेतु प्रमाण के साथ ही भुगतान की गई राशि (टीडीएस से निवल) के लिए प्रमाण सीसीए कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्र0 सीसीए आंध्र प्रदेश के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि बीएएल, आरसीएल तथा टीटीएसएल ने टीडीएस राशि हेतु दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था और इसलिए प्र0 सीसीए कार्यालय ने अस्वीकृत की जाने वाली राशि की पुनः गणना करने के उपरान्त टीडीएस राशि अस्वीकृत कर दी। टीडीएस से सम्बन्धित कटौती की पुनः गणना करते समय केवल आईयूसी के स्थान पर प्रधान सीसीए ने सर्विस टैक्स घटक सहित कटौती योग्य टीडीएस राशि को शामिल किया। यह प्र0 सीसीए आंध्र प्रदेश द्वारा ₹ 75.41 करोड़ की अतिरिक्त कटौती की स्वीकृति में फलित हुआ और इस प्रकार एजीआर को उक्त सीमा तक कम कर दिया जैसा नीचे बताया गया है:

तालिका 9.4

वर्ष	स्वीकार की गई अतिरिक्त कटौती (₹ करोड़ में)			कुल (₹ करोड़ में)
	बीएएल	आरसीएल	टीटीएसएल	
2007-08				
2008-09	5.22	5.32	7.60	18.14
2009-10	11.12	9.34	10.67	31.13
	10.71	6.37	9.06	26.14
<b>कुल</b>	<b>27.05</b>	<b>21.03</b>	<b>27.33</b>	<b>75.41</b>

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, प्र0 सीसीए आन्ध्र प्रदेश ने उत्तर दिया कि कटौती सत्यापन के संशोधन के दौरान टीडीएस राशि अस्वीकार कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ (जनवरी 2016) जिसमें यह कहा गया था कि रिलायंस के संबंध में दूरसंचार विभाग को प्रधान सीसीए आंध्र प्रदेश द्वारा संशोधित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था। परन्तु एयरटेल के संबंध में यह कहा गया था कि प्रधान सीसीए आंध्र प्रदेश का प्रत्युत्तर वांछित था। दूरसंचार विभाग द्वारा टीटीएस के संबंध में कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

## 9.2.6 टीडीएस प्रमाण पत्र की गैर-प्रस्तुति के बावजूद टीडीएस के नाम पर कटौती की स्वीकृति

डीओटी के पत्र सं.1-28/2006/LF दिनांक 05 जुलाई 2007 में जारी सं.8 के स्पष्टीकरण के अनुसार, दो पीएसपी के मध्य पीएसटीएन/रोमिंग प्रभागों के समायोजन के प्रकरण में केवल देय निवल राशि का भुगतान ही प्रभावी होता है। तथापि, संबन्धित लाईसेंसधारी पूरी राशि की कटौती का दावा कर सकता है। परन्तु लाईसेंसधारी को इसे भुगतान तथा समायोजन के प्रमाण से समर्थित करना होगा। भुगतान के प्रमाण के रूप में वारुचर/बैंक स्टेटमेन्ट/रसीद शामिल हैं।

भुगतान की गई टीडीएस राशि के हिस्से के लिए, ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत कटौती दावों को स्वीकृत करते समय, सीसीए दावे के उक्त हिस्से की स्वीकृति ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जैसे वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित फार्म 16ए अथवा कर कटौती प्राधिकारी द्वारा जारी टीडीएस प्रमाणपत्र के आधार पर देगा। अगर ऑपरेटर द्वारा उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो टीडीएस राशि के दस्तावेजी प्रमाण की गैर-प्रस्तुती के आधार पर टीडीएस राशि को अस्वीकृत कर देना चाहिए।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए पीएसपी के कटौती दावों की संवीक्षा में पाया गया कि कई सीसीए ने टीडीएस भुगतान के दस्तावेजी प्रमाण की गैर-प्रस्तुति के बावजूद कटौती दावे स्वीकृत किए। नवम्बर 2014 के दौरान डीओटी ने टीडीएस कटौती हेतु दस्तावेजी प्रमाण की स्वीकार्यता एवं योग्यता के संबन्ध में स्पष्टीकरण जारी किए जिसमें यह कहा गया था कि उन प्रकरणों को जहाँ कटौती सत्यापन को अंतिम रूप दिया जा चुका है, सीसीए द्वारा दुबारा न खोला जाए।

चूंकि अधिकांश सीसीए ने वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक की कटौती का सत्यापन पूर्ण कर लिया था, टीडीएस के प्रमाण की गैर-प्रस्तुति के कारण अस्वीकार्य कटौती पर लाईसेंस फीस के कम भुगतान की वसूली नहीं हो पाई जो डीओटी को ऐसे दावों की स्वीकृति की सीमा तक एलएफ की हानि में फलित हुआ।

उपरोक्त मामले पर दूरसंचार विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ (जनवरी 2016) जिसमें यह कहा गया था कि सीसीए छत्तीसगढ़ के संबंध में आरसीएल/आरटीएल ने टीडीएस की रकम की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे तथा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की गई और संशोधित प्रतिवेदन दूरसंचार विभाग को भेज दिया गया था। परन्तु कोलकाता, चैन्नई, बिहार व कर्नाटक सीसीए ने कहा कि कटौतियों का सत्यापन दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश, जो उस समय लागू थे, के आधार पर किया गया था तथा जांच करते समय अलग से टीडीएस के भुगतान की पुष्टि करने का कोई प्रावधान/निर्देश नहीं था। वोडाफोन के संबंध में भी सीसीए ने कहा कि जांच दूरसंचार विभाग के उस समय लागू दिशा-निर्देश के अनुसार की गई थी तथा जांच के समय अलग से टीडीएस के भुगतान की पुष्टि करने का कोई प्रावधान/निर्देश नहीं था। एयरटेल के संबंध में यह कहा गया कि सीसीए से उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखा परीक्षा का यह मत है टीडीएस के प्रमाण दस्तावेजों को जमा न करने पर कटौतियाँ स्वीकार करने में सीसीए में एकरूपता की कमी थी।

### 9.2.7 दस्तावेजी प्रमाण की प्रस्तुति के बावजूद दावों की अस्वीकृति

जुलाई 2007 में डीओटी ने स्पष्ट किया (जारी सं.7) कि भुगतान के प्रमाण में वाऊचर/बैंक स्टेटमेंट/रसीद इत्यादि शामिल हैं तथा नवम्बर 2011 में पुनः बताया कि भुगतान/प्राप्ति के प्रमाण के साथ भुगतान योग्य चालान को शामिल करते हुए विवरणों की प्रस्तुति लाईसेंसधारियों द्वारा कटौती का दावा करने हेतु एक पूर्व-आवश्यकता है।

लाईसेंसधारियों द्वारा दावा की गई कटौतियों की जाँच में यह देखा गया कि कई एलएसए में पाँच पीएसपी (बीएएल, वोडाफोन, आरसीएल, आईडिया तथा टीटीएसएल/टीटीएमएल) के संदर्भ में भुगतान के प्रमाण की उपलब्धता के बावजूद सीसीए द्वारा पीएसपी के कई कटौती दावे जैसे कि पीएसटीएन प्रभार पर कटौती तथा आईयूसी पर कटौती दावे अस्वीकृत किए गए। (अनुलग्नक 9.01)

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर सीसीए कोलकाता ने उत्तर दिया कि आरसीएल के संबंध में रकम अंकगणितीय त्रुटि के कारण अनजाने में अस्वीकार की गई थी। अन्य सीसीए ने भी लेखा परीक्षा की टिप्पणी को माना तथा उत्तर दिया कि मामले पर लाईसेंसधारी से अनुरोध प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा तथा दूरसंचार विभाग को अगले निर्देशों हेतु तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि दावे मात्र तकनीकी कारणों से खारिज नहीं किये जाएँगे और यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में जाँच दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही की गई थी।

### 9.2.8 सीसीए ने अंतर-मण्डलीय समायोजन पर ₹ 432.64 करोड़ अनियमित कटौती की अनुमति दी

जुलाई 2007 में डीओटी ने पीएसटीएन प्रभारों के अंतर-मण्डलीय समायोजन की स्वीकार्यता को स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट किया था कि वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित समायोजन के लेखापरीक्षित प्रमाण की आवश्यकता होगी। जून 2013 में, डीओटी ने और स्पष्ट किया कि लाईसेंसधारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित त्रैमासिक आधार पर समायोजन के लेजर स्टेटमेंट का उद्धरण तथा वर्ष के अंत में लाईसेंसधारी के वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा परीक्षा विवरण समायोजन का प्रमाण हो सकता है।

पाँच सीसीए में (भुवनेश्वर, लखनऊ, मेरठ, अहमदाबाद तथा अम्बाला) आईसीएल के अभिलेखों की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पता चला कि सीसीए ने वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए राशि ₹ 432.64 करोड़ के अंतरमण्डलीय समायोजन, लाईसेंसधारी से समायोजन हेतु निर्धारित प्रमाण प्राप्त किए बगैर स्वीकृत किए, जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

## तालिका 9.5

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	सीसीए का नाम	सेवा क्षेत्र का नाम	वर्ष	राशि
1	अहमदाबाद	गुजरात	2008-09	25.43
			2009-10	128.76
2	भुवनेश्वर	ओड़िसा	2009-10	5.97
3	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2007-08	13.67
4	मेरठ	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2007-08 to 2009-10	188.92
5	अम्बाला	हरियाणा	2006-07 to 2008-09	69.89
<b>कुल</b>				<b>432.64</b>

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर सीसीए भुवनेश्वर ने कहा कि पुनःसत्यापन किए जाने से पूर्व ऑपरेटर को ऑपरेटर-वार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने को निर्देशित किया जाएगा, जबकि अन्य सीसीए ने उत्तर दिया कि जुलाई 2007 में जारी डीओटी के स्पष्टीकरण के अनुसार कटौती का परीक्षण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दूरसंचार विभाग ने 5 जुलाई 2007 व 10 जनवरी 2012 के अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि लाईसेंसधारी कम्पनी को अंतर-मण्डलीय भुगतान/समायोजन के नाम पर कटौती का लाभ प्राप्त करने हेतु वर्ष के अंत में लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

**9.2.9 विविध टिप्पणियाँ****9.2.9 (ए) असम एलएसए के डिशनेट वायरलेस लि0 (एयरसेल ग्रुप ऑफ कम्पनीज) को कटौती दावा ₹ 3.87 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति**

असम एलएसए में डीडब्ल्यूएल (एयरसेल) के संदर्भ में वर्ष 2009-10 के लाईसेंस फीस तथा राजस्व के विवरण की संवीक्षा में पता चला कि सीसीए ने त्रुटिपूर्वक बीएसएनएल को किए गए भुगतान के रूप में चालान राशि ₹ 0.04 करोड़ के सापेक्ष ₹ 3.91 करोड़ स्वीकृत कर दिये जो कि ₹ 3.87 करोड़ की राशि तक की कटौती की अतिरिक्त स्वीकृति में फलित हुआ।

सीसीए ने उत्तर दिया कि अभिलेखों की जाँच के बाद तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

**9.2.9 (बी) अनुमानित एजीआर तथा गैर-लेखापरीक्षित एजीआर के आधार पर सत्यापन**

डीओटी ने निर्देश दिया था कि पीएसपी द्वारा प्रस्तुत किए गए त्रैमासिक अभिलेखों पर आधारित कटौतियों का सत्यापन वार्षिक लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति के उपरान्त किया जाएगा। लेखापरीक्षित तथा अनुमानित एजीआर के साथ वोडाफोन तथा टीटीएसएल के सत्यापन प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पता चला कि राजस्थान, केरल तथा मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्रों में अवधि 2006-07 से 2008-09 हेतु दावा की गई कटौतियों का सत्यापन गैर-लेखापरीक्षित एजीआर के आधार पर किया गया था जबकि ओडीशा सेवा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 के लिये दावा की गई कटौतियों का सत्यापन अनुमानित एजीआर के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर सीसीए, मध्य प्रदेश ने उत्तर दिया कि तथ्यों तथा आंकड़ों की

पुष्टि की जाएगी, जबकि सीसीए ओडीशा ने उत्तर दिया कि अब लेखापरीक्षित एजीआर के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है।

लेखा परीक्षित एजीआर पर कटौतियों की जाँच के अभाव में पीएसपी द्वारा दावित कटौतियों की प्रमाणिकता को नहीं जाँचा जा सका।

### 9.2.9 (सी) कटौती के दावे की अनुचित अनुमति

दो सीसीए (आंध्र प्रदेश एवं भुवनेश्वर) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पता चला कि

- i. बीएएल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के कटौती हेतु दावे के सम्बन्ध में प्र0 सीसीए आंध्र प्रदेश ने ऑपरिटर द्वारा बिना कोई समायोजन विवरण प्रस्तुत किए ₹ 0.18 करोड़ स्वीकृत किए।
- ii. सीसीए भुवनेश्वर ने वर्ष 2008-09 हेतु कटौती के दावे ₹ 4.86 करोड़ स्वीकृत किए जिसमें से राशि ₹ 3.94 करोड़ ऑपरिटर के बिना किसी दावे के स्वीकृत की गई तथा सीसीए द्वारा पहले ही अस्वीकृत की गई राशि ₹ 0.92 करोड़ त्रुटिपूर्वक डीओटी को प्रस्तुत सत्यापन प्रतिवेदन में स्वीकृत राशि के रूप में दर्शाई गई।

यह इंगित किये जाने पर, प्रधान सीसीए आंध्र प्रदेश ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि उक्त को सत्यापन प्रतिवेदन में सम्बोधित किया जाएगा। सीसीए भुवनेश्वर ने ₹ 0.92 करोड़ के त्रुटिपूर्वक स्वीकृत दावे से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया, और ऑपरिटर के बिना किसी दावे के ₹ 3.94 करोड़ की कटौती राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

### 9.2.9 (डी) अग्रिम में दावा की गई कटौतियाँ

लाईसेंस की शर्तों के अनुसार, पीएसटीएन प्रभारों की कटौती पर दावे वास्तविक आधार पर स्वीकृत होने चाहिए। अवधि 2006-07 से 2009-10 हेतु वोडाफोन और टाटा ग्रुप ऑफ कम्पनीज द्वारा कटौती के रूप में दावा किए गए पीएसटीएन प्रभारों के साथ सीसीए के सम्बन्धित सत्यापन प्रतिवेदनों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि चार सीसीए<sup>4</sup> ने पीएसटीएन प्रभारों की कटौती की स्वीकृति उस वर्ष से पहले ही दे दी जिस वर्ष में भुगतान वास्तव में हुआ था।

यह इंगित किए जाने पर,

- सीसीए चेन्नई ने उत्तर दिया कि डीओटी के 5 जुलाई 2007 के स्पष्टीकरण की जारी सं.5 के अनुसार, प्राप्तकर्ता लाईसेंसधारियों द्वारा चेक प्राप्ति की दिनांक भुगतान दिनांक के रूप में ली जाती थी और तदनुसार दावों को स्वीकृत किया गया।
- सीसीए मध्य प्रदेश ने टीएसपी द्वारा दावा की गई कटौतियों का पुनर्सत्यापन किया और उत्तर दिया कि इस पर एक विस्तृत प्रतिवेदन डीओटी मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया था।
- सीसीए ओडीशा ने उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी तथा नवीन अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में दावों का पुनर्सत्यापन प्रक्रिया में है।
- सीसीए कोलकाता ने उत्तर दिया कि लाईसेंसधारियों से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया जाएगा और परिणाम सूचित किया जाएगा।

सीसीए चेन्नई द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चेक वर्ष 2006-07 में जारी किए गए थे

4 चेन्नई, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कोलकाता

जबकि भुगतान की वास्तविक तिथि आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 में थी। यह दोहरी कटौती में परिणित हो सकता था क्योंकि अगले वर्ष में पुनः कटौती दावों के स्वीकृत होने की संभावना थी। वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा इस हेतु प्रकटन न किए जाने से इस संभावना का अतिरिक्त सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

### 9.2.9 (ई) प्राप्ति योग्य राजस्व तथा किए गए वास्तविक भुगतान के ऑपरेटर-वार विवरणों की गैर-प्रस्तुति।

लाईसेंस अनुबन्ध की शर्त 20.4 के अनुसार, लाईसेंसधारियों को अपने राजस्व तथा लाईसेंस फीस के विवरण (लाईसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक-11 के परिशिष्ट-11) में, एजीआर की गणना के लिए, अपने सकल राजस्व में ऑपरेटर-वार आने वाले पास थ्रू राजस्व का विवरण तथा दावा की गई कटौतियों के लिए ऑपरेटर-वार किये गये वास्तविक भुगतान का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। ऑपरेटरों से यह सूचना डीओटी द्वारा अंतिम निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण घटक थी, क्योंकि यह पीएसपी द्वारा किए गए दावों के प्रति-परीक्षण को सुगम बनाता है।

अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए वोडाफोन द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की समीक्षा में पता चला कि कम्पनी द्वारा ऑपरेटर-वार प्राप्ति योग्य राजस्व विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया था। वोडाफोन द्वारा 2008-09 तथा आगे का ऑपरेटर-वार भुगतान योग्य आने वाले प्रभारों का विवरण भी नहीं दिया गया था। इस सूचना की अनुपस्थिति में, जो कि ऑपरेटर-वार प्राप्ति योग्य/भुगतान योग्य राजस्व के दावों के प्रति-परीक्षण में सहयोग करती, पीएसपी द्वारा त्रुटिपूर्वक जीआर में सेट-ऑफ (प्राप्तियोग्य-भुगतानयोग्य का निवल) के पश्चात् राजस्व को समाहित करने तथा इसके पश्चात वास्तविक भुगतान के प्रमाण के साथ समस्त कटौतियों का दावा करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार ऑपरेटर पास-थ्रू राजस्व से सम्बन्धित निर्धारित विवरणों को शामिल करने वाले सही तथा वैधानिक दस्तावेज सीसीए/दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत करने में असफल रहे और परिणामस्वरूप प्राप्ति योग्य पास-थ्रू राजस्व तथा अन्य ऑपरेटरों को भुगतान किए गए वास्तविक पास-थ्रू प्रभारों के आधार पर कटौतियों का सत्यापन सीसीए/डीओटी द्वारा नहीं किया जा सका।

### 9.2.9 (एफ) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब तथा सत्यापन/पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया में विलंब।

लाईसेंस शर्तें लाईसेंसधारियों द्वारा लाईसेंस शुल्क तथा प्रमाण दस्तावेज को प्रस्तुत करने हेतु एक समयावधि का निर्धारण करती हैं। यूएसएल अनुबन्ध की धारा 22.3 (ए) जो लाईसेंस प्रदाता अथवा ट्राई को यह अधिकार देती है कि वह लाईसेंसधारी द्वारा संधारित किसी भी खाता बही को मँगा सकता है की पुनर्आवृत्ति करते हुए डीओटी (अगस्त 2010) ने समस्त पीएसपी को, एजीआर विवरण में कटौतियों के समर्थन में अन्य सेवा प्रदाताओं को किए गए भुगतान के विवरण तथा भुगतान किए गए सर्विस/सेल्स टैक्स के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

कटौतियों को उपार्जन आधार पर दावा करने के टीडीसैट के आदेश को खारिज करने के भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (अक्टूबर 2011) के प्रकाश में, डीओटी ने ऑपरेटरों को 2007-08 व इसके आगे से कटौती दावों के समर्थन हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु समय का विस्तार



दिसम्बर 2011 तक किया। तथापि सीसीए में उपलब्ध डेटा की संवीक्षा (वोडाफोन हेतु नमूना परीक्षित) में विभिन्न सेवा क्षेत्रों में 2007-08 से 2009-10 के दौरान आवश्यक प्रमाण दस्तावेजों की प्रस्तुति में असामान्य विलंब ज्ञात हुआ। दस्तावेज भी खण्डित प्रकार से प्रस्तुत किए गए जिससे सत्यापन प्रक्रिया का समय पर पूर्ण होना प्रभावित हुआ।

इसके अतिरिक्त, कटौतियों के सत्यापन को पूर्ण करने तथा एलएफ शाखा को सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु डीओटी द्वारा निर्धारित समयावधि का पालन करने में भी सीसीए असफल हुए। वोडाफोन के प्रकरण में नमूना परीक्षण ने प्रकट किया कि किसी भी सीसीए कार्यालय ने समयावधि के भीतर सत्यापन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत नहीं किया तथा वोडाफोन द्वारा दावा की गई कटौतियों के सत्यापन के पूर्ण होने में 3 से 68 माह की अवधि का विलम्ब रहा (अनुलग्नक 9.02)।

लेखापरीक्षा ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय पर आधारित पुनर्सत्यापन के पूर्ण होने में विलम्ब भी पाया (अनुलग्नक 9.02)। इस प्रकार, ऑपरेटर द्वारा आवश्यक प्रमाण दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलम्ब तथा ऑपरेटर के साथ इस विषय पर जोर देने में डीओटी की असमर्थता से यह स्थिति आई कि सरकार वास्तविक राजस्व हिस्सेदारी का सही ढंग से निर्धारण नहीं कर पाई।

### 9.3 दूरसंचार विभाग का उत्तर

सीसीए कार्यालय में तीन ऑपरेटरो (बीएएल, वोडाफोन और रिलायंस) द्वारा दावित कटौतियों की जाँच प्रणाली के संदर्भ में दूरसंचार विभाग का उत्तर जनवरी 2016 में प्राप्त हुआ। प्रधान सीसीए आंध्र प्रदेश द्वारा अतिरिक्त कटौती की स्वीकृति तथा टीडीएस की कटौतियों स्वीकार करने से सम्बंधित उत्तर पैरा 9.2.5 व 9.2.6 में क्रमशः शामिल किये गये हैं।

सामान्यतः दूरसंचार विभाग ने कहा कि सीसीए को जाँच कार्य के विकेन्द्रीकरण में प्रारम्भ में शुरुआती कठिनाइयाँ थी। कटौतियों की स्वीकार्यता भुगतान आधार या उपार्जन आधार पर करने पर दूरसंचार विभाग और पीएसपी में असहमति ऐसा एक मामला था जिसने कटौती जाँच की प्रणाली को सीधे तौर पर प्रभावित किया। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार कटौतियाँ भुगतान आधार पर करनी थी परन्तु पीएसपी उपार्जन आधार पर सीसीए को दस्तावेज देन के लिए जोर दे रहे थे। पीएसपी ने अक्सर मुकदमों की शरण में या तो दस्तावेज नहीं प्रदान करे या अस्वीकार्य स्वरूपों में प्रदान किये। विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय से 2011 में निर्णय मिला और इसके बाद ही पीएसपी दस्तावेज प्रस्तुत करने लगे परन्तु वे भी सम्पूर्ण नहीं थे। पीएसपी को उन दस्तावेजों को, जो अन्य यथा बैंक ((भुगतान के प्रमाण के लिए)/सरकारी विभाग (टीडीएस प्रमाण इत्यादि) ) से प्राप्त करने थे, प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ा।

दूरसंचार विभाग ने यह भी कहा कि सीसीए कार्यालयों की कटौती जाँच कार्य व विकेन्द्रीकरण के पश्चात् बहुत से कार्य संबंधी मामले, जिनमें दूरसंचार विभाग के निदेशों की व्याख्या भी शामिल था, हुए। सीसीए कार्यालयों ने कटौती के दावों से संबंधित बहुत से मामलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभार, लीज लाइन प्रभार, एसेस प्रभार इत्यादि तथा प्रस्तुत किये जाने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों के बारे में स्पष्टीकरण दूरसंचार विभाग से माँगे। परन्तु हाल के वर्षों में दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण व जाँच प्रणाली अपेक्षाकृत पहले से समयबद्ध व नियमित है।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि दूरसंचार विभाग द्वारा कहे गये मुख्य मामले इसके प्रशासनिक क्षेत्र में हैं

तथा दूरसंचार विभाग को ऑपरेटरों द्वारा कटौतियों के दावों की जाँच की प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सक्रिय कार्य करने चाहिए। लाइसेंस अनुबंध में लाइसेंस की नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। परन्तु दूरसंचार विभाग ने अनुबंध को बाध्य करने के लिए इन प्रावधानों का प्रयोग नहीं किया है।

जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में बताया गया है, सीसीए स्तर पर कटौती दावों का सत्यापन एकरूपता के साथ नहीं किया गया और पीएसपी द्वारा प्रस्तुत कटौती दावों को स्वीकार/अस्वीकार करने में सीसीए द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए। कटौती दावों के सत्यापन हेतु सीसीए द्वारा संधारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सीसीए के मध्य विभिन्न विषयों पर विसंगतियाँ पाई गईं। साथ ही एक ही सीसीए में समन्वय की कमी के कारण विभिन्न ऑपरेटरों हेतु विभिन्न मापदण्ड अपनाए गए। इस प्रकार की विसंगतियों का मुख्य कारण डीओटी द्वारा सीसीए की समुचित निगरानी की कमी रहा।

## अध्याय – X

### लाईसेंस फीस तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का निर्धारण

#### 10.1 परिचय

डीओटी में लाईसेंस वित्त (एल एफ) शाखा सकल राजस्व के आंकलन तथा लाईसेंस धारियों द्वारा देय राजस्व हिस्सेदारी की अंतिम गणना हेतु उत्तरदायी था। लेखापरीक्षित एजीआर तथा पीएसपी से प्राप्त प्रतिवेदन/मिलान विवरण इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सकल राजस्व का निर्धारण किया जाता है। सीसीए कार्यालयों से प्राप्त संग्रहण विवरण तथा सत्यापन प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए अंतिम राजस्व हिस्सेदारी की गणना की जाती है। सकल राजस्व निर्धारण तथा पीएसपी द्वारा भुगतान की गई लाईसेंस शुल्क पर आधारित अतिरिक्त माँगे, यदि कोई हों, को एलएफ शाखा द्वारा उठाया जाता है। एल एफ शाखा द्वारा लाईसेंस फीस के विलम्बित/कम/गैर-भुगतान पर दण्ड भी आरोपित किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए, डीओटी के बेतार योजना वित्त (डब्ल्यूपीएफ) शाखा उत्तरदायी था।

डीओटी हेतु राजस्व हिस्सेदारी वसूली से सम्बन्धित अन्य कर्तव्यों में शामिल है :-

- लाईसेंस फीस के विलम्बित भुगतान के लिए दण्ड की गणना तथा संग्रहण।
- लाईसेंस फीस के कम/गैर-भुगतान के लिए ब्याज/दण्ड की गणना।
- वित्तीय/निष्पादन बैंक प्रतिभूतियों का संधारण/जब्तीकरण।
- लाईसेंसों का निलम्बन, समाप्त किया जाना।
- रोल आऊट दायित्वों तथा लक्ष्य/प्रतिबद्धता इत्यादि को पूर्ण करने में लाईसेंसधारी के पक्ष पर असफलता के प्रकरण में परिसमापित हर्जाने का आरोपण।

डीओटी द्वारा पीएसपी के सम्बन्ध में एलएफ तथा एसयूसी के निर्धारण की प्रक्रिया का नमूना परीक्षण किया गया और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

#### 10.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

##### 10.2.1 मिलान विवरणों में प्रकट किए गए राजस्व में चूक के कारण जीआर का कम निर्धारण।

यूएसएल अनुबन्ध की शर्तें निर्धारित करता था कि प्रत्येक लाईसेंसधारी को, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ, भुगतान योग्य एलएफ तथा त्रैमासिक राजस्व विवरणों में प्रदर्शित आँकड़ों का उन आँकड़ों के साथ जो वार्षिक लेखों में दर्शाए गये थे मिलान प्रस्तुत करना चाहिए। चूँकि भुगतान योग्य एलएफ का अंतिम समायोजन लाईसेंसधारी के लेखापरीक्षकों द्वारा प्रामाणित जीआर आँकड़ों पर आधारित था, मिलान विवरणों में प्रस्तुत सूचना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज थी जो कि लाईसेंसधारी कम्पनी के लाभ तथा हानि विवरणों में प्रदर्शित राजस्व के साथ लाईसेंस फीस के भुगतान हेतु गणना किए गए जीआर के मध्य भिन्नताओं को स्पष्ट करेगा। लेखों पर नोट्स/लेखापरीक्षकों का प्रकटन तथा वार्षिक लेखों में अनुसूचियाँ अन्य दस्तावेज हैं जो कि डीओटी को उन राजस्व के मदों को पहचानने में मदद करते हैं जिनको जीआर की गणना हेतु विचार में नहीं लिया गया था, जैसा कि लाईसेंस अनुबन्धों में परिकल्पित है।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए वोडाफोन ग्रुप के विभिन्न एलएसए के लेखों के मूल्यांकन के पश्चात डीओटी द्वारा उठाई गई माँगों के नमूना परीक्षण में ज्ञात हुआ कि एजीआर विवरणों के साथ संलग्न मिलान विवरण के माध्यम से लेखापरीक्षकों द्वारा प्रकट किए गए राजस्व के विभिन्न मदों के साथ ही लाभ तथा हानि लेखों इत्यादि के साथ संलग्न अनुसूचियों को कम्पनी के सकल राजस्व की गणना करते समय डीओटी द्वारा नजरअंदाज किया गया, (अनुलग्नक 10.01)। जीआर/एजीआर में लेखापरीक्षकों द्वारा उद्घाटित ऐसे राजस्व मदों को पुनः जोड़ने में, डीओटी की असफलता एलएफ/एसयूसी के कम भुगतान में फलित हुई।

दूरसंचार विभाग ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में लेखा परीक्षा के तर्क से सहमति दी और सूचित किया कि जाँच के पश्चात् आवश्यक मांगे उठाई जाएँगी।

### 10.2.2 एलएफ तथा डब्ल्यूपीएफ शाखा के मध्य समन्वय की कमी

डीओटी द्वारा आबंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का उपयोग करने हेतु लाईसेंस शर्तों के अनुसार लाईसेंस फीस के अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम प्रभागों का भी पीएसपी भुगतान करेंगे। तथापि राजस्व हिस्सेदारी पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभागों के आरोपण के सीमित उद्देश्य हेतु 'एजीआर' की गणना करते समय वायरलाईन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व पर विचार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु डीओटी की डब्ल्यूपीएफ शाखा द्वारा एसयूसी के लिए अंतिम रूप से किए गए निर्धारण में देखा गया कि वे ऑपरेटर द्वारा लेखापरीक्षित एजीआर विवरणों में बताए गए एजीआर को ध्यान में रख कर किए गए थे।

तथापि, सीसीए के सत्यापन प्रतिवेदनों तथा टीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकटन को ध्यान में रखते हुए, डीओटी की एलएफ शाखा द्वारा किए गए निर्धारण के अनुगमन में कुछ कतिपय राजस्व मद एजीआर में पुनः जोड़े गए। एजीआर में इन वृद्धियों को डब्ल्यूपीएफ शाखा द्वारा एसयूसी की गणना हेतु ध्यान में नहीं रखा गया जैसा नीचे वर्णित है:

- i. वोडाफोन के सेल्युलर मोबाईल सेवा प्रदाता होने के कारण, लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित किया गया राजस्व स्पेक्ट्रम प्रभागों हेतु निर्धारित किया गया राजस्व भी होना चाहिए। एलएफ शाखा द्वारा अतिरिक्त एसयूसी की माँग हेतु किए गए संशोधित निर्धारण को ध्यान में न रखने की असफलता के कारण अवधि 2006-07 से 2009-10 हेतु एसयूसी का कम निर्धारण ₹ 267 करोड़ हुआ।
- ii. वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु एयरसेल ग्रुप ऑफ कम्पनीज के लिए, जबकि लाईसेंस फीस के निर्धारण हेतु एजीआर, अस्वीकृत पीएसटीएन, मिलान न किए गए अंतरों, रियायत तथा छूट, लाभांश आय, अन्य आय, विदेशी विनिमय लाभ, स्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ, ब्याज आय इत्यादि को जोड़कर संशोधित किया गया था, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए एजीआर को डीओटी द्वारा एसयूसी के निर्धारण हेतु लिया गया था। इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु एलएफ तथा एसयूसी के लिए विचार किए गए एजीआर में अंतर ₹ 973.59 करोड़ था जो डीओटी द्वारा एसयूसी की कम वसूली में फलित हुआ। इस सम्बन्ध में एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डीओटी द्वारा (जनवरी 2016) बताया गया कि डीओटी की एलएफ शाखा द्वारा सूचित किए गए एजीआर के अनुसार एसयूसी को संशोधित किया जा रहा है।

- iii. वर्ष 2009-10 के लिए पंजाब तथा हरियाणा सेवा क्षेत्रों हेतु मेसर्स डिशनेट वायरलेस लिमिटेड (एयरसेल) ने 'निरंक' एजीआर प्रस्तुत किया क्योंकि उनकी सेवाएँ शुरू नहीं हुई थीं। जबकि डीओटी ने विदेशी विनिमय लाभ को जोड़ते हुए उक्त अवधि हेतु पंजाब तथा हरियाणा सेवा क्षेत्रों के लिए लाईसेंस फीस की माँग उठाई, एसयूसी को संशोधित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा यह इगित (सितम्बर 2015) किए जाने पर, डीओटी द्वारा उत्तर दिया गया (जनवरी 2016) कि एसयूसी को डीओटी की एलएफ शाखा द्वारा सूचित किए गए एजीआर के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।
- iv. मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लि0 तथा मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि0 के सम्बन्ध में, जबकि डीओटी की एलएफ शाखा द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु सीसीए के सत्यापन प्रतिवेदनों को तथा पीएसपी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकटन को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किए गए, डब्ल्यूपीएफ शाखा द्वारा उनको एसयूसी की गणना करते समय उपरोक्त जानकारी को ध्यान में नहीं रखा गया।
- v. आरसीएल (गुजरात परिमण्डल) द्वारा दावा की गई ₹ 228.62 करोड़ की कुल कटौतियों में से सीसीए द्वारा ₹ 167.46 करोड़ अस्वीकृत कर दिये गए। जबकि डीओटी ने कम भुगतान की गई लाईसेंस फीस की गणना के लिए सीसीए अहमदाबाद द्वारा अस्वीकृत की गई अयोग्य कटौतियों को ध्यान में रखा तथा एजीआर में पुनः जोड़ा, एसयूसी (सीडीएमए और जीएसएम) का निर्धारण आरसीएल द्वारा दावा की गई कुल कटौतियों (₹ 133.48 करोड़ सीडीएमए के लिए तथा ₹ 82.21 करोड़ जीएसएम के लिए) को स्वीकार्य कटौतियों की तरह लेते हुए, सीसीए द्वारा अस्वीकार की गई अयोग्य कटौतियों (₹ 97.77 करोड़ सीडीएमए के लिए तथा ₹ 60.22 करोड़ जीएसएम के लिए) को नजरअंदाज करते हुए, किया गया। आरसीएल द्वारा किए गए कुल कटौतियों के दावे को ध्यान में रखते हुए तथा सीसीए द्वारा अस्वीकृत की गई अयोग्य कटौतियों पर विचार न करते हुए एसयूसी का अंतिम निर्धारण स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कम भुगतान में फलित हुआ। (अनुलग्नक 10.02)।

एलएफ शाखा द्वारा किए गए निर्धारण को एसयूसी की गणना हेतु ध्यान में न रखने पर एक लेखापरीक्षा प्रश्न पर डीओटी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (ऊपर दिये गये पैरा (ii) व (iii) के अतिरिक्त)।

### 10.2.3 विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर माँग पत्रों को जारी करना तथा यथोचित परिश्रम के बगैर अनंतिम निर्धारण।

वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 हेतु विशेष लेखापरीक्षा/निर्धारण के आधार पर डीओटी ने सम्बन्धित राशि को एलएफ की गणना हेतु जीआर में पुनः जोड़ते हुए माँग पत्र जारी किए। माँग पत्रों में पाई गई विसंगतियाँ नीचे तालिका 10.1 में वर्णित हैं :-

## तालिका 10.1

वर्ष	टीएसपी का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
2006-07	बीएएल	विशेष लेखापरीक्षा पर आधारित वर्ष 2006-07 हेतु जारी माँग पत्र में ₹ 20.23 करोड़ की ब्याज आय माँग तथा पूरक कारण बताओ नोटिस में दो बार शामिल की गई थी। इसके अतिरिक्त टीएसपी द्वारा धारित समस्त लाईसेंसों में निगम आय को समानुपातिक बाँटने के बजाय इसे केवल दिल्ली एलएसए के अंतर्गत शामिल किया गया था।
		₹ 87.38 करोड़ को दिल्ली एलएसए के एजीआर में आईपी 1 टीबी में लेखांकित आईपी 1 सेवाओं से आय के रूप में जोड़ा गया था। आईपी 1 के समस्त राजस्व को दिल्ली एलएसए के अंतर्गत शामिल करना उचित नहीं था।
	वोडाफोन	कम्पनी के लेखापरीक्षित खातों के अनुसार कटौती दावा, वित्तीय वर्ष 2005-06 या उससे पूर्व हेतु सकल राजस्व से कटौती के रूप में दावा की गई राशियों के विरुद्ध 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजित की गई राशि ₹ 23.17 करोड़ शामिल था, जिसने यह इंगित किया कि सम्बन्धित सीसीए के माध्यम से इस खाते पर कटौती का पहले ही दावा किया जा चुका है। परन्तु अंतिम निर्धारण में इस प्रकटन पर विचार नहीं किया गया जिसने ऑपरेटर को दोहरी कटौती के दावे का लाभ प्रदान किया। दूरसंचार विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2016) कि इन मामले में सेवा क्षेत्रवार मांगे जारी की जा रही थी।
2007-08	बीएएल	विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष 2007-08 के लिए जारी माँग पत्र में ₹ 65.01 करोड़ की ब्याज आय को अनंतिम निर्धारण तथा पूरक माँगों को शामिल करते हुए विशेष लेखापरीक्षा पर जारी माँग पत्रों में दो बार शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त पीएसपी द्वारा धारित लाईसेंसों के मध्य निगम आय को समानुपातिक बाँटने के बजाय केवल दिल्ली एलएसए में इसका समावेश उचित नहीं था।
		पूर्ववर्ती सैटकॉम ब्राडबैंड इक्विपमेन्ट लिमिटेड, बीएएल की सहायक, हेतु संधारित टीबी में वीसैट इक्विपमेन्ट के व्यवसाय से आय के रूप में लेखांकित ₹ 38.75 करोड़ दिल्ली एलएसए के एजीआर में जोड़े गए थे। समस्त राजस्व का दिल्ली एलएसए में समावेश उचित नहीं था क्योंकि इसे वीसैट एजीआर में जोड़ा जाना चाहिए।
		आईपी 1 सेवाओं से आय के रूप में ₹ 100.92 करोड़ दिल्ली एलएसए के एजीआर में जोड़े गए और आई पी 1 के अधीन समस्त राजस्व को दिल्ली के अंतर्गत शामिल करना उचित नहीं था।

बीएएल के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2016) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों का संज्ञान लिया गया था व पैरा बीएएल को उनकी टीका के लिए भेजी गई थी। यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामले केरल उच्च न्यायालय में लम्बित है तथा निर्णय के पश्चात् कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार माँग पत्र जारी करते समय डीओटी यथोचित परिश्रम करने में असफल रहा जिससे मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना है।

### 10.2.4 सेवा प्रदाताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी तथा समय अनुसूची पर उपयुक्त नीति का अभाव सीसीए द्वारा कटौतियों के सत्यापन में विलम्ब में परिणीत हुई

डीओटी ने सीसीए को त्रैमासिक आधार पर कटौतियों का सत्यापन प्रत्यायोजित (सितम्बर 2006) किया। प्रत्येक तिमाही हेतु उक्त सत्यापन सीसीए द्वारा एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना था यथा वित्तीय वर्ष के I, II, III तथा IV तिमाही हेतु क्रमशः 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 अप्रैल तथा 30 जून तक। डीओटी (अप्रैल 2007) ने प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज तथा विनिर्दिष्ट समयावधि में दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के परिणामों को भी स्पष्ट किया।

कटौतियों के सत्यापन से सम्बन्धित सीसीए कार्यालयों की फाईलों के नमूना परीक्षण में पता चला कि सात सीसीए<sup>1</sup> कार्यालयों में आरसीएल द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में तथा ऑपरेटर के द्वारा दस्तावेजों की गैर-प्रस्तुति के कारण दावा की गई कटौतियों के सत्यापन में अत्यधिक विलम्ब था। इससे सीसीए कार्यालय द्वारा कटौतियों के सत्यापन में 1 माह से लेकर 59 माह की अवधि तक का विलम्ब हुआ। (अनुलग्नक 10.03)।

डीओटी ने यह कहते हुए कि ऑपरेटरों को अनुपस्थित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए, अनुदेश जारी (जुलाई 2008) किए तथा सीसीए को अस्वीकृत कटौतियों के विवरण को ऑपरेटर को सूचित करने हेतु अनुदेशित किया। तदनुसार आरसीएल को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 15 दिवसों से पाँच माह तक समय विस्तार मिला। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि लाइसेंस शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन के पश्चात् आरसीएल को पुनः दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय में विस्तार मिला जो 15 दिन से 6 माह तक था।

इस प्रकार डीओटी की असंगत नीतियों के कारण दूरसंचार ऑपरेटर ने विभिन्न अवसरों पर दस्तावेजों को टुकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया था जो सत्यापन की प्रक्रिया में वृहत् विलम्ब में फलित हुआ जिसकी अतिरिक्त समीक्षा तथा डीओटी से उपयुक्त अनुदेशों की आवश्यकता है। इस टिप्पणी पर डीओटी का उत्तर प्रतीक्षित है।

### 10.2.5 एनएलडी, आईएलडी तथा आईएसपी के एलएफ का वर्ष 2006-07 से 2009-10 हेतु गैर-निर्धारण।

एनएलडी, आईएलडी तथा आईएसपी के लिए लाइसेंस फीस का निर्धारण डिशनेट वायरलेस लि0 (डीडब्ल्यूएल) हेतु वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए तथा एयरसेल लि0 के सम्बन्ध में दिल्ली सेवा क्षेत्र हेतु वर्ष 2009-10 के लिए पाँच से भी अधिक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं किया है। डीओटी ने उत्तर दिया कि सितम्बर 2015 तक में सीसीए से सत्यापन प्रतिवेदनों की गैर-प्राप्ति के कारण निर्धारण नहीं किया जा सका।

1 उड़ीसा, दिल्ली, पटना, बंगलौर, उ.प्र.(प.), उ.प्र.(पू) व केरल

दूरसंचार विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीसीए दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा दूरसंचार विभाग को सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने चाहिए।

### 10.2.6 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दावा की गई अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर एलएफ तथा एसयूसी की गैर-वसूली

यूएसएल अनुबन्ध की धारा 2.2 (a) प्रावधान करती है कि अन्य सेवा प्रदाता(ओं) से लाईसेंसधारी अपने उपभोक्ताओं को भारत अथवा विदेश में रोमिंग सुविधा प्रदान करने हेतु पूर्ण मोबिलिटी सेवा के तहत अनुबन्ध कर सकता है जब तक कि लाईसेंस प्रदाता द्वारा अन्यथा न कहा/निर्देशित किया जाए। यूएसएल/सीएमटीएस अनुबन्ध की धारा 19.2 के अनुसार, जीआर से एजीआर की गणना के लिए निम्नलिखित अपवर्जित होंगे:—

- भारत भर में अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए पीएसटीएन से सम्बन्धित काल प्रभार (एक्सेस प्रभार);
- अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में पारित किए गए रोमिंग और राजस्व;
- यदि सकल राजस्व में सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स के घटकों को सम्मिलित किया गया है तो सेवा प्रदान करने पर सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए सेवा पर सेवा कर तथा सेल्स टैक्स।

डीओटी ने सीसीए कार्यालयों को कटौतियों के सत्यापन के विकेन्द्रीकरण को सूचित करते हुए समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अनुदेश जारी (20 सितम्बर 2006) किए। उनको माँग पर सीसीए को भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। पत्र के अनुसार, “भारत भर में अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में दिया गया रोमिंग राजस्व” पर कटौती एजीआर की गणना हेतु अनुमति योग्य था। अतः विदेशी सेवा प्रदाताओं (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग) को वास्तव में दिया गया रोमिंग राजस्व समायोजित सकल राजस्व की गणना के उद्देश्य के लिए कटौती हेतु योग्य नहीं था।

डीओटी ने पीएसपी द्वारा सकल राजस्व से कटौतियों के सत्यापन को विस्तृत करते हुए सभी सीसीए को 21 सितम्बर 2006 को आंतरिक पत्र जारी किए जिसके साथ समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सम्बोधित 20 सितम्बर 2006 का पत्र भी संलग्न था।

यह देखा गया कि मात्र नवम्बर 2014 में ही, डीओटी ने एक विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी किया कि अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के नाम पर समस्त कटौती दावे अस्वीकार्य होंगे। औचित्य यह दिया गया कि विदेशी ऑपरेटर योग्य/हकदार ऑपरेटर नहीं थे क्योंकि उनको लाईसेंस डीओटी द्वारा जारी नहीं किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि उन प्रकरणों को, जहाँ कि कटौती सत्यापन निर्णीत/बंद कर दिया गया हो, आगामी आदेशों तक सीसीए द्वारा दुबारा न खोला जाए।

लेखापरीक्षा ने नमूना परीक्षण के दौरान यह पाया कि कुछ सीसीए<sup>2</sup> द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों को वास्तव में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों को कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया था जबकि कुछ सीसीए<sup>3</sup> द्वारा इसको अस्वीकृत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के नाम पर कटौती दावों के सम्बन्ध में डीओटी द्वारा जारी स्पष्टीकरणों में विसंगतियाँ, सीसीए के बीच अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों के नाम पर कटौती दावों

2 कर्नाटक, मध्य प्रदेश व केरल

3 दिल्ली, पश्चिम बंगाल



के सम्बन्ध में स्वीकृति/अस्वीकृति में गैर-समानता तथा राजस्व हिस्सेदारी के रूप में सरकारी कोष को राजस्व की संभावित हानि में फलित हुई।

दूरसंचार विभाग ने उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी को जारी करने पर (अप्रैल 2015) उत्तर (जनवरी 2016) दिया कि टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पर कटौती के दावों का सत्यापन 6 नवम्बर 2014 तक 5 जुलाई 2007 के आदेश के अनुसार किया गया था। यह 7 नवम्बर 2014 के आदेश द्वारा हटा दिये गये थे। यह भी कहा गया कि मामला फिलहाल समीक्षा में है।

दूरसंचार विभाग का उपरोक्त उत्तर पुष्टि करता है कि यह मामला अभी भी समीक्षाधीन है तथा अपने अंत तक नहीं पहुँचा है जिससे सीसीए के बीच अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रभार की कटौती को स्वीकार/अस्वीकार करने में गैर एकरूपता जारी रह सकती है।

### 10.2.7 अपील-सम्बन्धी तंत्र की अनुपस्थिति मुकदमेबाजी की वृहत् संख्या में फलित हुई

अवधि 2012-13 से 2014-15 के दौरान डीओटी भारत सरकार के लिए एलएफ तथा एसयूसी के रूप में गैर कर राजस्व के 13.76 से 20.17 प्रतिशत का योगदान देता आ रहा है, जैसा नीचे तालिका 10.2 में वर्णित है:

तालिका 10.2

(₹ करोड़ में)

राजस्व	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	संशोधित 2014-15	बजट 2015-16
भारत सरकार के कुल कर अतिरिक्त राजस्व	137354	198869	217831	221732
अन्य संचार सेवा 'शीर्ष के तहत, संचार सेवा से कर अतिरिक्त राजस्व	18902	40113	43161	42865
संचार द्वारा कर अतिरिक्त राजस्व के भागीदारों का प्रतिशत	13.76	20.17	19.81	19.33

(स्रोत: बजट दस्तावेज)

जैसा कि पूर्व के अध्यायों में बताया गया है, एक लाईसेंस प्रदाता के रूप में डीओटी को लाईसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार पीएसपी द्वारा देय राजस्व हिस्सेदारी की यथार्थता का निर्धारण करना है। इस निर्धारण प्रक्रिया में एजीआर की गणना के लिए टेलिकॉम सेवा प्रदाता द्वारा दावा की गई कटौतियों का सत्यापन तथा सम्बन्धित लाईसेंस अनुबन्धों के अनुसार समस्त राजस्व को सही प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने के लिए जीआर का निर्धारण शामिल है।

यह देखा गया कि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के शुरू होने के कुछ ही वर्ष भीतर सेवा प्रदाताओं ने विभिन्न न्यायालयों में एजीआर की परिभाषा को चुनौती दी। सेवा प्रदाताओं ने व्यक्तिगत तथा अपने संगठनों के माध्यम से 2003 से 2005 के दौरान टीडीसैट के समक्ष लाईसेंस अनुबन्ध में परिभाषित एजीआर की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाएँ दाखिल की। सेवा प्रदाताओं के तर्कों में से एक यह था कि एजीआर की

परिभाषा तथा एजीआर में शामिल कतिपय घटक भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999, ट्राई द्वारा की गई अनुशंसाएँ तथा लाईसेंसधारियों को प्रस्तावित माईग्रेशन पैकेज के विपरीत हैं।

टीडीसैट ने अगस्त 2007 में निष्कर्ष निकाला कि एजीआर लाईसेंस प्राप्त क्रियाकलापों के माध्यम से अर्जित राजस्व होगा और राजस्व के मदों को निर्धारित किया जो कि एजीआर का भाग होंगे तथा इस प्रकार लाईसेंस अनुबन्ध में परिभाषित जीआर के दायरे में कटौती की। टीडीसैट के निर्णय को डीओटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई जिसने कि अपने निर्णय (अक्टूबर 2011) में कहा कि "लाईसेंस अनुबन्ध में एजीआर की परिभाषा की वैधता को निश्चित करने तथा राजस्व के कतिपय मदों को हटाने का, जो अन्यथा एजीआर का भाग होते जैसा कि लाईसेंस अनुबन्ध में परिभाषित है, टीडीसैट को कोई अधिकार नहीं है"। तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि डीओटी द्वारा उठाई गई माँगों के सम्बन्ध में किसी विवाद के प्रकरण में पीएसपी को टीडीसैट जाना चाहिए तथा टीडीसैट इस पर अपनी राय भी देगा कि माँग लाईसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप है या नहीं।

डीओटी में लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि डीओटी ने ऑपरेटरों पर अपने वार्षिक निर्धारण तथा विशेष लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर माँगें उठाई थीं जिनको कि टीडीसैट में चुनौती दी गई थी। जबकि वोडाफोन, बीएएल/बीएचएल तथा आरसीएल ने उठाई गई समस्त माँगों के विरुद्ध चुनौती दी थी/अभ्यावेदन दिया था, मेसर्स एयरसेल लि० ने उन पर उठाई गई पाँच में से तीन माँगों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था। डीओटी द्वारा उठाई गई तथा पीएसपी द्वारा भुगतान की गई माँगों का विवरण नीचे दिया गया है :

तालिका 10.3

₹ करोड़ में

पीएसपी का नाम	डीओटी द्वारा उठाई गई कुल माँग एलएफ+एसयूसी	भुगतान की गई राशि	शेष देय
बीएएल/बीएचएल	2294.33	0.00	2294.33
वोडाफोन	1320.00	0.72	1319.28
आरसीएल/आरटीएल	2394.89	0.00	2394.89
आइडिया	1047.24	0.00	1047.24
टीटीएसएल/टीटीएमएल	1066.33	0.00	1066.33
एयरसेल	195.45	0.03	195.42

इसके अलावा, ऑपरेटरों ने केरल उच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों में एजीआर की परिभाषा की वैधता को चुनौती देते हुए एक अन्य याचिका दाखिल की। अप्रैल 2015 में, डीओटी द्वारा उठाई गई माँगों पर निर्णय देते हुए टीडीसैट ने आदेश दिया कि जिसने राजस्व की कतिपय मदों को एजीआर की परिधि से छूट प्रदान की तथा डीओटी की माँगों को खारिज किया। डीओटी ने टीडीसैट के अप्रैल 2015 के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है (जुलाई 2015)।

इस प्रकार, जबकि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था 1999 से लागू है, सोलह वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी एजीआर की परिभाषा का मूल प्रश्न जिसपर राजस्व हिस्सेदारी की गणना की जाती है, अपने अंतिम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकी है, जिसका फल यह हुआ कि भारत सरकार के पास पीएसपी द्वारा भुगतान की

गई लाईसेंस फीस तथा स्पेक्ट्रम प्रभारों को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहा।


डीओटी द्वारा उठाई गई समस्त माँगों को चुनौती देने से, यहाँ तक कि लाईसेंस अनुबन्ध के प्रावधानों से स्पष्ट विचलन हेतु अस्वीकृतियों पर भी, सरकार के राजस्व हिस्सों के रूप में अपने देयों की वसूली सुरक्षित करने के प्रयासों को ऑपरेटरों द्वारा प्रभावी रूप से बाधित किया गया। लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों की बढ़ती संख्या यह संकेत करती है कि डीओटी द्वारा एजीआर के सत्यापन, दण्ड/ब्याज के आरोपण इत्यादि हेतु बनाए गए निर्देश/प्रक्रियाएँ भिन्न-भिन्न व्याख्या के लिए संवेदनशील रहे जिससे बहुसंख्य विवादों के लिए स्थान बना।

यद्यपि डीओटी ने समय समय पर एलएफ तथा एसयूसी की दरों को संशोधित किया, विवादों/मुकदमेबाजी की बढ़ती संख्याओं के बावजूद जीआर/एजीआर की परिभाषा की समीक्षा नहीं की गई। **अतः यह सिफारिश की जाती है कि जीआर/एजीआर की परिधि की स्पष्ट, ठोस और विशिष्ट व्याख्या की आवश्यकता है।** यह अनिवार्य है क्योंकि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के लागू होने के 16 वर्षों के बाद भी भारत की समेकित निधि में आने वाले राजस्व की विशुद्धता तथा पूर्णता को डीओटी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ऑपरेटरो से विवाद को संबोधित करने के लिए दूरसंचार विभाग के अंदर किसी अपील/निवारण तंत्र की गैर मौजूदगी मुकदमें का बढ़ती संख्या में अंशदान है। डीओटी द्वारा उठाई जाने वाली माँगों पर मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने के लिए, **यह सिफारिश की जाती है कि डीओटी तथा पीएसपी के मध्य डीओटी द्वारा उठाई माँगों पर विवादों के निपटारे हेतु एक अपीलीय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।**


उक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी दूरसंचार विभाग को जारी (अप्रैल 2015) करने पर यह उत्तर (जनवरी 2016) दिया कि वर्तमान में अपीले विभाग के प्रशासनिक अनुक्रम द्वारा निपटाई जाती थी तथा एक औपचारिक अपीलीय तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

नई दिल्ली  
दिनांक : 8 फरवरी 2016

  
(मीरा स्वरूप)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(डाक एवं दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक : 9 फरवरी 2016

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक



## अनुलग्नक -1.01

## कम्पनियों की सूची जो राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली को स्थानान्तरित हुई

क्र.सं.	लाइसेंस कम्पनी का नाम	सेवा क्षेत्र
1	एयरसेल लिमिटेड	तमिलनाडु (चैन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)
2	एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड	चैन्नई
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र
4	भारती हैक्सकॉम लिमिटेड	राजस्थान, उत्तर पूर्व
5	एच एफ सी एल इन्फोटेक लिमिटेड	पंजाब
6	आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड	आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पश्चिम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व)
7	लूप मोबाइल (इण्डिया) लिमिटेड	मुंबई
8	रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता
9	रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड	गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु (चैन्नई सहित)
10	स्पाइस कम्यूनिकेशन लिमिटेड	कर्नाटक, पंजाब
11	सिस्टीमा श्याम टेलीसर्विसज लिमिटेड	राजस्थान
12	वोडाफोन इस्सार लिमिटेड	मुंबई
13	वोडाफोन इस्सार पूर्व लिमिटेड	कोलकाता
14	वोडाफोन इस्सार मोबाइल सर्विस लिमिटेड	दिल्ली
15	वोडाफोन इस्सार डिजिटलिंग लिमिटेड	हरियाणा
16	वोडाफोन इस्सार गुजरात लिमिटेड	गुजरात
17	वोडाफोन इस्सार सेल्यूलर	केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
18	वोडाफोन इस्सार दक्षिण लिमिटेड	चैन्नई, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, पंजाब
19	टाटा टेलीसर्विसिज (महाराष्ट्र) लिमिटेड	महाराष्ट्र, मुंबई
20	टाटा टेलीसर्विसिज लिमिटेड	आन्ध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु (चैन्नई सहित)
21	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली, मुंबई

**टिप्पणी:** वोडाफोन ग्रुप का लाइसेंस मूल रूप से इस्सार/हच इत्यादि के साथ थे वोडाफोन नाम का उपयोग आसान पहचान के लिये है।

अनुलग्नक 3.01 पैरा 3.2.1 (क)

## कमीशन व मार्जिन के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	12078741	966299	547167	105804441	8464355	4814102	9066020	906602	412504	256768072	25676807	11682947
असम	26136355	1568181	744886	90911098	5454666	3136433	115677660	6940660	3990879	135260260	8115616	4666479
बिहार	209688384	12581303	9079507	306437288	18386237	13942897	537206188	32232371	24442882	524431015	31465861	23861611
चैन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116340271	11634027	5642503
दिल्ली	152358530	15235853	6627596	-	-	-	4649258	464926	202243	306971929	30697193	13353279
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236633726	23663373	8637131
हरियाणा	33247429	2659794	1157011	1990666	159253	68678	1633876	130710	56369	99309183	7944735	3426167
हिमाचल प्रदेश	1054516	52726	36381	7462189	373109	257446	2347359	140842	80984	97493766	5849626	3363535
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104827985	6289679	3616565
कर्नाटक	-	-	-	477277719	38182218	22193414	988115138	98811514	45947354	1007948423	100794842	46869602
केरल	-	-	-	4048432	323875	143719	5330111	426409	189219	246791522	19743322	8761099
कोलकाता	4953622	495362	213006	1041912	104191	44802	-	-	-	112724049	11272405	4847134
महाराष्ट्र	7426038	742604	271050	269489732	26948973	9836375	160460021	16046002	6498631	446703043	44670304	20771692
मध्यप्रदेश	69076411	5526113	2521289	317554950	25404396	11590756	321367123	25709370	11729900	141787391	11342991	5175240
मुंबई	123075296	12307530	5599926	177318855	17731885	8068008	92148641	9214864	4192763	233485417	23348542	11333586
उड़ीसा	-	-	-	2678050	160683	120512	10432679	625961	469471	154661848	9279711	6959783
पंजाब	-	-	-	-	-	-	5611411	448913	249708	309785347	24782828	13785448
तमिलनाडु	2370842	237084	90092	-	-	-	11271209	1127121	546654	268285978	26828598	13011870
उत्तर प्रदेश पूर्व	45630435	3650435	1597065	-	-	-	7200932	576075	266434	95338121	7627050	4290215
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78763895	6301112	2796118
पश्चिम बंगाल	-	-	-	66145	5292	1786	-	-	-	170349287	13627943	5962225
कुल बी ए एल	687096600	56023284	28484976	1762081478	141699134	74218928	2272517625	193802338	99275993	5164660528	452956563	223014230
उत्तर पूर्व	11256790	675407	264535	45468753	2728125	1068516	95431725	5725904	2528941	111339190	6680351	3729863
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470289703	37623176	21398181
कुल बी एच एल	11256790	675407	264535	45468753	2728125	1068516	95431725	5725904	2528941	581628893	44303528	25128044
कुल यू ए एस एल	698353390	56698692	28749510	1807550231	144427259	75287443	2367949350	199528242	101804934	5746289422	497260091	248142274

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	988.63	84.45	42.50
बी एच एल	73.37	5.34	2.90
कुल यू ए एस एल	1,062.00	89.79	45.40



अनुलनक 3.02 पैरा 3.2.1 (ख)  
**श्री एयर टाईम (एफ ए टी) के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ ए व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव**  
 (राशि ₹ में)

सेवायें / एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	-	-	-	547092069	54709207	24892689	19407204	1940720	883028
असम	3767350	226041	107369	-	-	-	-	-	-	20910365	1254622	721408
बिहार	32097862	1925872	1389837	41235666	2474140	1876223	100460834	6027650	4570968	103095341	6185720	4690838
चैन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1944074	194407	94288
दिल्ली	174435645	17443565	7587951	225559684	22555968	9789290	286607206	28660721	12467413	52235381	5223538	2272239
गुजरात	-	-	-	1300136	130014	47455	-	-	-	19037652	1903765	694874
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6059028	484722	209036
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	88000	5280	3036	9042525	542552	311967
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	3998900	239934	137962	19802223	1188133	683177
कर्नाटक	89153807	7132305	4145652	1166696301	93335704	54251378	1375049131	137504913	63939785	844038106	84403811	39247772
केरल	338326	27066	12011	2233750	0	96051	874431	69954	31042	9817797	785424	348532
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10213502	1021350	439181
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42774589	4277459	1989018
मध्यप्रदेश	69477825	5558226	2535941	38694734	3095579	1412358	197164099	15773128	7196490	10199841	815987	372294
मुम्बई	234223439	23422344	10657166	19811582	1981158	901427	-	-	-	18611751	1861175	846835
उड़ीसा	48492315	2909539	1939693	21202747	1272165	954124	23100194	1386012	1039509	22990735	1379444	1034583
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14409601	1152768	641227
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4811276	481128	233347
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9495664	759653	427305
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	30632	2451	1087	-	-	-	3049723	243978	108265
पश्चिम बंगाल	-	-	-	3259500	260760	88007	-	-	-	10152546	812204	355339
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>651986569</b>	<b>58644957</b>	<b>28375620</b>	<b>1520024733</b>	<b>125331313</b>	<b>69417400</b>	<b>2534434864</b>	<b>244376799</b>	<b>114278894</b>	<b>1252098924</b>	<b>116912561</b>	<b>56604553</b>
उत्तर पूर्व	607707	36462	14281	-	-	-	-	-	-	14245367	854722	477220
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12271553	981724	558356
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>607707</b>	<b>36462</b>	<b>14281</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26516920</b>	<b>1836446</b>	<b>10355575</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>652594277</b>	<b>58681419</b>	<b>28389901</b>	<b>1520024733</b>	<b>125331313</b>	<b>69417400</b>	<b>2534434864</b>	<b>244376799</b>	<b>114278894</b>	<b>1278615844</b>	<b>118749007</b>	<b>57640128</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें / कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	595.86	54.52	26.87
बी एच एल	2.71	0.19	0.10
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>598.57</b>	<b>54.71</b>	<b>26.97</b>

अनुलग्नक 3.03 पैरा 3.2.1 (ख)  
**फ्री आफ कास्ट (एफ ओ सी) कार्ड/कूपन/सिम राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव**

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	-	-	-	112842	6771	3893	-	-	-	343945	20637	11866
बिहार	-	-	-	852454	51147	38787	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	52096764	5209676	2266209	24268652	2426865	1053259	-	-	-	813390	81339	35382
गुजरात	56118090	5611809	2048310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	10058789	502939	347028	2102539	105127	72538	-	-	-	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	1239987	74399	42904	154201	9252	5320	-	-	-
कर्नाटक	25298475	2023878	1176379	-	-	-	-	-	-	902636	90264	41973
केरल	3358581	268687	119230	4652909	372233	165178	3230997	258480	114700	4101127	328090	145590
कोलकाता	2111075	211107	90776	-	-	-	42121	4212	1811	584145	58414	25118
महाराष्ट्र	59266869	5926687	2163241	15663600	1566360	571721	-	-	-	977185	97718	45439
मध्यप्रदेश	13157250	1052580	480240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मृबई	2712346	271235	123412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2263279	135797	101848
पंजाब	9589172	575350	426718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	757494	75749	28785	-	-	-	7865859	786586	381494	9930481	993048	481628
उत्तर प्रदेश पूर्व	33991915	2719353	1189717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश पश्चिम	22309918	1784793	792002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	5727723	458218	143193	-	-	-	3863613	309089	135226	2226692	178135	77934
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>296554459</b>	<b>26692062</b>	<b>11395240</b>	<b>48892983</b>	<b>4602902</b>	<b>1948280</b>	<b>15156792</b>	<b>1367619</b>	<b>638552</b>	<b>22142879</b>	<b>1983443</b>	<b>966779</b>
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20595	1236	690
राजस्थान	20109729	1206584	709873	-	-	-	-	-	-	3292401	263392	149804
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>20109729</b>	<b>1206584</b>	<b>709873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3312996</b>	<b>264628</b>	<b>150494</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>316664188</b>	<b>27898646</b>	<b>12105113</b>	<b>48892983</b>	<b>4602902</b>	<b>1948280</b>	<b>15156792</b>	<b>1367619</b>	<b>638552</b>	<b>25455875</b>	<b>2248070</b>	<b>1117273</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	38.28	3.46	1.49
बी एच एल	2.34	0.15	0.09
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>40.62</b>	<b>3.61</b>	<b>1.58</b>

अनुलग्नक 3.04 पैरा 3.2.1 (ख)  
 प्रमोशनल गतिविधियों के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाएँ / एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23510713	2351071	1069737
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4345139	260708	149907
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2770156	166209	126042
चैन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1841168	184117	89297
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20482143	2048214	890973
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4059124	405912	148158
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148252	11860	5115
हिमाचल प्रदेश	1123500	56175	38761	-	-	-	32282147	1936929	1113734	11016170	660970	380058
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	271164	16270	9355	87433	5246	3016
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13891402	1389140	645950
केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636113	50889	22582
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2973665	297367	127868
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11571810	1157181	538089
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7571981	605758	276377
मुम्बई	281400	28140	12804	2329299	232930	105983	-	-	-	1752150	175215	79723
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16739398	1004364	753273
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518195	41456	23060
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38167950	3816795	1851146
उत्तर प्रदेश पूर्व	11056898	884552	386991	-	-	-	167921171	13433694	6213083	19236859	1538949	865659
उत्तर प्रदेश पश्चिम	118216083	9457287	4196671	3981832	318547	141355	33179703	2654376	1177879	4584222	366738	162740
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8875771	710062	310652
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>130677881</b>	<b>10426153</b>	<b>4635227</b>	<b>6311131</b>	<b>551476</b>	<b>247338</b>	<b>233654185</b>	<b>18041269</b>	<b>8514052</b>	<b>194779813</b>	<b>17248222</b>	<b>8519421</b>
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2108586	126515	70638
राजस्थान	29517926	1771076	1041983	68109104	4086546	2417873	61589237	4927139	2371186	20835907	1666873	948034
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>29517926</b>	<b>1771076</b>	<b>1041983</b>	<b>68109104</b>	<b>4086546</b>	<b>2417873</b>	<b>61589237</b>	<b>4927139</b>	<b>2371186</b>	<b>22944493</b>	<b>1793388</b>	<b>1018671</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>160195807</b>	<b>12197229</b>	<b>5677210</b>	<b>74420235</b>	<b>4638023</b>	<b>2665211</b>	<b>295243422</b>	<b>22968408</b>	<b>10885238</b>	<b>217724306</b>	<b>19041609</b>	<b>9538093</b>

(₹ करोड़ में)

सेवाएँ / कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	56.54	4.63	2.19
बी एच एल	18.22	1.25	0.69
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>74.76</b>	<b>5.88</b>	<b>2.88</b>

अनुलग्नक 3.05 पैरा 3.2.1 (ख)  
 फुल टाक टाईम (एफ टी टी) के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	379005	37901	16487	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	12007963	720478	170178	2836293	170178	97852
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	19321901	1932190	898468	-	-	-
मुम्बई	6521510	652151	296729	(66192049)	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	21524873	1721990	753371	54249690	4339975	1898739	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5437102	434968	193017	24428699	1954296	867219	-	-	-	-	-	-
कुल बी ए एल	33483485	2809109	1243116	12486340	6294271	2765958	12007963	720478	414275	22537199	2140268	1012807
राजस्थान	25773263	1546396	909796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल बी एच एल	25773263	1546396	909796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल यू ए एस एल	59256748	4355505	2152913	12486340	6294271	2765958	12007963	720478	414275	22537199	2140268	1012807

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	8.05	1.20	0.54
बी एच एल	2.58	0.15	0.09
कुल यू ए एस एल	10.63	1.35	0.63

अनुलग्नक 3.06 पैरा 3.2.1 (ख)  
समायोजन के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाएँ/एल एस ए	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
बिहार	173527031	10411622	7513720	160309662	9618580	7294090	99907038	5994422	3446793	27351193	1641072	943616	5603116	336187	254942	
चैन्नई	17780547	1778055	782344	84259878	8425988	4170864	115643271	11564327	5608699	32653669	3265367	1583703	4601549	460155	200167	
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	794656	63573	27416	832990	66639	28738	832990	66639	28738	
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	2750363	165022	94888	230761	13846	7961	230761	13846	7961	
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	12241009	734461	422315	359026	21542	12386	359026	21542	12386	
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	576318	57632	26799	2674131	267413	124347	2674131	267413	124347	
केरल	40352532	3228203	1432515	-	-	-	332506795	26600544	11803991	17145622	1371650	608670	17145622	1371650	608670	
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
तमिलनाडु	106201044	10620104	4035640	342695915	34269591	16963448	449751402	44975140	21812943	135429757	13542976	6568343	135429757	13542976	6568343	
उत्तर प्रदेश पूर्व	86872493	6949799	3040337	-	-	-	75856506	6068520	2806691	382572	30606	17216	382572	30606	17216	
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	-	-	-	37606613	3008529	1335035	111659	8933	3964	111659	8933	3964	
पश्चिम बंगाल	788138	63051	19703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल बी ए एल	425521785	33050834	16824460	587265455	52314159	28428401	1135208307	99686629	47726413	592598216	57012215	26873918	592598216	57012215	26873918	
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	62809492	3768570	1664452	21984783	1319087	736490	21984783	1319087	736490	
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल बी एच एल	-	-	-	-	-	-	62809492	3768570	1664452	23098332	1408171	787157	23098332	1408171	787157	
कुल यू ए एस एल	425521785	33050834	16824460	587265455	52314159	28428401	1198017799	103455199	49390865	615696548	58420385	27661074	615696548	58420385	27661074	

(₹ करोड़ में)

सेवाएँ/कम्पनी	बी ए एल	बी एच एल	कुल	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	274.06			24.20	11.99	
बी एच एल		8.59		0.52	0.24	
कुल	282.65			24.72	12.23	

अनुलग्नक 3.07 [पैरा 3.2.2]  
छूट से राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण प्रभावित एल एफ व एस यू सी का कम भुगतान  
(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	50557315	4044585	2290246	24610145	1968812	1119762	32249923	3224992	1467372	640359414	64035941	29136353
बिहार	543836	32630	23548	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चैन्नई	252104509	25210451	11092598	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	25917508	2591751	1127412	-	-	-	-	-	-	2698891	269889	117402
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42125	3370	1453
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119492	7170	4122
कर्नाटक	5328912	426313	247794	4948611	395889	230110	5035572	503557	234154	-	-	-
कोलकाता	569855	56986	24504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	771534	61723	28161	-	-	-
उड़ीसा	10788	647	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब	-	-	-	-	-	-	205435	16435	9142	-	-	-
तमिलनाडु	229026742	22902674	8703016	408771817	40877182	20234205	92586859	9258686	4490463	-	-	-
उत्तर प्रदेश पश्चिम	29847592	2387807	1059590	1066490	85319	37860	-	-	-	-	-	-
<b>कुल यू ए एस एल (बी ए एल)</b>	<b>593907057</b>	<b>57653844</b>	<b>24569140</b>	<b>439397063</b>	<b>43327201</b>	<b>21621937</b>	<b>130849323</b>	<b>13065393</b>	<b>6229291</b>	<b>643219923</b>	<b>64316370</b>	<b>29259331</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल (बी ए एल)	180.74	17.84	8.17

अनुलग्नक 3.08 पैरा 3.2.2]

वेवर (राजस्व) के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/ एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	4200559	336045	190285	21212099	1696968	965151	-	-	-	352859484	35285948	16055107
असम	34660700	2079642	987830	47725904	2863554	1646544	28923067	1735384	997846	49777685	2986661	1717330
बिहार	3485067	209104	150903	504862	30292	22971	2998562	179914	136435	31230957	1873857	1421009
चैन्नई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1041656801	104165680	50520355
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	249966888	24996689	10873560	1772430620	177243062	77100732
गुजरात	4550	455	166	-	-	-	-	-	-	271132115	27113212	9896322
हरियाणा	17070262	1365621	594045	6144388	491551	211981	9290390	743231	320518	128437299	10274984	4431087
हिमाचल प्रदेश	14677621	733881	506378	10129820	506491	349479	4098881	245933	141411	39202778	2352167	1352496
जम्मू एवं कश्मीर	22228966	1333738	733556	10510893	630654	363677	10666508	639990	367995	53980502	3238830	1862327
कर्नाटक	210944863	16875589	9808936	173544533	13883563	8069821	121831447	12183145	5665162	934065305	93406531	43434037
केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160584865	12846789	5700763
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	1266767	126677	54471	192895303	19289530	8294498
महाराष्ट्र	327848	32785	11966	-	-	-	173481	17348	7026	243202520	24320252	11308917
मध्यप्रदेश	3793	303	138	13966578	1117326	509780	14958899	11196712	546000	103428207	8274257	3775130
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	205132	20513	9334	320184617	32018462	14568400
उड़ीसा	42914577	2574875	1716583	61035695	3662142	2746606	70509795	4230588	3172941	67569461	4054168	3040626
पंजाब	117600062	7056004	5233203	77294267	4637656	3439595	25937779	2075022	1154231	479279217	38342337	21327925
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	-	-	-	6399681	511974	236788	153849304	12307944	6923219
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	-	-	-	2083123	166650	73951	119029898	9522392	4225561
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	609723	48778	21340	39683054	3174644	1388907
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>468150068</b>	<b>32601161</b>	<b>19935363</b>	<b>422069039</b>	<b>29520196</b>	<b>18325605</b>	<b>549920123</b>	<b>49118548</b>	<b>23779008</b>	<b>6554479992</b>	<b>622091707</b>	<b>288344746</b>
उत्तर पूर्व	14515648	870939	341118	22900586	1374035	538164	14783728	887024	391769	28943401	1736604	969604
राजस्थान	51652588	3099155	1823336	42947423	2576845	1524634	33975761	2718061	1308067	216846707	17347737	9866525
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>66168236</b>	<b>3970094</b>	<b>2164454</b>	<b>65848009</b>	<b>3950881</b>	<b>2062797</b>	<b>48759489</b>	<b>3605085</b>	<b>1699836</b>	<b>245790108</b>	<b>19084341</b>	<b>10836129</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>534318304</b>	<b>36571255</b>	<b>22099817</b>	<b>487917048</b>	<b>33471077</b>	<b>20388402</b>	<b>598679612</b>	<b>52723632</b>	<b>25478844</b>	<b>6800270100</b>	<b>641176048</b>	<b>299180875</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	799.46	73.33	35.04
बी एच एल	42.66	3.06	1.67
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>842.12</b>	<b>76.39</b>	<b>36.71</b>

वेवर (व्यय) के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव  
 अनुलग्नक 3.09 पैरा 3.2.2] (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	4780964	382477	216578	8507484	680599	387091	5453968	545397	248156	10987878	1098788	499948
असम	4366981	262019	124459	3783095	226986	130517	2348512	140911	81024	555698	33342	19172
बिहार	559761	33586	24238	2048348	122901	93200	147490	8849	6711	79413	4765	3613
चैन्नई	32526968	3252697	1431187	41330406	4133041	2045855	19525319	1952532	946978	15418424	1541842	747794
दिल्ली	121559368	12155937	5287832	65370911	6537091	2837098	90330770	9033077	3929389	125532922	12553292	5460682
गुजरात	8139171	813917	297080	1551067	155107	56614	1258222	125822	45925	1541141	154114	56252
हरियाणा	3724540	297963	129614	3199431	255954	110380	2873318	229865	99129	1164588	93167	40178
हिमाचल प्रदेश	1114070	55704	38435	411499	20575	14197	140636	8438	4852	26023	1561	898
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	22686	1361	785	9210	553	318	12078	725	417
कर्नाटक	16136110	1290889	750329	39499956	3159996	1836748	31151523	3115152	1448546	28994569	2899457	1348247
केरल	2650081	212006	94078	4947710	395817	175644	9482808	758625	336640	5408258	432661	191993
कोलकाता	5331195	533120	229241	2730974	273097	117432	5532260	553226	237887	9477843	947784	407547
महाराष्ट्र	14299465	1429947	521930	10090561	1009056	368305	10835714	1083571	438846	948668	94867	44113
मध्यप्रदेश	63657427	5092594	2323496	49466304	3957304	1805520	47294029	3783522	1726232	24772619	1981810	904201
मुम्बई	5984787	598479	272308	8796710	879671	400250	11007256	1100726	500830	26239309	2623931	1193889
उड़ीसा	54075	3245	2163	202687	12161	9121	285635	17138	12854	275166	16510	12382
पंजाब	32579029	1954742	1449767	8816414	528985	392330	8888488	711079	395538	5099935	407995	226947
उत्तर प्रदेश पूर्व	6228941	498315	218013	5062641	405011	177192	3564203	285136	131876	2719452	217556	122375
उत्तर प्रदेश पश्चिम	2701528	216122	95904	2534907	202793	89989	1622732	129819	57607	1998317	159865	70940
पश्चिम बंगाल	340869	27269	8522	727	58	20	112849	9028	3950	265916	21273	9307
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>326735329</b>	<b>29111026</b>	<b>13515174</b>	<b>258374519</b>	<b>22957564</b>	<b>11048288</b>	<b>251864942</b>	<b>23592466</b>	<b>10653286</b>	<b>261518220</b>	<b>25285305</b>	<b>11360896</b>
उत्तर पूर्व	1555753	93345	36560	2465531	147932	57940	1455565	87334	38572	236931	14216	7937
राजस्थान	7789425	467366	274967	1308143	78489	46439	7074179	565934	272356	895992	716799	407680
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>9345178</b>	<b>560711</b>	<b>311527</b>	<b>3773674</b>	<b>226420</b>	<b>104379</b>	<b>8529744</b>	<b>653268</b>	<b>310928</b>	<b>9196923</b>	<b>731015</b>	<b>415617</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>336080507</b>	<b>29671737</b>	<b>13826701</b>	<b>262148193</b>	<b>23183985</b>	<b>11152667</b>	<b>260394686</b>	<b>24245735</b>	<b>10964214</b>	<b>270715142</b>	<b>26016320</b>	<b>11776513</b>

सेवायें/कम्पनी	एल एफ पर प्रभाव		एस यू सी पर प्रभाव	
	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	109.85	10.09	4.66	
बी एच एल	3.08	0.22	0.11	
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>112.93</b>	<b>10.31</b>	<b>4.77</b>	



अनुलग्नक 3.10 पैरा 3.2.3] अन्य ऑपरेटरों को प्राप्त इंटर ऑपरेटर ट्रेफिक (आई टी ओ) छूटों से राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एक व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाएँ/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07			वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	13353110	1068249	604896	28412500	2273000	1292769	49789665	4978967	2265430	4377842	437784	199192
बिहार	2135129	128108	92451	3298510	197911	150082	6247529	374852	284263	691703	41502	31472
चेन्नई	19576603	1957660	861371	34168255	3416826	1691329	48322167	4832217	2343625	8251505	825151	400198
दिल्ली	79333915	7933392	3451025	80984498	8098450	3514727	334934899	33493490	14569668	22905909	2290591	996407
गुजरात	3808764	380876	139020	11715822	1171582	427628	21353129	2135313	779389	-	-	-
हरियाणा	783391	62671	27262	1667210	133377	57519	3189143	255131	110025	1041878	83350	35945
हिमाचल प्रदेश	864401	43220	29822	1601314	80066	55245	2352908	141174	81175	1876557	112593	64741
जम्मू एवं कश्मीर	4096	246	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्नाटक	54879029	4390322	2551875	81966274	6557302	3811432	93902986	9390299	4366489	7344056	734406	341499
केरल	6873415	549873	244006	11281757	902541	400502	19997281	1599782	709903	-	-	-
कोलकाता	7514275	751428	323114	10018136	1001814	430780	17898480	1789848	769635	1888972	188897	81226
महाराष्ट्र	20760067	2076007	757742	18500837	1850084	675281	5511716	551172	2232024	3890648	389065	180915
मध्यप्रदेश	2067891	165431	75478	5145918	411673	187826	8617496	689400	314539	1463085	117047	53403
मुंबई	61221389	6122139	2785573	61314013	6131401	2789788	121045389	12104539	5507565	-	-	-
उड़ीसा	1110730	66644	44429	1081173	64870	48653	4684997	281100	210825	802613	48157	36118
पंजाब	3751177	225071	166927	8913472	534808	396650	10998595	879888	489437	5543841	443507	246701
तमिलनाडु	6452876	645288	245209	10712548	1071255	530271	36331121	3633112	1762059	4354690	435469	211202
उत्तर प्रदेश पूर्व	2027531	162202	70964	3629319	290346	127026	5878127	470250	217491	1358634	108691	61139
उत्तर प्रदेश पश्चिम	3403082	272247	120809	5158467	412677	183126	11754371	940350	417280	3097783	247823	109971
पश्चिम बंगाल	1181815	94545	29545	1731089	138487	46739	3800587	304047	133021	187942	15035	6578
कुल बी ए एल	291102686	27095618	12621655	381301112	34738469	16817371	856210586	83804929	37563844	69077658	6519068	3056706
राजस्थान	12234869	734092	431891	17505334	1050320	621439	24865450	1989236	957320	3564362	285149	162178
कुल बी एच एल	12234869	734092	431891	17505334	1050320	621439	24865450	1989236	957320	3564362	285149	162178
कुल यू ए एस एल	594440241	54925328	25675200	780107558	70527257	34256181	1737286622	169599094	76085008	141719678	13323284	6275591

(₹ करोड़ में)

सेवाएँ / कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	159.77	15.21	7.00
बी एच एल	5.82	0.41	0.22
कुल यू ए एस एल	165.59	15.62	7.22

अनुरागक 3.11 पैरा 3.2.4] अन्य टेलीकाम प्रचालकों से प्राप्त अवसंरचना शोयिंग (हिस्सेदारी) पर राजस्व शोयार के लिये विचार नहीं करने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07		वित्तीय वर्ष 2007-08		वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	
असम	-	-	2700810	162049	93178	13866	231108	7973	-
चेन्नई	21030974	2103097	42531416	4253142	2105305	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	94123769	9412377	4084972	3455585	3455585	150318	5963669
गुजरात	53024487	5302449	115125272	11512527	4202072	12254766	12254766	447299	-
हरियाणा	39038556	3123084	95372274	7629782	3290343	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	1116888	55844	12160227	608011	419528	4809	80153	2765	-
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	5967659	358060	206481	-	-	-	-
कर्नाटक	-	-	186237912	14899033	8660063	2260094	22600937	1050944	-
केरल	44698065	3575845	123937478	9914998	4399780	1438753	17984410	638447	132373
कोलकाता	41788691	4178869	33903519	3390352	1457851	2195707	21957066	944154	7748080
महाराष्ट्र	-	-	253789979	25378998	9263334	-	-	-	-
मुम्बई	-	-	-	-	-	702229	7022291	319514	3185357
उड़ीसा	1017452	61047	14506974	870418	652814	-	-	-	-
पंजाब	40130835	2407850	96525267	5791516	4295374	-	-	-	-
तमिलनाडु	11814895	1181489	117835305	11783531	5832848	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश पूर्व	4139432	331155	102216115	8177289	3577564	15449	193118	7145	-
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	93371757	7469741	3314697	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	10892800	871424	80340103	6427208	2169183	-	-	-	-
कुल बी ए एल	268693075	23192155	1470645835	128039031	58025388	85779434	8201942	3568559	17029479
उत्तर पूर्व	-	-	345310	20719	8115	1355605	81336	35924	5207219
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	393172388
कुल बी एच एल	-	-	345310	20719	8115	1355605	81336	35924	31453791
कुल यू ए एस एल	268693075	23192155	1470991145	128059750	58033503	87135040	8283279	3604483	415409086

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कूल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	184.21	16.11	7.27
बी एच एल	40.01	3.19	1.81
कुल यू ए एस एल	224.22	19.30	9.08

अनुलनक 3.12 पैरा 3.2.5) बी ए एल/बी एच एल द्वारा फारेक्स प्राप्ति (गेन) पर विचार नहीं करने में राजस्व शेष (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07			वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	5087038	406963	230443	102918	8233	4683	67429605	567778	3068047	79862740	780657	3633755
असम	656447	39387	18709	23	1	1	9462971	326472	13010958	780657	448878	448878
बिहार	2186272	131176	94666	82	5	4	37635900	2258154	1712433	50700922	3042055	2306892
दिल्ली	13539689	1333969	588976	14031	1403	609	71067465	3091435	78327119	78327119	3407230	3407230
गुजरात	1731472	173147	63199	509505	50951	18597	24239974	2423997	884759	28953954	2895395	1056819
हरियाणा	978270	78262	34044	24	2	1	9141674	731334	315388	9839358	787149	339458
हिमाचल प्रदेश	939593	46980	32416	20	1	1	7024700	421482	242352	8143786	488627	280961
जम्मू एवं कश्मीर	893346	53601	29480	33	2	1	13473031	808382	464820	12349476	740969	426057
कर्नाटक	8219068	657525	382187	217	17	10	82048776	8204878	3815268	91338757	9133876	4247252
केरल	1688597	135088	59945	49	4	2	19681141	1574491	698681	22145741	1771659	786174
कोलकाता	1604151	160415	68978	51	5	2	17992920	1799292	773696	19506509	1950651	838780
महाराष्ट्र	3665559	366556	133793	22919357	2291936	836557	37619548	3761955	1523592	40949256	4094926	1904140
मध्यप्रदेश	2282172	182574	83299	61506	4920	2245	27366803	2189344	998888	31936352	2554908	1165677
मुंबई	5264768	526477	239547	426138	42614	19389	356921106	3569211	1623991	36559049	3655905	1663437
उड़ीसा	1070919	64255	42837	37	2	2	16327315	979639	734729	19803138	1188188	891141
पंजाब	4178339	250700	185936	860694	51642	38301	32605754	2608460	1450956	37932550	3034604	1687998
तमिलनाडु	6324904	632490	240346	9987931	998793	494403	64030471	6403047	3105478	74946953	7494695	3634927
उत्तर प्रदेश पूर्व	1780772	142462	62327	66	5	2	30888643	2471091	1142880	39958992	3196719	1798155
उत्तर प्रदेश पश्चिम	1280527	102442	45459	38	3	1	14862372	1188990	527614	18366415	1469313	652008
पश्चिम बंगाल	775611	62049	19390	35	3	1	15630136	1250411	547055	20087138	1606971	703050
कुल बी ए एल	64147513	5566518	2655977	34882756	3450542	1414812	634221305	57061644	27048534	734719163	65706253	31872789
उत्तर पूर्व	-	-	-	9457985	567479	222263	84932	5096	2251	7063125	423787	236615
राजस्थान	891458	53487	31468	57906578	3474395	2055684	532309	42585	20494	39743535	3179483	1808331
कुल बी एच एल	891458	53487	31468	67364562	4041874	2277946	617241	47681	22745	46806660	3603270	2044946
कुल यू ए एस एल	65038971	5620005	2687445	102247318	7492416	3692758	634838547	57109325	27071279	781525823	69309523	33917735
एन एल डी (जोकि आई पी1)	9706875	582412	-	196	12	-	101568887	6094133	-	131673815	7900429	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	(1252635)	-	-	99152138	5949128	-	53887195	3233232	-	60618339	3637100	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	(10657927)	-	-	86311623	5178697	-	25102211	1506133	-	3213607	192816	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	214327	12860	-	11195112	671707	-	1021976	61319	-	1089843	65391	-
कुल योग	74960173	6215277	2687445	298906387	19291960	3692758	816418816	68004142	27071279	978121427	81105259	33917735

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	146.80	13.18	6.30
बी एच एल	11.57	0.77	0.44
कुल यू ए एस एल	158.37	13.95	6.74
एन एल डी (जोकि आई पी1)	24.29	1.46	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	21.37	1.28	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	11.46	0.69	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	1.35	0.08	-
कुल योग	216.84	17.46	6.74

टिप्पणी: जी आर/ए जी आर की गणना के लिये नकारात्मक आंकड़े शामिल नहीं किये गये

अनुलग्नक 3.13 पैरा 3.3.1।

बी ए एल व बी एच एल द्वारा ब्याज की आय पर विचार नहीं करने से राजस्व शेयर (एल एक व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07		वित्तीय वर्ष 2007-08		वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	14417618	1153409	56506170	4520494	2571031	5734224	88419845	4023103
असम	1860494	111630	7583353	455001	261626	610035	14374796	862488
बिहार	6196305	371778	26693889	1601633	1214572	3196954	56005985	2548272
दिल्ली	26501919	2650192	71993623	7199362	3124523	5802937	88159280	3834929
गुजरात	4907312	490731	18186284	1818628	663799	1652054	32011984	1168437
हरियाणा	2767344	221388	7946242	635699	274145	588800	10868894	869512
हिमाचल प्रदेश	2362372	11819	6648780	332439	13114462	786868	8995906	539754
जम्मू एवं कश्मीर	2531909	151915	10681996	640920	369597	1511690	13684613	821077
कर्नाटक	22462027	1796962	71009956	5680076	3301544	15319959	101120642	4702110
केरल	4154413	332353	15882229	1270578	563819	2943520	1306187	1960152
कोलकाता	4544918	454492	17325182	1732518	744983	3442646	22281693	2228169
महाराष्ट्र	9156864	915686	31124925	3112493	1136060	7023220	2844404	4523396
मध्यप्रदेश	5975803	478064	21935173	1754814	800634	4099761	1870516	2885060
मसूई	11152194	1115219	34103941	3410394	1551729	6678043	3038510	40393385
उड़ीसा	3035184	182111	12095950	725757	544318	1830483	1372862	21929038
पंजाब	11594765	695686	30831398	1849884	1371997	4870096	2708991	3352128
तमिलनाडु	16782687	1678269	54827966	5482797	2713984	11953894	5797638	8294891
उत्तर प्रदेश पूर्व	5047041	403763	21452639	1716211	750842	4633450	2142971	44278934
उत्तर प्रदेश पश्चिम	3650563	292045	12676030	1014082	449999	2183802	969062	20288175
पश्चिम बंगाल	2213755	177100	11605076	928406	313337	2335785	1021906	22210655
कुल बी ए एल	161315487	13790912	6651617	45882186	22951922	106724195	50583841	72965463
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	198086
राजस्थान	-	-	6301520	378091	223704	985590	474315	36299283
कुल बी एच एल	-	-	6301520	378091	223704	985590	474315	2903943
कुल यू ए एस एल	161315487	13790912	6651617	45882186	22951922	106724195	50583841	72965463
एन एल डी (जोकि आई पी1)	24988611	1499317	54740322	46260277	23175626	1198346070	51058156	3102029
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	17781754	1066905	64820969	3889258	-	190303113	11418187	76067492
आई एस पी	76235	4574	51751056	3105063	-	6312929	-	8755109
टी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	513916	30835	1850825	111050	-	5685287	341117	4229449
कुल योग	204676003	16392543	666795131	53423786	23175626	1501457882	125896494	89348985

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	27041	23.94	11.55
बी एच एल	5.82	0.45	0.25
कुल यू ए एस एल	276.23	24.38	11.80
एन एल डी (जोकि आई पी1)	42.60	2.56	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	24.52	1.47	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	1.14	0.07	-
टी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	0.46	0.03	-
कुल योग	344.95	28.51	11.80

अनुलग्नक 3.14 पैरा 3.3.3]

बी ए एल द्वारा निवेश की आय पर विचार नहीं करने से राजस्व शेयर (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07			वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	24326091	1946087	1101972	46520592	3721647	2116687	200161236	20016124	9107336	157628063	15762806	7172077
असम	3139114	188347	89465	6722449	403347	231924	28090332	1685420	969116	25680212	1540813	885967
बिहार	10454700	627282	452689	23711719	1422703	1078883	111720192	6703212	5083269	100070298	6004218	4553199
दिल्ली	44715300	4471530	1945116	62989965	6298997	2733764	210960033	21096003	9176761	154597151	15459715	6724976
गुजरात	8279850	827985	302215	16154561	1615456	589641	71955088	7195509	2626361	57147496	5714750	2085884
हरियाणा	4669195	373536	162488	7053201	564256	243335	27136578	2170926	936212	19420308	1553625	670001
हिमाचल प्रदेश	3985907	199295	137514	5905996	295300	203757	20852452	1251147	719410	16073693	964422	554542
जम्मू एवं कश्मीर	4271957	256317	140975	9450969	567058	327004	39993984	2399639	1379792	24374620	1462477	840924
कर्नाटक	37899003	3031920	1762304	63033830	5042706	2931073	243557478	24355748	11325423	180278705	18027871	8382960
केरल	7009523	560762	248838	14107909	1128633	500831	58422433	4673795	2073996	43709874	3496790	1551701
कोलकाता	7668403	766840	329741	14670905	1467091	630849	53411036	5341104	2296675	38500724	3850072	1655531
महाराष्ट्र	15449897	1544990	563921	27647731	2764773	1009142	111671651	11167165	4522702	80823072	8082307	3758273
मध्यप्रदेश	10082659	806613	368017	18808848	1504708	686523	81236915	6498953	2965147	63033966	5042717	2300740
मुम्बई	18816513	1881651	856151	30116416	3011642	1370297	105950139	10595014	4820731	72157957	7215796	3283187
उड़ीसा	5121107	307266	204844	10672197	640332	480249	48466777	2908007	2181005	39086191	2345171	1758879
पंजाब	19563239	1173794	870564	27343155	1640589	1216770	96788467	7743077	4307087	74868887	5989511	3331665
तमिलनाडु	28316549	2831655	1076029	48702732	4870273	2410785	190071087	19007109	9218448	147925592	14792559	7174391
उत्तर प्रदेश पूर्व	8515608	681249	298046	19056008	1524481	666960	91691312	7335305	3392579	78868550	6309484	3549085
उत्तर प्रदेश पश्चिम	6159404	492752	218659	11061337	884907	392677	43376766	3470141	1539875	36250477	2900038	1286892
पश्चिम बंगाल	3735154	298812	93379	10222821	817826	276016	46397237	3711779	1623903	39646732	3171739	1387636
कुल यूएसएल (बीएएल)	272179173	23268683	11222927	473953341	40186725	20097167	1881911193	169325177	80265828	1450142568	129686881	62908510
एन एल डी (जोकि आई पी1)	38233480	2294009	-	56731682	3403901	-	301501901	18090114	-	259889511	15593371	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	30002223	1800133	-	44424800	2665488	-	159961306	9597678	-	119644673	7178680	-
आई एस पी	128628	7718	-	1534517	92071	-	8431997	505920	-	6342816	380569	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	867103	52026	-	860710	51643	-	3033682	182021	-	2151064	129064	-
कुल योग	341410607	27422569	11222927	577505050	46399828	20097167	2354840079	197700910	80265828	1838170632	152968565	62908510

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	407.82	36.25	17.45
एन एल डी (जोकि आई पी1)	65.64	3.94	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	35.40	2.12	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	1.64	0.10	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	0.69	0.04	-
कुल योग	511.19	42.45	17.45

अनुलग्नक 3.15 [पैरा 3.3.4]  
**भारती एयरटेल लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियाँ एवं शेर स्वामित्व स्वरूप**  
 (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	देश में निगमित	मुख्य सेवा	सम्बन्ध	हिस्सेदारी का स्वामित्व	कर के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	
1	भारती हैक्सकॉम लिमिटेड	इण्डिया	सेल्यूलर मोबाइल व ब्राडबैंड टेलीफोन सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	68.89%	153.10	शून्य
					2007-08	68.89%	330.67	शून्य
					2008-09	70%	545.51	शून्य
					2009-10	70%	624.34	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>1,653.62</b>	
2	भारती एक्वाणैट लिमिटेड (बी ए एल में 01.01.09 में विलय)	इण्डिया	सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन	सहायक कम्पनी	2006-07	51%	1.20	शून्य
					2007-08	100%	-	शून्य
					2008-09	100%	-	शून्य
					2009-10	-	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>4.20</b>	
3	सेटकॉम ब्राडबैंड इन्फ्रामैट लिमिटेड	इण्डिया	उद्यम सेवा निगम और वी सैट उपकरण व्यापार	सहायक कम्पनी	2006-07	100%	2.74	शून्य
					2007-08	-	-	शून्य
					2008-09	-	-	शून्य
					2009-10	-	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>2.74</b>	
4	भारती कॉमटेल लिमिटेड भारती एयरटेल सर्विस लिमिटेड	इण्डिया	भारती एयरटेल व वी सैट उपकरण व्यापार में प्रशासनिक समर्थन	सहायक कम्पनी	2006-07	100%	(11.86)	शून्य
					2007-08	100%	-	शून्य
					2008-09	100%	-	शून्य
					2009-10	100%	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>(11.86)</b>	
5	भारती ब्राडबैंड लिमिटेड	इण्डिया	उद्यम सेवा निगम	सहायक कम्पनी	2006-07	100%	(2.88)	शून्य
					2007-08	-	-	शून्य
					2008-09	-	-	शून्य
					2009-10	-	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>(2.88)</b>	

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	देश में निगमित	मुख्य सेवा	सम्बन्ध	हिस्सेदारी का स्वामित्व	कर के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश
6	भारती इन्फोकॉम लिमिटेड	इण्डिया	मोबाइल सेवाओं के लिये वैसिब अवसंरचना	सहायक कम्पनी	2006-07	(0.01)	शून्य
					2007-08	41.86	शून्य
					2008-09	296.34	शून्य
					2009-10	205.50	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>543.69</b>	
7	भारती टेलीमिडिया लिमिटेड	इण्डिया	डी टी एच सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	(0.10)	शून्य
					2007-08	(23.81)	शून्य
					2008-09	(223.70)	शून्य
					2009-10	(467.24)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>(714.84)</b>	
8	भारती एयरटेल (यू के) लिमिटेड	यू के	अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग सेवायें व होलसेल स्वीचिंग डाटा प्रोडक्ट्स	सहायक कम्पनी	2006-07	(1.65)	शून्य
					2007-08	(1.91)	शून्य
					2008-09	(1.72)	शून्य
					2009-10	5.88	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>0.60</b>	
9	भारती एयरटेल (कनाडा) लिमिटेड	कनाडा	अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग सेवायें व होलसेल स्वीचिंग डाटा प्रोडक्ट्स	सहायक कम्पनी	2006-07	(0.19)	शून्य
					2007-08	(0.12)	शून्य
					2008-09	(2.19)	शून्य
					2009-10	(1.28)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>(3.78)</b>	
10	भारती एयरटेल (यू एस ए) लिमिटेड	यू एस ए	अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग सेवायें व होलसेल स्वीचिंग डाटा प्रोडक्ट्स	सहायक कम्पनी	2006-07	(22.70)	शून्य
					2007-08	(31.96)	शून्य
					2008-09	(22.80)	शून्य
					2009-10	0.78	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>(76.67)</b>	
11	भारती एयरटेल (हांगकांग) लिमिटेड	हांगकांग	अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग सेवायें व होलसेल स्वीचिंग डाटा प्रोडक्ट्स	सहायक कम्पनी	2006-07	(0.73)	शून्य
					2007-08	(0.80)	शून्य
					2008-09	(1.38)	शून्य
					2009-10	(1.01)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>	<b>(3.91)</b>	

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	देश में निर्गमित	मुख्य सेवा	सम्बन्ध	हिस्सेदारी का स्वाभिल	कर के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	
12	2007-08 से नेटवर्क आई 2 आई लिमिटेड	मोरीशस	सबमरीन केबल सिस्टम	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100	29.09	शून्य
					2008-09	100	(58.54)	शून्य
					2009-10	100	32.37	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		2.92	
13	2007-08 से भारतीय एयरटेल सर्विस लिमिटेड	इण्डिया	भारतीय एयरटेल व वी सैट उपकरण व्यापार को जनशक्ति सहायता	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100	11.02	शून्य
					2008-09	100	(3.61)	शून्य
					2009-10	100	15.17	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		22.59	
14	2007-08 से भारतीय एयरटेल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड	सिंगापुर	अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग सेवायें व होलसेल स्वीचिंग डाटा प्रोडक्ट्स	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100	(1.17)	शून्य
					2008-09	100	(0.25)	शून्य
					2009-10	-	9.64	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		8.22	
15	2007-08 से भारतीय एयरटेल लंका (प्रा) लिमिटेड	श्रीलंका	मोबाइल सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100	(10.37)	शून्य
					2008-09	100	(161.06)	शून्य
					2009-10	100	(308.57)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		(480.00)	
16	2007-08 से भारतीय एयरटेल होलडिंग (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड	सिंगापुर	निवेश	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100%	(0.03)	शून्य
					2008-09	100	5.06	शून्य
					2009-10	100	(56.99)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		(51.96)	
17	2007-08 से भारतीय इन्फोटेक वेन्चर लिमिटेड	इण्डिया	पैसिव अवसंरचना सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100%	(0.03)	शून्य
					2008-09	100%	(0.03)	शून्य
					2009-10	100%	(0.03)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		(0.10)	



क्र. सं.	कम्पनी का नाम	देश में निगमित	मुख्य सेवा	सम्बन्ध	हिस्सेदारी का स्वामित्व	कर के बाद लाभ	प्रस्तावित लाभांश	
18	2007-08 से भारतीय इन्फोकॉम (लंका) प्रा. लिमिटेड	श्रीलंका	मोबाइल सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	100	शून्य	
					2008-09	100	शून्य	
					2009-10	100%	(308.57)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>(308.57)</b>	
19	2009-10 से वरद टेलीकॉम इन्टरनेशनल लिमिटेड	बंगलादेश	मोबाइल सेवायें	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	-	शून्य	
					2008-09	-	शून्य	
					2009-10	70%	(23.14)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>(23.14)</b>	
20	2009-10 से भारतीय इन्टरनेशनल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड	सिंगापुर	निवेश	सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	-	शून्य	
					2008-09	-	शून्य	
					2009-10	100	(51.10)	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>(51.10)</b>	
21	2009-10 से भारतीय एयरटेल इन्टरनेशनल (नीदरलैंड) बी.वी.	नीदरलैंड		सहायक कम्पनी	2006-07	-	शून्य	
					2007-08	-	शून्य	
					2008-09	-	शून्य	
					2009-10	100	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>-</b>	
22	2007-08 से इंडस टावर			ज्वाइंट वेचर	2006-07	0	शून्य	
					2007-08	42%	शून्य	
					2008-09	42%	शून्य	
					2009-10	42%	-	शून्य
					<b>कुल लाभ</b>		<b>-</b>	

अनुलग्नक 3.16 [पैरा 3.3.4]

बी ए एल द्वारा इसकी सहायक कम्पनी/संयुक्त उद्यम/सह ईकाई में किए गए निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

बी ए एल द्वारा निवेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
सहायक कम्पनियों में	572.87	9365.20	9706.94	11137.80
संयुक्त उद्यम एवं अन्य में	7.37	14.23	15.70	15.71
<b>कुल निवेश</b>	<b>580.24</b>	<b>9379.43</b>	<b>9722.64</b>	<b>11153.51</b>

स्रोत : संबंधित वर्षों के लिये बी ए एल के वार्षिक प्रतिवेदन

अनुलग्नक 3.17 [पैरा 3.3.4]

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212(8) के तहत संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित सहायक कम्पनियों से संबंधित भारती एयरटेल लिमिटेड के विवरणों का सार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायक कम्पनियों की कुल संख्या	लाभ पाने वाली सहायक कम्पनियों की संख्या	लाभ पाने वाली सहायक कम्पनियों में पूंजीगत निवेश	कर के बाद लाभ/ (हानि)	प्रस्तावित लाभांश
2006-07	11	3	269.06	157.04	शून्य
2007-08	14	5	280.32	415.64	शून्य
2008-09	14	4	962.10	905.44	शून्य
2009-10	17	7	943.75	893.68	शून्य
		<b>कुल</b>	<b>2455.23</b>	<b>2371.80</b>	

स्रोत : संबंधित वर्षों के लिये बी ए एल के वार्षिक प्रतिवेदन

अनुलनक 3.18 पैरा 3.3.8]

बी ए एल द्वारा विविध आय पर विचार नहीं करने से राजस्व शेरार (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2006-07			वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	23252018	1860161	1057967	2703995	2704000	123032	4768789	476879	216980
असम	-	-	-	1767622	106057	60983	947440	56846	32687	1009577	60575	34830
बिहार	-	-	-	8231954	493917	374554	1594184	95651	72535	2736516	164191	124511
दिल्ली	-	-	-	24658217	2465822	1070167	3256270	325627	141648	9521673	952167	414193
गुजरात	-	-	-	8433773	843377	307833	19743288	1974329	720630	4890924	489092	178519
हरियाणा	-	-	-	2226846	178148	76826	1770550	141644	61084	1150379	92030	39688
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	2930562	146528	101104	263977	15839	9107	597097	35826	20600
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	3622896	217374	125352	706601	42396	24378	829807	49788	28628
कर्नाटक	-	-	-	28943196	2315456	1345859	8601707	860171	399979	8797072	879707	409064
केरल	-	-	-	14592828	1167426	518045	621476	49718	22062	3153232	252259	111940
कोलकाता	-	-	-	8473254	847325	364350	675860	67586	29062	2453533	245353	105502
महाराष्ट्र	-	-	-	13077708	1307771	477336	11489927	1148993	465342	5593362	559336	260091
मध्यप्रदेश	-	-	-	7044071	563526	257109	1958533	156683	71486	4460904	356872	162823
मुंबई	-	-	-	14108689	1410869	641945	19735943	1973594	897985	11750285	1175029	534638
उड़ीसा	-	-	-	3552460	213148	159861	1046535	62792	47094	1876146	112569	84427
पंजाब	11761647	705699	523393	11658799	699528	518817	2124939	169995	94560	4018195	321456	178810
तमिलनाडु	-	-	-	36399559	3639956	1801778	2791479	279148	135387	8223690	822369	398849
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	8053917	644313	281887	2584388	206751	95622	4477859	358229	201504
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	5253428	420274	186497	796488	63719	28275	609377	48750	21633
पश्चिम बंगाल	-	-	-	2664547	213164	71943	810684	64855	28374	2403900	192312	84136
कुल यूएसएसएल (बीएएल)	11761647	705699	523393	228946343	19754140	9800213	84224263	8026737	3500329	83322317	7644789	3611366
एन एल डी (जोकि आई पी1)	-	-	-	41390695	2483442	-	3208817	192529	-	3420504	205230	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	-	-	-	42513424	2550805	-	249581968	14974918	-	173315962	10398958	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	13407568	804454	-	6081986	364919	-	483759	29026	-	272318	16339	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	10306389	618383	-	9548891	572933	-	8068	484	-	109061	6544	-
कुल योग	35475604	2128536	523393	328481338	25726239	9800213	337506875	23223694	3500329	260440162	18271860	3611366

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	40.83	3.62	1.74
एन एल डी (जोकि आई पी1)	4.80	0.29	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	46.54	2.79	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	2.02	0.12	-
वी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	2.00	0.12	-
कुल योग	96.19	6.94	1.74

अनुलग्नक 3.19 पैरा 3.3.9।

## बी ए एल द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ पर विचार नहीं करने के कारण राजस्व शेयर (एल एक व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	377821	30226	17191	98390	9839	4477	176124	17612	8014
असम	10905	654	376	13808	828	476	693519	41611	23926
बिहार	54506	3270	2480	55024	3301	2504	111813	6709	5087
दिल्ली	386366	38637	16768	1074769	107477	46752	174367	17437	7585
गुजरात	26206	2621	957	35370	3537	1291	77950	7795	2845
हरियाणा	11442	915	395	14271	1142	492	21699	1736	749
हिमाचल प्रदेश	9581	479	331	10250	615	354	17960	1078	620
जम्मू एवं कश्मीर	15331	920	530	39994	2400	1380	27235	1634	940
कर्नाटक	5422750	433820	252158	22308556	2230856	1037348	9381363	938136	436233
केरल	22886	1831	812	28718	2297	1019	48839	3907	1734
कोलकाता	52688842	5268884	2265620	16303455	1630346	701049	6068170	606817	260931
महाराष्ट्र	44850	4485	1637	54893	5489	2223	90307	9031	4199
मध्यप्रदेश	27720791	2217663	1011809	9699114	775929	354018	249261	19941	9098
मसई	48855	4886	2223	52080	5208	2370	301912	30191	13737
उड़ीसा	2131518	127891	95918	24661	1480	1110	44946	2697	2023
पंजाब	46263	2776	2059	53466	4277	2379	83654	6692	3723
तमिलनाडु	162353	16235	8036	93430	9343	4531	165283	16528	8016
उत्तर प्रदेश पूर्व	31971	2558	1119	45165	3613	1671	88123	7050	3966
उत्तर प्रदेश पश्चिम	17944	1436	637	21322	1706	757	40504	3240	1438
पश्चिम बंगाल	31112703	2489016	840043	22268607	1781489	779401	754727	60378	26415
कुल यूएसएल (बीएएल)	120343883	10649202	4521099	72295341	6581171	2945602	18617756	1800221	821279
एन एल डी (जोकि आई पी1)	(1623135)	-	-	(993479)	-	-	406045	24363	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	72066	4324	-	78630	4718	-	133684	8021	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	2489	149	-	4145	249	-	7087	425	-
बी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	1396	84	-	1491	89	-	2403	144	-
कुल योग	120419834	10653759	4521099	72379607	6586227	2945602	19166975	1833174	821279

टिप्पणी : जी आर/ए जी आर की गणना के लिए नकारात्मक अंकों को शामिल नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	21.13	1.90	0.83
एन एल डी (जोकि आई पी1)	0.04	0.00	-
आई एल डी (जोकि बीआईएलजीओ)	0.03	0.01	-
आई एस पी (जोकि बी बी एल)	0.00	0.00	-
बी एस ए टी (जोकि सैटकॉम)	0.00	0.00	-
कुल योग	21.20	1.91	0.83

अनुलग्नक 3.20 पैरा 3.4.1]

राजस्व शायर की गणना के लिये ए जी आर पर पहुंचनें बाबत जी आर से बैंड डेब्टस बट्टा खाता को घटाने के कारण एल एक व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष 2007-08			वित्तीय वर्ष 2008-09			वित्तीय वर्ष 2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	34807986	2784639	1583763	2703776	270378	123022	6810762	681076	309890
असम	27112682	1626761	935388	9385793	563148	323810	9354651	561279	322735
बिहार	3965989	237959	180452	5280290	316817	240253	9767553	586053	444424
दिल्ली	75835032	3291240	7583503	12703579	1270358	552606	15670423	1567042	681663
गुजरात	163896984	16389698	5982240	-	-	-	87228130	8722813	3183827
हरियाणा	105980519	8478442	3656328	69216632	5537331	2387974	11913799	953104	411026
हिमाचल प्रदेश	1802405	90120	62183	17654705	1059282	609087	356817	21409	12310
जम्मू एवं कश्मीर	43616569	2616994	1509133	6661440	399686	229820	162438	9746	5604
कर्नाटक	29943948	2395516	1392394	-	-	-	2428345	242835	112918
केरल	81605075	6528406	2896980	28451963	2276157	1010045	52280599	4182448	1855961
कोलकाता	23403819	2340382	1006364	7476783	747678	321502	1152075	115208	49539
महाराष्ट्र	319576468	31957647	11664541	92510068	9251007	3746658	7333667	733367	341016
मध्यप्रदेश	243960087	19516807	8904543	88514264	7081141	3230771	79444482	6355559	2899724
मुम्बई	287154831	28715483	13065545	18618566	1861857	847145	22263821	2226382	1013004
उड़ीसा	14714819	882889	662167	8107132	486428	364821	12490824	749449	562087
पंजाब	36597404	2195844	1628584	22606226	1808498	1005977	9554700	764376	425184
तमिलनाडु	189752617	18975262	9392755	120058480	12005848	5822836	37532877	3753288	1820345
उत्तर प्रदेश पूर्व	7027914	562233	245977	79897328	6391786	2956201	16124781	1289982	725615
उत्तर प्रदेश पश्चिम	112079233	8966339	3978813	34484924	2758794	1224215	22129171	1770334	785586
पश्चिम बंगाल	8460061	676805	228422	7427476	594198	259962	7348421	587874	257195
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>1811294443</b>	<b>163521729</b>	<b>72267812</b>	<b>631759425</b>	<b>54680392</b>	<b>25256705</b>	<b>411348336</b>	<b>35873624</b>	<b>16219653</b>
उत्तर पूर्व	-	-	-	22354432	1341266	592392	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	172478	13798	6640	338345	27068	15395
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22526910</b>	<b>1355064</b>	<b>599032</b>	<b>338345</b>	<b>27068</b>	<b>15395</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>1811294443</b>	<b>163521729</b>	<b>72267812</b>	<b>654286335</b>	<b>56035456</b>	<b>25855737</b>	<b>411686681</b>	<b>35900692</b>	<b>16235048</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	285.44	25.41	11.38
बी एच एल	2.28	0.14	0.06
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>287.72</b>	<b>25.55</b>	<b>11.44</b>

अनुलग्नक 3.21 [पैरा 3.4.2],

लीज लाइन प्रभारों (2006-07) को घटाने के कारण एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	5681254	454500	257361
असम	-	-	-
बिहार	134698433	8081906	5832442
दिल्ली	91775162	9177516	3992220
गुजरात	139189284	13918928	5080409
हरियाणा	119834958	9586797	4170257
हिमाचल प्रदेश	13121316	656066	452685
जम्मू एवं कश्मीर	12644856	758691	417280
कर्नाटक	432674658	34613973	20119372
केरल	127128652	10170292	4513067
कोलकाता	63469174	6346917	2729174
महाराष्ट्र	499135568	49913557	18218448
मध्यप्रदेश	313098261	25047861	11428087
मुम्बई	85615307	8561531	3895496
उड़ीसा	-	-	-
पंजाब	57064747	3423885	2539381
तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	533323080	53332308	20266277
उत्तर प्रदेश पूर्व	238080782	19046463	8332827
उत्तर प्रदेश पश्चिम	121832683	9746615	4325060
पश्चिम बंगाल	22902939	1832235	572573
<b>कुल बी ए एल</b>	<b>3011271114</b>	<b>264670041</b>	<b>117142416</b>
उत्तर पूर्व	-	-	-
राजस्थान	259605842	15576351	9164086
<b>कुल बी एच एल</b>	<b>259605842</b>	<b>15576351</b>	<b>9164086</b>
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>3270876956</b>	<b>280246392</b>	<b>126306502</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	301.13	26.47	11.71
बी एच एल	25.96	1.56	0.92
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>327.09</b>	<b>28.03</b>	<b>12.63</b>

अनुलग्नक 3.22 पैरा 3.4.3।

## बैंडविथ की बिक्री/लीज के राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	29923939	1355554	29120400	1324978	76980625	3502618	47951780	2181806
दिल्ली	113660298	4944223	198966064	8635127	462475179	20117670	214085487	9312719
गुजरात	-	-	1979589	72255	7800049	284702	32420174	1183336
हरियाणा	111080	3866	104717	3613	268385	9259	6754245	233021
कर्नाटक	207065450	9628543	349648459	16258653	507045098	23577597	135150173	6284483
केरल	11906375	422676	13188115	468178	18147125	644223	20202885	717202
कोलकाता	8140710	350051	19643165	844656	47895614	2059511	20038780	861668
मध्यप्रदेश	173424848	6330007	82141599	2998168	194190153	7087941	44679689	1630809
महाराष्ट्र	4822117	176007	32367348	1181408	68597513	2778199	65437847	3042860
मुम्बई	-	-	82521377	3754723	167692826	7630024	122221994	5561101
पंजाब	219127	9751	6653288	296071	13710158	610102	14739745	655919
तमिलनाडु	383228561	14562685	169065836	8368759	309726174	15021719	143772316	6972957
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	207723	7270	2413808	89311	21723467	977556
उत्तर प्रदेश पश्चिम	-	-	-	-	1312695	46601	18049111	640743
कुल बी ए एल	932502505	37783363	985607680	44213859	1878255402	83459477	907227693	40256180
राजस्थान	428891	15140	1106036	39264	7377623	284038	20880534	950064
कुल बी एच एल	428891	15140	1106036	39264	7377623	284038	20880534	950064
कुल यू ए एस एल	932931396	37798503	986713716	44253123	1885633025	83743515	928108227	41206244

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एस यू सी पर प्रभाव
बी ए एल	470.36	20.57
बी एच एल	2.98	0.13
कुल यू ए एस एल	473.34	20.70

## अनुलग्नक 3.23 [पैरा 3.5]

बी ए एल द्वारा 2007-08 में परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण से प्राप्त लाभ पर एल एफ व एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवार्ये/एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	2450296243	245029624	111488479
असम	354079600	21244776	12215746
बिहार	1248925110	74935507	56826093
दिल्ली	3317758185	331775819	144322481
गुजरात	850880422	85088042	31057135
हरियाणा	371500711	29720057	12816775
हिमाचल प्रदेश	311076018	18664561	10732123
जम्मू एवं कश्मीर	497794076	29867645	17173896
कर्नाटक	3320068629	332006863	154383191
केरल	743080768	59446461	26379367
कोलकाता	772734448	77273445	33227581
महाराष्ट्र	1456239694	145623969	67715146
मध्यप्रदेश	990684944	79254796	36160000
मुम्बई	1586268306	158626831	72175208
उड़ीसा	562117623	33727057	25295293
पंजाब	1440197276	115215782	64088779
तमिलनाडु	2565232252	256523225	124413764
उत्तर प्रदेश पूर्व	1003703147	80296252	45166642
उत्तर प्रदेश पश्चिम	582614107	46609129	20682801
पश्चिम बंगाल	538448440	43075875	18845695
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>24963699999</b>	<b>2264005716</b>	<b>1085166195</b>

(₹ करोड़ में)

सेवार्ये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	2,496.37	226.40	108.52



अनुलग्नक 3.24 पैरा 3.61  
मार्च 2015 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2015 तक) दर @ (पी एल आर+2)%	मामले												कुल
			96		84		72		60		60		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	3.2.1	कमीशन/मार्जिन	119398400	60541883	244892030	127657998	267280236	136373912	487801571	243422293	1687368322				
2		एफ ए टी	123573708	59784602	212512790	117704705	327357610	153083541	116490250	56543739	1167050945				
3		बिना लागत के	58750098	25491437	7804718	3303519	1832009	855380	2205309	1096021	101338491				
4	3.2.1ख	प्रमोशनल	25685419	11955298	7864269	4519154	30767581	14581439	18679414	9356666	123409239				
5		फुल टाक टाइम	9171998	4533690	10672617	4689981	965124	554946	2099558	993542	33681457				
6		समायोजन प्रस्ताव	69599784	35429628	88704312	48203428	138584542	66162072	57309155	27134925	531127846				
7		छूट	121409799	51738689	73465954	36662332	17501890	8344515	63092991	28702781	400918951				
8	3.2.2	वेवर (राजस्व)	77013230	46538690	56753829	34570739	70626518	34130464	628980064	293490075	1242103608				
9		वेवर (व्यय)	62483945	29116826	39310953	18910552	32478639	14687233	25521457	11552508	234062112				
10	3.2.3	आई ओ टी छूट	58604930	27488684	60683760	29569388	114926511	51601446	6674792	3157657	352707168				
11	3.2.4	स्थल राजस्व हिस्सेदारी	48838978	21762203	217139148	98402078	11095957	4828424	32829949	18448291	453345027				
12	3.2.5	फोरेक्स (बी ए एल)	12975747	5593064	25858169	2398967	91031820	36233159	76027803	31266528	281385256				
13		फोरेक्स (बी एच एल)	112636	66268	6853434	3862504	63871	30468	3534731	2006048	16529960				
14	3.3.1	ब्याज आय (बी ए एल)	34520081	14007244	89944710	38917465	167325766	67760137	84606429	34707378	531789209				
15		ब्याज आय (बी एच एल)	0	0	641094	379314	1320258	635374	3043024	1728696	7747760				
16	3.3.3	निवेश पर आय (बी ए एल)	57747556	23633694	78675924	34076919	264832414	107520967	150058908	61711910	778258292				
17	3.3.5	बी आई एल जी ओ राजस्व (आई एल डी)	10071165	0	13425462	0	9115602	0	9060324	0	41672554				
18	3.3.6	सेटकॉम ब्रांडबैंड (बी एस ए टी)	26342331	0	36661036	0	18100588	0	21570211	0	102674166				
19	3.3.7	आई पी. 1 राजस्व (एन एल डी)	59426791	0	54950806	0	52449703	0	28267441	0	195094740				
20	3.3.8	विविध आय (बी ए एल)	4482357	1102182	43621619	16617321	31109553	4688904	17924306	3542673	123088915				
21	3.3.9	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ (बी ए एल)	0	0	18064600	7666013	8822653	3945813	1798304	805657	41103040				
22	3.4.1	बैड डेब्ट्स बटटा खाता की छूट (बी ए एल)	0	0	277268768	122537887	73247716	33832895	35191262	15911135	557989663				
23		बैड डेब्ट्स बटटा खाता की छूट (बी एच एल)	0	0	0	0	1815191	802440	26553	15102	2659286				
24	3.4.2	लीज लाइन की छूट (बी ए एल)	557352885	246683241	0	0	0	0	0	0	804036126				
25		लीज लाइन की छूट (बी एच एल)	32801310	19298103	0	0	0	0	0	0	52099414				
26	3.4.3	ब्रांडबैंड की बिक्री/लीज (बी ए एल)	0	79565735	0	74969377	0	111799054	0	39490456	305824623				
27		ब्रांडबैंड की बिक्री/लीज (बी एच एल)	0	31882	0	66576	0	380486	0	931993	1410938				
28	3.5	परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण	0	0	3838866423	1840016587	0	0	0	0	5678883010				
		कुल	1570363147	764363045	5504636423	2665702803	1732651750	852833066	1872793806	886016075	15849360117				

अर्थात् ₹ 1,584.94 करोड़

अनुलग्नक 4.01 पैरा सं. 4.2.11  
डीलरों को दिये कमीशन/रियायतों पर विचार न करने के कारण एल एक एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	248449703	24844970	8819964	325309111	32530911	11548473	310755115	31075512	11031807
असम	-	-	-	-	-	-	4677156	280629	109913	44639537	2678372	1049029
बिहार	-	-	-	-	-	-	15959813	957589	375056	117699772	7061986	2765945
चैन्नई	16851410	1685141	716185	156518311	15651831	6652028	158735683	15873568	6746267	159714525	15971453	6787867
दिल्ली	6000000	600000	264000	-	-	-	-	-	-	197228587	19722859	8678058
गुजरात	84702724	6776218	3853974	488831437	39106515	22241830	658856335	65885634	29977963	115237175	11523717	5243291
हरियाणा	21056934	1263416	726464	211647358	12698841	7301834	45595955	3647676	1573060	78370732	6269659	2703790
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443098	26586	10413
कर्नाटक	27771770	2777177	1263616	2417882	241788	110014	338662256	33866226	15409133	322564856	32256486	14676701
केरल	88540271	5312416	3054639	146578377	8794703	5056954	365387876	29231030	12605882	419015746	33521260	14456043
कोलकाता	23903083	2390308	1015881	172831256	17283126	7345328	246679246	24667925	10483868	223164704	22316470	9484500
महाराष्ट्र	72637077	5810966	2578616	194580342	15566427	6907602	393033124	39303312	13952676	439260698	43926070	15593755
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	2239150	179132	52620	137785458	11022837	3237958
मुम्बई	201225804	20122580	9055161	316853495	31685350	14258407	460919004	46091900	20741355	380717179	38071718	17132273
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	1950235	117014	45831	2366104	141966	55603
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	10312293	618738	242339	43967692	2638062	1033241
पंजाब	-	-	-	286419412	22913553	9881470	223670248	17893620	7716624	248474896	19877992	8572384
राजस्थान	42941494	3435320	1481482	335174529	20110472	11563521	458270434	36661635	15810330	474778210	37982257	16379848
तमिलनाडु	82246541	6579723	3742218	-	-	-	490490699	49049070	22317327	560509229	56050923	25503170
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	41862512	2511751	1988469	182829990	10969799	8684425	207636529	16610922	9862735	195223877	15617910	9273134
पश्चिम बंगाल	34372194	2749776	1185841	281309167	22504733	9705166	410487253	32838980	14161810	468204570	37456366	16153058
कुल यू ए एस एल	74411814	62014792	30926546	3024441258	242372109	118528544	4818872400	446305511	193733261	4940121760	445210458	189821868

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	1,352.75
एल एक पर प्रभाव	119.59
एस यू सी पर प्रभाव	53.30

अनुलग्नक 4.02 पैरा सं. 4.2.3]  
रोमिंग राजस्व से आई ओ टी छूट को घटाने के कारण एल एक और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	19860000	1986000	705030	62141998	6214200	2206041	27538334	2743000	977618	15960000	1596000	566580
चैन्नई	25410000	2541000	1079925	57740000	5774000	2453950	27430000	2743000	1165775	17000000	1700000	722500
दिल्ली	128880000	12888000	5670720	249230000	24923000	10966120	187760000	18776000	8261440	87217635	8721764	3837576
गुजरात	11350000	908000	516425	38520000	3081600	1752660	16560000	1656000	753480	20880000	2088000	950040
हरियाणा	1640000	98400	56580	4430000	265800	152835	523515	41881	18061	1626950	130156	56130
कर्नाटक	44190000	4419000	2010645	84210000	8421000	3831555	85200000	8520000	3876600	30130000	3013000	1370915
केरल	-	-	-	41350000	2481000	1426575	32060000	2564800	1106070	31469764	2517581	1085707
कोलकाता	11880000	1188000	504900	18690000	1869000	794325	12440000	1244000	528700	7750000	775000	329375
महाराष्ट्र	52850000	4228000	1876175	81734625	6538770	2901579	46006406	4600641	1633227	38129097	3812910	1353583
मुम्बई	108468229	10846823	4881070	249280000	24928000	11217600	148310000	14831000	6673950	90025000	9002500	4051125
पंजाब	8650000	692000	298425	19710000	1576800	679995	9880000	790400	340860	4552198	364176	157051
राजस्थान	16380000	982800	565110	32140000	1928400	1108830	21720000	1737600	749340	8790000	703200	303255
तमिलनाडु	-	-	-	22824108	1825929	1038497	985892	98589	44858	11863966	1186397	539810
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4030000	241800	191425	3210000	192600	152475	7670000	613600	364325	6971000	557680	331123
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1683766	134701	56406	8771935	701755	293860	8060000	644800	270010	4924517	393961	164971
पश्चिम बंगाल	1820000	145600	62790	1430000	114400	49335	3140000	251200	108330	1800000	144000	62100
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>437091995</b>	<b>41300124</b>	<b>18475626</b>	<b>975412666</b>	<b>90836253</b>	<b>41026232</b>	<b>635284348</b>	<b>61867364</b>	<b>26872645</b>	<b>379090127</b>	<b>36706324</b>	<b>15881841</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	242.69	एल एक पर प्रभाव	23.07	एस यू सी पर प्रभाव	10.23
---------------------------	--------	-----------------	-------	--------------------	-------

अनुलग्नक 4.03 पैरा सं. 4.2.4।  
फुल टाक टाइम पर सेवाकर पर विचार न करने के कारण एल एफ एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76078518	4564711	3309416
चैन्नई	-	-	-	-	-	-	20489847	2048985	870818	18725031	1872503	795814
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	11276899	1127690	496184	-	-	-
गुजरात	-	-	-	922192	73775.36	41960	2823855	282386	128485	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	83940325	5036420	2895941	79750192	6380015	2751382	81600907	6528073	3631240
कर्नाटक	-	-	-	93328558	9332856	4246449	296076913	29607691	13471500	192444127	19244413	8756208
केरल	-	-	-	-	-	-	58795372	4703630	2028440	83061815	6644945	3696251
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16717136	1337371	727195
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	190873030	19087303	8589286	-	-	-
पंजाब	26371285	2109702.8	909809	111730	8938	3855	9804747	784380	338264	45886130	3670890	2041933
राजस्थान	12384607	743076	427269	184717909	11083075	6372768	279622174	22369774	9646965	185955234	14876419	8275008
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9948774	596926	472567	135926561	8155594	6456512	12845909	1027673	610181	14958522	1196682	710530
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>48704666</b>	<b>3449706</b>	<b>1809645</b>	<b>498947274</b>	<b>33690657</b>	<b>20017485</b>	<b>962358937</b>	<b>87419526</b>	<b>38931505</b>	<b>715427420</b>	<b>59936006</b>	<b>31943594</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	222.54	एस यू सी पर प्रभाव	9.27
एल एफ पर प्रभाव	18.45		

अनुलग्नक 4.04 पैरा सं. 4.2.5)  
**अवसंरचना साझेदारी राजस्व पर विचार नहीं करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव**

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	20441695	2044170	725680	152223809	15222381	5403945	265795848	26579585	9435753	5657995	565800	200859
चेन्नई	33279418	3327942	1414375	53111554	5311155	2257241	60392873	6039287	2566697	24686916	2468692	1049194
दिल्ली	13091090	1309109	576008	83459975	8345998	3672239	195806809	19580681	8615500	2969631	296963	130664
गुजरात	58041838	4643347	2640904	134550678	10764054	6122056	329861379	32986138	15008693	12964813	1296481	589899
हरियाणा	-	-	-	113415404	6804924	3912831	167233268	13378661	5769548	14759002	1180720	509186
कर्नाटक	97254755	9725476	4425091	140935902	14093590	6412584	148798206	14879821	6770318	26573537	2657354	1209096
केरल	47662086	2859725	1644342	151935817	9116149	5241786	282617254	22609380	9750295	24891977	1991358	858773
कोलकाता	28075739	2807574	1193219	39926702	3992670	1696885	50941650	5094165	2165020	5947108	594711	252752
महाराष्ट्र	29364813	2349185	1042451	174739660	13979173	6203258	184413654	18441365	6546685	84240433	8424043	2990535
मुम्बई	54914560	5491456	2471155	81862863	8186286	3683829	91659841	9165984	4124693	22176063	2217606	997923
पंजाब	-	-	-	13544811	1083585	467296	121117483	9689399	4178553	67107132	5368571	2315196
राजस्थान	28561444	1713687	985370	28561444	1713687	985370	50030745	4002460	1726061	250722652	20057812	8649931
तमिलनाडु	21714008	1737121	987987	69946928	5595754	3182585	100516659	10051666	4573508	13121244	1312124	597017
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2411213	144673	114533	51215966	3072958	2432758	261519789	20921583	12422190	6170174	493614	293083
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	217738077	17419046	7294226	222251896	17780152	7445439	6013035	481043	201437
पश्चिम बंगाल	18884864	1510789	651528	-	-	-	190055785	15204463	6556925	110796056	8863684	3822464
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>453697523</b>	<b>39664252</b>	<b>18872643</b>	<b>1507169591</b>	<b>124701411</b>	<b>58968888</b>	<b>2723013139</b>	<b>246404790</b>	<b>107655876</b>	<b>678797768</b>	<b>58270576</b>	<b>24668009</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	536.27
एल एफ पर प्रभाव	46.90
एस यू सी पर प्रभाव	21.02

अनुलग्नक 4.05 पैरा सं. 4.2.6]  
विदेशी विनिमय में परिवर्तन के कारण लाभ की राशि पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	85160404	8516040	3023194	46409216	4640922	1647527	-	-	-	40000720	4000072	1420026
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1964987	117899	46177
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12705629	762338	298582
चैन्नई	4758787	475879	202248	-	-	-	132125	13212	5615	4187525	418753	177970
दिल्ली	169829	16983	7472	-	-	-	59921611	5992161	2636551	-	-	-
गुजरात	-	-	-	136608856	10928708	6215703	142560309	14256031	6486494	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	32050661	1923040	1105748	-	-	-	8110093	648807	279798
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2283253	136995	53656
कर्नाटक	5327572	532757	242405	1428936	142894	65017	371205139	37120514	16889834	-	-	-
केरल	-	-	-	7107523	426451	245210	-	-	-	9398666	751893	324254
कोलकाता	35400	3540	1505	-	-	-	122217025	12221703	5194224	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	16241017	1624102	576556	-	-	-
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9491548	759324	223051
मुम्बई	-	-	-	86287529	8628753	3882939	34200021	3420002	1539001	-	-	-
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3274015	196441	76939
उड़ीसा	-	-	-	1118456	67107	26284	-	-	-	-	-	-
पंजाब	10801807	864145	372662	33520303	2681624	1156450	-	-	-	-	-	-
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42111252	3368900	1452838
तमिलनाडु	-	-	-	3642860	291429	165750	3772199	377220	171635	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14874000	892440	706515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7488994	599120	250881	68673468	5493877	2300561	-	-	-	14479546	1158364	485065
पश्चिम बंगाल	10702807	856225	369247	-	-	-	-	-	-	26058988	2084719	899035
कुल यू ए एस एल	139319600	12757128	5176130	416847808	35224805	16811188	750249446	75024945	33499910	174066223	14404505	5737392
एन एल डी	2911403	174684	-	3259513	195571	-	-	-	-	-	-	-
आई एल डी	114087	6845	-	-	-	-	-	-	-	67625846	4057551	-
कुल योग	142345090	12938657	5176130	420107321	35420376	16811188	750249446	75024945	33499910	241692069	18462056	5737392

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	148.05	13.74	6.12
एन एल डी	0.62	0.04	-
आई एल डी	6.77	0.41	-
कुल योग	155.44	14.19	6.12

अनुलग्नक 4.06 पैरा सं. 4.2.7]  
वेवर की राशि पर विचार न करने के कारण एल एफ एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	-	-	-	-	-	-	49687	2981	1168	-	-	-
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1301210	78073	30578
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130989	7859	3078
केरल	-	-	-	2627870	157672	90662	4129113	330329	142454	4750379	380030	163888
महाराष्ट्र	2010875	160870	71386	3793060	303445	134654	6239626	623963	221507	7380967	738097	262024
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506103	40488	11893
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	31298	1878	736	-	-	-
पंजाब	-	-	-	2543806	203504	87761	3022957	241837	104292	3351302	268104	115620
राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5380463	430437	185626
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4114459	246868	195437	5926778	355607	281522	7673205	613856	364477	8837731	707019	419792
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4901825	392146	164211
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>6125334</b>	<b>407738</b>	<b>266823</b>	<b>14891514</b>	<b>1020228</b>	<b>594598</b>	<b>21145886</b>	<b>1814844</b>	<b>834634</b>	<b>36540969</b>	<b>3042253</b>	<b>1356712</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
7.87	0.63	0.31

अनुलग्नक 4.07 पैरा सं. 4.3.1] ब्याज की राशि पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	12010	1201	474	2856828	285683	101417	783030736	78303074	27797591
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91215	5473	2144
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299936	17996	7048
चैन्नई	-	-	-	1575769	157577	75637	2269279	226928	96444	426631864	42663186	18131854
दिल्ली	-	-	-	20998486	2099849	1228411	36262207	3626221	1595537	2339595041	233959504	102942182
गुजरात	-	-	-	-	-	-	917858904	91785890	41762580	328856277	32885628	14962961
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	2648667	211893	91379	469045779	37523662	16182079
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	2114013	126841	49679	10138777	608327	238261
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	32276	1937	758	125563	7534	2951
कर्नाटक	-	-	-	21435718	2143572	1061068	25430233	2543023	1157076	830056533	83005653	37767572
केरल	-	-	-	572054	34323	-	2987973	239038	103085	2077640009	166211201	71678580
कोलकाता	-	-	-	7079532	707953	339818	17570387	1757039	746741	807207626	80720763	34306324
महाराष्ट्र	446256	35700	15842	8812034	704963	343669	13566125	1356612	481597	2341073090	234107309	83108095
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116659	9333	2741
मुम्बई	-	-	-	668951663	66895166	30102825	2042590345	204259035	91916566	4781895386	478189539	215185292
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63218	3793	1486
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	1464147	87849	34407	125340	7520	2945
पंजाब	-	-	-	69966	5597	2659	1689593	135167	58291	507981011	40638481	17525345
राजस्थान	-	-	-	130430	7826	4826	2250589	180047	77645	983565997	78685280	33933027
तमिलनाडु	-	-	-	3168089	253447	-	3954433	395443	179927	1500739873	150073987	68283664
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	-	-	-	6224444	373467	7407088	47053991	3764319	2235065	1619849872	129587990	76942869
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	441201	35296	15442	381268	30501	12772	743641370	59491310	24911986
पश्चिम बंगाल	-	-	-	59366	4749	2197	1875667	150053	64711	803152864	64252229	27708774
कुल यू ए एस एल	446256	35700	15842	739530762	73424986	40584114	3124856925	311163520	140765679	21354924035	1990958770	871625772
एन एल डी	-	-	-	269838	16190	-	6795493	407730	-	1612382788	96742967	-
आई एल डी	-	-	-	119550	7173	-	2483676	149021	-	571922740	34315364	-
कुल योग	446256	35700	15842	739920150	73448349	40584114	3134136094	311702070	140765679	23539229562	2122017102	871625772

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	2,521.98	237.56	105.30
एन एल डी	161.94	9.72	-
आई एल डी	57.45	3.45	-
कुल योग	2,741.37	250.73	105.30



अनुलग्नक 4.08 पैरा सं. 4.3.2)  
अचल सम्पत्तियों की बिक्री से लाभ पर विचार न करने के कारण एल एक एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	2608	261	93	149838	14984	5319	672098	67210	23859	75649478	1753033	2685556
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29217221	34881	686605
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581352	13662	13662
चैन्नई	1114453	111445	47364	2955410	295541	125605	-	-	-	141833	14183	6028
दिल्ली	1032649	103265	45437	-	-	-	1815521	181552	79883	19382	1938	853
गुजरात	373719	29897	17004	6930346	554428	315331	1594057596	159405760	72529621	22560100	2256010	1026485
हरियाणा	-	-	-	883357	53001	30476	-	-	-	5092386	407391	175687
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6072	364	143
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
कर्नाटक	502986	50299	22886	37855	3785	1722	-	-	-	5260019	526002	239331
केरल	-	-	-	472745	28365	16310	-	-	-	7933410	634673	273703
कोलकाता	1669	167	71	505716	50572	21493	327144	32714	13904	12871	1287	547
महाराष्ट्र	16599	1328	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मुम्बई	1620242	162024	72911	12822783	1282278	577025	547296	54730	24628	1864080	186408	83884
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	1860	112	44	152252	9135	3578	1	-	-
पंजाब	55326	4426	1909	49333	3947	1702	1598014	127841	55131	829849	66388	35269
राजस्थान	3476	209	120	-	-	-	82253999	6580320	2837763	66246191	5299695	2285494
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116393	11639	5296
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	585609	35137	27816	663782	39827	31530	72387	5791	3438	193650	15492	9198
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	23291	1863	780	-	-	-	10786709	862937	361355
पश्चिम बंगाल	8562	685	295	-	-	-	-	-	-	69105256	5528420	2384131
कुल यू ए एस एल	5317898	499142	236495	25496316	2328702	1127337	1681496307	166465053	75571806	295616255	25165690	10273225
एन एल डी	-	-	-	-	-	-	38150	2289	-	-	-	-
वी ई सी एल कॉर्पोरेशन	168713	16871	5821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	5486611	516014	242316	25496316	2328702	1127337	1681534457	166467342	75571806	295616255	25165690	10273225

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी : वी ई सी एल में निम्न दर को वी ई सी एल कारपोरेट दर के रूप में लिया गया है

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	200.79	19.45	8.72
एन एल डी	0.00	0.00	-
आई एल डी	0.02	0.00	0.00
कुल योग	200.81	19.45	8.72

अनुलग्नक 4.09 पैरा सं. 4.4]  
जी आर से ब्रेड डेब्ट्स को घटाने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	58523756	5852376	2077593	103062415	10306242	3658716	44282931	4428293	1572044
चेन्नई	53491549	5349155	2273391	45832767	4583277	1947893	28659206	2865921	1218016
दिल्ली	129003996	12900400	5676176	374212571	37421257	16465353	162266124	16226612	7139709
गुजरात	29258431	2340674	1331259	100118469	10011847	4555390	40788053	4078805	1855856
हरियाणा	14983471	899008	516930	11391169	911294	392995	3248727	259898	112081
कर्नाटक	169266065	16926607	7701606	115120781	11512078	5237996	34259950	3425995	1558828
केरल	52094462	3125668	1797259	44267630	3541410	1527233	18136780	1450942	625719
कोलकाता	60178535	6017854	2557588	102151052	10215105	4341420	36335789	3633579	1544271
महाराष्ट्र	123273537	9861883	4376211	127315371	12731537	4519696	24811104	2481110	880794
मुम्बई	133482884	13348288	6006730	284764500	28476450	12814403	108445208	10844521	48800034
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	132638	7958	3117
पंजाब	36878737	2950299	1272316	79426920	6354154	2740229	17763801	1421104	612851
राजस्थान	13902293	834138	479629	43449275	3475942	1499000	12152686	972215	419268
तमिलनाडु	50704213	4056337	2307042	39471454	3947145	1795951	20701422	2070142	941915
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	18431615	1105897	875502	46013048	3681044	2185620	23764671	1901174	1128822
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	10966635	877331	367382	28093193	2247455	941122	18658630	1492690	625064
पश्चिम बंगाल	2101270	168102	72494	9024659	721973	311351	14457969	1156638	498800
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>956541449</b>	<b>86614015</b>	<b>39689106</b>	<b>1553715274</b>	<b>150138210</b>	<b>64934366</b>	<b>608865689</b>	<b>58717598</b>	<b>25617190</b>

(₹ करोड़ में)

एल एफएस यू सी की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
311.91	29.55	13.02

अनुलग्नक 4.10 पैरा सं. 4.6]  
मार्च 2015 तक एल एफ और एस यू सी पर ब्याज दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2015 तक)	96		84		72		60		कुल
			14.25		14.25		14.25		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
		मामले	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10					
1	4.2.1	कमीशन/मार्जिन	130593259	65126371	410968110	200977959	597853423	259517506	436741989	186211215	2287989832
2	4.2.3	रोमिंग कमीशन	86971473	38906722	154022686	69564411	82875104	35997545	36008123	15579748	519925812
3	4.2.4	मुफ्त टाक टाइम	7264530	3810824	57126151	33941809	117103781	52151122	58795947	31335986	361530150
4	4.2.5	अवसंचना राजस्व	83526588	39742775	211444722	99988124	330074227	144211605	57162196	24198792	990349029
5	4.2.6	फारेक्स	27246748	10900104	60059077	28505187	100500484	44875170	18110884	5628260	295825913
6	4.2.7	वेवर	858630	561886	1729907	1008206	2431094	1118042	2984385	1330905	12023057
7	4.3.1	ब्याज से आय	75180	33361	124539616	68814752	417568293	188564203	2081653638	855046341	3736295384
8	4.3.2	अचल संपत्तियां	1086642	510278	3948567	1911521	222993146	101233038	24687007	10077815	366448014
9	4.4	बैंड डेब्ट	-	-	146863425	67297170	201119279	86983539	57600715	25129918	584994046
		कुल	337623050	159592322	1170702260	572009139	2072518831	914651771	2773744884	1154538981	9155381238

अर्थात् ₹ 915.54 करोड़

अनुलग्नक 5.01 पैरा सं. 5.2.2(ए)]  
कमीशन/छूट पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव  
(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10				
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)		
आन्ध्रप्रदेश	176798235	17679823	4592147	196282303	19628230	5419847	203565842	20356584	5698677	25361	419349415	41934942	10623380	1105787
बिहार	62141646	3728499	1514495	90892816	5453569	2248222	99205339	5952320	2522005	-	229401777	13764107	5686627	-
चैन्नई	58746163	5874616	1252895	63399508	6339951	423792	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	209372553	20937255	4750150	205933473	20593347	4614603	217400744	21740074	4680989	56994	596963571	59696357	10019073	3224257
गुजरात	126761903	12676190	3155306	131560190	13156019	3540360	126937448	12693745	3308912	28491	290956010	29095601	5897205	1894790
हरियाणा	33080302	2646424	831318	41270749	3301660	1147374	43025020	3442002	1256085	18232	104117549	8329404	2222144	788810
हिमाचल प्रदेश	5813364	348802	138671	12485763	749146	347786	11543137	692588	307443	-	21849451	1310967	605157	-
जम्मू एवं कश्मीर	702291	42137	4240	4900225	294013	117897	712927	42776	18327	770	18218033	1093082	8127	496253
कर्नाटक	126675446	12667545	3026100	149445606	14944561	3831873	157968538	15796854	3881727	30163	355712929	35571293	6861418	1746519
केरल	132898838	10631907	3514383	152089589	12167167	4758059	146707308	11736585	4543040	13598	244483813	19558705	6985037	409227
कोलकाता	81827171	8182717	1752889	93695073	9369507	1945762	96437834	9643783	1912094	-	169077997	16907800	3871434	-
महाराष्ट्र	160955107	16095511	4123656	167799129	16779913	5034158	157730019	15773002	4482539	30411	390046786	39004679	8463010	2702836
मध्यप्रदेश	79206130	6336490	1997926	100952616	8076209	2790101	108302294	8664184	3084582	-	230349405	18427952	6485861	-
मुम्बई	230970494	23097049	5211374	249526578	24952658	5967511	261046043	26104604	5864042	36929	633274701	63327470	11754199	2458954
उड़ीसा	24540951	1472457	620027	30920807	1855248	869994	28810844	1728651	831235	-	58908970	3534538	1580342	-
पंजाब	56732487	4538599	1408044	55766074	4461286	1501883	52337690	4187015	1402768	25509	129620748	10369660	2431449	1147618
राजस्थान	82755974	6620478	2171835	84994724	6799578	2444530	83805199	6704416	2419003	32383	207120176	16569614	4342687	1737396
तमिलनाडु	107831631	10783163	3119648	134157889	13415789	5618923	192658716	19265872	5348682	19694	380020109	38002011	9113076	1121629
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	109113350	8729068	3108240	123840053	9907204	3925893	141689685	11335175	4057662	38250	364828004	29186240	8089038	2557180
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	83944255	6715540	2347843	96231465	7698517	3253446	103512280	8280982	3272311	34066	270117397	21609392	6149539	2299970
पश्चिम बंगाल	31663985	2533119	800743	43586168	3486893	1248325	47639171	3811134	1465438	-	97412744	7793019	2686554	-
कुल यू ए एस एल (आर सी एल)	1982532273	182337391	49441931	2229730800	203430467	61050339	2281036076	207952345	60357562	390850	5211829585	475086833	113875357	23691227

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	1,170.51	106.88	30.88

अनुलग्नक 5.02 (पैरा सं. 5.2.2(बी))  
एस एम एस कंटेन्ट एवं आर वर्ल्ड पर विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव  
(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)
आन्ध्रप्रदेश	98409848	9840985	2556092	198284122	19828412	5475123	352817483	35281748	9876868	43956	222817128	22281713	5644627	587549		
बिहार	34589429	2075366	843002	91819803	5509188	2271151	171941312	10316479	4371105	-	121890346	7313421	3021532	-		
चैन्नई	32699427	3269943	697390	64046099	6404610	428114	-	-	-	-	-	-	-	-		
दिल्ली	116541442	11654144	2644040	208033721	20803372	4661666	376795943	37679594	8113026	98780	317190637	31719064	5323535	1713177		
गुजरात	70558508	7055851	1756314	132901930	13290193	3576467	220006217	22000622	5734960	49379	154596573	15459657	3133421	1006778		
हरियाणा	18413235	1473059	462730	41691656	3335332	1159076	74570365	5965629	2177029	31599	55321821	4425746	1180714	419126		
हिमाचल प्रदेश	3235848	194151	77188	12613101	756786	351333	20006404	1200384	532855	-	11609488	696569	321544	-		
जम्मू एवं कश्मीर	390911	23455	2360	4950200	297012	119099	1235635	74138	31764	1335	9679970	580798	4318	263679		
कर्नाटक	70510384	7051038	1684395	150969753	15096975	3870953	273788870	27378887	6727755	52278	189004516	18900452	3645746	927996		
केरल	73974463	5917957	1956184	153640701	12291256	4806585	254271063	20341685	7873934	23567	129904035	10392323	3711430	217439		
कोलकाता	45546832	4554683	975697	94650638	9465064	1965607	167144711	16714471	3314015	-	89837907	8983791	2057048	-		
महाराष्ट्र	89591209	8959121	2295319	169510458	16951046	5085499	273375473	27337547	7769074	52707	207247468	20724747	4496736	1436125		
मध्यप्रदेश	44087902	3527032	1112090	101982199	8158576	2818556	187708029	15016642	5346154	-	122393858	9791509	3446197	-		
मुम्बई	128563338	12856334	2900767	252071418	25207142	6028372	452441367	45244137	10163475	64004	336484194	33648419	6245476	1306541		
उड़ीसा	13660042	819602	345121	31236159	1874170	878867	49934553	2996073	1440684	-	31300693	1878042	839699	-		
पंजाब	31578570	2526286	783749	56334814	4506785	1517200	90710955	7256876	2431259	44212	68872691	5509815	1291926	609776		
राजस्थान	46063825	3685106	1208892	85861558	6868925	2469461	145250004	11620000	4192583	56125	110051239	8804099	2307443	923148		
तमिलनाडु	60021496	6002150	1736466	135526121	13552612	5676229	333913405	33391340	9270261	34133	201919894	20191989	4842142	595967		
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60734929	4858794	1730116	125103057	10008245	3965932	245574590	19645967	7032684	66295	193847720	15507818	4298030	1358732		
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	46725248	3738020	1306862	97212898	7777032	3286627	179406044	14352483	5671524	59042	143524184	11481935	3267496	1222066		
पश्चिम बंगाल	17624882	1409991	445711	44030689	3522455	1261056	82567548	6605404	2539877	-	51759289	4140743	1427474	-		
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>1103521766</b>	<b>101493066</b>	<b>27520484</b>	<b>2252471095</b>	<b>205505188</b>	<b>61672972</b>	<b>3953459972</b>	<b>360420109</b>	<b>104610886</b>	<b>677415</b>	<b>2769253651</b>	<b>252432648</b>	<b>60506535</b>	<b>12588097</b>		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	1,007.87	91.99	26.76

अनुलग्नक 5.03 पैरा सं. 5.2.2(सी)  
सी आर बी टी से राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी के मुग्तान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)		
आन्ध्रप्रदेश	25618822	2561882	665422	110043569	11004357	3038579	161772737	16177274	4528710	20155	165615889	16561589	4195548	436714
बिहार	9004591	540275	219457	50958083	3057485	1260442	78837977	4730279	2004225	-	90598861	5435932	2245850	-
चैन्नई	8512571	851257	181550	35544254	3554425	237594	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	30338980	3033898	688317	115454393	11545439	2587128	172767263	17276726	3719958	45292	235761990	23576199	3956886	1273373
गुजरात	18368343	1836834	457217	73757810	7375781	1984865	100876543	10087654	2629575	22641	114908800	11490880	2329015	748320
हरियाणा	4793478	383478	120461	23138003	1851040	643263	34191764	2735341	998204	14489	41119696	3289576	877603	311529
हिमाचल प्रदेश	842381	50543	20094	7000009	420001	194983	9173272	550396	244323	-	8629120	517747	238998	-
जम्मू एवं कश्मीर	101765	6106	614	2747258	164836	66097	566559	33994	14564	612	7194945	431697	3210	195988
कर्नाटक	18355815	1835581	438495	83785076	8378508	2148299	125536792	12553679	3084789	23970	140483594	14048359	2709816	689762
केरल	19257611	1540609	509249	85267397	6821392	2667555	116588750	9327004	3610331	10806	96555289	7724423	2758638	161618
कोलकाता	11857108	1185711	254001	52529138	5252914	1090871	76638655	7663865	1519532	-	66774870	6677487	1528966	-
महाराष्ट्र	23323085	2332308	597535	94074782	9407478	2822347	125347242	12534724	3562251	24167	154043246	15404325	3342341	1067445
मध्यप्रदेश	11477308	918185	289508	56598002	4527840	1564240	86067281	6885383	2451301	-	90973112	7277849	2561495	-
मुम्बई	33468614	3346861	755150	139894400	13989440	3345621	207451960	20745196	4660124	29347	250102537	25010254	4642148	971128
उड़ीसा	3556089	213365	89845	17335419	1040125	487753	22895831	1373750	660578	-	23265232	1395914	624133	-
पंजाब	8220780	657662	204032	31264651	2501172	842015	41592495	3327400	1114773	20272	51191809	4095345	960265	453235
राजस्थान	11991695	959336	314708	47651381	3812110	1370499	66599564	5327965	1922370	25734	81799070	6543926	1715080	686159
तमिलनाडु	15625265	1562527	452050	75214182	7521418	3150189	153104900	15310490	4250570	15651	150083358	15008336	3599076	442971
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	15810992	1264879	450397	69429598	5554368	2201010	112600071	9008006	3224603	30397	144083459	11526677	3194647	1009921
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12163882	973111	340212	53951139	4316091	1824010	82260682	6580855	2600489	27072	106678896	8534312	2428670	908339
पश्चिम बंगाल	4588247	367060	116031	24436118	1954889	699860	37858606	3028689	1164576	-	38471732	3077739	1061015	-
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>287277422</b>	<b>26421469</b>	<b>7164348</b>	<b>1250074662</b>	<b>114051110</b>	<b>34227218</b>	<b>1812727745</b>	<b>165258669</b>	<b>47965847</b>	<b>310606</b>	<b>2058335505</b>	<b>187628563</b>	<b>44973399</b>	<b>9356502</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	540.84	49.34	14.40

अनुलग्नक 5.04 पैरा सं. 5.2.2(डी)  
सिम कार्डों की बिक्री पर विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2008-09					2009-10				
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)		
आन्ध्रप्रदेश	31859952	3185995	319918	381354	54284565	5428457	445313	600394		
बिहार	15526561	931594	141583	-	29695941	1781756	238373	-		
दिल्ली	34025244	3402524	262786	856999	77276626	7727663	419981	1750629		
गुजरात	19866894	1986689	185759	428406	37664105	3766411	247200	1028788		
हरियाणा	6733817	538705	70515	274149	13477963	1078237	93148	428289		
हिमाचल प्रदेश	1806609	108397	17260	-	2828400	169704	25367	-		
जम्मू एवं कश्मीर	111580	6695	1029	11583	2358315	141499	341	269443		
कर्नाटक	24723549	2472355	217916	453554	46046855	4604685	287618	948283		
केरल	22961062	1836885	255042	204465	31648303	2531864	292800	222192		
कोलकाता	15093420	1509342	107343	-	21887059	2188706	162283	-		
महाराष्ट्र	24686219	2468622	251645	457280	50491355	5049135	354754	1467521		
मध्यप्रदेश	16950319	1356026	173165	-	29818611	2385489	271875	-		
मुम्बई	40856140	4085614	329201	555290	81977083	8197708	492715	1335104		
उड़ीसा	4509166	270550	46665	-	7625736	457544	66245	-		
पंजाब	8191336	655307	78750	383576	16779339	1342347	101922	623106		
राजस्थान	13116295	1049304	135800	486932	26811600	2144928	182038	943330		
तमिलनाडु	30152886	3015289	300270	296133	49193407	4919341	382004	608995		
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	22175757	1774061	227793	575160	47226797	3778144	339078	1388436		
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	16200637	1296051	183704	512241	34966557	2797325	257777	1248782		
पश्चिम बंगाल	7455974	596478	82268	-	12610029	1008802	112615	-		
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>357003416</b>	<b>32546481</b>	<b>3388414</b>	<b>5877122</b>	<b>674668646</b>	<b>61499745</b>	<b>4773448</b>	<b>12863294</b>		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	103.17	9.40	2.69

अनुलग्नक 5.05 पैरा सं. 5.2.2(ड)]  
हैन्डसेटों की बिक्री पर विचार न करने के कारण एल एक एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)
आन्ध्रप्रदेश	1660312663	166031266	43124863	523809430	52380943	14463694	34696211	3469621	977847	22722835	2272284	697489
बिहार	583572348	35014341	14222630	242561421	14553685	5999725	16908777	1014527	432756	12430347	745821	373361
चैन्नई	551685366	55168537	11765944	169191310	16919131	1130954	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	1966218167	196621817	44608671	549565056	54956506	12314776	37054263	3705426	803220	32347022	3234702	657813
गुजरात	1190421344	119042134	29631488	351088546	35108855	9447993	21635499	2163550	567782	15765720	1576572	387187
हरियाणा	310657199	24852576	7806905	110137323	8810986	3061944	7333279	586662	215534	5641706	451336	145897
हिमाचल प्रदेश	54593312	3275599	1302264	33320173	1999210	928120	1967438	118046	52755	1183933	71036	39732
जम्मू एवं कश्मीर	6595216	395713	39817	13077001	784620	314625	121513	7291	3145	987161	59230	534
कर्नाटक	1189609429	118960943	28418109	398818520	39881852	10225942	26924506	2692451	666073	19274634	1927463	450494
केरल	1248053316	99844265	33003579	405874395	32469952	12697609	25005117	2000409	779549	13247581	1059806	458610
कोलकाता	768439171	76843917	16461389	250039672	25003967	5192566	16437077	1643708	328100	9161647	916165	254183
महाराष्ट्र	1511529808	151152981	38725262	447797712	44779771	13434422	26883853	2688385	769167	21135045	2113505	555648
मध्यप्रदेश	743824966	59505997	18762529	269407539	21552603	7445811	18459282	1476743	529289	12481695	998536	425836
मुंबई	2169044484	216904448	48940024	665899944	66589994	15925219	44493264	4449326	1006222	34314574	3431457	771734
उड़ीसा	230464129	13827848	5822676	82516917	4951015	2321712	4910584	294635	142633	3192037	191522	103759
पंजाब	532774924	42621994	13222947	148820321	11905626	4008006	8920551	713644	240704	7023620	561890	159639
राजस्थान	777161562	62172925	20395707	226821458	18145717	6523603	14283943	1142715	415081	11222998	897840	285124
तमिलनाडु	1012647118	101264712	29296622	358020902	35802090	14994958	32837177	3283718	917790	20591741	2059174	598328
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1024683739	81974699	29189494	330486175	26438894	10476847	24149903	1931992	696262	19768542	1581483	531094
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	788320704	63065656	22048597	256808423	20544674	8682321	17642862	1411429	561502	14636561	1170925	403754
पश्चिम बंगाल	297356562	23788525	7519779	116316374	9305310	3331345	8119725	649578	251457	5278399	422272	176388
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>18617965526</b>	<b>1712330893</b>	<b>464309297</b>	<b>5950378614</b>	<b>542885401</b>	<b>162922194</b>	<b>388784824</b>	<b>35443857</b>	<b>10356867</b>	<b>282407799</b>	<b>25743019</b>	<b>7476604</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	2,523.95	231.64	64.51



अनुलग्नक 5.06 पैरा सं. 5.2.2(एफ)।  
 फिक्स्ड वायरलेस फोनटर्मिनल (एफ डब्ल्यू पी/टी) के संबंध में अपक्रेंट-चार्ज पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)
आन्ध्रप्रदेश	80540981	8054098	2091967	57970688	5797069	1600716	52999479	5299948	1493690	26338958	2633896	808488
बिहार	28308818	1698529	689933	26844596	1610676	663998	25828652	1549719	661047	14408518	864511	432778
चैन्नई	26761996	2676200	570760	18724628	1872463	125164	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	95380312	9538031	2163945	60821097	6082110	1362893	56601472	5660147	1226942	37494742	3749474	762497
गुजरात	57746775	5774678	1437409	38855437	3885544	1045622	33048858	3304886	867304	18274684	1827468	448804
हरियाणा	15069834	1205587	378709	12189044	975124	338869	11201799	896144	329234	6539529	523162	169115
हिमाचल प्रदेश	2648296	158898	63172	3687588	221255	102716	3005319	180319	80584	1372344	82341	46055
जम्मू एवं कश्मीर	319931	19196	1931	1447249	86835	34820	185614	11137	4804	1144258	68655	619
कर्नाटक	57707390	5770739	1378549	44137777	4413778	1131719	41127972	4112797	1017446	22342007	2234201	522185
केरल	60542475	4843398	1600988	44918660	3593493	1405261	38196049	3055684	1190784	15355807	1228465	531593
कोलकाता	37276620	3727662	798534	27672224	2767222	574668	25108117	2510812	501182	10619636	1061964	294634
महाराष्ट्र	73323595	7332359	1878544	49558370	4955837	1486805	41065872	4106587	1174925	24498486	2449849	644074
मध्यप्रदेश	36082597	2886608	910161	29815691	238255	824038	28197094	2255768	808505	14468038	1157443	493604
मुम्बई	105219320	10521932	2374057	73696034	7369603	1762465	67964764	6796476	1537033	39775411	3977541	894548
उड़ीसा	11179706	670782	282455	9132257	547935	256947	7501061	450064	217876	3700019	222001	120271
पंजाब	25844659	2067573	641439	16470143	1317611	443571	13626404	1090112	367682	8141362	651309	185044
राजस्थान	37699739	3015979	989386	25102633	2008211	721976	21819142	1745531	634049	13009031	1040722	330498
तमिलनाडु	49123032	4912303	1421165	39622650	3962265	1659512	50159750	5015975	1401952	23868719	2386872	693547
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	49706923	3976554	1415969	36575345	2926028	1159487	36889684	2951175	1063560	22914517	1833161	615613
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	38241064	3059285	1069567	28421330	2273706	960884	26949988	2155999	857711	16965829	1357266	468008
पश्चिम बंगाल	14424626	1153970	364781	12872888	1029831	368684	12403119	992249	384108	6118406	489473	204459
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>903148686</b>	<b>83064360</b>	<b>22523424</b>	<b>658536331</b>	<b>60081851</b>	<b>18030816</b>	<b>593880208</b>	<b>54141529</b>	<b>15820418</b>	<b>327350303</b>	<b>29839774</b>	<b>8666434</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	248.29	22.71	6.50

अनुलग्नक 5.07 पैरा सं. 5.2.3]  
प्राइवेट प्रीपेड वाउचरों पर दिए गए कमीशन को घटाने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2008-09				2009-10				एस यू सी पर प्रभाव एल (जी एस एम)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एस ए)	एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एस ए)	एस यू सी पर प्रभाव एल (जी एस एम)	
आन्ध्रप्रदेश	149827	14983	4018	25	313655	31366	6989	1370	
दिल्ली	49366	4937	1152	8	20285	2029	393	90	
गुजरात	232398	23240	6233	39	444976	44498	9915	1943	
कर्नाटक	113559	11356	3046	19	211233	21123	4707	923	
केरल	158838	12707	4575	28	6159004	492720	147408	29051	
महाराष्ट्र	35101	3510	1011	6	89999	9000	2154	393	
मध्यप्रदेश	28887	2311	780	0	84759	6781	2289	-	
मुम्बई	20287	2029	514	4	2885	288	61	14	
पंजाब	169133	13531	4536	28	56827	4546	1266	248	
राजस्थान	102813	8225	2757	18	283107	22649	6309	1335	
तमिलनाडु	297083	29708	7968	52	449958	44996	10026	2122	
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	212592	17007	5702	37	851819	68146	18981	4018	
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	-	-4254	-	-	-	
पश्चिम बंगाल	302734	24219	8779	-	306162	24493	8266	-	
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>1872617</b>	<b>167762</b>	<b>51071</b>	<b>264</b>	<b>9270416</b>	<b>772633</b>	<b>218765</b>	<b>41509</b>	

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	1.11	0.09	0.03

अनुलग्नक 5.08 पैरा सं. 5.2.4।  
आर सी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान राजस्व से व्यय घटाने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10				
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)		
आन्ध्रप्रदेश	436000	43600	11074	1333280	133328	35999	2046000	204600	54872	343	1940000	194000	43229	8473
चैन्नई	-	-	-	776794	77679	18255	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	212510	21251	4866	522958	52296	12290	736346	73635	17188	126	509992	50999	9891	2272
गुजरात	-	-	-	2184000	218400	60988	1804388	180439	48392	302	1758000	175800	39174	7678
हरियाणा	-	-	-	182000	14560	4732	443000	35440	11881	74	208000	16640	4635	908
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	260000	15600	7020	-	-	-	-	-
कर्नाटक	772000	77200	19223	400000	40000	10800	732000	73200	19632	123	576000	57600	12835	2516
केरल	408000	32640	10404	1220000	97600	36509	1061467	84917	30576	185	993400	79472	23776	4686
कोलकाता	88000	8800	2015	702000	70200	16497	604000	60400	14194	0	449550	44955	10564	-
महाराष्ट्र	400000	40000	10320	1137135	113714	34540	1843116	184312	53092	309	1173713	117371	28091	5126
मध्यप्रदेश	-	-	-	675857	54069	18248	741067	59285	20009	-	781264	62501	21094	-
मुम्बई	-	-	-	108000	10800	2754	412000	41200	10436	74	2510900	251090	52842	12282
उड़ीसा	-	-	-	279000	16740	7533	320000	19200	8640	-	308000	18480	8316	-
पंजाब	-	-	-	540130	43210	14584	1317000	105360	35321	221	680000	54400	15153	2970
राजस्थान	-	-	-	100645	8052	2717	8000	640	215	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	688000	68800	19058	1309592	130959	39975	2351366	235137	63062	410	2079137	207914	46330	9807
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	44000	3520	1166	742133	59371	23377	547668	43813	15776	95	323742	25899	7748	1527
पश्चिम बंगाल	-	-	-	144000	11520	3888	56000	4480	1624	-	16000	1280	432	-
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>3048510</b>	<b>295811</b>	<b>78126</b>	<b>12357524</b>	<b>1152497</b>	<b>343685</b>	<b>15283418</b>	<b>1421658</b>	<b>411928</b>	<b>2260</b>	<b>14307698</b>	<b>1358402</b>	<b>324110</b>	<b>58245</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	4.50	0.42	0.12

अनुलग्नक 5.09 पैरा सं. 5.2.5]  
 ग्रीपेड उत्पादों की बिक्री पर राजस्व से वितरणों/ डीलरों/ फ्रैंचाइजी को दिये गये छूट को घटाने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	20972551	1048628	721456	119929268	5996463	4137560	176458945	10587537	6087834	209708700	12582522	7234950
बिहार	154612678	7730634	5952588	227969699	11398485	10030667	276767543	16606053	12039388	263353153	15801189	11455862
हिमाचल प्रदेश	24596701	1229835	819070	60721689	3036084	2034177	95429808	5725788	3196899	94483758	5669025	3165206
कोलकाता	78604313	7860431	2578221	67097396	6709740	2200795	82710464	8271046	2688090	221456234	22145623	7197328
मध्यप्रदेश	95209326	5712560	3275201	120701244	7242075	4043492	159749080	12779926	5351594	242041476	19363318	8108389
उत्तर पूर्व	18411251	920563	614936	54702210	2735111	1832524	72263620	4335817	2420831	48148463	2888908	1612974
उड़ीसा	81104376	4055219	2708886	124490136	6224507	4170420	181909841	10914590	6093980	200705709	12042343	6723641
पश्चिम बंगाल	69514327	4170860	2307876	71436183	4286171	2421687	91087697	7287016	3051438	123597082	9887767	4140502
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>543025523</b>	<b>32728728</b>	<b>18978234</b>	<b>847047825</b>	<b>47628635</b>	<b>30871320</b>	<b>11136376998</b>	<b>76507774</b>	<b>40930053</b>	<b>1403494575</b>	<b>100380695</b>	<b>49638852</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर टी एल)	392.99	25.72	14.04

अनुलग्नक 5.10 पैरा सं. 5.2.6।  
वितरकों को वितरित किये गये फ्री ऑफ चार्ज रिचार्ज वाउचर पर विचार न करने के कारण जी आर में एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	18288445	914422	629123	17092086	854604	589677	17007935	1020476	586774	-	-	-
बिहार	41658075	2082904	1603836	32279694	1613985	1420307	14701451	882087	639513	29239	1754	1272
हिमाचल प्रदेश	742141	37107	24713	23339887	1166994	781886	16114826	966890	539847	-	-	-
कोलकाता	-	-	-	16580736	1658074	543848	54216536	5421654	1762037	1556539	155654	50588
मध्यप्रदेश	120996072	7259764	4162265	169995186	10199711	5694839	152065228	12165218	5094185	-	-	-
उत्तर पूर्व	8505795	425290	284094	7123273	356164	238630	3984661	239080	133486	-	-	-
उड़ीसा	22966197	1148310	767071	18229885	911494	610701	28275791	1696547	947239	1912622	114757	64073
पश्चिम बंगाल	36555678	2193341	1213648	21425749	1285545	726333	27548455	2203876	922873	-	-	-
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>249712403</b>	<b>14061138</b>	<b>8684750</b>	<b>306066495</b>	<b>18046571</b>	<b>10606220</b>	<b>313914884</b>	<b>24595828</b>	<b>10625955</b>	<b>3498400</b>	<b>272166</b>	<b>115932</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर टी एल)	87.32	5.70	3.00

अनुलग्नक 5.11 पैरा सं. 5.3.11  
फोरेक्स लाम की राशि को जी आर के लिये विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

आर सी एल

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ₹)
आन्ध्रप्रदेश	58748057	5874806	1492201	117240449	11724045	3165492	261347961	26134796	7009117	303236325	30323633	6757045
बिहार	20648967	1238938	481121	54290756	3257445	1248687	127364752	7641885	2929389	165883031	9952982	4352944
चेन्नई	19520687	1952069	447024	37868859	3786886	889918	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	69572135	6957213	1593202	123005144	12300514	2890621	279109897	27910990	6515137	431671138	43167114	8372067
गुजरात	42121549	4212155	1069887	78581592	7858159	2192426	162968614	16296861	4370672	210393595	21039360	4688222
हरियाणा	10992211	879377	264912	24651235	1972099	640932	55237662	4419013	1481424	75288582	6023087	1677663
हिमाचल प्रदेश	1931715	115903	48100	7457812	447469	201361	14819654	889179	400131	15799586	947975	486702
जम्मू एवं कश्मीर	233363	14002	5064	2926930	175616	65271	915291	54917	22729	13173667	790420	271806
कर्नाटक	42092820	4209282	1048111	89264644	8926464	2410145	202807872	20280787	5439125	257220059	25722006	5731660
केरल	44160783	3532863	1126100	90843910	7267513	2716233	188350144	15068012	5425558	176789022	14143122	4231215
कोलकाता	27190245	2719024	622657	55964558	5596456	1315167	123811691	12381169	2909575	122262220	12226222	3278034
महाराष्ट्र	53483564	5348356	1379876	100227300	10022730	3046910	202501650	20250165	5833202	282047261	28204726	6750435
मध्यप्रदेश	26319303	2105544	655351	60299527	4823962	1628087	139043876	11123510	3754185	166568271	13325462	5131086
मुम्बई	76748887	7674889	1818949	149043534	14904353	3800610	335143904	33514390	8488910	457928129	45792813	9637166
उड़ीसा	8154681	489281	203052	18469160	1108150	498667	36988795	2219328	998697	42597745	2555865	1312211
पंजाब	18851565	1508125	469404	33309369	2664749	899353	67193731	5375499	1802075	93730235	7498419	2088600
राजस्थान	27498876	2199910	684722	50767795	4061424	1370730	107593286	8607463	2885555	149770951	11981676	3337361
तमिलनाडु	35831233	3583123	992525	80133211	8013321	2444063	247344850	24734485	6633566	274796857	27479686	6123326
उत्तर प्रदेश (एल)	36257134	2900571	1004323	73970313	5917625	2256095	181908271	14552662	4878616	263811274	21104902	5878533
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	27893728	2231498	739184	57479559	4598365	1810606	132894218	10631537	3828111	195324957	15625997	4674849
पश्चिम बंगाल	10521585	841727	261987	26034247	2082740	702925	61161539	4892923	1773685	70440261	5635221	2169891
कुल यू.ए.एस.एल (आर सी एल)	658773084	60588656	16407750	1331829902	121510085	36194300	2928507659	266979572	77379458	3768733169	343540685	86950816
एन एल डी	116745735	7004744	-	259264025	15555842	-	718644776	43118687	-	1282228523	76933711	-
आई एल डी	143800765	8628046	-	219627508	13177650	-	448743379	26924603	-	422457709	25347463	-
कुल योग	919319584	76221446	16407750	1810721436	150243577	36194300	4095895814	337022861	77379458	5473419401	445821859	86950816

जासी.....

आर टी एल

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	220140	11007	7573	64395272	3219764	2221637	13237008	794220	456677	89984851	5399091	3104477
बिहार	422006	21100	16247	97701897	4885095	4298883	20024881	1201493	871082	120666858	7240011	5249008
हिमाचल प्रदेश	50621	2531	1686	20035728	1001786	671197	4991863	299512	167227	30740898	1844454	1029820
कोलकाता	-	-	-	15119211	1511921	495910	3005801	300580	97689	48820315	4882032	1586660
मध्यप्रदेश	340924	20455	11728	67537406	4052244	2262503	14687638	1175011	492036	141455243	11316419	4738751
उत्तर पूर्व	80405	4020	2686	25247974	1262399	845807	4896408	293785	164030	20317260	1219036	680628
उड़ीसा	189021	9451	6313	45912128	2295606	1538056	11139161	668350	373162	76145558	4568733	2550876
पश्चिम बंगाल	206974	12418	6872	33713254	2022795	1142879	7154340	572347	239670	60775109	4862009	2035966
कुल यू ए एस एल (आर टी एल)	1510092	80984	53104	369662870	20251611	13476873	79137100	5305298	2861573	588906092	41331785	20976187

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	868.78	79.26	23.19
यू ए एस एल (आर टी एल)	103.92	6.70	3.74
एन एल डी	237.69	14.26	-
आई एल डी	123.46	7.41	-
कुल योग	1,333.86	107.63	26.93

अनुलग्नक 5.12 (i) पैरा सं. 5.3.2]  
जी आर के लिये ब्याज की आय पर विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

आर सी एल

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2008-09			2009-10			(राशि ₹ में)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	
आन्ध्रप्रदेश	52126744	5212674	1324019	364241989	36424199	9768642	319726798	31972680	7124504	1396407
बिहार	18321686	1099301	426895	177508907	10650534	4082705	174904013	10494241	4022792	-
चैन्नई	17320570	1732057	396641	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	61730874	6173087	1413637	388996890	38899689	9080179	455146100	45514610	8827354	2027608
गुजरात	37374159	3737416	949304	227130191	22713019	6091427	221835133	22183513	4943174	968865
हरियाणा	9753313	780265	235055	76985012	6158801	2064669	79382895	6350632	1768897	346705
हिमाचल प्रदेश	1713997	102840	42679	20654227	1239254	557664	16658793	999528	449787	-
जम्मू एवं कश्मीर	207062	12424	4493	1275646	76539	31677	13890072	833404	286587	60665
कर्नाटक	37348668	3734867	929982	282654368	28265437	7580536	271208094	27120809	6043357	1184501
केरल	39183557	3134685	999181	262504559	21000365	7561628	186403090	14912247	4461316	879245
कोलकाता	24125716	2412572	552479	172556987	17255699	4055089	128911034	12891103	3029409	-
महाराष्ट्र	47455597	4745560	1224354	282227585	28222758	8129763	297385439	29738544	7117534	1298831
मध्यप्रदेश	23352935	1868235	581488	193786161	15502893	5232226	175626518	14050121	4741916	-
मुंबई	68098756	6809876	1613941	467091772	46709177	11831038	482830988	48283099	10161251	2361816
उड़ीसा	7235592	434136	180166	51551473	3093088	1391890	44914278	2694857	1212686	-
पंजाब	16726863	1338149	416499	93648247	7491860	2511562	98827434	7906195	2202182	431629
राजस्थान	24399562	1951965	607549	149953313	11996265	4021613	157915734	12633259	3518852	744873
तमिलनाडु	31792805	3179281	880661	344725782	34472578	9245235	289740747	28974075	6456322	1366678
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	32170704	2573656	891129	253526487	20282119	6799352	278157750	22252620	6198217	1312042
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	24749912	1979993	655873	185215351	14817228	5335258	205947039	16475763	4929075	971432
पश्चिम बंगाल	9335729	746858	232460	85241150	6819292	2471993	74270915	5941673	2005315	-
कुल यू ए एस एल (आर सी एल)	584524801	53759895	14558483	4081476096	372090794	107844147	580816	3973682863	362222973	15351296
एन एल डी	103587683	6215261	-	1001578898	60094734	-	-	1351958147	81117489	-
आई एल डी	127593424	7655605	-	625415941	37524956	-	-	445431630	26725898	-
कुल योग	815705908	67630762	14558483	5708470935	469710484	107844147	580816	5771072640	470066359	15351296



जी आर के लिये ब्याज की आय पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

आर टी एल

(राशि ₹ में)

सेवार्य/एल एस ए	2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	156987658	9419259	5416074	69774441	4186466	2407218
बिहार	237490169	14249410	10330822	93565334	5613920	4070092
हिमाचल प्रदेश	59202269	3552136	1983276	23836556	1430193	798525
कोलकाता	35648057	3564806	1158562	37855374	3785537	1230300
मध्यप्रदेश	174191781	13935342	5835425	109684691	8774775	3674437
उत्तर पूर्व	58070201	3484212	1945352	15754046	945243	527761
उड़ीसा	132107718	7926463	4425609	59043424	3542605	1977955
पश्चिम बंगाल	84848713	6787897	2842432	47125146	3770012	1578692
<b>कुल यू ए एस एल (आर टी एल)</b>	<b>938546565</b>	<b>62919526</b>	<b>33937551</b>	<b>456639012</b>	<b>32048752</b>	<b>16264979</b>

अनुलग्नक 5.12 (ii) पैरा सं. 5.3.2।  
अन्य आय को जी आर के लिये विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

आर सी एल

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07				2008-09				2009-10			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	
आन्ध्रप्रदेश	20772345	2077235	527618	10818381	1081838	290139	1812	16948070	1694807	377656	74021	
बिहार	7301135	438068	170116	5272206	316332	121261	-	9271307	556278	213240	-	
चेन्नई	6902193	690219	158060	-	-	-	-	-	-	-	-	
दिल्ली	24599561	2459956	563330	11553628	1155363	269691	1974	24126373	2412637	467920	107479	
गुजरात	14893486	1489349	378295	6746012	674601	180922	1130	11759031	1175903	262028	51358	
हरियाणा	3886665	310933	93669	2286538	182923	61323	383	4207926	336634	93766	18378	
हिमाचल प्रदेश	683023	40981	17007	613453	36807	16563	-	883049	52983	23842	-	
जम्मू एवं कश्मीर	82513	4951	1791	37888	2273	941	6	736285	44177	15191	3216	
कर्नाटक	14883328	1488333	370595	8395140	839514	225150	1406	14376192	1437619	320346	62788	
केरल	15614526	1249162	398170	7796669	623734	224589	1358	9880850	790468	236485	46607	
कोलकाता	9614023	961402	220161	5125129	512513	120441	-	6833313	683331	160583	-	
महाराष्ट्र	18910908	1891091	487901	8382464	838246	241463	1404	15763800	1576380	377286	68848	
मध्यप्रदेश	9306072	744486	231721	5755658	460453	155403	-	9309606	744768	251359	-	
मुंबई	27137142	2713714	643150	13873130	1387313	351395	2482	25593893	2559389	538627	125195	
उड़ीसा	2883361	173002	71796	1531134	91868	41341	-	2380815	142849	64282	-	
पंजाब	6665603	533248	165974	2781454	222516	74596	466	5238642	419091	116733	22880	
राजस्थान	9723150	777852	242106	4453775	356302	119446	776	8370793	669663	186527	39484	
तमिलनाडु	12669334	1266933	350941	10238728	1023873	274593	1784	15358570	1535857	342237	72445	
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	12819925	1025594	355112	7530011	602401	201948	1312	14744579	1179566	328555	69549	
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9862763	789021	261363	5501096	440088	158463	958	10916835	873347	261280	51494	
पश्चिम बंगाल	3720259	297621	92634	2531754	202540	73421	-	3936951	314956	106298	-	
कुल यू ए एस एल (आर सी एल)	232931314	21423151	5801510	121224250	11051499	3203088	17251	210636879	19200706	4744242	813741	
एन एल डी	41279369	2476762	-	29747976	1784879	-	-	71664563	4299874	-	-	
आई एल डी	50845582	3050735	-	18575529	1114532	-	-	23611428	1416686	-	-	
कुल योग	325056266	26950648	5801510	169547755	13950909	3203088	17251	305912870	24917265	4744242	813741	

अन्य आय को जी आर के लिये विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

आर टी एल

सेवायें/एल एस ए	2008-09				2009-10				(राशि ₹ में)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव		
असम	555057376	33303443	19149479	312905895	18774354	10795253			
बिहार	839688113	50381287	36526433	419596975	25175819	18252468			
हिमाचल प्रदेश	209319995	12559200	7012220	106895862	6413752	3581011			
कोलकाता	126039953	12603995	4096298	169763735	16976373	5517321			
मध्यप्रदेश	615885567	49270845	20632167	491884790	39350783	16478140			
उत्तर पूर्व	205317371	12319042	6878132	70649564	4238974	2366760			
उड़ीसा	467089987	28025399	15647515	264782279	15886937	8870206			
पश्चिम बंगाल	299997493	23999799	10049916	211334348	16906748	7079701			
<b>कुल यू ए एस एल (आर टी एल)</b>	<b>3318395855</b>	<b>222463011</b>	<b>119992160</b>	<b>2047813446</b>	<b>143723739</b>	<b>72940862</b>			

सेवायें/एल एस ए	ब्याज की आय			अन्य आय			कुल (ब्याज+अन्य) आय			एस यू सी पर प्रभाव
	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	सेवायें/कम्पनी	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
यू ए एस एल (आर सी एल)	863.97	78.81	22.78	56.48	5.17	यू ए एस एल (आर सी एल)	1.46	920.45	83.97	24.24
एन एल डी	245.71	14.74	-	14.27	0.85	एन एल डी	-	259.98	15.60	-
आई एल डी	119.84	7.19	-	9.30	0.56	आई एल डी	-	129.14	7.75	-
यू ए एस एल (आर टी एल)	139.52	9.50	5.02	536.62	36.62	यू ए एस एल (आर टी एल)	19.30	676.14	46.12	24.32
<b>कुल योग</b>	<b>1,369.04</b>	<b>110.24</b>	<b>27.80</b>	<b>616.67</b>	<b>43.20</b>	<b>कुल योग</b>	<b>20.76</b>	<b>1,985.72</b>	<b>153.44</b>	<b>48.56</b>

(₹ करोड़ में)

## अनुलग्नक 5.13 [पैरा सं. 5.3.4]

गैर व्यापारिक निवेश से आय पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

अनुसूची 0 में दर्शाई गई राशि 'गैर व्यापारिक निवेश से आय शीर्ष' के अन्तर्गत वित्तीय प्रभाव (नेट)

जी एल कोड	मद का विवरण	राशि	
6345600	संचयी निवेश यूनियों के विक्रय का लाभ/हानि	3305651923	(अ)
6345800	पी एम एस (हानि) में संचयी निवेश की विक्री का लाभ/हानि	-2216452461	(ब)
	कुल (अ-ब)	1089199462	अर्थात् ₹ 108.92 करोड़

जी एल कोड 6345800 में दर्शायी गई ₹ 221.65 करोड़ की उपरोक्त हानि का विवरण इस प्रकार है :-

जी एल कोड	मद का विवरण		राशि
6345800	आर सी आई एल-एम एफ एफ पी में 08-09 के लिये मार्केड टू मार्केट (एम टी एम)* प्राप्ति रिवर्सल	डेबिट	3433283200
	2008.09 के लिये आर सी आई एल द्वारा हस्तांतरित ब्याज एवं लाभ/हानि	क्रेडिट	1216830739
	खातों में दर्शायी गई हानि	अर्थात् ₹ 221.65 करोड़	2216452461

\*अधिग्रहण कीमत अथवा बही मूल्य के स्थान पर अपने वर्तमान बाजार मूल्य को दर्शाने के लिये पुर्नमूल्यांकन की प्रक्रिया को भी 'मार्किंग टू मार्केट' कहा जाता है

सेवार्य/एल एस ए	2008-09		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	182186882	10931213	6285447
बिहार	275611434	16536686	11989098
हिमाचल प्रदेश	68705253	4122316	2301626
कोलकाता	41370185	4137019	1344531
मध्यप्रदेश	202152563	16172205	6772111
उत्तर पूर्व	67391468	4043488	2257614
उड़ीसा	153313283	9198797	5135995
पश्चिम बंगाल	98468393	7877472	3298691
कुल यू ए एस एल (आर टी एल)	1089199462	73019196	39385114

(₹ करोड़ में)

सेवार्य/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर टी एल)	108.92	7.30	3.94

अनुलग्नक 5.14 [पैरा सं. 5.3.5]  
संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सहायक कम्पनियों से संबंधित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 (8) के अन्तर्गत  
रिलाइंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड की विवरणियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

आर सी एल द्वारा निवेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
सहायक कम्पनियों में	5358.50	13712.39	31342.32	31875.99	82289.20
अन्य में	75.92	131.74	22.30	22.31	252.27
<b>कुल निवेश</b>	<b>5434.42</b>	<b>13844.13</b>	<b>31364.62</b>	<b>31898.30</b>	<b>82541.47</b>

स्रोत : आर सी एल की संबंधित वर्षों के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

लाभ कमाने वाली सहायक कम्पनियों में निवेशित पूंजी एवं कर के बाद लाभ दर्शाने वाली विवरणी  
(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायक कम्पनियों की कुल संख्या	लाभ कमाने वाली सहायक कम्पनियों की संख्या	लाभ कमाने वाली सहायक कम्पनियों में निवेशित पूंजी	कर के बाद लाभ/(हानि)	प्रस्तावित लाभांश
2006-07	13	5	1598.39	708.61	शून्य
2007-08	14	6	8611.87	668.65	शून्य
2008-09	16	6	29353.14	1118.01	शून्य
2009-10	19	8	31748.42	1499.98	शून्य
<b>कुल</b>	<b>62</b>	<b>25</b>	<b>71311.82</b>	<b>3995.25</b>	

अनुलग्नक - 5.15 पैरा संख्या 5.4.1]  
बैंडविड्थ प्रभार की बिक्री/लीज से आय पर विचार न करने के कारण एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	142892486	3629469	247431991	6680664	295558121	7980069	199767185	5393714
बिहार	30311470	706257	5003054	115070	17358525	399246	105806670	2433553
चेन्नई	110641678	2533694	125212511	2942494	40491817	1093279	-	-
दिल्ली	252266322	5776899	571979548	13441519	766545192	18013812	984295626	23130947
गुजरात	122228833	3104612	288664272	8053733	289046159	7804246	68338995	1845153
हरियाणा	6320063	152314	7008075	182210	10517229	283965	5160339	139329
हिमाचल प्रदेश	2754932	68598	5697984	153846	4770735	128810	3997698	107938
जम्मू एवं कश्मीर	40	1	2994	67	1329249	33231	88948	2224
कर्नाटक	220466945	5489627	375863648	10148319	719465667	19425573	586718108	15841389
केरल	61244895	1561745	96165062	2875335	107077615	3105251	45391489	1316353
कोलकाता	267518318	6126169	609846008	14331381	802710032	18863686	122775223	2885218
महाराष्ट्र	189580588	4891179	303439605	9224564	363306248	10535881	128424465	3724309
मध्यप्रदेश	108782397	2708682	185760708	5015539	173204175	4676513	190314004	5138478
मुम्बई	494029143	11708491	657428991	16764439	1391576387	35485198	1472582879	37550863
उड़ीसा	24728697	615745	45061785	1216668	43172794	1165665	103725547	2800590
पंजाब	51173206	1274213	82165766	2218476	94200615	2543417	21517961	580985
राजस्थान	11805822	293965	12223293	330029	16853387	455041	8125697	219394
तमिलनाडु	20015622	554433	22884521	697978	154565056	4173256	163319735	4409633
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	60064554	1663788	78865230	2405390	90372973	2440070	28041431	757119
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	11813467	313057	11067798	348636	18183703	527327	11026909	319780
पश्चिम बंगाल	38621887	961685	25768567	695751	103708767	3007554	143640280	3878288
कुल यू ए एस एल (आर सी एल)	2227261364	54134622	3757541410	97842107	5504014446	142141092	4393059189	112475257

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	1,588.19	40.66

अनुलग्नक - 5.16 [पैरा संख्या 5.4.2]

निवेश से प्राप्त आय पर विचार न करने के कारण एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)
आन्ध्रप्रदेश	33721609	856529
बिहार	11852586	276165
चैन्नई	11204949	256593
दिल्ली	39934671	914504
गुजरात	24177930	614119
हरियाणा	6309571	152061
हिमाचल प्रदेश	1108812	27609
जम्मू एवं कश्मीर	133951	2907
कर्नाटक	24161440	601620
केरल	25348458	646386
कोलकाता	15607305	357407
महाराष्ट्र	30699770	792054
मध्यप्रदेश	15107380	376174
मुंबई	44054154	1044083
उड़ीसा	4680818	116552
पंजाब	10820870	269440
राजस्थान	15784460	393033
तमिलनाडु	20567265	569713
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	20811733	576485
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	16011106	424294
पश्चिम बंगाल	6039430	150382
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>378138270</b>	<b>9418111</b>
एन एल डी	67012498	-
आई एल डी	82542189	-
<b>कुल योग</b>	<b>527692957</b>	<b>9418111</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	37.81	0.94
एन एल डी	6.70	-
आई एल डी	8.25	-
<b>कुल योग</b>	<b>52.77</b>	<b>0.94</b>

## अनुलग्नक - 5.17 [पैरा संख्या 5.5.1]

आर सी एल द्वारा आर आई टी एल को ओ एफ यू हस्तान्तरण पर लाभ को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2008-09			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)
आन्ध्रप्रदेश	2733745073	273374507	73316582	457902
बिहार	1332257437	79935446	30641921	-
दिल्ली	2919538009	291953801	68149462	498803
गुजरात	1704680016	170468002	45717984	285534
हरियाणा	577795542	46223643	15495956	96781
हिमाचल प्रदेश	155016155	9300969	4185436	-
जम्मू एवं कश्मीर	9574103	574446	237749	1604
कर्नाटक	2121405573	212140557	56894188	355335
केरल	1970175233	157614019	56752277	343205
कोलकाता	1295091800	129509180	30434657	-
महाराष्ट्र	2118202440	211820244	61016304	354799
मध्यप्रदेश	1454423103	116353848	39269424	-
मुम्बई	3505663461	350566346	88795476	627128
उड़ीसा	386909225	23214554	10446549	-
पंजाब	702858103	56228648	18850022	117729
राजस्थान	1125444464	90035557	30183408	196052
तमिलनाडु	2587270102	258727010	69388256	450702
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1902792116	152223369	51031172	331466
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1390096611	111207729	40042706	242155
पश्चिम बंगाल	639760326	51180826	18521061	-
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>30632698894</b>	<b>2792652703</b>	<b>809370590</b>	<b>4359196</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	3,063.27	279.27	81.37



## अनुलग्नक – 5.18 [पैरा संख्या 5.5.2]

आर टी आई एल के पैसिव अवसंरचना को निवेश से प्राप्त लाभ पुर्नमूल्यांकन पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवार्यें/एल एस ए	2007-08		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)
आन्ध्रप्रदेश	111551105	11155111	3011880
बिहार	51656181	3099371	1188092
चैन्नई	36031191	3603119	846733
दिल्ली	117036055	11703606	2750347
गुजरात	74768252	7476825	2086034
हरियाणा	23454981	1876398	609830
हिमाचल प्रदेश	7095905	425754	191589
जम्मू एवं कश्मीर	2784894	167094	62103
कर्नाटक	84932886	8493289	2293188
केरल	86435514	6914841	2584422
कोलकाता	53248758	5324876	1251346
महाराष्ट्र	95363555	9536356	2899052
मध्यप्रदेश	57373363	4589869	1549081
मुम्बई	141810877	14181088	3616177
उड़ीसा	17572905	1054374	474468
पंजाब	31692960	2535437	855710
राजस्थान	48304179	3864334	1304213
तमिलनाडु	76244575	7624457	2325460
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	70380745	5630460	2146613
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	54690240	4375219	1722743
पश्चिम बंगाल	24770879	1981670	668814
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>1267200000</b>	<b>115613547</b>	<b>34437894</b>

(₹ करोड़ में)

सेवार्यें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	126.72	11.56	3.44

अनुलग्नक - 5.19 [पैरा संख्या 5.5.2]

आर टी आई एल के पैसिव अवसंरचना परिसम्पत्तियों के आर सी एल को हस्तान्तरण करने पर लाभ को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवार्ये/एल एस ए	2007-08		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)
असम	560152181	28007609	19325250
बिहार	849874979	42493749	37394499
हिमाचल प्रदेश	174283859	8714193	5838509
कोलकाता	131516786	13151679	4313751
मध्यप्रदेश	587484520	35249071	19680731
उत्तर पूर्व	219623387	10981169	7357383
उड़ीसा	399373713	19968686	13379019
पश्चिम बंगाल	293259925	17595595	9941511
<b>कुल यू ए एस एल (आर टी एल)</b>	<b>3215569350</b>	<b>176161751</b>	<b>117230655</b>

(₹ करोड़ में)

सेवार्ये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	321.56	17.62	11.72

अनुलग्नक - 5.20 [पैरा संख्या 5.5.6]

आर सी एल द्वारा जी आर के लिये सेवाकर की पुर्न अदायगी पर विचार न करने के कारण  
एल एफ और एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव (सी डी एम ए)	एस यू सी पर प्रभाव (जी एस एम)
आन्ध्रप्रदेश	41393933	4139393	1048691	109123
बिहार	22644223	1358653	561358	-
दिल्ली	58926206	5892621	989037	318182
गुजरात	28720234	2872023	582145	186985
हरियाणा	10277431	822195	219360	77843
हिमाचल प्रदेश	2156757	129405	59738	-
जम्मू एवं कश्मीर	1798300	107898	802	48972
कर्नाटक	35112382	3511238	677328	172353
केरल	24132969	1930638	689531	40384
कोलकाता	16689670	1668967	382170	-
महाराष्ट्र	38501473	3850147	835430	266726
मध्यप्रदेश	22737763	1819021	640255	-
मुम्बई	62510473	6251047	1160321	242659
उड़ीसा	5814898	348894	156004	-
पंजाब	12794849	1023588	240022	113251
राजस्थान	20444809	1635585	428690	171453
तमिलनाडु	37511741	3751174	899601	110687
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	36012130	2880970	798513	252352
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	26663257	2133061	607054	226970
पश्चिम बंगाल	9615601	769248	265204	-
<b>कुल यू ए एस एल (आर सी एल)</b>	<b>514459100</b>	<b>46895767</b>	<b>11241254</b>	<b>2337938</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल (आर सी एल)	51.45	4.69	1.36

अनुलग्नक - 5.21 पैरा संख्या 5.5.7]

## मार्च 2015 तक एल एफ और एस यू सी पर ब्याज दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 15 तक) दर @ (पी एल आर+2)%	96		84		72		60		कुल
			14.25		14.25		14.25		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	5.2.2 अ	आर सी आई एल/वितरकों को भुगतान दिए गये कमीशन/छूट को शामिल न करना (₹ 1170.51 करोड़)	383973458	104116819	344938347	103517450	278564835	81376198	466050077	134949893	1897487077
2	5.2.2 ब	एण्ड यूजर्स राजस्व (₹1007.87 करोड़) के सकल मूल्य पर विचार न करना	213728207	57953748	348456260	104573191	482804694	141040093	247631058	71704279	1667891532
3	5.2.2 स	सी आर बी टी राजस्व को शामिल न करना (₹ 540.84 करोड़)	55639399	15086973	193385985	58035948	221374055	64669250	184059629	53296477	845547717
4	5.2.2 द	आर सी आई एल द्वारा सिम कार्डों की बिक्री के कारण राजस्व की बुकिंग (₹ 103.17 करोड़)	-	-	-	-	43597994	12411749	60329942	17301268	133640953
5	5.2.2 ध	आर सी आई एल द्वारा हैंडसेटों की बिक्री में राजस्व की बुकिंग (₹ 2523.95 करोड़)	3605895701	977761311	920520881	276252192	47479205	13873654	25253354	7334390	5874370688
6	5.2.2 न	आर सी आई एल द्वारा फिक्सड वायरलेस फोन/टर्मिनल (एफ डब्ल्यू पी/टी) के संबंध में नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट चार्ज की बुकिंग (₹ 248.29 करोड़)	174920292	47430738	101875273	30573198	72525877	21192414	29272184	8501588	486291563
7	5.2.3	छोड़े गये कमीशन को शामिल न करना (₹ 1.11 करोड़)	-	-	-	-	224727	68766	757937	255323	1306753
8	5.2.4	व्यय के साथ राजस्व को छोड़ देना (₹ 4.50 करोड़)	622931	164522	1954183	582756	1904397	554831	1332563	375083	7491266
9	5.2.5	प्रोपेड उत्पादों की बिक्री पर वितरकों/डीलरों फ्रेचाइजी दी गई रियायत को छोड़ देना (₹ 392.99 करोड़)	68921481	39965133	80759500	52345659	102486824	54828300	98471327	48694658	546472882
10	5.2.6	वितरकों को वितरित एफ ओ सी (फ्री ऑफ चार्ज) रिचार्ज वाउचरों को शामिल न करना (₹ 87.32 करोड़)	29610513	18288697	30599912	17983993	32947610	14234113	266989	113727	144045554
11	5.3.1	फोरेक्स लाभ (आर सी एल एवं आर टी एल) को विचार न करना	160680744	34663932	289093020	84222844	458569424	108046001	477887362	120156679	1733320008
12	5.3.2	ब्याज आय (आर सी एल एवं आर टी एल) एवं अन्य आय पर विचार न करना	199173361	42874898	-	-	1030181197	355753908	657997482	195818703	2481799548
13	5.3.4	वर्ष 2008-09 में लिए आर टी एल में सकल राजस्व में 'नॉन-ट्रेड इनवेस्टमेंट से आय' पर विचार न करने के कारण सामने आये ₹ 134.44 करोड़ तक के राजस्व को छोड़ देना	-	-	-	-	97813661	52758759	-	-	185860261
14	5.4.1	एस यू सी के लिये बैंडविड्थ चार्ज की बिक्री/लीज से प्राप्त राजस्व पर विचार न करना (₹ 1588.17 करोड़)	-	113998878	-	165901870	-	190406653	-	110335835	580643235

Contd.....

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 15 तक) दर/(पी एल आर+2)%	96		84		72		60		कुल
			14.25		14.25		14.25		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
15	5.4.2	मामले	-	19833040	-	-	-	-	-	-	19833040
16	5.5.1	एस यू सी के लिये निवेश से प्राप्त आय पर विचार न करना (₹ 52.77 करोड़)	-	-	-	-	3740928434	1090040623	-	-	4830969058
17	5.5.2	आर सी एल द्वारा आर टी आई एल को निश्चिन्त अवसरचना (पेरिसिव इंफ्रास्ट्रक्चर) में हस्तांतरण के परिणामस्वरूप निवेश में पुनर्मुल्यांकन पर ₹ 126.72 करोड़ की प्राप्ति को शामिल न करना	-	196035267	58393172	-	-	-	-	-	254428439
18	5.5.2	राजस्व साझेदारी की गणना करने के लिए आर टी एल की निश्चिन्त अवसरचना परिसमिति (पेरिसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स) में हस्तांतरण से ₹ 321.56 करोड़ की प्राप्ति को शामिल न करना	-	298701292	198777248	-	-	-	-	-	497478539
19	5.6	सेवाकर की पुनर् अदायगी	-	-	-	-	-	-	46003750	13320899	59324649
		<b>कुल</b>	<b>4893166086</b>	<b>1472138690</b>	<b>1151159520</b>	<b>6611402936</b>	<b>2201255313</b>	<b>2295313652</b>	<b>782158802</b>	<b>22212914919</b>	

अर्थात् ₹ 2,221.29 करोड़

अनुलग्नक - 6.01 [पैरा संख्या 6.2.1 (ए)]  
रियायतों/छूटों पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	87399849	6991988	3801893	375255217	37525522	16323602	249884759	24988476	10869987
दिल्ली	328257598	32825760	13950948	315345269	31534527	13402174	-	-	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-	-	-	41691472	4169147	1396664	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	4082498	244950	95939	21752565	1305154	511185	9029644	541779	212197
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33246288	3324629	1080504
केरल	-	-	-	194377924	11662675	8455440	534522097	42761768	23251711	606695974	48535678	26391275
महाराष्ट्र	-	-	-	218816513	17505321	9518518	618981289	61898129	26925686	609574040	60957404	26516471
मध्यप्रदेश	-	-	-	94429639	5665778	4107689	239401369	19152110	10413960	521038364	41683069	22665169
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	1849069	184907	41604	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18702765	1122166	439515
राजस्थान	-	-	-	115072223	9205778	3854919	178849505	14307960	5991458	10523005	8425840	3528321
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	79679827	4780790	3466072	120258712	7215523	5231254	483341169	38667294	21025341	448415314	35873225	19506066
कुल यू ए एस एल	407937425	37606549	17417020	1149782627	90026540	48467827	2495643752	219971990	105881212	2601910154	225452266	111209504

छूट

(राशि ₹ में)

जारी.....

अनुलग्नक - 6.01 पैरा संख्या 6.2.1 (ए)]

मार्जिनलकमीशन

सेवायें/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	-	-	-	3523077	352308	153254
केरल	18578175	1114691	808151	-	-	-	64606289	5168503	2810374
मध्यप्रदेश	-	-	-	133008357	10640669	5785864	111999946	8959996	4871998
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>18578175</b>	<b>1114691</b>	<b>808151</b>	<b>133008357</b>	<b>10640669</b>	<b>5785864</b>	<b>180129312</b>	<b>14480807</b>	<b>7835625</b>

(राशि ₹ में)

(₹ करोड़ में)

जी आर / ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
698.70	59.93	29.74

अनुलग्नक - 6.02 पैरा संख्या 6.2.1 (बी)]  
 उपयोग न किये गये एअर टाइम/मुफ्त टॉक टाइम को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	3144870	251590	136802	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	12097310	1209731	514136	-	-	-
गुजरात	86296437	6903715	2890931	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	418496472	25109788	14019632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
केरल	-	-	-	2306896	138414	100350	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	81905528	6552442	3562890	-	-	-	482933351	48293335	21007601
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67580183	6758018	1520554
राजस्थान	22944129	1835530	768628	50872339	4069787	1704223	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1383814	138381	32520
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	15202810	1216225	509294	63711153	5096892	2134324	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	77365738	4641944	3365410	205086100	12305166	8921245	209537342	16762987	9114874	222767610	17821409	9690391
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>620305586</b>	<b>39707202</b>	<b>21553895</b>	<b>407026886</b>	<b>28414291</b>	<b>16559834</b>	<b>221634652</b>	<b>17972718</b>	<b>9629010</b>	<b>774664958</b>	<b>73011143</b>	<b>32251066</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर / ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
202.36	15.91	8.00



अनुलग्नक - 6.03 [पैरा संख्या 6.2.1 (बी)]  
 मुफ्त एस एम एस/मुफ्त सिम पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2008-09		
	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	36141099	3614110	1572138
मध्यप्रदेश	10082230	604934	379092	-	-	-
कुल यू ए एस एल	10082230	604934	379092	36141099	3614110	1572138

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
4.62	0.42	0.20

अनुलग्नक - 6.04 [पैरा 6.2.1 (बी)]  
 बोनास एआर टाइमप्रोमोशनल टाक टाइम को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर / ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	245744485	19659559	10689885	54508287	4360663	2371110	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	12858966	1285897	546506	203284922	20328492	8639609	42354233	4235423	1800055
गुजरात	104296829	8343746	3493944	116150689	9292055	3891048	138695857	13869586	4646311	80459750	8045975	2695402
हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11569333	925547	387573
केरल	-	-	-	38612	2317	1680	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	643581651	64358165	27995802	395364239	39536424	17198344
मध्यप्रदेश	-	-	-	-	-	-	139195078	11135606	6054986	76756296	6140504	3338899
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	33537949	3353795	754604	54454894	5445489	1225235
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209642	16771	9119
राजस्थान	-	-	-	56551443	4524115	1894473	284291419	22743314	9523763	513455411	41076433	17200756
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33397	3340	785
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	478140	28688	20799	1692674	101560	73631	-	-	-	231744873	18539590	10080902
कुल यू ए एस एल	350519454	28031993	14204628	241800671	19566607	8778448	1442586876	135788958	57615075	1406402068	123965496	53937070

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
344.13	30.74	13.45

अनुलग्नक - 6.05 [पैरा संख्या 6.2.1 (बी)]  
प्रशासन फीस को हटाने से एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	8660572	692846	376735	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	2789619	278962	118559
गुजरात	-	-	-	-	-	-	1390645	139065	46587
केरल	53213766	3192826	2314799	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	4836400	386912	210383	-	-	-
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>53213766</b>	<b>3192826</b>	<b>2314799</b>	<b>13496972</b>	<b>1079758</b>	<b>587118</b>	<b>4180264</b>	<b>418027</b>	<b>165146</b>

(राशि ₹ में)

(₹ in crore)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
7.09	0.47	0.31

पी सी ओ-मुफ्त प्रोमोशनल एअर टाइम/रिचार्ज फीस/एक्टीवेशन प्रभार को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

अनुलग्नक - 6.06 [पैरा संख्या 6.2.1 (बी)]

सेवायें/एल एस ए	2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	328884422	32888442	14306472
कर्नाटक	-	-	-	2185000	218500	71013
केरल	125395577	10031646	5454708	162023297	12961864	7048013
महाराष्ट्र	-	-	-	16603597	1660360	722256
मध्यप्रदेश	-	-	-	3106464	248517	135131
मुम्बई	81748244	8174824	1839335	255891444	25589144	5757557
राजस्थान	-	-	-	49597178	3967774	1661505
तमिलनाडु	-	-	-	39423445	3942345	926451
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	-	-	14429641	1154371	627689
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>207143821</b>	<b>18206470</b>	<b>7294043</b>	<b>872144488</b>	<b>82631317</b>	<b>31256087</b>

(राशि ₹ में)

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
107.93	10.08	3.86

अनुलग्नक - 6.07 [पैरा संख्या 6.2.2]  
पोस्टपेड प्रमोशनल रियायतों को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/ एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	52151472	4172118	2268589	42931440	3434515	1867518	65176871	6517687	2835194	101855623	10185562	4430720
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87348	5241	2053
बिहार (एबीटीएल)	-	-	-	-	-	-	118769	7126	2791	1327509	79651	31196
दिल्ली	56949588	5694959	2420357	47843832	4784383	2033363	68989362	6898936	2932048	111527808	11152781	4739932
गुजरात	53759300	4300744	1800937	38521626	3081730	1290474	53057330	5305733	1777421	88287664	8828766	2957637
हरियाणा	13193984	791639	441998	9885223	593113	331155	13907164	1112573	465890	25518159	2041453	854858
हिमाचल प्रदेश	79911	4795	1878	51479	3089	1210	101769	6106	2392	268358	16101	6306
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1313371	78802	30864
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2116494	211649	68786
केरल	34925327	2095520	1519252	27402046	1644123	1191989	41130977	3290478	1789197	75459673	6036774	3282496
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325687	32569	7328
महाराष्ट्र	104993058	8399445	4567198	90632838	7250627	3942528	141126725	14112673	6139013	238149762	23814976	10359515
मध्यप्रदेश	24856200	1491372	934593	22115599	1326936	962029	33460091	2676807	1455514	55112572	4409006	2397397
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	5683053	568305	127869	21026108	2102611	473087
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23025	1382	541
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291212	17473	6843
पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10967009	877361	477065
राजस्थान	1994334	159547	66810	4435192	354815	148579	5259642	420771	176198	9455328	756426	316753
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2330509	233051	54767
उत्तर प्रदेश पूर्व	572245	45780	19170	1993831	159506	66793	4050276	324022	135684	9075716	726057	304036
उत्तर प्रदेश पश्चिम	41885882	2513153	1822036	35750874	2145052	1555163	47387871	3791030	2061372	86946909	6955753	3782191
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81070	6486	1905
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>385361301</b>	<b>29669072</b>	<b>15862818</b>	<b>321563980</b>	<b>24777889</b>	<b>13390801</b>	<b>479449900</b>	<b>45032247</b>	<b>19900583</b>	<b>841546914</b>	<b>78569931</b>	<b>34586276</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	202.79	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
		17.80	8.37

अनुलग्नक - 6.08 पैरा संख्या 6.2.3]  
रोमिंग रियायतों को अनियमित तरीके से घटाये जाने पर विचार न करने के कारण एल एफ एस यू सी पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10			(राशि ₹ में)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
आन्ध्रप्रदेश	786606	62928	34217	815204	81520	35461	16404283	1640428	713586	
दिल्ली	7245656	724566	307940	46441300	4644130	1973755	71620544	7162054	3043873	
गुजरात	-	-	-	498836	49884	16711	5810840	581084	194663	
हरियाणा	1191473	71488	39914	-	-	-	708665	56693	23740	
हिमाचल प्रदेश	560737	33644	13177	-	-	-	-	-	-	
केरल	450174	27010	19583	491842	39347	21395	-	-	-	
महाराष्ट्र	192966	15437	8394	778741	77874	33875	63882743	6388274	2778899	
मध्यप्रदेश	438467	26308	19073	15845440	1267635	689277	-	-	-	
मुंबई	-	-	-	454424	45442	10225	-	-	-	
पंजाब	-	-	-	-	-	-	30196298	2415704	1313539	
राजस्थान	157376	12590	5272	-	-	-	-	-	-	
उत्तर प्रदेश पूर्व	75644	6052	2534	189414	15153	6345	17761563	1420925	595012	
उत्तर प्रदेश पश्चिम	432179	25931	18800	-	-	-	3968884	317511	172646	
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>11531278</b>	<b>1005954</b>	<b>468904</b>	<b>65515201</b>	<b>6220985</b>	<b>2787044</b>	<b>210353820</b>	<b>19982673</b>	<b>8835958</b>	

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
28.74	2.72	1.21

अनुलग्नक - 6.09 पैरा संख्या 6.2.4)  
 अवसरचना साझेदारी से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एक एस यू सी पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	22326758	1786141	971214	80015801	6401264	3480087	7642660	3324557	10371407	1037141	451156	
दिल्ली	45888136	4588814	1950246	51716613	5171661	2197956	12956721	5506607	619907	61991	26346	
गुजरात	43261023	3460882	1449244	73924035	5913923	2476455	13374581	4480485	2338516	233852	78340	
हरियाणा	20793281	1247597	696575	60662637	3639758	2032198	5655627	2368294	2427828	194226	81332	
हिमाचल प्रदेश	1029157	61749	24185	5062105	303726	118959	1476767	578400	36974315	2218459	868896	
केरल	44019678	2641181	1914856	89659302	5379558	3900180	18451114	10032793	10138352	811068	441018	
महाराष्ट्र	74777191	5982175	3252808	191117207	15289377	8313599	355896278	15481488	50466898	50466899	21953101	
मध्यप्रदेश	11795142	707709	443497	47608182	2856491	2070956	9925856	5397184	228107572	18248606	9922679	
मुंबई	-	-	-	-	-	-	15577451	350493	-	-	-	
राजस्थान	1538102	123048	51526	15056656	1204532	504398	4622411	1935635	22259694	1780776	745700	
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	7336525	586922	245774	47796990	3823759	1350699	108056	45248	
उत्तर प्रदेश पश्चिम	44842591	2690555	1950653	69289603	4157376	3014098	11830667	6432925	7803440	624275	339450	
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>310271059</b>	<b>23289851</b>	<b>12704804</b>	<b>691448666</b>	<b>50904588</b>	<b>28355260</b>	<b>1414694069</b>	<b>57490060</b>	<b>827060718</b>	<b>75785349</b>	<b>34953266</b>	

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	324.35	एल एक पर प्रभाव	27.69	एस यू सी पर प्रभाव	13.35
---------------------------	--------	-----------------	-------	--------------------	-------

अनुलग्नक - 6.10 [पैरा संख्या 6.2.5]

स्वीच शेयरिंग साझेदारी राजस्व का एन एल डी द्वारा किये गये भुगतान को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें / एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	4020242	321619	174881	31449529	2515962	1368055	68619813	6861981	2984962	64515226	6451523	2806412
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478738	28724	11250
बिहार (एबीटीएल)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2647272	158836	62211
दिल्ली	15517331	1551733	659487	94701422	9470142	4024810	193145703	19314570	8208692	264378149	26437815	11236071
गुजरात	8207164	656573	274940	55368608	4429489	1854848	105907357	10590736	3547896	141896686	14189669	4753539
हरियाणा	3725132	223508	124792	26439151	1586349	885712	58969750	4717580	1975487	71807840	5744627	2405563
हिमाचल प्रदेश	247162	14830	5808	2996535	179792	70419	10147171	608830	238459	20196683	1211801	474622
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453092	27186	10648
कर्नाटक (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2097880	209788	68181
केरल	-	-	-	-	-	-	44622468	3569797	1941077	39527030	3162162	1719426
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2222372	222237	50003
महाराष्ट्र	11195130	895610	486988	71889750	5751180	3127204	127837129	12783713	5560915	132007813	13200781	5742340
मध्यप्रदेश	6325191	379511	237827	40357554	2421453	1755554	83187474	6654998	3618655	97726297	7818104	4251094
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	35632741	3563274	801737	125532511	12553251	2824481
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105319	6319	2475
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6242034	374522	146688
पंजाब (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2985988	238879	129890
राजस्थान	1557908	124633	52190	17832718	1426617	597396	34643970	2771518	1160573	54197401	4335792	1815613
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8806420	880642	206951
उत्तर प्रदेश पूर्व	897874	71830	30079	17033659	1362693	570628	38949691	3115975	1304815	53540640	4283251	1793611
उत्तर प्रदेश पश्चिम	6106878	366413	265649	38626806	2317608	1680266	75999441	6079955	3305976	100212695	8017016	4359252
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1004306	80344	23601
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>57800012</b>	<b>4606260</b>	<b>2312641</b>	<b>396695732</b>	<b>31461285</b>	<b>15934892</b>	<b>877662708</b>	<b>80632927</b>	<b>34649244</b>	<b>1192582392</b>	<b>109633269</b>	<b>44893922</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
252.47	22.63	9.78

अनुलग्नक - 6.11 पैरा संख्या 6.2.7] विदेशी विनिमय परिवर्तन से लाभ पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	914290	73143	39772	1249861	99989	54369	-	-	-	33135884	3313588	1441411
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177582	10655	4173
बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49401385	2964083	1160933
दिल्ली	-	-	-	61004407	6100441	2592687	5885139	588514	250118	48457809	4845781	2059457
गुजरात	-	-	-	13179570	1054366	441516	-	-	-	4649718	464972	155766
हरियाणा	8836	530	296	-	-	-	3592065	287365	120334	11507113	920569	385488
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161028	9662	3784
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1273489	76409	29927
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12322131	1232213	400469
केरल	30727	1844	1337	32371323	1942279	1084439	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	42289410	3383153	1839589	-	-	-	35154361	3515436	1529215
मध्यप्रदेश	-	-	-	42790503	2567430	1861387	-	-	-	2556341	204507	111201
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	91874	9187	2067	4122589	412259	92758
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113665	6820	2671
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8360143	501609	196463
राजस्थान	-	-	-	31200062	2496005	1045202	-	-	-	912260	72981	30561
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11501844	1150184	270293
उत्तर प्रदेश पूर्व	-	-	-	40209002	3216720	1347002	2681816	214545	89841	15357728	1228618	514484
उत्तर प्रदेश पश्चिम	554479	33269	24120	-	-	-	-	-	-	18572000	1485760	807882
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>1508332</b>	<b>108786</b>	<b>65525</b>	<b>264294138</b>	<b>20860383</b>	<b>10266191</b>	<b>12250894</b>	<b>1099611</b>	<b>462360</b>	<b>257737070</b>	<b>22416106</b>	<b>9196936</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	53.58	एल एफ पर प्रभाव	4.45	एस यू सी पर प्रभाव	2.00
---------------------------	-------	-----------------	------	--------------------	------

अनुलग्नक - 6.12 [पैरा संख्या 6.3.1]  
ब्याज आय को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव  
(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10		
	कुल ब्याज	एल एफ	एस यू सी	कुल ब्याज	एल एफ	एस यू सी	कुल ब्याज	एल एफ	एस यू सी
आन्ध्रप्रदेश	-	-	-	-	-	-	427424	25646	10045
असम	-	-	-	104870000	6292200	2464445	410968638	24658221	9657803
बिहार (एबीटीएल)	91614240	9161424	3893605	197560931	19756093	8396340	134499478	13450466	5716448
दिल्ली	84893651	6791492	2843937	212951038	21295104	7133860	160239610	16024584	5368236
गुजरात	33610419	2016625	1125949	90304696	7224376	3025207	66427663	5314420	2225413
हरियाणा	1855576	111335	43606	7985242	479115	187653	7656901	459432	179944
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	454228	27255	10675
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	6502823	650308	211350
कर्नाटक (स्पाइस)	85207459	5112448	3706524	260979773	20878382	11352620	203758010	16301275	8863818
केरल	-	-	-	-	-	-	2129540	212962	47917
कोलकाता	174678091	11454921	7598497	448382564	35578123	19504642	340905476	23433058	14829965
महाराष्ट्र	93801199	5628072	4080352	246915947	19753276	10740844	195045572	15604252	8484812
मध्यप्रदेश	-	-	-	21531117	21531112	484450	54401753	5440387	1224087
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	75775	4547	1781
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	5755927	345369	135270
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	11174475	893990	486107
पंजाब (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	48449616	3876120	1623125
राजस्थान	20588188	1647055	689704	60782073	4862566	2036199	7994556	799487	187879
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	83669362	6693809	2803033
उत्तर प्रदेश पूर्व	21071782	1685743	705905	83958929	6716714	2812624	179718454	14378036	7818057
उत्तर प्रदेश पश्चिम	84097764	5045866	3658253	224916191	17993295	9783854	1898789	151909	44623
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	2140424445	170573420	79425519
कुल यू ए एस एल	807524156	57943444	33396934	2280890750	194957581	91831961	2140424445	170573420	79425519
एन एल डी	41988772	2519326	-	154335587	9260133	-	175602528	10536562	-
आई एल डी	-	-	-	-	-	-	2037468	122253	-
कुल योग	849512928	60462770	33396934	2435226337	204217714	91831961	2318064441	181232235	79425519

(₹ करोड़ में)

सेवायें	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
यू ए एस एल	522.89	42.35	20.47
एन एल डी	37.19	2.23	-
आई एल डी	0.20	0.01	-
कुल	560.28	44.59	20.47



अनुलग्नक - 6.13 पैरा संख्या 6.3.2] निवेश बिक्री पर लाभ को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल	431792260						878708917		
आन्ध्रप्रदेश	58957696	4716616	2564660	305870650	30587065	13305373	98455230	9845523	4282803
असम	-	-	-	-	-	-	190380	11423	4474
बिहार, एबीटीएलडू	-	-	-	450337000	27020220	10582920	19776882	1186613	464757
दिल्ली	46585814	4658581	1979897	188957567	18895757	8030697	60106550	6010655	2554528
गुजरात	43159034	3452723	1445828	203673139	20367314	6823050	72256206	7225621	2420583
हरियाणा	17095727	1025744	572707	85224900	6817992	2855034	29963530	2397082	1003778
हिमाचल प्रदेश	943827	56630	22180	7638574	458314	179506	3453799	207228	81164
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	196975	11818	4629
कर्नाटक, स्पाइसडू	-	-	-	-	-	-	2933229	293323	95330
केरल	43335810	2600149	1885108	249632797	19970624	10859027	91906743	7352539	3997943
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	958178	95818	21559
मध्यप्रदेश	47632911	2857975	2072032	236074750	18885980	10269252	87914970	7033198	3824301
महाराष्ट्र	88800959	7104077	3862842	428728358	42872836	18649684	153661141	15366114	6684260
मुंबई	-	-	-	20585819	2058582	463181	24498700	2449870	551221
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	34180	2051	803
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	2596326	155780	61014
पंजाब (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	4601150	368092	200150
राजस्थान	10465536	837243	350595	58121075	4649686	1947056	21834830	1746786	731467
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	3597977	359798	84552
उत्तर प्रदेश पूर्व	10718028	857442	359054	80301085	6424087	2690086	37724583	3017967	1263774
उत्तर प्रदेश पश्चिम	42739595	2564376	1859172	215034679	17202774	9354009	81062787	6485023	3526231
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	856487	68519	20127
कुल यू ए एस एल	410434937	30731554	16974074	2530180393	216211231	96008874	798580834	71690840	31879448
एन एल डी	21357323	1281439	-	147635323	8858119	-	79209042	4752543	-
आई एल डी	-	-	-	-	-	-	919041	55142	-
कुल योग	431792260	32012993	16974074	2677815716	225069350	96008874	878708917	76498525	31879448

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ	एस यू सी
कुल यू ए एस एल	373.92	31.86	14.49
एन एल डी	24.82	1.49	-
आई एल डी	0.09	0.01	-
कुल योग	398.83	33.36	14.49

अनुलग्नक - 6.14 पैरा संख्या 6.3.3] (राशि ₹ में)  
**विविध आय पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव**

सेवायें/एल एस ए	2007-08				2008-09			
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
आन्ध्रप्रदेश								
दिल्ली	1246614	124661	52981	3423454	342345	145497		
गुजरात	10825291	866023	362647	9154854	915485	306688		
हरियाणा	2266746	136005	75936	2436681	194934	81629		
हिमाचल प्रदेश	163430	9806	3841	350404	21024	8235		
केरल	5818319	349099	253097	6932579	554606	301567		
मध्यप्रदेश	554830	33290	24135	5473452	437876	238095		
महाराष्ट्र	4485443	358835	195117	9108022	910802	396199		
मुम्बई	-	-	-	573120	57312	12895		
राजस्थान	1119796	89584	37513	3128923	250314	104819		
उत्तर प्रदेश पूर्व	1012564	81005	33921	2072793	165823	69439		
उत्तर प्रदेश पश्चिम	869635	52178	37829	4890972	391278	212757		
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>29052554</b>	<b>2155677</b>	<b>1107027</b>	<b>53149220</b>	<b>4802197</b>	<b>2121592</b>		
<b>एन एल डी</b>	<b>29801</b>	<b>1788</b>	<b>-</b>	<b>1065035</b>	<b>63902</b>	<b>-</b>		
<b>कुल योग</b>	<b>29082355</b>	<b>2157465</b>	<b>1107027</b>	<b>54214255</b>	<b>4866099</b>	<b>2121592</b>		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	8.22	0.69	0.32
एन एल डी	0.11	0.01	-
<b>कुल योग</b>	<b>8.33</b>	<b>0.70</b>	<b>0.32</b>

अनुलग्नक - 6.15 पैरा संख्या 6.3.4  
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	1221601	97728	53140	263693	21095	11471	120672956	12067296	5249274	685070	68507	29801
असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	9	3
बिहार	-	-	-	-	-	-	1178000	70680	27683	(424920)	-	-
दिल्ली	213493	21349	9073	1174525	117452	49917	1060359	106036	45065	2335830	233583	99273
गुजरात	22938	1835	768	321985	25759	10786	3001945	300194	100565	825094	82509	27641
हरियाणा	52658	3159	1764	12670	760	424	1719183	137535	57593	572847	45828	19190
हिमाचल प्रदेश	2907	174	68	699	42	16	40823	2449	959	2633	158	62
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	9	4
कर्नाटक (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2237	224	73
केरल	193482	11609	8416	1762116	105727	76652	5686897	454952	247380	450077	36006	19578
कोलकाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731	73	16
मध्यप्रदेश	536718	32203	20181	1185301	71118	51561	1045436	83635	45476	1847034	147763	80346
महाराष्ट्र	853523	68282	37128	65810	5265	2863	2026193	202619	88139	7164	716	312
मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68680	6868	1545
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	2	1
उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1980	119	47
पंजाब (स्पाइस)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173508	13881	7548
राजस्थान	32236	2579	1080	(42244)	-	-	(163738)	-	-	556649	44532	18648
तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232743	23274	5469
उत्तर प्रदेश पूर्व	33014	2641	1106	7943	635	266	8652	692	290	148764	11901	4984
उत्तर प्रदेश पश्चिम	1611646	96699	70107	2591674	155500	112738	(416831)	-	-	4511809	360945	196264
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653	52	15
कुल यू ए एस एल	4774215	338259	202832	7386416	503355	316695	136442662	13426088	5862425	12423825	1076958	510818
एन एल डी	65785	3947	0	15828	950	0	15907	954	0	60395	3624	0
कुल	4840000	342206	202832	7402244	504304	316695	136458569	13427043	5862425	12484920	1080582	510818

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल	16.10	1.54	0.69
एन एल डी	0.02	0.00	-
कुल	16.12	1.54	0.69

टिप्पणी: जी आर/ए जी आर की गणना में नकारात्मक आंकड़ों को शामिल नहीं किया गया।

अनुलग्नक – 6.16 [पैरा संख्या 6.4.1]

जी आर से अप्राप्य ऋण को बट्टे खाते में डालने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवार्ये/एल एस ए	2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	382398930	38239893	16634353
दिल्ली	171652171	17165217	7295217
गुजरात	417361535	41736154	13981611
हरियाणा	20911877	1672950	700548
केरल	21490876	1719270	934853
महाराष्ट्र	584077440	58407744	25407369
मध्यप्रदेश	67889501	5431160	2953193
उत्तर प्रदेश पश्चिम	56031875	4482550	2437387
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>1721814205</b>	<b>168854938</b>	<b>70344531</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
<b>172.18</b>	<b>16.89</b>	<b>7.03</b>

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2015 तक) दर / (पी एल आर+2) %	मार्च 2015 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाने वाली विवरणी												कुल
			96			84			72			60			
			14.25			14.25			14.25			13.75			
			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			कुल
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	6.2.1(ए)	शामिल न की गई रियायतें/मार्जिन	79193393	36677466	83552746	308919705	149584850	235369240	116780740	116461949					
2	6.2.1(बी)	शामिल न की गई मुफ्त एअर टाईम	83617035	45389064	48179502	28078990	12898646	71622379	31637609	345498776					
3	6.2.1(बी)	शामिल न की गई मुफ्त सिम/मुफ्त एस एम एस	1273894	798307	-	-	2105974	-	9019496						
4	6.2.1(बी)	शामिल न की गई मुफ्त टाक टाईम	59030908	29912681	33177297	14884809	77178902	121607515	52911118	570600811					
5	6.2.1(बी)	शामिल न की गई राजस्व से व्यय/प्रशासन फीस का समायोजन	6723582	4874597	1830846	995523	221222	0	15205742						
6	6.2.1(बी)	पी सी ओ प्रोत्साहन	-	-	-	-	24388677	81059564	145880615						
7	6.2.2	प्रमोशनल रियायतें पोस्ट.पेड	62478328	33404566	42013593	22705551	60323440	77075430	358587672						
8	6.2.3	घटाई गई रियायतें	0	0	1705705	795080	8333390	3733417	42838058						
9	6.2.4	शामिल न की गई संरचना राजस्व	49044710	26754291	86314233	48079408	170000377	74343814	565836683						
10	6.2.5	शामिल न की गई एन एल डी स्विच राजस्व	9700049	4870051	53346011	27019330	108012720	107547906	400950822						
11	6.2.6	शामिल न की गई आई आर यू राजस्व	-	-	-	-	-	664678	664678						
12	6.2.7	शामिल न की गई विदेशी मुद्रा लाम	229086	137983	35371034	17407437	1472997	21989724	86249621						
13	6.3.1	शामिल न की गई ब्याज आय (आई सी एल)	-	-	102521161	56628113	265133283	119713232	799689290						
14	6.3.2	शामिल न की गई ब्याज आय (ए बी टी एल)	-	-	-	-	8428785	3301274	11730059						
15	6.3.3	शामिल न की गई निवेश आय (आई सी एल)	-	-	54281490	28781378	265298876	114433270	569111500						
16	6.3.4	शामिल न की गई निवेश आय (ए बी टी एल)	-	-	-	-	36195231	14176465	50371696						
17	6.4.1	अचल परिसंपत्तियों धन की बिक्री पर लाम (आई सी एल)	720631	427132	855102	536991	17891958	1060069	29809044						
18	6.5.1	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाम (ए बी टी एल)	-	-	-	-	94680	37083	131763						
19	6.4.1	बट्टे खाते डाले गये अप्राप्य ऋण कटौती के रूप में लिये गये	-	-	-	-	-	165643102	234649591						
20	6.5.1	ट्रांसफर इन्काएस्टस	-	-	-	-	-	-	0						
		<b>कुल</b>	<b>352011616</b>	<b>183246139</b>	<b>61790966</b>	<b>331342437</b>	<b>1492301379</b>	<b>668516825</b>	<b>1230409929</b>	<b>540631678</b>	<b>5.416.250.971</b>				

अर्थात् ₹ 541.63 करोड़

अनुलग्नक - 7.01 पैरा संख्या 7.2.1]  
टी टी एस एल द्वारा किए गए कमीशन के भुगतान को विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	198570400	19857040	5857827	188151173	18815117	5550460	189403406	18940341	5587400	246653418	24665342	7276276
असम	-	-	-	-	-	-	900362	54022	22509	5809176	348551	145229
बिहार	37863000	2271780	1022301	51849660	3110980	1399941	61221436	3673286	1652979	86916340	5214980	2346741
चैन्नई	49402200	4940220	1235055	41772666	4177267	1044317	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	198450200	19845020	5556606	200412160	20041216	5611540	218696781	21869678	6123510	242782127	24278213	6797900
गुजरात	100006400	10000640	2700173	80635448	8063545	2177157	69131325	6913133	1866546	76389711	7638971	2062522
हरियाणा	36901400	2952112	922535	40889728	3271178	1022243	44785591	3582847	1119640	61526934	4922155	1538173
हिमाचल प्रदेश	6250400	375024	168761	7513065	450784	202853	6866586	411995	185398	7759825	465590	209515
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	717267	43036	17932	7056620	423397	176416
कर्नाटक	131378600	13137860	3547222	121682714	12168271	3285433	110103776	11010378	2972802	172345971	17234597	4653341
केरल	52527400	4202192	1523295	59487777	4759022	1725146	57638826	4611106	1671526	65957530	5276602	1912768
कोलकाता	61302000	6130200	1716456	58822414	5882241	1647028	58297301	5829730	1632324	68653837	6865384	1922307
मध्यप्रदेश	30771200	2461696	830822	35731173	2858494	964742	34726051	2778084	937603	64233954	5138716	1734317
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	233840	14030	5846	3325480	199529	83137
उड़ीसा	19472400	1168344	525755	23657377	1419443	638749	24797316	1487839	669528	43690173	2621410	1179635
पंजाब	58176800	4654144	1454420	57685053	4614804	1442126	54343454	4347476	1358586	66399680	5311974	1659992
राजस्थान	46156800	3692544	1246234	59735019	4778802	1612846	63644683	5091575	1718406	66653098	5332248	1799634
तमिलनाडु	59979800	5997980	1499495	55928506	5592851	1398213	87530217	8753022	2188255	122824829	12282483	3070621
उत्तर प्रदेश पूर्व	44233600	3538688	1105840	46996486	3759719	1174912	44705926	3576474	1117648	53906691	4312535	1347667
उत्तर प्रदेश पश्चिम	47719400	3817552	1288424	60052175	4804174	1621409	62562521	5005002	1689188	78675046	6294004	2124226
पश्चिम बंगाल	22838000	1827040	662302	26597405	2127792	771325	26793333	2143467	777007	35239559	2819165	1021947
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>1202000000</b>	<b>110870076</b>	<b>32863521</b>	<b>1217600000</b>	<b>110695700</b>	<b>33290438</b>	<b>1217100000</b>	<b>110136520</b>	<b>33314634</b>	<b>1576800000</b>	<b>141645846</b>	<b>43062365</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
521.35	47.33	14.25

अनुलग्नक - 7.02 पैरा संख्या 7.2.2]

## टी टी एस एल के संबंध में हटाई गई छूट पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें / एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	1892324922	189232492	55823585	2055611542	205561154	60640541	2247371964	224737196	66297473	2515920897	251592090	74219666
असम	-	-	-	-	-	-	10414660	624880	260366	118481352	7108881	2962034
बिहार	229070327	13744220	6184899	196930262	11815816	5317117	273790518	16427431	7392344	501516661	30091000	13540950
चैन्नई	420886560	42088656	10522164	332443292	33244329	8311082	402913864	40291386	10072847	-	-	-
दिल्ली	2078428434	207842843	58195996	2897705041	289770504	81135741	3242303702	324230370	90784504	2875323770	287532377	80509066
गुजरात	1040670405	104067040	28098101	754440117	75444012	20369883	789110623	78911062	21305987	922089825	92208983	24896425
हरियाणा	671188239	53695059	16779706	555574022	44445922	13889351	676461441	54116915	16911536	619028391	49522271	15475710
हिमाचल प्रदेश	64040433	3842426	1729092	80531110	4831867	2174340	100692004	6041520	2718684	101279666	6076780	2734551
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	6100914	366055	152523	121046746	7262805	3026169
कर्नाटक	795554105	79555410	21479961	669449844	66944984	18075146	829431146	82943115	22394641	1237680519	123768052	33417374
केरल	257932077	20634566	7480030	207246070	16579686	6010136	223401003	17872080	6478629	33375837	26700467	9678919
कोलकाता	478358115	47835812	13394027	395723329	39572333	11080253	505581993	50558199	14156296	700750230	70075023	19621006
मध्यप्रदेश	341353534	27308283	9216545	229230626	18338450	6189227	222338792	17787103	6003147	245651568	19652125	6632592
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	1917754	115065	47944	61374099	3682446	1534352
उड़ीसा	105137214	6308233	2838705	86736704	5204202	2341891	123440407	7406424	3332891	215694078	12941645	5823740
पंजाब	753595836	60287667	18839896	709894210	56791537	17747355	819985715	65598857	20499643	656945299	52555624	16423632
राजस्थान	459741797	36779344	12413029	512635405	41010832	13841156	679891275	54388488	18356115	661468081	52917446	17859638
तमिलनाडु	296363382	29636338	7409085	272071551	27207155	6801789	271706573	27170657	6792664	1012589630	101258963	25314741
उत्तर प्रदेश पूर्व	388144468	31051557	9703612	282628807	22610305	7065720	284094762	22727581	7102369	379940212	30395217	9498505
उत्तर प्रदेश पश्चिम	529168695	42333496	14287555	428688139	34295051	11574580	563790575	45103246	15222346	570251549	45620124	15396792
पश्चिम बंगाल	119275634	9542051	3458993	89779770	7182382	2603613	125968118	10077449	3653075	211501134	16920091	6133533
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>10921234178</b>	<b>1005785493</b>	<b>297854980</b>	<b>10757319842</b>	<b>1000850520</b>	<b>295168921</b>	<b>12400707803</b>	<b>1147495083</b>	<b>339936024</b>	<b>14062289545</b>	<b>1287882409</b>	<b>384699396</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
4,814.16	444.20	131.77

अनुलग्नक - 7.03 [पैरा संख्या 7.2.2]  
टी टी एम एल के संबंध में हटाई गई कुल छूट पर विचार न करने के कारण एल एफ एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	2770662145	277066215	90877718	3248310423	324831042	106544582	4025364112	402536411	132031943	4717496137	471749614	154733873
कुल यू ए एस एल	2770662145	277066215	90877718	3248310423	324831042	106544582	4025364112	402536411	132031943	4717496137	471749614	154733873

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1,476.18	147.62	48.42



अनुलग्नक - 7.04 पैरा संख्या 7.2.3]

टी टी एस एल के संबंध में हटाये गये समायोजन पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	19231359	1923136	567325	59897666	5989767	1766981	13578412	1357841	400563	28072119	2807212	828128
असम	-	-	-	-	-	-	273660	16420	6842	4491443	269487	112286
बिहार	4548161	272890	122800	4500770	270046	121521	8824596	529476	238264	23289207	1397352	628809
चैन्नई	2827904	282790	70698	2810315	281031	70258	1977517	197752	49438			
दिल्ली	48258747	4825875	1351245	15064390	1506439	421803	16333423	1633342	457336	80164862	8016486	2244616
गुजरात	16968023	1696802	458137	7175902	717590	193749	15256951	1525695	411938	10470270	1047027	282697
हरियाणा	7602742	608219	190069	11765758	941261	294144	10138148	811052	253454	25973653	2077892	649341
हिमाचल प्रदेश	2341093	140466	63210	2357539	141452	63654	2386801	143208	64444	4084378	245063	110278
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	149002	8940	3725	6314411	378865	157860
कर्नाटक	20070469	2007047	541903	5711958	571196	154223	7632283	763228	206072	17911238	1791124	483603
केरल	11538190	923055	334608	17325388	1386031	502436	14654576	1172366	424983	31542314	2523385	914727
कोलकाता	26260139	2626014	735284	49868893	4986889	1396329	51819496	5181950	1450946	34006843	3400684	952192
मध्यप्रदेश	20965202	1677216	566060	17352508	1388201	468518	20467624	1637410	552626	24280249	1942420	655567
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	18535	1112	463	1827633	109658	45691
उड़ीसा	1593962	95638	43037	5643283	338597	152369	7454945	447297	201284	19374873	1162492	523122
पंजाब	20639413	1651153	515985	30102053	2408164	752551	33025995	2642080	825650	44576354	3566108	1114409
राजस्थान	7099323	567946	191682	16716772	1337342	451353	26406163	2112493	712966	52467914	4197433	1416634
तमिलनाडु	2450990	245099	61275	2456364	245636	61409	4377522	437752	109438	16490769	1649077	412269
उत्तर प्रदेश पूर्व	9488074	759046	237202	12435665	994853	310892	13360036	1068803	334001	28078402	2246272	701960
उत्तर प्रदेश पश्चिम	5501693	440135	148546	10940924	875274	295405	11603116	928249	313284	29152758	2332221	787124
पश्चिम बंगाल	2134703	170776	61906	5713963	457117	165705	11246026	899682	326135	19126607	1530129	554672
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>229520185</b>	<b>20913303</b>	<b>6260970</b>	<b>277840111</b>	<b>24836887</b>	<b>7643299</b>	<b>270984827</b>	<b>23516147</b>	<b>7343850</b>	<b>501696297</b>	<b>42690387</b>	<b>13575985</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	128.00	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
		11.20	3.48

अनुलग्नक - 7.05 [पैरा संख्या 7.2.3]  
टी टी एम एल द्वारा राजस्व से हटाये गये एवं ट्रायल बैलेंस में दर्शाये गये समायोजनों पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी
महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	442873296	44287330	14526244	386404624	38640462	12674072	266974624	26697462	8756768	381043420	38104342	12498224
कुल यू ए एस एल	442873296	44287330	14526244	386404624	38640462	12674072	266974624	26697462	8756768	381043420	38104342	12498224

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ	एस यू सी
147.73	14.77	4.85

अनुलग्नक - 7.06 [पैरा संख्या 7.2.4]  
टी टी एस एल द्वारा राजस्व से हटाई गई विविध आय पर विचार न करने के कारण  
एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	765	77	23	103900290	10390029	3065059
असम	704672	42280	17617	536730	32204	13418
बिहार	11053997	663240	298458	53931706	3235902	1456156
दिल्ली	127	13	4	-	-	-
गुजरात	-	-	-	17307330	1730733	467298
हरियाणा	14667375	1173390	366684	69643359	5571468	1741084
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	6359811	381589	171715
कर्नाटक	9048822	904882	244318	138627194	13862719	3742934
केरल	-	-	-	43530205	3482416	1262376
कोलकाता	788	79	22	37722762	3772276	1056237
मध्यप्रदेश	14285144	1142812	385699	124420110	9953609	3359343
उत्तर पूर्व	673752	40425	16844	-	-	-
उड़ीसा	-	-	-	49455315	2967319	1335294
पंजाब	21560126	1724810	539003	58172847	4653828	1454321
राजस्थान	37350884	2988071	1008474	80677016	6454162	2178279
तमिलनाडु	-	-	-	72869644	7286964	1821741
उत्तर प्रदेश पूर्व	17188715	1375097	429718	30273280	2421862	756832
उत्तर प्रदेश पश्चिम	5040019	403202	136081	1021855	81748	27590
पश्चिम बंगाल	-	-	-	28157205	2252576	816559
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>131575187</b>	<b>10458378</b>	<b>3442945</b>	<b>916606660</b>	<b>78531404</b>	<b>24726236</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
104.82	8.90	2.82

अनुलग्नक – 7.07 [पैरा संख्या 7.2.4]

राजस्व से हटाये गये एवं ट्रायल बैलेंस में दर्शाये गये अन्य राजस्व शीर्षों पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी
महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	84986842	8498684	2787568
कुल यू ए एस एल	84986842	8498684	2787568

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ	एस यू सी
8.50	0.85	0.28

अनुलग्नक - 7.08 [पैरा संख्या 7.2.5]

टी टी एस एल द्वारा इन्फ्राशेयरिंग के लिये ओपेक्स प्राप्ति में राजस्व पर विचार न किये जाने के कारण  
एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	15025641	1502564	443256	33014092	3301409	973916
बिहार	2158804	129528	58288	2578639	154718	69623
दिल्ली	30202518	3020252	845671	26755357	2675536	749150
गुजरात	7345586	734559	198331	14029487	1402949	378796
हरियाणा	5969	478	149	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	1233347	74001	33300	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	7806	468	195	366275	21977	9157
कर्नाटक	29263822	2926382	790123	31481393	3148139	849998
केरल	2915	233	85	-	-	-
कोलकाता	12093	1209	339	-	-	-
मध्यप्रदेश	-	-	-	11454799	916384	309280
उड़ीसा	4113840	246830	111074	4756591	285395	128428
पंजाब	3352283	268183	83807	498292	39863	12457
राजस्थान	146330	11706	3951	-	-	-
तमिलनाडु	3735225	373523	93381	13363178	1336318	334079
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>96606179</b>	<b>9289916</b>	<b>2661949</b>	<b>138298103</b>	<b>13282688</b>	<b>3814884</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
23.49	2.26	0.65

अनुलग्नक - 7.09 पैरा संख्या 7.2.6]  
 वसूला गया निवल फोरेक्स लाभ जिसे 2006-07 से 2009-10 के दौरान टी टी एस एल के सकल राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	835708	83570.82	24653	102800184	102800018	3032605	304587030	30458703	8985317
असम	-	-	-	-	-	-	7173627	430418	179341
बिहार	159351	9561.07	4302	28329107	1699746	764886	107331129	6439868	2897940
चैन्नई	207915	20791.53	5198	22823338	2282334	570583	-	-	-
दिल्ली	835202	83520.23	23386	109499221	10949922	3065978	299806455	29980645	8394581
गुजरात	420889	42088.94	11364	44056801	4405680	1189534	94332020	9433202	2546965
हरियाणा	155304	12424.33	3883	22340927	1787274	558523	75978294	6078264	1899457
हिमाचल प्रदेश	26306	1578.34	710	4104914	246295	110833	9582442	574947	258726
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	8714069	522844	217852
कर्नाटक	552923	55292.32	14929	66483802	6648380	1795063	212826353	21282635	5746312
केरल	221068	17685.45	6411	32502345	2600188	942568	81449542	6515963	2362037
कोलकाता	257997	25799.71	7224	3213881	3213881	899887	84779154	8477915	2373816
मध्यप्रदेश	129504	10360.35	3497	19522446	1561796	527106	79321136	6345691	2141671
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	4106564	246394	102664
उड़ीसा	81952	4917.12	2213	12925685	775541	348993	53952060	3237124	1456706
पंजाब	244844	19587.54	6121	31517391	2521391	787935	81995545	6559644	2049889
राजस्थान	194257	15540.53	5245	32637431	2610994	881211	82308485	6584679	2222329
तमिलनाडु	252432	25243.24	6311	30557666	3055767	763942	151673754	15167375	3791844
उत्तर प्रदेश पूर्व	186163	14893.01	4654	25677477	2054198	641937	66568219	5325458	1664205
उत्तर प्रदेश पश्चिम	200833	16066.64	5422	32810716	2624857	885889	97154132	7772331	2623162
पश्चिम बंगाल	96117	7689.32	2787	14532028	1162562	421429	43516577	3481326	1261981
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>5058766</b>	<b>466610</b>	<b>138310</b>	<b>665260290</b>	<b>60480826</b>	<b>18188901</b>	<b>1947156588</b>	<b>174915425</b>	<b>53176793</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
261.75	23.59	7.15

अनुलग्नक - 7.10 पैरा संख्या 7.2.6]

वसूला गया निवल फोरेक्स लाभ जिसे टी टी एम एल से सकल राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

सेवार्यो/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			(राशि ₹ में)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
महाराष्ट्र (सुम्बई सहित)	87190314	8719031	2859842	220295347	22029535	7225687	115479212	11547921	3787718	169616014	16961601	5563405	
कुल यू ए एस एल	87190314	8719031	2859842	220295347	22029535	7225687	115479212	11547921	3787718	169616014	16961601	5563405	

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
59.26	5.93	1.94

## अनुलग्नक - 7.11 पैरा संख्या 7.3.1]

## टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व पर ब्याज आय पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	66184924	6618492	1952455	25021148	2502115	738124	52684145	5268414	1554182	748624351	74862435	22084418
असम	-	-	-	-	-	-	250443	15027	6261	17631584	1057895	440790
बिहार	12620007	757200	340740	6895190	413711	186170	17029256	1021755	459790	263802095	15828126	7122657
चैन्नई	16466104	1646610	411653	5555108	555511	138878	-	-	-	-	-	0
दिल्ली	66144860	6614486	1852056	26651666	2665167	746247	60832343	6083234	1703306	736874492	73687449	20632486
गुजरात	33332843	3333284	899987	10723247	1072325	289528	19229458	1922946	519195	231852443	23185244	6260016
हरियाणा	12299499	983960	307487	5437691	435015	135942	12457488	996599	311437	186742033	14939363	4668551
हिमाचल प्रदेश	2083303	124998	56249	999119	59947	26976	1909998	114600	51570	23552052	1413123	635905
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	199514	11971	4988	21417736	1285064	535443
कर्नाटक	43789420	4378942	1182314	16181888	1618189	436911	30626288	3062629	826910	523091842	52309184	14123480
केरल	17507755	1400620	507725	7910939	632875	229417	16032723	1282618	464949	200189453	16015156	5805494
कोलकाता	20432392	2043239	572107	7822456	782246	219029	16215883	1621588	454045	208373086	20837309	5834446
मध्यप्रदेश	10256259	820501	276919	4751684	380135	128295	9659342	772747	260802	194958183	15596655	5263871
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	65045	3903	1626	10093252	605595	252331
उड़ीसा	6490289	389417	175238	3146059	188764	84944	6897581	413855	186235	132605207	7956312	3580341
पंजाब	19390740	1551259	484769	7671205	613696	191780	15116087	1209287	377902	201531436	16122515	5038286
राजस्थान	15384389	1230751	415379	7943818	635505	214483	17703302	1416264	477989	202300592	16184047	5462116
तमिलनाडु	19991693	1999169	499792	7437612	743761	185940	24347264	2434726	608682	372788907	37278891	9319723
उत्तर प्रदेश	14743373	1179470	368584	6249794	499983	156245	12435328	994826	310883	163613631	13089090	4090341
उत्तर प्रदेश	15905215	1272417	429441	7985995	638880	215622	17402290	1392183	469862	238788726	19103098	6447296
पश्चिम बंगाल	7612068	608965	220750	3537037	282963	102574	7452790	596223	216131	106956523	8556522	3101739
कुल यू ए एस एल	400635133	36953783	10953645	161921655	14720787	4427105	338546567	30635396	9266745	4785787625	429913074	130699729

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	568.69	एल एफ पर प्रभाव	51.22	एस यू सी पर प्रभाव	15.53
---------------------------	--------	-----------------	-------	--------------------	-------



अनुलग्नक - 7.12 पैरा संख्या 7.3.2]

## टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व पर निवेश बिक्री पर लाभ पर राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	15131763	1513176	446387	495172	49517	14608	1185470090	118547009	34971368	2051707576	205170758	60525374
असम	-	-	-	-	-	-	5635337	338120	140883	48321772	2899306	1208044
बिहार	2885294	173118	77903	136457	8187	3684	383183085	22990985	10345943	722985776	43379147	19520616
चैन्नई	3764621	376462	94116	109936	10994	2748	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	15122603	1512260	423433	527440	52744	14768	1368816422	136881642	38326860	2019505479	201950548	56546153
गुजरात	7620839	762084	205763	212214	21221	5730	432690836	43269084	11682653	635423379	63542338	17156431
हरियाणा	2812016	224961	70300	107613	8609	2690	280311639	22424931	7007791	511792120	40943370	12794803
हिमाचल प्रदेश	4763302	28578	12860	19773	1186	534	42977748	2578665	1160399	64547624	3872857	1742786
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	4489350	269361	112234	58698238	3521894	1467456
कर्नाटक	10011512	1001151	270311	320242	32024	8647	689136145	68913614	18606676	1433604845	143360484	38707331
केरल	4002773	320222	116080	156558	12525	4540	360759640	28860771	10462030	548646616	43891729	15910752
कोलकाता	4671428	467143	130800	154807	15481	4335	364881013	36488101	10216668	571074985	57107499	15990100
मध्यप्रदेश	2344874	187590	63312	94036	7523	2539	217349287	17387943	5868431	534309605	42744768	14426359
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	1463597	87816	36590	27661939	1659716	691548
उड़ीसा	1483865	89032	40064	62261	3736	1681	155205640	9312338	4190552	363422735	21805364	9812414
पंजाब	4433277	354662	110832	151814	12145	3795	340134009	27210721	8503350	552324504	44185960	13808113
राजस्थान	3517311	281385	94967	157209	12577	4245	398550111	31868009	10755453	554432483	44354599	14969677
तमिलनाडु	4570672	457067	114267	147191	14719	3680	547848935	54784893	13696223	1021679063	102167906	25541977
उत्तर प्रदेश पूर्व	3370756	269660	84269	123684	9895	3092	279813013	22385041	6995325	448405566	35872445	11210139
उत्तर प्रदेश	3636386	290911	98182	158044	12644	4267	391576895	31326152	10572576	654433211	52354657	17669697
पश्चिम बंगाल	1740336	139227	50470	69998	5600	2030	167698650	13415892	4863261	293129001	23450320	8500741
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>91596629</b>	<b>8448690</b>	<b>2504316</b>	<b>3204449</b>	<b>291326</b>	<b>87613</b>	<b>7617791443</b>	<b>689341089</b>	<b>208515266</b>	<b>13116106519</b>	<b>1178235666</b>	<b>358200510</b>

(₹ करोड़)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	2,082.87	एल एफ पर प्रभाव	187.63	एस यू सी पर प्रभाव	56.93
---------------------------	----------	-----------------	--------	--------------------	-------

अनुलग्नक - 7.13 [पैरा संख्या 7.3.2]  
टी टी एम एल द्वारा सकल राजस्व पर निवेश बिक्री पर लाभ पर राजस्व पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव  
(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी
महाराष्ट्र (सुम्बई सहित)	4700000	470000	154160	700000	70000	22960	300000	30000	9840	600000	60000	19680
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>4700000</b>	<b>470000</b>	<b>154160</b>	<b>700000</b>	<b>70000</b>	<b>22960</b>	<b>300000</b>	<b>30000</b>	<b>9840</b>	<b>600000</b>	<b>60000</b>	<b>19680</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
0.63	0.06	0.02

अनुलग्नक - 7.14 पैरा संख्या 7.3.3]

## टी टी एस एल द्वारा सकल राजस्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	76958221	7695822	2270268	55413604	5541360	1634701	56061958	5606196	1653828
असम	-	-	-	263418	15805	6585	1320370	79222	33009
बिहार	21207721	1272463	572608	17911507	1074690	483611	19755251	1185315	533392
चैन्नई	17085996	1708600	427150	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	81973251	8197325	2295251	63983943	6398394	1791550	55182051	5518205	1545097
गुजरात	32981780	3298178	890508	20225697	2022570	546094	17362649	1736265	468792
हरियाणा	16724853	1337988	418121	13102885	1048231	327572	13984482	1118759	349612
हिमाचल प्रदेश	3073019	184381	82972	2008952	120537	54242	1763734	105824	47621
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	209850	12591	5246	1603902	96234	40098
कर्नाटक	49771070	4977107	1343819	32212974	3221297	869750	39172588	3917259	1057660
केरल	24331889	1946551	705625	16863346	1349068	489037	14991514	1199321	434754
कोलकाता	24059740	2405974	673673	17055995	1705600	477568	15604359	1560436	436922
मध्यप्रदेश	14614884	1169191	394602	10159773	812782	274314	14599762	1167981	394194
उत्तर पूर्व	-	-	-	68414	4105	1710	755850	45351	18896
उड़ीसा	9676419	580585	261263	7254931	435296	195883	9930358	595821	268120
पंजाब	23594533	1887563	589863	15899221	1271938	397481	15092011	1207361	377300
राजस्थान	24433017	1954641	659691	18620474	1489638	502753	15149610	1211969	409039
तमिलनाडु	22876064	2287606	571902	25608646	2560865	640216	27916907	2791691	697923
उत्तर प्रदेश पूर्व	19222659	1537813	480566	13079577	1046366	326989	12252474	980198	306312
उत्तर प्रदेश पश्चिम	24562741	1965019	663194	18303867	1464309	494204	17882084	1430567	482816
पश्चिम बंगाल	10878960	870317	315490	7838904	627112	227328	8009614	640769	232279
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>498026819</b>	<b>45277125</b>	<b>13616566</b>	<b>356085979</b>	<b>32222554</b>	<b>9746836</b>	<b>358391528</b>	<b>32194743</b>	<b>9787663</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
121.25	10.97	3.32

अनुलग्नक – 7.15 [पैरा संख्या 7.3.3]  
टी टी एम एल द्वारा सकल राजस्व के अन्तर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर विचार न करने के कारण एल एफ पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

2009-10			
सेवायें/एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	354889478	35488948	11640375
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>354889478</b>	<b>35488948</b>	<b>11640375</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
35.49	3.55	1.16

अनुलग्नक - 7.16 [पैरा संख्या 7.4.1]

टी टी एस एल के संबंध में बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण (संबंधित राजस्व से समायोजित)  
पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवार्य/एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	1034024491	103402449	30503722
बिहार	10303059	618184	278183
दिल्ली	633150438	63315044	17728212
गुजरात	192080943	19208094	5186185
हरियाणा	19408344	1552668	485209
हिमाचल प्रदेश	2933027	175982	79192
कर्नाटक	299570488	29957049	8088403
केरल	32454902	2596392	941192
कोलकाता	36034160	3603416	1008956
मध्यप्रदेश	56738984	4539119	1531953
उड़ीसा	7011030	420662	189298
पंजाब	39706081	3176486	992652
राजस्थान	32004900	2560392	864132
तमिलनाडु	252895892	25289589	6322397
उत्तर प्रदेश पूर्व	36797881	2943830	919947
उत्तर प्रदेश पश्चिम	32572636	2605811	879461
पश्चिम बंगाल	5173210	413857	150023
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>2722860466</b>	<b>266379024</b>	<b>76149117</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
272.29	26.64	7.61

अनुलग्नक - 7.17 पैरा संख्या 7.4.2]  
टी टी एस एल द्वारा कटौती के रूप में दावा किये गये एक्सेस प्रमारों में शामिल लीडज लाइन व पोर्ट प्रमारों पर विचार न करने के कारण एल एक और एस यू सी पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	110298762	11029876	3253813	77371506	7737151	2282459	97006576	9700658	2861694	78226722	7822672	2307688
असम	-	-	-	-	-	-	26393590	1583615	659840	44829829	2689790	1120746
बिहार	21304593	1278276	575224	16546212	992773	446748	30279777	1816787	817554	29894223	1793653	807144
चैन्नई	18228451	1822845	455711	18622715	1862272	465568	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	44549989	4454999	1247400	42829439	4282944	1199224	61294685	6129469	1716251	58719493	5871949	1644146
गुजरात	41000795	4100080	1107021	35897125	3589713	969222	66999130	6699913	1808977	42879847	4287985	1157756
हरियाणा	21385356	1710828	534634	11625355	930028	290634	32770949	2621676	819274	22816904	1825352	570423
हिमाचल प्रदेश	15386399	923184	415433	10455269	627316	282292	13420302	805218	362348	6334754	380085	171038
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	3258456	195507	81461	13036799	782208	325920
कर्नाटक	45076854	4507685	1217075	52812858	5281286	1425947	52952460	5295246	1429716	29520053	2952005	797041
केरल	24536853	1962948	711569	21435525	1714842	621630	42540483	3403239	1233674	32895298	2631624	953964
कोलकाता	16706631	1670663	467786	13062021	1306202	365737	31349070	3134907	877774	21371486	2137149	598402
मध्यप्रदेश	18657137	1492571	503743	39192251	3135380	1058191	64456742	5156539	1740332	39091830	3127346	1055479
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	12361590	741695	309040	40007473	2400448	1000187
उड़ीसा	29996260	1799776	809899	25932115	1555927	700167	22827570	1369654	616344	25676346	1540581	693261
पंजाब	26557098	2124568	663927	11569329	925546	289233	45026512	3602121	1125663	27309914	2184793	682748
राजस्थान	25215957	2017277	680831	28330959	2266477	764936	48416823	3873346	1307254	33277275	2662182	898486
तमिलनाडु	29732532	2973253	743313	45268457	4526846	1131711	52905827	5290583	1322646	38762713	3876271	969068
उत्तर प्रदेश पूर्व	21714806	1737184	542870	24658259	1972661	616456	29126178	2330094	728154	24371425	1949714	609286
उत्तर प्रदेश पश्चिम	17867353	1429388	482419	11689601	935168	315619	27071416	2165713	730928	17797919	1423834	480544
पश्चिम बंगाल	54482237	4358579	1579985	34754974	2780398	1007894	39338802	3147104	1140825	22732316	1818585	659237
कुल यू ए एस एल	582698063	51393980	15992653	522053970	46422928	14233670	799796938	69063084	21689750	64952619	54158227	17502564

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	255.41	एल एक पर प्रभाव	22.10	एस यू सी पर प्रभाव	6.94
---------------------------	--------	-----------------	-------	--------------------	------

अनुलग्नक - 7.18 [पैरा संख्या 7.4.2]  
टी टी एम एल द्वारा कटौती के रूप में दावा किये गये एक्सेस प्रमारों में शामिल लीड लाइन व पोर्ट प्रमारों पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

सेवाएँ/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ	एस यू सी
महाराष्ट्र (मुम्बई सहित)	189168368	18916837	6204722	205385522	20538552	6736645	268186848	26818684	8796529	209906596	20990659	6884936
कुल यू ए एस एल	189168368	18916837	6204722	205385522	20538552	6736645	268186848	26818684	8796529	209906596	20990659	6884936

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
87.26	8.73	2.86

टी टी एस एल के द्वारा एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना/बैंडविड्थ लिंक की शेरिंग/लीजिंग से प्राप्त राजस्व पर विचार न करने के कारण एस यू सी पर प्रभाव

अनुलग्नक - 7.19 [पैरा संख्या 7.4.3]

सेवायें/एल एस ए	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		(राशि ₹ में)
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	
आन्ध्रप्रदेश	285478116	8421604	428650588	12645192	284864733	8403510	417656346	12320862	
असम	-	-	-	-	26568	664	1856466	46412	
बिहार	9719778	262434	35444044	956989	33214442	896790	352173245	9508678	
चैन्नई	86380098	2159502	105071621	2626791	-	-	-	-	
दिल्ली	201006556	5628184	102157534	2860411	79196109	2217491	152035594	4256997	
गुजरात	107116212	2892138	165636253	4472179	102483051	2767042	100494399	2713349	
हरियाणा	19495053	487376	45855282	1146382	3774824	94371	17520762	438019	
हिमाचल प्रदेश	1472130	39748	5952486	160717	161452	4359	7009287	189251	
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	1786114	44653	
कर्नाटक	578707480	15625102	777072279	20980952	1014932276	27403171	1081891727	29211077	
केरल	104048131	3017396	93728455	2718125	73240837	2123984	198908984	5768361	
कोलकाता	22089794	618514	18188679	509283	6556473	183581	86016898	2408473	
मध्यप्रदेश	34604054	934309	132584561	3579783	56164676	1516446	285966243	7721089	
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	724319	18108	
उड़ीसा	36994503	998852	35455272	957292	9913940	267676	80407946	2171015	
पंजाब	41666909	1041673	58258140	1456454	39463766	986594	61211186	1530280	
राजस्थान	42061225	1135653	58115073	1569107	27951069	754679	154287440	4165761	
तमिलनाडु	106249362	2656234	109053499	2726337	309627114	7740678	492798497	12319962	
उत्तर प्रदेश पूर्व	23556671	588917	90098734	2252468	31379602	784490	149931134	3748278	
उत्तर प्रदेश पश्चिम	15570329	420399	96937366	2617309	25529957	689309	168493372	4549321	
परियम बंगाल	25503805	739610	25971354	753169	16285473	472279	254241663	7373008	
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>1741720206</b>	<b>47667645</b>	<b>2384231220</b>	<b>64988941</b>	<b>2114766361</b>	<b>57307115</b>	<b>4065411623</b>	<b>110502952</b>	

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	1,030.61
एस यू सी पर प्रभाव	28.05



अनुलग्नक - 7.20 पैरा संख्या 7.4.4]

## टी टी एस एल द्वारा किराये की आय पर विचार न करने के कारण एल एफ और एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्रप्रदेश	5976411	597641	176304	19040406	1904041	561692	18787406	1878741	554228	10582987	1058299	312198
असम	-	-	-	-	-	-	152793	9168	3820	521522	31291	13038
बिहार	434277	26057	11725	1088088	65285	29378	2712367	162742	73234	2454645	147279	66275
चैन्नई	566804	56680	14170	842780	84278	21070	2308499	230850	57712	3078000	307800	76950
दिल्ली	2337841	233784	65460	4086716	408672	114428	3938031	393803	110265	9123147	912315	255448
गुजरात	1147465	114746	30982	1626853	162685	43925	1244835	124483	33611	1465929	146593	39580
हरियाणा	423667	33893	10592	824967	65997	20624	806446	64516	20161	2815845	225268	70396
हिमाचल प्रदेश	71387	4283	1927	151579	9095	4093	123645	7419	3338	3771104	226266	101820
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	12916	775	323	3584719	215083	89618
कर्नाटक	1552445	155245	41916	2493566	249357	67326	2758039	275804	74467	1498691	149869	40465
केरल	626248	50100	18161	1200190	96015	34806	1317078	105366	38195	559269	44742	16219
कोलकाता	703996	70400	19712	13781647	1378165	385886	1049748	104975	29393	1839196	183920	51497
मध्यप्रदेश	556036	44483	15013	804891	64391	21732	739748	59180	19973	2198967	175917	59372
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	-	-	11711	703	293	12595	756	315
उड़ीसा	222920	13375	6019	477297	28638	12887	546125	32768	14745	979840	58790	26456
पंजाब	743981	59518	18600	2458461	196677	61462	1027580	82206	25690	9416348	753308	235409
राजस्थान	641092	51287	17309	1322256	105780	35701	1569566	125565	42378	1789290	143143	48311
तमिलनाडु	688720	68872	17218	1128380	112838	28210	2222763	222276	55569	1111802	111180	27795
उत्तर प्रदेश पूर्व	571000	45680	14275	1011173	80894	25279	931011	74481	23275	1174577	93966	29364
उत्तर प्रदेश	673795	53904	18192	1337577	107006	36115	1252551	100204	33819	1090517	87241	29444
पश्चिम बंगाल	262286	20983	7606	536613	42929	15562	482462	38597	13991	734020	58722	21287
<b>कुल यू ए एस एल</b>	<b>18200371</b>	<b>1700932</b>	<b>505182</b>	<b>54213440</b>	<b>5162743</b>	<b>1520174</b>	<b>43995322</b>	<b>4094621</b>	<b>1228482</b>	<b>59803010</b>	<b>5131747</b>	<b>1611257</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की कुल राशि	17.62	एल एफ पर प्रभाव	1.61	एस यू सी पर प्रभाव	0.49
---------------------------	-------	-----------------	------	--------------------	------

अनुलग्नक - 7.21 पैरा संख्या 7.5]

## एल एफ व एस यू सी पर मार्च 2015 तक ब्याज दर्शाने वाला विवरण (टी टी एस एल)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 15 तक) दर @ (पी एल आर + 2) %	96		84		72		60		कुल
			14.25		14.25		14.25		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
		मर्दे									
1	7.2.1	कमीशन	233474694	69205334	187696524	56447536	147534578	44626981	138951561	42243264	920180473
2	7.2.2	छूट	2118023801	627235073	1697050246	500490812	1537143342	455366286	1263385248	377381925	8576076732
3	7.2.3	समायोजन	44040080	13184604	42113626	12960039	31501312	9837534	41878361	13317752	208833309
4	7.2.4	स्टार्टर किट तथा विविध आय	0	0	0	0	14009634	4612035	77037637	24255912	119915217
5	7.2.5	ओपेक्स आय	0	0	0	0	12444409	5110269	13030035	2611315	33196028
6	7.2.6	फोरेक्स लाभ	982607	291259	102551777	30841249	0	0	171588311	52165303	358420506
7	7.3.1	ब्याज आय	77818773	23066629	24960686	7506635	41037980	12413369	421735580	128213654	736753306
8	7.3.2	निवेश के विक्रय पर लाभ	17791593	5273690	493975	148557	923414386	279318903	1155824126	351387081	2733652311
9	7.3.3	परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	76772259	23088360	43164074	13056480	31582358	9601489	197265021
10	7.4.1	अप्राय ऋण	0	0	0	0	0	0	261312156	74700664	336012820
11	7.4.2	एल एल व पोर्ट प्रभार	108227523	33677976	78715096	24134723	92514209	29054740	53128068	17169643	436621977
12	7.4.3	लाइसेंस फीस ए जी आर व स्पेक्ट्रम यूसेज ए जी आर में अन्तर	0	100380456	0	110195774	0	76766372	0	108401045	395743647
13	7.4.4	जी आर में किराये की आय पर विचार न करना	3581891	1063832	8753989	2577620	5484994	1645626	5034135	1580609	29722695
		कुल	2603940962	873378852	2219108179	768391305	2848248919	931808596	3634487576	1203029655	15082394043

अर्थात् ₹ 1508.24 करोड़

## एल एफ व एस यू सी पर मार्च 2015 तक ब्याज दर्शाने वाला विवरण (टी टी एस एल)

(राशि ₹ में)

पैरा संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 15 तक) दर @ (पी एल आर + 2) %	96		84		72		60		कुल
		14.25		14.25		14.25		13.75		
		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
7.2.1	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	छूट	583457250	191373977	550786145	180657856	539222047	176864832	462776336	151790638	2836929080
7.2.3	समायोजन	93262051	30589953	65519081	21490259	35762877	11730224	37379549	12260492	307994485
7.2.4	स्टार्टर किट तथा विविध आय	-	-	-	-	-	-	8337028	2734545	11071573
7.2.5	ओपेक्स आ;	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.6	फोरेक्स लाम	18360889	6022372	37353457	12251934	15469144	5073879	16638970	5457582	116628228
7.3.1	ब्याज आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2	निवेश के विक्रय पर लाम	989745	324636	118693	38931	40187	13181	58859	19306	1603538
7.3.3	परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाम	-	-	-	-	-	-	34813903	11418960	46232863
7.4.1	अप्राय ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.2	एल एल व पोर्ट प्रभार	39835841	13066156	34825335	11422710	35925261	11783486	20591390	6753976	174204155
7.4.3	लाइसेंस फीस ए जी आर व स्पेक्ट्रम यूसेज ए जी आर में अन्तर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	735905776	241377093	688602711	225861690	626419516	205465602	580596035	190435499	3494663922

अर्थात् ₹ 349.47 करोड़

**अनुलग्नक 8.01 [पैरा संख्या 8.2.1 ए]**  
एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व हिस्सेदारी हेतु विचार नहीं किये गये अधित्यागों, छूट, प्रोत्साहन प्रस्ताव आदि की राशि का विवरण

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
ग्राहकों को दिये गये अधित्या के कारण राजस्व शीर्षों में पायी गयी डेबिट प्रविष्टि	59510915	240436740	403032886	287916983	990897524
ग्राहकों को दी गई छूट के कारण राजस्व शीर्षों में पायी गयी डेबिट प्रविष्टि	461524197	-	-	6222170	467746367
छोमों टॉकटाईम ट्रांसफर के कारण राजस्व शीर्षों में पायी गयी डेबिट प्रविष्टि	769669	5700808	2028460	1091226	9590164
फाइनेंसिइल्ल के अनुसार कुल आय के गणना करते समय व्यय मद ३३३३००११.प्रोमों टॉकटाईम/यूसेज के अर्न्तगत दर्ज की गई राशि जिसको राजस्व के विरुद्ध ग्रुप कियाधनिवल किया	698275	765493	216311398	29356454	247131620
राजस्व के विरुद्ध कुल निवल	522503055	246903041	621372744	324586834	1715365675
जी आर/ए जी आर की गणना करते समय 'छूट के रूप में दिये गये प्रोमों टॉकटाईम' वर्णन के अर्न्तगत राजस्व में वापिस जोड़ी गई राशि	698285	4209779	216311398	6547449	227766911
जी आर/ए जी आर की गणना करते समय 'ख्याति अधित्याग एवं सैयल्टी छूट' राजस्व में वापिस जोड़ी गई राशि	25404373	32462939	19098986	-	76966298
<b>ए जी आर हेतु विचार नहीं की गई राशि</b>	496400398	210230323	385962360	318039385	<b>1410632466</b>
<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>49.64</b>	<b>21.02</b>	<b>38.60</b>	<b>31.80</b>	<b>141.06</b>

अनुलग्नक 8.02 [पैरा संख्या 8.2.1 अ]  
 देय एल एफ एवं एस यू सी पर विचार नहीं किये गये अधित्यागोंए छूटों, प्रोत्साहन प्रस्ताव आदि का प्रभाव  
 (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	234836	14090	6223	204299	12258	6844	0	0	0	0	0	
बिहार	डी डब्ल्यू एल	0	0	0	1732403	103944	40711	321288	19277	7550	954905	57294	
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	1627	98	38	3779	227	89	198091	11885	4655	81935	4916	
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	40671	2440	956	305361	18322	7176	1509081	90545	35463	35732	2144	
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6384546	510764	
कलकत्ता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-657898	-	
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	23117	1387	543	-	-	-	-	-	-	-	-	
ओडिशा	डी डब्ल्यू एल	185565	11134	4361	10680	641	251	0	0	0	13204628	792278	
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	30867	2469	725	1	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	516683	31618	12847	2256522	135391	55071	2028460	121708	47669	20003848	1367396	
आंध्र प्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	48692	4869	1144	9698890	969889	
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	77121	7712	1735	13652895	1365290	
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	109151	10915	2565	7968210	796821	
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2682322	268232	
मुंबई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9153646	915365	
तमिलनाडु	ए एल	307943882	24635511	13395559	133181033	10654483	5793375	284929415	28492942	12394430	203093665	20309367	
	कुल ए एल	307943882	24635511	13395559	133181033	10654483	5793375	285164378	28516438	12399874	246249629	24624963	
चेन्नई	ए सी एल	187939833	18793983	7987443	74792767	7479277	3178693	96416795	9641680	4097714	51785908	5178591	
	कुल एसी एल	187939833	18793983	7987443	74792767	7479277	3178693	96416795	9641680	4097714	51785908	5178591	
	कुल यू ए एस एल	496400398	43461112	21395848	210230323	18269151	9027139	383609634	38279825	16545257	318039385	31170949	
कमीशन	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	2352726	141164	-	-	-	
	कुल योग	496400398	43461112	21395848	210230323	18269151	9027139	385962360	38420989	16545257	318039385	31170949	

(₹ करोड़ में)

सेवायें / कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आईएसपी	0.24	0.01	-
डीडब्ल्यूएल यूएसएसएल	2.48	0.17	0.06
ए एल यूएसएसएल	97.25	8.84	4.14
एसीएल यूएसएसएल	41.09	4.11	1.75
कुल योग	141.06	13.13	5.95

## अनुलग्नक 8.03 (पैरा संख्या 8.2.1 (बी))

कुल टाक टाईम (एफ टी टी) पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	126517527	7591052	4238337	327460224	19647613	10969918	177711346	10662681	5953330
बिहार	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	56195226	3371714	1320588	74974705	4498482	1761906	-	-	-
कलकत्ता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	11926263	1192626	268341	8838135	883814	198858
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	85032126	5101928	1998255	193205130	11592308	4540321	40716653	2442999	956841
ओडिशा	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	55670865	3340252	1308265	127749880	7664993	3002122	8719978	523199	204919
परियम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	130966861	10477349	3077721	49707110	3976569	1168117	12032212	962577	282757
	कुल डी डब्ल्यू एल	-	-	-	454382605	29882294	11943166	785023313	48572591	21710724	248018325	15475269	7596706
तमिलनाडू	ए एल	45890432	3671235	1996234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल ए एल	45890432	3671235	1996234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल यूएसएसएल	45890432	3671235	1996234	454382605	29882294	11943166	785023313	48572591	21710724	248018325	15475269	7596706

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	148.74	9.39	4.12
ए एल	4.59	0.37	0.20
कुल यूएसएसएल	153.33	9.76	4.32

अनुलग्नक 8.04 [पैरा संख्या 8.2.1 सी]

फ्री एअर टाइम (एफ ए टी) पर पर विचार न करने के कारण एल एक एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें / एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	180320	10819	4238	407300	24438	9572
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	54055	4324	1270	11852	3482	21730	
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924683	73975	5198
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221187	17695	-
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	309162	24733	7265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल डी डब्ल्यू एल	309162	24733	7265	-	-	-	234375	15144	5508	1701323	127960	39981
आन्ध्र प्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	749716	74972	17618	9084339	908434	213482
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4153658	415366	93457
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009914	200991	47233
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848671	84867	19944
मुम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6962863	696286	156664
तमिलनाडु	ए एल	160856193	12868495	6997244	29177723	2334218	1269231	-	-	-	55149209	5514921	2398991
	कुल ए एल	160856193	12868495	6997244	29177723	2334218	1269231	749716	74972	17618	78208654	7820865	2929771
चैन्नई	ए सी एल	-	-	-	-	-	-	28304178	2830418	1202928	34029072	3402907	1446236
	कुल ए सी एल	-	-	-	-	-	-	28304178	2830418	1202928	34029072	3402907	1446236
	कुल यू ए एस एल	161165355	12893228	7004510	29177723	2334218	1269231	29288268	2920533	1226054	113939049	11351732	4415988

(₹ करोड़ में)

सेवायें / कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	0.23	0.02	0.01
ए एल	26.90	2.31	1.12
ए सी एल	6.23	0.62	0.26
कुल यू ए एस एल	33.36	2.95	1.39

अनुलग्नक 8.05 [पैरा संख्या 8.2.1 डी]  
ई आर छूट पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कर्नाटक	ए एल	12015448	1201545	282363
महाराष्ट्र	ए एल	2615017	261502	61453
मुम्बई	ए एल	13534767	1353477	304532
	कुल यू ए एस एल (ए एल)	<b>28165232</b>	<b>2816523</b>	<b>648348</b>

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
कुल यू ए एस एल (ए एल)	2.82	0.28	0.06



अनुलग्नक 8.06 पैरा संख्या 8.2.3] कमीशन पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव (राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10			
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
असम	डी डब्ल्यू एल	26431141	1585868	700425	78195983	4691759	2619565	109255413	6555325	3660056	135533189	8131991	4540362				
बिहार	डी डब्ल्यू एल	128333	7700	3016	13908336	834500	326846	34929455	2095767	820842	67411195	4044672	1584163				
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	40178	2411	944	935196	56112	21977	2769349	166161	65080	9166368	549982	215410				
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	3439078	206345	80818	17739410	1064365	416876	42251708	2535102	992915	74883456	4493007	1759761				
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	216690	17335	5092	16214039	1297123	381030				
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	7944703	794470	178756	27541839	2754184	619691				
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	20841496	1250490	489775	52813433	3168806	1241116	76737962	4604278	1803342	111259037	6675542	2614587				
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	4211912	252715	98980	21937000	1316220	515520	27430567	1645834	644618	44550415	2673025	1046935				
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	343	27	8	11052169	884173	259726				
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	130	10	3	12777432	1022195	300270				
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	2763842	221107	64950	16578872	1326310	389603	26591716	2127337	624905	53650736	4292059	1260792				
	कुल डी डब्ल्यू एल	57855980	3526636	1438909	202108231	12458071	5531503	328128036	20541648	8795618	564039876	36817954	14582727				
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	76955	7696	1808	22843210	2284321	536815				
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	42718	4272	961	31741139	3174114	714176				
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	161278	16128	3790	15852350	1585235	372530				
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6130005	613000	144055				
मुम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22665122	2266512	509965				
तमिलनाडु	ए एल	145965875	11677270	6349516	231908152	18552652	10088005	280470379	28047038	12200462	442167815	44216782	19234300				
	कुल ए एल	145965875	11677270	6349516	231908152	18552652	10088005	280751331	28075133	12207021	541399641	54139964	21511842				
चैन्नई	ए सी एल	68341740	6834174	2904524	97103242	9710324	4126888	100628501	10062850	4276711	107873489	10787349	4584623				
	कुल ए सी एल	68341740	6834174	2904524	97103242	9710324	4126888	100628501	10062850	4276711	107873489	10787349	4584623				
	कुल यू ए एस एल	272163595	22038080	10692948	531119625	40721048	19746396	709507868	58679631	25279351	1213313005	101745267	40679192				

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	115.20	7.33	3.03
ए एल	120.00	11.24	5.02
ए सी एल	37.40	3.74	1.59
कुल यू ए एस एल	272.60	22.31	9.64

अनुलग्नक 8.07 (पैरा संख्या 8.2.4)  
मार्केट स्टॉक की वजह से आय पर विचार न करने के कारण एल एफ एव एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2008-09			2009-10			(राशि ₹ में)
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
बिहार	डी डब्ल्यू एल	255861	15352	6013	-	-	-	
	कुल डी डब्ल्यू एल	255861	15352	6013	-	-	-	
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	1329	133	31	595064	59506	13984	
दिल्ली	ए एल	2105	211	47	880465	88046	19810	
कर्नाटक	ए एल	2979	298	70	446185	44619	10485	
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	174634	17463	4104	
मुम्बई	ए एल	-	-	-	617634	61763	13897	
तमिलनाडु	ए एल	8106148	810615	352617	13095945	1309594	569674	
	कुल ए एल	8112562	811256	352766	15809926	1580993	631954	
चैन्नई	ए सी एल	2439333	243933	103672	7340571	734057	311974	
	कुल ए सी एल	2439333	243933	103672	7340571	734057	311974	
	कुल यू ए एस एल	10807755	1070541	462450	23150497	2315050	943928	

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल	0.03	0.00	0.00
ए एल	2.39	0.24	0.10
ए सी एल	0.98	0.10	0.04
कुल यू ए एस एल	3.40	0.34	0.14

अनुलग्नक 8.08 [पैरा संख्या 8.2.5]  
साईट शेयरिंग आय पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	कम्पनी	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		एस यू सी पर प्रभाव		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव			
असम	डी डब्ल्यू एल	242130	14528	6416	2510618	150637	84106	8209205	275008	9310694	558642	311908
बिहार	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	9788607	587316	230032	43704712	1027061	36741297	2204478	863420
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	17327388	407194	11581800	694908	272172
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	3906106	234366	91793	18106475	425502	19855417	1191325	466602
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	120	3	5734688	458775	134765
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	3507070	78909	2398949	53976	-
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	2540704	152442	59707	6579705	394782	6653435	399206	156356
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	176764	10606	4154	6593286	395597	154942	30646165	1838770	11439903	686394	268838
उत्तर प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	16071710	1285737	377685	22437758	527287	12845343	1027627	301866
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	418894	25134	10570	41411031	2806096	998265	150518598	3615772	120760969	7797206	2928591
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	10801	254	3225226	322523	75793
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	17108	385	4451868	445187	100167
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	24213	569	2155546	215555	50655
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	7275559	727556	170976
मुम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	3505235	350523	78868
तमिलनाडु	ए एल	18369714	1469577	799083	61307886	4904631	2666893	65877511	2865672	61773754	6177375	2687158
	कुल ए एल	18369714	1469577	799083	61307886	4904631	2666893	65929634	2866880	82387188	8238719	3163617
चैन्नई	ए सी एल	26647955	2664796	1132538	32112735	3211274	1364791	35190829	1495610	36129772	3612977	1535515
	कुल ए सी एल	26647955	2664796	1132538	32112735	3211274	1364791	35190829	1495610	36129772	3612977	1535515
	कुल यू ए एस एल	45436563	4159506	1942191	134831652	10922000	5029950	251639061	7978262	239277929	19648902	7627723
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	10774	646	-	-	-
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	8938	536	-	-	-
आई एस पी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	6282	377	-	-	-
	कुल योग	45436563	4159506	1942191	134831652	10922000	5029950	251665056	19733762	239277929	19648902	7627723

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	0.00	0.00	-
आई एल डी	0.00	0.00	-
आई एस पी	0.00	0.00	-
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	31.31	2.03	0.76
ए एल यू ए एस एल	22.80	2.12	0.95
ए सी एल यू ए एस एल	13.01	1.30	0.55
कुल योग	67.12	5.45	2.26

अनुलग्नक 8.09 [पैरा संख्या 8.2.6]  
फोरेक्स लाभ आय पर विचार न करने के कारण एल एक एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	-	-	6319	3528	30901	1854	1035	30409	1825	1019		
बिहार	डी डब्ल्यू एल	-	-	20810	489	10850	651	255	15904	954	374		
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	-	-	1958	117	910	55	21	2056	123	48		
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	-	-	147900	8874	11555	693	272	18217	1093	428		
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	53	4	1	24321	1946	572		
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	5	-	113183	11318	2547	1018079	101808	22907		
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	66941	4016	20041	1202	471	22851	1371	537		
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	-	-	30447	1827	8188	491	192	10475	628	246		
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	-	49683004	3974640	1167551		
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	38648	3092	908	42752136	3420171	1004675		
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	-	-	22097	1768	7865	629	185	12466	997	293		
	<b>कुल डी डब्ल्यू एल</b>	-	-	<b>395483</b>	<b>24171</b>	<b>10347</b>	<b>19990</b>	<b>5887</b>	<b>93589918</b>	<b>7505557</b>	<b>2198649</b>		
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	409	41	10	271143	27114	6372		
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	647	65	15	9393223	939322	211348		
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	916	92	22	203306	20331	4778		
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	79573	7957	1870		
मुम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	14457724	1445772	325299		
तमिलनाडु	ए एल	-	-	-	-	1639678	163968	71326	5967217	596722	259574		
	<b>कुल ए एल</b>	-	-	-	-	<b>1641649</b>	<b>164165</b>	<b>71372</b>	<b>30372186</b>	<b>3037219</b>	<b>809240</b>		
	ए सी एल	-	-	-	-	-	-	-	31100	3110	1322		
	<b>कुल ए सी एल</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>31100</b>	<b>3110</b>	<b>1322</b>		
	<b>कुल यू ए एस एल</b>	-	-	<b>24171</b>	<b>10347</b>	<b>1883843</b>	<b>184155</b>	<b>77259</b>	<b>123993203</b>	<b>10545885</b>	<b>3009211</b>		
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	1023	61	4734	284	-	4992434	299546	-		
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	2355542	141333	-	3200626	192038	-		
आई एस डी	डी डब्ल्यू एल	130662	7840	14154879	849293	85973	5158	-	86018	5161	-		
	<b>कुल योग</b>	<b>130662</b>	<b>7840</b>	<b>14551385</b>	<b>873525</b>	<b>10347</b>	<b>330930</b>	<b>77259</b>	<b>132272281</b>	<b>11042630</b>	<b>3009211</b>		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	0.50	0.03	-
आई एल डी	0.56	0.03	-
आई एस डी	1.45	0.09	-
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	9.42	0.76	0.22
ए एल यू ए एस एल	3.20	0.32	0.09
ए सी एल यू ए एस एल	0.00	0.00	0.00
<b>कुल योग</b>	<b>15.13</b>	<b>1.23</b>	<b>0.31</b>

अनुलनक 8.10 पैरा संख्या 8.2.7

जमा पर ब्याज शामिल न करने के कारण एल एफ एव एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	189637824	11378269	5025402	88325461	5299528	2958903	34151237	2049074	1144066	4195468	251728	140548
बिहार	डी डब्ल्यू एल	917345	55041	21558	17451356	1047081	410107	11990813	719449	281784	2194273	131656	51565
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	761520	45691	17896	1642198	98532	38592	1005925	60356	23639	348650	20919	8193
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	31781616	1906897	746868	21024782	1261487	494082	12770389	766223	300104	2756056	165363	64767
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	0	0	0	58081	4647	1365	493413	39473	11595
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	3960	396	89	2968710	296871	66796	964551	96455	21702
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	128985285	7739117	3031154	56136737	3368204	1319213	22148951	1328937	520500	3191539	191492	75001
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	32242825	1934570	757706	28377933	1702676	666881	9049465	542968	212662	1708239	102494	40144
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	98	8	2	324763	25981	7632
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	71	6	2	377221	30178	8865
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	20132399	1610592	473111	18586709	1486937	436788	8691984	695359	204262	1817009	145361	42700
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	404458814	24670177	10073696	231549137	14264841	6324655	102835724	6463897	2755183	18371182	1201101	472713
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	1828	183	43	5352837	535284	125792
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	2896	290	65	8342426	834243	187705
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	4098	410	96	4013618	401362	94320
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1570902	157090	36916
मम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5556633	555663	125024
तमिलनाडु	ए एल	-	-	-	-	-	-	11150083	1115008	485029	118287822	11828782	5145520
	कुल ए एल	-	-	-	-	-	-	2185479	218548	92883	143124239	14312424	5715277
चैन्नई	ए सी एल	-	-	-	-	-	-	2185479	218548	92883	15541312	1554131	660506
	कुल यू ए एस एल	404458814	24670177	10073696	231549137	14264841	6324655	116180108	7798335	3333299	177036733	17067656	6848496
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	865824	51949	-	5232119	313927	-	2770787	166247	-
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	4340790	260447	-	2478245	148695	-
आई एस पी	डी डब्ल्यू एल	32469640	1948178	-	8122773	487366	-	3050938	183056	-	323823	19429	-
	कुल योग	436928454	26618355	10073696	240537734	14804157	6324655	128803955	8555766	3333299	182609588	17402027	6848496

(₹ करोड़ में)

सेवा/कंपनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	0.89	-	0.05
आई एल डी	0.68	-	0.04
आई एस पी	4.40	-	0.27
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	75.72	4.66	1.96
ए एल यू ए एस एल	15.43	1.54	0.62
ए सी एल यू ए एस एल	1.77	0.18	0.08
कुल योग	98.89	6.74	2.66

अनुलग्नक 8.11 [पैरा संख्या 8.2.8]  
निवेशों के ब्याज पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/ एल एस ए	कम्पनी	2008-09				2009-10			
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	2336	234	55	2640869	264087	62060		
दिल्ली	ए एल	3700	370	83	3907470	390747	87918		
कर्नाटक	ए एल	5236	524	123	1980154	198015	46334		
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	775018	77502	18213		
मुम्बई	ए एल	-	-	-	2741035	274104	61673		
तमिलनाडु	ए एल	14245996	1424600	619701	58119306	5811931	2528190		
	कुल ए एल	14257267	1425727	619962	70163853	7016385	2804588		
	ए सी एल	-	-	-	5676401	567640	241247		
	कुल ए सी एल	-	-	-	5676401	567640	241247		
	कुल यू ए एस एल	14257267	1425727	619962	75840254	7584025	3045835		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/ कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
ए एल	8.44	0.84	0.34
ए सी एल	0.57	0.06	0.03
कुल यू ए एस एल	9.01	0.90	0.37

## अनुलग्नक 8.12 [पैरा संख्या 8.2.9 (i)]

निगमित आय (संयुक्त संविदा/साफ्टवेयर सेवायें/परियोजना प्रबन्धन आय) पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2008-09		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	406195115	24371707	10764171	221803	13308	7430
बिहार	डी डब्ल्यू एल	1964555	117873	46167	77908	4675	1831
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	1580999	94860	37153	6524	391	153
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	67880050	4072803	1595181	82932	4976	1949
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	375	30	9
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	19271	1927	434
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	69068138	4144088	1623101	58787	3527	1382
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	43061173	3444894	1011938	56463	4517	1327
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	276207065	16572424	6490866	143819	8629	3380
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	865957093	52818649	21568577	667882	41981	17894
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	33968	2038	-
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	28194	1692	-
आई एस पी	डी डब्ल्यू एल	69545244	4172715	-	19796	1188	-
	कुल योग	935502337	56991364	21568577	749840	46898	17894

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	86.67	5.29	2.16
एन एल डी	0.00	0.00	-
आई एल डी	0.00	0.00	-
आई एस पी	6.96	0.41	-
कुल यू ए एस एल	93.63	5.70	2.16

अनुलग्नक 8.13 [पैरा संख्या 8.2.9(iii)]  
नोटिस पे पर विचार न करने के कारण एल एक एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवाये/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	58761	4701	1381	698341	55867	16411
असम	डी डब्ल्यू एल	366979	22019	9725	310798	18648	10412	2469932	148196	82743	452145	27129	15147
बिहार	डी डब्ल्यू एल	31348	1881	737	508103	30486	11940	2321268	139276	54550	236937	14216	5568
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	8366	502	197	147786	8867	3473	289787	17387	6810	578088	34685	13585
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	150175	9011	3529	242925	14576	5709	1481766	88906	34822	1113517	6811	26168
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	86321	8632	0	218535	21853	4917	1896161	189616	42664	3920932	392093	88221
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	197198	11832	4634	174550	10473	4102	1445352	86721	33966	339609	20377	7981
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	170228	10214	4000	344617	20677	8098	1650699	99042	38791	1616018	96961	37976
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	193624	15490	4550	1410582	112847	33149
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	40309	3225	947	40763	3261	958
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	230557	18445	5418	580255	46420	13636	1736938	138955	40818	1634955	130796	38421
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	1241173	82534	28240	2527568	172001	62287	13584597	931515	342041	12041886	955043	283585
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	33560	3356	789	628133	62813	14761
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	24614	2461	554	1433143	143314	32246
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	178542	17854	4196	2005074	200507	47119
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263712	26371	6197
मुम्बई	ए एल	-	-	-	-	-	-	266246	26625	5991	1798996	179900	40477
तमिलनाडु	ए एल	676619	67662	29433	1190200	119020	51774	2043577	204358	88896	2280790	228079	99214
	कुल ए एल	676619	67662	29433	1190200	119020	51774	2546540	254654	100424	8409849	840985	240015
चैन्नई	ए सी एल	180704	18070	7680	850790	85079	36159	840768	84077	35733	1867081	186708	79351
	कुल ए सी एल	180704	18070	7680	850790	85079	36159	840768	84077	35733	1867081	186708	79351
	कुल यू ए एस एल	2098496	168267	65353	4568558	376100	150220	16971905	1270246	478198	22318816	1982736	602951
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	269238	16154	-	298596	17916	-
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	223375	13403	-	267085	16025	-
आई एस डी	डी डब्ल्यू एल	452036	27122	-	688739	41324	-	1001530	60092	-	649863	38992	-
	कुल योग	2550532	195389	65353	5258511	417497	150220	18466048	1359894	478198	23534360	2055669	602951

(₹ करोड़ में)

सेवाये/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	0.06	0.00	-
आई एल डी	0.05	0.00	-
आई एस डी	0.28	0.02	-
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	2.94	0.21	0.07
ए एल यू ए एस एल	1.28	0.13	0.04
एसीएलयूएसएल	0.37	0.04	0.02
कुल योग	4.98	0.40	0.13



## अनुलग्नक 8.14 पैरा संख्या 8.2.9(iii)

अन्य आय पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	2229144	133749	-	74676		
बिहार	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	1165865	69952	-	27398		
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	150727	9044	-	3542		
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	92001	5520	2162	-	-	-	2850999	171060	-	66998		
केरल	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	1031	82	5	1402210	112177	-	32952		
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	497191	49719	-	11187		
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	22014	1321	517	-	-	-	1675154	100509	-	39366		
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	914	55	21	-	-	-	767876	46073	-	18045		
उत्तर प्रदेश पूर्व	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	172554	13804	-	4055		
उत्तर प्रदेश पश्चिम	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	200426	16034	-	4710		
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	3175	254	75	-	-	-	365315	29225	-	8585		
	कुल डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	118104	7150	2775	1031	82	5	11477462	751345	-	291515		
आन्ध्रप्रदेश	ए एल	-	-	-	-	-	-	12490	1249	-	294		
दिल्ली	ए एल	-	-	-	-	-	-	18480	1848	-	416		
कर्नाटक	ए एल	-	-	-	-	-	-	9365	937	-	220		
महाराष्ट्र	ए एल	-	-	-	-	-	-	3665	367	-	86		
गुजरात	ए एल	-	-	-	-	-	-	12963	1296	-	292		
तमिलनाडु	ए एल	-	-	-	-	-	-	274869	27487	-	11957		
	कुल ए एल	-	-	-	-	-	-	331832	33183	-	13264		
	ए सी एल	-	-	-	-	-	-	928578	92858	39465	-		
	कुल ए सी एल	-	-	-	-	-	-	928578	92858	39465	-		
	कुल यू ए एस एल	118104	7150	2775	1031	82	5	11809294	784529	-	304779		
एन एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	897	54	-	1472180	88331	-	-		
आई एल डी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	833424	50005	-	-		
आई एस पी	डी डब्ल्यू एल	-	-	-	-	-	-	743295	44598	-	-		
	कुल योग	118104	7150	2775	1928	136	5	14858193	967463	-	304779		

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन एल डी	0.15	0.01	-
आई एल डी	0.08	0.01	-
आई एस पी	0.08	0.00	-
डी डब्ल्यू एल यू ए एस एल	1.16	0.08	0.03
ए एल यू ए एस एल	0.03	0.00	0.00
ए सी सल यू ए एस एल	0.09	0.01	0.00
कुल योग	1.59	0.11	0.03

**अनुलग्नक 8.15 [पैरा संख्या 8.2.10]**  
डिसनेट वायरलेस लिमिटेड 2007.2008.परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि से हटाया गया परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ को दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

जी एल कोड	लेखा का नाम	राशि (क्रेडिट राशि/लाभ)	राशि (डेबिट राशि/हानि)
4900022	संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर लाभ	6800	
4900023	कार्यालय उपकरण की बिक्री पर लाभ	43498	
4900024	कम्प्यूटर सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर की बिक्री पर लाभ	1573407	
4900025	फर्नीचर तथा फिटिंग्स की बिक्री पर लाभ	121917	
4900026	वहनों की बिक्री पर लाभ	368136	
4900028	बैंडविड्थ की बिक्री पर लाभ	98225000	
4900029	लो वी एस ए टी की बिक्री पर लाभ	31300	
3350209	संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर हानि		203365
3350210	कार्यालय उपकरण की बिक्री पर हानि		69834
3350211	कम्प्यूटर सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर की बिक्री पर हानि		6977
3350210	फर्नीचर तथा फिटिंग्स की बिक्री पर हानि		556345
	<b>सकल आंकड़े =</b>	<b>100370058</b>	<b>836521</b>
	वित्तीय विवरण के अनुसार शुद्ध राशि	99533537	
		<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>	<b>10.04</b>

**अनुलग्नक 8.16 [पैरा संख्या 8.2.10]**

एयरसेल लिमिटेड 2009.2010.परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि से हटाया गया परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ को दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

समयावधि	जी एल खाता एवं खाते का नाम	जी एल शेष राशि	टी बी /एस ए पी के अनुसार राशि	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का सकल राजस्व	ए जी आर में सम्मिलित राशि	ए जी आर में विचार नहीं की गई राशि
2006-07	जी एल.4900026.वाहनों की बिक्री पर लाभ	335189	335189	335189	335189	-
2007-08	जी एल.4900026.वाहनों की बिक्री पर लाभ	2201771	2201771	2201771	2201771	-
2008-09	जी एल.4900026.वाहनों की बिक्री पर लाभ	-	-	-	-	-
2009-10	जी एल.3303009.आर एण्ड एम अन्य	236468441**	236468441**	238775552***	-	238775552
2009-10	जी एल.3350209.पी एंड एम की बिक्री पर हानि	2005987*	2005987*	-	-	-
	(अनुसूची.12) अन्य आय (शुद्ध आय बुक की गई थी)	234462454##				
					<b>कुल</b>	<b>238775552</b>
				<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>		<b>23.88</b>

\* डेबिट शेष/हानि को दर्शाता है।

#\* दर्शाता है \*\* से घटाया \*

\*\* :- 2307112 (कर्नाटक - :- 63600, आन्ध्रप्रदेश ₹ 220476, दिल्ली. ₹ 2020466 तथा शेष महाराष्ट्र के लिये ₹ 2570 के व्यवसाय के अर्न्तगत जैसा क्वायरी प्रश्न (31 में दिया गया है) डेबिट शेष को हटाने के बाद आया है जिसे बाद में सकल राजस्व निकालने के लिये वापिस जोड़ा गया है।

\*\*\* :- 2307112 जो वापस जोड़े गये डेबिट शेष है को सम्मिलित करता है।

**अनुलग्नक 8.17 [पैरा संख्या 8.2.10]**

एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड 2007.2008 एवं 2009.10.परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि से हटाया गया परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ को दर्शाता विवरण

(राशि ₹ में)

समयावधि	जी एल खाता एवं खाते का नाम	टी बी के अनुसार जी एल शेष	वित्तीय स्टेटमेंट के अनुसार राशि	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का सकल राजस्व	ए जी आर में सम्मिलित राशि	ए जी आर में विचार नहीं की गई राशि
2006-07	जी एल.4900022. संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर लाभ	-	-	-	-	-
2007-08	जी एल.4900022. संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर लाभ	220835	220835	220835	75800	145035
2008-09	जी एल.4900022. संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री पर लाभ	322981	322428*	322981	322981	-
2009-10	जी एल.3303009. मरम्मत एवं रखरखाव-अन्य	72404196	72404196	72404196	-	72404196
	<b>कुल</b>					<b>72549231</b>
				<b>अर्थात् ₹ करोड़ में</b>		<b>7.25</b>

\*फर्नीचर एवं फिटिंग्स की बिक्री पर हानि (लेखाशीर्ष 3350212) ₹ 553 को समायोजित कर लिया गया है।

## अनुलग्नक 8.18 [पैरा संख्या 8.2.10]

परिसंपत्तियों की बिक्री के लाभ पर विचार न करने के कारण एल एक एंव एस यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

सेवायें/एल एस ए	कम्पनी	2007-08			2009-10		
		जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
असम	डी डब्ल्यू एल	797789	47867	26726	-	-	-
बिहार	डी डब्ल्यू एल	157627	9458	3704	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	डी डब्ल्यू एल	14833	890	349	-	-	-
जम्मू एवं कश्मीर	डी डब्ल्यू एल	188608	11316	4432	-	-	-
कोलकाता	डी डब्ल्यू एल	36	4	-	-	-	-
उत्तर पूर्व	डी डब्ल्यू एल	507048	30423	11916	-	-	-
उड़ीसा	डी डब्ल्यू एल	230626	13838	5420	-	-	-
पश्चिम बंगाल	डी डब्ल्यू एल	167376	13390	3933	-	-	-
	कुल डी डब्ल्यू एल यू.एस.ए.	2063943	127186	56481	-	-	-
आन्ध्रप्रदेश	ए.एल.	-	-	-	645645	64565	15173
दिल्ली	ए.एल.	-	-	-	955306	95531	21494
कर्नाटक	ए.एल.	-	-	-	484112	48411	11377
महाराष्ट्र	ए.एल.	-	-	-	189478	18948	4453
मुंबई	ए.एल.	-	-	-	2926703	292670	65851
तमिलनाडु	ए.एल.	-	-	-	233574308	23357431	10160482
	कुल ए.एल.	-	-	-	238775552	23877555	10278830
चैन्नई	ए.सी.एल.	145035	14503	6164	72404196	7240420	3077178
	कुल ए.सी.एल.	145035	14503	6164	72404196	7240420	3077178
	कुल यू.एस.ए.एल.	2208977	141689	62644	311179748	31117975	13356008
एन.एल.डी.	डी डब्ल्यू एल	98232747	5893965	-	-	-	-
आई.एस.पी.	डी डब्ल्यू एल	73368	4402	-	-	-	-
	कुल योग	100515093	6040056	62644	311179748	31117975	13356008

(₹ करोड़ में)

सेवायें/कम्पनी	जी आर/ए जी आर की कुल राशि	एल एक पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
एन.एल.डी.	9.82	0.59	-
आई.एस.पी.	0.01	0.00	-
डी डब्ल्यू एल यू.एस.ए.	0.21	0.01	0.01
ए.एल.यू.एस.ए.एल.	23.88	2.39	1.03
ए.सी.एल.	7.25	0.73	0.30
कुल योग	41.17	3.72	1.34

अनुलग्नक 8.19 [पैरा संख्या 8.3.2]  
इंटरनेट सेवाओं के कारण दावा की गई अधिक कटौती पर विचार न करने के कारण एल एफ एवं यू सी के भुगतान पर प्रभाव

(राशि ₹ में)

कम्पनी	जी एल कोड	वर्णन	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010	कुल
डी डब्ल्यू एल (आई एस पी)	4004119	लीज़ लाईन पंजीकरण से राशि दृ इंटर सी ओ	-	-	-	150360	150360
	4004120	लीज़ लाईन किराये से आय इंटर सी ओ	-	-	-	27380836	27380836
	4006003	लीज़ लाईन से आय मासिक किराया	124231455	182449487	269994150	245862893	822537985
	4006004	लीज़ लाई से आय पंजीकरण शुल्क	1887747	6566635	12340193	16007890	36802465
	4008001	वाईफाई से आय	1750661	789574	462145	292718	3295098
	4006900	अन्तर मण्डलीय सेवाओं से आय (पोस्ट चार्ज से संबंधित राशि केवल)	3685943	2733369	7571520	9735763	23726595
		<b>कुल</b>	<b>131555806</b>	<b>192539065</b>	<b>290368008</b>	<b>299430460</b>	<b>913893340</b>
		ए जी आर के अनुसार	136344898	210442383	301266527	317149012	965202820
		<b>कटौती के रूप में दावा की गई अधिक राशि</b>	<b>4789092</b>	<b>17903318</b>	<b>10898519</b>	<b>17718552</b>	<b>51309480</b>
		<b>एल एफ राशि</b>	<b>287346</b>	<b>1074199</b>	<b>653911</b>	<b>1063113</b>	<b>3078569</b>

(₹ करोड़ में)

जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव (@6%)
5.13	0.31

अनुलग्नक 8.20 [पैरा संख्या 8.4]  
मार्च 2015 तक एल एफ एवं एस यू सी पर ब्याज को दिखाता विवरण

(सालि ₹ में)

क्रम संख्या	परिशिष्ट	महीनों की संख्या (मार्च 2015 तक)	96		84		72		60		कुल
			14.25		14.25		14.25		13.75		
			एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
			2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		
1	8.2.1ए	अधित्याग, कटौतिया, प्रमोशनल ऑफर इत्यादि	91522169	45056243	30977320	15306490	51467255	22163379	30513500	12259863	299266219
2	8.2.1बी	फुल टाक टाईम	7731034	4203750	50668659	20250930	65065945	29082837	15180910	7452207	199636272
3	8.2.1सी	एफ ए टी	27151082	14750380	3957919	2152118	3912232	1642374	11135808	4331990	69033903
4	8.2.1डी	ई आर कटौती	-	-	-	-	-	-	2762949	636016	3398965
5	8.2.3	कमीशन	46408680	22517644	69046938	33482148	78604941	338632230	99809942	39905422	423638946
6	8.2.4	मार्केट स्टाक	-	-	-	-	1434055	619481	2271015	925974	5250524
7	8.2.5	साईट शेयरिंग चार्ज	8759257	4089944	18519432	8528823	26434577	10687368	19275154	7482634	103777190
8	8.2.6	फोरेक्स	16509	-	1481156	17545	443301	103493	10832585	2951972	15846561
9	8.2.7	जमाओं पर ब्याज	56054010	21213596	25102048	10724137	11460969	4465157	17071019	6718229	152809164
10	8.2.8	निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	1909848	830477	7439768	2987900	13167992
11	8.2.9(i)	कारपोरेट संयुक्त आय	120014720	45419983	-	-	62823	23970	-	-	165521496
12	8.2.9(ii)	नोटिस पे	411458	137623	707911	254713	1821661	640576	2016567	591482	6581991
13	8.2.9(iii)	अन्य आय	15056	5845	231	9	124389	52865	949060	298981	1446436
14	8.2.10	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-	10241568	106220	-	-	30526071	13101960	53975819
15	8.3.1	बट्टे खाते में जाले गये अशोध्य ऋण की कटौती	-	-	-	-	-	-	24234011	10299455	34533466
16	8.3.2	आई एस पी कटौती	605104	-	1821421	-	875954	-	1042891	-	4345370
		<b>कुल</b>	<b>358689079</b>	<b>157395007</b>	<b>212524602</b>	<b>90823134</b>	<b>243617950</b>	<b>104175207</b>	<b>275061252</b>	<b>109944082</b>	<b>1552230313</b>
											₹ 155.22 करोड़

अनुलग्नक 9.01 पैरा संख्या 9.2.71  
प्रमाण की उपलब्धता के बावजूद कटौती दावों की अस्वीकृति

टी एस पी का नाम	सी सी ए द्वारा अस्वीकार की गई कटौती (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी	सी सी ए की प्रतिक्रिया
बी ए एल	7.85	आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता के बावजूद कटौती दावा अस्वीकृत किया गया	4 एल एस ए में से 3 एल एस ए के सी सी ए ने लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार की तथा एक एल एस ए से उत्तर प्रतीक्षित है
वोडाफोन	378.33	8 सी सी ए द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता के बावजूद कटौती दावा अस्वीकृत किया गया	गुजरात, हरियाणा तथा मुम्बई सी सी ए ने उत्तर दिया कि प्रकरण पुर्नसत्यापन के दौरान विचार किये जायेंगे। केरल सी सी ए ने सूचित किया कि बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं थे तथा पंजाब सी सी ए ने उत्तर दिया कि चालान उपलब्ध नहीं थे, जबकि दोनों प्रकरणों में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध थे। अन्य सी सी ए से उत्तर प्रतीक्षित है।
आर सी एल	128.17	सी सी ए कोलकाता तथा भोपाल सी सी ए ने प्रमाण दस्तावेजों की उपलब्धता के बावजूद पी एस टी एन प्रभारों के कटौती दावों को अस्वीकृत किया	सी सी ए कोलकाता ने उत्तर दिया कि अंकगणितीय त्रुटि के कारण राशि अनजाने में अस्वीकृत हो गई थी। सी सी ए भोपाल से उत्तर प्रतीक्षित है।
आईडिया	23.78	(i) पी एस टी एन प्रभारों के सम्बन्ध में ₹ 11.69 करोड़ के कटौती दावे (ii) ₹ 14.50 करोड़ के राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय रोमिंग प्रभार	(i) सी सी ए बंगलौर ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि तथ्य डी ओ टी मुख्यालय को सूचित किया जायेगा। सी सी ए पंजाब ने उत्तर दिया कि राशि अनजाने में अस्वीकृत हो गयी थी। (ii) सी सी ए दिल्ली ने उत्तर दिया कि एम ए सी एच द्वारा चालान जारी किये गये तथा एम ए सी एच को भुगतान भी किया गया, इसलिये कटौती स्वीकार नहीं की गई। तथापि डी ओ टी ने विशिष्ट रूप से कहा कि ऑपरेटर द्वारा प्रमाणीकृत खातों के रोमिंग समाधान पर विचार किया जा सकता है। अन्तर परिमण्डलीय रोमिंग के संबंध में प्रधान सी सी ए दिल्ली ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया।
टी टी एस एल/ टी टी एम एस	85.76	लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र तथा भुगतान के प्रमाण की उपलब्धता के बावजूद आई यू सी पर कटौती अस्वीकार की गई	सी सी ए ने उत्तर दिया कि (i) प्रकरण का उत्तर लाइसेंसधारी के अनुरोध पर दिया जायेगा (ii) लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र में दावा की गई राशि का उल्लेख नहीं था।

अनुलग्नक 9.02 पैरा संख्या 9.2.9(एफ)।  
सी सी ए द्वारा सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रस्तुति तथा पुनर्सत्यापन में विलम्ब

(अ) सी सी ए द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन की प्रस्तुति में विलम्ब

वर्ष	एल एस ए की संख्या	एल एस ए की संख्या जहां विलम्ब का विवरण उपलब्ध है	एल एस ए की संख्या जिन्होंने समय पर या उससे पूर्व सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए	एल एस ए की संख्या जिन्होंने पर या उससे पूर्व सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये	विलम्ब की अवधि (माह में)
2006-07	116	13	शून्य	13	3 से 30
2007-08	117	16	शून्य	16	4 से 68
2008-09	220	20	शून्य	20	7 से 53
2009-10	220	18	शून्य	18	8 से 50

(ब) पुनर्सत्यापन में विलम्ब

वर्ष	एल एस ए की संख्या	एल एस ए की संख्या जहां पुनर्सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है	एल एस ए की संख्या जहां पुनर्सत्यापन लम्बित है
2007-08	17	4	13
2008-09	20	3	17
2009-10	20	3	17



## अनुलग्नक 10.01[पैरा संख्या 10.2.1]

दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारण के दौरान राजस्व की चूक के कारण कम निर्धारण

क्र.सं.	वर्ष	कम्पनी का नाम	में प्रकट किया गया	आय का प्रकार	राशि (₹ में)	टिप्पणी
1	2006-07	वी आई एल	आर ई सी ओ	बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण की वसूली	6428126	
2	2006-07	वी आई एल	एस सी एच-12	निवल फोरक्स लाभ	23100000	
3	2006-07	वी डब्ल्यू एल	आर ई सी ओ	बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	857458	
4	2008-09	वी ई एल	ए जी आर एस आई टी	बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण	102151052	
5	2009-10	वी ई एल	एस सी एच -13	विविध आय	28300000	
6	2009-10	वी ई एल	एस सी एच -16	साझेदारी पर वसूली का निवल	12600000	
7	2009-10	वी डब्ल्यू एल	एस सी एच -11	विविध आय	106100000	पी एण्ड एल के एस सी एच-11 में दर्शायी गई विविध आय के संबंध में एस सी एच-11 एवं ₹ 10.61 करोड़ के ए जी आर (15.66 करोड़-5.05 करोड़) के मध्य बकाया राशि को वर्ष 2009-10 के दौरान निर्धारण के लिये शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ए जी आर का ₹ 10.61 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।
8	2009-10	वी आई एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	1522370	
9	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	2156255	
10	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	39746821	
11	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	71553233	
12	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	2046977	
13	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	4182018	
14	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	1648310	
15	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	9046438	
16	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	616551	
17	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	54334299	
18	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	829849	
19	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	1538191	
20	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	24157126	

21	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पत्तियां की बिक्री पर लाभ	6841955	
22	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	ब्याज अ76ाय	1833599	
23	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	35727387	
24	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	आई आर यू आय	459012756	
25	2009-10	वी एस एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पत्तियां की बिक्री पर लाभ	67172073	
26	2009-10	वी एस एल	एस सी एच -13	साझेदारी पर वसूली का निवल	84100000	
27	2009-10	वी सी एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	16505826	
28	2009-10	वी सी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	69816932	
29	2009-10	वी सी एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पत्तियां की बिक्री पर लाभ	3052541	
30	2009-10	वी सी एल	एस सी एच -12	साझेदारी पर वसूली का निवल	74400000	
31	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	ब्याज आय	1124590	
32	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	3996073	
33	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	3831597	
34	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	47658128	
35	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	16040392	
36	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	निवल फोरक्स लाभ	5051665	
37	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	अचल परिसम्पत्तियां की बिक्री पर लाभ	29217221	
38	2009-10	वी एस पी एल	आर ई सी ओ	बीमा	1996254	
39	2009-10	वी एस पी एल	एस सी एच -12	अवसंरचना की साझेदारी के कारण वसूली का निवल	80500000	
	<b>कुल</b>				<b>1500794063</b>	
					अर्थात् ₹ 150.08 करोड़	

**अनुलग्नक 10.02 [पैरा संख्या 10.2.2]**

वर्ष 2009-10 के लिये गुजरात परिमण्डल में एस यू सी के कम निर्धारण (₹4.15 करोड़) को दर्शाता विवरण

अस्वीकृत की गई समानुपातिक कटौतियां	राशि	एल एफ ए जी आर संदर्भ	सी सी ए द्वारा अस्वीकृत कटौतियां	सी सी ए द्वारा अस्वीकृत समानुपातिक कटौतियां (लेखापरीक्षा द्वारा निकाली गई*)	
				(प्रतिशतता)	(राशि)
ऑपरेटर द्वारा दावा की गई पी एस टी एन कटौतियां	129329740	क्र सं. ब(1)(अ)(i)		5.66	94733827
अ) वायरलाईन सेवायें					
ब) डब्ल्यू एल एल सेवायें	1334813881	क्र सं. ब(1)(ब)+	1674648792	58.38	977749024
स) सी डी एम ए आधारित मोबाइल सेवायें		क्र सं. ब(1)(द)			
द) जी एस एम आधारित मोबाइल सेवायें	822071347	क्र सं. ब(1)(स)		35.96	602165941
<b>कुल</b>	<b>2286214968</b>		<b>1674648792</b>	<b>100</b>	<b>1674648792</b>

(राशि ₹ में)

(\* ) समानुपातिक कटौतियों की गणना पी एस पी द्वारा दावा की गई सेवा-वार कटौतियों के आधार पर की गई थी।

सेवा की प्रकृति	कटौतियों पर विचार किए बगैर डी ओ टी द्वारा निकाला गया ए जी आर	सी सी ए द्वारा अस्वीकृत समानुपातिक कटौतियां	अस्वीकार-योग्य कटौतियों को शामिल कर ने के पश्चात् संशोधित ए जी आर	एस यू सी का कम भुगतान	
				एस यू सी दर (%)	राशि (₹.) (कॉल. 3 x 5)
पी डी एम ए	2652685610	977749024	3630434634	2.70%	26399224
जी एस एम	541738901	602165941	1143904842	2.50%	15054149
				<b>कुल</b>	<b>41453372</b>

कम भुगतान किए गए एस यू सी की गणना

(राशि ₹ में)

**अनुलग्नक- 10.03 [पैरा संख्या 10.2.4]**  
**आर सी एल द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाता विवरण**

(दिनों में)

क्र. सं.	एल एस ए का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	उड़ीसा	34-215	117-223	-	90
2	दिल्ली	676-936	658-917	643-901	456-622
3	पटना		600-810	720-1110	720-870
4	बंगलौर	480	1470	1230	1020
5	उत्तर प्रदेश पश्चिम	443-701	1513-1772	1148-1406	783-1041
6	उत्तर प्रदेश पूर्व	789-1047	158-682	51-1296	1002-1260
7	केरल	31-289	283-542	1310-1568	663-921

## शब्दावली

1.	एक्सेस सेवा	सर्किट और/अथवा पैकेट स्विचड इक्विपमेन्ट के द्वारा लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि और/अथवा गैर-ध्वनि के संदेशों का संग्रहण, परिवहन, प्रेषण तथा वितरण एक्सेस सेवा है।
2.	ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व-ए जी आर अनुमति योग्य कटौतियों (यथा, लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार, कॉल के परिवहन (आई यू सी)/रोमिंग हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए पी एस टी एन प्रभार तथा सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए सेवा/बिक्री कर) से घटाया गया सकल राजस्व है।
3.	मूल सेवाएँ	एक सेवा प्रदाता को उपभोक्ताओं को पब्लिक स्विचड नेटवर्क अथवा अनुगामी नेटवर्क का उपयोग करते हुए ध्वनि श्रेणी की कॉलों को समस्त दूरियों पर भेजने तथा ग्रहण करने की क्षमता अवश्य देनी चाहिए।
4.	बी एस ओ	मूल सेवा ऑपरेटर-इनको अपने कवरेज क्षेत्रों में सी डी एम ए तकनीक का उपयोग करते हुए वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर सीमित मोबिलिटी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति थी।
5.	बी डब्ल्यू ए	ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस
6.	सी ए जी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
7.	कॉल प्रभार	काल प्रभार परिवर्तनशील है तथा कॉलर के एक्सचेन्ज से प्राप्तकर्ता के एक्सचेन्ज तक कॉल को रूट करने के लिए उपकरण की लागत हेतु दिए जाते हैं।
8.	केपेक्स	पूँजीगत व्यय
9.	कैरियर सेवायें	तार सहित या बेतार सुविधाओं का कॉलों के प्रारम्भ, समापन अथवा संक्रमण हेतु, इंटरकनेक्शन प्रभार के आरोपण हेतु, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का समाधान या समापन हेतु, खम्भों से संपर्क को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से उपयोग की गई सुविधाओं के प्रभारों हेतु, सर्किटों के विशिष्ट उपयोग हेतु प्रभारों के लिए डेटा सर्किट या टेलीग्राफ सर्किट स्पीच सर्किट को शामिल करते हुए समर्पित या लीज्ड सर्किट का प्रावधान।
10.	सी सी ए	संचार लेखा नियंत्रक
11.	सी डी एम ए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) बेतार सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक तकनीक है।
12.	सी एम टी एस	सेल्लुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा-यह एक प्रकार की शर्ट-वेव एनालाग या डिजिटल दूरसंचार सेवा है जिसमें उपभोक्ता का मोबाइल फोन द्वारा एक निकट के ट्रांसमीटर से बेतार संपर्क होता है। ट्रांसमीटर के कवरेज का फैलाव एक सेल कहलाता है। जैसे ही सेल्लुलर मोबाइल उपभोक्ता एक सेल से या कवरेज क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या सेल में जाता है, टेलीफोन प्रभावी रूप से स्थानीय सेल ट्रांसमीटर को हस्तांतरित हो जाता है।
13.	डेटा सेवायें	डेटा के प्रभावी संप्रेषण हेतु बेतार या तारसहित सेवाओं तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से बनाई गई सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान।
14.	डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
15.	प्रवेश शुल्क	डी ओ टी द्वारा निर्धारित एक मुश्त गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षर करने से पूर्व करना होता है।
16.	एफ ए टी	मुफ्त एयर टाईम
17.	निश्चित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 की व्यवस्था के दौरान लाइसेंसधारी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते थे तथा बोली प्रक्रिया के दौरान स्वीकार की गई वार्षिक लाइसेंस फीस की निश्चित राशि सरकार को देते थे।
18.	एफ ओ सी	मुफ्त (फ्री ऑफ कॉस्ट)
19.	एफ टी टी	फुल टॉक टाईम

20.	जी आर	जी आर— स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट्स (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री से हुई आय, ब्याज, लाभांश, मूल्यवर्धित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, एक्सेस तथा इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अधोसंरचना के स्वीकार्य साझेदारी से या अन्य विविध राजस्व को किसी भी प्रकार से संबंधित व्यय हेतु समंजन के बगैर, शामिल कर सकल राजस्व होगा।
21.	जी एस एम	मोबाईल दूरसंचार हेतु वैश्विक तंत्र, बेतार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तकनीक है।
22.	आई एल डी	अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी—आई एल डी मूलतः एक नेटवर्क परिवहन सेवा (बियरर भी कहा जाता है) है जो कि विदेशी कैरियरों द्वारा संचालित नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
23.	स्थापना प्रभार	उपभोक्ता हेतु टर्मिनल उपकरणों की स्थापना हेतु प्रभार
24.	इंटरकनेक्शन प्रभार	अन्य सेवा प्रदाताओं पर नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा इंटरकनेक्शन सुविधा की लागत की वसूली हेतु, (रूटिंग, सिग्नलिंग तथा अन्य मूल सेवा क्रियाकलापों हेतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए) जो कि नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया गया है, आरोपित एक प्रभार
25.	इंटरनेट सेवाएँ	इंटरनेट में एक्सेस करने, उपयोग करने अथवा भाग लेने हेतु प्रदत्त इंटरनेट सेवाएँ।
26.	इंटरनेट टेलीफोनी	इंटरनेट टेलीफोनी वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी ओ आई पी) पर आधारित डिजिटल दूरसंचार सेवाएँ, जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रावधानित हैं, प्रदान करती है।
27.	आई ओ टी	अंतर-ऑपरेटर ट्रैफिक
28.	आई पी-I	अधोसंरचना प्रदानकर्ता श्रेणी-I-आई पी-I हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। आई पी-I के तहत पंजीकृत कंपनी डार्क फाईबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस तथा ऑवर जैसे संसाधन प्रदान कर सकती है।
29.	आई पी- II	अधोसंचरना प्रदानकर्ता श्रेणी-II एक आई पी-II लाइसेंस अंत से अंत तक बैण्डविड्थ यथा, संदेश का परिवहन करने में सक्षम एक डिजिटल संप्रेषण क्षमता, लीज पर/किराए पर दे सकता है/बेच सकता है। आई पी-2 लाइसेंस 14.12.05 की तिथि से जारी होना बंद हो गया है।
30.	आई एस पी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
31.	आई एस पी (आई टी)	इंटरनेट सेवा प्रदाता (इंटरनेट टेलीफोनी शामिल करते हुए)
32.	आई यू सी	इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार जैसा क्रमांक 24 में बताया गया है।
33.	लाइसेंस शुल्क	लाइसेंसधारी समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में, डी ओ टी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों पर, आधारित दूरसंचार सेवाओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
34.	एल एस ए	लाइसेंस सेवा क्षेत्र (परिमंडल)
35.	माईक्रोवेव एक्सेस	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) एक्सेस सामान्यतः 10 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंड तथा इसके अधिक में होता है।
36.	माईक्रोवेव बैकबोन	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) बैकबोन नेटवर्क सामान्यतः 10 गीगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बैंड से नीचे होते हैं।
37.	एम ओ सी एवं आई टी	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
38.	एन एल डी	राष्ट्रीय लम्बी दूरी – राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) सेवा स्विच-बियरर दूरसंचार सेवाओं के लम्बी दूरी नेटवर्क, यथा – विभिन्न छोटी दूरी आवेशीय क्षेत्रों (ए डी सी ए) को आपस में जोड़ने हेतु एक नेटवर्क, पर परिवहन को कहते हैं।
39.	एन टी पी – 94	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति – 1994
40.	एन टी पी – 99	नवीन दूरसंचार नीति – 1999

41.	ओपेक्स	संचालनगत व्यय
42.	पी एस पी	निजी सेवा प्रदाता
43.	पी एस टी एन प्रभार	पब्लिक स्विचड दूरसंचार नेटवर्क प्रभार
44.	राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था	नवीन दूरसंचार नीति-99 ने 'राजस्व हिस्सेदारी' व्यवस्था का प्रारंभ किया जिसमें एक निश्चित लाइसेंस फीस के स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस फीस का भुगतान करना होता था।
45.	रोमिंग प्रभार	सेल्युलर उपभोक्ता हेतु रोमिंग, विजिटेड नेटवर्क के माध्यम से, स्वचालित रूप से ध्वनि कॉलों को करने तथा प्राप्त करने, डेटा को भेजने तथा प्राप्त करने, अथवा अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता है, जब वह घरेलू नेटवर्क के भूगोलीय कवरेज क्षेत्र से बाहर गमन कर रहा हो। इस सुविधा हेतु प्रभार रोमिंग प्रभार कहलाते हैं।
46.	बिक्री कर	बिक्री कर एक उपभोग कर है जो कि सरकार द्वारा सामानों एवं सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है।
47.	सेवा कर	सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली कतिपय सेवाओं पर सरकार द्वारा आरोपित कर सेवा कर है, परंतु यह वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है और वित्तीय एक्ट 1994 के द्वारा अस्तित्व में आया।
48.	एस यू सी	स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार – लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, बेतार सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का भुगतान करना होता है।
49.	अनुपूरक सेवाएँ	जी एस एम तीन प्रकार की मूलभूत सेवा प्रदान करता है: टेलीफोनी सेवाएँ या टेलीसर्विसेज, डेटा सेवाएँ या बियरर सेवाएँ तथा अनुपूरक सेवाएँ व अतिरिक्त सेवाएँ हैं जो टेलीसर्विसेज व बियरर सेवाओं के अलावा प्रदान की जाती हैं। इन अनुपूरक सेवाओं में कॉलर आईडेन्टिफिकेशन कॉल अग्रेसन, कॉल होल्ड, कॉल प्रतीक्षा, कानफ्रेसिंग, नम्बर आईडेन्टिफिकेशन, क्लोज्ड यूजर ग्रुप तथा बाहर जाने वाली (अंतर्राष्ट्रीय) कालों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
50.	टी बी	ट्रायल बैलन्स
51.	टी डी सैट	दूरसंचार विवाद निपटारण तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एण्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल)
52.	टर्मिनल उपकरण	संचार सर्किट या चैनल के समापन बिन्दु को दर्शाने वाला एक उपकरण। टर्मिनल उपकरण में वॉयस् टर्मिनल उपकरण तथा डेटा टर्मिनल उपकरण को शामिल करते हुए उपभोक्ता के परिसर में लगे उपकरण शामिल हैं।
53.	टी आर ए आई (ट्राई)	भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
54.	यू ए एस एल	समेकित एक्सेस सेवा लाइसेंस – यू ए एस एल सेवा एक विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि तथा/अथवा गैर-ध्वनि संदेशों का संग्रहण, परिवहन, संप्रेषण तथा वितरण को आवृत्त करती है तथा समस्त प्रकार की एक्सेस सेवाओं के प्रावधान को शामिल करती है। एक्सेस सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं तथा ब्राडबैंड सेवाएँ भी प्रदान कर सकता है। अगर आवश्यकता हो, तो एक्सेस सेवा प्रदाता एन एल डी/आई एल डी सेवा के लाइसेंसधारी का नेटवर्क उपयोग कर सकता है। एक्सेस सेवा तारसहित तथा/अथवा बेतार एवं फिक्सड बेतार सेवा को, परंतु इतने तक ही सीमित नहीं, शामिल करती है।

55.	यू एल	समेकित (यूनीफाईड) लाइसेंस – लाइसेंसधारी किसी भी तकनीक का सेवा क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार इस लाइसेंस के तहत प्राधिकृत सेवाओं के दायरे में, इस्तेमाल कर दूरसंचार नेटवर्क तथा दूरसंचार सेवाओं को स्थापित, संचालित तथा संधारित कर सकता है। यदि लाइसेंसधारी एक्सेस स्पैक्ट्रम को प्राप्त कर लेता है तो तकनीक के इस्तेमाल में स्पैक्ट्रम के आवंटन से संबंधित नियम व शर्तें लागू होंगी।
56.	यू एस ओ	वैश्विक सेवा कर्तव्य (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन) – एन टी पी – 99 ने प्रावधान किया कि यू एस ओ को पूरा करने के लिए संसाधन “यूनिवर्सल एक्सेस लेवी ( यू ए एल)” के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जो ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित किए गए राजस्व का प्रतिशत होंगे।
57.	मूल्यवर्धित सेवाएँ (वैल्यू ऐडेड सर्विस)	मूल्यवर्धित सेवाएँ (वी ए एस) गैर- मूल (नॉन कोर) सेवाओं के लिए या संक्षेप में, मानक ध्वनि कॉलों एवं फ़ैक्स संप्रेषण के अलावा समस्त सेवाओं के लिए एक प्रचलित दूरसंचार उद्योग शब्द है। दूरसंचार उद्योग में सैद्धांतिक स्तर पर मूल्यवर्धित सेवा, मानक सेवा में मूल्यवर्धन करती है।
58.	वी सैट	अत्यंत लघु मुख अवसान (वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) – वी सैट लाइसेंस को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर गैर-अनन्य आधार पर इनसैट उपग्रह तंत्र के माध्यम से वी सैट क्लोज्ड यूजर ग्रुप घरेलु डेटा नेटवर्क सेवा को स्थापित, लगाना संचालन तथा संधारित करना है।
59.	डब्ल्यू एफ डी	डी ओ टी की बेतार वित्तीय शाखा
60.	डब्ल्यू एल एल (एम)	वायरलैस इन लोकल लूप (मोबाइल)
61.	डब्ल्यू पी सी प्रभार	डी ओ टी के बेतार प्लानिंग तथा को-ऑर्डिनेशन शाखा द्वारा आरोपित प्रभार



© भारत के  
नियंत्रक—महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)